वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2014-15

ग्राहक सुविधा के लिए सदैव अग्रसर

ALWAYS AHEAD FOR CUSTOMER CONVENIENCE

Tablet Banking

Mobile Banking

Net Banking

e-Passbook

e-Mandate

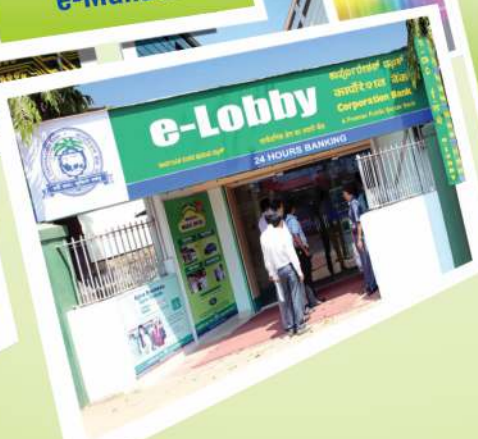

Forex card

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

A Premier Public Sector Bank

खान बहादुर हाजी अब्दुल्ला
हाजी कासिम साहेब बहादुर
संस्थापक अध्यक्ष

Khan Bahadur Haji Abdullah
Haji Kasim Saheb Bahadur
Founder President

हमारा सपना Our Vision

विश्व मानकों से युक्त सबसे पसंदीदा बैंक

Most preferred Bank with Global Standards

हमारा मिशन Our Mission

विश्व श्रेणी की वित्तीय सेवाओं का प्रदाता बनना	To become a provider of world-class financial services
विशेषतः नवोन्मेषी तथा तकनीकी पहल द्वारा ग्राहक अपेक्षाओं को पूरा करना	To meet customer expectations, especially through innovation and technological initiatives
समावेशी बैंकिंग में अपना नेतृत्व बनाए रखना	To maintain leadership in inclusive banking
हितधारकों के मूल्य में वृद्धि करना	To enhance stakeholders' value
राष्ट्रीय तथा सामाजिक दायित्वों को पूरा करना	To fulfill national and social obligations
ऐसे माहौल का निर्माण करना जो कर्मचारियों को बौद्धिक संतुष्टि व पेशागत उपलब्धियाँ दे	To create an environment, intellectually satisfying and professionally rewarding to the employees
नैतिक मूल्यों तथा अच्छे कार्पोरेट अभिशासन के लिए आदर्श मॉडल के रुप में उभरना	To emerge as a role model for ethical values and good Corporate Governance

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

श्री एस आर बंसल
Shri S R Bansal

श्री अमर लाल दौलतानी
Shri Amar Lal Daultani
(upto 31.03.2015)

श्री बी के श्रीवास्तव
Shri B K Srivastav

श्री मनीष गुप्ता
Shri Manish Gupta

प्रद्युम्न के जेना
Shri Pradyumna K Jena

श्री एकनाथ बालिगा
Shri Ekanath Baliga

श्री आदीश कुमार जैन
Shri Adish Kumar Jain

श्री बोनम वेंकट भास्कर
Shri Bonam Venkata Bhaskar

श्री सुशोभन सरकेर
Shri Sushobhan Sarker

सुश्री चित्रा गौरी लाल
Ms Chitra Gouri Lal

श्री रमेश कुमार भट
Shri Ramesh Kumar Bhat

महा प्रबंधकगण
GENERAL MANAGERS

श्री सी. जी. पिन्टो
Shri C G Pinto
(upto 30.04.2015)

श्री. के. गिरिधर शेणै
Shri K Giridhar Shenoy

श्री के. वी. राघव कामत
Shri K V Raghava Kamath

श्री वसंत किणि यू.
Shri Vasant Kini U

श्री के. एस. सोमयाजी (सीवीओ)
Shri K S Somayaji (CVO)

श्री के. जी. सुब्रमणियन
Shri K G Subramanian

श्री एन. बी. कुलशेखरन
Shri N B Kulasekaran
(upto 30.04.2015)

श्री तंगराजु वी
Shri Thangaraju V

श्री पी. परमशिवम
Shri P Paramasivam

श्री पूर्णचंद्र राव देंदुकुरी
Shri Purnachandra Rao Dendukuri

श्री वी. एस. कार्तिकेयन
Shri V S Karthikeyan

श्री अजित प्रकाश मल्होत्रा
Shri Ajit Parkash Malhotra

श्री लक्ष्मीनाथ रेड्डी
Shri Lakshminatha Reddy

श्री सी. के. गोपाल
Shri C K Gopal

श्री आर. नटराजन
Shri R Natarajan

श्री जी. गुरुहरिनाथ राव
Shri G Guruharinadha Rao

श्री फरीद अहमद
Shri Fareed Ahmed

श्री के बी शिवकुमार
Shri K B Shivakumar

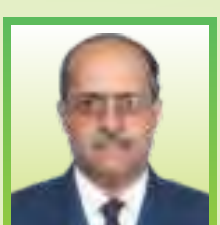

श्री एन विजय कुमार
Shri N Vijaya Kumar

श्री राकेश श्रीवास्तव
Shri Rakesh Srivastava

विभिन्न क्षेत्रों को किए गए वित्त पोषण की झलक
GLIMPSES OF FINANCE MADE TO VARIOUS SECTORS

खमानो शाखा, लुधियाना अंचल के किसान श्री सतवीर सिंह
को वित्तपोषित संयुक्त फसाच करने की मशीन
Combined Harvester financed to Mr. Satveer Singh, farmer of
Khamano Branch, Ludhiana Zone

हमारी दावनगेरे मंडिपेट शाखा द्वारा वित्तपोषित
श्री ए.आर. वीरभद्रप्पा का डेअरी विकास प्रोजेक्ट
A Dairy development project of Shri A.R. Veerabhadrappa,
financed by our Davangere, Mandipet Branch

हमारी बेंगलूरु सदाशिवनगर शाखा द्वारा
वित्तपोषित श्रीकांत फार्म काफूलों की खेती का प्रोजेक्ट
Floriculture project of Srikanth Farm financed
by our Bangaluru Sadashivanagar Branch

करनाल शाखा, चंडीगढ़ अंचल द्वारा श्रीमती दर्शिनी देवी को
वित्तपोषित ग्रामीण गोदाम
A Rural Godown financed to Smt. Darshini Devi by
Karnal Branch, Chandigarh Zone

हमारी दुल्ला शाखा द्वारा वित्तपोषित
श्री रेमेल्ला मुरली और श्री रेमेल्ला सत्यनारायण राव की नर्सरी
A nursery of Shri Remella Murali and
Shri Remella Satyanarayana Raofinanced by our Dulla Branch

हमारी शिमोगा शाखा द्वारा वित्तपोषित अगासावली
गाँव में श्री हर्षाज् की सुपारीप्लेट बनाने वाली संस्था
Shri Harsha's Arecanut plate making unit in
Agasavalli Village, financed by our Shimoga Branch

हमारी कोलार शाखा द्वारा वित्तपोषित ऋषि पौल्ट्री फार्म
Rishi Poultry farm financed by our Kolar branch

श्री गिरीधर नायक, कार स्ट्रीट, मंगलूरु, एक लघु व्यावसायी
जिन्हें बैंक ने वित्त प्रदान किया
Shri Giridhara Nayak, A small Businessman financed
by the Bank in Car Street, Mangaluru, Karnataka

पुरस्कार एवं सम्मान
AWARDS & ACCOLADES

श्री एस.आर.बंसल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में श्री राजनाथ सिंह माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में भारत के महामहीम राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी के करकमलों से कार्पोरेशन बैंक को प्राप्त इंदिरा गांधी राजभाषा अवार्ड प्राप्त करते हुए।

Shri S R Bansal, CMD receiving the Indira Gandhi Official Language Awards conferred on Corporation Bank from Shri Pranab Mukherjee, Hon'ble President of India in the presence of Shri Rajnath Singh, Union Home Minister at a function held at Vigyan Bhavan in New Delhi.

श्री एस.आर.बंसल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री कलराज मिश्रा, माननीय सूक्ष्म एव लघु उद्यम मंत्री, भारत सरकार के करकमलों से एमएसएमई बैंकिंग उत्कृष्टता अवार्ड - 2014 प्राप्त करते हुए।

Shri S R Bansal, CMD, receiving the MSME Banking Excellence Awards - 2014 from Shri Kalraj Mishra, Hon'ble Minister of MSME, Govt of India.

श्री एस.आर.बंसल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जयंत सिंहा, माननीय राज्य वित्त मंत्री भारत सरकार के करकमलों से नई दिल्ली में "स्कॉच अचिवर अवार्ड 2015" प्राप्त करते हुए।

Shri S R Bansal, CMD of the Bank receiving "SKOCH Achiever Award & 2015" from Shri Jayant Sinha Hon'ble Minister of State for Finance, Govt of India at New Delhi.

वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2014-2015

विषय-सूची CONTENTS

	विवरण Particulars	पृष्ठ सं. Page No.
1.	गत दस वर्ष के निष्पादन की विशिष्टताएं Performance Highlights for the Last 10 Years	02
2.	अध्यक्ष का अभिभाषण Chairman's Statement	03
3.	सूचना Notice	13
4.	निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	23
5.	प्रबंधन-वर्ग का विवेचन एवं विश्लेषण Management Discussion & Analysis	34
6.	कार्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट Report on Corporate Governance	66
7.	नई पूँजी पर्याप्तता के ढाँचे के दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रकटीकरण Disclosure under New Capital Adequacy Framework guidelines	108
8.	तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखा Balance Sheet and Profit & Loss Account	153
9.	समेकित तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखा Consolidated Balance Sheet and Profit & Loss Account	221
10.	कार्प बैंक सिक्युरिटीज़ लि. (अनुषंगी कंपनी) के लेखे Accounts of CorpBank Securities Ltd. (Subsidiary Company)	254
11.	नामांकन फार्म Nomination Form	279
12.	एनईसीएस अधिदेश NECS Mandate	281
13.	प्रॉक्सी फार्म Proxy Form	285

मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री पी. परमशिवम

Chief Financial Officer
Shri P. Paramasivam

कंपनी सचिव
एस. के. दाश

Company Secretary
S. K. Dash

सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक
मेसर्स बी. के. रामध्यानी एण्ड कं.
मेसर्स नृपेन्द्र एण्ड कं.
मेसर्स जी.एम.जे. एण्ड कं.
मेसर्स मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
मेसर्स एम. आनंदम एण्ड कं.

Statutory Central Auditors
M/s B.K. Ramadhyani & Co.
M/s Nripendra & Co.
M/s GMJ & Co.
M/s Manohar Chowdhry & Associates
M/s M. Anandam & Co.

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट
कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.
कार्वी सेलेनियम टावर बी. प्लाट सं. 31 एवं 32,
गाचिबोवली, वित्तीय ज़िला
नानक्रामगुडा, सेरिलिंगम्पल्लि
हैदराबाद - 500 032(तेलंगना)
दूरभाष: 040-67161500/67161514
फैक्स: 040- 23001153
ई-मेल: einward.ris@karvy.com

Registrar & Share Transfer Agent
Karvy Computershare Private Limited
Karvy Selenium Tower B,
Plot No. 31 & 32,
Gachibowli, Financial District
Nanakramguda, Serilingampally
HYDERABAD–500 032 (Telangana)
Phone: 040-67161500/67161514
Fax: 040-23001153
E-mail: einward.ris@karvy.com

बैंक द्वारा जारी बाँड के लिए ट्रस्टी

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड
एशियन बिल्डिंग, निचला तल
17, आर. कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट
मुंबई - 400 001
दूरभाष : 022-4080700
फैक्स : 022-66311776/40807080
ईमेल : itsl@idbitrustee.co.in; ajit.guruji@idbitrustee.com
वेबसाइट : http://www.idbitrustee.co.in

Trustees for Bond issued by Bank:

IDBI Trusteeship Services Limited
Asian Building, Ground Floor
17, R. Kamani Marg, Ballard Estate
MUMBAI – 400 001
Ph : 022 – 40807000
Fax : 022-66311776/40807080
Email : itsl@idbitrustee.co.in; ajit.guruji@idbitrustee.com
Website : http://www.idbitrustee.co.in

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेस लि.
एक्सिस हाउस, दूसरा तल
बांबे डाइंग मिल्स कांपाउंड
पाण्डुरंग बुधकर मार्ग
वर्ली, मुंबई - 400 025
दूरभाष : 022-24252525/43252525
ईमेल : http://jaideep.maheshwari@axistrustee.com
वेबसाइट : www.axistrustee.com

Axis Trustee Services Ltd.
Axis House, 2nd Floor
Bombay Dyeing Mills Compound
Pandurang Budhkar Marg
Worli, Mumbai – 400 025
Ph : 022-24252525/43252525
Email : jaideep.maheshwari@axistrustee.com
Website : www.axistrustee.com

वर्ष 2005-06 से 2014-15 तक बैंक का निष्पादन
Bank's Performance from 2005-06 to 2014-15

(राशि ₹ करोड़ में Amount ₹ in crore)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
पूँजी Capital	143.44	143.44	143.44	143.44	143.44	148.13	148.13	152.91	167.54	167.54
आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष Reserves & Surplus	3231.45	3622.01	4085.07	4753.07	5631.43	6989.68	8127.80	9412.78	9917.56	10316.94
कारोबार मानदंड Business Parameters										
जमाराशियाँ Deposits	32876.53	42356.89	55424.42	73983.91	92733.67	116747.50	136142.20	166005.45	193393.01	199345.82
अग्रिम Advances	23962.43	29949.65	39185.57	48512.16	63202.56	86850.40	100469.02	118716.65	137086.30	145066.04
निवेश Investments	10651.99	14417.49	16512.38	24937.77	34522.63	43452.74	47474.63	58164.49	66191.21	63412.28
कुल आय Total Income	3100.93	3996.00	5216.33	7174.57	8481.03	10459.62	14510.40	16942.02	19606.29	21038.91
व्यय किया गया ब्याज Interest Expended	1399.66	2052.37	3073.24	4376.37	5084.35	6195.51	9870.89	11908.23	14174.88	15486.10
परिचालन व्यय Operating Expenses	746.75	803.59	891.95	1001.58	1259.95	1641.71	1783.55	1996.79	2392.01	2525.36
परिचालन लाभ Operating Profit	953.62	1140.04	1251.14	1796.61	2136.73	2622.40	2855.97	3037.00	3039.40	3027.45
निवल लाभ Net Profit	444.46	536.14	734.99	892.77	1170.25	1413.27	1506.04	1434.67	561.72	584.26
मुख्य अनुपात Key Ratios										
पूँजी पर्याप्तता अनुपात (%) Capital Adequacy Ratio (%)	13.92	12.76	12.09	13.66	15.00	#12.90 ##14.11	#11.94 ##13.00	#11.38 ##12.33	##12.21 ###11.64	##11.80 ###11.09
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ (%) Return on Average Assets (%)	1.29	1.26	1.38	1.28	1.28	1.21	1.06	0.88	0.29	0.28
ईक्विटी पर प्रतिलाभ (%) Return on Equity (%)	13.17	14.24	17.38	18.23	20.26	20.70	18.20	16.27	5.72	5.68
प्रति शेयर अर्जन (₹) Earnings per Share (₹)	$ 30.99	$ 37.38	$ 51.24	$ 62.24	$ 81.58	$ 98.50	$ 101.67	$ 96.74	$ 35.75	$$ 6.97
प्रति शेयर बही मूल्य (₹) Book Value per Share (₹)	$ 235.28	$ 262.51	$ 294.79	$ 341.36	$ 402.60	$ 497.62	$ 558.69	$ 645.76	$ 601.95	$$ 125.16
निवल ब्याज मार्जिन (%) Net Interest Margin (%)	3.56	3.24	2.71	2.26	2.41	2.85	2.48	2.29	2.10	2.07
कुल आय में ब्याजेतर आय (%) Non-interest income to total income (%)	17.87	15.90	13.42	17.06	16.95	12.09	10.29	9.49	8.40	7.05
सकल अग्रिमों में सकल एनपीए (%) Gross NPA to Gross Advances (%)	2.56	2.05	1.47	1.14	1.02	0.91	1.26	1.72	3.42	4.81
निवल अग्रिमों में निवल एनपीए (%) Net NPA to Net Advances (%)	0.64	0.47	0.32	0.29	0.31	0.46	0.87	1.19	2.32	3.08
लाभांश Dividend (₹)	$ 7.00	$ 9.00	$ 10.50	$ 12.50	$ 16.50	$ 20.00	$ 20.50	$ 19.00	$ 6.75	$$ 1.40

बेसल I के अनुसार As per Basel I.
बेसल II के अनुसार As per Basel II.
बेसल III के अनुसार As per Basel III.

$$ अंकित मूल्य प्रति शेयर ₹2/- हेतु $$ For FV ₹2/- per share
$ अंकित मूल्य प्रति शेयर ₹10/- हेतु $For FV ₹10/- per share

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की ओर से

प्रिय शेयरधारको,

1. आपके बैंक की वित्त-वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट को आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। वर्ष 2014-15 के दौरान बैंकिंग उद्योग कठिन समय से गुजरा है। आर्थिक मंदी की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में बैंकों के लिए अपने व्यवसाय और लाभप्रदता को बनाये रख पाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। तथापि, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बैंक ने व्यवसाय, राजस्व और ग्राहक आधार को बढ़ाने में अच्छा कार्य किया है। बैंक के समग्र व्यवसायिक वृद्धि के लिए प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यभार सँभालने के दिन से ही मैं निम्नलिखित पांच मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देता रहा हूँ:

   i. प्रत्येक उधार खाते की निगरानी तथा एनपीए की वसूली

   ii. बैंक के कासा शेयर में वृद्धि के लिए कासा जमाओं का संग्रहण

   iii. कृषि, खुदरा और एमएसएमई पर ध्यान केंद्रित करते हुए गुणवत्तापूर्ण ऋण संवृद्धि

   iv. शाखाओं,एटीएम और अन्य डेलिवरी चैनलों का विस्तार तथा

   v. तकनीकी परक उत्पादों को शुरू करके नई पीढ़ी के ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नए ग्राहक लाना।

   इस संबंध में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ/प्रगति भी हुई है जिनमें कुछ नीचे उद्धृत हैं-

FROM THE CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

Dear Shareholders,

1. I have pleasure in placing before you the Annual Report of your Bank for the financial year 2014-15. The year 2014-15 saw the banking industry passing through rough patches. It was a challenging year for the Bank to sustain both the business and profitability in the backdrop of the subdued economic situation. Nevertheless, I can assure you that the Bank has done fairly well in achieving healthy growth in business, revenues and customer base. Keeping in view priorities, I have been emphasizing on the need to focus on the following five important aspects for the overall business growth of the Bank:

   i) Monitoring of each borrowal account and recovery of NPAs

   ii) Mobilising CASA deposits to increase CASA share of the Bank

   iii) Quality credit growth with focus on Agriculture, Retail and MSME

   iv) Expansion of branches and ATMs and other alternative delivery channels and

   v) Customer acquisition with focus on nextgen customers with introduction of techno savvy products and services.

   On this front, significant achievements/progress has been made, some of which are given below:

i) थोक व्यवसाय से खुदरा, एमएसएमई तथा कृषि की ओर एक सजग झुकाव रहा। बैंक के खुदरा और एमएसएमई संविभाग में 11%(वर्ष दर वर्ष) की उच्चतर वद्धि हुई । बड़े उद्योगों के ऋण में 1.2% की गिरावट हुई । बैंक के समग्र कृषि संविभाग में 19.17% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई तथा बैंक ने लगाता दूसरे वर्ष प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के विनियामक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। बैंक ने वित्तीय समावेशन के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। पीएमजेडीवाई के अंतर्गत बैंक ने 21.18 लाख खाते खोले तथा अपने आबंटित 593 जिलों के सभी गांवों तथा वार्डों में समय से पहले कार्य पूरा करने वाला पहला बैंक बन गया ।

ii) बैंक ने 2014-15 के दौरान 277 नई शाखाएँ तथा 669 एटीएम खोले जिससे 31.03.2015 तक 4685 शाखारहित ईकाइयों सहित कुल शाखाओं और एटीएम की संख्या क्रमशः 2298 एवं 2933 हो गयी। नई शाखाओं को नई पीढ़ी के ग्राहकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से कार्प एक्सेल माडल के अंतर्गत पूर्णतः नए रूप में खोला जा रहा है। बैंक ने एटीएम नेटवर्क में पूरी तरह से सुधार करते हुए इसे ग्राहकोन्मुखी बनाया है जिससे बैंक की सुलभता में सुधार हुआ है। इसके लिए बैंक ने पूरे देश में 99 ई-लाबी (एटीएम, नकदी / चेक जमा मशीन और पासबुक प्रिंटिंग सुविधा सहित मानव रहित शाखायें) की स्थापना की है। बैंक ने विभिन्न वर्ग के ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तकनीकी उन्मुख उत्पाद तथा सेवाओं जैसे मोबाइल बैंकिंग, टैबलेट बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, ई-पासबुक, ई-मैंडेट आदि की भी शुरुआत की है।

iii) जबकि ऐतिहासिक रूझान के क्रम में कासा की हिस्सेदारी कम रही, बैंक खुदरा जमाओं में पर्याप्त वृद्धि करते हुए थोक व्यवसाय को कम करने में सफल रहा परिणामस्वरुप जमाओं की लागत में कमी हुई । वर्ष 2104-15 के दौरान औसत कासा वृद्धि 12.17% रही ।

iv) जहां तक बैंक के समग्र निष्पादन का प्रश्न है यथा 31 मार्च, 2015 को बैंक का कुल व्यवसाय ₹3.44 लाख करोड़ रहा. बैंक का जमा राशियाँ ₹1.99 लाख के स्तर को पार कर गईं जबकि समग्र ऋण ₹1.45 के स्तर पर पहुँच गया ।

v) यथा 31.03.2015 को सकल एनपीए 4.81% रहा जो पीएसबी के औसत से काफी नीचे है। बैंक के दबावग्रस्त खातों का स्तर (कुल एनपीए + पुनः संरचित खाते) को नीचे रखते हुए 12.09% के न्यूनतम स्तर तक सीमित रखा गया।

i) There was a conscious shift from Bulk business to Retail, MSME & Agriculture. The growth in retail and MSME Portfolio of the bank has been higher at 11% (YOY). The advances to large industries fell by 1.2%. Bank's overall growth in Agriculture portfolio has been very impressive at 19.17% and the bank for the 2nd consecutive year has achieved the regulatory target of Priority Sector Lending. The Bank has also done significant achievements in the areas of Financial Inclusion. Under PMJDY, the Bank has opened 21.18 lakh accounts and became the first bank to complete all the villages and wards allotted in 593 districts well ahead of time.

ii) The bank has opened 277 new Branches and 669 ATMs during the year 2014-15 thereby the total branch and ATM network has reached the level of 2298 and 2933 respectively along with 4685 other Branchless Banking Units as on 31st March, 2015. The new Branches are opened under Corp Excel Model with a total new look to attract the next gen customers. The bank has done a total revamping of the ATM Network making it more customer friendly and thereby improving the visibility of the Bank. As a part of this the bank has established 99 number of E-Lobies across the country (which are like **(manless)** unmanned branches comprising of ATMs, Cash/Cheque Deposit machines and Passbook Printers). Bank has also introduced a number of techno savvy products and services like Mobile Banking, Tablet Banking, SMS Banking, E-Passbook, E-Mandate, etc. to meet the changing needs of different sections of customers.

iii) While the share of CASA remained low in line with the historical trend, the bank has been able to bring down the level of Bulk Business with significant increase in retail deposits resulting in lower cost of deposits. Average CASA growth stood at 12.17% during 2014-15.

iv) As far as the overall performance of the Bank is concerned, the total business has reached a level of ₹3.44 lakh crore as at 31.03.2015. The deposits of the Bank crossed a level of ₹1.99 lakh crore, while overall credit scaled up to ₹1.45 lakh crore.

v) Gross NPA Level stood at 4.81% as on 31st March 2015, which is well below the average of PSBs. The level of stressed accounts of the Bank (Gross NPAs + Restructured Accounts) are contained at a lower level of 12.09%.

vi) जब हम मार्च 14 और मार्च 15 के निष्पादन को देखते हैं तब हमें निष्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में अच्छी प्रगति दिखाई देती है।

- 52 % वृद्धि के साथ परिचालन लाभ ₹965.37 करोड़ रहा।
- जमा लागत कम होकर 8.08% से 7.71%हो गई ।
- कीमत-लागत अनुपात 50.87% से घटकर 40.32% हो गई।
- एनआईएम 1.91% से बढ़कर 2.26%हो गया।

अब मैं, देश के आर्थिक एवं बैंकिंग परिदृश्य तथा आपके बैंक के निष्पादन की प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ।

2. आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2014-15 के दौरान भारत के मूल आर्थिक तत्वों में पर्याप्त सुधार हुआ है। सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं) द्वारा मुद्रस्फिति लक्षित ध्यान केंद्रित होने के साथ कच्चे तेल के मूल्य मे ंकमी, विश्व के अन्य भागों से निधियों की पर्याप्त आवक जैसे कारकों ने समग्र समष्टि -आर्थिक स्थिति को सुधरने में मदद की है। केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी नया सकल घरेलू उत्पाद आंकड़ा (जीडीपी) (2011-12 को आधार बनाया जाना) को जारी करने से वृद्धि के आंकडे में स्पष्ट सुधार हुआ है। सीएसओ के अग्रिम प्राक्कलन के अनुसार वर्ष 2014-15 में अर्थव्यवस्था मे ं7.4% वृद्धि की संभावना है, जो भारत को विश्व में तीव्र गति से बढ़ने वाली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाती है।

वर्ष 2012-13 के दौरान 10% की मुद्रास्फिति,7.5 का बजट घाटा तथा जीडीपी के 4.7 तक चालू खाता घाटा के साथ भारत एक कमजोर देश माना जा रहा था। आज स्थिति बदल गई है। स्वस्थ समष्टि आर्थिक स्थिति के साथ देश अधिक मजबूत स्थिति में हैं। 2014-15 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक तथा खुदरा मूल्य सूचकांक में लगातार कमी हुई है और दोनों भारतीय रिज़र्व बैंक के लक्ष्य के अंदर हैं। सीएडी में भी अत्यंत कमी हुई है और वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान इसे जीडीपी के 1.0% के आसपास रहने की संभावना है। देश में विदेशी मुद्रा के आवक में वृद्धि हुई है और आज हमारा विदेशी मुद्रा भंडार रिकार्ड स्तर पर है। मूल तत्वों में सुधार तथा विदेशी मुद्रा की आवक से रुपया स्थिर हो गया है और उभरते बाज़ारों में श्रेष्ठ निष्पादन वाली मुद्रा की कतार में ला दिया है।

सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों से यह आशा की जाती है कि आने वाले दिनो में अर्थव्यवस्था तेजी से पुनर्जिवित होगी। मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत, स्मार्ट शहरों के निर्माण की योजना, अतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) की शुरुआत, व्यवसाय करने हेतु नीतियों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डीजल मूल्य निर्धारण को

vi) When we look at the March'14 Quarter to March'15 Quarter performance, there has been a good progress in key areas of performance.

- Operating Profit stood at ₹965.37 crore with 52% growth.
- Cost of Deposit decreased from 8.08% to 7.71%.
- Cost to Income Ratio has come down from 50.87% to 40.32%.
- NIM increased from 1.91% to 2.26%.

Let me, now, share with you in brief, the Indian Economic and banking scenario and salient features of your Bank's performance.

2. Economic Scenario:

India's economic fundamentals have significantly improved during 2014-15. The reform measures initiated by the government and Reserve Bank of India's (RBI) inflation targetted focus coupled with factors like the steep decline in oil prices, substantial inflow of funds from rest of the world supported the growth prospects and the overall macro-economic situation. The new Gross Domestic Product (GDP) data (rebased to 2011-12) released by the Central Statistics Office (CSO), reveals perceptible improvement in growth numbers. As per the advance estimate of CSO, the economy is estimated to grow by 7.4% in 2014-15, making India the fastest growing major economy in the world.

In the year 2012-13, India was considered as the most vulnerable country, comprising an inflation rate of over 10%, a budget deficit of 7.5% and a current account deficit (CAD) of 4.7% of GDP. Today, the scenario is quite different. The country is more resilient due to a healthier macroeconomic position. Both Wholesale Price Index (WPI) and Consumer Price Index (CPI) has shown consistent downfall in 2014-15 and it is well within the targeted level of RBI. The CAD has come down from the peak level and expected to narrow down to around 1.0% of GDP in financial year 2014-15. The country noticed a surge in foreign inflows and our forex reserves are standing at a record level. The improved fundamentals and the increased inflows have stabilized the Rupee, ranking it as the best performing currency among the emerging markets.

The reform measures initiated by the government are expected to revive the economic growth at a faster pace in the coming days. The launching of Make in India Campaign, plan of building smart cities, operationalization of International Financial Service Centre (IFSC), initiatives to simplify the policies and

मुक्त करना, कोयला खदानों का आबंटन, विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई सीमा को बढ़ाने से देश के समग्र निष्पादन पर गहरा प्रभाव होगा। सरकार ने आधारभूत संरचनाओं में निवेश को बढ़ाने तथा रुकी हुई परियोजनाओं को फिर से शुरु करने के लिए कदम भी उठाए हैं। इन सुधारों के परिणामस्वरुप भारत की समष्टि आर्थिक स्थिति अन्य देशों की तुलना मे संतोषजनक है। अंतराष्ट्रीय विश्व कोष (आईएमएफ) ने भारत को मेघाच्छादित वैश्विक क्षितिज में चमकते हुए सितारे के रूप में परिभाषित किया तथा यह कभी कहा है कि देश की युवा जनसंख्या तथा संरचनात्मक सुधारों से आने वाले वर्षों में आर्थिक निष्पादन में पर्याप्त सुधार होगा।

जहाँ तक बैंकिंग क्षेत्र का सवाल है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली को स्थिर, शक्तिशाली, सख्त जोखिम प्रबंधन प्रथाओं तथा मजबूत विनियामक प्रणाली के लिए जाना जाता है। तथापि पिछले कुछ वर्षों से बृहद आर्थिक वातावरण पर लगातार दबाव के कारण बैंकिंग क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ऋण वृद्धि में कमी, उच्च ब्याज दर परिदृश्य, निवेशों में कमी, आय में कमी तथा तनावग्रस्त आस्तियों के बढ़ते स्तर से बैंकिंग उद्योग निष्पादन पर प्रभाव पड़ा है। चुनौतियों के बावजूद भी प्रधानमंत्री जन धन योजना(पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) सहित कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बैंकिंग उद्योग अपनी राह बना रहा है। आर्थिक वृद्धि पुनर्जिवित होने तथा अनुकूल जनसांख्यिकीय बैंकों के पास वित्तीय समावेशन तथा तकनीक समर्थित पोषनीय व्यवसाय मॉडल के द्वारा व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए प्रचुर अवसर है।

3. निष्पादन की मुख्य बातें

वर्ष 2014-15 के दौरान आपके निष्पादन की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

3.1 व्यवसाय वृद्धि

procedures for doing business, deregulation of diesel prices, coal mine allocation, raising FDI limits in different sectors etc., will have a major impact on the overall performance of the country. The government has also taken steps to increase investments in infrastructure and to revive the stalled projects. As a result of these improvements, India's macro-economic position now compares favorably with other countries. International Monetary Fund (IMF) described India as the "Bright Spot" in a "Cloudy Global Horizon", and also said the country's young population and progress on structural reforms would help the economy to substantially improve the performance in the coming years.

As far as the banking sector is concerned, Indian banking system is known for its stability, strength, robust risk management practices and its strong regulatory mechanism. However, the sustained stress on the macroeconomic environment over the last few years gave rise to several challenges for the banking system. Lower credit growth, higher interest rate scenario, fall in investment demand, subdued growth in earnings as well as rising level of stressed assets put pressure on the performance of the banking industry. In spite of challenges, there are number of areas including Pradhan Mantri Jandhan Yojana (PMJDY), Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), where the banking industry is making in roads. With a revival in economic growth and favorable demographics banks have immense opportunities to further expand the business through financial inclusion and tech enabled sustainable business model.

3. Performance Highlights

The major highlights of your Bank's performance during 2014-15 are:

3.1 Business growth

(₹ करोड़ में ₹ in crore)

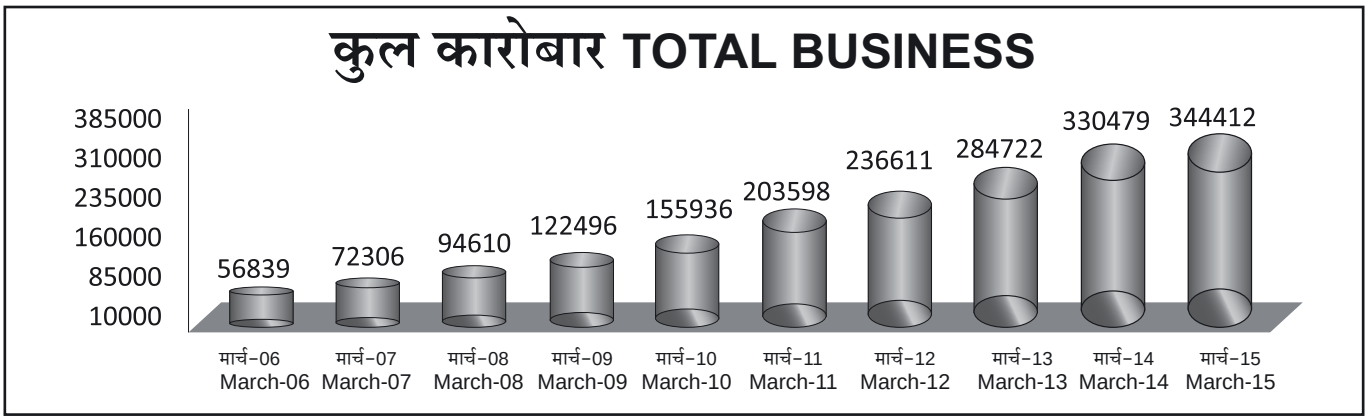

3.1.1 31 मार्च, 2015 को बैंक का कुल कारोबार ₹3,44,412 करोड़ के स्तर तक पहुँच गया जिसमें 31.03.2014 के ₹3,40,479 करोड़ के स्तर से में ₹13,933 करोड़ की समग्र वृद्धि दर्ज हुई।

3.1.2 बैंक की कुल जमाराशियाँ 3.08% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए ₹1,99,346 करोड़ हो गई, कुल अग्रिम 5.82% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹1,45,066 करोड़ तक पहुँच गया। सीडी अनुपात 72.77% रहा।

3.1.3 वर्ष के दौरान बैंक ने कुल जमाओं में से थोक जमाओं के हिस्से को कम करके इसे खुदरा जमा से भरने पर ध्यान दिया। थोक जमाओं का स्तर मार्च, 2014 के ₹1,04,009 करोड़ (53.78%) से घटकर 31 मार्च, 2015 को ₹1,01,387 करोड़ (50.86%) कम हो गया जबकि वित्त वर्ष के दौरान खुदरा जमा ₹8,622 करोड़ (17.04%) की वृद्धि करते हुए ₹49,549 करोड़ से ₹58,171 करोड़ हो गया ।

3.1.4 कुल जमाराशियों में कासा का हिस्सा 31.03.2014 के 20.33% की तुलना में 31.03.2015 को 19.72% रहा। वर्ष 2014–15 को दौरान औसत कासा वृद्धि 12.17% रही ।

3.1.5 बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा महिला लाभार्थियों को ऋण देने के विनियामक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में बैंक का कुल ऋण 31.03.2015 को ₹53,191 करोड़ रहा जो भारिबैं के प्रावधान समायोजित निवल ऋण के 40% को सापेक्ष 41.92% रहा। महिला लाभार्थियों को एएनबीसी के 5% के विनियामक लक्ष्य को भी पार करते हुए बैंक ने 31 मार्च, 2015 को ₹7,960 करोड़ ऋण दिए जो एएनबीसी का 5.74% है। अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों को ऋण ₹8,021 करोड़ के स्तर पर पहुँच गया जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का 15.08% है। 31.03.2015 को कमज़ोर वर्गों हेतु हमारा अग्रिम एएनबीसी के 10% के विनियामक मानदंड के सापेक्ष ₹13,938 करोड़ रहा (एएनबीसी का 10.05%)।

3.1.6 बैंक ने एनपीए की वसूली के अपने अभियान को जारी रखा । बैंक ने पिछले वर्ष के ₹1,353.53 करोड़ की तुलना में वर्ष के दौरान ₹1,484.73 करोड़ की नकद वसूली एवं एनपीए उन्नयन किया ।

3.1.1 The Total Business of the Bank has reached a level of ₹3,44,412 crore as on 31st March, 2015, as against ₹3,30,479 crore as at 31st March, 2014, registering an absolute growth of ₹13,933 crore.

3.1.2 While Total Deposits grew by 3.08% to reach ₹1,99,346 crore, Total Advances registered a growth of 5.82% to reach ₹1,45,066 crore. The CD ratio stood at 72.77%.

3.1.3 During the year the Bank concentrated in reducing the share of Bulk deposit in total deposits and replace it with retail deposits. The level of Bulk deposits have come down from ₹1,04,009 crores (53.78%) as at the end of March'14 to ₹1,01,387 crore (50.86%) as at 31st March, 2015, while Retail term deposits have registered a growth of ₹8,622 crore (17.40%) from ₹49,549 crore to ₹58,171 crore during the financial year.

3.1.4 Share of CASA in total deposits stood at 19.72% as on 31.03.2015 as compared to 20.33% as on 31.03.2014. Average CASA growth during 2014-15 stood at 12.17%.

3.1.5 The Bank achieved the regulatory targets in financing to Priority sector and financing to Women beneficiaries. The Priority Sector Advances of the Bank at ₹53,191 crore as on 31.03.2015, stood at 41.92% of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC) as against the RBI Norm of 40% of ANBC. The Bank's Finance to Women beneficiaries at ₹7,960 crore as on 31.03.2015, also surpassed the regulatory norm of 5% of ANBC and stood at 5.74% of ANBC. Credit to Minority Communities at ₹8,021 crore constituted 15.08% of Priority Sector Advances. Our advances to Weaker sections stood at ₹13,938 crore at 31.03.2015 [forming 10.05% of ANBC], as against the target of 10% of ANBC.

3.1.6 The Bank continued its drive for recovery of NPAs. During the financial year, the Bank effected a cash recovery and upgradation of NPAs of ₹1,484.73 crore as compared to ₹1,355.53 crore in the previous financial year.

3.2 लाभप्रदता

3.2 Profitability

(₹ करोड़ में ₹ in crore)

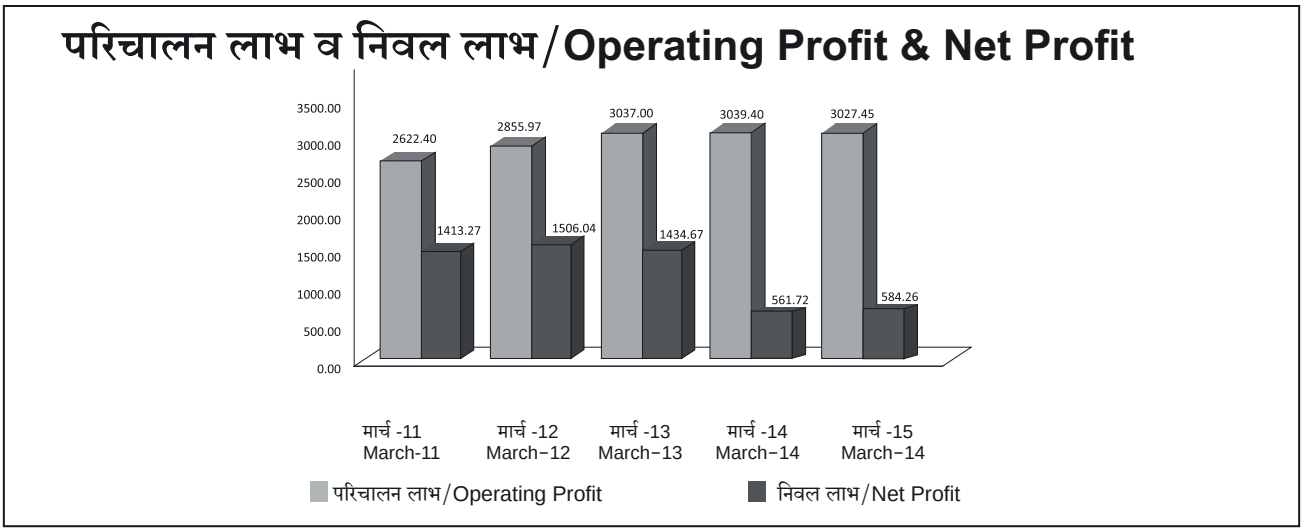

3.2.1 वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक की कुल आय ₹1,432 करोड़ (7.31%) बढकर ₹21,038 करोड़ हो गयी। तिमाही आधार पर मार्च 2015 को समाप्त तिमाही के दौरान कुल आय ₹352.66 करोड़ (7.01%) बढी ।

3.2.2 वित्त वर्ष 2013-14 की ब्याज आय ₹17,958.57 करोड़ से ₹1,597.87 करोड़ (8.90%) की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2014-15 में ₹19,556.44 करोड़ हो गयी।

3.2.3 एटीएम लेनदेनों से आय पिछले वर्ष के ₹67.95 करोड़ की जगह वित्त वर्ष 2014-15 में ₹95.64 करोड़ रही जबकि कार्ड नवीकरण/अन्य प्रभारों से आय पिछले वर्ष के ₹28.94 करोड़ के स्थान पर वि.व. 2014-15 में ₹46.17 करोड़ हुई । एटीएम लेनदेनों तथा कार्ड नवीकरण/अन्य प्रभारों से होने वाली आय में वर्ष-दर-वर्ष क्रमशः 40.75% तथा 59.54% रही ।

3.2.4 जमा लागतों में पिछले वर्ष के 8.03% में कमी हुई और वर्ष 2014-15 के दौरान 7.97% हो गयी।

3.2.5 कीमत-लागत अनुपात पिछले वर्ष 2013-14 के 44.04% के स्थान पर वर्ष 2014-15 के दौरान 45.48% रही ।

3.2.6 निवल ब्याज आय अर्थात ब्याज आय और ब्याज व्यय में अंतर, 7.58% की वृद्धि के साथ 4,070.34 करोड़ हुई । वर्ष 2014-15 के लिए निवल ब्याज मार्जिन 2.07% रहा, मार्च 15 तिमाही के लिए एनआईएम मार्च, 14 के 1.91% के स्तर के स्थान पर 2.26% रहा।

3.2.7 बैंक ने पिछले वर्ष ₹561.72 करोड़ की अपेक्षा वर्ष 2014-15 में ₹584.26 करोड़ का निवल लाभ कमाया है।

3.3 बेसल II अनुसार बैंक का सीआरएआर 11.80% तथा बेसल III के अनुसार 11.09% है । बैंक ने वर्ष 2014-15 में बेसल III के अनुपालन में 500 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी जुटायी।

3.2.1 Total Income of the Bank increased by ₹1,432.62 crore (7.31%) during FY 14-15 to reach ₹21,038.91 crore. On Q-o-Q basis, the total income increased by ₹352.66 crore (7.01%) during quarter ending March, 2015.

3.2.2 Interest Income increased from ₹17,958.57 crore in FY 2013-14 to ₹19,556.44 crore, in FY 14-15 by ₹1,597.87 crore (8.90%).

3.2.3 The income from ATM transactions stood at ₹95.64 crore in FY 14-15 as against ₹67.95 crore last year while, income from Card renewals/other charges was at ₹46.17 crore in FY 14-15 as against ₹28.94 crore in the previous year. Income from ATM transactions and Card renewal/ other charges has recorded a Y-o-Y growth of 40.75% and 59.54% respectively.

3.2.4 Cost of Deposits has come down from 8.03% last year to 7.97% during 2014- 2015.

3.2.5 Cost to Income Ratio was at 45.48% during 2014-15 as against 44.04% during 2013-14.

3.2.6 Net Interest Income i.e. the difference between the Interest income and Interest expended, increased by 7.58% to ₹4,070.34 crore. Net Interest Margin for 2014-15 stood at 2.07%. NIM for March'15 quarter stood at 2.26% as against March 14 quarter level of 1.91%.

3.2.7 The bank posted a Net Profit figure of ₹584.26 crore during 2014-15 as against ₹561.72 crore in the previous year.

3.3 The Bank's CRAR under Basel II stood at 11.80% and under Basel III it stood at 11.09%. The Bank raised ₹500 crore Basel III compliant Additional Tier-I Bond during the year 2014-15.

3.3.1 बैंक की निवल मालियत 31 मार्च, 2014 के ₹10,085 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2015 को ₹10,484 करोड़ हो गई।

3.3.2 ईक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) 5.68% औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओएए) 0.28% रहा ।

3.4 प्रति शेयर ₹2/- के सम मूल्य वाले प्रत्येक शेयर के लिए प्रति शेयर आय और बही मूल्य क्रमशः ₹6.97 तथा ₹125.16 रहे ।

3.5 31.03.2015 का कुल एनपीए 4.81% तथा निवल एनपीए 3.08%.

3.6 31.03.2015 को प्रति कर्मचारी व्यवसाय ₹19.14 करोड़ तथा प्रति कर्मचारी निवल लाभ ₹3.25 लाख है ।

3.7 अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई जन धन योजना से बैंक के लिए इस योजना के अंतर्गत नए बचत खाते खोलना, सरकारी योजनाओं के अंतर्गत वित्तपोषण तथा सह बिक्री आदि जैसे अनेक अवसर उत्पन्न हुए हैं। बैंक ने इस योजना के अंतर्गत 21,18,067 खाते खोले है तथा 31.03.2015 को इनमें 449.52 करोड़ की राशि शेष है। गैर-शून्य शेष वाले खातों के औसत शेष राष्ट्रीय स्तर प्रति खाता ₹2,530 की अपेक्षा ₹3,116 है। बैंक ने खाताधारकों को रूपे आधार डेबिट कार्ड (जहाँ आधार उपलब्ध है) रूपे डेबिट कार्ड तथा पासबुक उपलब्ध कराए हैं। 31.03.2015 तक पीएजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए खातों का 58.94 % खातों बैंक ने आधार संख्या के दर्ज करने एवं मैपन का कार्य पूरा कर लिया है।

3.8 यथा 31 यथा मार्च, 2015 को बैंक में 9,916 सेवा केंद्र हैं जिसमें देश भर में 2,298 शाखाएं, 2,933 एटीएम और 4,685 शाखा रहित बैंकिंग इकाइयाँ शामिल हैं। इनमें 277 शाखाएं (बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों में खोली 42 शाखाओं सहित), 669 एटीएम और 335 शाखा रहित बैंकिंग इकाइयाँ वर्ष के दौरान खोली गई थीं।

3.9 भारिबैं के वित्तीय समावेशन आयोजना के अंतर्गत बैंक को कुल 1880 गांव (अर्थात 2000 से अधिक आबादी वाले 318 गाँव 2000 से आबादी वाले 1562 गाँव) आबंटित किए गए हैं जिनके वित्त वर्ष 2013-14 से शुरू होकर वित्त वर्ष 2015-16 तक तीन वर्ष की समयावधि के बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करानी हैं। बैंक ने इन सभी गाँवों बैंकिंग संरचना उपलब्ध करा दिया है। बैंक ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत 37.63 लाख खाते खोले हैं तथा इन खातों ₹202.03 करोड़ राशि शेष है। बैंक ने 35,369 सामान्य क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं जिनके 31.03.2015 को 644.99 करोड़ शेष बकाया है।

4. लाभांश

आपके बैंक के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए प्रति 2/- के सममूल्य वाले शेयरों के लिए 1.40 (अर्थात 70%) प्रति शेयर लाभांश की सहर्ष संस्तुति की है। वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश वितरण कर के साथ कुल भुगतान की राशि 139.12 करोड़ है।

3.3.1 The Bank's Networth improved from ₹10,085 crore as on 31.03.2014 to ₹10,484 crore as on 31.03.2015.

3.3.2 Return on Equity (ROE) stood at 5.68% and the Return on Average Assets (ROAA) stood at 0.28%.

3.4 Earnings per Share and Book Value per share of Face Value of ₹2/- each stood at ₹6.97 and ₹125.16 respectively.

3.5 The Gross NPA stood at 4.81% and the Net NPA stood at 3.08% as at 31.03.2015.

3.6 Business per employee stood at ₹19.14 crore and Net Profit per employee stood at ₹3.25 lakh as on 31.03.2015.

3.7 The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana launched by the Prime Minister in August 2014 has opened up plenty of opportunities for the Bank in terms of new savings bank accounts, financing under Government sponsored schemes and cross selling opportunities etc. Under this scheme, the Bank has opened 21,18,067 accounts with an outstanding balance of ₹449.52 Crore as on 31.03.2015. The average balance in the non-zero balance accounts is ₹3,116/- per account as against the national average of ₹2,530/-. Bank has issued RupayAadhaar Debit Cards (wherever Aadhar is available) or Rupay Debit Cards and passbook to the account holders. Bank has seeded and mapped Aadhaar numbers of 58.94% of the account holders opened under PMJDY as on 31.03.2015.

3.8 The Bank has 9,916 service outlets as on 31st March, 2015, comprising of 2,298 branches, 2,933 ATMs and 4,685 Branchless Banking Units across the country. Out of these 277 branches (including 42 branches opened in unbanked rural centres), 669 ATMs and 353 Branchless banking Units were opened during the year.

3.9 Under Financial Inclusion Plan of RBI, the Bank has been allotted a total of 1,880 villages (i.e. 318 villages having population above 2000 & 1562 villages having population below 2000) to provide banking services within a time frame of three years starting from FY 2013-14 up to FY 2015-16. Bank has since covered all these villages by providing banking infrastructure. The Bank has opened 37.63 lakh basic savings bank accounts under Financial Inclusion and the outstanding balance in these accounts is ₹202.03 Crore. The Bank has sanctioned 35,369 General Credit Cards with an outstanding balance of ₹644.99 Crore as on 31.03.2015.

4. Dividend

The Board of Directors of your Bank is pleased to recommend a Dividend of ₹1.40 per equity share of ₹2/- each (i.e. 70%) for the financial year 2014-15. The total payout including the dividend distribution tax for the financial year 2014-15 is ₹139.12 crore.

5. शुरू किए गए नए उत्पाद :

- बैंक ने एनआरआई ग्राहकों के लिए एक नए जमा उत्पाद, एफसीएनआर प्रीमियम खाता शुरू किया है जिसमें बैंक एफसीएनआर जमा स्वीकार करता है तथा ग्रहाकों को अधिक लाभ देने के लिए परिपक्वता राशि पर वायदा सुरक्षा भी उपलब्ध कराता है।
- बैंक ने कार्प सरल प्लस बचत खाता भी शुरू किया जिसमें व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के साथ ग्राहक अनेक अन्य सुविधायें भी प्राप्त कर सकते हैं।
- बैंक ने नवोन्मेषी तकनीकी प्रेरित प्रयास के अंतर्गत टैबलेट बैंकिंग की शुरूआत की है जिससे ग्राहक अपने खाते एवं फोटो को डिजिटल रूप में लेकर इसे सुरक्षित माध्यम के द्वारा सीबीएस में अद्यतन कर सकते हैं।
- एंड्राइड तथा आईओएस आधारित विशेष मोबाइल बैंकिंग ऐप को शुरू किया गया जिससे ग्राहक विभिन्न सुविधायें/ सेवायें प्राप्त कर सकते हैं।
- अपने ग्राहकों को ई–मैंडेट सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला बैंक है जिसमें बारंबार होने वाले भुगतान के लिए, पश्च दिनाकित चेकों को समाप्त करने तथा पूरे देश में ईलेक्ट्रानिक समाशोधन सुविधा (ईसीएस) उपलब्ध कराने हेतु एक आधुनिक एवं सुदृढ़ प्लेटफार्म प्रदान किया जाता है।
- विभिन्न सुविधाओं के साथ आयातकों तथा निर्यातकों जो विदेशी मुद्रा में कारोबार करते हैं उनके लिए कार्प ग्लोबल चालू खाता वेरिएंट को शुरू किया गया है।
- विभिन्न अतिरिक्त सुविधाओं के साथ बैंक ने दो नए प्रीमियम चालू खाता योजनाओं "कार्प क्लब" तथा "कार्प प्रिविलेज" को शुरू किया है।
- प्रायः विदेश भ्रमण करने वालों के लिए "कार्प ग्लोबल कार्ड – एक प्री–पेड विदेशी मुद्रा ट्रैवेल कार्ड" को शुरू किया गया ।

6. नई पहल

(i) बैंक ने दबावग्रस्त आस्तियों की सूक्ष्म तथा प्रभावी निगरानी एवं एनपीए खातों की वसूली तथा उन्नयन के लिए प्रधान कार्यालय, मंडल कार्यालय तथा अंचल कार्यालय के स्तर पर चार अलग वर्टिकल की स्थापना की है।

(ii) नई खुली शाखाओं और पे–रोल खाता की निगरानी करते हुए कासा वृद्धि के लिए भी बैंक ने दो अलग वर्टिकल्स की स्थापना की है।

(iii) परिहार्य परिचालन व्ययों को कम तथा नियंत्रित करने के

5. New Products launched

- The Bank has launched Corp FCNR Premium Account, a new deposit product for NRIs under which Bank accepts FCNR Deposits and offers forward cover for the maturity proceeds to provide greater yield to customers.
- Bank also has launched Corp SaralPlusSavings Account where the customers can avail of a bouquet of features and add-ons along with personal accident insurance.
- The Bank introduced Tablet banking as an innovative technology driven initiative, enabling customers to open their accounts, capture their photographs in digital format and update in the CBS via a secured media.
- A special Mobile Banking App through Android and IOS Phones and Tablets launched, through which customer can avail various facilities /services.
- The Bank was the first to launch the "E-Mandate" Services to its customers facilitating a modern and robust platform for large volume of repetitive payments, eliminate post-dated cheques and also to extend Electronic Clearing Services (ECS) on pan India basis.
- Corp Global Current account variant has been made available by the Bank to Exporters and Importers who deal in Forex with various facilities.
- The Bank has also launched two new premium Current Account Schemes "Corp Club" and "Corp Privilege" with many attractive add on facilities.
- "Corp Global Card - A Pre-paid Forex Travel Card" was launched for the benefit of frequent travellers abroad.

6. New Initiatives

(i) For the purpose of close and effective monitoring of stressed assets and for recovery and upgradation of NPA accounts, the Bank has formed four separate verticals at Head Office, Circle Offices and Zonal Offices.

(ii) Bank has also set up two separate verticals for the purpose of monitoring CASA growth in newly opened branches and monitoring of Pay Roll Accounts.

(iii) A separate vertical is also put in place to reduce and control the avoidable operating expenses.The bank

लिए बैंक ने एक अलग वर्टिकल बनाया गया है। बैंक को परिचालन के क्षेत्रों जैसे विज्ञापन एवं प्रचार, मोबाइल तथा टेलिफोन व्यय, सुरक्षा गार्डों पर व्यय, लीज एवं किराया व्यय आदि में काफी कमी करने में सफलता प्राप्त हुई है इससे बैंक की लाभप्रदता में सीधा योगदान हुआ है। मानवशक्ति, नई शाखाओं तथा परिचालन ईकाइयों में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद पिछले वित्त वर्ष के 19.79% की वृद्धि के स्थान पर वर्ष 2014-15 के दौरान परिचालन व्ययों में 5.57% वर्ष - दर- वर्ष की कमी हुई है।

(iv) बैंक ने ग्राहकों की सुविधा को बढ़ाने के लिए नकद आहरण, नकद तथा चेक जमा एवं पास बुक प्रिंटिंग सुविधाओं के साथ पूरे देश में 99 ई-लाबी स्थापित की हैं।

(v) ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए बैंक समकालीन कोर बैंकिंग सॉल्युशन (सीबीएस) को अपनाने जा रहा है।

(vi) वर्ष के दौरान ऋण निगरानी, एनपीए नियंत्रण, थोक व्यवसाय में कमी तथा कासा में सुधार, एटीएम नेटवर्क, मानवशक्ति को युक्तिसंगत बनाना, एलआईसी के साथ व्यवसाय संबंध में सुधार, परिचालन व्ययों में कमी, आदि को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सराहा गया है। आपको जानकर हर्ष होगा कि माननीय वित्त मंत्रालय ने पहलों के पूरे ब्यौरे को भारतीय स्टेट बैंक सहित सभी पीएसबी में उनकी सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया है।

7. सीएसआर तथा सशक्तीकरण पहल

(i) कार्पोरेशन बैंक आर्थिक विकास मंच, एक एक लाभ-रहित आर्थिक इकाई न्यास के तहत बैंक कार्पोरेट मिशन के अनुरूप अपने सामाजिक दायित्व को निभाता आ रहा है। इसके अंतर्गत वर्ष 2014-15 के दौरान सामाजिक सरोकार की विभिन्न परियोजनाओं के निष्पादन हेतु ₹615.85 लाख के वित्तीय अनुदान वितरित किए गए।

(ii) बैंक ने कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत कल्याण योजनाओं जैसे गरीब स्कूली छात्रों को तथा अनाथाश्रमों, वृद्धाश्रमों, निराश्रित गृहों के निवासियों को खाना, कपड़े, पुस्तकें आदि देना, शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम लोगों को सहायता देना आदि के लिए अलग से उच्च कार्यपालकों की पत्नियों का एक संगठन - "कार्प किरण" नाम से गठित किया है।

8. पुरस्कार एवं सम्मान

वर्ष 2015 के दौरान एसएमई समर्थता में स्कॉच अचीवर अवार्ड प्राप्त हुआ। 21 मार्च, 2015 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने माननीय

has achieved success in significant reduction in operating expenses in the areas of advertisement & publicity, mobile & telephone expenses, expenses on security guards, lease & rental expenses, etc., which has directly contributed to the profitability of the bank. In spite of significant addition of manpower, new branches and operating units the growth in operating expenses have been reduced to 5.57% on Y-o-Y basis during FY 14-15 as compared to a growth of 19.79% during the previous financial year.

(iv) For enhancing customer convenience, Bank has operationalized 99 E-lobbies across the country offering services like Cash withdrawal, Cash and Cheque deposit and Pass Book Printing.

(v) The Bank is migrating to contemporary Core Banking Solution (CBS) for customer deliverable.

(vi) The initiatives taken by the Bank in the areas on Credit Monitoring, NPA Control, reduction of Bulk Business and improvement of CASA, revamping of ATM Network, Manpower Rationalization, revamping of business relationship with LIC, reduction of operational expenses, etc. are well appreciated by the Ministry of Finance, Govt. of India during the year. You would be glad to know that the Hon'ble Ministry of Finance has circulated the full text of initiatives taken by the Bank to all the PSBs including State Bank of India for information & necessary action.

7. CSR and Empowerment initiatives

(i) Under the Corporation Bank Economic Development Foundation, a non-profit economic outfit Trust, the Bank has been pursuing its objectives of fulfilling social obligations in tune with its corporate mission. Under this, financial grants to the extent of ₹615.85 lakhs were disbursed during the financial year 2014-15, for execution of various projects of social concerns.

(ii) The Bank has also set up a wing named "Corp Kiran" - An association of Wives of Senior Executives of the Bank, under Corporate Social Responsibility for undertaking welfare activities like providing food, cloths, books etc., to poor children, destitute homes, inmates of orphanages, old age homes, extending medical help to poor people in distress, physically and mentally challenged people etc.

8. Awards and Accolades

Bank has won "SKOCH Achiever Award in SME enablement" during 2015. The award was received by

श्री जयंत सिंह, वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार से पुरस्कार ग्रहण किया।

बैंक को भारतीय सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग चैंबर (सीआईएमएसएमई) से अन्य बैंकों के लिए बेस्ट एमएसएमई अवार्ड तथा बेस्ट बैंक अवार्ड रनर-अप भी प्राप्त हुआ है। 10 जनवरी 2015 को एमएसएमई हेतु माननीय मंत्री , भारत सरकार श्री कलराज मिश्रा के कर कमलों से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने पुरस्कार ग्रहण किया।

बैंक के संयोजकत्व में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), मंगलूरु, को नराकास की श्रेणी में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इंदिरागाँधी राजभाषा पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है । इस पुरस्कार को भारत के माननीय राष्ट्रपति के कर कमलों से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने ग्रहण किया ।

9. अपने वक्तव्य को समाप्त करने से पहले, मैं प्रबंधन पर आस्था और विश्वास रखने के लिए बैंक के सभी शेयरधारकों के प्रति अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ । मैं निदेशक मंडल के सदस्यों को उच्च प्रंबधन को दिए गए उनके बहुमूल्य निदेशों और दिशानिर्देशों हेतु तथा बैंक की वृद्धि एवं समृद्धि में प्रेरक शक्ति बने रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ । बैंक की प्रगति में सक्रिय सहभागिता तथा योगदान के लिए सभी कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूँ । ग्राहक हमारे संगठन की रीढ़ की हड्डी हैं । मैं निरंतर समर्थन एवं संरक्षण के लिए अपने बहुमूल्य ग्राहकों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं बैंक के दक्ष कार्य - संचालन में समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ ।

आपका,

[एस. आर. बंसल]
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मंगलूरु
दिनांक : 28.05.2015

the Chairman & Managing Director on 21st March, 2015, from Shri Jayant Sinha, Hon'ble Minister of State for Finance, Govt. of India.

The Bank also received "Best MSME Banking Award for Other Bank" and "Best Bank Award Runner-up" from Chamber for Indian Micro Small and Medium Enterprises (CIMSME). The award was received by the Chairman & Managing Director on 10th January, 2015 in the benign hands of Shri Kalraj Mishra, Hon'ble Minister for MSME, Govt. of India.

The Town Official Language Implementation Committee (TOLIC), Mangalore, under the convenorship of the Bank, secured Indira Gandhi Rajbhasha shield and received 1st Prize in TOLIC category from the Deptt. of Official Language, Ministry of Home Affairs, Govt. of India.The award was received by the CMD in the benign hands of Hon. President of India.

9. Before I conclude, I express my sincere thanks and gratitude to all the shareholders of the Bank for reposing their faith and confidence in the Management. I sincerely thank the members of the Board of Directors of the Bank for their immense contribution towards providing valuable direction and guidance to the top management and becoming the driving force for the growth and prosperity of the Bank.I also thank all the employees for their active involvement and contribution towards the growth of the Bank. Customers are the backbone of our organization. I sincerely thank our valuable customers for their continued support and patronage. I also owe my gratitude to the Reserve Bank of India and the Ministry of Finance, Government of India for their support and guidance in the effective functioning of the Bank.

Yours sincerely,

[S. R. Bansal]
Chairman and Managing Director

Place : Mangaluru
Date : 28.05.2015

कार्पोरेशन बैंक
प्रधान कार्यालयः मंगला देवी मंदिर मार्ग
मंगलूरु – 575 001
दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक राज्य, भारत

सूचना

कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 56 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्पोरेशन बैंक के शेयरधारकों की अठरहवीं वार्षिक महासभा **सोमवार, 29 जून, 2015 को पूर्वाह्न 10.30 बजे**, सहस्राब्दि भवन, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलादेवी मंदिर मार्ग, पांडेश्वर, मंगलूरु – 575 001, कर्नाटक राज्य में संपन्न होगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर विचार विमर्श किया जाएगाः

मद सं. 1: बैंक के 31 मार्च, 2015 के लेखा परीक्षित पृथक एवं समेकित तुलन–पत्र, 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ–हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि के लिए बैंक के कार्य–निष्पादन तथा क्रियाकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन–पत्र एवं लेखों पर लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार विमर्श, अनुमोदन तथा स्वीकार करना।

मद सं. 2: वित्तीय वर्ष 2014–2015 हेतु ईक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते **कार्पोरेशन बैंक**

(एस. के. दाश)
कंपनी सचिव

स्थानः मंगलूरु
दिनांकः 28.05.2015

CORPORATION BANK
HEAD OFFICE : MANGALA DEVI TEMPLE ROAD
MANGALURU – 575 001
D.K. DISTRICT, KARNATAKA STATE, INDIA

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 56 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 that the Eighteenth Annual General Meeting of the Shareholders of CORPORATION BANK will be held on **Monday, 29th June 2015, at 10.30 a.m.** at Millennium Building, Corporation Bank, Head Office, Mangala Devi Temple Road, Pandeshwar, Mangaluru – 575 001, KARNATAKA State to transact the following business:

Item No. 1: To discuss, approve and adopt the Audited Stand Alone and Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2015, Stand Alone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2015, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No. 2: To declare Dividend on Equity Shares for the Financial Year 2014-2015.

By order of the Board of Directors
for CORPORATION BANK

(S. K. DASH)
COMPANY SECRETARY

Place : Mangaluru
Date : 28.05.2015

नोट

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

जिस शेयरधारक को बैठक में भाग लेने का अधिकार है, उसे अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का भी अधिकार है तथा ऐसे प्रॉक्सी का कार्पोरेशन बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

तथापि, इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

प्रॉक्सी के रूप में ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी जो कार्पोरेशन बैंक का एक अधिकारी या कर्मचारी हो।

विनियम 70(vi) के अनुसार प्रॉक्सी लिखत देनेवाला, लिखत से संबंधित बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोट देने के लिए पात्र नहीं होगा।

प्रॉक्सी फार्म प्रभावी होने हेतु बैठक प्रारंभ होने **से कम-से-कम चार दिन पहले** अर्थात् बुधवार, **24 जून 2015 को** कार्यसमय की समाप्ति अर्थात् **शाम 5.00 बजे** तक या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय, मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूरु-575 001, कर्नाटक राज्य में प्राप्त हो जाना चाहिए।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

बैंक के शेयरधारक कंपनी निकाय का विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति, वार्षिक महासभा में भाग लेने और मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रति को उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जिस बैठक में वह पारित किया गया हो, सत्यप्रति प्रमाणित किया गया हो, बैठक की तिथि से **कम-से-कम चार दिन पहले अर्थात् बुधवार, 24 जून, 2015 को कार्य समय की समाप्ति अर्थात् शाम 5.00 बजे तक** या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, कार्पोरेशन बैंक, निवेशक सेवा विभाग, प्र.का. मंगलूर - 575 001, कर्नाटक राज्य को प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

3. संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग

यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम में है, तब केवल पहले नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने हेतु पात्र होगा और वह ही बैठक में वोट डालने के लिए पात्र होगा।

4. सदस्यों के रजिस्टर की बंदी

कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 12 के अनुसरण में बैंक के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियाँ, **बुधवार, 24 जून, 2015 से सोमवार, 29 जून 2015** (दोनों दिनों सहित) सत्रहवीं वार्षिक महासभा के संबंध में तथा उक्त वार्षिक महासभा में भाग लेने तथा अंतिम लाभांश, यदि कोई हो, को प्राप्त करने हेतु पात्र शेयरधारकों के नाम निर्धारित करने के उद्देश्य से बंद रहेंगी इसके लिए रिमोट इ-वोटिंग तथा वार्षिक महासभा बैठक में मतदान के लिए शेयरधारकों की पात्रता हेतु 23 जून 2015 को कट-ऑफ तिथि माना जायेगा.

NOTES

1. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the Meeting.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Corporation Bank.

As per the Regulations 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at its Head Office at Mangala Devi Temple Road, Mangaluru – 575 001, Karnataka State, **not later than FOUR DAYS before** the date of the meeting, i.e. **on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. of Wednesday, the 24th June, 2015.**

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Annual General Meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank, with the Company Secretary, Corporation Bank, Investor Services Department, H.O., Mangaluru–575 001 Karnataka State, not later than **FOUR DAYS before** the date of the Meeting i.e., **on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. of Wednesday, the 24th June, 2015.**

3. EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS

If shares are in the names of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote.

4. CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS

Pursuant to Regulation 12 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Wednesday the 24th June, 2015** to **Monday the 29th June, 2015** (both days inclusive) in connection with the Eighteenth Annual General Meeting and for the purpose of determining the names of shareholders entitled to participate in the Annual General Meeting and to receive the dividend, if any, for which **23rd June, 2015** be treated as **cut off date** for entitlement of shareholder for remote e-voting or voting in the Annual General Meeting.

5. उपस्थिति पत्रक–सह–प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पत्रक–सह–प्रवेश पत्र इस सूचना के साथ अनुबंधित है। शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरकर उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक स्थान पर इसे सौंप दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पत्रक–सह–प्रवेश पत्र में यथास्थिति "प्रॉक्सी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि", जैसा भी मामला हो, उल्लिखित करना चाहिए।

6. सूचना तामिल करना

17वीं वार्षिक महासभा की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति अन्य बातों के साथ–साथ ई–वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति सूचित करते हुए उपस्थिति पत्रक एवं प्रॉक्सी फार्म के साथ उन सभी सदस्यों को भेजी जा रही है जिन्होंने अपनी ई–मेल आईडी संसूचना के लिए बैंक/डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत कार्रवाई है और इसकी हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध न किया हो। जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत न करवाया हो, उन्हें 17वीं वार्षिक महासभा की सूचना की कागज़ी प्रति अन्य बातों के साथ–साथ ई–वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति सूचित करते हुए उपस्थिति पत्रक एवं प्रॉक्सी फार्म के साथ अनुमत विधि द्वारा भेजी जा रही है। इस बैठक की सूचना बैंक की वेबसाइट www.corpbank.com पर भी उपलब्ध कराई गई है।

7. नोटिस में दिया गया व्यवसाय कार्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के द्वारा किया जायेगा साथ ही इलेक्ट्रॉनिक साधनो से वोटिंग की सुविधा बैंक उपलब्ध करायेगा

इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग

क) कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित खण्ड 35बी के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक, अपने सदस्यों को 18वीं वार्षिक महासभा (एजीएम) में प्रस्तावित संकल्पों को पास करने हेतु अपने सदस्यों को इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने हेतु ई–वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तुत करता है। सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बैठक की जगह के अतिरिक्त अन्य जगह से भी कर सकते हैं (रिमोट ई–वोटिंग)।

ख) इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम से वोटिंग करने की सुविधा (इंस्टा पोल) को बैठक के स्थान पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा बैठक में आने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट वोटिंग (इंस्टा पोल) द्वारा वोटिंग नही किया है वे अपना वोट दे सकेंगे ।

ग) जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपने मत का प्रयोग किया है वे भी बैठक में भाग ले सकेंगे लेकिन पुनः मतदान हेतु पात्र नहीं होंगे। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि शेयरधारक के लिए रिमोट ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करते हुए मत देना अनिवार्य नहीं है और निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन करते हुए एक शेयरधारक इस सुविधा का उपयोग अपने/उनका/उनकी विवेक के अनुसार कर सकते हैं –

घ) बैंक ने ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (कार्वी) को नियुक्त किया है।

ङ) मतदान अधिकार की गणना कट ऑफ तिथि अर्थात 23 जून 2015 को सदस्य/लाभार्थी स्वामी द्वारा धारित शेयरों के प्रदत्त मूल्य के आधार पर

5. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/ Proxy holders/Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

6. SERVING OF NOTICE

Electronic copy of the Notice of the 18th Annual General Meeting of the Bank inter alia indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form is being sent to all the members whose email IDs are registered with the Bank/Depository Participant(s) for communication purposes unless any member has requested for a hard copy of the same. For members who have not registered their email address, physical copies of the Notice of the 18th Annual General Meeting of the Bank inter alia indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form, are being sent in the permitted mode.

7. The business set out in the Notice will be transacted through electronic voting system and the Bank is providing facility for voting by electronic means.

VOTING THROUGH ELECTRONIC VOTING SYSTEM

a) In compliance with provisions of Clause 35 B of the Listing Agreement for Equity read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, the Bank is pleased to provide to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed in the 18th Annual General Meeting (AGM) by electronic means. The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting ('remote e-voting').

b) The facility for voting through electronic voting system ('Insta Poll') shall be made available at the Meeting and the members attending the Meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the Meeting through 'Insta Poll'.

c) The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again. It is hereby clarified that it is not mandatory for a shareholder to vote using the remote e-voting facility, and a shareholder may avail of the facility at his/her/their discretion, subject to compliance with the instructions prescribed below.

d) The Bank has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited ("Karvy") as the Agency to provide e-voting facility.

e) Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of the member / beneficial

की जायेगी जो इस शर्त के अधीन होगा कि केंद्र सरकार को छोड़कर अन्य कोई शेयरधारक बैंक के कुल शेयरधारकों के मताधिकार के 10 प्रतिशत से अधिक की शेयरधारिता हेतु मताधिकार के लिए पात्र नहीं होगा।

च) एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपाजिटरी के पास रखे लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि 23 जून, 2015 को दर्ज होगा वही रिमोट ई-वोटिंग/इंस्टा पोल के लिए पात्र होगा।

छ) एक व्यक्ति जो नोटिस भेजे जाने के बाद बैंक का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि 23 जून, 2015 को शेयर धारण करता है वह निम्नलिखित प्रकार से यूजर आई डी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है : isd@corpbank.com को लिखकर या शेयरधारिता के प्रमाणिकरण के साथ डाकद्वारा या कार्वि कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. को vlakshmi.p@karvy.com, ई-मेल करके ई-वोटिंग के समाप्त होने से पहले लिखकर।

ज) रिमोट ई-वोटिंग **25 जून, 2015** (प्रातः10 बजे) से शुरू होकर **28 जून, 2015** (सायं 5.00 बजे) को समाप्त होगी तथा इस तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। **23 जून, 2015 (कट-आफ तिथि)** को इलेक्ट्रानिक या भौतिक रूप से बैंक शेयरों को धारण करने वाले शेयरधारक इस अवधि के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग इस अवधि के दौरान इलेक्ट्रानिक ढंग से कर सकते हैं। इसके बाद कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को ब्लाक कर दिया जायेगा। यदि शेयरधारक किसी संकल्प पर अपना वोट दे देता है तब बाद में इसके परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

झ) संयुक्त धारकों के मामले में, लॉगइन आईडी/यूजर आईडी को प्रथम शेयरधारक के नाम से भेजा जायेगा। तदनुसार प्रथम शेयर धारक को भेजे गए यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग करते हुए दिए जाने वाले मत को सभी शेयरधारकों की ओर से माना जायेगा क्योंकि कार्वी की रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का उपयोग करते हुए जो शेयरधारक मतदान करता है वह सभी संयुक्त शेयरधारकों की ओर से मतदान करता है। प्रथम शेयरधारक से तात्पर्य धारित शेयरों में पंजीकृत पहला नाम है।

ञ) केवल वह शेयरधारक जो मतदान करने हेतु पात्र है वहीं रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान हेतु भी पात्र होगा। कोई व्यक्ति जिसे मतदान का अधिकार नहीं है इस सूचना को केवल सूचनार्थ समझें।

ट) मेसर्स इजेडवाई लाज, मंबई के श्री अंकुर कुमार, एडवोकेट (बार काउंसिल पंजीयन सं. एमएएच/5718/2011) को इंस्ट पोल तथा रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी संवीक्षा हेतु मतपत्र-निरीक्षक नियुक्त किया गया है तथा उन्होंने नियक्ति हेतु अपनी सहमति दी है एवं इस हेतु उपलब्ध रहेंगे।

ठ) मतपत्र-निरीक्षक पहले बैंठक मे हुए मतदान के मतों की गणना करेगा (इंस्टा वोट), तत्पश्चात महासभा की बैठक के तीन दिन के भीतर दो गवाहों जो बैंक या संगठन के कर्मचारी न हों उनके समक्ष रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डाले गए मतों को अनब्लाक करेगा, अध्यक्ष को या उनके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत किए गए व्यक्ति को पक्ष या विपक्ष में पड़े मतों की समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा एवं परिणाम को जारी किए जाने हेतु इस रिपोर्ट को प्रतिहस्ताक्षरित भी करेगा.

owner (in case of electronic shareholding) as on the cut-off date i.e. June 23, 2015. Subject to the condition that no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

f) A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. 23rd June, 2015 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/Insta Poll.

g) Any person who becomes a member of the Bank after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. June 23, 2015, may obtain the User ID and password in the manner as mentioned below:

By writing to the Bank at isd@corpbank.com or by post with authenticated proof of shareholding or write KARVY Computershare Pvt. Ltd. at vlakshmi.p@karvy.com, sufficiently before the closing of the remote e-voting.

h) The remote e-voting period commences on **25th June, 2015** (10:00 a.m.) and ends on **28th June, 2015** (5:00 p.m.) and the remote e-voting shall not be allowed beyond this date and time. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on **23rd June, 2015 (cut off date)**, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be blocked by Karvy Computershare Pvt. Ltd., for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

i) In case of Joint holders, login ID/User ID and password details shall be sent to the first holder of the shares. Accordingly, the vote using user ID and Password sent to first holder is recognized on behalf of all the joint holders as the shareholder who casts the vote through the remote e-voting services of Karvy, is doing so on behalf of all joint holders. First holder shall mean the holder of shares, whose name is first registered against the shares held.

j) Only a Shareholder entitled to vote is entitled to exercise his vote through remote e-voting. Any person having no voting rights should treat this Notice as intimation only.

k) **Mr. Ankur Kumar, Advocate** (Bar Council Registration No. **MAH/5718/2011) of M/s. Ezy Laws, Mumbai**), has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the Insta Poll and remote e-voting process in a fair and transparent manner and he has communicated his willingness to be appointed and will be available for same purpose.

l) The Scrutinizer shall, first count the votes cast at the meeting (insta votes), thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Bank and make, not later than three days of conclusion of the Annual General Meeting, a consolidated scrutiniser's report of the total votes cast in favour or against , if any, and submit the report to the Chairman or a person authorised by him in writing and shall countersign the same to declare the result of voting forthwith.

द) घोषित परिणाम को मतपत्र-निरीक्षक की समेकित रिपोर्ट के साथ बैंक की वेबसाइट www.corpbank.com तथा कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही परिणाम का स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई तथा बीएसई) को भी सूचित किया जाना चाहिए ।

ध) आवश्यक मतों के प्राप्त होने के अधीन संकल्प को बैठक की तिथि 29 जून 2015 को जारी मान लिया जायेगा।

न) **ई-वोटिंग के लिए अनुदेश एवं अन्य सूचनाएँ**

ई-वोटिंग के लिए अनुदेश एवं अन्य सूचनाएँ निम्नानुसार हैं:

I क. यदि किसी शेयरधारक को प्राधिकृत ई-वोटिंग प्लैटफार्म प्रदाता कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. से ईमेल प्राप्त होता है (उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ईमेल आईडी बैंक/डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत है):

i) वोटिंग के दौरान अपने वेब ब्राउज़र को खोलें और 'https://evoting.karvy.com' में नैविगेट करें।

ii) ई-मेल में/उपस्थिति पर्ची पर उल्लिखित लॉगइन विवरण (अर्थात् यूज़र आईडी और पासवर्ड) प्रविष्ट करें। अपनी फोलियो/क्लाइंट आईडी आपकी यूज़र आईडी होगी।

यूज़र- आईडी	डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए: क) एनएसडीएल के लिए: 8 कैरेक्टर वाली डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों वाली क्लाइंट आईडी ख) सीडीएसएल के लिए:- 16 अंकों वाली लाभार्थी आईडी कागज़ी रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए: • EVEN उसके बाद बैंक से पंजीकृत फोलियो संख्या
पासवर्ड	आपका विशिष्ट पासवर्ड इलेक्ट्रॉनिक सूचना के ज़रिए ईमेल द्वारा भेजा है।
कैपचा	सत्यापन कूट प्रविष्ट करें अर्थात् सुरक्षा कारणों से ठीक उसी तरीके से वर्णों और संख्याओं को प्रविष्ट करें।

iii) किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए ई-वोटिंग प्लैटफार्म प्रोवाइडर अर्थात कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. की टोल फ्री सं. 18003454001 पर संपर्क करें।

iv) उपयुक्त तरीके से ब्यौरे प्रविष्ट करने के बाद "LOGIN" पर क्लिक करें।

v) डीमैट/कागज़ी रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब जूव पासवर्ड बदलने का मेनू पाएंगे जिसमें उन्हें नए पासवर्ड की फील्ड में अपना लॉगइन पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना होगा। नए पासवर्ड में न्यूनतम आठ कैरेक्टर होने हैं जिनमें कम से कम एक अप्पर केस (A-Z) वाला, एक लोवर केस (a-z) वाला, एक संख्या (0-9) और एक विशेष कैरेक्टर हो। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसे पुनः प्राप्त करने के लिए आप गोपनीय प्रश्न और उत्तर की प्रविष्टि कर सकते हैं । आप अपने संपर्क ब्यौरों को भी अद्यतन कर सकते हैं। इस बात पर ज़ोर दिया जाता है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

m) The Results declared alongwith the consolidated Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.corpbank.com and on the website of Karvy Computershare Pvt. Ltd. The results shall simultaneously be communicated to the Stock Exchanges (NSE & BSE).

n) Subject to receipt of requisite number of votes, the Resolutions shall be deemed to be passed on the date of the Meeting, i.e. June 29, 2015.

o) **Instructions and other information relating to remote e-voting:**

The instructions for remote e-voting are as under:

I A. In case a shareholder receives an email from Karvy Computershare Pvt. Ltd.- the authorised e-Voting Platform provider, [for shareholders whose email IDs are registered with the Bank/Depository Participant(s)]:

i) Open your web browser on your computer/on the enabled gadgets during the voting period and navigate to https://evoting.karvy.com

ii) Enter the login credentials (i.e., user-id & password) mentioned in the e-mail/on the Attendance slip. Your folio/DP Client ID will be your User-ID.

User – ID	For Members holding shares in Demat Form: a) For NSDl : 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID b) For CDSL : 16 digits beneficiary ID For Members holding shares in Physical Form: • EVEN followed by Folio Number registered with the Bank.
Password	Your Unique password is forwarded through the electronic notice via email
Captcha	Enter the Verification code i.e., please enter the alphabets and numbers in the exact way as they are displayed for security reasons.

iii) Please contact toll free No. 1800 345 4001 of e-Voting Platform provider, i.e. Karvy Computershare Pvt. Ltd., for any further clarifications.

iv) After entering these details appropriately, click on "LOGIN".

v) Members holding shares in Demat/Physical form will now reach Password Change menu wherein they are required to mandatorily change their login password in the new password field. The new password has to be minimum eight characters consisting of at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. You may also enter the Secret Question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. You can also update your contact details. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

vi) कार्पोरेशन बैंक या भारत में किसी अन्य बैंक/कंपनी में, जिसमें आप मतदान करने के लिए पात्र हैं, भावी ई-वोटिंग संकल्प (संकल्पों) पर वोटिंग करने के लिए नए पासवर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं बशर्ते कि वह बैंक/कंपनी ई-वोटिंग के लिए कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के ई-वोटिंग प्लैटफार्म का चयन करती है।

vii) आपको नए ब्यौरों अर्थात् पासवर्ड आदि के साथ फिर से लॉगइन करना होगा।

viii) सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद 'EVEN' अर्थात् 'बैंक का नाम' चुनने के लिए सिस्टम आपको प्रॉम्प्ट करेगा।

ix) यदि आप डीमैट रूप में शेयर रखते हैं और यदि आपने इससे पहले "https://evoting.karvy.com" को लॉग ऑन करके किसी बैंक/कंपनी के लिए पहले वोट डाले हों को अपने वर्तमान लॉगइन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वोटिंग पृष्ठ पर आपको संकल्प का विवरण दिखाई देगा और उसके सामने वोटिंग के लिए 'FOR/AGAINST/ABSTAIN' विकल्प होगा। 'FOR/AGAINST/ABSTAIN' के अंतर्गत शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या दर्शाते हैं) प्रविष्ट करें या विकल्प के तौर पर आप आंशिक रूप से कोई संख्या 'FOR' में प्रविष्ट कर सकते हैं और आंशिक रूप से 'AGAINST' में, लेकिन, 'FOR/AGAINST' में कुल मिलाकर अपनी कुल शेयरधारिता/वोटिंग अधिकार से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि शेयरधारक वोट नहीं डालना चाहता है तो 'ABSTAIN' चुने।

x) मतदान करने के लिए संकल्प को चुनने के बाद "SUBMIT" पर क्लिक करें। एक पुष्टीकरण का बॉक्स दिखाई देगा। अगर आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें, अन्यथा "CANCEL" पर क्लिक करें और तदनुसार अपने विकल्प को परिवर्तित करें।

xi) एक बार आप संकल्प पर अपने वोट को "CONFIRM" करते हैं, आपको अपने वोट को बदलने की अनुमति नहीं होगी और इसे आपके द्वारा अंतिम वोटिंग माना जाएगा।

xii) कंपनी निकाय सहित संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर अन्य) के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की स्कैन की गई प्रति (यह फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में एटैचमेंट के रूप में हो), जिसे जिस बैठक में वह संकल्प पारित किया गया, उसके अध्यक्ष द्वारा सत्यप्रति के रूप में प्रमाणित किया हो, और उसके साथ वोट करने के लिए प्राधिकृत विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर ईमेल के ज़रिए evoting@karvy.com को प्रति अंकित करते हुए evoting@ezylaws.com पर स्क्रूटिनाइज़र को भेजें। फाइल का नाम "the body corporate Name..... EVEN....." फार्मेट में हो। उपर्युक्तानुसार स्कैन की गई प्रतियाँ ई-वोटिंग से पहले या तुरंत बाद ई-मेल द्वारा भेजी जानी है। अगर वह ई-वोटिंग की समाप्ति से पहले स्क्रूटिनाइज़र/कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को प्राप्त नहीं होती है, तो की गई ई-वोटिंग कंप्यूटर सिस्टम में अस्वीकृत की जाएगी।

I ख. यदि किसी शेयरधारक को वार्षिक महासभा (एजीएम) की सूचना की कागज़ी प्रति प्राप्त होती है (उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ईमेल आईडी बैंक/डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है और जो कागज़ी प्रति का अनुरोध करते हैं):

vi) The new password can be used for voting on future e-voting resolution(s) for Corporation Bank or any other Bank/Company in India on which you are eligible to vote, provided that Bank/Company opts for e-Voting through Karvy Computershare Private Limited, e-Voting Platform provider.

vii) You need to login again with the new credentials i.e. with new password etc..

viii) On successful login, system will prompt to select the 'EVEN' i.e., 'Bank Name'.

ix) On the voting page, you will see Resolution Description and against the same the option 'FOR/AGAINST/ABSTAIN' for voting. Enter the number of shares (which represents number of votes) under 'FOR/AGAINST/ABSTAIN' or alternatively you may partially enter any number in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR/AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding/Voting Right. If the shareholder does not want to cast, select 'ABSTAIN'.

x) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

xi) Once you 'CONFIRM' your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote and it will be treated as final voting by you.

xii) Institutional shareholders including body corporates (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (this file be as an attachment in PDF Format) of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail to evoting@ezylaws.com with a copy marked to evoting@karvy.com. The file should be named in the format of "the body corporate Name----------EVEN ----------". The scanned copies are to be sent as mentioned above by e-mail, before or immediately after casting the remote e-voting. However, in case the same do not reach scrutinizer/Karvy Computershare Pvt. Ltd., before closure of remote e-voting, the remote e-voting so exercised will be rejected in computer system.

I B. In case a shareholder receives physical copy of the Notice of Annual General Meeting (AGM) [for shareholders whose email IDs are not registered with the Bank/Depository Participant(s) or requesting physical copy]:

i. एजीएम के उपस्थिति पत्रक के नीचे प्रारंभिक पासवर्ड दिया गया है।

EVEN (ई-वोटिंग ईवेंट नंबर) **यूज़र आईडी पासवर्ड**

ii. कृपया वोट डालने के लिए उपर्युक्त क्रमांक आई ए (i) से क्रमांक (xii) तक दिए कदमों का अनुसरण करें।

II) यदि कोई प्रश्न हो तो आप https://evoting.karvy.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयर धारकों के लिए ई-वोटिंग यूज़र मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं और कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. से 1800 345 4001 (टोल फ्री) से संपर्क कर सकते हैं।

III) अगर आपने ई-वोटिंग के लिए पहले ही कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. के साथ रजिस्टर करवाया है तो आप अपना वोट डालने के लिए अपना वर्तमान यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

IV) भावी संसूचनाएं भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाले फोलियो के यूज़र प्रोफाइल ब्योरे में आप अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को अद्यतन भी कर सकते हैं।

8. लाभांश का भुगतान

बैंक के निदेशक मंडल ने 16 मई, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में ₹2/- के प्रत्येक शेयर हेतु ₹1.40 का लाभांश संस्तुत किया है जिसे इस वार्षिक महासभा में शेयरधारकों द्वारा घोषित किया जाना है। अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि प्रत्येक ₹2.00 के शेयर हेतु ₹1.40 अर्थात् 70% का लाभांश घोषित करें।

यदि वार्षिक महासभा में ईक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा की जाती है तो उसे 6 जुलाई, 2015 को या उसके बाद या इस घोषणा से 30 दिन के भीतर, उन शेयरधारकों को जमा/भेजा जाएगा जिनके नाम एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा यथा प्रस्तुत बैंक के सदस्य/हितकारी स्वामी रजिस्टर में 23 जून, 2015 को मौजूद हैं।

9. लाभांश वारंट/राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (जमा समाशोधन) – एनईसीएस/एनईएफटी में बैंक खाते के विवरण

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए लाभांश वितरण करते समय शेयरधारकों और उनके डिपॉज़िटरियों द्वारा दिए गए बैंक खाता विवरण लाभांश वारंट में उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए यह भी अनिवार्य कर दिया है कि वे लाभांशों का भुगतान करते समय ईसीएस, एनईसीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस आदि जैसे भा.रि.बैं. द्वारा अनुमोदित भुगतान विधियों का उपयोग करें और बैंक खाता विवरण, एमआईसीआर संख्या और आईएफएससी आदि जैसी आपेक्षित सूचना उपलब्ध न होने पर शेयरधारकों को ऐसा भुगतान करने हेतु कागज़ी भुगतान लिखतों का उपयोग करें। बैंक अपने पास उपलब्ध बैंक विवरण भुगतान लिखतों में मुद्रित करेगा।

जिन शेयरधारकों के पास कागज़ी रूप में शेयर हैं, वे अभिलेखों को आवश्यक अद्यतन करने हेतु बैंक अधिदेश विवरण, बैंक के निवेशक

i. Initial password is provided at the bottom of the Attendance Slip for the AGM:
EVEN (E- Voting Event Number) **USER ID PASSWORD**

ii. Please follow all steps from Sl. No. IA (i) to Sl. No. (xii) above, to cast vote.

II) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of https://evoting.karvy.com or contact Karvy Computershare Pvt. Ltd., on Tel. No.1800 345 4001 (toll free).

III) If you are already registered with Karvy Computershare Pvt. Ltd., for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.

IV) You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

8. PAYMENT OF DIVIDEND

The Board of Directors have recommended at their meeting held on 16th May, 2015, a Dividend of ₹1.40 per share of ₹2/- each which is required to be declared by the shareholders at this AGM. The shareholders are therefore requested to declare the Dividend of ₹1.40 per share of ₹2 each, i.e. 70%.

The Dividend on Equity Shares, if declared at the Annual General Meeting, will be credited / dispatched on or after 6th July, 2015 or within 30 days of declaration thereof, to those Shareholders whose names appear on the Bank's Register of Members/Beneficial Owners as furnished by NSDL/CDSL as on 23rd June, 2015.

9. DETAILS OF BANK ACCOUNT IN DIVIDEND WARRANT/NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICE (CREDIT CLEARING) – NECS/NEFT

SEBI has made it mandatory for all the listed entities to mention in the Dividend Warrant, the Bank Account details furnished by the shareholders and their depositories, while distributing Dividends. It has also made it mandatory for listed entities to use RBI approved electronic mode of payments such as ECS, NECS, NEFT, RTGS etc., for making dividend payments and in the event of non-availability of the required information like bank account details, MICR number and IFSC etc., to use physical payment instruments for making such payments to shareholders. The Bank shall print the Bank details, as available with them, in the payment instruments.

The shareholders who are holding the shares in physical form may send their Bank Mandate details to Investor Services Department of the Bank or to the Share Transfer

सेवा विभाग को या हमारे शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा.लि., हैदराबाद के पास भेज सकते हैं। जिन शेयरधारकों के पास डीमैट रूप में शेयर हैं वे इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट से सम्पर्क कर सकते हैं। एनईसीएस अधिदेश/बैंक अधिदेश का प्रोफार्मा वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

10. अदावी लाभांश यदि कोई है

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों को नहीं भुनाया है/अगर पूर्व अवधि के लाभांश प्राप्त नहीं हुए हैं तो डुप्लिकेट लाभांश वारंट जारी करने हेतु बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें। इस संबंध में बैंक समय-समय पर बैंक के लाभांश रजिस्टर के अनुसार संबंधित शेयरधारकों को अनुस्मारक भी भेज रहा है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10बी के अनुसार सात वर्ष की अवधि के लिए अदत्त या अदावी लाभांश की राशि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित की जानी चाहिए। तदनुसार, बैंक ने अदावाकृत अंतिम लाभांश खाता 2006-07 तक बकाया अदावाकृत लाभांश खातों की शेषराशियों को केन्द्र सरकार की निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित किया था।

निवेशकों को बतौर सेवा बैंक यह अनुरोध करते हुए नियमित अंतरालों में अनुस्मारक पत्र भेजता रहा है कि वे लाभांशों का दावा करें।

11. शेयरधारकों से निवेदन

क) तुलन पत्र की प्रतियाँ

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक महासभा के समय वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ वितरित नहीं की जाएंगी, इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक द्वारा उनके पंजीकृत पते पर या ई-मेल पते पर भेजी गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रति या उसके उद्धरण को साथ लेकर आएं।

ख) शेयरों का डीमेटीरियलाइजेशन

अपने शेयर प्रमाणपत्र अब भी कागज़ी रूप में धारित करनेवाले शेयरधारकों से अपने शेयरों को यथाशीघ्र डीमैट करवाने का अनुरोध किया जाता है।

ग) पता या ई-मेल आईडी में परिवर्तन

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि अपने पते में किसी परिवर्तन को निम्नलिखित को तुरंत अधिसूचित करें:

- शेयरों के डीमैट रूप में धारण के मामले में अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को।
- कागज़ी रूप में धारित शेयरों के मामले में शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि., यूनिटः कार्पोरेशन बैंक, कार्वी सेलेनियम टावर बी. प्लाट सं. 31 एवं 32, गाचिबोवली, वित्तीय ज़िलानानक्राम गुडा, सेरिलिंगम्पल्लि हैदराबाद - 500 032 को।
- शेयरधारकों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने ई-मेल

Agent of the Bank, M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad, for necessary updation of the records. The shareholders who are holding the shares in demat form, may approach their Depository Participants for necessary action in this connection. A Proforma of NECS Mandate/Bank Mandate is furnished in the Annual Report.

10. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants/received Dividend of previous periods, if any, are requested to contact the Share Transfer Agent, for issue of duplicate Dividend Warrant. In this regard Bank is also sending reminder letters from time to time to the concerned shareholders as per Dividend Register of the Bank.

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the amount of Dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 125 of the Companies Act, 2013. The Bank had, accordingly, transferred the Balances in Unclaimed Dividend accounts outstanding till Unclaimed Final Dividend Account 2006-07 to the Investor Education and Protection Fund of the Central Government.

As a matter of service to shareholders, Bank has been sending reminders to shareholders at regular intervals requesting them to claim the same.

11. REQUEST TO THE SHAREHOLDERS

(A) Copies of Balance Sheet

Shareholders are requested to note that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting and hence shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report or extract thereof, mailed by the Bank to them at their registered addresses and/or e-mail addresses.

(B) Dematerialisation of shares

Shareholders who are still holding their shares in physical form are requested to get their shares dematerialized at the earliest.

(C) Change of address or e-mail ID

Shareholders are requested to notify any change in their addresses to:

- Their respective Depository Participant, in case shares are held in dematerialised form.
- The Share Transfer Agent, M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., Unit: Corporation Bank, Karvy Selenium Tower-B, Plot Nos. 31 & 32, Financial District, Gachibowli, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad- 500 008, in case shares are held in physical form.
- Shareholders are also requested to register/update their

पते को बैंक में पंजीकृत/अद्यतन करें ताकि बैंक ई-मेल द्वारा अपना सभी पत्राचार/सूचना/वार्षिक रिपोर्ट आदि भेज सके। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतन करें। कागज़ी रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को, जो बैंक का शेयर अंतरण एजेंट है, यथा शीघ्र अपना ई-मेल पता भेजें/अद्यतन करें।

घ) खातों संबंधी सूचना

खातों से संबंधित कोई सूचना/स्पष्टीकरण मांगने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक महासभा से कम-से-कम सात दिन पहले कंपनी सचिव, कार्पोरेशन बैंक, निवेशक सेवा विभाग, प्र.का. मंगलूरु - 575 001, कर्नाटक राज्य को लिखें ताकि सोमवार, 22 जून, 2014 को शाम 5.00 बजे तक प्राप्त हो और बैंक सूचना तैयार रख सके।

ङ) फोलियो का समेकन

जो शेयरधारक शेयर कागज़ी रूप में एक से अधिक फोलियो में एक ही नाम से या नाम के उसी क्रम में संयुक्त नाम से धारित करते हैं, उनसे अनुरोध है कि एक ही फोलियो में समेकन हेतु शेयर प्रमाणपत्रों को बैंक के शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को भेजें।

च) स्थिति में परिवर्तन

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक के शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को कागज़ी रूप में धारित शेयरों के संबंध में या शेयरों के डीमैट रूप में धारण के मामले में अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को निम्नलिखित सूचना तुरंत दें:

क) स्थाई निवास के लिए भारत लौटने पर निवासी हैसियत में परिवर्तन।

ख) भारत के बैंक खाते से संबंधित ब्योरे, पूरा नाम, शाखा, खाता प्रकार, खाता संख्या, पिन सहित बैंक का पता दें, यदि पहले नहीं दिया हो।

छ) शेयरधारकों के मताधिकार:

अधिनियम की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार को छोड़कर कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक उनके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

अधिनियम की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अधीन, कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के खण्ड 68(i) के अनुसार, वार्षिक महासभा की तारीख से पहले रजिस्टर की बंदी की तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को हस्त प्रदर्शन पर एक वोट होगा और चुनाव के मामले में उनके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेतु एक वोट होगा।

झ) अन्य सूचना

क) पर्यावरण सजगता पहल के समर्थन में बैंक ने ईक्विटी सूचीकरण

e-mail address with the Bank to enable the Bank to send all communications/notices/Annual Report etc., through e-mail. Shareholders holding shares in demat mode are requested to register/update their e-mail addresses with their respective Depository Participants. Shareholders holding physical shares are requested to send/update their e-mail address with M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., the Share Transfer Agent of the Bank, at the earliest.

(D) Information on Accounts

Shareholders seeking any information/clarification with regard to annual accounts are requested to address their letters to the Company Secretary, Corporation Bank, Investor Services Department, Head Office, Mangaluru – 575 001, Karnataka State at least seven days in advance of the Annual General Meeting so as to reach latest by Monday, 22nd June, 2015 by 5.00 p.m., to enable the Bank to keep the information ready.

(E) Consolidation of Folios

Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names, are requested to send the share certificates to the Share Transfer Agent of the Bank, M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., for consolidation into a single folio.

(F) Change of Status

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the Share Transfer Agent of the Bank, M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., in respect of shares held in physical form or to inform their respective Depository Participants if shares are held in dematerialised form immediately of:

a) the change in the Residential status on return to India for permanent settlement,

b) the particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

(G) Voting Rights of Shareholders

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

In terms of Clause 68(i) of Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998, subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder as on the date of the closure of the Register, prior to the date of the Annual General Meeting, shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

(H) Other information

a) In support of the green initiative, the Bank has decided

करार के खण्ड 32 में दिए निदेशों के अनुसार, अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट/बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास जिन शेयरधारकों ने अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करवाई है, उन्हें वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट प्रतियाँ भेजने का निर्णय लिया है। लेकिन सदस्य कृपया यह नोट करें कि 18वीं वार्षिक महासभा की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 डाउनलोड करने के लिए बैंक की वेबसाइट www.corpbank.com पर भी उपलब्ध होगी। पूर्वोक्त दस्तावेज़ों की कागज़ी प्रतियाँ निरीक्षण हेतु कार्य दिवसों पर सामान्य कारोबार समय के दौरान मंगलूर में बैंक के प्रधान कार्यालय में भी उपलब्ध होंगी। ई-संसूचना के लिए पंजीकृत करवाने के बावजूद, सदस्य, अनुरोध करने पर डाक से निशुल्क कागज़ी रूप में ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। किसी संसूचना के लिए शेयरधारक बैंक की विशिष्ट ईमेल आईडी isd@corpbank.co.in को या डाक द्वारा भी अनुरोध भेज सकते हैं।

ख) शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैठक में कोई उपहार/उपहार-कूपन वितरित नहीं किया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते कार्पोरेशन बैंक

(एस. के. दाश)
कंपनी सचिव

स्थानः मंगलूरु
दिनांकः 28.05.2015

to send soft copies of the Notice of Annual General Meeting and Annual Report to all the shareholders who have registered their email ids with their Depository Participant/Registrar and Share Transfer Agent of the Bank, as per the directions contained in clause 32 of the Listing agreement for Equity. However, Members may note that the Notice of the 18th Annual General Meeting and the Annual Report for 2014-15 will also be available on the Bank's website www.corpbank.com for their download. The physical copies of the aforesaid documents will also be available at the Bank's Head Office at Mangaluru, for inspection during normal business hours on working days. Even after registering for e-communication, members are entitled to receive such communication in physical form, upon making a request for the same by post free of cost. For any communication, the shareholders may also send requests to the Bank's dedicated email ID: isd@corpbank.co.in or by post.

b) Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.

By order of the Board of Directors
for CORPORATION BANK

(S. K. DASH)
COMPANY SECRETARY

Place : Mangaluru
Date : 28.05.2015

निदेशकों की रिपोर्ट 2014–15
DIRECTORS' REPORT 2014-15

1. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लेखा–परीक्षित तुलन–पत्र एवं लाभ–हानि लेखा सहित बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशक मंडल को प्रसन्नता हो रही है।

2. निष्पादन की एक झलक:

2.1 31 मार्च, 2015 को बैंक का कुल कारोबार ₹3,44,412 करोड़ के स्तर तक पहुँच गया। इसमें 31.03.2014 के ₹3,30,479 करोड़ के स्तर से 4.22% की वृद्धि दर के साथ ₹13,933 करोड़ की समग्र वृद्धि दर्ज हुई।

2.2 बैंक की कुल जमाराशियाँ 3.08% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2014 के ₹1,93,393 करोड़ के स्तर से बढ़कर 31.03.2015 को ₹1,99,346 करोड़ हो गई हैं।

2.3 कुल जमाराशियों में कासा का हिस्सा 31.03.2014 के 20.33% की तुलना में 31.03.2015 को 19.72% रहा। बचत जमाराशियाँ वर्ष–दर–वर्ष 7.38% की दर से बढ़ गईं। वर्ष 2014–15 को दौरान औसत कासा वृध्दि 12.17% रही ।

2.4 बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन संबंधी अपनी नीति के अनुरूप गुणवत्तायुक्त ऋण आस्तियों में विस्तार करने में अपना विवेकपूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखा। बैंक का ऋण आंकड़ा 31 मार्च, 2014 के ₹1,37,086 के स्तर से 31.03.2015 को ₹1,45,066 करोड़ के स्तर तक पहुँचा। इसमें 5.82% की वृद्धि दर से ₹7,980 करोड़ की समग्र वृद्धि दर्ज हुई। वित्त वर्ष के दौरान ऋण विस्तार हेतु प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र और मध्यम आकार के कार्पोरेट के तहत ऋण बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

2.5 31.03.2014 के 70.88% की तुलना में 31.03.2015 को ऋण–जमा अनुपात 72.77% रहा।

2.6 बैंक ने गैर–निष्पादक आस्तियों की वसूली में अपना ध्यान जारी रखा। वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने गत वित्त वर्ष की ₹1,355.53 करोड़ की नकद वसूली की तुलना में ₹1,484.73 करोड़ गैर–निष्पादक आस्तियों की नकद वसूली तथा उन्नयन किया है।

2.7 बैंक ने गत वर्ष के ₹561.72 करोड़ निवल लाभ के सापेक्ष ₹584.26 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया।

2.8 31.03.2015 को पूरे देश में फैली बैंक की 9,916 कार्यात्मक इकाइयाँ थीं जिनमें 2,298 शाखाएं, 2,933 एटीएम और 4,685 शाखारहित बैंकिंग इकाइयाँ हैं।

3. आय विश्लेषण

3.1 बैंक की ब्याज आय वित्त वर्ष 2013–14 के ₹17,958.57 करोड़ से ₹1,597.87 करोड़ (8.90%) की वृद्धि के साथ ₹19,556.44 करोड़ तक बढ़ गई, जबकि ब्याज व्यय वर्ष 2013–14 के ₹14,174.88 करोड़ से 9.25% की वृद्धि के साथ वर्ष 2014–15 के दौरान

1. The Board of Directors have pleasure in presenting the Annual Report together with Audited Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2015.

2. Performance at a glance :

2.1 The total business reached alevel of ₹3,44,412 crore as on 31st March, 2015, recording an absolute growth of ₹13,933 crore over the business figure of ₹3,30,479 crore as on 31.03.2014, at a growth rate of 4.22%.

2.2 The total deposits of the Bank increased to ₹1,99,346 crore as on 31.03.2015 from ₹1,93,393 crore as on 31st March, 2014 registering a growth of 3.08% y-o-y.

2.3 Share of CASA in total deposits stood at 19.72% as on 31.03.2015 as compared to 20.33% as on 31.03.2014. Savings Deposits grew at a rate of 7.38%. Average CASA growth during 2014-15 stood at 12.17%.

2.4 The Bank continued its prudent approach in expanding quality credit assets in line with its policy on Credit Risk Management. The Bank's credit figure reached a level of ₹1,45,066 crore as on 31.03.2015 from ₹1,37,086 crore as on 31st March, 2014, recording an absolute growth of ₹7,980 crore at a growth rate of 5.82%. During the financial year, focused attention was given for accelerated lending under Priority sector and midsize corporate, for expansion of credit.

2.5 Credit-Deposit Ratio stood at 72.77% as on 31.03.2015 as compared to 70.88% as on 31.03.2014.

2.6 The Bank continued its focus on recovery of NPAs. During the financial year, the Bank effected a cash recovery and upgradation of NPAs of ₹1,484.73 crore as compared to ₹1,355.53 crore in the previous financial year.

2.7 The bank posted a Net Profit figure of ₹584.26 crore as against ₹561.72 crore in the previous year.

2.8 As on 31.03.2015, the Bank had 9,916 functional units spread across India comprising of 2,298 Branches, 2,933 ATMs and 4,685 Branchless banking units.

3. Income Analysis

3.1 Interest Income of the Bank recorded a growth of ₹1,597.87 crore (8.90%) from ₹17,958.57 crore in the year 2013-14 to ₹19,556.44 crore, as against the Interest expenses which grew by 9.25% from ₹ 14,174.88 crore during the financial year 2013-14 to ₹15,486.10 crore during the year 2014-15. The Net Interest Income

₹15,486.10 करोड़ हो गए। इसी अवधि के दौरान निवल ब्याज आय में ₹286.65 करोड़ (7.58%) की वृद्धि दर्ज हुई।

recorded a growth of ₹286.65 crore [7.58%] during the same period.

(₹ करोड़ में ₹ in crore)

विवरण Particulars	2013-14	2014-15	% परिवर्तन Change in %
आय INCOME			
ब्याज आय Interest Income	17958.57	19556.44	8.90%
ब्याजेतर आय Non-Interest Income	1647.72	1482.47	– 10.03%
कुल आय Total Income	19606.29	21038.91	7.31%
व्यय EXPENDITURE			
ब्याज व्यय Interest Expenditure	14174.88	15486.10	9.25%
परिचालन व्यय Operating Expenses	2392.01	2525.36	5.57%
कुल व्यय Total Expenditure	16566.89	18011.46	8.72%
परिचालन लाभ Operating Profit	3039.40	3027.45	– 0.39%
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं –(कर रहित) Provisions & Contingencies (Excl. Tax)	2797.71	2551.99	– 8.78%
कर पूर्व लाभ Profit before Tax	241.69	475.46	96.72%
कर हेतु प्रावधान Provision for Tax	– 320.03	– 108.80	– 66.00%
निवल लाभ Net Profit	**561.72**	**584.26**	**4.01%**

3.2 बैंक की कुल आय (ब्याज आय और ब्याजेतर आय का योग) पिछले वित्त वर्ष के ₹19,606.29 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान ₹1,432.62 करोड़ (7.31%) की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹21,038.91 करोड़ हो गई।

3.3 प्रमुख क्षेत्रों से प्राप्त ब्याजेतर आय वित्तीय वर्ष 2013-14 के ₹1,077.39 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹57.71 करोड़ (5.36%) की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹1,135.10 करोड़ तक बढ़ गई। कुल ब्याजेतर आय 31.03.2014 के ₹1,647.72 करोड़ से -10.03% घटकर 31.03.2015 को ₹1,482.47 करोड़ हो गई।

3.4 वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान परिचालन व्ययों में 5.57% की वृद्धि हुई है और यह वित्तीय वर्ष 2013-14 के ₹2,392.01 करोड़ की तुलना में ₹2,525.36 करोड़ रहा।

3.5 स्टाफ पर व्यय वित्त वर्ष 2013-14 के ₹1,190.24 करोड़ से घटकर वर्ष 2014-15 के दौरान ₹1,182.22 करोड़ हो गया ।

3.2 The total Income of the Bank [total of Interest Income and Non-Interest Income] improved to ₹ 21,038.91 crore during the financial year 2014-15 from ₹ 19,606.29 crore in the previous financial year recording a rise of ₹1,432.62 crore [7.31%].

3.3 Non-Interest Income from Core Areas increased by ₹57.71 crore [5.36%] from ₹1,077.39 crore in the financial year 2013-14 to ₹1,135.10 crore in the financial year 2014-15. The Total Non-Interest Income has decreased from ₹1,647.72 crore as on 31.03.2014 to ₹1,482.47 crore as on 31.03.2015 by – 10.03%.

3.4 The Operating Expenses has shown an increase of 5.57% during the financial year 2014-15 and stood at ₹2,525.36 crore as compared to ₹2,392.01 crore in 2013-14.

3.5 Staff expenses decreased from ₹1,190.24 crore during FY 2013-14 to ₹1,182.22 crore during FY 2014-15.

4. कीमत-लागत अंतर विश्लेषण Spread Analysis

(₹ करोड़ में ₹ in crore)

ब्यौरे Particulars	2013-14	2014-15	वृद्धि Growth	
			समग्र Absolute	%
औसत कार्यशील निधियाँ Average Working Funds	1,95,005.00	2,109,60.00	15,955.00	8.18%
कुल ब्याज आय Total Interest Income	17,958.57	19,556.44	1,597.87	8.90%
व्यय किया गया कुल ब्याज Total Interest Expended	14,174.88	15,486.10	1,311.22	9.25%
ब्याज कीमत-लागत अंतर Interest Spread	3,783.69	4,070.34	286.65	7.58%

ब्यौरे Particulars	2013-14	2014-15
निधियों पर प्रतिफल Yield on Funds	9.21%	9.27%
निधियों की लागत Cost of Funds	7.27%	7.34%
अग्रिमों पर आय Yield on Advances	11.29%	11.07%
जमाराशियों की लागत Cost of Deposits	8.03%	7.97%
निवल ब्याज मार्जिन Net Interest Margin	2.10%	2.07%

5. परिचालन लाभ

5.1 परिचालन लाभ 31.03.2014 के ₹3,039.40 करोड़ की तुलना में मामूली कमी के साथ 31.03.2015 को ₹3,027.45 करोड़ हो गया।

5.2 मार्च 2015 की तिमाही हेतु परिचालन लाभ 965.37 करोड़ रहा जिसमें मार्च 2014 की तिमाही के 636.55 करोड़ से 51.66% अधिक है।

5.3 मार्च 2015 तिमाही हेतु निवल ब्याज मार्जिन मार्च 2014 तिमाही के 1.91% के सापेक्ष 2.26% रहा।

5.4 आस्ति उपयोगिता अनुपात (औसत कार्यशील निधियों में सकल लाभ का प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2013-14 के 1.56% के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2014-15 में 1.44% रहा।

6. प्रावधान

6.1 अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान, मानक आस्तियों, कराधान, निवेश मूल्यह्रास एवं अन्य हेतु प्रावधान वित्तीय वर्ष 2013-14 ₹2,477.68 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹2,443.19 करोड़ रहा।

7. निवल लाभ तथा लाभांश

7.1 प्रावधानों को ध्यान में रखने बाद, बैंक का निवल लाभ पिछले वित्तीय वर्ष के ₹561.72 करोड़ की तुलना में 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए ₹584.26 करोड़ तक बढ़ गया।

वर्ष	निवल लाभ [₹ करोड़ में]	वृद्धि %
2012-13	1,434.67	(-) 4.74%
2013-14	561.72	(-) 60.85%
2014-15	584.26	(+) 4.01%

7.2 निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2014-15 हेतु 70% अर्थात प्रत्येक ₹2/- के ईक्विटी शेयर हेतु ₹1.40 का लाभांश संस्तुत किया है।

7.3 वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु लाभांश वितरण कर का भुगतान करेगा। तदनुसार वर्ष 2014-15 हेतु लाभांश वितरण कर सहित लाभांश के लिए कुल ₹139.12 करोड़ का बहिर्गमन होगा।

5. Operating Profit

5.1 The Operating Profit decreased marginally and stood at ₹3,027.45 crore as at the end of March 2015, as compared to ₹3,039.40 crore as on 31.03.2014.

5.2 Operating Profit during March'15 Quarter stood at ₹965.37 crore compared with ₹636.55 crore during March'14 quarter with a growth of 51.66%.

5.3 NIM for the March'15 Quarter stood at 2.26% as against 1.91% during March'14 Quarter.

5.4 The Asset Utilisation Ratio [percentage of Operating Profit to Average Working Funds] stood at 1.44% for the financial year 2014-15 compared to 1.56% for the financial year 2013-14.

6. Provisions

6.1 The Provision for Bad and Doubtful Debts, Provision on Standard Assets, Taxation, Investment Depreciation and others aggregated to ₹ 2,443.19 crore in the financial year 2014-15 as compared to ₹ 2,477.68 crore in the financial year 2013-14.

7. Net Profit and Dividend

7.1 After considering the provisions, the Net Profit of the Bank has increased from ₹ 561.72 crore for the previous financial year to ₹ 584.26 crore for the year ended 31.03.2015.

Year	Net Profit [₹ in crore]	Growth %
2012-13	1434.67	(-)4.74%
2013-14	561.72	(-) 60.85%
2014-15	584.26	(+)4.01%

7.2 The Board of Directors has recommended a Dividend of 70% i.e. ₹1.40 per share of ₹2/- each, for the financial year 2014-15.

7.3 In terms of extant guidelines, the Bank will pay the Dividend Distribution Tax for the Financial Year 2014-15. Accordingly the total outflow on account of Dividend for the year 2014-15 will be ₹139.12 crore including the Dividend Distribution Tax.

7.4 निवल लाभ में से ₹146.66 करोड़ की राशि सांविधिक एवं सामान्य आरक्षित निधियों में विनियोजित की गई, ₹151.50 करोड़ विशेष आरक्षित निधि में अंतरित किए गए, ₹17.32 करोड़ पूँजी आरक्षित निधि में, ₹115.92 करोड़ निवेश आरक्षित निधि में अंतरित की गई। इसके अलावा, ₹15 करोड़ कर्मचारी कल्याण निधि के प्रति विनियोजित किए गए।

8. निवल मालियत एवं सीआरएआर

8.1 बैंक की निवल मालियत 31 मार्च, 2014 के ₹10,085 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2015 को ₹10,484 करोड़ हो गई।

8.2 बैंक ने बेसल III के अनुसार टियर I पूँजी के रूप में फरवरी 2015 के दौरान ₹500 करोड़ के गैर-परिवर्तनीय संचयी बांड जुटाए।

8.3 पूँजी पर जोखिम समायोजित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) जो 31 मार्च, 2014 को 12.21% था, वह 31 मार्च 2015 को 11.80% (बेसल II) रहा, यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियत मानदंड से अधिक है। बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार सीआरएआर अनुपात 31 मार्च, 2014 के 11.64% की तुलना में 31 मार्च, 2015 को 11.09% बनता है।

7.4 Out of the Net Profit a sum of ₹146.66 crore was appropriated to Statutory & General Reserves, ₹151.50 crore was transferred to Special Reserve, ₹17.32 crore to Capital Reserve, ₹115.92 crore to Investment Reserve. Also ₹15 crore was appropriated towards Staff Welfare Fund.

8. Net Worth and CRAR

8.1 The Net Worth of the Bank improved to ₹10,484 crore as on 31st March, 2015 from ₹10,085 crore as on 31st March, 2014.

8.2 The Bank raised Basel III compliant additional Tier I Capital in the form of Non-convertible, Perpetual Bonds amounting to ₹500 crore during February, 2015.

8.3 The Capital to Risk Adjusted Assets Ratio (CRAR) stood at 11.80% (Basel II) as on 31st March, 2015 as against 12.21% as on 31st March, 2014 which is above the norm stipulated by Reserve Bank of India. The CRAR as per Basel III guidelines works out to 11.09% as on 31st March, 2015 as against 11.64% as on 31st March, 2014.

प्रवर्ग Category	बेसल III Basel III		बेसल II Basel II	
	मार्च March 2014	मार्च March 2015	मार्च March 2014	मार्च March 2015
टियर I पूँजी Tier I Capital	8.14%	8.05%	8.37%	8.28%
टियर II पूँजी Tier II Capital	3.50%	3.04%	3.84%	3.52%
योग Total	11.64%	11.09%	12.21%	11.80%

8.4 ईक्विटी पर प्रतिलाभ, प्रति शेयर अर्जन और प्रति शेयर बही मूल्य पिछले वित्त वर्ष के क्रमशः 5.72%, ₹7.15 और ₹120.39 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 में क्रमशः 5.68%, ₹6.97 व ₹125.16 रहे। वर्ष के दौरान दिनांक 22.01.2015 से बैंक के ईक्विटी शेयरों के सम मूल्य को प्रत्येक ₹10/- से घटाकर ₹2/- कर दिया गया है तदनुसार गतवर्ष के आँकड़ों को पुनर्लिखित किया गया है।

9. समेकित लेखे

9.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने 31 मार्च, 2015 के अपने वित्तीय लेखों का अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी अर्थात् कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लि. के लेखों के साथ समेकन किया है। 31 मार्च, 2015 के समेकित विवरण के अनुसार कार्प बैंक ग्रुप की निवल मालियत ₹10,514 करोड़ रही। वित्त वर्ष 2013-14 के क्रमशः ₹3,049.35 करोड़ के परिचालन लाभ और ₹568.48 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में वर्ष 2014-15 हेतु समेकित परिचालन लाभ और निवल लाभ क्रमशः ₹3,019.11 करोड़ और ₹572.87 करोड़ रहे। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानदंडों का अनुपालन किया है।

8.4 The Return on Equity, Earnings Per Share and Book Value per Share for the Financial Year 2014-15 stood at 5.68%, ₹6.97 and ₹125.16 respectively, as against 5.72%, ₹7.15 and ₹120.39 respectively for the previous Financial year. During the year, face value of equity share of the Bank was reduced from ₹10/- to ₹2/- each with effect from 22.01.2015 and accordingly, the previous year figure has been restated.

9. Consolidated Accounts

9.1 As per RBI guidelines, the Bank has consolidated the financial accounts as at 31st March, 2015 with those of its wholly owned Subsidiary viz., Corp Bank Securities Ltd. As per the consolidated statement as on 31st March, 2015, the Net Worth of the Corp Bank group stood at ₹10,514 crore. The consolidated Operating Profit and Net Profit for the financial year 2014-15 are ₹3,019.11 crore and ₹572.87 crore, respectively, compared to ₹3,049.35 crore and ₹568.48 crore, respectively, for the financial year 2013-14. The Bank has complied with the RBI guidelines and the Accounting Standards prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India.

10. बैंक के सेवा–आउटलेट

10.1 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक के कुल सेवा आउटलेट 9,900 के स्तर को पार करते हुए 9,916 तक पहुँच गए जिसमें देश भर में 2,298 शाखाएं, 2,933 एटीएम और 4,685 शाखा रहित बैंकिंग इकाइयाँ शामिल हैं। इनमें से 277 शाखाएं (बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों में खोली 42 शाखाओं सहित), 669 एटीएम और 335 शाखारहित बैंकिंग इकाइयाँ वर्ष के दौरान खोली गई थीं। अपने वर्तमान और भावी एनआरआई ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दुबई एवं हांगकांग में बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय भी हैं। कुल 2,298 शाखाओं में से 576 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, 761 शाखाएं अर्ध शहरी केन्द्रों में, 489 शाखाएं शहरी केन्द्रों में और 472 शाखाएं महानगरीय केन्द्रों में हैं। उसी प्रकार, कुल 2,933 एटीएमों में से 560 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, 902 अर्ध शहरी क्षेत्रों में, 746 शहरी क्षेत्रों में और 725 महानगरों में हैं।

10.2 उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में शाखा विस्तार, ग्राहक सेवा में सुधार, बेहतर प्रशासन एवं व्यवसाय में नियंत्रण एवं देखभाल को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं और व्यवसाय वृद्धि को केंद्र में रखकर लखनऊ अंचल से 22 जिलों को निकालकर 23.05.2014 से वाराणसी में एक नए अंचल की शुरुआत की गई है।

इसे मिलाकर देश भर में बैंक के अब कुल 33 आंचलिक कार्यालय हैं जो बेहतर नियंत्रण, निगरानी और बैंक के कारोबार के विकास हेतु शाखाओं के साथ अनुवर्तन करते हैं। बैंक के मुंबई, दिल्ली, बेंगलूर, चेन्नै, कोलकाता और अहमदाबाद में महा प्रबंधक के अधीन 6 मंडल कार्यालय भी हैं। ये मंडल कार्यालय, कार्पोरेट कार्यालय के विस्तारित अंग के रूप में कार्य करते हैं और ये अपने अधिकार क्षेत्र में आंचलिक कार्यालयों के माध्यम से कारोबार विकास योजनाओं का समर्थन एवं संचालन करने की बेहतर स्थिति में हैं। कार्पोरेट कार्यालय के जिन कार्यों को मंडल कार्यालयों को प्रत्यायोजित किया है, वे हैं आयोजना, विकास एवं संसाधन संग्रहण, ऋण मंजूरी, ऋण जोखिम प्रबंधन, वसूली एवं विधि, मानव संसाधान प्रबंधन, सहयोग सेवा और निरीक्षण एवं लेखा–परीक्षा।

11. विज्ञापन एवं प्रचार

11.1 वर्ष के दौरान बैंक के ब्रैंड और छवि निर्माण हेतु सघन प्रयास किए गए। बैंक ने अपने उत्पादों, सेवाओं, ब्याज दरों एवं निष्पादन से संबंधित सूचना ग्राहकों, शेयरधारकों तथा आम जनता को समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टीवी चैनलों, एफएम रेडियो स्टेशनों, होर्डिंग, ट्रान्सलाइट वेबसाइट, एटीएम इत्यादि के माध्यम से विज्ञापनों एवं प्रचार के ज़रिए पहुँचाना जारी रखा।

12. सरकारी कारोबार और बैंकाश्योरेन्स

12.1 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक का कुल प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर संग्रहण 16.77 लाख चालानों सहित ₹44,453 करोड़ रहा जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 17.33 लाख चालानों सहित ₹43,125 करोड़ था। 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कुल राज्य वैट

10. Bank's Service Outlets

10.1 The Bank's total service outlets crossed 9,900 mark during the year ended 31st March, 2015 to reach 9,916 service outlets, comprising of 2,298 branches, 2,933 ATMs and 4,685 Branchless Banking Units across the country. Out of these 277 branches (including 42 branches opened in unbanked rural centres), 669 ATMs and 353 Branchless banking Units were opened during the year. The Bank is also having its representative offices at Hongkong and Dubai for catering to the existing and prospective NRI customers. Out of the total 2,298 branches, 576 branches are in Rural areas, 761 in Semi-urban centres, 489 in Urban areas and 472 in Metro centres. Similarly, of the total 2,933 ATMs, 560 are in rural areas, 902 in Semi-urban centres, 746 in urban areas and 725 are in metros.

10.2 To explore the potential and with a focused approach for business development in that region, a new Zonal Office was opened at Varanasi on 23.05.2014, with 22 districts carved out from Lucknow zone, for better administration, control and monitoring of the business and for undertaking branch expansion and improve customer service in the eastern part of the Uttar Pradesh.

With the above, the Bank now has a total of 33 zonal offices spread across the country to have a better control, monitoring and follow up with the branches for business development. The Bank also has 6 Circle offices headed by General Managers operating at Mumbai, Delhi, Bangalore, Chennai, Kolkata and Ahmedabad. The Circle offices function as an extended arm of the Corporate Office, better equipped to support and drive business development plans through the Zonal Offices in their Command area. The Corporate office functions that are delegated to Circle offices are Planning, Development and Resource Mobilisation, Credit Sanctions, Credit Risk Management, Recovery and Legal, Human Resource Management, Support Services and Inspection and Audit.

11. Advertisement and Publicity

11.1 During the year, concerted efforts were made for enhancing the brand and image of the Bank. The Bank continued to disseminate messages on its products, services, interest rates and its performance, to the customers, shareholders and the general public through advertisements and publicity in Newspapers, Periodicals, TV Channels, FM Radio Stations, Hoardings, Translites, Website, ATMs, etc.

12. Government Business and Bancassurance

12.1 The total Direct/Indirect tax and Customs duty collections of the Bank for the year ended 31st March, 2015 reached ₹ 44,453 crore from 16.77 lakh challans as compared to ₹43,125 crore from 17.33 Lakh challans

संग्रहण 6.56 लाख चालानों में ₹6,597 करोड़ तक पहुँचा जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 5.05 लाख चालानों में ₹5,884 करोड़ रहा। संग्रहीत राशि और चालानों के अंतर्गत क्रमशः 12.12% और 29.90% की वृद्धि दर दर्ज हुई।

12.2 बैंक ने मार्च 2015 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु सरकारी कारोबार के अंतर्गत ₹7.93 करोड़ की आय प्राप्त की है जबकि पिछले वर्ष यह ₹8.69 करोड़ थी। ई-पेमेंट के मामले में कमीशन को ₹45 प्रति चालान से घटाकर ₹12 प्रति चालन करने से कर संग्रहण से होने वाली आय प्रभावित हुई है।

12.3 वर्ष के दौरान बैंक द्वारा की गई कुछ नई पहल हैं - 11 राज्यों में जहाँ बैंक पहले से ही कर संग्रहण हेतु प्राधिकृत है के अलावा राजस्थान छत्तीसगढ़ और दामन एवं दीयू संध शासित प्रदेश में राज्य कर का कारोबार करने संघ का अधिकार बैंक को प्राप्त हुआ है। वित्त मंत्रालय ने हमारे बैंक को सभी 16 रेलवे अंचलों में रेल माल भाड़ा संबंधी ई-पेमेंट के लिए प्राधिकृत किया है। बैंक ने इस संबंध में ई-माल भाड़ा खाता के लिए व्यवसायिक घरानों से संपर्क किया है। केरल राज्य सरकार के ई-ट्रेजरी पोर्ट के साथ समन्वयन प्राप्त किया है जिसके माध्यम से नामित बैंक के नेट बैंकिंग सुविधा से सरकार के पक्ष में भुगतान किया जा सकता है तथा तमिलनाडु सरकार के परिवहन विभाग के कर /शुल्क के संग्रहण हेतु भी अधिकार प्राप्त किया है।

12.4 बैंकाश्योरेन्सः बैंक ज़ोर-शोर से जीवन बीमा, साधारण बीमा और म्यूचुअल फंड व्यवसाय के बैंकाश्योरेन्स उत्पादों का विपणन करता रहा है। वर्ष के दौरान बैंक ने इन व्यवसायों से गत वर्ष के ₹ 10.85 करोड़ के सापेक्ष ₹10.46 करोड़ आय अर्जित की है । बैंक ने एलआईसी व्यवसाय से ₹7.12 करोड़ , सामान्य बीमा व्यवसाय से ₹3.09 करोड़ तथा म्युचुअल फंड व्यवसाय से ₹0.25 करोड़ की कमाई की है.

13. कार्पोरेशन बैंक आर्थिक विकास मंच

13.1 वित्तीय वर्ष 2014-2015 के दौरान, एक जिम्मेदार कार्पोरेट नागरिक के नाते बैंक ने अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता निभाने के लिए मूलभूत ज़रूरतों और समाज के व्यापक हित पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कई कल्याणकारी उपाय शुरू किए हैं।

13.2 कार्पोरेशन बैंक आर्थिक विकास मंच (पं) को बैंक की एक लाभ-रहित आर्थिक इकाई के रूप में वर्ष 1992 में शुरू किया गया था और वह कार्पोरेट मिशन के अनुरूप अपने सामाजिक दायित्व को निभाते आ रहा है। वर्ष 2014-15 के दौरान सीबीईडीएफ के माध्यम से सामाजिक सरोकार की विभिन्न परियोजनाओं के निष्पादन हेतु ₹615.85 लाख के वित्तीय अनुदान वितरित किए गए। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान सीबीईडीएफ द्वारा निष्पादित गतिविधियों में कुछ बड़े प्रोजेक्ट निम्नलिखित हैं-

collected during the last year. The total State VAT collections for the year ended 31st March, 2015, reached ₹6,597 crore from 6.56 Lakh challans as against ₹5,884 crore from 5.05 Lakh challans collected last year, with a growth rate of 12.12% and 29.90% respectively under amount collected and challans handled.

12.2 The Bank has earned an aggregate income of ₹7.93 crore under Govt. Business during the FY ended March 2015 as compared to ₹8.69 crore earned last year. The downward revision of commission from ₹45 to ₹12 per challan in case of e-payments has impacted the income generated out of tax collection.

12.3 Some of the new initiatives undertaken by the Bank during the year are – Secured authorization for handling State taxes for the states of Rajasthan, Chhattisgarh and UT of Daman & Diu in addition to 11 states where the Bank is already authorized for state tax collections. Ministry of Finance has authorized the Bank to handle E-payment of Railway Freight in all 16 Railway Zonal offices. The Bank has approached Corporates in this regard for E-Freight accounts. The Bank has secured authorization for integration with e-treasury portal of Kerala State Government, which enables remitters to make online payment in favour of Government using net banking facility of designated banks and also secured authorization for collecting fees/taxes of Transport Dept. of Govt. of Tamilnadu.

12.4 Bancassurance : Bank has been aggressively marketing Bancassurance products like Life insurance, General insurance and Mutual Fund business. During the year, the Bank has earned an income of ₹10.46 crore from these businesses as compared to ₹10.85 crore in the previous year. During the year, Bank has earned ₹7.12 crore from LIC business, ₹3.09 crore from General Insurance business and ₹0.25 crore from Mutual Fund business.

13. Corporation Bank Economic Development Foundation

13.1 As a responsible Corporate citizen, the Bank initiated several welfare measures aiming at the under privileged Sections of the society in fulfillment of its commitment to social priorities, during the financial year 2014-2015.

13.2 The Corporation Bank Economic Development Foundation® a non-profit economic outfit Trust, founded in the year 1992, has been pursuing its objectives of fulfilling social obligation in tune with corporate mission. Financial grants to the extent of ₹615.85 lakhs were disbursed for execution of various projects of social concerns during the year 2014-15, through CBDEF. Amongst others, CBEDF implemented following major projects during FY 2014-15.

13.2.1 "कार्प किरण" – बैंक कार्यपालकों की पत्नियों का संघ

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान अल्पसुविधाप्राप्त लोगों के कल्याण हेतु "कार्प किरण" के माध्यम से सीएसआर क्रियाकलापों के तहत विभिन्न संस्थाओं को ₹22.34 लाख प्रदान किए। क्रियाकलापों में गरीब स्कूली छात्रों को तथा अनाथाश्रमों, वृद्धाश्रमों, निराश्रित गृहों के निवासियों को खाना, कपड़े, पुस्तकें आदि देना, शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम लोगों को सहायता देना, पीड़ित निर्धन लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना, पर्यावरण सजगता पहल को समर्थन देना, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और गरीब लोगों के लाभ के लिए अन्य समुदाय विकास क्रियाकलाप करना शामिल है।

13.2.2 कार्पोरेशन बैंक स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (सीओबीएसईटीआई)

22.03.1996 को चिकमगलूर में स्थापित तथा 23.01.2013 को कोडगु में स्थापित कार्पोरेशन बैंक स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (सीओबीएसईटीआई) बैंक द्वारा प्रायोजित एक प्रशिक्षण संस्थान हैं जो चिकमगलूर और कोडगु जिलों के बेरोज़गार युवकों की व्यावसायिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जहाँ बैंक को अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है। प्रारंभ से लेकर दोनों संस्थानों द्वारा 27,351 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है। काबसेटी द्वारा नियमित ईडीपी के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों में से 10673 बस गए हैं, जो 78% सफलता की दर दर्शाता है। बैंक ने वर्ष के दौरान दोनों संस्थाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ₹33.66 लाख का व्यय किया है। कार्पोरेशन बैंक स्वनियोजन प्रशिक्षण संस्थान, चिकमगलूर को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से लगातार दूसरे वर्ष 2014 के लिए "एए" प्रशिक्षण संस्थान का दर्जा दिया गया है। वर्ष 2014–15 के दौरान बैंक ने कोडगु जिला में कुशालनगर के पास कुडिगे में ₹1.17 करोड़ के सहयोग से काबसेटी संस्था का नया कैंपस स्थापित किया है।

13.2.3 "ग्रामीण अभ्युदय वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श न्यास" (जीएएफएलसीसी ट्रस्ट)

बैंक ने विभिन्न केन्द्रों में 'वित्तीय साक्षरता परामर्श केन्द्र' (एफएलसी) स्थापित करने के लिए "ग्रामीण अभ्युदय वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श न्यास" (जीएएफएलसीसी ट्रस्ट) को प्रायोजित किया है। ये केन्द्र लोगों को अपनी आर्थिक आवश्यकताओं एवं सशक्तिकरण के लिए बैंक खाते की उपयोगिता के बारे में शिक्षित करते हैं । ये केंद्र, बैंक में बचत, बीमा और ऋण से संबंधित उत्पाद/सेवाओं आदि सहित वित्तीय पहलुओं के आधार पर उधारकर्ताओं को परामर्श भी देते हैं। 31.03.2015 तक की स्थिति के अनुसार जीएएफएलसीसी ट्रस्ट ने 4 ज़िला स्तरीय और 17 ब्लॉक स्तरीय एफएलसीसी केन्द्र स्थापित किए हैं।

बैंक ने वर्ष 2014–15 के दौरान उक्त ट्रस्ट के आवर्ती लागत ₹37.00 लाख प्रदान किया है। ट्रस्ट ने स्कूलों, कॉलेजों, अन्य संस्थाओं, स्वसहायता समूहों व अन्य स्थानों में 2271 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए हैं जिनमें 1,15,219 व्यक्तियों ने भाग लिया।

13.2.1 "CorpKiran"– Association of Spouses of Bank Executives

Through "CorpKiran", the Bank granted ₹22.34 lakhs to various Institutions during 2014-15, for the welfare of the underprivileged. The activities included providing food, clothing, books, etc., to poor school children and inmates of orphanages, old age homes, destitute homes, helping physically and mentally challenged people, extending medical help to poor people in distress, supporting green initiatives, conducting awareness programmes and other community development activities benefitting poor people.

13.2.2 Corporation Bank Self Employment Training Institutes [COBSETI]

The Corporation Bank Self Employment Training Institutes established on 22.03.1996 in Chikmagalur and on 23.01.2013 at Kodagu are sponsored by the Bank to cater to the training needs of the rural unemployed youth hailing from the districts of Chikmagalur and Kodagu, where the Bank has lead bank responsibility. 27351 candidates have been trained by both the institutes since inception. 10673 candidates trained under EDP by COBSETI Chikmagalur, have settled indicating a success rate of 78%. The Bank has incurred an expenditure of ₹33.66 lakh during the year for conducting the training programmes at both the Institutes. COBSETI, Chikmagalur has been graded as "AA" Training Institute by the Ministry of Rural Development for second year in a row for the year 2014. The Bank has developed a new campus for COBSETI Institute at Kudige near Kushalnagar in Kodagu District by providing financial support of ₹1.17 crore in 2014-15.

13.2.3 "Gramina Abhyudaya Financial Literacy and Credit Counselling Trust" [GAFLCC Trust]

The Bank has sponsored GAFLCC Trust for establishing "Financial Literacy Centres"[FLCs] at various locations. These Centres educate people about the usefulness of the Bank account for all their economic needs and empowerment. The Centres also provide counseling to the borrowers on the financial aspects including insurance, savings and credit related products/services in the Bank etc. As on 31.03.2015, GAFLCC Trust has established 4 District level and 17 Block level FLC centers.

The Bank has provided ₹37.00 Lakh for meeting the recurring cost of the Trust, during the year 2014-15. The Trust has conducted 2271 Financial Literacy Camps at schools, colleges, other institutions, SHGs and others, involving 1,15,219 persons.

13.2.4 पीएमजेडीवाई के प्रचार

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत बैंक ने 21,18,067 नए खाते खोले हैं। हजारों लोग अपने इन खातों में लेन-देन करके जमीनी स्तर पर बैंकिंग सेवा के फायदों का अनुभव उठा रहे हैं। मल्टिमीडिया प्रचार ने पीएमजेडीवाई के बारे में जागरूकता फैलाने में काफी मदद की है तथा बैंक ने इस उद्देश्य के लिए ₹1.44 करोड़ का सहयोग दिया है।

13.2.5 एसएचजी निर्माण

बैंक ने कर्नाटक के पांच जिलों में 12100 नए स्व सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए ₹1.21 करोड़ का व्यय किया है। इस बड़ी पहल के माध्यम से इन एसएचजी के सदस्यों वाले 1,81,500 परिवारों की मदद करके उन्हें वित्तीय सशक्तता प्रदान की है। अब इनकी पहुँच जमा और ऋण सुविधाओं सहित बैंकिंग सुविधाओं तक है। इन्हें अपने संबंधित समूह के दस्तावेजों तथा खातों के रखरखाव के बारे में भी प्रशिक्षित किया जाता है। समूहों की नियमित बैठकों के आयोजन से सदस्यों को उन्मुक्त विचार विमर्श करने एवं आर्थिक रूप से और अधिक सक्षम बनने हेतु प्रोत्साहन मिलता है।

14. राजभाषा का प्रगामी प्रयोग

14.1 बैंक, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 तथा राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

14.2 राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक का समग्र निष्पादन अच्छा रहा है। बैंक को राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग से माननीय राष्ट्रपति के करकमलों से इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड प्राप्त हुई।

14.3 बैंक के संयोजकत्व में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), मंगलूर, को माननीय भारत के राष्ट्रपति के हाथों से नराकास की श्रेणी में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इंदिरा गाँधी राजभाषा पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।

14.4 इसके अतिरिक्त बैंक को कर्नाटक राज्य के माननीय राज्यपाल के हाथों से क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट निष्पादन हेतु प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।

14.5 बैंक मंगलूरु, बेलगाम, विजयवाड़ा एवं नेल्लूर तथा दक्षिण भारत स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति का संयोजक है। प्रत्येक वर्ष बैंकों/सदस्य संगठनों के स्टाफ सदस्यों के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।

13.2.4 PMJDY publicity

Under Prime Minister's Jan Dhan Yojana (PMJDY), the Bank has opened 21,18,067 new accounts. Thousands of account holders are making transactions in their accounts and experiencing the benefits of banking services at grassroot level. Multimedia publicity has helped to a great extent to create awareness about PMJDY in the remote rural areas and Bank has contributed ₹1.44 crores for this purpose.

13.2.5 SHG formation

The Bank has spent ₹1.21 crore for promoting 12100 new Self Help Groups (SHGs) in 5 districts of Karnataka. Through this major initiative, Bank has helped about 1,81,500 families, who are members of these SHG groups to become financially empowered. They now have access to banking facilities including deposits and loans. They also receive training in record maintenance and account keeping of their respective groups. Regular meetings of the groups encourage the members to freely interact and become more financially independent.

14. Progressive use of Official Language:

14.1 The Bank ensures compliance of the provision of Official Languages Act, 1963, Official Languages Rules, 1976 and various directions with regard to Official Language issued from time to time by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Financial Services Department, Ministry of Finance and the Reserve Bank of India.

14.2 The overall performance of the Bank in the field of official language implementation during the year 2014-15 has been very good. Bank received Indira Gandhi Rajbhasha Shield constituted by Deptt. of Official Language, Ministry of Home Affairs, Govt. of India in the benign hands of the Hon. President of India for doing excellent work in the field of Official Language.

14.3 The Town Official Language Implementation Committee (TOLIC), Mangaluru, under the convenorship of the Bank, secured Indira Gandhi Rajbhasha Shield and received Ist Prize in TOLIC category from the Deptt. of Official Language, Ministry of Home Affairs, Govt. of India in the benign hands of Hon. President of India.

14.4 Apart from this, Bank received Ist Prize from Regional Implementation Office (South), Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Govt. of India for excellence in the field of Official Language implementation, by the benign hands of Hon. Governor of the Karnataka State.

14.5 The Bank is the convenor of Town Official Language Implementation Committee (TOLIC), Mangaluru, Belgaum, Vijayawada and Nellore as well as that of the Official Language Committee of South Based Public Sector Banks. Various activities are conducted every year for the benefit of staff members of member organisations/banks.

14.6 वित्त वर्ष के दौरान राजभाषा संसदीय समिति की तीसरी उपसमिति ने मैसूर अंचल का दौरा किया तथा बैंक में राजभाषा कार्यान्वयन के प्रयासों की सराहना की।

14.7 बैंक दक्षिण भारत स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की राजभाषा समिति का संयोजक है। वर्ष के दौरान सुश्री नीता चौधरी, आईएएस, सचिव राजभाषा, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की उपस्थिति में दिनांक 06 सितंबर 2014 को मडिकेरी, कर्नाटक में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की एक विशेष बैठक आयोजित की गई।

14.8 07 सितंबर, 2014 को नीता चौधरी, आईएएस, सचिव राजभाषा, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रधान कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन के कार्यों की समीक्षा की तथा बैंक एवं नराकास के सदस्य संगठनों के उच्च कार्यपालकों हेतु राजभाषा सेमिनार का आयोजन भी किया गया।

14.9 बैंक ने दिनांक 28 फरवरी, 2015 को श्रीमती पूनम जुनेजा, संयुक्त सचिव(राभा), गृह मंत्रालय, भारत सरकार की उपस्थिति में वित्त मंत्रालय के तत्वाधान में संसदीय समिति की अपेक्षाओं पर एक सेमिनार का आयोजन किया।

14.10 दिनांक 28 मार्च, 2015 को श्रीमती स्नेह लता कुमार, आईएएस सचिव (राभा), श्रीमती पूनम जुनेजा, संयुक्त सचिव, राजभाषा, हरीन्द्र कुमार, निदेशक (कार्या.), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रधान कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन के कार्यों का समीक्षा की तथा उनकी उपस्थिति में बैंक के उच्च कार्यपालकों हेतु राजभाषा सेमिनार का आयोजन भी किया गया।

14.11 बैंक राजभाषा हिंदी को लोकप्रीय बनाने के लिए कई प्रकाशन निकालता है। इसमें बैंक की तिमाही हिंदी गृह पत्रिका, ''मंगला'', नराकास की हिंदी पत्रिका ''त्रिधारा'', एवं दक्षिण भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पत्रिका ''भारत भारती'' शामिल हैं। इन प्रकाशनों के साथ – साथ बैंक ने वार्षिक कार्यक्रम एवं प्रोत्साहन योजनाओं पर एक बुकलेट 2014–15, हिंदी कार्यशाला हेतु पुस्तिका, वित्त मंत्रालय के विभिन्न आदेशों का संग्रह तथा विभिन्न ब्रोशर का प्रकाशन भी किया है।

14.12 स्टाफ सदस्यों के लाभार्थ हिंदी कार्यशालाएँ एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किए गए ।

15. बैंक द्वारा प्रायोजित अनुषंगियों और अन्य इकाइयों का निष्पादन

15.1 **कार्प बैंक सिक्युरिटीज़ लिमिटेड:** बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी कार्प बैंक सिक्युरिटीज़ (सीबीएसएल) ने वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान ₹9.93 करोड़ की कुल आय, ₹9.17 करोड़ का कर पूर्व लाभ तथा ₹6.12 करोड़ का कर उपरांत लाभ (₹1.85 करोड़ के कर प्रावधान और ₹0.0004 करोड़ की आस्थगित कर आस्ति के प्रत्यावर्तन और ₹1.19 करोड़ के मैट क्रेडिट समायोजन के

14.6 During the Financial Year, the Third Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language visited the Zonal Office Mysore and appreciated the efforts being made by the Bank in official language Implementation.

14.7 Bank is the Convenor of the Official Language Implementation Committee of the south based Public Sector Banks. During the year a special meeting of the official language implementation committee of South based Public Sector banks was convened at Madikeri, Karnataka on 06th Sept., 2014 in the presence of Ms. Nita Choudhary, IAS, Secretary, Official Language, Ministry of Home Affairs, Govt. of India.

14.8 On 07th Sept., 2014 Ms. Nita Chaudhary, IAS, Secretary, Official Language, Ministry of Home Affairs, Govt. of India reviewed the O.L. implementation work at the Head office of the Bank and an official language seminar for top executives of the Bank and member organisations of TOLIC, Mangaluru, was also organised.

14.9 Bank organized a seminar on the Expectations of Parliamentary Committee on O.L. under the auspices of Ministry of Finance in the presence of Smt. Poonam Juneja, Joint Secretary (OL), Ministry of Home Affairs, Govt. of India, on 28th Feb., 2015.

14.10 On 28 March 2015, Mrs. Sneh Lata Kumar, IAS, Secretary (OL), Mrs. Poonam Juneja, Joint Secretary (OL), Harindar Kumar, Director (Impl.), Deptt. of Official Language, Ministry of Home affairs, reviewed the progress in implementation of Official Language at head office and an Official Language Seminar for Top Executives of Bank was arranged in their presence. The efforts of the Bank in the field of official Language implementation, was appreciated at the meeting.

14.11 The Bank is bringing out various publications for popularizing Official Language Hindi. These include "Mangala" – quarterly Hindi house-journal of the Bank, "Tridhara" – Hindi Journal published on behalf of TOLIC, Mangaluru and "Bharat Bharati" – Hindi journal published on behalf of Official Language Committee of South Based Public Sector Banks. Apart from these publications bank has published a booklet an Annual Programme and Incentive Schemes 2014-15, A book on Hindi Workshop, Compendium of the orders of Ministry of Finance and various brochures.

14.12 Hindi workshops and training programmes were conducted on a regular basis for the benefit of staff members.

15. Performance of Subsidiaries and other units sponsored by the Bank

15.1 **Corp Bank Securities Limited**: The Bank's wholly owned subsidiary, Corp Bank Securities Limited (CBSL) has earned a total income of ₹9.93 crore, posted Profit Before Tax of ₹9.17 crore and Profit After Tax of ₹6.12

लेखांकन के बाद) अर्जित किया है जबकि वित्त वर्ष 2013-14 हेतु ये आंकड़े क्रमशः ₹10.29 करोड़, ₹9.96 करोड़ और ₹6.77 करोड़ (1.96 करोड़ के कर प्रावधान और ₹0.54 करोड़ की आस्थगित कर आस्ति के प्रत्यावर्तन का लेखांकन किया जबकि उपलब्ध ₹0.69 करोड़ के मैट क्रेडिट वापस जोड़ा गया) थे। 31.3.2015 को प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी ₹75 करोड़ रही जबकि ₹10.00 करोड़ के अंतिम लाभांश तथा ₹1.70 करोड़ के लाभांश वितरण कर की अदायगी और अधिशेष के पुनर्निवेश के बाद निवल मालियत ₹104.22 करोड़ रही। मार्च 2015 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु प्रति शेयर अर्जन ₹0.82 रहा जबकि मार्च 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए यह ₹0.90 था। कंपनी म्युचुअल फंड उत्पादों के वितरण और जमा प्रमाणपत्रों, ट्रेज़री बिलों आदि जैसी अनुमोदित प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग जैसे क्रियाकलाप जारी रखी हुई है। कंपनी को ईक्विटी ब्रोकिंग कारोबार शुरू करने के लिए आवश्यक विनियामक अनुमोदन और कनेक्टिविटी प्राप्त हुई है और उक्त कारोबार को वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान सक्रिय करने का प्रस्ताव है।

16. निदेशक मंडल की संरचना

16.1 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं।

16.2 दिनांक 10.06.2014 से श्री अरुण पसरीचा को भारिबैं के नामिती निदेशक के रूप में बैंक के निदेशक मंडल में नामित किया गया था।

16.3 श्री सुशोभन सरकेर, सुश्री चित्रा गौरी लाल तथा श्री रमेश कुमार भट् बैंक के निदेशक मंडल में शेयरधारक निदेशक के रूप में चयनित हुए और 26 अगस्त 2014 से उन्होंने कार्यभार सँभाला।

16.4 श्री प्रद्युम्न कुमार जेना को 23.02.2015 से बैंक के निदेशक मंडल में श्री अरुण पसरीचा की जगह पर भारिबैं के नामिती निदेशक के रूप में नामित किया गया ।

16.5 इस अवधि के दौरान निम्नलिखित सदस्य बैंक के निदेशक मंडल से सेवानिवृत्त हुए-

- श्री यू एस पालिवाल, भारिबैं नामिती निदेशक से 09.06.2014 को
- श्री सुशोभन सरकेर, श्री कवलजीत सिंह ओबेराई तथा शब्बीर एस पाशा शेयरधारक निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के समाप्त होने पर 22.08.2014 को सेवानिवृत्त हुए।
- श्री विंसेंट डिसुजा, कर्मचारी निदेशक के पद से 27.12.2014 को सेवानिवृत्त हुए
- श्री अरुण पसरीचा, 22.02.2015 को भारिबैं नामिती निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए ।
- श्री अमर लाल दौलतानी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के बाद 31.03.2015 को कार्यपालक निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए ।

16.6 निदेशक मंडल, बोर्ड/बोर्ड की समितियों की बैठकों में विचार-विमर्श के दौरान तथा बैंक के निदेशक के पद पर रहते हुए अपने कार्यकाल के दौरान बैंक के व्यापार संचालन में श्री यू एस पालिवाल, श्री विंसेंट डिसूजा, श्री सुशोभेन सरकेर, श्री कवलजीत सिंह

crore (after accounting for tax provision of ₹1.85 crore, reversal of deferred tax asset of ₹0.0004 crore and MAT credit set off of ₹1.19 crore) for F.Y. 2014-15, while the corresponding figures for F.Y. 2013-14 were ₹10.29 crore, ₹9.96 crore and ₹6.77 crore respectively (after accounting for tax provision of ₹1.96 crore, reversal of deferred tax asset of ₹0.54 crore and ₹0.69 crore being MAT credit set off). The Paid up Equity Share Capital remained at ₹75 crore as on 31.3.2015 while the Net worth stood at ₹104.22 crore, after providing for ₹10.00 crore towards interim & final dividend and ₹1.70 crore as dividend distribution tax thereon, with the plough back of surplus. The Earning per Share for fiscal ended March, 2015 was ₹0.82 while it was ₹0.90 for the fiscal ended March, 2014. The Company continues to pursue its activity of distribution of Mutual Fund Products and trading in approved Securities like Certificate of Deposits, Treasury Bills etc. The Company has secured requisite regulatory approvals for commencement of equity broking business and activity is proposed to be started during the FY 2015-16.

16. Constitution of Board of Directors

16.1 The following changes have taken place in the Board of Directors of the Bank during the financial year ended 31st March, 2015.

16.2 Shri Arun Pasricha was appointed as the RBI Nominee Director on the Board of the Bank with effect from 10.06.2014.

16.3 Shri Sushobhan Sarker, Ms. Chitra Gouri Lal and Shri Ramesh Kumar Bhat, were elected as Shareholder Directors on the Board of the Bank and they resumed office with effect from 26th August, 2014.

16.4 Shri Pradyumna Kumar Jena, was appointed RBI Nominee Director on the Board of the Bank with effect from 23.02.2015, in place of Shri Arun Pasricha.

16.5 The following members retired from the Board of the Bank during the period:

- Shri U. S. Paliwal as RBI Nominee Director on 09.06.2014.
- Shri Sushobhan Sarker, Shri Kawaljit Singh Oberoi and Shri Shabbeer S. Pasha, retired on completion of their term as shareholder directors on 22.08.2014.
- Shri Vincent D'Souza, Workmen Employee Director retired on 27.12.2014.
- Shri Arun Pasricha retired as RBI Nominee Director on 22.02.2015.
- Shri Amar Lal Daultani completed his term of office as Executive Director on attaining superannuation on 31.03.2015.

16.6 The Board places on record its appreciation for the guidance and counsel received from Shri U. S. Paliwal, Shri Vincent D'Souza, Shri Sushobhan Sarker, Shri Kawaljit Singh Oberoi, Shri Shabbeer S. Pasha, Shri Arun Pasricha and Shri Amar Lal Daultani, during

ओबेराय, श्री शब्बीर पाशा तथा श्री अमर लाल दौलतानी से प्राप्त मार्गदर्शन एवं विवेकपूर्ण परामर्श की सराहना को दर्ज करता है।

17. निदेशकों के दायित्व विवरण

निदेशक पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों की तैयारी में।

17.1 महत्त्वपूर्ण विचलन, यदि कोई है, के संदर्भ में उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है।

17.2 लेखा नीतियों का चयन करके उन्हें सतत रूप से लागू किया गया तथा ऐसे अनुमान और प्राक्कलन किए गए जो युक्तिसंगत और विवेकसम्मत हैं कि वे वित्त वर्ष के अंत में बैंक की स्थिति और उक्त अवधि के लिए बैंक के लाभ और हानि की वास्तविक एवं सही तस्वीर दें। लेखा नीतियों में कोई परिवर्तन किया हो तो उसका उचित प्रकटन किया गया है।

17.3 बैंक की आस्तियों को सुरक्षित रखने तथा कपट एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने हेतु इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों को रखने के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई।

17.4 वार्षिक लेखे सतत संस्था आधार पर तैयार किए गए थे।

17.5 बैंक द्वारा अनुपालन करने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए थे और यह कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे और कारगर रूप से काम कर रहे थे।

17.6 सभी लागू विधियों के प्रावधानों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ निर्धारित की गई थीं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और कारगर रूप से काम कर रही थीं।

18. आभार

18.1 बैंक के शेयरधारकों, प्रतिष्ठित ग्राहकों, शुभचिंतकों, शेयर अंतरण एजेंट और भारत तथा भारत के बाहर के प्रतिनिधियों को उनकी सद्भावना, संरक्षण तथा हार्दिक सहयोग हेतु निदेशकगण धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

18.2 भारत सरकार, कर्नाटक सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), बीएसई, एनएसई, एनएसडीएल, सीडीएसएल, विभिन्न राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं और बैंक के सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों से बैंक परिचालन में प्राप्त बहुमूल्य एवं समयोचित परामर्श, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए, निदेशकगण कृतज्ञतापूर्वक आभार ज्ञापित करते हैं।

18.3 निदेशकगण, सभी स्तरों के स्टाफ सदस्यों को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने वर्ष के दौरान बैंक की चहुँमुखी प्रगति से और ऊँचाइयाँ पाने के लिए योगदान दिया और आने वाले वर्षों में कार्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उनकी सतत सहभागिता की आशा करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

स्थान : मंगलूरु
दिनांक : 28.05.2015

(एस. आर. बंसल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

deliberations of the Board/Committees of the Board and also in the conduct of the Bank's business during their tenure of office as Directors of the Bank.

17. Directors' Responsibility Statements

The Directors confirm that in the preparation of the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2015.

17.1 The applicable Accounting Standards had been followed along with proper explanation relating to material departures, if any.

17.2 Accounting Policies had been selected and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for that period.

17.3 Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate Accounting Records in accordance with the provisions of the relevant Acts for safeguarding the assets of the bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

17.4 The Annual Accounts were prepared on a going concern basis.

17.5 Internal financial controls had been laid down to be followed by the Bank and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.

17.6 Proper systems were in place to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

18. Acknowledgements

18.1 The Directors thank the shareholders, valued customers, well-wishers, Share Transfer Agent and correspondents of the Bank in India and abroad for their goodwill, patronage and support.

18.2 The Directors acknowledge with gratitude the valuable and timely advice, guidance and support received from Government of India, Government of Karnataka, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India (SEBI), BSE, NSE, NSDL, CDSL, various State Governments, Financial Institutions and the Statutory Central Auditors of the Bank, in the functioning of the Bank.

18.3 The Directors place on record their deep appreciation of the valuable contribution of the members of the staff at all levels for the progress of the Bank during the year and look forward to their continued co-operation in realisation of the corporate goals of the Bank in the years ahead.

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Mangaluru
Date : 28.05.2015

(S. R. Bansal)
Chairman & Managing Director

प्रबंधन विवेचन और विश्लेषण
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. द्विमासिक मौद्रिक नीति 2014–15

उर्जित पटेल पैनल की अनुशंसा के अनुसार भारिबैं ने वर्ष 2014–15 से अपनी पूर्ववर्ती एकल वार्षिक नीति तथा तिमाही / मध्य तिमाही समीक्षा धय की प्रथा के स्थान पर मौद्रिक नीति को द्विमासिक बनाना शुरू किया है।

अपनी पहली द्विमासिक समीक्षा बैठक में भारिबैं ने वर्ष 2013–14 के 5% से थोड़ी कम के जीडीपी वृद्धि दर से वर्ष 2014–15 के दौरान 5.5% केंद्रीय आकलन में कमी का जोखिम लेते हुए वास्तविक जीडीपी को 5 से 6% तक बढ़ने का चित्रण किया । 2004–05 से आधार वर्ष को 2011–12 किए जाने के बाद भारिबैं ने 2014–15 हेतू जीडीपी के वृद्धि की दर को 7.5% तक कर दिया। भारतीय रिज़र्व बैंक सीपीआई मुद्रास्फिति को जनवरी, 2015 तक 8 प्रतिशत और जनवरी, 2016 तक 6 प्रतिशत रखते हुए अर्थव्यवस्था को अवस्फिति की स्थिति में रखने हेतु प्रतिबद्ध है।

द्विमासिक समीक्षा में घोषित मुख्य मौद्रिक एवं तरलता उपाय निम्नलिखित हैं –

- सभी छ द्विमासिक मौद्रिक नितियों में अनुसूचित बैंकों के लिए नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को उनकी निवल माँग तथा देयता के 4.0% ही रखा।
- बढ़ती हुई मुद्रास्फिति के परिप्रेक्ष्य में भारिबैं ने 15 जनवरी, 2015 तथा 4 मार्च, 2015 (दोनों नीति समीक्षा से बाहर) को दो बार रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती करते हुए इसे 7.50% तक नीचे लाया । तदनुसार एलएएफ के अंतर्गत रिवर्स रेपो रेट जो रेपो रेट से 100 आधार अंक नीचे निर्धारित की जाती है वह अपने आप समायोजित होकर 6.50% हो गया। मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा (एमएसएफ) दर जो रेपो रेट से 100 आधार अंक उपर निर्धारित की जाती है को 8.50% पर समायोजित किया गया।
- एसएलआर में भा.रि.बैं. ने वित्त वर्ष 15 में दूसरी, तीसरी एवं छठवीं द्विमासिक मौद्रिक नीतियों में क्रमशः 50 आधार अंक की तीन बार कटौती करते हुए इसे 21.50% तक कम कर दिया।
- इसकी पहली द्विमासिक समीक्षा में 7 दिन से 14 दिन तक के टर्म रेपो के अंतर्गत दी जाने वाली तरलता को बैंकिंग सिस्टम के एनडीटीएल के 0.5% से बढ़ाकर 0.75% तथा एलएएफ के अंतर्गत ओवरनाइट रेपो के द्वारा दी जाने वाली तरलता को घटाकर बैंकवार एनडीटीएल 0.5% से 0.25 कर दिया गया।
- वित्तीय बाजार में बैंकों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति में एचटीएम(परिपक्वता तक धारित) प्रतिभूतियों की सीमा को 9 अगस्त, 2014 से एनडीटीएल के 24.5% से कम करते हुए 24% करने का निर्णय लिया गया तथा 10 जनवरी, 2015 से शुरू हो रहे पखवाड़ा से 19 सितंबर, 2015 को शुरू होने वाले पखवाड़ा के बीच इसे क्रमशः घटाते हुए एनडीटीएल के 22% तक करने का निर्णय चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति में लिया गया।

1. Bi-monthly Monetary Policy 2014-15

In line with the recommendation of the Urjit Patel panel on monetary policy, from 2014-15 onwards, the RBI started formulating bi-monthly monetary policy against its earlier practice of single Annual Policy & quarterly/mid-quarter reviews.

In its first bi-monthly review RBI projected the real GDP growth to pick up from a little below 5% in 2013-14 to a range of 5 to 6% in 2014-15 albeit with downside risks to the central estimate of 5.5%. With revision in the base year to 2011-12 from 2004-05, RBI revised the GDP growth projection for 2014-15 to 7.5%. The Reserve Bank remains committed to keeping the economy on a disinflationary course, taking CPI inflation to 8 per cent by January 2015 and 6 per cent by January 2016.

Key Monetary and Liquidity Measures announced in the bi-monthly reviews are given below.

- Kept the Cash Reserve Ratio (CRR) of scheduled banks unchanged at 4.0 % of net demand and time liability (NDTL) in all the six bi-monthly monetary policies.
- In the backdrop of benign inflation trajectory, the RBI twice reduced the repo rate by 25 bps each in 15th Jan'15 & 4th Mar'15 (both outside the policy reviews) bringing it down to 7.50%. Accordingly, the reverse repo rate under the LAF, determined with a spread of 100 basis points (bps) below the repo rate, automatically adjusted to 6.50%. The Marginal Standing Facility (MSF) rate, determined with a spread of 100 bps above the repo rate, adjusted to 8.50%.
- RBI cut the SLR thrice in F. Y. 15, by 50 bps each in second, third and sixth bi-monthly monetary policies respectively bringing it down to 21.50%.
- Liquidity provided under 7-day and 14-day term repos increased from 0.5% of NDTL of the banking system to 0.75%, and the liquidity provided under overnight repos under the LAF decreased from 0.5% of bank-wise NDTL to 0.25%, in its first bi-monthly review.
- In order to enable banks greater participation in financial markets, in 3rd bi-monthly monetary policy, it was decided to bring down ceiling of SLR securities in the HTM (held till maturity) to 24% of NDTL from 24.5% w.e.f. 9th August, 2014 and in 4th bi-monthly monetary policy it was decided to further bring it down to 22% of NDTL in a graduated manner with effect from the fortnight beginning 10th January, 2015 to fortnight beginning 19th September, 2015.

वर्ष 2014–15 के दौरान कुछ अन्य महत्वपूर्ण विनियामक और विकासात्मक उपायों को नीचे उल्लिखित किया जाता है–

- मुद्रास्फिति हेतु मुख्य उपाय के रूप में नए सीपीआई (संयुक्त) को अपनाना, अवस्फिति के आरोह पथ को स्पष्ट मान्यता देना द्विमासिक मौद्रिक नीति को अपनाना, एलएएफ के अंतर्गत नियत रेपो दर से ओवरनाईट तरलता की पहुँच में उत्तरोत्तर कमी तथा इसके सापेक्ष सावधि रेपो के द्वारा तरलता की पहुँच को बढ़ाना तथा दीर्घावधि सावधि रेपो को शुरू करना सहित मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क को संशोधित एवं संवर्धित करने हेतु विशेषज्ञ समिति(अध्यक्षः डॉ. उर्जित आर पटेल) की कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है।
- पूरे उद्योग में आस्ति गुणवत्ता की चिंता तथा परिणामस्वरूप बैंकों के निष्पादन/लाभप्रदता पर होने वाले प्रभाव के मद्देनज़र भारत में बेसल III पूंजी विनियमों को पूर्णतः लागू होने की अवधि को 31 मार्च, 2018 की बजाय 31 मार्च, 2019 कर दिया गया है ।
- बेसल समिति द्वारा निर्धारित चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) को 01 जनवरी, 2015 से मानक मान लिया गया है।
- बैंकों के मुख्य वित्तीय मानदंडों पर नजर रखने हेतु शीघ्र चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) को स्थापित किया जा रहा है। पूर्व निर्धारित बेंचमार्क से विचलन गहन निरीक्षण का कारण बनेगा जिससे आफसाइट निगरानी, केंद्रित विचार–विमर्श, आन साइट जाँच तथा आवश्यक हो तो दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों हेतु जोखिम–आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) कर रहा है जिसकी शुरुआत इस हेतु अधिक तैयार बैंकों से हो गयी है। फेज I के पूरा होने से प्राप्त अनुभव, बैंकों से आरबीएस फ्रेमवर्क पर प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर फ्रेमवर्क को परिष्कृत किया जा रहा है। बैंकों को भी यह सलाह दी गई है कि वे अपने जोखिम प्रबंधन संरचना, प्रथाओं, संबंधित प्रक्रियाओं तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)का आकलन करें जिससे फेज II में आरबीएस में जाने में उन्हें सुविधा हो ।
- आम आदमी को होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आवधिक अद्यतन के दौरान केवाईसी दिशानिर्देशों को तत्काल प्रभाव से और अधिक सरलीकृत करने का निर्णय लिया गया है जिससे बैंक भौतिक उपस्थिति और नए दस्तावेजों हेतु जोर न दें ।
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के अंतर्गत मार्च 2014 में सरलीकृत विदेशीमुद्रा पोर्टफोलियों निवेशक प्रणाली हेतु नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक एफपीआई द्वारा बैंक खातों को खोलते समय अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) को सरलीकृत करने का प्रस्ताव भी दिया है।
- दीर्घावधि निवेशकों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान सीमा (यूएसडी 30 बिलियन) के समाप्त होने के बाद भी सरकारी प्रतिभूतियों में कूपन के पुनर्निवेश करने की अनुमति दी जाय।

Some other important regulatory and developmental measures during 2014-15 are furnished below:

- Some of the recommendations of the Expert Committee to Revise and Strengthen the Monetary Policy Framework (Chairman: Dr. Urjit R. Patel) have been implemented including adoption of the new CPI (combined) as the key measure of inflation, explicit recognition of the glide path for disinflation, transition to a bi-monthly monetary policy cycle progressive reduction in access to overnight liquidity under the LAF at the fixed repo rate and corresponding increase in access to liquidity through term repos, and introduction of longer tenor term repos.
- Following industry-wide concerns about asset quality and the consequential impact on the performance/profitability of banks, the transitional period for full implementation of Basel III Capital Regulations in India extended up to March 31, 2019, instead of as on March 31, 2018.
- The Liquidity Coverage Ratio (LCR) stipulated by the Basel Committee becomes a standard with effect from January 1, 2015.
- An Early Warning System (EWS) is being put in place to track banks' critical financial parameters. Deviations from pre-defined benchmarks would trigger more granular oversight in the form of enhanced off-site monitoring, focused discussions, on-site examination and punitive action, if warranted.
- The Reserve Bank has moved over to risk-based supervision (RBS) for Scheduled Commercial Banks (SCBs), starting with banks that were more prepared. Based on the experience gained from the completion of Phase I and the feedback received on the RBS framework from banks, the framework is being fine-tuned. Banks are also being advised to assess their risk management architecture, practices, related processes and Management Information Systems (MIS) to facilitate their switch over to RBS in Phase II.
- With a view to easing difficulties faced by common persons during periodic updating, it has been decided to further simplify the guidelines on KYC with immediate effect so that banks do not insist on physical presence or fresh documents.
- Revised regulations under Foreign Exchange Management Act (FEMA) for a simplified Foreign Portfolio Investor (FPI) regime have been notified in March 2014. The Reserve Bank also proposes to simplify the Know-Your-Customer (KYC) procedures for opening bank accounts by FPIs.
- As a measure to incentivise long term investors, it has been decided in consultation with Government to enable reinvestment of coupons in Government securities even when the existing limits (USD 30 bn) are fully utilised.

- सरकार से परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि भारत में कर्ज बाजार में एफपीआई द्वारा भविष्य में किए जाने वाले सभी निवेश न्यूनतम तीन वर्ष की अवशिष्ट परिपक्वता वाले होंगे।
- आस्ति – देयता प्रबंधन मामलों को कम रखने हेतु गैर–प्रतिदेयता वाले जमा प्रस्तावित किए गए थे। फिर जमाओं हेतु विभेदक ब्याज दर देने हेतु जमा की प्रतिदेयता एक चिन्हित कारक बन जायेगी।
- बैंकिंग के क्षेत्र को बड़ा करने के उद्देश्य से अलग बैंक के रूप में पेमेंट बैंक और स्माल फाइनेंस बैंक से संबंधित दिशानिर्देशों को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर 27 नवंबर, 2014 को डाल दिया गया ।

2. 2014–15 में समष्टि–आर्थिक परिदृश्य

केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) के अग्रिम प्राक्कलनों के अनुसार, जीडीपी की गणना हेतु आधार वर्ष को 2004–05 से 2011–12 करने के बाद भारत की जीडीपी की वास्तविक वृद्धि , वित्तीय वर्ष 2013–14 की 6.9% की जगह पर वित्तीय वर्ष 2014–15 में 7.4% रहने की उम्मीद है। 2014–15 में 7.4% की औसत वृद्धि के साथ पहली, दूसरी और तीसरी तिमाहियों में जीडीपी वृद्धि क्रमशः 6.5%, 8.2% और 7.5% रही।

अग्रिम प्राक्कलन के अनुसार, वित्त वर्ष 2015 के दौरान पूरे उद्योग में 6.5 की वृद्धि की आशा की जाती है जो वित्त वर्ष 2014 से थोड़ा अधिक है। दूसरी ओर, कृषि क्षेत्र में वृद्धि पिछले वर्ष के 3.7% की तुलना में वित्त वर्ष 2015 में 1.1 रहने की संभावना है। वित्त, बीमा, स्थावर संपदा सहित सेवा क्षेत्रों और कारोबार सेवा क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2014 के 8.1% के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2015 में 9.8% तक वृद्धि होने की संभावना है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)में, 2013–14 की –0.1% की नकारात्मक वृद्धि की तुलना में 2014–15 के दौरान 2.8% की सकारात्मक वृद्धि देखी गई। उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार, बुनियादी माल, पूंजीगत माल और मध्यवर्ती माल में 2014–15 के दौरान क्रमशः 2.3%, 7.6% और 1.9% की संचयी वृद्धि रही। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं और गैर–टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में क्रमशः –4.7% और 1.9% की वृद्धि दर्ज की गई जिससे उपभोक्ता वस्तुओं में समग्र वृद्धि –0.7% रही। सेक्टर–वार वर्गीकरण के अनुसार, पिछले वर्ष के मुकाबले 2014–15 में, खनन,विनिर्माण और बिजली के क्षेत्र में क्रमशः 1.4%, 2.3% और 8.4% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई।

ग्राहक मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में आंकी गई खुदरा मुद्रास्फीति में वित्त वर्ष 15 के दौरान खासी कमी हुई और पिछले वर्ष के समरूपी माह के दौरान 8.25% की तुलना में मार्च 15 में 5.25% पर थी। वर्ष 2014–15 के दौरान सीपीआई के आधार खुदरा मुद्रास्फीति का औसत 5.96% रहा जो वर्ष 2013–14 की मुद्रस्फिति दर 9.46% से कम है। डब्ल्यूपीआई के अनुसार पिछले वर्ष के समरूप माह के दौरान 6.0% की तुलना में मार्च 15 को अनंतिम रूप से –2.33% रही। अप्रैल–मार्च 2014–15 की अवधि के दौरान औसत थोक मूल्य सूचकांक समरूप अवधि 2013–14 के 5.96% के मुकाबले काफी कम होकर 2.03% रहा।

- Decided in consultation with Government that all future investment by FPIs in the debt market in India will be required to be made with a minimum residual maturity of three years.
- To minimize asset-liability management issues, it was proposed to allow non-callable deposits. Callability in a deposit will then be a distinguishing feature for offering differential rates on interest on deposits.
- Turning to expanding the banking space, the final guidelines on payments banks and small finance banks as differentiated banks were placed on the Reserve Bank's website on November 27, 2014.

2. Macro-Economic Scenario in 2014-15

As per the advance estimate of the CSO, with the change in base year for calculation of GDP to 2011-12 from 2004-05, India's real GDP growth is estimated at 7.4% in the financial year 2014-15 compared to 6.9% growth in 2013-14. The GDP growth rate was 6.5%, 8.2% & 7.5% respectively in the first, second & third quarters of 2014-15 at an average of 7.4%.

As per advance estimates, overall industry is expected to grow by 6.5% in F. Y. 15, marginal surge from 5.3% in F. Y. 14. On the other hand agricultural sector is expected to grow by 1.1% in F. Y. 15, compared to 3.7% in previous year. The services sector including finance, insurance, real estate and business services sectors is likely to show growth of 9.8% in F.Y. 15, against 8.1% in F.Y. 14.

The index of industrial production (IIP) showed a positive growth of 2.8% during April-March 2014-15 compared with negative growth of -0.1% growth in the corresponding period of 2013-14. As per the use based classification, the growth during March' 15 for basic goods, capital goods and intermediate goods stood at 2.3%, 7.6% and 1.9% respectively. The consumer durables and consumer non-durables have recorded a growth of -4.7% and 1.9% respectively, with an overall growth in consumer goods being -0.7%. As per the sectorwise classification, mining, manufacturing and electricity sector registered a positive growth of 1.4%, 2.3% and 8.4% respectively during 2014-15.

Retail inflation, based on Consumer Price Index (CPI), has shown a substantial downfall during the F.Y. 15, ended at 5.25% in March 15 compared to 8.25% in the corresponding month of previous year. During 2014-15, the retail inflation based on CPI averaged 5.96%, lower than the 9.46% inflation seen during 2013-14. Inflation as per WPI provisionally stood at – 2.33% in March 15 as compared to 6.0% during the corresponding month of the previous year. For the period Apr-Mar 2014-15, the wholesale price inflation averaged 2.03%, considerably lower than the 5.96% inflation seen in the corresponding period for the F. Y. 2013-14.

अप्रैल-मार्च 2014-15 के लिए भारत के निर्यातों का संचयी मूल्य, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में -1.23% की नकारात्मक वृद्धि अंकित करते हुए वित्त वर्ष 2013-14 के $314.42 बिलियन के मुकाबले $310.53 बिलियन डॉलर रहा। आयातों का मूल्य, जो पिछले वर्ष 2013-14 इसी अवधि के दौरान 450.21 बिलियन था-0.59% की नकारात्मक वृद्धि अंकित करके अप्रैल-मार्च, 2014-15 की अवधि के लिए $447.55 रहा । अप्रैल-मार्च, 2014-15 के लिए व्यापार घाटा, $137.01 बिलियन होने का अनुमान है जो अप्रैल-मार्च, 2013-14 के $135.80 बिलियन के घाटे से अधिक है। भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी), 2014-15 की तीसरी तिमाही में जीडीपी के 1.6% तक सीमित रहा। पहली तीन तिमाहियों के लिए औसत सीएडी स्तर अप्रैल-दिसंबर 2013 के 2.3% की तुलना में जीडीपी का करीब 1.8% है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 27 मार्च, 2015 को अबतक के सबसे उच्च स्तर यूएस $341.48 बिलियन तक पहुँच गया।

न्यूनतम जीडीपी वृद्धि तथा तदुपरांत कर वसूली में कमी के बावजूद सरकार ने वित्तीय स्थिति को बरकरार रखते हुए वर्ष 2014-15 के दौरान वित्तीय घाटे को जीडीपी के 4% तक बनाए रखा। 2015-16 के संघीय बजट के दौरान सरकार ने तीन वर्षों के अंदर वित्तीय घाटे को जीडीपी के 3% तक लाने का रोडमैप प्रस्तुत किया है। तदनुसार वित्त वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 के लिए वित्तीय घाटे का लक्ष्य क्रमशः 3.9%, 3.5% और 3.0% रखा गया है।

जहाँ तक पूरे आर्थिक परिदृश्य का सवाल है, मानसून के सामान्य रहने, कम मुद्रास्फिति की दर एवं मुद्रास्फितिक अपेक्षाओं, तेल के मूल्य में कमी, समर्थित नीतिगत वातावरण में आए हुए बदलाव को जारी रहने, किसी बड़े आधारभूत बदलाव या आपूर्ति आघात के नहीं होने के कारण वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान वृद्धि में तेजी आयेगी। भारिबैं ने वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 2014-15 के प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धि दर 7.5% की तुलना में इसे बढ़ाते हुए 2015-16 के दौरान 7.5% अनुमानित किया है, जबकि भारत सरकार ने आर्थिक सर्वे में वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान आर्थिक वृद्धि को 8.1% से 8.5% के बीच होने का अनुमान लगाया है।

3. 2014-15 में बैंकिंग प्रवृत्तियाँ

पिछले कुछ वर्षों से समष्टि आर्थिक वातावरण पर लगातार दबाव ने बैंकिंग प्रणाली के लिए कुछ चुनौतियाँ पैदा कर दी हैं। बैंकिंग क्षेत्र में आस्ति गुणवत्ता ने वर्ष 2014-15 के दौरान लाभप्रदता को प्रभावित किया है।

2014-15 को दौरान जमाओं और ऋण की मांग दोनों में कमी आयी है। 20 मार्च, 2015 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा वृद्धि पिछले वर्ष की समरूप अवधि के 14.1% से घटकर 2014-15 में 11.4% हो गई। एससीबी के अखाद्य ऋणों में वर्ष-दर-वर्ष कमी हुई और यह एक वर्ष पहले के 13.9% की तुलना में 9.5% रहा।

जहाँ तक मौद्रिक नीतियों का प्रश्न है भारिबैं ने नीतिगत संसूचनाओं के मुद्रांकन प्रतीक के रूप में ग्राहक मूल्य सूचकांक को अपनाया है। वर्ष 2014-15 के दौरान नीतिगत दरों को जनवरी 2015 तक अपरिवर्तित रखा गया । मुद्रस्फिति के दबावों में निरंतर कमी को देखते हुए 15 जनवरी, 2015 को भारिबैं ने रेपो दर को 8% से घटाकर 7.75% किया और 4 मार्च, 2015 को 25 आधार अंकों की कमी करते हुए इसे 7.50% कर दिया।

India's cumulative value of exports during 2014-15 was $310.53 billion as against $314.42 billion during 2013-14, registering a negative growth of -1.23% over the previous year. The value of imports for the period April-March 2014-15 was $447.55 billion as against $450.21 billion during 2013-14, registering a negative growth of -0.59% over the previous year. The trade deficit for April-March 2014-15 was estimated at $137.01 billion which was higher than the deficit of $135.80 billion during April-March 2013-14. India's Current Account Deficit (CAD) narrowed in Q3' F.Y.15 to 1.6% of GDP. The average CAD level for the first three quarters is around 1.8% of GDP as compared to 2.3% of GDP in April-December 13. During 2014-15, the country's foreign exchange reserves rose to an all-time high of US $341.38 billion as on 27th March, 15.

Despite lower nominal GDP growth and consequent subdued tax buoyancy, the Government has maintained its fiscal stance and contained the fiscal deficit at 4% of GDP for 2014-15. In the Union Budget 2015-16, the Government has proposed a roadmap to meet the fiscal deficit target of 3% in 3 years. Accordingly, the fiscal deficit targets are set at 3.9%, 3.5% and 3.0% in F. Y. 2015-16, 2016-17 & 2017-18, respectively.

As far as the overall economic outlook is concerned, the growth will get an impetus in the year 2015-16, assuming a normal monsoon, lower inflation and inflationary expectations, lower oil prices, continuation of the cyclical upturn in a supportive policy environment, and no major structural change or supply shocks. The RBI has projected the economy to grow 7.8% in the financial year 2015-16, up from 7.5% projected for 2014-15, while the government of India in the Economic Survey projected the growth to be in the range of 8.1% - 8.5% in 2015-16.

3. Banking Trends in 2014-15

The sustained stress on the macroeconomic environment gave rise to several challenges for the banking system in the last couple of years. Asset quality in the banking sector impacted the profitability during the year 2014-15.

The growth of aggregate deposits and demand for credit decelerated during 2014-15. The Deposit growth of Scheduled Commercial Banks' (SCBs) slowed down to 11.4% as on 20th Mar'15 as against 14.1% in the corresponding period last year. The non-food credit of SCBs has shown a y-o-y growth of 9.5% down from 13.9%, a year ago.

As far as the monetary measures are concerned, the RBI adopted the new Consumer Price Index (CPI) as the nominal anchor for policy communications. Policy rates were kept unchanged during the financial year 2014-15 till January 2015. In view of the continuing easing of inflationary pressures, on 15th January, 2015, RBI reduced the Repo Rate from 8% to 7.75% followed by another 25 bps reduction on 4th March, 2015 to 7.50%.

2014-15 में नीतिगत दरों में परिवर्तन का संचार बैंकों की उधारी दरों में नहीं हुआ जिससे आस्ति गुणवत्ता की चिंतायें बनी रहीं और ऋण वृद्धि कमजोर रही । 2014-15 के दूसरे अर्ध वर्ष के दौरान सावधि जमाओं की ब्याज दर में थोड़ी कमी आयी जो चलनिधि की सहज स्थिति तथा ऋण माँग में कमी को दर्शाता है। वित्त वर्ष 15 के दौरान 10 वर्ष बेंचमार्क अवधि वाली प्रतिभूतियों के अर्जन में 100 आधार अंकों (2024 में 8.40%) की कमी हुई। कमाई को आसान बनाने वाले महत्वपूर्ण कारकों में सरकार की ओर से सकारात्मक बाजार भावना खुदरा मुद्रास्फिति का कम होना, वस्तुओं की कीमतों में पर्याप्त कमी और वित्तीय घाटा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता शामिल हैं।

वर्ष 2014-15 के दौरान चलनिधि की स्थिति आमतौर पर सामान्य रही । चलनिधि प्रबंधन में लचीलापन, पारदर्शिता और संभाव्यता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारिबैं ने 5 सितंबर, 2014 से चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क को संशोधित कर दिया है। बैंकवार ओवरनाइट स्थिर रेपो दर के एनडीटीएल के 0.25% के द्वारा एनडीटीएल(निर्यात ऋणों के पुनर्वित्त को छोड़कर) के 1% की चलनिधि, तथा परिवर्तनीय दर वाले 14 दिन की अवधि के रेपो, एक पखवाड़ा में सावधि रेपो की निलामी की आवृति (चार बार) को बढ़ाना,बैंकों को उनकी चलनिधि का आकलन करने में छूट देना तथा भारिबैं की ओवरनाइट चलनिधि में आवृति को बढ़ाया जाने के साथ ओवरनाइट रेपो रिवर्स रेपो में परिवर्तनीय दर को शुरू किया जाना इसकी मुख्य बातों में शामिल है। कार्यात्मक चलनिधि प्रबंधन के मुख्य साधन के रूप में सावधि रेपो की निलामी को बढ़ने की संभावना है। संशोधित चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क के लागू होने से ओवरनाइट अंतर-बैंक वर्ग में परिवर्तनशीलता को कम करने तथा काल दर को नीति दरों के समीप रखने में मदद मिली है।

इससे आगे, भारत सरकार एवं भारिबैं के द्वारा मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क के करार पर हस्ताक्षर, 2015-16 तथा इसके बाद वाले वर्षों में मौद्रिक नीति का रुख तया करेगा। भारिबैं यह सुनिश्चित करने हेतु केंद्रित रहेगा कि मध्य बिंदु के आसपास +/- 2 की सहनसीमा बैंड के साथ अर्थव्यवस्था में अवस्फिति क्रमशः और लंबी अवधि के लिए हो।

4. बैंक का परिचालनगत निष्पादन

4.1 जमा संग्रहण

4.1.1 वर्ष 2014-15 के दौरान कासा वृद्धि एवं बैंक की कुल जमाओं में थोक जमाओं के हिस्से को कम करने पर जोर दिया गया । इस उद्देश्य से दो अभियान चलाए गए एक चालू खातों के संग्रहण एवं दूसरा बचत खातों के संग्रहण हेतु। चालू खात के संग्रहण अभियान में 13,688 नए ग्राहकों के खातों में ₹230 करोड़ का संग्रहण किया गया तथा व्यवसायिक संस्थानों को 417 प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें उपलब्ध करायी गई। बचत खाता संग्रहण अभियान के दौरान बैंक ने 2.21 लाख नए ग्राहकों के खातों में ₹236.05 करोड़ का संग्रहण किया ।

The transmission of changes in policy rate to lending rates of banks remained muted in 2014-15, reflecting weak credit growth and asset quality concerns. The term deposit interest rates declined modestly during second half of 2014-15, reflecting comfortable liquidity conditions as well as subdued credit demand. The yield on 10 year bench mark security (8.40% 2024) fell by over 100 bps in F. Y. 15. The primary factors responsible for easing in yields include positive market sentiment on account of expectations from the government, low retail inflation readings, significant correction in commodity prices and firm commitment shown by the government on the fiscal front.

Liquidity conditions have remained broadly balanced during 2014-15. With a view to ensuring flexibility, transparency and predictability in liquidity management operations, RBI revised its liquidity management framework with effect from 5th September, 2014. Its main features are assured access to liquidity of 1% of NDTL (excluding export credit refinance) through bank-wise overnight fixed rate repos of 0.25% of NDTL and variable rate 14-day term repos, more frequent auction of term repos (four times) during a fortnight, allowing flexibility to banks to alter their liquidity assessment and higher frequency of access to RBI's overnight liquidity, with the introduction of variable rate overnight repos/reverse repo auctions. Term repo auctions are projected to grow as the main instrument of frictional liquidity management. The implementation of revised liquidity management framework has helped in reducing the volatility in the overnight inter-bank segment and better anchoring the call rate near the policy rate.

Going forward, the Monetary Policy Framework Agreement signed by the Government of India and the RBI will shape the stance of monetary policy in 2015-16 and succeeding years. The Reserve Bank will stay focussed on ensuring that the economy disinflates gradually and durably, with a tolerance band of +/- 2 per cent around the mid-point.

4. Bank's Operational Performance

4.1 Deposit Mobilisation

4.1.1 During the year 2014-15 emphasis was on CASA growth and also reducing the share of bulk deposits in total deposit of the Bank. With this motive, 2 major campaigns were organised – one for mobilising Current accounts and the second one for mobilising Savings Bank accounts. In the Current account mobilisation campaign, ₹230 crore is mobilised from 13,688 new clients' accounts and 417 Point of Sale Machines have been provided at merchant establishments. Under the Savings Bank account mobilisation campaign, the Bank has mobilised ₹236.05 crore from 2.21 lakh new accounts.

4.1.2 बैंक ने थोक जमाओं पर निर्भरता को कम करने तथा खुदरा जमाओं के संग्रहण हेतु कदम उठाने का एक सजग निर्णय लिया है। मार्च 2014 की समाप्ति पर कुल जमाओं में थोक जमाएँ (सीडी सहित) ₹1,04,009 करोड़ (53.78%) थीं। वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2015 को इसे घटाकर ₹1,01,387 करोड़ (50.86%) कर पाया है। मूल रूप से थोक जमाएँ ₹2,622 करोड़ (2.52%) कम हुई तथा इसी अवधि में खुदरा सावधि जमाओं में ₹49,459 करोड़ से ₹58,171 करोड़ कुल ₹8,622 करोड़ (17.40%) की वृद्धि हुई ।

4.2 निष्पादन की प्रमुख विशिष्टताएं

i. जमा प्रमाणपत्र (सीडी) सहित बैंक की कुल जमाराशियाँ, 31 मार्च, 2015 को ₹1,99,346 करोड़ तक पहुँची जिसमें 3.08% की वृद्धि दर से ₹5,953 करोड़ की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई।

ii. चालू जमाराशियाँ पिछले वर्ष के ₹14,823 करोड़ की तुलना में ₹13,030 करोड़ के स्तर पर रहीं। तथापि ₹ 441 करोड़ की निवल वृद्धि के साथ औसत चालू जमा राशियाँ ₹ 441 से बढ़ी और 8,602 करोड़ रही।

iii. बचत जमा राशियाँ 7.38% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर से ₹1,807 करोड़ की निवल वृद्धि के साथ पिछले वर्ष के ₹24,478 करोड़ के स्तर से तक ₹26,285 करोड़ पहुँचीं। ₹3,016 करोड़ की निवल वृद्धि के साथ औसत बचत बैंक जमा राशियाँ 14.89% बढ़ी और ₹23,265 करोड़ रही।

iv. कुल जमा राशियों में कासा जमा राशियों का हिस्सा 19.72% रहा।

v. औसत कासा 12.17% की वृद्धि दर के साथ ₹3,457 करोड़ बढ़ते हुए ₹31,867 करोड़ हो गया।

vi. मीयादी जमाराशियाँ (सीडी और अंतर-बैंक जमाराशियों को छोड़कर) 3.29% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर से ₹4,380 करोड़ की निवल वृद्धि के साथ ₹1,37,082 करोड़ के स्तर तक पहुँची।

vii. उपरोक्त को छोडकर खुदरा मीयादी जमा राशियाँ 17.4% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹49,549 की तुलना में ₹58,181 करोड़ रही।

viii. थोक जमा राशियाँ (सीडी और अंतर-बैंक जमाराशियों को छोड़कर) 5.04% की कमी के साथ ₹82,709 करोड़ की तुलना में ₹78,541 करोड़ रही।

ix. बैंक की समग्र औसत 11.95% वर्ष-दरर-वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए ₹19,696 करोड़ की वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2015 को ₹1,84,520 करोड़ हो गई।

x. बैंक ने वर्ष के दौरान 42,33,378 नए जमा खाते संग्रहीत किए जिनमें 38,73,519 नए खाते माँग जमा राशियों के अंतर्गत खोले गए।

xi. 2014-15 हेतु जमा राशियों की लागत 2013-14 के दौरान 8.03% मुकाबले 7.97% रही।

4.2.1 ऋण संवृद्धि

4.2.1.1 बैंक का ऋण संविभाग 31.03.2013 के ₹1,37,086 करोड़ से 31.03.2015 को ₹1,45,066 करोड़ तक बढ़ गया, इसमें 31.03.2015

4.1.2 The Bank had taken a conscious decision & initiated steps to reduce dependence on bulk deposits and to concentrate in mobilising retail deposits. The Bulk deposits (including CDs) to the total deposits stood at ₹1,04,009 crores (53.78%) as at the end of March'14. During the year, Bank could reduce the same to ₹1,01,387 crore (50.86%) as at 31st March, 2015. In absolute terms, the Bulk deposits have come down by ₹2,622 crores (2.52%), while retail term deposits have registered a growth of ₹8,622 crore (17.40%) from ₹49,549 crore to ₹58,171 crore during the said period.

4.2 Performance Highlights

i. The total deposits of the bank including Certificate of Deposits (CDs) and Bank Deposits reached a level of ₹1,99,346 crore as at 31st March, 2015, registering year-on-year growth of ₹5,953 crores at 3.08%.

ii. Current deposits stood at ₹13,030 crore as against ₹14,823 crore in the previous year. However, Average Current Deposit grew by 5.40% with a net accretion of ₹441 crore and stood at ₹8,602 crore.

iii. Savings deposits reached ₹26,285 crore as against ₹24,478 crore in the previous year with net accretion of ₹1,807 crore at 7.38% y-o-y growth. Average Savings Bank Deposit grew by 14.89% with accretion of ₹3,016 crore and stood at ₹23,265 crore.

iv. The share of CASA deposits in total deposits stood at 19.72%.

v. Average CASA grew by 12.17% with a net accretion of ₹3,457 crore and stood at ₹31,867 crore.

vi. Term deposits (excluding CDs and interbank deposits) reached a level of ₹1,37,082 crore with a net accretion of ₹4,380 crore at a growth rate of 3.29% y-o-y.

vii. Out of above, Retail Term Deposits stood at ₹58,181 crore agains ₹49,549 crore, registering a growth of 17.4%.

viii. Bulk deposits (excluding CDs and interback deposits) stood at ₹78,541 crore as against ₹82,709 crore with reduction of 5.04%.

ix. The aggregate average deposits of the bank increased by ₹19,696 crore and stood at ₹1,84,520 crore as at 31st March, 2015 recording a growth of 11.95% y-o-y.

x. The Bank has added 42,33,378 new deposit accounts during the year of which 38,73,519 new accounts have been added under demand deposits.

xi. Cost of Deposit for 2014-15 stood at 7.97% as against 8.03% during 2013-14.

4.2.1 Credit Growth

4.2.1.1 The credit portfolio of the Bank increased from the level of ₹1,37,086 crore as at 31.03.2014 to ₹1,45,066 crore

को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान 5.82% की दर पर ₹7,980 करोड़ की समग्र वृद्धि दर्ज हुई। ऋण में वृद्धि, कृषि, खुदरा, लघु और मध्यम उद्यमों पर विशेष ध्यान देते हुए बैंक के विभिन्न ऋण उत्पादों के सघन विपणन प्रयासों से प्राप्त की गई।

4.2.1.2 औसत अग्रिमों में ₹16,762 करोड़ की बढ़ोतरी हुई जो मार्च 2014 के ₹1,17,040 करोड़ से 14.3% वृद्धि दर के साथ मार्च 2015 को ₹1,33,802 करोड़ हो गए। 31.03.2014 को ऋण-जमा अनुपात 72.77% रहा।

as at 31.03.2015, with an absolute growth of ₹7,980 crore at 5.82% during the financial year ended 31.03.2015. Growth in credit was achieved through intense marketing of various loan products of the Bank with a special thrust on Agriculture, Retail, Micro, Small & Medium Enterprises.

4.2.1.2 The average advances grew by ₹16,762 crore from the level of ₹1,17,040 crore as at March, 2014 to ₹1,33,802 crore as at March 2015, registering a growth of 14.3%. The CD ratio as on 31.03.2015, stood at 72.77%.

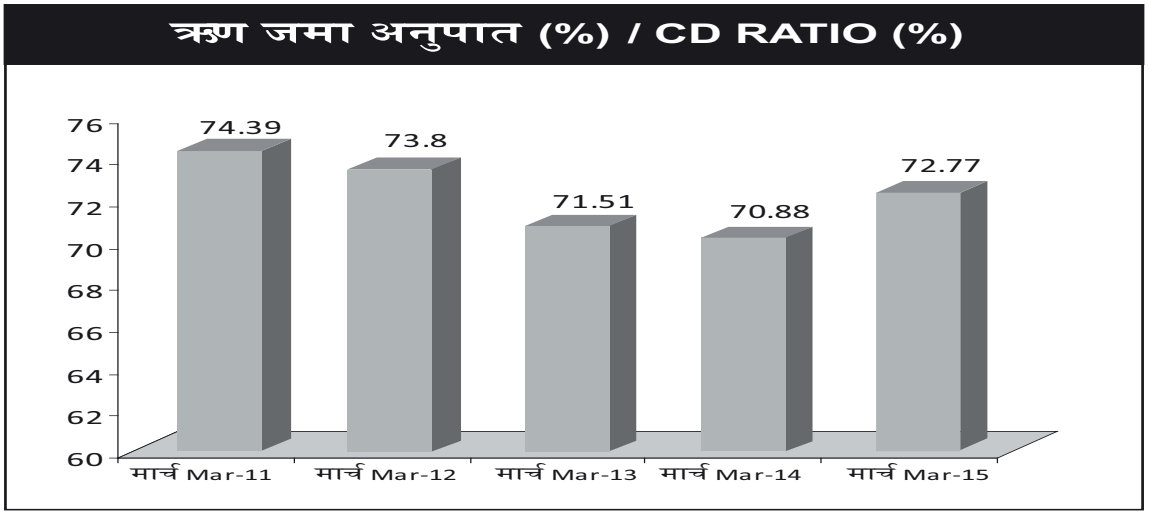

4.2.1.3 आधारभूत संरचना ऋण

आधारभूत संरचना क्षेत्र को ऋण देते हुए बैंक, राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में अधिक भागीदारी का प्रयास करता रहा है। 31.03.2015 को बैंक का आधारभूत संरचना ऋण ₹23,764 करोड़ था जो समग्र ऋण का 16.38% है।

4.2.1.3 Infrastructure Lending

The Bank has been endeavoring to participate more in the nation building activities by extending credit to infrastructure sector. As at 31.03.2015, Bank's credit to infrastructure stood at ₹23,764 crore, which constitutes 16.38% of the aggregate credit.

4.3 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण

4.3.1 क्षेत्रगत अभिनियोजन

4.3.1.1 ऋण के रूप में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में अभिनियोजित कुल राशि 9.54% की वृद्धि दर से ₹4,631 करोड़ की वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2014 के ₹48,560 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2015 को ₹53,191 करोड़ हो गई। बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम, समायोजित निवल बैंक ऋण के 40% के भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंड के मुकाबले समायोजित निवल बैंक ऋण का 41.92% रहा।

4.3 Priority Sector Lending

4.3.1 Sectoral Deployment

4.3.1.1 The Total amount of credit deployment to Priority sector has moved up from ₹48,560 crore on 31.3.2014 to ₹53,191 crore as at 31.3.2015, recording an increase of ₹4,631 crore at 9.54%. The Priority sector advances of the bank stood at 41.92 % of the Adjusted Net Bank Credit [ANBC] as against the RBI norm of 40% of ANBC.

(₹ करोड़ में ₹ in crore)

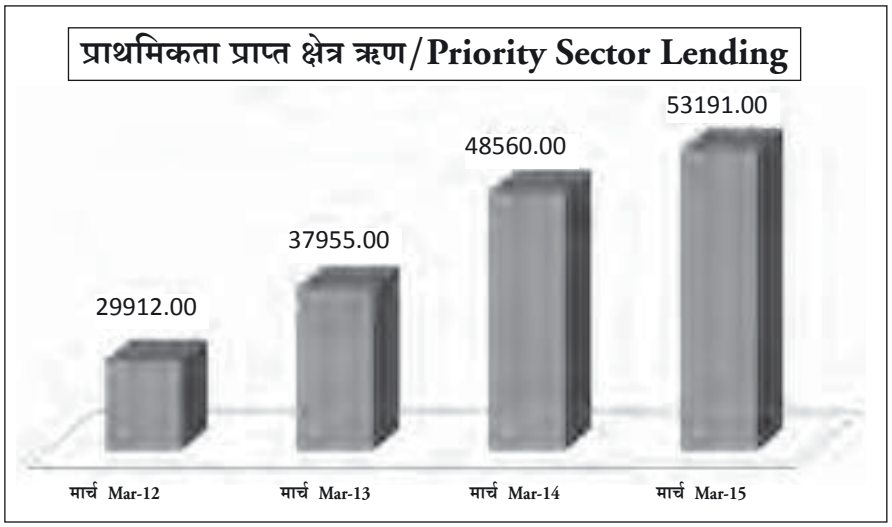

4.3.1.2 31.03.2014 के ₹13,144 करोड़ की तुलना में 31.03.2015 को कृषि ऋण ₹15,664 करोड़ रहा। इसमें मार्च 2014 के स्तर से 19.17% की दर से ₹2,520 करोड़ की वृद्धि देखी गई। कृषि के अंतर्गत अभिनियोजित निधियाँ समायोजित निवल बैंक ऋण का 13.39% हैं। बैंक का प्रत्यक्ष कृषि ऋण इस वर्ष के दौरान 31% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹9,958 करोड़ से ₹13,046 करोड़ तक बढ़ गया। इससे बैंक 2014-15 के दौरान विशेष वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत ₹9,750 करोड़ के संवितरण लक्ष्य को प्राप्त कर सका है।

4.3.1.3 एमएसई को ऋण (सूक्ष्म व लघु उद्यम) में यथा 31.03.2014 के ₹24,058 के यथा 31.03.2015 को ₹25,767 तक वृद्धि हुई है। अन्य प्राथमिकता क्षेत्र उधार में यथा 31.03.2014 के ₹11,358 से यथा 31.03.2015 को ₹11,760 तक वृद्धि हुई है।

4.3.1.4 एमएसएमई को समय पर तथा झंझटरहित ऋण के लिए संबंध प्रबंधक और ऋण प्रसंस्करण टीम की समर्पित सेवा के साथ बंगलूर, दिल्ली, केयंबत्तूर, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, ठाणे, इंदौर और लखनऊ में एसएमई ऋण केंद्र कार्यरत हैं।

4.3.1.5 बैंक ने 2015 के दौरान एसएमई समर्थन में ''स्कॉच अचिवर अवार्ड'' प्राप्त किया। जिसे श्री एस. आर. बंसल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जी श्री जयंत सिन्हा, माननीय राज्य वित्त मंत्री, भारत सरकार से 21 मार्च, 2015 को प्राप्त किया।

4.3.1.6 इसके साथ ही बैंक ने भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम हेतु चेंबर्स (सीआईएमएसएमई) से ''अन्य बैंक हेतु उत्कृष्ट एमएसएमई बैंकिंग अवार्ड'' और ''उत्कृष्ट अवार्ड रनर अप'' प्राप्त किया। जिसे श्री एस. आर. बंसल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जी ने श्री कलराज मिश्रा, माननीय मंत्री, एमएसएमई, भारत सरकार से प्राप्त किया।

4.3.1.2 The agriculture credit stood at ₹15,664 crore as at 31.3.2015 as against ₹13,144 crore as at 31.3.2014 recording a growth of ₹2,520 crore at 19.17% over March, 2014. Funds deployed under Agriculture constituted 13.39% of ANBC. Direct Agriculture Credit of the Bank increased from ₹9,958 crore to ₹13,046 crore recording a growth of 31% during the year. With this, the Bank could achieve the disbursement target of ₹9,750 crores under Special Agriculture Credit Plan during 2014-15.

4.3.1.3 Credit to MSE (Micro and Small Enterprises) increased from ₹24,058 crore as at 31.03.2014 to ₹25,767 crore as at 31.03.2015. Other Priority Sector lending increased from ₹11,358 crore as at 31.3.2014 to ₹11,760 crore as at 31.3.2015.

4.3.1.4 SME Loan Centres with dedicated services of Relationship Managers and Loan Processing Team for timely and hassle free credit to MSMEs are functioning at Bangalore, Delhi, Coimbatore, Mumbai, Ahmedabad, Pune, Thane, Indore and Lucknow.

4.3.1.5 Bank has won "SKOCH Achiever Award in SME enablement" during 2015. The award was received by Shri S. R. Bansal, Chairman and Managing Director on 21st March, 2015 from Shri Jayant Sinha, Hon'ble Minister of State for Finance, Govt. of India.

4.3.1.6 Bank also received "Best MSME Banking Award for Other Bank" and "Best Bank Award Runner-up" from Chamber for Indian Micro Small and Medium Enterprises (CIMSME). The award received by Shri S. R. Bansal, Chairman and Managing Director of the Bank on 10th January, 2015 in the benign hands of Shri Kalraj Mishra, Hon'ble Minister for MSME, Govt. of India.

4.4 सामाजिक ऋण

4.4.1 सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न सामाजिक ऋण/गरीबी उन्मूलन योजनाओं तथा समाज के कमज़ोर वर्गों को ऋण के वितरण को पर्याप्त महत्व दिया गया ताकि बैंक की सामाजिक आर्थिक बाध्यताएँ पूरी हों।

4.4.2 वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले समूहों की संख्या 31.03.2014 के 1,27,065 से बढ़कर 31.03.2015 को 1,45,118 हो गई। स्वसहायता समूहों को ऋण 31.03.2014 के ₹1,314 करोड़ से 31.03.2015 को ₹1,474 करोड़ तक बढ़ गया, इसमें 12.15% की दर से ₹160 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई।

4.4.3 31.03.2015 को कमज़ोर वर्गों हेतु हमारा अग्रिम एएनबीसी के 10% के विनियामक मानदंड के सापेक्ष ₹13,938 करोड़ रहा (एएनबीसी का 10.05%)।

4.4.4 31.03.2014 के ₹7,039 करोड़ की तुलना में 31.03.2015 को महिला हिताधिकारियों को वित्त ₹7,960 करोड़ रहा और बैंक ने महिला हिताधिकारियों को ऋण देने में एएनबीसी के 5% के विनियामक लक्ष्य के मुकाबले एएनबीसी का 5.74% हासिल किया है।

4.4.5 31.03.2015 को, ₹53,191 करोड़ के कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बकाया ऋण ₹863 करोड़ है।

4.4.6 अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों को ऋण ₹8,021 करोड़ के स्तर पर पहुँच गया जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का 15.08% है।

4.5 खुदरा ऋण

4.5.1 वर्ष 2014-15 के दौरान खुदरा ऋण, बैंक का प्रमुख ध्यान केन्द्रित क्षेत्र बना रहा। खुदरा ऋणों का विपणन ''कार्प योजनाओं'' के नाम से किया जाता है।

4.5.2 कार्प योजनाओं के संविभाग के अंतर्गत 31.03.2014 को ₹21,193 करोड़ से 12% की वृद्धि दर से ₹2,558 करोड़ की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2015 को ₹23,751 करोड़ तक पहुँच गया।

4.5.3 वर्ष के दौरान आयोजित विशेष प्रचार अभियान/कार्यक्रम –

- ❖ कार्प होम, कार्प वेहिकल, कार्प व्यापार तथा कार्प डाक्टर प्लस योजनाओं में प्रसंस्करण छूट देते हुए 09.06.2014 से 31.08.2014 तक मानसून मेजिक आफर चलाया गया।
- ❖ कार्प होम, कार्प वेहिकल, कार्प व्यापार तथा कार्प डाक्टर प्लस योजनाओं में आकर्षक ब्याज दर और प्रसंस्करण मुक्त/छूट देते हुए 01.09.2014 से 31.12.2014 तक चार महीने के लिए ग्रांड फेस्टिवल धमाका चलाया गया।
- ❖ वर्ष के दौरान हाउसिंग एवं वेहिकल ऋणों के लिए बड़े केंद्रों में रिटेल एक्सपो आयोजित किए गए।

4.4 Social Lending

4.4.1 Dispensation of Credit under various Government Sponsored Social Lending/Poverty Alleviation Schemes and to Weaker sections of the society was given due importance so as to fulfill the Bank's socio-economic obligations.

4.4.2 The number of groups availing financial assistance has increased from 1,27,065 as at 31.03.2014 to 1,45,118 as at 31.03.2015. Credit to Self Help Groups increased from ₹1,314 crore as at 31.03.2014 to ₹1,474 crore as at 31.03.2015, registering a growth of ₹160 crore at 12.15%.

4.4.3 Our advances to weaker sections stood at ₹13,938 crore at 31.03.2015 [forming 10.05% of ANBC], as against the target of 10% of ANBC.

4.4.4 Finance to women beneficiaries stood at ₹7,960 crore as at 31.3.2015 as against ₹7,039 crore as at 31.03.2014 and the Bank achieved 5.74 % of ANBC towards lending to women beneficiaries as against the regulatory norm of 5% of ANBC.

4.4.5 As at 31.03.2015, out of a total priority sector credit of ₹53,191 crore, the outstanding credit to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe is ₹863 crore.

4.4.6 Credit to persons belonging to minority Communities reached a level of ₹8,021 crores forming 15.08% of Priority Sector advances.

4.5 Retail Lending

4.5.1 Retail lending continued to be a focus area of the Bank during the year 2014-15. Retail Credit are marketed under the brand name "Corp Schemes".

4.5.2 The portfolio under Corp Schemes stood at ₹23,751 crore as on 31.03.2015 as against ₹21,193 crore as on 31.03.2014. Growth under Corp Schemes during the current financial year was ₹2558 crore at 12% over March 2014.

4.5.3 Special promotional campaigns/events conducted during the year are :

- ❖ "Monsoon Magic Offer" was in operation from 09.06.2014 to 31.08.2014 under Corp Home, Corp Vehicle, Corp Vyapar and Corp Doctor Plus schemes with concessions in processing charges.
- ❖ "Grand Festival Dhamaka" was in operation for a period of 4 months from 01.09.2014 to 31.12.2014 under Corp Home, Corp Vehicle, Corp Vyapar and Corp Doctor Plus Schemes with attractive interest rates and waiver/concessions in processing charges.
- ❖ Retail Expos under Housing & Vehicle Loans have been organized at major centres across the country during the year.

4.5.4 वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान आयोजित किए गए विभिन्न अभियानों / कार्यक्रमों से खुदरा उत्पादों योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ी है तथा नए संपर्कों से अच्छा व्यवसाय भी प्राप्त हुआ है।

4.6 नए शुरू किए गए खुदरा ऋण उत्पाद

- ❖ बैंक ने 01.06.2014 से कार्प व्यापार योजना के एक नए वेरिएंट के रूप में ''**कार्प अपनी दुकान**'' की शुरुआत की है जिसे अपनी दुकान/ व्यवसाय परिसर का सपना देखने वालों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है।
- ❖ दिसंबर 2014 के दौरान खुदरा ऋण केंद्रों के समीक्षा सम्मेलन के दौरान हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने निम्नलिखित उत्पादों की शुरुआत की :

  क) ''**ई–मैंडेट**'' – सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रदूषण रहित प्रयासों तथा वर्तमान में प्रचलित पश्च दिनांकित चेकों की प्रणाली (पीडीसी) की जगह इएमआई की समय पर वसूली हेतु स्वचालित समाशोधन गृहों के अंतर्गत ऋण उत्पादों की सुविधा।

  ख) गृह, वाहन तथा शिक्षा ऋणों के लिए **आनलाईन आवेदन सुविधा**। ग्राहक द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर पात्र ऋण राशि की सैद्धांतिक स्वीकृति की सूचना तत्काल दी जाती है।

4.7 खुदरा ऋण केन्द्र

संप्रति बैंक में 32 खुदरा ऋण केन्द्र, सभी प्रमुख केन्द्रों में परिचालित हैं । इन खुदरा ऋण केन्द्रों ने वर्ष 2014–15 के दौरान विभिन्न कार्प योजनाओं के अंतर्गत कुल मिलाकर ₹6,300 करोड़ राशि के 40,718 ऋण आवेदन मंजूर किए।

4.8 वित्तीय समावेशन

4.8.1 भारिबैं के वित्तीय समावेशन आयोजना के अंतर्गत बैंक को कुल 1880 गांव (अर्थात 2000 से अधिक आबादी वाले 318 गाँव 2000 से कम आबादी वाले 1562 गाँव) आबंटित किए गए हैं जिनमें वित्त वर्ष 2013–14 से शुरू होकर वित्त वर्ष 2015–16 तक तीन वर्ष की समयावधि में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करानी हैं। बैंक ने इन सभी गाँवों में बैंकिंग संरचना उपलब्ध करा दिया है। 2000 से अधिक की आबादी वाले 318 गाँवों में से 72 गाँवों में सामान्य शाखायें तथा शेष गाँवों में अति लघु शाखायें खोली गई हैं। 2000 से कम आबादी वाले 1,562 गांवों में से 10 गांवों में ब्रिक एवं मार्टर शाखायें तथा 1,552 गांवों में व्यवसाय प्रतिनिधि के द्वारा सेवायें दी जा रही हैं।

4.8.2 बैंक ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत 37.63 लाख खाते खोले हैं तथा इन खातों में ₹202.03 करोड़ राशि शेष है। बैंक ने 35,369 सामान्य क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं जिनमें 31.03.2015 को ₹644.99 करोड़ शेष बकाया है।

4.5.4 The various promotional campaigns/events held during the current financial year has created visibility to the retail products/schemes and also brought in good business from new contacts.

4.6 New Retail loan Products introduced

- ❖ The Bank has introduced a new retail loan product w.e.f. 01.06.2014 – "**Corp Apni Dukan**" a variant of Corp Vyapar Scheme specially designed for traders/businessmen who dream to have their own shop/business premises.
- ❖ During the review conference of Retail Loan Centres held during December 2014, The Chairman & Managing Director, Shri S. R. Bansal launched the following new products:

  a) "**E-Mandate**" facility for loan products under National Automated Clearing House [NACH] to ensure prompt repayment of EMIs and also in support of green initiative of the Government/ directions of RBI to replace the existing Post Dated Cheque [PDC] system.

  b) Online loan application facility under Housing, Vehicle and Education Loans. On the basis of information given by customer, instant in-principle sanction is given conveying the eligible loan amount.

4.7 Retail Loan Centres

At present 32 Retail Loan Centres are operating in the Bank at all major centres for sanction of loans. These Retail Loan Centres in all have sanctioned 40,718 loans amounting to ₹6,300 crore under various Corp Schemes during the year 2014-15.

4.8 Financial Inclusion

4.8.1 Under Financial Inclusion Plan of RBI, the Bank has been allotted a total of 1,880 villages (i.e. 318 villages having population above 2000 & 1562 villages having population below 2000) to provide banking services within a time frame of three years starting from F.Y. 2013-14 up to F.Y. 2015-16. Bank has since covered all these villages by providing banking infrastructure.Out of 318 villages having population above 2000, 72 villages are covered by brick and mortar branches and the remaining villages by Ultra small branches. In 1,562 villages having population below 2000, 10 villages are provided with brick and mortar branches and 1,552 villages are covered through Business Correspondents.

4.8.2 The Bank has opened 37.63 lakh basic savings bank accounts under Financial Inclusion and the outstanding balance in these accounts is ₹202.03 crore. The Bank has sanctioned 35,369 General Credit Cards with an outstanding balance of ₹644.99 crore as on 31.03.2015.

4.9 प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई)

4.9.1 अगस्त 2014 में पीएमजेडीवाई के शुरू होने पर पूरे देश में बैंकों को गांवो का पुनः आबंटन किया गया तथा हमारे बैंक को कुल 23 राज्यों में 951 शहरी वार्डों के साथ 2,291 गावों में बैंकिंग संरचना उपलब्ध कराने हेतु आबंटित किया गया। अब बैंक ने सभी गांवों तथा शहरी वार्डों में बैंकिंग संरचना उपलब्ध करा दी है। 2,291 गांवों को 894 उप-सेवा क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है तथा इन 894 उप-सेवा क्षेत्रों में से 648 एसएसए को शाखा रहित ईकइयों अर्थात कार्प बैंक मित्र (सीबीएम) की नियुक्ति करके एवं शेष 246 एसएसए एवं 951 वार्डों में शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

4.9.2 पीएमजेडीवाई के अंतर्गत बैंक ने 21,18,067 खाते खोले हैं तथा 31.03.2015 को इन खातों में 449.52 करोड़ राशि शेष है । गैर-शून्य शेष वाले खातों में औसत शेष राष्ट्रीय स्तर प्रति खाता ₹2,530 की अपेक्षा ₹3,116 है। बैंक ने खाताधारकों को रूपे आधार डेबिट कार्ड (जहाँ आधार उपलब्ध है) या रूपे डेबिट कार्ड तथा पासबुक उपलब्ध कराए हैं। 31.03.2015 तक पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए खातों में 58.94% खातों में बैंक ने आधार संख्या के दर्ज एवं मापन का कार्य पूरा कर लिया है।

4.9.3 सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी): हमारे बैंक ने सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लि. के साथ उनके कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए 13.12.2012 से एक करार किया है। सीएससी कार्प बैंक मित्र की तरह कार्य करते हैं तथा कुछ निर्दिष्ट बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध कराते हैं। 154 सीएससी को सक्रिय किया गया है तथा ये बैंक के लिए कार्य कर रही हैं।

5. ऋण आस्ति गुणवत्ता एवं वर्गीकरण

5.1 अर्थव्यवस्था में मंदी ने बैंकों की आस्ति गुणवत्ता पर गहरा दबाव डाला है और हमारा बैंक इसका अपवाद नहीं है। पिछले वर्षों की तुलना में ऋण में चूक काफी अधिक रही है। वर्ष के दौरान एनपीए स्तर में तीव्र वृद्धि देखी गई। लेकिन, बारीकी से निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के साथ तुरंत वसूली उपाय करते हुए एनपीए स्तर पर अंकुश लगाया जा सका है।

5.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार ऋण आस्तियों का वर्गीकरण निम्नानुसार है:

4.9 Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)

4.9.1 With the introduction of PMJDY in August, 2014, villages are reallocated to Banks across the country and the total number of villages allotted to the Bank is 2,291 besides 951 urban wards in 23 states for providing banking infrastructure. Bank has since provided banking infrastructure in all the villages & urban wards. The 2,291 villages have been grouped into 894 Sub-Service Areas (SSAs) and out of these 894 SSAs, 648 SSAs have been provided with banking services through branchless banking units i.e., by engaging Corp Bank Mitras (CBMs) and the remaining 246 SSAs & 951 wards through branches.

4.9.2 Under PMJDY, the Bank has opened 21,18,067 accounts and the balance in these accounts is ₹ 449.52 crore as on 31.03.2015. The average balance in the non-zero balance accounts is ₹3,116/- per account as against the national average of ₹2,530/-. Bank has issued Rupay Aadhaar Debit Cards (wherever Aadhar is available) or Rupay Debit Cards and passbook to the account holders. Bank has seeded and mapped Aadhaar numbers of 58.94% of the account holders opened under PMJDY as on 31.03.2015.

4.9.3 Common Service Centre (CSC): Our Bank has entered into an agreement with CSC e_Governance Service India Ltd., on 13.12.2012, to extend the banking services using their Common Service Centres. The CSCs act as Corp Bank Mitras (CBMs) and carry out certain specified banking activities. 154 CSCs have been activated and are working for the Bank.

5. Credit Assets Quality and Classification

5.1 The slowdown in the economy has impacted the asset quality of banks and our bank is no exception to this. The loan delinquency has been considerably higher as compared to the previous years. The NPA level has witnessed an increase during the year. Adequate efforts have been made through close monitoring and follow up and initiating prompt recovery measures to contain the NPA level.

5.2 The classification of the loan assets in terms of Prudential Norms prescribed by the RBI is as follows:

(₹ करोड़ में ₹ in crore)

	यथा As on 31.03. 2013		यथा As on 31.03.2014		यथा As on 31.03.2015	
	राशि Amount	कुल आस्ति का % % to total asset	राशि Amount	कुल आस्ति का % % to total asset	राशि Amount	कुल आस्ति का % % to total asset
मानक Standard	117305.77	98.28	133905.74	96.58	140601.05	95.19
अवमानक Sub-Standard	1159.98	0.98	2674.44	1.93	2207.26	1.49
संदिग्ध Doubtful	791.00	0.66	1881.40	1.36	4660.49	3.16
हानिगत Loss	97.25	0.08	180.95	0.13	238.93	0.16
सकल ऋण आस्तियां Gross Loan Assets	119354.00	100.00	138642.53	100.00	147707.73	100.00

6. वसूली

6.1 बैंक, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों का अनुपालन करता रहा है। बेहतर एनपीए प्रबंधन हेतु बैंक की तिहरी रणनीति कायम है। इसके तहत शामिल है क) निवारक कार्रवाई, ख) वसूली और उन्नयन तथा ग) समाधान और समझौता।

6.2 बैंक का सकल एनपीए पिछले वित्त वर्ष के अंत के ₹4,736.79 करोड़ की तुलना में 31.03.2015 को ₹7,106.68 करोड़ रहा। पिछले वित्त वर्ष के अंत में 3.42% की तुलना में 31 मार्च, 2015 को सकल एनपीए सकल अग्रिमों का 4.81% रहा।

6.3 बैंक का निवल एनपीए पिछले वर्ष के अंत के ₹3,180.56 करोड़ की तुलना में 31.03.2015 को ₹4,464.98 करोड़ रहा। निवल अग्रिमों में बैंक का निवल एनपीए अनुपात 31.03.2014 के 2.32% से बढ़कर 31.03.2015 को 3.08% हो गया। विवेक के तौर पर बैंक ने, धारित प्रतिभूतियों की प्रकृति और मात्रा का लिहाज़ किए बिना उधारकर्ता-वार ₹25,000/- से कम राशि की कुल देयता वाले सभी एनपीए खातों हेतु पूरा प्रावधान किया है।

6.4 नकद वसूली तथा उन्नयन पिछले वित्त वर्ष के ₹1,355.53 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ₹1,484.73 करोड़ रहा। इसका कारण देश में प्रचलित आर्थिक मंदी है।

6.5 वसूली निष्पादन में और सुधार सुनिश्चित करने के लिए सरफेसी अधिनियम 2002 के प्रावधानों का सहारा लिया गया। सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत वसूली कार्रवाई के ज़रिए वर्ष के दौरान 2,627 खातों में ₹710.66 करोड़ राशि की वसूली की गई/उन्नयन किया गया।

6.6 बैंक ने 01.12.2014 को ₹10.00 लाख तक की शेषराशि वाले छोटे एनपीए खातों हेतु "कार्प रियायती-III" नाम की विशेष एक-बारगी निपटान (ओटीएस) योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत 31.03.2015 तक 4,635 खातों में ₹22.89 करोड़ वसूल किए जा सके।

6.7 एनपीए की समस्या से निपटने के लिए खास तौर पर छोटे मूल्य के एनपीए खातों की वसूली में एनपीए क्लस्टर शाखाओं को शामिल करते हुए सभी अंचलों में मेगा वसूली शिविर आयोजित करना एक प्रभावशाली रणनीति रही। ऐसे शिविर एनपीए की समस्या के ग्रस्त शाखाओं को शामिल करते हुए कर्मचारियों के सक्रिय सहयोग से सभी अंचलों में योजनाबद्ध तरीके से आयोजित किए गए। चालू वित्त वर्ष के दौरान आयोजित शिविरों में बड़ी संख्या में उधारकर्ताओं ने भाग लिया। बैंक ने वर्ष 2014-15 के दौरान देश में सभी अंचलों में 728 ऐसे मेगा वसूली शिविर आयोजित किए। 83,297 उधारकर्ताओं ने शिविरों में भाग लेकर अपने खाते निपटाए तथा वर्ष के दौरान मेगा वसूली शिविरों के आयोजन से बैंक ने ₹283.40 करोड़ की नकद वसूली किया और इसके साथ उक्त शिविरों में ₹4308.99 करोड़ के 41,687 खाते उन्नत किए गए।

7. ट्रेज़री एवं निवेश परिचालन

7.1 31 मार्च, 2015 को बैंक का कुल निवेश, बैंक के जोखिम अवबोध तथा निवेश नीति संबंधी दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रतिभूतियों के परिपक्वता मिश्रण के साथ ₹63,565.42 करोड़ रहा।

6. Recovery

6.1 The Bank has been complying with the RBI guidelines relating to Income Recognition, Asset Classification and Provisioning. The Bank continues to apply a three pronged strategy for better NPA management. The strategy consists of a) Preventive actions, b) Recovery & upgradation, & c) Resolution & settlement.

6.2 The Gross NPA of the Bank was ₹7,106.68 crore as on 31.03.2015 as compared to ₹4,736.79 crore as at the end of the previous financial year. The Gross NPA constituted 4.81% of the Gross Advances as on 31st March, 2015 as against 3.42% at the end of the corresponding previous financial year.

6.3 The Net NPA of the Bank was ₹4,464.98 crore as on 31.03.2015 as compared to ₹3,180.56 crore as at the end of the previous financial year. The Net NPA ratio of the Bank against the Net Advances has increased from 2.32% as at 31.03.2014 to 3.08% as at 31.03.2015. As a matter of prudence, the Bank provided in full for all NPA Accounts with borrowerwise aggregate liability of less than ₹25,000/- irrespective of the nature and extent of securities held.

6.4 The Cash recovery & Upgradation during the financial year 2014-15 was ₹1,484.73 crores, as compared to ₹1,355.53 crore in the previous financial year.

6.5 The provisions under SARFAESI Act, 2002 have been effectively leveraged to ensure further improvement in recovery performance. An amount of ₹710.66 crore has been recovered/ upgraded in 2,627 accounts during the year through SARFAESI action.

6.6 The Bank has introduced a special One Time Settlement (OTS) scheme by name "Corp Riyayati – III" for small NPA accounts with balances up to ₹10.00 lakh on 01.12.2014. As on 31.03.2015, a sum of ₹22.89 crores could be recovered in 4,635 accounts under the scheme.

6.7 Holding of Mega Recovery Camps in all the zones covering NPA cluster branches has been identified as an effective strategy in tackling NPAs, especially the small value NPA accounts. Such camps are meticulously planned and conducted at all the zones of the bank covering clusters of NPA concentrated branches with the active support of the rank and file. A large number of borrowers had attended the camps conducted during the current financial year. The Bank held 728 such Mega Recovery Camps across all the zones in the country during the year 2014-15. As many as 83,297 borrowers attended the camps and the Bank could achieve a cash recovery of ₹283.40 crores through Mega Recovery Camps during the year. Further, 41687 accounts involving ₹4,308.99 crores were upgraded in the camps.

7. Treasury and Investment Operations

7.1 The aggregate investment of the Bank as on 31st March 2015 was ₹63,565.42crore with maturity mix of securities consistent with risk perceptions and investment policies of the Bank.

7.2 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आरआईडीएफ निवेशों को छोड़कर निवेशों पर औसत आय पिछले वर्ष के अंत के 7.42% की तुलना में 7.48% रही।

7.3 निवेशों की बिक्री से प्राप्त निवल लाभ पिछले वर्ष के ₹338.99 करोड़ की तुलना में 31.03.2015 को समाप्त वर्ष हेतु ₹104.61 करोड़ था।

7.4. बैंक ने ब्याज अर्जन करने वाली सभी प्रतिभूतियों हेतु अवधि, आशोधित अवधि तथा जोखिम पर मूल्य जैसे जोखिम प्रबंधन उपाय लागू किए हैं।

8. अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

8.1 बैंक की 66 नामित शाखाएं हैं जो विदेशी विनिमय कारोबार संभालती हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान संचयी व्यापार टर्नओवर ₹78,710 करोड़ से 9.85% घटकर ₹70,956 करोड़ हो गया।

8.2 एक्सचेंज आय में वर्ष के दौरान ₹92.19 करोड़ से ₹97.51 करोड़ हुआ जिसमें 5.77% की वृद्धि हुई।

8.3 शुल्क आधारित आय में वर्ष के दौरान ₹188 करोड़ से 4.79% घटकर ₹179 करोड़ रह गई ।

9. व्यापारी बैंकिंग गतिविधियाँ

9.1 बैंक ने वर्ष के दौरान 14 लाभांश पे-आऊट तथा 42 इश्यू संग्रहण कार्य सफलतापूर्वक संचालित किए।

10. बहुमूल्य धातु कारोबार

10.1 वर्ष के दौरान बहुमूल्य धातु कारोबार से कुल पण्यावर्त ₹250 करोड़ रहा तथा बहुमूल्य धातु कारोबार से ₹3 करोड़ की आय अर्जित की गई।

11. नामित शाखाएँ और ट्रेज़री एवं निवेश विभाग

11.1 प्रक्रिया में सुधार

क) चालू वर्ष के दौरान कार्प सरल एनआरई तथा एफसीएनआर प्रीमियम को शुरू किया गया।

ख) एफसीएनआर के स्व नवीकरण का विकल्प को शाखाओं में सक्रिय किया गया है जिससे नियत दिन पर एफसीएनआर जमाओं का नवीकरण किया जा सकता है।

ग) एइडी मुद्रा के लिए आबूधाबी कामर्शियल बैंक यूएइ में नया नास्ट्रो खाता खोला गया था ।

घ) रिकॉन विभाग में आटो मैचिंग तथा आटो अपडेशन को शुरू कर दिया गया है जिससे शाखाओं में संसूचनाओं को साथ-साथ भेजा जा रहा है एवं पर्याप्त स्टाफ लागत की भी बचत हो रही है ।

12. उगाही एवं भुगतान सेवाएँ (कैप्स)

12.1 भुगतान प्रणाली में बदलते परिवेश से तालमेल रखते हुए तथा एक अग्र-सक्रिय सीएमएस बैंकर के रूप में बैंक ने वर्ष के दौरान कई 'ग्राहक केन्द्रित' उत्पाद/प्रौद्योगिकी पहल की है। उनमें हैं:

✓ कार्पोरेट के ग्राहकों से बारंबार प्राप्त होने वाले भुगतानों के सहज वसूली के लिए ई-मैंडेट को सक्रिय किया गया है।

7.2 The average yield on investments including RIDF investments during the year under report stood at 7.48% compared to 7.42% as at the end of the previous year.

7.3 The net profit from sale of investments was ₹104.61 crore for the year ended 31.03.2015 as compared to ₹338.99 crore in the previous year.

7.4. The Bank has put in place the risk management tools like Duration, Modified Duration and Value at Risk for all interest bearing securities.

8. International Banking

8.1 The Bank has 66 Designated Branches, which cater to the foreign exchange business. Cumulative Merchant turnover has decreased by 9.85 %, from ₹78,710 crore to ₹70,956 crore, during the year 2014- 15.

8.2 Exchange Income increased by 5.77%, from ₹92.19 crore to ₹97.51 crore, during the year.

8.3 Fee Based Income decreased by 4.79%, from ₹188 crore to ₹179 crore during the year.

9. Merchant Banking Activities:

9.1 During the year the Bank has handled 14 Dividend Payout and 42 Issue Collection assignments.

10. Precious Metal Business

10.1 During the year, the Bank achieved an aggregate turnover of ₹250 crore earning an Income of ₹3 crore from Precious Metals Business.

11. Designated Branches and Treasury and Investment Department

11.1 Process Improvement

a) Two new products namely Corp Saral NRE and FCNR premium are launched during the current year.

b) FCNR automatic renewal option was enabled to the branches for automatic renewal of FCNR deposits on due dates.

c) New nostro account with Abudabhi Commercial Bank UAE for AED currency was opened during the financial year.

d) Auto matching and auto updation has been implemented in the Recon Department leading to zero lead time for information to branches and also saving substantial staff cost.

12. Collection and Payment Services (CAPS)

12.1 Keeping pace with the changing environment in the payment system, and as a pro-active CMS Banker, the Bank has initiated host of 'customer centric' technological initiatives during the year. Amongst them are:

✓ E-Mandate has been launched to enable smooth collection of repeated payments from the customers of corporates.

- ✓ आरटीजीएस/एनईएफटी/एबीबी आदि चैनलों में निर्बाध भुगतान के लिए एकीकृत भुगतान प्रणाली प्रारंभ की गई।
- ✓ उपर्युक्त पहलों से न केवल भुगतानों में गति और परिचालन क्षमता आ गई बल्कि परिचालन की लागत भी कम हो गई जिससे बैंक सीएमएस बाज़ार में अधिक प्रतिस्पर्धा बना रहा।

12.2 वर्ष के दौरान कैप्स ने 130 ग्राहकों को अपने साथ जोड़ा है तथा 68,978 करोड़ के टर्नओवर के साथ 25.01 करोड़ की आय प्राप्त की।

12.3 आगामी वित्त वर्ष के दौरान सीएमएस व्यवसाय को पुनः बढ़ाने के लिए कैप्स ने निम्नलिखित कार्य योजना बनायी है:

- ➢ ई-मैंडेट सेवा का आक्रामक विपणन किया जाय जिसके अंतर्गत निर्धारित तिथि पर मैंडेट के द्वारा किश्तों/प्रीमियम/मासिक बिलों की राशि आदि की वसूली एनबीएफसी, आस्ति प्रबंधन कंपनियों,यूटिलिटी सर्विसेज कंपनियों, शिक्षा संस्थानों आदि के लिए काफी सहायक है।
- ➢ वसूली कार्पोरेट ग्राहकों को नए उत्पादों विशेषकर ई-उत्पादों जैसे पेमेंट गेटवे का आक्रामक विपणन करना।
- ➢ दूसरे एक्सचेंज गृहों को सीमा-पार विप्रेषण सुविधा प्रदान करना।
- ➢ कार्पोरेट ग्राहकों को बाधारहित भुगतान के लिए कार्पोरेट एडाप्टर को सक्रिय करना।
- ➢ एनएसीएच आईएमपीएस के द्वारा थोक भुगतान सुविधा को शुरू करना अदायगियाँ, लाभांश, धनवापसी, ब्याज राशि को तत्काल जमा करने हेतु।
- ➢ जमा आईएमपीएस से संग्रहण को सक्रिय बनाना जिससे कार्पोरेट ग्राहक आईएमपीएस के द्वारा निधियाँ प्राप्त कर सकें।

13. अंतर शाखा लेखा समाधान

13.1 अंतर शाखा लेनदेनों का समय पर समाधान और त्वरित निरसन बैंक की विशिष्टता बनी हुई है। आंतरिक लेखा कार्य के इस प्रमुख क्षेत्र में अपनी दक्षता बनाए रखने हेतु बैंक की अन्तर शाखा लेनदेनों की केंद्रीय समाधान प्रणाली है।

13.2 वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने अंतर शाखा लेनदेनों का समय पर समाधान करने के क्षेत्र में अपनी प्रमुख दक्षता बनाए रखी। अंतर-शाखा लेनदेनों का सामान्यतः लेनदेन के अगले दिन ही प्रसंस्कृत करके समाधान किया जाता है। 31.03.2015 तक प्रवर्तित किए गए सभी अंतर-शाखा लेनदेनों का समाधान किया जा चुका है तथा 31.03.2015 को 6 अक्तूबर, 2014 तक की सभी प्रविष्टियों का (अदत्त मांग ड्राफ्ट के संबंध में जमा को छोड़कर) निरसन किया गया है।

14. सूचना प्रौद्योगिकी पहल

14.1 कोर बैंकिंग समाधान

बैंक सक्षम और त्वरित प्रसंस्करण के लिए कोर बैंकिंग सोल्यूशन से उच्चतर ओरेकल सन सोलरिज टी5-4 सर्वर में स्थानांतरित हो रहा है। इससे कोर बैंकिंग सोल्यूशन में समग्र निष्पादन में प्रत्यक्ष सुधार सुनिश्चित होगा। बैंक की आरडीबीएमएस आधारित नई सीबीएस में स्थानांतरण की महत्वाकांक्षी

- ✓ Unified collection system was introduced to effect seamless collection across channels like RTGS/NEFT/ABB/Cheque etc.
- ✓ The above initiatives have not only brought speed & operational efficiency in payments and collections, but also reduced the cost of operation to enable the Bank to be more competitive in the CMS Market.

12.2 The CAPs has brought130 new clients under its coverage during the year and handled a turnover of ₹68,978 crore and achieved an Income of ₹25.01 crore.

12.3 CAPS has drawn following action plan to re-jig the CMS business in the ensuing financial year:

- ➢ Aggressively market e-Mandate services which is more helpful to NBFCs, Asset Management Companies, Utility Services Companies, Education Institutions etc., to collect the amount of installments/premium/monthly bills etc., through mandates, on specified dates;
- ➢ Aggressively market the new products to corporate customers with focus on e-Products such as Payment Gateway;
- ➢ Extend cross border remittance to other exchange houses;
- ➢ Operationalise Corporate Adopter for enabling seamless payments to corporate customers;
- ➢ Introduce bulk payment facility through NACH/IMPS – credit infrastructure to credit the payouts, dividends, refunds, interest amount etc., instantly;
- ➢ Introduce IMPS collection to enable corporates to receive funds through IMPS.

13. Inter-Branch Accounts Reconciliation

13.1 Timely reconciliation and speedy elimination of Inter-Branch transactions continue to be the forte of the Bank. The Bank has a Central Inter-Branch Reconciliation system for Processing of Inter-Branch Transactions, in order to maintain efficiency in this vital area of housekeeping.

13.2 During the financial year 2014-15, the Bank continued to maintain its core competence in the area of timely reconciliation of Inter-Branch transactions. The Inter-Branch transactions were generally processed and reconciled on the next day of the transaction. All Inter-Branch transactions emanated up to 31.03.2015 stand reconciled and all entries up to 6th October, 2014 (other than credits in respect of unpaid Demand Drafts) stand eliminated as at 31.03.2015.

14. Information Technology Initiatives

14.1 Core Banking Solutions

The Bank has migrated from Core Banking Solutions to high-end Oracle SUN Solaris T5-4 Server for efficient and faster processing. This ensured perceptible improvement in overall performance of the Core Banking Solution. Bank's ambitious

परियोजना को प्रणाली एकीकृतकर्ता और कार्यान्वयन साझेदार को निर्धारित करने में भारी सफलता प्राप्त हुई है।

14.2 कियोस्क बैंकिंग (ई–लॉबी)

कियोस्क बैंकिंग प्रौद्योगिकी और बैंकिंग के एकीकरण से बैंक द्वारा उठाई गई दूसरी पहल है। यह ऑफसाईट स्थान पर प्रदान किया गया एक स्वयं सेवा काऊंटर है जहां ग्राहक बैंक के कारोबार समय के बिना मूलभूत बैंकिंग लेनदेन जैसे नकद आहरण, नकदी और चेक जमा और पासबुक मुद्रण कर सकता है। यह ईकाईयां 365 दिन 24×7 खुली रहती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि, ये आऊटलेट बैंक स्टाफ के बिना कार्य करता है, जिससे इनकी परिचालन लागत में कमी आयी है। यथा 31.03.2015 को संपूर्ण देश में 99 ई लॅबियां परिचालनगत है।

14.3 पीएमजेडीवाई योजना को सू.प्रो. सहयोग

सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता के भाग के रूप में, सभी 650 बैंक मित्रों को माईक्रो एटीएम प्रदान किए गए। इसके अलावा, माईक्रो एटीएमों में रुपे डेबिट कार्ड की पिन आधारित लेनदेन को सक्षम किया गया है। हमारा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक है जिसने वित्तीय समावेशन में सुरक्षा फीचर लाया है। केवाईसी सत्यापन हेतु भौतिक रूप में दस्तावेजों को प्रस्तुत किए बिना खाता खोलने की सुविधा के लिए प्रामाणिकरण पर यूआईडीएआई डाटाबेस से सीधे आधार आधारित जनसांख्यिकीय विवरण डाउनलोड करने की सुविधा के साथ माईक्रो– एटीएम और शाखाओं में ई–केवाईसी सत्यापन शुरू किया है।

14.4 बायोमेट्रीक प्रमाणीकरण

सीबीएस एप्लिकेशन में सुरक्षित प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रीक प्रमाणीकरण के अतिरिक्त स्तर हेतु 1900 से अधिक शाखाओं में बायोमेट्रीक उपकरणों को लगाया गया है।

14.5 ई–पासबुक

बैंक द्वारा बहुमुखी ई–पासबुक की शुरुआत की गई है। वस्तुत: यह 24 × 7 ग्राहकों की उंगलियों पर बैंकिंग लेनदेन की जानकारी देनेवाला एक संपूर्ण वॉलेट है। इसमें छुट्टी कैलेंडर, व्यक्तिगत व्यय ट्रैकर जैसी मूल्य वर्धित सेवाएं शामिल है और इसमें हिंदी और अंग्रेजी के साथ–साथ स्थानीय भाषाओं (तमिल, मलयालम, कन्नड और तेलुगु) में सूचना उपलब्ध है। सूचना ऑनलाईन और ऑफलाईन दोनों माध्यमों में उपलब्ध है।

14.6 टैबलैट बैंकिंग

एक अभिनव तकनीक की पहल, टैबलैट बैंकिंग शुरुआत की गई है जहां बैंक ग्राहकों के पास जाकर खाता खोल सकें। फोटोग्राफ सहित सभी अनिवार्य विवरण को डिजिटल प्रारुप में कैप्चर किया जाता है और एक सुरक्षित माध्यम से सीबीएस में अद्यतन किया जाता है। सिस्टम में सफलतापूर्वक खाता खोले जाने पर सभी ग्राहक डिलिवरेबल्स ग्राहक के घर प्रेषित किए जाते हैं।

14.7 ऋण निगरानी और वसूली में सू.प्रौ. सहयोग

ऋण सुविधाओं के स्वास्थ्य के सक्रिय पर्यवेक्षण के लिए आस्ति निगरानी पोर्टफोलिओं में, विभिन्न मानदंडों पर आस्तियों में चूकों तथा संभावित एनपीए

project of migration to RDBMS-based New CBS registered the milestone achievement of finalizing the system integrator & implementation partner for the solution.

14.2 Kiosk Banking [e-LOBBY]

Kiosk Banking is yet another initiative taken up by the Bank fully leveraging the integration of technology and banking. These are wholly self-service counters, provided at offsite locations, where customers can put through basic banking transactions like cash withdrawal, cash & cheque deposit and passbook printing, without the barrier of bank business hours, as these units are open for service 24×7, 365 days. More significantly, these outlets function sans any bank staff, which substantially bring down the operational cost. As on 31.03.2015, 99 e-Lobbies are operational across India.

14.3 IT Support To PMJDY Scheme

As a part of Bank's commitment towards social responsibilities, micro ATMs were provided to all the 650 Bank Mitras. Further, PIN based transactions of Rupay Debit Card was enabled in micro-ATMs. The Bank is the first Public Sector Bank to bring in this security feature in Financial Inclusion. To facilitate opening of bank accounts without producing physical documents for KYC verification, e-KYC verification was enabled at micro-ATMs and at branches, with the facility to download the Aadhaar based demographic details directly from UIDAI database on authentication.

14.4 Biometric Authentication

Biometric devices were installed in more than 1900 branches for added level of biometric authentication to ensure secured logging into CBS Application.

14.5 ePassbook

A versatile ePassbook was introduced by the Bank. It is a complete valet of information on banking transactions virtually at the fingertips of the customer 24×7. It encompasses a host of value-additions like Holiday Calendar, personal expenses tracker (outside normal banking transactions) and information in local languages [Tamil, Malayalam, Kannada and Telugu] besides Hindi & English. Information is available in both online and offline mode.

14.6 Tablet Banking

As an innovative technology driven initiative, Tablet Banking was introduced, where Bank reached out to the customer for opening of accounts. All the mandatory details including photographs are captured in digital format and updated in the CBS via a secured media. On successful opening of account in the system, all the customer-deliverables are served at client's place.

14.7 IT Support to Credit Monitoring & Recovery

In the asset monitoring portfolio, for proactive supervision of health of credit facilities, reports on delinquency of Assets

तिथि पर रिपोर्ट को कार्यान्वित किया गया है। इससे खाते के स्लीपेज का पता करने के लिए पूर्व सूचना संकेत के आधार पर फील्ड में काम करनेवाले व्यक्ति को उपचारात्मक कार्यवाईयों को शुरू करने में आसानी होगी।

14.8 ई-मेल प्रणाली

संचार के मामले में, बैंक की मेल प्रणाली को और अधिक उन्नत बनाने के लिए एमएस एक्सचेंज 2015 प्लैटफार्म में लाया जा रहा है। सभी प्रयोक्ता के लिए मेल बॉक्स की संग्रहण क्षमता को 25% बढाया गया है। इसके साथ ही मेल बॉक्स के स्व-ऑनलाईन आर्चिवल को स्थापित किया गया है।

14.9 मिस्ड कॉल सुविधा

हमारी एसएमएस बैकिंग सुविधा का लाभ लेनेवाले ग्राहकों को यह नि:शुल्क प्रदान की जाने वाली मूल्यवर्धीत सेवा है। ग्राहक केवल अपने पूर्वनिर्धारित नंबर से मिस्ड कॉल देकर, अपने पंजीकृत मोबाईल नंबर पर एसएमएस के जरिए अपने प्राथमिक खाते में स्थित बकाया की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह सुविधा अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में उपलब्ध है। इस सुविधा से ग्राहक को बकाया की पूछताछ के लिए शाखा में जाने की जरूरत नहीं है।

14.10 जी गोपालकृष्णा समिति सिफारिशें

बैंक सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रानिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन और साईबर पर भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्य समिति (जी गोपालकृष्णा समिति) की सिफारिशों को जल्द ही कार्यान्वित करने जा रही है। बैंक के लिए लागू 193 सिफारिसों में से 176 सिफारिशों को लागू किया जा रहा है और बाकी 17 को लागू करने की प्रक्रिया जारी है।

15. क्रेडिट कार्ड

15.1 क्रेडिट कार्ड व्यक्तिगत ग्राहकों को खरीदारी, यात्रा आदि के समय झंझट रहित और जोखिम मुक्ततरीके से भुगतान करने की सुविधा देता है। इससे जुड़ी व्यापक संभाव्यता को देखते हुए बैंक ने इस संविभाग में विस्तार करने के लिए कदम उठाए हैं। बैंक मुख्यतः अपने वर्तमान ग्राहकों को कार्ड जारी करता है।

15.2 यथा 31 मार्च, 2015 तक की स्थिति के अनुसार बैंक द्वारा रु.275.86 करोड़ की कुल सीमा के साथ कुल 48,765 क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं जिनके अंतर्गत ₹34.12 करोड़ बकाया शेष हैं।

15.3 2014-15 हेतु बैंक ने क्रेडिट कार्ड को जारी करते हुए ₹10.28 करोड़ की कुल आय और ₹8.22 करोड़ का सकल लाभ अर्जित किया है। वर्ष 2013-14 के दौरान इन कार्डों का इस्तेमाल करते हुए कुल ₹206.84 करोड़ के 8.46 लाख पीओएस लेनदेन किए गए।

15.4 ग्राहक सुविधा हेतु बैंक ने प्रौद्योगिकी उन्मुख सेवाएँ जैसे ऑटो डेबिट सुविधा, एसएमएस अलर्ट, ई-विवरण, क्रेडिट कार्ड ब्योरे का ऑनलाइन अवलोकन, ऑनलाइन लेनदेनों हेतु एटीएम इंटरफेस तथा वेरिफाइड बाई वीसा अधिप्रमाणन तथा आईवीआर लेनदेनों (इन्टरैक्टीव वॉयस रेस्पॉन्स सिस्टम) के माध्यम से लेनदेन हेतु ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) जारी करना आदि सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं। इन सभी सुविधाओं से ग्राहकों द्वारा कार्ड के कारगर उपयोग में मदद मिलने की उम्मीद है। वर्ष 2014-15 के दौरान क्रेडिट कार्ड ग्राहकों से कुल 4,541 शिकायतें प्राप्त हुई। ग्राहक की संतुष्टि पर इन सभी शिकायतों का समाधान किया गया।

and probable NPA Date based on various parameters are implemented. This will facilitate initiation of remedial measures by the field personnel based on early warning signals to arrest slippage of accounts.

14.8 E Mail Systems

In the communication front, Bank's mailing system was upgraded to more robust MS Exchange 2013 platform. Mailbox storage was also augmented by 25% for all users. Auto online archival of mail boxes was also put in place.

14.9 Missed Call Facility

This is a value addition offered free of cost to the customers who have availed our SMS Banking facility. Just by making a missed call to a predefined number, the customer receives the current balance available in his primary account by way of a SMS to his registered mobile number. This facility is available both in English and Hindi. This initiative has obviated the necessity of the customer to visit the branch for balance enquiry.

14.10 G Gopalakrishna Committee Recommendations

The Bank has taken up implementation of RBI Working Group on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds Committee [G Gopalakrishna Committee] recommendations in full earnest. Out of the 193 recommendations identified as applicable to the bank, 176 recommendations have been implemented and the remaining 17 are under implementation.

15. Credit Cards

15.1 Credit Card facilitates the individual clients, a hassle free and risk free way of making payments for shopping, travel etc. In view of the large potential associated with it, the Bank has taken steps to expand this portfolio. The Bank is predominantly issuing cards to its existing customers.

15.2 As on 31st March 2015, the Bank has issued 48,765 credit cards with an aggregate limit of ₹275.86 crores, having outstanding balance of ₹34.12 crores.

15.3 The Bank earned total income of ₹10.28 crores and Gross Profit of ₹8.22 crores for 2014-15 under Credit Cards portfolio. 8.46 lakh POS transactions aggregating to ₹206.87 crores were transacted using these cards during the year 2014-2015.

15.4 For customer convenience, the Bank has introduced tech-savvy services such as Auto Debit Facility, SMS alerts, e-statements, online viewing of credit card details, ATM interface and verified by visa authentication for online transactions and issuance of OTP (One Time Password) to IVR transactions (Interactive Voice Response System). All these facilities are expected to help the customers to use the Cards efficiently. During the year 2014-15, a total of 4,541 complaints were received from the credit card customers. All these complaints were resolved to the satisfaction of Customers.

15.5 एलआईसी क्रेडिट कार्ड

15.5.1 हमारे बैंक ने भारतीय जीवन बीमा के ग्राहकों (पॉलिसीधारक), कर्मचारियों और एजेंटों को बैंक द्वारा संयुक्तब्रांड का क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड, (एलआइसीसीएसएल), भारतीय जीवन बीमा कंपनी की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी, के साथ करार किया है। करार के अनुसार एलआइसीसीएसएल क्रेडिट कार्ड का आवेदन पॉलिसी धारकों से सीधे और अपने एजेंटों के सहारे प्राप्त करेगा। बैंक ने 31.03.2015 तक ₹71.77 करोड़ की कुल सीमा के साथ 12,899 करोड़ कार्ड जारी किए है।

15.6 डेलिवरी चैनल

15.6.1 **एटीएम**: 31.03.2015 तक बैंक ने 2,933 एटीएम संस्थापित किए हैं। इनमें 782 एटीएम स्वामित्व मॉडल के अधीन हैं, 98 एटीएम बैंक के आउटसोर्स्ड मॉडल के अधीन हैं, 2,050 एटीएम डीएफएस की पहल में आउटसोर्स्ड मॉडल के अधीन संस्थापित हैं और 3 मोबाइल एटीएम हैं। बैंक ने सभी पुराने एटीएमों को बदलने के लिए कार्रवाई शुरू की है और 31.03.2015 तक 961 पुरानी मशीनों को बदलकर नई मशीनें लगाई गई हैं।

15.6.2 **डेबिट कार्ड:** 31 मार्च, 2015 तक की स्थिति के अनुसार बैंक द्वारा जारी कुल डेबिट कार्डों (सभी प्रकार के) की संख्या 83.24 लाख है, इसमें 27.16 लाख कार्ड वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान जोड़े गए। बैंक के प्रीमियम डेबिट कार्डों की लोकप्रियता बढ़ गई और 31.03.2015 तक की स्थिति के अनुसार प्लैटिनम और सिग्नेचर डेबिट कार्डों की संख्या क्रमशः 25,436 और 6,479 रही। वर्ष के दौरान एटीएमों में कुल 10 करोड़ लेनदेन दर्ज की गई है और 69,083 शिकायतें प्राप्त हुई है। सभी शिकायतें उनकी प्राप्ति से सात दिन के भीतर निपटाई गई।

15.6.3 **वीज़ा उप सदस्यता हेतु छोटे बैंकों को प्रायोजित करना**: प्लास्टिक मनी के दायरे को बढ़ाते हुए बैंक ने छोटे बैंकों को उप सदस्यता के ज़रिए अपने ग्राहकों को वीज़ा ब्रैंड के कार्ड जारी करने में समर्थ किया है। उक्त सुविधा से छोटे बैंकों के ग्राहक सशक्त हुए हैं और उन्हें वैश्विक स्वीकृति देते हुए प्लास्टिक मनी संस्कृति में लाया गया। 31.03.2015 तक बैंक ने 4 छोटे बैंकों को प्रायोजित किया और इस व्यवस्था से बैंक की शुल्क आय में वृद्धि हुई है।

15.6.4 **24x7 ई-लॉबी:** अपने ग्राहकों को 24x7 बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के क्रम में, बैंक ई-लॉबी परिचालित कर रहा है। ''24x7 ई-लॉबी'' एक स्वयं सेवा स्वचालित कियोस्क है, जिसमें नकद जमा मशीन, चेक जमा मशीन, स्वयं सेवा पासबुक प्रिंटर और एक एटीएम शामिल है। मशीनें प्रयोक्तानुकूल हैं और ग्राहक द्वारा आसानी से उपयोग किया जा सकता है। यथा 31.03.2015 को बैंक में 99 ई-लॉबियां परिचालित हैं।

15.6.5 **पीओएस मशीनें:** यथा 31.03.2015 तक बैंक ने विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों में 30,564 पीओएस मशीनें (मोबाईल पीओएस सहित) लगाई हैं। वि.व. 2014-15 के दौरान बैंक ने 18,135 पीओएस मशीनें (मोबाईल पीओएस सहित) लगाई हैं। इस मूल्य वर्धित सेवा से बैंक को न केवल नए ग्राहकों को लाने में बल्कि वर्तमान ग्राहकों को रोके रखने में भी मदद मिली। वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने मोबाइल पीओएस सुविधा शुरू की है। बैंक निपटान बैंक के रूप में कार्य करते हुए पीओएस अभिग्रहीत करने के लिए छोटे बैंकों को प्रायोजित भी कर रहा है।

15.5 LIC Credit Cards

15.5.1 Our Bank has entered into an agreement with LIC Cards Services Ltd., (LICCSL), a wholly owned subsidiary of LIC of India, for issuance of co-branded Credit Cards by the Bank to the customers (policy holders), employees and agents of LIC of India. As per the understanding, the LICCSL will source application for credit cards from the policy holders, directly and also through its agents. The Bank has issued 12,899 cards till 31.03.2015 with aggregate limit of ₹71.77 crores.

15.6 Delivery Channels

15.6.1 **ATMs:** As of 31.03.2015, Bank had installed 2,933 ATMs. Of this 782 ATMs are under owned model, 98 ATMs are under Bank's outsourced model, 2,050 ATMs are installed under DFS initiated outsourced Model and 3 are mobile ATMs. The Bank has initiated steps to replace all old ATMs and as of 31.03.2015, 961 old machines have been replaced with new machines.

15.6.2 **Debit Cards:** As on 31st March, 2015, the total number of outstanding debit cards (all variants) stood at 83.24 lakhs with addition of 27.16 lakh cards during the financial year 2014-15. The premium debit card variants of the Bank have gained popularity and as of 31.03.2015, the number of outstanding Platinum and Signature Debit cards were 25,436 and 6,479 respectively. A total of 10 crore transactions were recorded on ATMs during the year and 69,083 complaints were received. All the complaints were resolved within seven days of their receipt.

15.6.3 **Sponsoring Small Banks for VISA Sub-membership:** Expanding the scope of plastic money, the Bank has enabled smaller banks to issue VISA branded cards to its customers through Sub-Membership. The facility has empowered the customers of such smaller banks by bringing them into the plastic money culture giving them global acceptance. As of 31.03.2015, Bank has sponsored 4 small Banks and this arrangement has augmented the fee income of the Bank.

15.6.4 **24x7 e-Lobby:** In order to provide 24x7 banking convenience to our customers, Bank is operationalizing e-Lobby. The "24x7 e-Lobby" has self-service automation kiosks which include Cash Deposit Machine, Cheque Deposit Machine, Self-service Passbook printer and an ATM. The machines are user-friendly and can be used at ease by the customers. As of 31.03.2015, Bank has operationalized 99 e-Lobbies.

15.6.5 **POS Terminals:** As of 31.03.2015, the Bank had installed 30,564 POS terminals (including Mobile POS) at various Merchant Establishments. During the F. Y. 2014-15, the Bank has installed 18,135 POS terminals (including Mobile POS). This value added service has enabled the Bank to not only enroll new customers but also retain existing customers. The Bank is also sponsoring smaller Banks for POS acquisition by acting as settlement Bank.

16 डिपॉज़िटरी सेवाएँ

16.1 बैंक नैशनल सिक्युरिटीज़ डिपॉज़िटरी लि. (एनएसडीएल) का सहभागी है तथा अपने ग्राहकों को डीमैट खाता खोलने, डीमेटीरियलाइसेज़न, रीमेटीरियलाइसेज़न, शेयरों की डिलिवरी व निपटान, प्रतिभूतियों की गिरवी व दृष्टिबंधन, कार्पोरेट कार्रवाई की सुविधा देने आदि जैसी सुविधाएं देता है। वर्तमान में, बैंक की 2232 शाखाओं में डीपी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। बैंक ने अपने ग्राहकों को ऑनलाइन और ऑफ लाइन ट्रेडिंग सुविधाएं प्रदान करने हेतु मेसर्स रेलिगेरे सिक्युरिटीज़ लि. और मेसर्स जियोजित बीएनपी परिबास फायनांसियल सर्विस लि. के साथ गठबंधन किया है। बैंक संप्रति देश भर में डीपी तथा आस्बा (अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन) हेतु नामित शाखाओं का अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है।

16.2 आस्बा (अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन)

अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (आस्बा) लागू करने के लिए सेबी द्वारा निर्धारित किए गए पहले चार बैंकों में एक हमारा बैंक था। यह आईपीओ, एफपीओ व बुक बिल्डिंग माध्यम से या नियत मूल्य इश्यू के माध्यम से राइट इश्यू के लिए आवेदन देनेवाले निवेशकों के लाभ के लिए अतिरिक्त भुगतान तंत्र है। यह विकल्प सभी प्रवर्गों के निवेशकों - क्यूआईबी, कंपनी निकाय, एचएनआई आदि जैसे गैर-संस्थागत निवेशकों तथा व्यक्तिगत निवेशकों निहित खुदरा प्रवर्ग को उपलब्ध है। बैंक देश भर में अपनी सभी शाखाओं के ज़रिए आस्बा की सुविधा दे रहा है। नेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए इंटरनेट के माध्यम से आस्बा के लिए आवेदन देने के लिए बैंक ने एक अत्यंत सुविधाजनक पद्धति शुरू की है अर्थात् डीमैट ग्राहक आईडी, डीपी आईडी, नाम, पैन नंबर आदि जैसी सरल सूचना बैंक की वेबसाइट में आस्बा शीर्ष के तहत प्रथम पंजीकरण स्तर पर 'मेनटेन इन्वेस्टर्स' के तहत उपलब्ध उप शीर्षक में देने होते हैं।

17. विपणन पहल

कारोबार विकास के लिए ग्राहकों तक पहुँचने के क्षेत्र स्तरीय स्टाफ को बैंक के प्रयासों में मदद देने के लिए प्रधान कार्यालय और आंचलिक कार्यालयों में विपणन ढाँचा बनाया गया है।

17.1 न्यू कार्प पे रोल खाते की शुरुआत:

बैंक ने अगस्त 2014 में कार्प पे रोल के तीन नए वेरियंट-कार्प पे रोल (₹15000/- प्र.मा. से कम कुल वेतन के लिए), कार्प पे सूपर (₹15000/- से ₹75000/- प्र.मा. तक के बीच में कुल वेतन के लिए) और कार्प पे सिग्नेचर (₹75000/- प्र.मा. से अधिक के वेतन के लिए) वेतन क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आकर्षक स्वरूप के साथ शुभारंभ किया है। इन तीन वेरियंटस को मासिक सकल वेतन के आधार पर विभिन्न वेतन श्रेणी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है। इन तीन वेरियंट में प्रदान किया जानेवाला निशुल्क दुर्घटना बीमा एक आकर्षक घटक है।

पूर्ण रूप में, बैंक ने यथा 31.03.2015 को ₹96.65 करोड़ के बकाया के साथ इन तीन वेरियंट के तहत 1,65,989 कार्प पे रोल खाते खोले, इसमें 155792 कार्प पे रोल खाते, 9095 कार्प पे सूपर खाते और 1,102 कार्प पे सिग्नेचर खाते जिसमें क्रमश: ₹38.63 करोड़, ₹19.48 करोड़ और ₹38.54 करोड़ बकाया शेष शामिल है।

कासा बैंक के लिए ध्यान देने का क्षेत्र है, प्रत्येक अंचल में विपणन टीम पे रोल खातों के विपणन के लिए और कासा आधार में वृद्धि के लिए कार्पोरेटस,

16. Depository Services

16.1 The Bank is a participant of National Securities Depository Ltd., (NSDL) and offers Demat Services to its customers such as opening of Demat Accounts, Dematerialization, Rematerialisation, delivery & settlement of shares, pledge & hypothecation of securities, facilitating corporate action etc. The DP services are presently being offered in 2,232 branches of the bank. The Bank has tied up with M/s Religare Securities Ltd., and M/s. Geojit BNP Paribas Financial Services Ltd., for offering Online and Offline Trading facilities to its customers. The Bank is currently expanding its network of DP and ASBA (Application Supported by Blocked Amount) designated branches across the country.

16.2 ASBA (Application Supported by Blocked Amount)

The Bank was one of the first four banks identified by SEBI to introduce ASBA. It is an additional payment mechanism for the benefit of investors who apply in IPO, FPO & Rights Issues through book building route or through Fixed Price Issue. This option is available to all segments of investors – QIBs, Non-Institutional Investors such as Body Corporates, HNIs etc., and Retail segment consisting of individual investors. The Bank is offering ASBA through all its branches across the country. For net banking customers, the Bank has introduced a very convenient mode of applying for ASBA through internet i.e., only with simple information such as Demat Client ID, DP ID, Name, PAN Number etc., at the first registration level under the 'Maintain Investors' sub-heading available in the website of the Bank under ASBA head

17. Marketing Initiatives

A marketing set up is in place at Head Office and at all Zonal Offices of the Bank to support the efforts of the field level staff in reaching out to the customers for business development.

17.1 Launch of new Corp Payroll Accounts

The Bank has launched three new variants of Corp Payroll accounts in August 2014-Corp Payroll (for gross salary less than ₹15000/- p.m.), Corp Pay Super (for gross salary between ₹15000/- and ₹75000/-p.m.) and Corp Pay Signature (for gross salary above ₹75000/-p.m.), by tagging attractive features, to cater to the needs of the payroll segment. The three variants have been designed to suit the requirements of different salaried class based on their monthly gross salary. Free Personal Accident Insurance is one of the attractive features extended in all the three variants.

In total, the Bank has mobilized 1,65,989 Corp Payroll Accounts under the three variants with outstanding balance of ₹96.65 crores as on 31.03.2015, comprising of 1,55,792 Corp Payroll Accounts, 9,095 Corp Pay Super Accounts and 1,102 Corp Pay Signature accounts with outstanding balance of ₹38.63 crores, ₹19.48 crores and ₹38.54 crores respectively.

CASA being the focused area of the Bank, the marketing team is relentlessly on the job targeting corporates, existing CAPS

वर्तमान कैप्स ग्राहक, कार्पोरेट उधारकर्ता, चालू खाता धारकों आदि को लक्ष्य कर रही है। परिचालन में दक्षता वृद्धि के लिए इन खातों की सेवा की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है।

17.2 अभियान

प्रभाग ने विव 2014-15 के दौरान 5 अभियान आयोजित किए, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकाधार। कासा आधार और हमारे आवासीय और वाहन ऋण उत्पादों का विपणन करना। वे निम्नवत् है:

- **चालू खाता लीग 20:20–** गुणात्मक चालू खाते प्राप्त करने के दृष्टि से यह अभियान 20 दिसंबर, 2014 से 13 जनवरी, 2015 तक आयोजित किया गया। अभियान के दौरान ₹30 करोड़ की बकाया शेष के साथ 1,541 चालू खाते खोले गए।

- **पेरोल चरण–I अभियान–** कासा आधार बढ़ाने के लिए पे रोल खाते खोलने के निर्देश से यह अभियान 01.10.2014 से 31.12.2014 तक तीन माह की अवधि के लिए आयोजित किया गया। इस अभियान के दौरान कुल 76,337 पे रोल खाते खोले गए।

- **विपणन अधिकारियों हेतु पे रोल प्रतियोगिता –** पे रोल खाते खोलने में बैंक के विपणन अधिकारियों के बीच स्पर्धात्मक उत्साह को बढाने की दृष्टि से, कासा जमा आधार बढाने के लिए विशेष रूप से विपणन अधिकारियों के लिए 09.02.2015 से 21.03.2015 तक यह अभियान आयोजित किया गया। विपणन अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता से, अभियान अवधि के दौरान कुल 22,499 पे रोल खाते खोले गए।

- **पेरोल चरण–II अभियान–**इससे पूर्व के अभियान के दौरान पे रोल खाते खोलने के निष्पादन से प्रेरित होकर पे रोल खाते खोलने के लिए एक और अभियान 01.01.2015 से 31.03.2015 तक चलाया जिसमें बैंक ने 84,427 पे रोल खाते खोलें।

- **आवास ऋण–वेईकल ऋण प्रतियोगिता–** आवास ऋण और वेईकल ऋणों को खोलने में विपणन अधिकारियों की दक्षता को बढाने के लिए 09.02.2015 से 21.03.2015 तक उनके लिए विशेष रूप से अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान विपणन अधिकारियों द्वारा ₹44 करोड़ के प्रारंभिक संवितण के साथ 320 प्रस्ताव प्राप्त किए गए।

18. ग्राहक सेवा

18.1 बैंक का यह दृढ विश्वास है कि बैंक के कारोबार विकास में कारगर, मुस्तैद व दक्ष ग्राहक सेवा की अहम भूमिका होती है। इसे ध्यान में रखते हुए ग्राहक सेवा सुधारने के लिए बैंक ने कई उपाय किए हैं।

18.2 ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति

बैंक के बोर्ड ने अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक, महा प्रबंधकगण और ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले दो प्रमुख नागरिक, जो इस समिति के सदस्य हैं के साथ ग्राहक सेवा पर एक स्थायी समिति का गठन किया है। समिति की तिमाही आधार पर बैठक आयोजित की जाती है और इसमें ग्राहक सेवा

clients, corporate borrowers, current account clients, etc., in order to market Payroll Accounts and to improve CASA base. Servicing of these accounts are reviewed on regular basis to improve efficiency of operation.

17.2 Campaigns

The division has conducted 5 campaigns during the F. Y. 2014-15, with the main aim of improving the clientele base, CASA base and marketing our Housing and Vehicle Loan products. They are :

- **Current Account League 20:20** – The campaign was launched on 20th December, 2014 till 13th January, 2015, with a view to mobilise quality Current Accounts. During the campaign, 1,541 Current Accounts were mobilised with an outstanding balance of ₹30 crore.
- **Payroll Phase I Drive** – The campaign, for a period of three months from 01.10.2014 to 31.12.2014, was directed towards mobilizing Payroll Accounts, for improving CASA base. A total of 76,337 Payroll Accounts were mobilized during the drive.
- **Payroll Contest for Marketing Officers** – With a view to develop competitive spirit amongst the marketing officers of the Bank in mobilizing Payroll Accounts, a campaign exclusively for the marketing officers was launched from 09.02.2015 to 21.03.2015, to further augment the CASA deposit base. With the active participation of the Marketing Officers, a total of 22,499 Payroll Accounts were mobilized during the campaign period.
- **Payroll Phase II Drive** – Encouraged by the performance in mobilizing the Payroll Accounts during the earlier campaigns, one more campaign for mobilizing Payroll accounts was set in motion from 01.01.2015 to 31.03.2015 in which the Bank mobilized 84,427 Payroll Accounts.
- **HL-VL Contest** –To improve the efficiency of Marketing Officers in mobilizing Housing loans and Vehicle loans, a campaign exclusively for them was launched from 09.02.2015 to 21.03.2015. During the campaign, the marketing officers managed to mobilise 320 proposals with an initial disbursement of ₹44 crores.

18. Customer Service

18.1 The Bank strongly believes that an effective, prompt and efficient customer service plays a vital role in the business development of the Bank. With this end in view, the Bank has put in place a number of measures to improve its customer service.

18.2 Standing Committee on Customer Service

The Board of the Bank has constituted a Standing Committee on Customer Service with the Chairman and Managing Director, the Executive Directors, General Managers and two prominent citizens representing the customers, as its members.

और निवारण व्यवस्था की समीक्षा की जाती है। समिति प्राप्त विविध सुझावों पर कार्य करती हैं और ग्राहक सेवा में सुधार हेतु इन सुझावों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश देती है।

18.3 केंद्रीकृ त लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत निवारण विभाग के वेब सक्षम पोर्टल केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के तहत, वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने 111 शिकायतें प्राप्त की है। प्राप्त सभी शिकायतों का ग्राहक संतुष्टि के अनुसार समाधान किया गया है और यथा 31 मार्च, 2015 को सीपीजीआरएएमएस के तहत लंबित शिकायतें शून्य है।

18.4 लोक शिकायत निवारण व्यवस्था

दामोदरन समिति की सिफारिश के अनुसार शिकायतों की ऑनलाइन प्रस्तुति और निगरानी के लिए बैंक द्वारा लोक शिकायत निवारण व्यवस्था (पीजीआरएस) के नाम में बैंक की सभी शाखाओं व कार्यालयों में संपूर्ण सॉफ्टवेयर परिचालित है। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सभी शिकायतों को पीजीआरएस प्रणाली के माध्यम से एकत्र किया जाता है ताकि जानकारी के एकीकृ त रिपोजिटरी को अधिक कुशलता और समयबद्ध तरीके से निवारण में सुविधा होगी। वर्ष के दौरान बैंक द्वारा इस प्रणाली के तहत 2,388 शिकायतें प्राप्त की गई और यथा 31.03.2015 को सभी शिकायतों का निवारण किया गया और लंबित शिकायतें शून्य हैं।

18.5 लोकपाल मामलों का अनुवर्तन

बैंक लोकपाल मामलों का सख्ती से अनुवर्तन करता है और सभी आंचलिक कार्यालयों को लोकपाल मामलों की रिपोर्टिंग और निपटान से अवगत कराया है। वर्ष के दौरान बैंक ने 198 लोकपाल मामले प्राप्त किए और 186 मामलों का निपटान किया गया, जिसमें से 185 मामलों में बैंक के पक्ष में निर्णय आया और एक मामले में बैंक के खिलाफ निर्णय प्राप्त हुआ।

18.6 उपभोक्ता फोरम मामलों का अनुवर्तन

बैंक द्वारा उपभोक्ता फोरम मामलों का प्रभावी ढ़ंग से अनुवर्तन किया गया। वर्ष के दौरान 35 मामले बंद हो गऐ हैं। दीर्घ कालिक स्थायी मामलों के संबंध में, मामलों का यथाशीघ्र निपटान करने के लिए विधि विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहा है। वर्ष के दौरान, बैंक के खिलाफ 31 उपभोक्त मामले दर्ज किए गए और 35 मामलों को निपटाया गया, जिसमें से 30 उपभोक्त मामलों में बैंक के पक्ष में निर्णय दिया गया।

19. एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली

19.1 बेसल II/बेसल III अनुपालन

19.1.1 दुनिया भर के बैंक और वित्तीय संस्थाएं इतना परस्पर जुड़ गई हैं कि वित्तीय जगत का समय-क्षेत्र सिकुड़ गया है और यह विश्व सचमुच एक छोटी जगह बन गया है। लेकिन इस एकीकरण का यह भी मतलब होता है कि विश्व के एक हिस्से का भू-राजनैतिक जोखिम विश्व के दूसरे हिस्से को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार, एक-एक दिन गुज़रते-गुज़रते नए और अधिक जटिल जोखिम

The Committee meets on a quarterly basis and reviews the customer service and redressal mechanism. The Committee acts on the various suggestions received and gives the necessary directions for implementation of these suggestions to improve the customer service.

18.3 Centralised Public Grievances Redress and Monitoring System (CPGRAMS)

Under the Centralised Public Grievances Redress and Monitoring System, an online web enabled portal of the Department of Administrative Reforms and Public Grievances of the Ministry of Finance, Department of Financial Services, Government of India, the Bank has received 111 complaints during the year 2014-15. All the complaints have been resolved to the satisfaction of the customers and as on 31st March 2015, the pending complaints under CPGRAMS was NIL.

18.4 Public Grievance Redressal System

The full-fledged software for online lodging and monitoring of complaints as recommended by Damodaran Committee, is operationalized by the Bank in all its Branches and Offices, under the nomenclature - Public Grievance Redressal System (PGRS). All the complaints received from customers through various channels are channelized through the PGRS system, so as to have a unified repository of information that will facilitate initiating redressal initiatives in a more efficient and time-bound manner. During the year 2,388 grievances were received by the Bank under this system and as on 31.03.2015, all the grievances have been resolved, showing NIL pendency.

18.5 Follow up of Ombudsman Cases

Bank is vigorously following up the ombudsman cases and all the Zonal Offices have been sensitized in reporting and handling ombudsman cases. During the year, the Bank had received 198 ombudsman cases and 186 cases were disposed off. Of these, 185 cases were decided in favour of the Bank and only one case was awarded against the Bank.

18.6 Follow up of Consumer Forum Cases

Consumer Forum Cases have been effectively followed up by the Bank. During the year 35 cases have been closed. In respect of long standing cases, the Bank has been seeking the guidance of Legal experts, to resolve the issue at the earliest. During the year, 31 consumer forum cases were filed against the Bank and 35 cases were disposed off, of which, 30 consumer forum cases were decided in favour of the Bank.

19. Integrated Risk Management System

19.1 Basel II/ Basel-III Compliance

19.1.1 Banks and other financial institutions all over the world have become more inter-connected than ever as the time zones separating the financial world has shrunk and truly world has become a smaller place. This integration however also means that geo-political risks arising in one part of the globe also affects other part of the world. Thus, with each passing

उत्पन्न हो रहे हैं और विश्व भर की वित्तीय संस्थाओं को बढ़ते जोखिमों का सामना करने के लिए अपनी जोखिम प्रबंधन तकनीकों और संरचना को निरंतर रूप से बढ़ाना और सुधारना पड़ता है। बेसल II और बेसल III समझौते का उद्देश्य विभिन्न अधिकार क्षेत्रों और विभिन्न देशों में परिचालनरत विभिन्न बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं को एक साझेपर्यवेक्षी ढाँचे के अधीन लाते हुए जोखिम प्रबंधन प्रथाओं में एकरूपता लाना है।

19.1.2 जोखिम प्रबंधन, बैंक की संगठनात्मक संरचना और कारोबार रणनीति का एक अभिन्न अंग है। जोखिमों को पहचानने, मापने, निगरानी करने और नियंत्रित करने से बैंक को हानियों को कम करने और लाभ अधिकतम करने में मदद मिलती है। बैंक द्वारा सामना किए जा रहे मुख्य जोखिम हैं ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम और परिचालनगत जोखिम।

19.1.3 हमारे बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन समिति, बाज़ार जोखिम प्रबंधन समिति/आस्ति देयता प्रबंधन समिति और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति – कार्यपालकों की तीन जोखिम प्रबंधन समितियाँ तथा बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के साथ बैंक में एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन देख रही हैं। उधार जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन के लिए बैंक की सुस्पष्ट नीतियाँ हैं।

19.1.4 बैंक ने संभाव्य जोखिमों के मूल्यांकन के लिए आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) लागू की है ताकि इन जोखिमों का प्रबंधन व कमी की जा सके तथा जोखिम से संबंधित उसकी पूँजी पर्याप्तता का मूल्यांकन किया जा सके। अत्यंत दूभर परिस्थितियों में भी संभाव्य प्रभाव के संबंध में बैंक को बेहतर समझ प्रदान करते हुए जोखिम निर्धारण का स्तर बढ़ाने के लिए दबाव परीक्षण प्रक्रिया लागू की गई है। दबाव परीक्षण बैंकों को नाज़ूक क्षेत्र, यदि कोई है तो उसे पहचानने और उपयुक्त आकस्मिक योजनाएं विकसित करके उसके लिए तैयार होने में समर्थ करती है।

19.2 ऋण जोखिम

19.2.1 ऋण जोखिम के क्षेत्र में बैंक ने वर्ष 2006 में वाणिज्यिक ऋण सेग्मेंट के अंतर्गत उधारकर्ताओं के लिए लागू रेटिंग मॉडल क्रियान्वित किए थे। ये रेटिंग मॉडल जोखिम निर्धारण मॉड्यूल (रैम) नाम के वेब आधारित इंटरप्राइज़ वाइड सोल्यूशन पर काम करता है। वर्तमान में ₹25 लाख और उससे अधिक के एक्सपोज़र वाले उधारकर्ता का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मूल्यांकन टिप्पणियाँ तैयार करते समय रेटिंग का आकलन करने में बैंक को समर्थ करता है। बेसल–III के आईआरबी दृष्टिकोण में परिवर्तित होने हेतु डाटाबेस का सृजन करने के लिए रैम सॉफ्टवेयर मदद करेगा।

19.2.2 बैंक ने पूँजी आकलन मॉडयूल (कैम) भी प्राप्त किया है, जिसे भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित अनुसार बेसल III के मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम के पूँजीगत परिकलन के प्रयोजनार्थ इस्तेमाल किया जाता है। बैंक ऋण जोखिम के अंतर्गत एफआईआरबी (आधारभूत आंतरिक श्रेणीकरण पर आधारित दृष्टिकोण) में माइग्रेट होने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन कर चुका है। वर्तमान में बैंक ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण अपना रहा है।

19.2.3 बैंक ने समूह ऋण नीति सूत्रबद्ध की है, जो परिचालन के उन सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए जहाँ ऋण जोखिम शामिल है, ऋण प्रबंधन हेतु

day newer and more complex risks are arising and financial institutions across the world have to continuously enhance and improve their risk management techniques and architecture to address the growing risks. Basel II and Basel III accord are aimed at harmonizing the practices adopted by various banks operating across jurisdictions and countries, under a common supervisory framework, thus bringing uniformity in the Risk Management practices.

19.1.2 Risk Management is an integral part of Bank's organizational structure and business strategy. Identification, measurement, monitoring and controlling the risks enables the Bank to minimize losses and maximize profits. The major risks faced by the Bank are Credit Risk, Market Risk and Operational Risk.

19.1.3 In our Bank, three internal committees of executives, namely, Credit Risk Management Committee, Market Risk Management Committee/Asset Liability Management Committee and Operational Risk Management Committee – along with Risk Management Committee of the Board are looking after the implementation of Integrated Risk Management system. The Bank has well laid down policies for management of Credit, Market and Operational Risk.

19.1.4 The Bank has put in place Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to assess the risks to which it is exposed and has put risk management process in place to manage and mitigate those risks and evaluate the capital adequacy relative to these risks. To enhance risk assessment and to have a better understanding of the likely impact in extreme circumstances, stress testing process is conducted. Stress Testing enables the Banks to identify the vulnerable areas, if any, and to prepare for the same by developing appropriate contingency plans.

19.2 Credit Risk

19.2.1 In the area of credit risk, the bank had in the year 2006 implemented the rating models applicable for borrowers under commercial loan segment. The rating models are working on web based enterprise wide solution called Risk Assessment Module (RAM). This software, which is currently used to appraise the borrower with exposure of ₹25 lakhs and above, enables the Bank to assess the ratings while preparing the appraisal notes. The RAM software will help in creating database for moving over to the IRB approaches of Basel – III.

19.2.2 The Bank has procured Capital Assessment Module (CAM), which is used for capital computation of credit risk under standardized approach of Basel – III as prescribed by the RBI. The Bank has applied to the RBI for migrating to FIRB (Foundation Internal Rating based approach) under credit risk. Presently bank is following Standardised approach for Credit Risk.

19.2.3 Bank has formulated a Group Credit Policy, which lays down policy guidelines for credit management covering

नीतिगत दिशा-निर्देश निर्धारित करती है। इस नीति से बैंक जोखिम प्रबंधन क्षमताओं में वृद्धि कर सकता है जिससे बैंक अपने ऋण संविभाग में स्थिर तथा स्वस्थ संवृद्धि दर्शा सकता है जिसके परिणामस्वरूप निष्पादन समग्र रूप से सुधरेगा। नीति के अनुसार बैंक ने वैयक्तिक उधारकर्ताओं, गैर-कार्पोरेट उधारकर्ताओं हेतु विवेकपूर्ण सीमाएं, प्रवेश स्तरीय एक्सपोज़र मानदंड, बड़ी एक्सपोज़र सीमाएँ, मानक वित्तीय अनुपात, उधारकर्ता मानक, उद्योगों, संवेदनशील क्षेत्रों हेतु एक्सपोज़र सीमाएँ/उच्चतम सीमा, रेटिंग श्रेणी आदि निर्धारित किए हैं। निदेशक मंडल नियमित रूप से विवेकपूर्ण सीमाओं की समीक्षा करता है। बैंक ने बहुस्तरीय ऋण अनुमोदन की व्यवस्था भी लागू की है जिसमें ऋण प्रस्ताव संबंधी मंजूरी प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले "अनुमोदन ग्रिड" द्वारा मंजूर किए जाते हैं।

19.2.4 01.12.2011 से 5 करोड़ और उससे अधिक के ऋण एक्सपोजर वाले सभी प्रस्तावों हेतु उधार खातों की ऑन-साइट ऋण लेखा-परीक्षा शुरू की गई है। ₹5 करोड़ से कम के उधारकर्ता खातों की ऋण लेखा परीक्षा यादृच्छिक आधार पर की जाती है।

19.2.5 बैंक ने मानक आस्तियों की निगरानी के लिए स्वतंत्र प्रभाग स्थापित किया है। प्रभाग के दो वर्टीकल हैं एक- ₹1 करोड़ और अधिक के अत्यधिक एक्सपोजर की निगरानी और दूसरा- ₹1 करोड़ से कम एक्सपोजर की निगरानी। यह प्रभाग मानक श्रेणी के तहत नए स्लिपेज को रोकने के लिए दबावग्रस्त ऋण खातों का सूक्ष्म अनुवर्तन सुनिश्चित करने के लिए शाखाओं और आंचलिक कार्यालयों को मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करता है। स्लिपेज के लिए संभावित कारणों के साथ संभावित एनपीए की समयपूर्व पहचान के लिए परिचालित एक अग्रिम चेतावनी प्रणाली मानक आस्तियों/नए स्लिपेज की निगरानी के लिए एक आदर्श साधन है।

19.2.6 बैंक ने पोर्टफोलियो स्तर पर ऋण जोखिम के मूल्यांकन हेतु तथा संविभाग की गुणवत्ता सुधारने के लिए रणनीतियाँ अपनाने तथा कुछ उधारकर्ताओं या उद्योगों को एक्सपोज़र के संकेंद्रन के संभाव्य प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए उद्योग जोखिम निर्धारण व संविभाग विवेचन के कार्य की ज़िम्मेदारी भी ली है।

19.2.7 उधार खातों के रेटिंग माइग्रेशन पर द्विवार्षिक आधार पर अध्ययन भी किया जाता है तथा संविभाग गुणवत्ता की सुरक्षा के लिए समुचित उपचारात्मक कार्रवाई भी की जाती है।

19.2.8 प्रधान कार्यालय, आंचलिक कार्यालयों और मंडल कार्यालयों के ऋण प्रभाग द्वारा दी गई रेटिंग की ऑनलाइन पुष्टीकरण की व्यवस्था की गई है, जहाँ मंजूरीकर्ता प्रभागों द्वारा दी गई रेटिंग की समीक्षा की जा रही है।

19.3 बाज़ार जोखिम

19.3.1 बाज़ार जोखिम वह जोखिम है, जो बाज़ार मूल्य में उतार-चढ़ाव, जो विशेषतः ब्याज दरों, विदेशी विनिमय दरों तथा ईक्विटी तथा पण्यों के मूल्य में परिवर्तनों के कारण होता है। भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार, ''बाज़ार जोखिम को ऑन बैलेंस शीट में जोखिम के रूप में तथा ऑफ बैलेंस शीट में बाजार की कीमतों /अंतर में गतिविधियों से प्राप्त स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है।'' परिवर्तनों का बैंक अर्जन और उसकी पूंजी पर सीधे असर पडेगा। इन परिवर्तनों का बैंक की चलनिधी और लाभप्रदता पर भी असर पड सकता है।

all areas of operation where credit risk is involved. The policy would enable the bank to enhance the risk management capabilities and thereby improve the performance through steady and healthy growth in credit portfolio. This policy has set prudential limits to individual borrowers, non-corporate borrowers, entity level exposure norms, substantial exposure limits, benchmark financial ratios, borrower standards, exposure limits / ceilings to industries, sensitive sectors, rating category etc. The Board reviews the prudential limits regularly. The Bank has implemented a multi-tier credit approval system wherein the loan proposals are cleared by an "Approval Grid" before being placed to the respective sanctioning authorities.

19.2.4 On-site Credit Audit of Borrowal Accounts have been introduced with effect from 01.12.2011 for the credit exposure of ₹5 core and above for all the proposals. Credit Audit of Borrowal Accounts less than ₹5 crore are being conducted on random basis.

19.2.5 Bank has created a separate division for monitoring standard assets. The division has two verticals, one for monitoring large exposure of ₹1 crore and above and another for monitoring exposure below ₹1 crore. The division is guiding and supporting the branches and zonal offices for ensuring close follow up of stressed loan accounts under standard category to avoid fresh slippages. A system driven advance warning system for early identification of probable NPAs with probable reasons for slippages is put in place which is an ideal tool for effective monitoring of standard assets/containing fresh slippages.

19.2.6 The Bank has also undertaken Industry Risk Assessment and Portfolio Studies in order to assess the credit risk at the portfolio level and adopt strategies to improve the quality of portfolio and reduce the potential adverse impact of concentration of exposures to certain borrowers or industries.

19.2.7 Study on rating migration of borrowal accounts is undertaken and appropriate corrective actions are initiated to protect the portfolio quality.

19.2.8 Online confirmation of rating assigned by Credit Divisions at H.O., Zonal Offices and Circle Offices has been put in place whereby the ratings awarded by the sanctioning divisions are reviewed.

19.3 Market Risk

19.3.1 Market Risk is the risk to the Bank resulting from the movement in market prices particularly due to changes in the interest rates, equity and commodity prices. As per RBI guidelines, "Market risk is defined as the risk of losses in on-balance sheet and off-balance sheet positions arising from movements in market prices / variables". The changes will have direct impact on the Bank's earnings and its capital. These changes can have ramifications on Bank's liquidity and profitability.

19.3.2 बैंक ने प्रभावी रूप से बाज़ार जोखिम के प्रबंधन हेतु बाज़ार जोखिम नीति कार्यान्वित की है। नीति की वार्षिक रूप से समीक्षा की जाती है, विदेशी मुद्रा, देशी ट्रेजरी और कीमती धातु परिचालन की सभी सीमाओं को पुनर्निर्धारित किया जाता है। नीति में चलनिधी का प्रभावी मापदंड, निगरानी और प्रबंधन, ब्याज दर, विदेशी विनिमय ईक्विटी के साथ बैंक के पण्य मूल्य जोखिम पर जोर दिया जाता है। व्यापार बही में बाज़ार जोखिम की उपयुक्त नियंत्रण व्यवस्था के अनुसार निगरानी की जाती है। बाज़ार स्थिति, निधीयन स्वरूप, अवधि, प्रतिपक्ष सीमाएँ तथा विभिन्न संवेदनशील मानदंडों पर निगरानी रखी जाती है। प्रोन्नत जोखिम प्रबंधन उपाय, जैसे जोखिम पर मूल्य (वीएआर), जोखिम पर अर्जन (ईएआर), निवल एक दिवसीय आरंभिक राशि सीमा (एनओओपी) तथा संशोधित समयावधि सीमा बाज़ार जोखिम के प्रबंधन में प्रयुक्त होते हैं।

19.3.3 वर्तमान में बैंक मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण के तहत बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना कर रहा है। बैंक ने बाजार जोखिम के लिए बेसल III के उन्नत दृष्टिकोण में स्थानांतर हेतु अपनी वर्तमान प्रणाली/प्रक्रिया को अद्यतन किया है। बैंक ने अप्रैल 2014 से मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण और आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण के तहत बाजार जोखिम पूंजी की शुल्क गणना समानांतर शुरू की है।

19.4 परिचालनात्मक जोखिम

19.4.1 परिचालनगत जोखिम सभी कारोबार परिचालनों में अंतर्निहित है तथा परिचालनगत जोखिम का प्रबंधन सुदृढ एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है। कारोबार का आकार तथा जटिलता तथा बैंक के जोखिम दर्शन के परिप्रेक्ष्य में निरंतर प्रशिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से क्षेत्र स्तर के कार्मिकों को ज्ञान देने पर जोर दिया जाता है। बेसल III ढांचे के तहत प्रोन्नत दृष्टिकोण की ओर बढ़ने के लिए और जोखिम प्रबंधन में उद्योग क्षेत्र के बेहतर जोखिम प्रबंधन को अपनाने के लिए बैंक ने परामर्शदाताओं तथा सोफ्टवेयर वेंडरों की नियुक्ति की है।

बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति कार्यान्वित की है जो उसे परिचालनात्मक जोखिम को कारगर रूप से प्रबंध करने में मदद देता है। बैंक ने परिचालन जोखिम लेने की क्षमता, बीमा जोखिम और परिदृश्य विश्लेषण के लिए बिजनेस लाइन मैपिंग, लॉस डाटा कैप्चर, जोखिम नियंत्रण स्व-आकलन (आरसीएसए), मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआई), लॉस डाटा मॉडलिंग, नीचे से ऊपर तक के दृष्टिकोण हेतु ढाँचे को भी क्रियान्वित किया है।

19.4.2 वर्तमान में बैंक मूल संकेतक दृष्टिकोण के तहत परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार परिकलित कर रहा है। बैंक ने समांतर आधार पर परिचालनगत जोखिम पूंजी प्रभार परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) में स्थानांतरित होने के लिए भारिबैं से अनुमोदन प्राप्त किया है। समांतर रन के दौरान, बैंक को नियामक पूँजी उद्देश्य के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) के तहत पूंजी प्रभार का अनुरक्षण करना होगा। इसके साथ ही बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूँजी प्रभार के परिकलन हेतु "उन्नत मापन दृष्टिकोण (एएमए)" की ओर बढ़ने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन प्रस्तुत किया है।

19.4.3 बैंक ने 2008-09 से सात वर्षों के लिए परिचालनात्मक जोखिम लॉस डाटा को एकत्र किया है। बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम सॉफ्टवेयर को रॉल-आउट किया जिसका जोखिम लॉस डाटा को प्राप्त करने, जोखिम

19.3.2 The Bank has implemented Market Risk Policy for managing the Market Risk in an effective manner. The policy is reviewed annually, revisiting all the limits of forex, domestic treasury and precious metal operations. The policy emphasises effective measurement, monitoring and management of liquidity, interest rates, foreign exchange, equity as well as commodity price risk of the Bank. The market risk in trading book is monitored and managed as per appropriate control mechanism in place. Market position, funding patterns, duration, counterparty limits and various sensitive parameters are closely monitored. Advanced risk management tools such as Value at Risk (VaR), Earnings at Risk (EaR), Net Overnight Open Position Limits (NOOP) and modified duration limits are used in managing market risk.

19.3.3 At present Bank is calculating capital charge for market risk under standardized duration approach. Bank has upgraded its existing system/process to migrate to advanced approaches of Basel-III for market risk. The Bank has started conducting parallel run of Market Risk Capital Charge computation under standardized duration approach and internal model approach since April 2014.

19.4 Operational Risk

19.4.1 Operational Risk is embedded in all business operations and the management of operational risk is an important part of the sound Integrated Risk Management Structure. Due to size, complexity of business and risk philosophy of the bank, emphasis is being given to impart knowledge at the field level through continuous training process. The bank has appointed consultants and software vendors to implement operational risk management framework, to move over to advanced approaches under Basel III framework and also to adopt industry best practices in risk management,.

The Bank has implemented Operational Risk Management Policy for managing the operational risk in an effective manner. The Bank has also implemented framework documents for Business Line Mapping, Loss Data Capture, Risk Control Self-Assessment (RCSA), Key Risk Indicator (KRI), Loss Data Modelling, Bottom-up Approach for Operation Risk Appetite, Insurance Risk Mitigant and Scenario Analysis.

19.4.2 At present Bank is calculating capital charge for operational risk under Basic Indicator Approach. The Bank has received approval from RBI to migrate to The Standardized Approach (TSA) for calculating operational risk capital charge on Parallel Run basis. During the parallel run, the bank has to maintain capital charge as per Basic Indicator Approach (BIA) for regulatory capital purposes. The Bank has also applied to RBI for moving over to "Advanced Measurement Approach (AMA)" for computation of capital charge for operational risk.

19.4.3 The Bank has collected operational risk loss data for seven years starting from 2008-09. The Bank has rolled out operational risk software which is used for collecting Loss

आयोजन और स्वयं-निर्धारण अभ्यास, जोखिम संकेतक घटक की निगरानी, लॉस डाटा मॉडेलिंग और विविध एमआईएस रिपोर्ट जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैंक ने आरसीएसए रजिस्टर संकलित किए हैं और महत्वपूर्ण इकाईयों हेतु केआरआई की पहचान की है।

19.4.4 जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के तहत पाँच कारोबार जोखिमों तथा दो नियंत्रण जोखिमों को शामिल करते हुए जोखिम प्रोफाइल टेम्प्लेट तिमाही आधार पर तैयार किए जाते हैं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जाते हैं।

19.5 आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम)

19.5.1 आस्ति देयता प्रबंधन कार्य में बैंक की विविध आस्तियों और देयताएं प्रवाह, स्तर, मिश्रण, लागत तथा प्रतिफल की आयोजना करना, निर्दिष्ट करना व नियंत्रित करना शामिल है। आस्ति देयता प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य जोखिम मिटाना नहीं है, बल्कि उसका प्रबंधन इस प्रकार करना है कि पुनर्मुल्यांकन जोखिम के कारण अर्जन में कमी, अर्जन जोखिम और आधार जोखिम न्यूनतम हो।

19.5.2 जोखिम प्रबंधन एवं नियंत्रण के एक अंग के रूप में बैंक ब्याज दर संवेदनशीलता (गैप विश्लेषण), आस्तियों एवं देयताओं की परिपक्वता और तरलता का विश्लेषण करने के लिए आस्ति देयता प्रबंधन प्रणाली का इस्तेमाल कर रहा है। बैंक, तरलता का मापन स्टॉक एण्ड फ्लो दृष्टिकोण के उपयोग द्वारा किया जाता है इसके अलावा, ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए जोखिम पर अर्जन एवं अवधि जैसे मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। तिमाही आधार पर तरलता जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम का दबाव परीक्षण किया जाता है। बैंक व्यापार बही में जोखिम मापने के लिए जोखिम पर मूल्य (वीएआर) लागू करता है। आस्ति देयता प्रबंधन समिति (अल्को) चलनिधि अनुपात की निगरानी करती है, जो बैंक की संभावित चलनिधि कठिनाईयों के प्रति लघु अवधि प्रतिरोध क्षमता को यह सुनिश्चित करते हुए बढ़ावा देती है कि उनके पास 30 दिन तक चलनेवाली भारी तनाव की स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) है। इसके साथ ही बैंक ने बैंक की विविध शाखाओं द्वारा प्रदान किए गए निधि और प्रयुक्त की गई निधी के लिए चालू बाज़ार दर के आधार पर मूल्य निर्धारित करते हुए एक वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित आंतरिक मूल्य अंतरण व्यवस्था कार्यान्वित की है। प्रभावी चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए यह अत्यावश्यक घटक है।

19.5.3 बाज़ार जोखिम प्रबंधन समिति/आस्ति देयता प्रबंधन समिति ब्याज दर परिदृश्य, जमाराशियों एवं अग्रिमें हेतु उत्पाद मूल्य-निर्धारण, वृद्धिशील आस्तियों एवं देयताओं का वाँछित परिपक्वता प्रोफाइल, बैंक निधियों हेतु माँग, बैंक का नकद प्रवाह, लाभप्रदता आयोजना एवं समग्र तुलन पत्र प्रबंधन की समीक्षा हेतु नियमित अंतराल में बैठक करती है।

20. मानव संसाधन प्रबंधन

20.1 शाखा विस्तार, कारोबार वृद्धि और सेवानिवृत्ति/इस्तीफा के कारण जनशक्ति की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बैंक ने वर्ष 2014-15 के दौरान 1,671 कर्मचारियों की भर्ती की है; इनमें 1,269 लिपिक, 372 सहायक प्रबंधक और वेतनमान-II में 30 विशेषज्ञ अधिकारी शामिल है। पिछले वर्ष के आखिरी दिन के 18,282 की तुलना में 31 मार्च, 2015 को कर्मचारियों की कुल संख्या 19,210 रही।

Data, conducting Risk and Control Self-Assessment exercise, monitoring Key Risk Indicators, Loss Data modeling and generating various MIS reports. The Bank has compiled RCSA registers and identified KRIs for critical units.

19.4.4 Under the Risk Based Supervision, Risk Profile Templates covering five business risks and two control risks are prepared on quarterly basis and submitted to RBI.

19.5 Asset Liability Management (ALM)

19.5.1 The ALM function involves planning, directing and controlling the flow, level, mix, cost and yield of various assets and liabilities of the Bank. The primary objective of ALM is not only to eliminate the risk, but to manage it in such a way that the decrease in earnings due to Repricing risk, Yield curve risk and Basis risk is minimal.

19.5.2 As a part of Risk Management and control, the Bank is using ALM system for studying and analyzing the interest rate sensitivity (GAP Analysis), Maturity and Liquidity analysis of Assets and Liabilities. The Bank is measuring the liquidity using the stock and flow approach. Further, models like Earning at Risk and Duration are used for Interest rate risk management. Stress testing of liquidity risk and interest rate risk is conducted on quarterly basis. The Bank applies value–at-Risk (VaR) to measure the risk in the Trading Book. Asset Liability Management Committee (ALCO) monitors the Liquidity Coverage Ratio (LCR) which promotes short term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient high quality liquid assets (HQLA) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. The Bank has also implemented a scientifically evolved Internal Transfer pricing mechanism by assigning values on basis of current market rates to funds provided and funds used by various branches of the Bank. This is important component for effective Liquidity Risk Management.

19.5.3 The Market Risk Management Committee/Asset Liability Management Committee meets at regular intervals to review the interest rate scenario, product pricing for both deposits and advances, desired maturity profile of the incremental assets and liabilities, demand for Bank funds, cash flows of the Bank, profit planning and overall Balance Sheet Management.

20. Human Resources Management

20.1 To meet the manpower requirement on account of Branch expansion, Business Growth and retirement/resignation, 1,671 employees have been recruited during the year 2014-15 comprising of 1,269 clerks, 372 Assistant Managers and 30 Specialist Officers in Scale II. As on 31.03.2015, the total staff strength of the Bank stood at 19,210 as compared to 18,282 as on last day of the previous year.

20.2 यथा 31.03.2015 को प्रति कर्मचारी कारोबार और प्रति कर्मचारी निवल लाभ क्रमशः 19.14 करोड़ और 3.25 लाख रहा।

20.3 कर्मचारियों की भर्ति के दौरान, बैंक आरक्षण संबंधी सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है। वित्त वर्ष के दौरान, भर्ती किए गए नए उम्मीदवारों में से 461 स्टाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के हैं, अर्थात 27.61%। यथा 31 मार्च, 2015 को कुल कर्मचारियों की संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व 5,279 अर्थात 27.48% है।

20.4 कर्मचारियों की भर्ति के दौरान, अन्य आरक्षित प्रवर्गो, शारीरिक रूप से विकलांग और भूतपूर्व सैनिक का भी यथोचित प्रतिनिधित्व है। यथा 31 मार्च, 2015 को 4,324 अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारी, 388 शारीरिक रूप से विकलांग और 1,201 भूतपूर्व सैनिक बैंक की स्टाफ सूची में हैं।

21. मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण

21.1 बैंक दक्षता में सुधार लाने के दीर्घकालिक दृष्टि से अपने कार्यबल को प्रशिक्षित करने और विकसित करने और उन्हें उद्योग में सबसे उत्पादक कार्यबलों में से एक बनाने में सहायता देता है। बैंक अपने कर्मचारियों को ज्ञान, कौशल और सही मनोवृत्ति के साथ सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। प्रभाग ने वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 8,660 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है। कर्मचारियों को ऋण, फॉरेक्स, जोखिम प्रबंधन, मुद्रा प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न विशेषज्ञ क्षेत्रों में और सामान्य प्रबंधन अनुप्रयोग में प्रशिक्षित किया है।

21.2 298 परिवीक्षाधीन सहायक प्रबंधकों और 740 लिपिकों के लिए संपूर्ण देश भर में हमारे संकाय सदस्यों द्वारा प्रेरक कार्यक्रम आयोजित किए गए। 68 अधिकारियों हेतु 2 बैंच में एनआईबीएम में विदेश और व्यापार वित्तपोषण पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।

21.3 बैंक के दो सौ अस्सी अधिकारियों/कार्यपालकों को अपने परिचालन क्षेत्र में गहन प्रशिक्षण पाने हेतु विभिन्न प्रतिष्ठित बाहरी प्रशिक्षण केंद्रों में भेजा गया। इसके लिए चुने गए प्रशिक्षण केंद्र हैं - एनआईबीएम, सीएबी, आरबीआई, आईडीआरबीटी, आईआईबीएफ, सीआईआई, सीआईबीआईएल, सीएएफआरएएल, एनपीसीआई, बर्ड, एएससीआई, एससीओपीई. एफआईएमएमडीए, एनआईआरडी, आईआईएम-गुवाहाटी आदि।

21.4 प्रभाग ने सात कार्यपालकों/अधिकारियों को वर्ष के दौरान विदेश में संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/अध्ययन दौरों/प्रशिक्षणों में भाग लेने के लिए नामांकित किया।

21.5 कार्यपालकों के लिए आर्ट ऑफ लिविंग फाऊंडेशन के सहचर्य में प्रधान कार्यालय में दबाव प्रबंधन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और 30 कार्यपालक इस कार्यक्रम में सहभागी हुए।

21.6 चेन्नई अंचल के फ्रंटलाईन अधिकारियों और लिपिकों हेतु हमारी ग्राहक सेवा में वृद्धि के लिए सॉफ्ट स्किल पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।

21.7 वर्ष के दौरान बैंक ने अजा/अजजा प्रवर्ग के 2,657 कर्मचारियों तथा अ.पि.सं. के 1,622 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया।

20.2 Business per employee and net profit per employee as on 31.03.2015 stood at ₹19.14 crore and ₹3.25 lakh respectively.

20.3 While recruiting the employees, Bank is following the Government guidelines on reservation. During the financial year, 461 staff out of the total new recruitments represents the Scheduled Caste and Scheduled Tribes i.e. 27.61%. The representation of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees in the total staff strength as on 31st March 2015 stood at 5,279 i.e. 27.48%.

20.4 While recruiting the employees, due representation is given to other backward communities, physically handicapped and Ex-servicemen. As on 31.03.2015, 4,324 employees belonging to other Backward Communities, 388 Physically Handicapped and 1,201 Ex-servicemen were on the rolls of the Bank.

21. Human Resources Development and Training

21.1 The Bank proactively helps in grooming and development of its workforce, with the long term view of improving the efficiency and to make it one of the most productive workforces in the industry. The Bank is dedicated to empower its employees with knowledge skill and the right attitude. The division has trained 8,660 employees during the F.Y. 2014-15. The employees have been trained in various areas of specialization like Credit, Forex, Risk Management, Currency Management, Human Resource Management, Information Technology as well as in General Management.

21.2 Induction program for 298 Probationary Assistant Managers and 740 clerks was conducted by our Faculties across the country. A Programme on Forex & Trade Finance was conducted at NIBM for 68 Officers in two batches.

21.3 Two hundred eighty two Officers / Executives of the Bank were nominated to various external training centers of repute for intensive training in their field of operation. The training centers identified for the purpose were NIBM, CAB, RBI, IDRBT, IIBF, CII, CIBIL, CAFRAL, NPCI, BIRD, ASCI, SCOPE, FIMMDA, NIRD, IIM Guwahati etc.

21.4 The division has nominated seven Executives/Officers for attending Seminars/Workshops/Study Tours/Trainings abroad during the financial year.

21.5 A program on Stress Management was conducted at Head Office in association with Art of Living Foundation for Executives and 30 Executives participated in the programme.

21.6 A specially designed Program on Soft Skills to improve our Customer Service was conducted for Frontline Officers and Clerks of Chennai Zone.

21.7 During the year the Bank has trained 2,657 employees belonging to SC/ST community and 1,622 employees belonging to OBC communities.

21.8 बैंक ''सेकंड इनिंग'' के नाम से सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मचारियों और उनकी पत्नी/ पति के लिए दो दिनों का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आवधिक रूप से आयोजित करता है। प्रतिभागियों को उद्देश्यपूर्ण सेवानिवृत्ति जीवन के लिए इस प्रशिक्षण में वित्त आस्तियों का प्रबंधन और निवेश योजनाएं, योगा/ प्राणायम, स्वास्थ्य और खानपान परामर्श आदि पर सत्र लिए जाते हैं।

21.9 वर्तमान में 7 स्थानों पर बैंक की कर्मचारी प्रशिक्षण सुविधाएं है। वित्त वर्ष के दौरान 8,062 कर्मचारियों को हमारे कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों / केंद्रो में प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा 598 कर्मचारियों का कंपनी और बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित किया गया।

21.10 पदोन्नतियाँ

बैंक अपने कर्मचारियों को अपने करियर में आगे बढ़ने और बड़ी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए इष्टतम अवसर प्रदान करता है। वर्ष के दौरान बैंक ने 1,885 कर्मचारियों को पदोन्नत किया, जिसमें 4 महा प्रबंधक, 20 उप महा प्रबंधक, 94 सहायक महा प्रबंधक, 229 मुख्य प्रबंधक, 610 वरिष्ठ प्रबंधक, 638 प्रबंधक और 290 सहायक प्रबंधक शामिल है।

22. निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा

22.1 सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) की नीति अपनाई है। जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा उचित जोखिम निर्धारण और आकलन, कारगर जोखिम नियंत्रण और प्रबंधन उपाय, नियंत्रण प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका लक्ष्य कार्पोरेट अभिशासन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होने के साथ-साथ विनियामक तथा प्रणालीगत अनुपालन स्तर के बारे में प्रबंधन वर्ग को आश्वासन देना है।

22.2 शाखाओं की आंतरिक लेखा-परीक्षा पर ध्यान केंद्रीत करते हुए और कारगर रूप से करने के लिए कतिपय लेख-परीक्षा कार्य को विकेंद्रीकृत किया गया है और जुलाई 2014 में 6 मंडल लेखा-परीक्षा कार्यालयों (सीएओ) को प्रत्यायोजित किया गया है। देश भर में महत्वपूर्ण केंद्रों में स्थित ये मंडल लेखा-परीक्षा कार्यालय वार्षिक लेखा-परीक्षा योजना और लेखा परीक्षा नीति के अनुसार लेखा-परीक्षा करते हैं और लेखा-परीक्षा रिपोर्टों को समाप्त करते हैं। लेखा परीक्षा रिपोर्टों में पायी गई कमियों/ सिफारिशों और रिपोर्ट की समाप्ति पर चर्चा करने हेतु मंडल लेखा परीक्षा समिति की मासिक बैठक आयोजित की जाती है। सभी सीएओं मे ऑफ साईट निगरानी इकाईयां स्थापित की गई है।

22.3 बैंक की सभी शाखाओं का आंतरिक निरीक्षण किया जाता है ताकि जोखिम पर अंकुश हो, कारगर नियंत्रण तंत्र हो और परिचालनों में दक्षता सुधरे। प्रत्येक शाखा की जोखिम अवबोध के आधार पर जोखिम आधारित आंतरिक शाखा निरीक्षण 12 से 18 महीनों में एक बार किया जाता है। शाखा निरीक्षण की आवधिकता शाखा श्रेणी के साथ-साथ शाखा के पिछले निरीक्षण में आबंटित जोखिम श्रेणीकरण के आधार पर तय की जाती है। नई खोली गई शाखाओं का पहला निरीक्षण परिचालनों को शुरू करने के 6 महीनों के भीतर किया जाता है। वर्ष 2014-15 के दौरान 1480 शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा की गई।

22.4 उच्च जोखिम श्रेणीकृत शाखाओं में दो नियमित निरीक्षणों के बीच जोखिम आधारित स्नैप लेखा-परीक्षा भी आयोजित की जाती है। अभिनिर्धारित

21.8 Bank is conducting two days residential training programme for the retiring employees and their spouse named "Second Innings" periodically. The training covers sessions on Managing financial assets and Investment plans, Yoga/ Pranayama, Counseling for health and dietary concerns etc., to help the participants to lead a purposeful post-retirement life.

21.9 At present, the Bank is having Staff Training Facilities at 7 locations. During the financial year 8,062 employees were trained at our Staff Training Colleges / Centers, besides nominating 598 employees to In-Company and External training programs.

21.10 Promotions:

Providing optimum opportunities and career progression to the employees to shoulder higher responsibilities, Bank has promoted 1,885 employees comprising of 4 General Managers, 20 Deputy General Managers, 94 Assistant General Managers, 229 Chief Managers, 610 Senior Managers, 638 Managers and 290 Assistant Managers, during the year.

22. Inspection & Audit

22.1 As per the guidelines of the Government of India and RBI, the Bank has adopted the policy of Risk Based Internal Audit (RBIA). Risk based internal audit lays focus on proper risk identification and assessment, effective risk containment and management measures, adequacy of control systems and procedures as well as optimum use of resources. It aims at giving an assurance to the Management on the level of regulatory and systemic compliance, besides assisting in accomplishment of corporate governance objectives.

22.2 In order to have focused attention on internal audit of branches and follow up functions adequately and efficiently, certain audit functions have been decentralized and delegated to 6 Circle Audit Offices (CAOs) in July 2014. These CAOs, located at important centers across the Country, conduct audit and close the audit reports in terms of the Annual Audit Plans & Audit Policy. Monthly Circle Audit Committee meetings are held to discuss the critical findings/observations of the audit reports and lodgment of reports. Offsite Monitoring Units at all CAOs are established.

22.3 All the Branches of the Bank are subjected to internal inspection so as to contain risk, have effective control mechanism and improve efficiency of operations. Risk based internal branch inspection is conducted once in 12 to 18 months depending upon the risk perception of each Branch. The periodicity of branch inspection is decided based on category of the Branch as well as the risk rating allotted, in the previous inspection of the branch. Newly opened branches are subjected to first inspection within 6 months from the date of starting the operations. Risk Based Internal Audit of 1,480 Branches were conducted during the F. Y. 2014-15.

22.4 Risk Based Snap Audits (RBSA) are conducted at High Risk rated branches in between two regular inspections. Special

शाखाओं/कार्यालयों में ज़रूरत पड़ने पर विशेष स्नैप ऑडिट भी किए जाते हैं। जिन अंचलों में शाखाएं खाता प्रसंस्करण केंद्रों (एपीसी) से लिंक की गई हैं और दूसरे अंचलों में यादृच्छिक रूप से चुनी गई 5 शाखाओं में नए खोले गए खातों की तिमाही केवाईसी अनुपालन लेखा परीक्षा भी की जाती है।

22.5 प्रधान कार्यालय, मंडल कार्यालय और आंचलिक कार्यालयों के सभी कार्यात्मक प्रभागों की प्रबंधन लेखा-परीक्षा वर्ष में एक बार की जाती है। अन्य कार्यालयों जैसे कार्प बैंक सिक्यूरिटिज, पूंजी बाजार शाखा, चिकमगलूर में कॉबसेटी, एसटीसी, अग्रणी बैंक कार्यालय और सीएमएस कोर केंद्र, एटीएम केंद्र, क्रेडिट कार्ड प्रभाग, म्यूजियम, विदेशी प्रतिनिधि कार्यालय आदि की भी वर्ष में एक बार नियमित निरीक्षण की जाती है। इसके अलावा ट्रेज़री शाखा, मुंबई, फॉरेक्स डीबी, कैप्स शाखाएं, करेंसी चेस्ट, सेवा शाखाएं, एआरएमबी, खुदरा हब, एलआईसी हब, एसएमईएलसी आदि का भी वार्षिक निरीक्षण किया जाता है। वि.व. 2014-15 के दौरान सीएओ की समकक्ष लेखा परीक्षा भी शुरू की गई।

22.6 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम अवबोध और कारोबार की मात्रा के आधार पर अभिनिर्धारित शाखाओं/कार्यालयों में नियमित संगामी लेखा-परीक्षा की जाती है। 2014-15 के दौरान 50% जमाराशियां और 50% अग्रिम के न्यूनतम कवरेज के लिए भारिबैं के निर्धारण के पक्ष में बैंक के कुल कारोबार का 80% संभालने वाली 358 शाखाओं की सनदी लेखाकारों की बाहरी फर्म की सेवाएं लेते हुए संगामी लेखा परीक्षा कार्रवाई गई। इसके अतिरिक्त, आईबीआर, एफटीएस सेंटर, बेंगलूर, निवेश कक्ष, बहुमूल्य धातु कक्ष और फॉरेक्स कक्ष सहित मुंबई में ट्रेज़री एवं निवेश विभाग का नियमित निरीक्षण के अलावा संगामी लेखापरीक्षा की जाती है। प्रत्येक आंचलिक कार्यालय द्वारा प्रत्येक तिमाही में संगामी लेखा परीक्षकों की बैठक आयोजित की जाती है और इसमें सीएओ के प्रमुख और/अथवा प्र.का. का कोई कार्यपालक अवश्य उपस्थित होते हैं।

22.7 वर्ष 2014-15 के दौरान 1,107 शाखाओं का ऑफ-साइट निगरानी ऑडिट किया गया। कंप्यूटरीकृत वातावरण में सुरक्षा और प्रक्रियागत जोखिमों को निर्धारित करने, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर की सुरक्षा, कार्यक्षमता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने तथा डाटा की उपलब्धता, यथातथ्यता और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए अभिनिर्धारित शाखाओं का आरबीआईए के साथ ऑन-साइट शाखा सूचना सुरक्षा लेखा-परीक्षा (बीआईएसए) भी की गई है। कोर सेंटर, एफटीएस सेंटर, वेब सेंटर, ट्रेज़री एवं निवेश विभाग और डीआर साइट की लेखा परीक्षा हर छह महीने में की जाती है। एटीएम वॉल्टों की लेखा परीक्षा और सेवा प्रदाता इकाइयों की लेखा परीक्षा साल में एक बार की जाती है।

22.8 चयनित शाखाओं/कार्यालयों की राजस्व लेखा परीक्षा साल में एक बार की जाती है। विव 2014-15 के दौरान 1059 शाखाओं की राजस्व लेखा परीक्षा की गई।

22.9 ₹25 करोड़ से अधिक की सीमा के 77 खातों की ऋण लेखा परीक्षा भी की गई।

22.10 निरीक्षण और लेखापरीक्षा में पाई जाने वाली सभी मुख्य कमियाँ निदेशक-मंडल की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष जानकारी व उचित दिशानिर्देशों के लिए रखी जाती है।

22.11 कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय के समन्वय में 2 और 3 जनवरी, 2015 को कार्पोरेट कार्यालय में सभी निरीक्षकों/क्षेत्र अधिकारियों हेतु दो

Snap audits are also conducted at the identified Branches/ Offices, as and when need arises for such audits. Quarterly KYC compliance audit of newly opened accounts is also conducted at the Account Processing Centres (APCs), in case of Zones where the branches are linked to APCs and at 5 randomly selected branches in other Zones.

22.5 Management Audit of all the functional Divisions at Head Office, Circle Offices and Zonal Offices are conducted once in a year. Other Offices such as CorpBank Securities Ltd., Capital Market Branch, COBSETI at Chikmagalur, STCs, Lead Bank Offices, CMS Core centres, ATM centres, Credit Card Division, Museum, the Overseas Representative Offices etc., are also subjected to regular inspection once in a year. Further, Treasury Branch, Mumbai, Forex DBs, CAPS Branches, Currency Chests, Service Branches, ARMBs, Retail Hubs, LIC Hubs, SMELCs etc., are subjected to annual inspection. Peer audit of CAOs was introduced during the F.Y. 2014-15.

22.6 In terms of RBI guidelines, Concurrent Audit is carried out at the Branches/Offices identified based on risk perception and volume of business handled. During the year 2014-15, 358 branches covering 80% of total business of the Bank as against RBI's stipulation for coverage at minimum of 50% of deposits and 50% advances, were subjected to Concurrent Audit by engaging the services of external firms of Chartered Accountants. Further, identified HO functional Divisions like IBR, FTS Centre, Bangalore, Treasury Branch at Mumbai which includes Investments, Precious Metal Cell and Forex Cell, are also subjected to Concurrent Audit apart from regular inspection. Concurrent Auditors' meet is held every quarter by each Zonal Office and is invariably attended by the Chief of CAO and / or an executive from HO.

22.7 1,107 Branches were subjected to Off-Site Surveillance Audit during F. Y. 2014-15. On-Site Branch Information Security Audit (BISA) of branches which has been carried out along with RBIA to identify security and processing risks in the computerized environment, evaluate related controls to ensure security, functionality and reliability of hardware, operating system and application software and to ensure data availability, integrity as well as confidentiality. Systems Audit of critical installations at Core Centre, FTS Centre, Web Centre, Treasury and Investment Division and DR Site is conducted every six months. Audit of ATM Vaults and Audit of Service Provider Units are conducted once in a year.

22.8 Revenue audit is carried out at select Branches/Offices once in a year. During the F. Y. 2014-15 Revenue Audit has been carried out in 1,059 branches.

22.9 Credit audit of 77 accounts with limits above ₹25 crores is also carried out.

22.10 Major inspection and audit findings are placed before the Audit Committee of the Board for information and suitable directions.

22.11 A two day workshop/training for all the inspectors/ field officials was arranged at Corporate Office on 2nd and 3rd

दिवसीय कार्यशाला/ प्रशिक्षण आयोजित किया गया और 20.10.2014 को कार्पोरेट कार्यालय में सभी सीएओ की बैठक आयोजित की गई।

23. विधि सेवा

बैंक के विधि सेवा प्रभाग की बैंक द्वारा किए गए विभिन्न वाणिज्यक क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह बहुविध कार्य करता रहा है जैसे अचल संपत्तियों के संबंध में कानूनी राय की संवीक्षा, बैंक गारंटियों/प्रति गारंटियों का मसौदा तैयार करना/अनुमोदन करना, बैंक गारंटियाँ लागू किए जाने के संबंध में सलाह देना, विभिन्न न्यायालयों/ट्रिब्युनलों/प्राधिकारियों के समक्ष दर्ज की जाने वाली शिकायतों और अन्य आवेदनों का मसौदा तैयार करना/अनुमोदन करना, विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय से संबंधित मामलों में परामर्श देना, प्रधान कार्यालय के विभिन्न प्रभागों द्वारा संदर्भित समझौता ज्ञापनों/करारों का अनुमोदन करना, बैंक को प्राप्य राशियों की वसूली, सरफेसी अधिनियम एवं मुकदमा दायर खातों के संबंध में शाखाओं को परामर्श देना, विधिक लेखा-परीक्षा और आवधिक लेखा-परीक्षा पर परामर्श दावों के निपटान कंपनी अधिनियम,2013 से संबंधित मामलों और सूचना का अधिकार से संबंधित मामलों पर परामर्श और सूचना का अधिकार के तहत नागरिकों से प्राप्त अपीलों का निपटान करता है । विधि सेवा प्रभाग सिविल/आपराधिक न्यायालयों जैसे विभिन्न फोरमों के समक्ष बैंक के विरुद्ध शुरू की गई कानूनी कार्यवाहियों में बैंक के बचाव के लिए कारगर कदम उठाने, उपभोक्ता फोरमों/अन्य सांविधिक प्राधिकारियों से संबंधित मामलों, आयकर, बिक्री कर व अन्य प्राधिकारियों से कुर्की आदेशों से संबंधित मामलों पर परामर्श देने की दिशा में भी कार्य करता रहा है। प्रभाग प्रलेखीकरण संबंधी विभिन्न पहलुओं पर और मैन्युअलों को संशोधित करने/अद्यतन करने में संगठन एवं पद्धति प्रभाग को परामर्श भी देता है। प्रभाग विभिन्न कानूनी मामलों को संभालता है और शाखाओं/आंचलिक कार्यालयों/ तथा प्रशासनिक कार्यालयों को कानूनी मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण देता है। प्रभाग अधिवक्ताओं का पैनल बनाने/पैनल से निकालने/निष्पादन की समीक्षा करने का भी कार्य करता है।

24. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

बैंक ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन में प्रधान कार्यालय में सहायक जन सूचना अधिकारी (एपीआईओ), जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और अपील प्राधिकारी (एए) नामित किए हैं और प्रत्येक आंचलिक कार्यालय और मंडल कार्यालय में जन सूचना अधिकारी और अपील अधिकारी नामित किए हैं। ग्राहक सेवा प्रभाग, प्रधान कार्यालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित अन्य संबंधित जानकारी के साथ एपीआईओ, पीआईओ और एए के नाम बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए हैं। बैंक उक्त अधिनियम के प्रावधानों का सभी स्तरों पर अनुपालन कर रहा है और जनता से प्राप्त सभी आवेदनों और अपीलों को निर्धारित समयावधि के अंतर्गत निपटा रहा है।

25. सुरक्षा

बैंक ने फायर अलार्म, सुरक्षा अलार्म, एक्सेस नियंत्रण प्रणाली, सीसीटीवी तथा अपेक्षित स्थानों पर गार्डिंग जैसे भौतिक सुरक्षा उपायों के सख्त कार्यान्वयन के अतिरिक्त बल गुणक के रूप में प्रौद्योगिकी पर पूरी तरह निर्भर होकर सुरक्षा जोखिम रोकने/कम करने हेतु प्रगतिशील रुख अपनाया है। बैंक एटीएम संस्थापनों, कर्मचारी और ग्राहकों सहित उसकी आस्तियों की सुरक्षा हेतु सजग, सतर्क और प्रयासरत है। बैंक की सभी इकाईयां पूर्ण रूप से सुरक्षा नियमानुसार हों, इसके लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। प्रचलित खतरों से निपटने और जोखिम को कम करने के लिए अन्य पर्यवेक्षी स्टाफ के साथ काउंटर स्टाफ

January 2015, in co-ordination with Staff Training College and a meeting of all the CAOs was organised at Corporate Office on 20.10.2014.

23. Legal Services

Legal Services Division of the Bank plays a significant role in the various commercial activities undertaken by the Bank. It has been performing diversified activities such as Scrutiny of legal opinions regarding immovable properties; Drafting/ approval of Bank Guarantees/Counter Guarantees; Advising on invocation of Bank Guarantees; Drafting/Approval of Plaint and other applications to be filed before various Courts/ Tribunals/Authorities; Advising on the matters relating to various High Courts & Supreme Court; Approval of MOUs/ Agreements referred by various Divisions in the Head Office; Advising Branches regarding recovery of dues of the Bank, matters relating to SARFAESI Act & Suit-filed Accounts; Advising on Legal Audit & Periodical Audit, Settlement of claims, on matters relating to Companies Act, 2013 and on matters relating to RTI Act and disposal of Appeals received from Citizens under the RTI Act; Legal Services Division has also been taking effective steps in defending the Bank in legal proceedings initiated before various forums like Civil/Criminal Courts, advising on the matters relating to Consumer Forums/ other statutory authorities. Matters pertaining to orders of attachments from Income tax, Sales tax etc. The Division also advises O & M Division on various documentation aspects and revision/updating of Manuals. The Division is also handling various legal matters and offering legal guidance/clarifications to other Divisions/Zonal Offices/branches and matters relating to Empanelment/Deletion/Review of performance of Advocates.

24. The Right to Information Act, 2005

Bank in compliance of Right to Information Act, 2005 has designated Assistant Public Information Officer (APIO), Public Information Officer (PIO) and Appellate Authorities (AA) at Head Office and Public Information Officer and Appellate Authority at each Zonal Office and Circle Office. Name of APIO, PIO and AA are displayed in the Bank's Website with other relevant information as required under RTI Act, by Customer Services Division, Head Office. Bank is complying with the provisions of the said Act at all levels and disposing of all the application and appeals within the stipulated time.

25. Security

25.1 Bank has been pro-active and has adopted forward posture in implementing measures to avoid/minimize security risk by leveraging technology in addition to installation of physical security measures like fire alarms, security alarms, access control systems, CCTVs and manually guarding wherever required. Bank has been alert, conscious and making concerted efforts to safe guard its assets including ATM installations, employees and customers. An endeavor is made to ensure that all outlets of the Bank are fully security compliant. Frequent sensitization of staff members manning the counters including

सदस्यों को लगातार सुग्राही बनाया जाता है। इसके साथ ही बैंक ने शून्य स्तर पर सहिष्णुता को लाने के लिए सुरक्षा जुडनार विनिर्देशों के लिए बेंचमार्क को बढ़ा दिया है।

26. अनुपालन

26.1 भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप बैंक ने उप महा प्रबंधक के स्तर के कार्यपालक के अधीन अनुपालन प्रभाग स्थापित किया गया है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार बैंक के मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) के तौर पर प्रतिनिधित्व करते हैं।

26.2 अनुपालन प्रभाग भारिबैं/भाबैंसं/नाबार्ड/सेबी/आईआरडीए/सीवीसी/बीसीएसबीआई आदि से प्राप्त संबंधित अनुदेशों और दिशानिर्देशों का उत्साह और वास्तविक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करता है ताकि, बैंक द्वारा सामना की जानेवाली अनुपालन जोखिम के प्रभावी प्रबंधन में उच्च प्रबंधन को सहायता हो सके। इसके साथ ही अनुपालन प्रभाग कार्यात्मक प्रभागों में अनुदेशों का प्रसार सुनिश्चित करता है, उचित आंतरिक अनुदेश और नियंत्रण में सहायता करता है, आंतरिक और बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ संपर्क रखता है। अनुपालन प्रभाग नीति और प्रक्रिया तथा अन्य दस्तावेजों जैसे अनुपालन मैनुअल, आंतरिक आचरण संहिता और कार्य दिशानिर्देशों के माध्यम से कानून, नियम और मानकों के अनुपालन के उचित कार्यान्वयन पर स्टाफ हेतु कार्यात्मक प्रभागों/नियंत्रण कार्यालयों के जरिए लिखित दिशानिर्देश जारी करता है।

27. सतर्कता तंत्र

27.1 सार्वजनिक निधियों के अभिरक्षक के रूप में बैंक से ईमानदारी, निष्ठा, पारदर्शिता एवं सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानक की अपेक्षा होती है। बैंकिंग संगठन विशेष रूप से आपसी विश्वास तथा भरोसे के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आज के महत्वपूर्ण घटक हैं, "प्रभावशाली कर्मचारी नियोजन और संगठनात्मक वृद्धि"। सतर्कता उत्पादकता और लाभप्रदता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले रिसावों को रोकते हुए संगठन की दक्षता एवं प्रभावकारिता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण प्रबंधन साधन है। बेहतर स्पष्टता एवं प्रभावकारिता के लिए प्रत्येक कार्यात्मक प्रभाग की भूमिका एवं दायित्वों को भली-भाँति परिभाषित एवं प्रलेखित किया गया है। बैंक के सतर्कता कार्य दण्डात्मक कार्रवाई करने के बजाय मुख्यतः निवारक और खोज प्रकृति के हैं। सतर्कता तंत्र प्रहरी की भूमिका निभाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी व्यक्तिगत लाभ या फायदा प्राप्त करने हेतु विनिर्धारित प्रणालियों एवं पद्धतियों में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है। यह ओहदे और हैसियत का लिहाज़ किए बिना नैसर्गिक न्याय तथा अपराधी को दंडित करने के सिद्धांत में विश्वास रखता है।

27.2 जहाँ पद्धतियों एवं प्रणालियों के घोर उल्लंघन के प्रसंग की रिपोर्ट की जाती है या बैंक अधिकारियों के विरुद्ध ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं जो संबंधित अधिकारी की ईमानदारी पर प्रश्न चिह्न लगाता है, वहाँ जाँच के आदेश दिए जाते हैं और जहाँ अपेक्षित है गलती करनेवाले अधिकारी के विरुद्ध दांडिक कार्रवाई सहित निवारक उपाय किए जाते हैं। एक अग्रसक्रिय उपाय के तौर पर सतर्कता प्रभाग निवारक जाँच करके पाए गए उल्लंघनों को रिपोर्ट करता है। वह यह सुझाव भी देता है कि सभी के एकजुट प्रयास से ऐसे उल्लंघनों से कैसे बचा जा सकता है।

27.3 बैंक ने अपनी "व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी" बनाई है जिसका उद्देश्य कर्मचारियों की सहायता से अप्रिय घटनाओं को पहचानना है और समय पर सुधारात्मक कदम उठाते हुए प्रारंभिक चरण में ही उसे रोकना/बैंक की रक्षा

other supervisory staff is done to deal with prevalent threats and to mitigate risk. Bank has also raised benchmark for security fixtures' specifications to reduce tolerance limit to zero.

26. Compliance

26.1 The Bank has a Compliance Division headed by an Executive of the Rank of Deputy General Manager who represents as the Chief Compliance Officer (CCO) of the Bank, as per the directions of the Reserve Bank of India.

26.2 The Compliance Division ensures that the relevant instructions and guidelines from RBI/IBA/NABARD/SEBI/IRDA/CVC/BCSBI etc., are complied with in spirit and substance so as to assist the top management in effectively managing the Compliance risks faced by the bank. The Compliance Division also ensures dissemination of instructions to the operational departments, assisting them in designing of suitable internal instructions and controls, maintaining liaison with internal and external auditors, etc. The Compliance Division through functional divisions/controlling offices, issues written guidelines for staff on appropriate implementation of compliance laws, rules and standards through policies and procedures and other documents such as compliance manuals, internal codes of conduct and practice guidelines.

27. Vigilance Machinery

27.1 As custodians of public funds, the Bank is expected to maintain highest standards of honesty, integrity, transparency and probity. Banking Organizations essentially work on the philosophy of mutual trust and confidence. The important factors today are "effective employee engagement & Organizational growth". Vigilance is a vital management tool to increase efficiency and effectiveness of the Organization by preventing leakages that adversely affect productivity and profitability. The roles and responsibilities of each functional division in the Bank are well-defined and documented for better clarity and effectiveness. The vigilance functions in the Bank are primarily in the nature of prevention and detection rather than taking punitive action. The vigilance machinery plays the role of a watchdog so as to ensure that the laid down systems and procedures are not tampered with for any personal gain or benefit. It believes in the principles of natural justice, punishing the guilty irrespective of rank and position.

27.2 Wherever instances of serious violation in the systems and procedures are reported or complaints received against the Bank officials, which primarily reflects on the integrity of the Official, an investigation is ordered and preventive measures are taken including taking punitive action against the erring officials wherever required. As a pro-active measure, the Vigilance Division also conducts preventive checks and reports on the deviations observed. It also suggests how such violations can be avoided with the collective effort of all.

27.3 The Bank has framed its own "Whistle Blower Policy", the objective of which is to identify any untoward events with the help of the employees and to take timely corrective measures so as to prevent / protect the Bank at the initial stage itself.

करना है। इस नीति में इस तंत्र का इस्तेमाल करनेवाले कर्मचारियों को परेशान किए जाने के विरुद्ध पर्याप्त पूर्वोपाय भी हैं।

27.4 निवारक सतर्कता पर तिमाही न्यूज़लेटर ''जागृति'' नियमित रूप से प्रकाशित करके बैंक की सभी शाखाओं/कार्यालयों के बीच परिचालित की जा रही है। उक्त न्यूज़लेटर में हमारे स्टाफ सदस्यों को सजग करने के उद्देश्य से कपट के नवीनतम मामलों का सारांश तथा कपटियों द्वारा अपनाई गई कार्य पद्धति को प्रकाशित किया जाता है।

27.5 बैंक ने निवारक सतर्कता तंत्र स्थापित किया है जिसमें शाखाओं को नियमित अंतरालों में बैठकें आयोजित करने और सतर्कता प्रभाग द्वारा जारी अनुदेशों के बारे में चर्चा करने व अपने विचारों एवं अनुभवों को बाँटने तथा संभावित कपटों को रोकने के उद्देश्य से कार्य वातावरण में गोचर परिवर्तन लाने के निदेश दिए गए हैं।

27.6 प्रभाग ने वास्तविक मामलों के निष्कर्षों के आधार पर प्रक्रियाओं में परिवर्तन हेतु कार्यात्मक प्रभागों को सुझाव दिए हैं।

27.7 प्रभाग ने कपट जोखिम प्रबंधन नीति के क्रम में कपट निवारण एवं कर्मचारी पुरस्कार नीति निम्न उद्देश्य से सूत्रबद्ध की है–

- कपट को रोकने वाले स्टाफ सदस्यों के प्रयासों को सम्मानित करना
- स्टाफ सदस्यों के बीच जागरूकता पैदा करना
- ऐसे कार्यों का अनुकरण करने के लिए अन्य स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहित/अभिप्रेरित करना

28. अवसर

2,298 शाखाओं, 2,933 एटीएमों व 4,685 शाखा–रहित बैंकिंग इकाइयों के साथ बैंक की देश भर में 9,916 कार्यात्मक इकाइयों की उपस्थिति है और देशभर में 33 आंचलिक कार्यालय और 6 मंडल कार्यालय परिचालन देखते है। दुबई और हाँगकांग में विदेशी प्रतिनिधि कार्यालयों के ज़रिए बैंक ने विश्व स्तर पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज की है। भारत में बैंक–सेवा रहित क्षेत्रों में तथा कुछ महत्वपूर्ण विदेशी स्थानों में शाखा नेटवर्क का विस्तार करने के लिए बैंक के लिए और भी गुंजाइश है।

ग्रामीण एवं अर्ध–शहरी क्षेत्रों में बैंक की बड़ी उपस्थिति बैंक को कृषि एवं प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र, एसएमई और खुदरा कारोबार को ऋण में वृद्धि करने, थोक कारोबार के अनुरूप खुदरा संविभाग में संतुलित वृद्धि दर्ज करने के लिए पर्याप्त अवसर देती है। इसकी नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी पहल जैसे टैब्लेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग व अन्य सुविधाएं अगली पीढ़ी के ग्राहकों को आकर्षित करने में सहायक रही हैं। केरल, कर्नाटक, गोवा एवं महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में इसकी शाखाओं की बड़ी मौजूदगी एनआरआई संविभाग को सुधारने में इसे अधिक अवसर देती है। विदेश में अनिवासी भारतीयों के साथ बैंक का कारोबार में और कारोबार संबंध में वृद्धि करने विदेश में महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रतिनिधि कार्यालय खोलने का बैंक का विचार है।

बैंक का शुरुआत से लेकर पिछले 110 वर्षों से लगातार लाभ कमाने और लाभांश अदा करने का ट्रैक रिकॉर्ड है। यह कर्मचारी लाभप्रदता की दृष्टि से उद्योग के उत्तम बैंकों में एक है। दक्ष कार्यबल, शाखाओं का व्यापक नेटवर्क, बेहतर आधारभूत संरचना सुविधाएं, स्पर्धात्मक ग्राहक सेवा और उन्नत प्रौद्योगिकी युक्त वातावरण, जिससे बैंक को भारत सरकार के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का

This mechanism also provides adequate safeguards against victimization of employees who avail of this mechanism.

27.4 'Jaagrithi' a quarterly newsletter on preventive vigilance is being published and circulated amongst all branches/offices of the Bank regularly. In the said letter, gist of the latest cases of fraud and the modus operandi adopted by the fraudsters are published, with an intention to alert our staff members.

27.5 The Bank has a Preventive Vigilance Mechanism in place wherein branches have been directed to conduct meetings at regular intervals and discuss about the instructions issued by the Vigilance Division and to share their thoughts/experiences and bring about noticeable changes in the working environment with a view to preventing possible frauds.

27.6 The Division has given suggestions to the functional divisions for process changes based on the findings of real cases come across.

27.7 The Division has framed Fraud Prevention & Employee Reward Policy in continuation of Fraud Risk Management Policy to –

- recognize the efforts of staff members who thwarted frauds
- Create awareness among all staff members
- Encouraging / motivating the other staff members to emulate such acts.

28. Opportunities

The Bank has pan-India presence with 9,916 functional units comprising of 2,298 Branches, 2,933 ATMs & 4,685 Branchless Banking units spread across the length and breadth of the country with 33 Zonal Offices and 6 Circle Offices to oversee its operations. The Bank has registered its global presence through its foreign representative offices at Dubai and Hongkong. The Bank still has scope for expansion of branch network in the unbanked areas in India and in some of the important foreign locations.

The increased presence of the Bank's branches in rural and semi-urban areas provides a great opportunity for the Bank for improving its exposure to Agriculture and Priority sector, SME and Retail segment, to register a balanced growth in retail portfolio in tandem with the wholesale business. Its innovative technological initiatives like Tablet banking, internet banking, Mobile Banking and other facilities have been instrumental in attracting next-gen customers. Large presence of its branches in coastal areas of Kerala, Karnataka, Goa and Maharashtra also provides greater opportunity for it to tap the NRI potential of the area. Opening representative offices at important locations abroad is also on the card for the Bank to improve its business and its business relations with NRIs abroad.

The Bank has an uninterrupted track record of profit and dividend payment since its inception, for the last 110 years. It is amongst the best banks in the industry in terms of employee productivity. A high calibre workforce, better spread of network of branches and ATMs, better infrastructure facilities,

लाभार्थी बनने में मदद मिली, की वजह से बैंक जनता के दिलों में अहम स्थान बना सका है।

अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरु की गई जन धन योजना से बैंक के लिए अनेक अवसर उत्पन्न हुए है, जैसे बैंकिग सुविधा से वंचित प्रत्येक व्यक्तिगत के खाते खोलना, सरकारी योजनाओं से सबंधित वित्त के लाभ, ऋण, बीमा, विप्रेषण और पेंशन आदि प्रदान करना। इससे बैंक कारोबार के समग्र विकास के लिए अपने उत्पादों और सेवाओं की सह बिक्री के लिए एक महान अवसर प्राप्त होता। बैंक देश भर में 4,685 शाखा रहित बैंकिंग इकाइयों सहित वित्तीय समावेशन में अग्रणी है।

बैंक आईटी आधारित नवीन उत्पादों को पेश करने, ग्राहक केंद्रीत उत्पादों और सेवाओं को शुरू करने में अग्रणी है, बैंक ग्राहक सुविधा बढाने में सबसे आगे रहने हेतु हर अवसर का उपयोग करता है।

कई प्रकार के डिलिवरी चैनल, महानगरीय केंद्रों में मज़बूत उपस्थिति, सापेक्ष युवा कार्यबल बैंक को प्रौद्योगिकी युक्त उत्पादों का पूरा फायदा उठाने के लिए काफी संभावनाएं देता है।

29. चुनौतियाँ

भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से हो रहे बदलाव का बैंकिंग उद्योग पर असर पड रहा है और हमारे बैंक को इस सिस्टम का एक भाग होने के कारण आस्ति गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता और लाभप्रदता पर चुनौतियों का सामना करना पडा है।

अर्थव्यवस्था में बदलाव से उद्योगों पर होने वाला प्रभाव से ऋण आस्तियों की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। बेसल III के उपबंधों के अनुसार उच्च गुणवत्ता पूँजी की आवश्यकता हैं। वर्तमान परिदृश्य में कारोबार सहयोग के लिए अतिरिक्त पूँजी जुटाना एक चुनौती हैं।

निकट भविष्य में मध्यम और वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर अनुभवी व्यक्तियों की बड़े पैमाने पर सेवानिवृत्ति के स्थानापन्न की आवश्यकता है जो उच्च प्रबंधन की रणनीति को कार्ययोग्य योजना में परिवर्तित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

किसी भी अन्य उद्योग की तरह बैंकों को भी दैनंदिन परिचालन में ऋण, बाज़ार और परिचालन जोखिमों का सामना करना पड़ता है, ब्याज कीमत–लागत अंतर घटने से बैंक की लाभप्रदता की संरचना प्रभावित होती है।

सरकार/विनियामक आदि द्वारा विनियामक दिशानिर्देशों, नीतियों, उपबंधों में परिवर्तन बैंक के निष्पादन को प्रभावित कर सकता है। वसूली प्रबंधन, आस्ति देयता प्रबंधन और जोखिम प्रबंधन की प्रभावकारिता निष्पादन पर असर डाल सकती है। समरूपी बैंकों से कडी प्रतिस्पर्धा की वजह से कारोबार वृद्धि मार्जिन और लाभप्रदत्त प्रभावित हो सकती है।

नए निजी क्षेत्र के बैंकों, लघु और भुगतान बैंको से प्राप्त प्रतिस्पर्धा से संभव है कि अपने कारोबार प्राप्त करने में बैंक को अधिक से अधिक चुनौतियों का सामना करना पडे।

a competitive customer service and an advanced tech savvy environment helped the Bank to be the beneficiary of the Direct benefit transfer scheme of the Government of India and get a prime slot in the minds of the people.

The Jan Dhan Yojana launched by the Prime Minister in August 2014, has opened up plenty of opportunities for the Bank to financially include every individual deprived of a banking facility, opening their accounts, offering them benefits of finance related to government schemes, Credit, Insurance, Remittance and Pension etc. All this provide a great opportunity for cross selling of its products and services for the overall growth of the Bank's business. The Bank is a pioneer in Financial inclusion with 4,685 branchless banking units spread across the country.

A trend setter in the IT based innovations, launching of customer centric products and services, Bank has been utilizing every opportunity to be in the forefront in enhancing customer convenience.

A wide range of Delivery Channels, strong presence in the metro centres, comparatively younger workforce, provide a great potential for the Bank to fully exploit the techno savvy products to its advantage.

29. Threats

The rapid changes in the Indian economy has had its effect on the banking industry and our bank being a part of the system also had to face challenges on asset quality, capital adequacy and profitability.

The impact on the industries due to the changes in economy will have an impact in the quality of loan assets. Higher quality Capital is required as per the Basel–III norms. Raising of additional capital to support the business would be a challenge in the present scenario.

Retirement of experienced hands at the middle and senior management level, in a large scale in the near future needs to be subsituted which is critical for translating the top management's strategy into workable action plans.

Banks, like any other industry are exposed to credit, Market and Operational Risks in the day to day operation, thinning of Interest spread affects the profitability structure of the Bank.

Any changes in the regulatory guidelines, policies, provisions by the Government/Regulator etc., may impact the performance of the Bank. Effectiveness of Recovery Management, Asset Liability Management and Risk Management may have its own impact on performance. Acute competition from the peer banks is likely to affect business growth, margins and profitability.

Competition from new private sector banks, small and payment banks, in all likelihood, may pose greater challenges for the Bank in mobilizing business, going forward.

30. भावी योजनाएं

बैंक देश की आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आर्थिक वृद्धि में सहयाता करने की जिम्मेदारी निभाता है। विश्व मानकों में सबसे पसंदीदा बैंक के रूप में उभरने के लिए, कार्पोरेन बैंक ने प्रौद्योगिकी लाभ पर विभिन्न पहल की है। भविष्य पीएमजेडीवाई अभियान के अंतर्गत मुख्य धारा में लाए गए युवाओं और किसानों का है। उनके साथ कारोबार संबंध बनाना, बैंक के लिए ध्यान देने योग्य क्षेत्र होगा। कम लागत कासा जमाराशियां प्राप्त करना और कृषि, खुदरा और एमएसएमई क्षेत्र, शाखा और एटीएम नेटवर्क तथा अन्य डिलिवरी चैनल का विस्तार, ग्राहक अधिग्रहण, विशेष रूप से नई पीढ़ी के ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए गुणात्मक ऋण वृद्धि पर ध्यान देना और संपूर्ण कारोबार विकास के लिए आस्ति गुणवत्ता में वृद्धि करना ध्यान देने योग्य क्षेत्र हैं।

30. Road map for the future

Banks play key role in the country's financial system and carry the responsibility of supporting economic growth. To become the most preferred Bank with Global Standards, Corporation Bank has taken various initiatives leveraging on technology. The future belongs to the youth and the farmers who have been brought under the main stream banking through the PMJDY drive. Nurturing business relationship with them would be the focused area for the Bank. Mobilizing low cost CASA deposits and concentrating on Quality Credit growth with focus on Agriculture, Retail and MSME segment, Expansion of Branch and ATM Networks and other alternate channels of delivery, Customer acquisition, especially, next-gen customers, and Improving Asset Quality would be its focused areas for overall business development.

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

स्थानः मंगलूरु
दिनांकः 28.05.2015

(एस. आर. बंसल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Mangaluru
Date : 28.05.2015

(S. R. Bansal)
Chairman & Managing Director

कार्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. बैंक में कार्पोरेट अभिशासन

बैंक का यह विश्वास है कि सुदृढ़ कार्पोरेट अभिशासन निवेशक की आस्था को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए अहम है। एक ज़िम्मेदार कारोबारी संस्था के रूप में बैंक; विवेक, खुलापन, निष्पक्षता, व्यावसायिकता, प्रकटन द्वारा पारदर्शिता आदि पर आधारित ठोस कार्पोरेट प्रथाओं के प्रति कटिबद्ध है जिससे निवेशकों और स्टेकधारकों के आत्मविश्वास में वृद्धि हो और दीर्घावधि सफलता सुनिश्चित हो। कार्पोरेशन बैंक में कार्पोरेट अभिशासन विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही नहीं बल्कि ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुकूल रहकर भी विकसित किया गया है। ग्राहक संतुष्टि तथा शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ बैंक उत्कृष्टता हेतु अथक प्रयास कर रहा है । बैंक की सामान्य प्रकृति ग्राहक से विकसित होती है जिसका केंद्र बिंदु शेयरधारक है।

2. बैंक का दार्शनिक सिद्धांत

2.1 बैंक का दार्शनिक सिद्धांत उसके कार्पोरेट आदर्श वाक्य 'सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु' अर्थात् ''सब की समृद्धि हो'' में प्रतिबिंबित होता है जो समाज और अर्थव्यवस्था की भलाई की ओर अभिप्रेत है। बैंक का दृढ़ विश्वास है कि सुदृढ कार्पोरेट अभिशासन प्रथाओं से इस प्रकार अपने लक्ष्यों की पूर्ति और उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है कि उसकी छवि में मूल्य वर्धन होता है, आगे चलकर शेयरधाकों के लिए हितकारी होता है और उनका विश्वास जीतने की क्षमता को बढ़ाता है। उत्तम कार्पोरेट अभिशासन शीर्ष से आरंभ होता है और नीचे की ओर सतत बढ़ता है। निदेशक मंडल और प्रबंधन उपयुक्त निर्णय लेते हैं और उत्कृष्टता के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने हेतु बैंक का मार्गदर्शन करते हैं।

3. निदेशक मंडल

3.1 निदेशक मंडल का गठन समय-समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 के अनुसार किया गया है और इसमें वैविध्यपूर्ण व्यावसायिक अनुभव रखनेवाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व है। वर्ष (2014-15) की समाप्ति पर निदेशक मंडल में 31.03.2015 तक 11 और श्री अमर लाल दौलतानी, कार्यपालक निदेशक की सेवानिवत्ति के कारण 01 अप्रैल, 2015 से 10 निदेशक हैं जिनमें 8 गैर-कार्यपालक निदेशक हैं तथा उनमें से 5 स्वतंत्र निदेशक हैं। समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आनेवाले ये निदेशक, मंडल को विशेषज्ञता और विपुल अनुभवयुक्त ज्ञान प्रदान करते हैं। रिपोर्टाधीन वित्त वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की 16 बैठकें आयोजित की गईं।

3.2 बैंक परिचालन के कुछ महत्वपूर्ण कार्य-क्षेत्रों में विशेष तथा संकेद्रित ध्यान देने के लिए और उचित दिशा प्रदान करने, प्रभावी निगरानी करने तथा बैंक के कार्यों में नियंत्रण रखने हेतु निदेशक मंडल ने विभिन्न समितियों का गठन किया है। विभिन्न समितियों के ब्योरे और वर्ष 2014-15 के दौरान हरेक समिति द्वारा आयोजित बैठकों की कुल संख्या निम्नानुसार हैः

1. Corporate Governance in the Bank

The Bank believes that sound Corporate Governance is critical to enhance and retain investor trust. As a responsible Business entity, the Bank is committed to sound corporate practices based on conscience, openness, fairness, professionalism, transparency by disclosures etc., towards attaining performance with integrity and accountability, paving the way for enhancing investors' and stakeholders' confidence and thus ensuring long-term success. Governance at Corporation Bank is evolved by not only ensuring compliance with regulatory requirements but also by being responsive to the needs of stakeholders. The Bank strives for excellence with the twin objective of enhancing customer satisfaction and shareholders' value. Corporation Bank's ethos, evolve with customer and have the shareholder as the focal point.

2. The Bank's philosophy

2.1 The Bank's philosophy is driven by its Corporate Motto 'Sarve Janah Sukhino Bhavantu', which means "Prosperity for all", that which leads to the betterment of the society and economy. The Bank strongly believes that sound corporate governance practices leads to the fulfilment of its goals and attainment of its objectives in a manner that adds value to its image, is beneficial for all the stakeholders in the long run and enhances its ability to secure their confidence. Good Corporate Governance starts at the top and continues down the line consistently. The Board of Directors and the Management take appropriate decisions and guide the Bank in achieving the highest standards of excellence.

3. Board of Directors

3.1 The Board is constituted in accordance with the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 as amended from time to time and is represented by persons with diversified professional experience. At the end of the year (2014-15) under report, the Board comprises of 11 directors till 31.03.2015 and 10 Directors with effect from 1st April, 2015 on account of retirement of Shri Amar Lal Daultani, Executive Director, out of which, 8 are non-executive directors and among themselves 5 are independent directors. The Directors, hailing from different strata of society, with diverse professional qualifications, bring in their rich experience to the Board. 16 meetings of the Board of Directors were held during the financial year under report.

3.2. The Board has constituted various committees for specific and focused approach towards some of the important functional areas of the Bank's operations, for providing proper direction, effective monitoring and controlling the affairs of the Bank. The details of various committees and the total number of meetings held by each committee during the year 2014-15 are as follows :

क्रम सं. Sl. No.	बोर्ड की समितियों केनाम Name of the Committees of the Board	आयोजित बैठकों की कुल संख्या Total No. of Meetings held
1.	प्रबंधन समिति Management Committee	19
2.	लेखा–परीक्षा समिति Audit Committee	14
3.	विभागीय पदोन्नति समिति Departmental Promotion Committee	5
4.	शेयरधारक संबंध समिति (निवेशक शिकायत समिति) Stakeholders' Relationship Committee (Investors Grievance Committee)	4
5.	सूचना प्रौद्योगिकी समिति Information Technology Committee	13
6.	जोखिम प्रबंधन समिति Risk Management Committee	7
7.	उच्च मूल्य के कपटों की निगरानी समिति Committee to Monitor Large Value Frauds	8
8.	शेयर अंतरण समिति Share Transfer Committee	10
9.	ग्राहक सेवा समिति Customer Service Committee	4
10.	पारिश्रमिक समिति Remuneration Committee	2
11.	नामांकन समिति Nomination Committee	2
12.	बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकों की आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन समिति (आईसीएएपी)* Internal Capital Adequacy Assessment Committee of Senior Executives of the Bank (ICAAP)*	4
13.	ऋण अनुमोदन समिति* Credit Approval Committee *	45
14.	मानव संसाधन समिति Human Resources Committee	4
15.	वसूली निगरानी समिति Recovery Monitoring Committee	12
16.	प्रतिभूति आबंटन समिति Securities Allotment Committee	1
17.	कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति Corporate Social Responsibility Committee	3
18.	प्रत्यायोजित ऋण अधिकारों की नीति की समीक्षा हेतु समिति Committee to Review Policy of Delegated Lending Powers	3
19	प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण समिति* Head Office level Credit Committee*	30

* भ.रि.बैं./सरकारी निर्देश के अनुसार इस समिति में कुछ सदस्य बैंक के उच्च कार्यपालक अर्थात्, महा प्रबंधक हैं।

* In these committees few members are also from Top Executives of the Bank viz., General Managers as per RBI/Government directive.

3.3 बोर्ड की समितियों के विवरण आगे के पृष्ठों में दिए गए हैं। निदेशक मंडल और उसकी समितियाँ बारंबार अंतरालों में बैठक करती हैं तथा नैतिक प्रथाओं और व्यावसायिक प्रबंधन द्वारा निष्पादन के उच्च मान सुनिश्चित करने हेतु विवेकपूर्ण और दक्ष तरीके से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बैंक का मार्गदर्शन करती हैं।

3.4 नीति निरूपण, निष्पादन समीक्षा एवं विश्लेषण तथा नियंत्रण जैसी ज़िम्मेदारियाँ निदेशक मंडल द्वारा निभाई जाती हैं। निदेशक मंडल ने बैंक द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुरूप बैंक के कार्यपालकों और कार्यपालकों की समितियों को विभिन्न अधिकार प्रत्यायोजित किए हैं। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा ऐसे प्रत्यायोजित अधिकारों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और बैंक के कारगर कार्य-संचालन हेतु उनमें आवश्यक संशोधन किया जाता है।

3.5 बैंक की नीतियों की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है और बदलते परिदृश्य और बाजार मांगों के अनुरूप उनमें आवश्यक आशोधन किए जाते हैं।

3.3 The details of Committees of the Board are provided in the following pages. The Board and its Committees meet at frequent intervals and guide the Bank to achieve its objectives in a prudent and efficient manner to ensure high standards of performance through ethical practices and professional management.

3.4 The responsibilities such as policy formulation, performance review and analysis and controls are discharged by the Board. The Board has delegated various powers to the Executives and Committees of Executives of the Bank in consonance with the policies laid down by the Bank. The delegated powers are periodically reviewed by the Board and necessary revision is made for effective functioning of the Bank, as per the guidelines issued from time to time by the Government of India, Ministry of Finance and the Reserve Bank of India.

3.5 The policies of the Bank are reviewed on an annual basis and necessary modifications are effected in tune with the changing scenario and the market demands.

3.6 2014–15 के दौरान निदेशकों, निदेशक मंडल एवं अन्य समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी ब्योरे इस प्रकार है:
Details of Directors, their attendance in the Board and other Committee Meetings during 2014-15 are as follows:

क्रमांक Sl.No.	निदेशक का नाम Name of the Director	प्रकार Type	निदेशक मंडल एवं निदेशक मंडल की समिति(यों) के सदस्य Board and Member of the Committee(s) of the Board																	
			निदेशक मंडल Board		प्रबंधन समिति Management Committee		लेखा–परीक्षा समिति Audit Committee		शेयरधारक संबंध समिति Stakeholders' Relationship Committee		जोखिम प्रबंधन समिति Risk Management Committee		सूचना प्रौद्योगिकी समिति Information Technology Committee		उच्च मूल्य के कपटों की निगरानी हेतु समिति Committee to monitor large value frauds		विभागीय पदोन्नति समिति Departmental Promotion Committee		शेयर अंतरण समिति Share Transfer Committee	
			आयोजित* Held*	उपस्थिति* Attended	आयोजित* Held*	उपस्थिति* Attended	आयोजित* Held*	उपस्थिति* Attended	आयोजित* Held*	उपस्थिति* Attended	आयोजित* Held*	उपस्थिति* Attended	आयोजित* Held*	उपस्थिति* Attended	आयोजित* Held*	उपस्थिति* Attended	आयोजित* Held*	उपस्थिति* Attended	आयोजित* Held*	उपस्थिति* Attended
1	श्री एस. आर बंसल Shri S. R. Bansal Since 05.10.2013 से	अप्रनि CMD	16	16	19	19	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	7	7	13	13	8	8	5	5	9	9
2	श्री अमर लाल दौलतानी# Shri Amar Lal Daultani# Since 03.02.2012 से	कानि ED	16	16	19	19	14	14	4	4	7	7	13	13	8	8	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	1	1
3	श्री बी. के. श्रीवास्तव Shri B.K. Srivastav Since 28.01.2013 से	कानि ED	16	16	19	19	14	14	4	4	7	7	13	13	8	8	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.
4	श्री मनीष गुप्ता केंद्र सरकार नामिती Shri Manish Gupta Central Govt Nominee Since 16.04.2014 से	गैकानि NED	16	10	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	14	7	4	1	5	3	13	8	8	5	5	5	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.
5	श्री प्रद्युम्न के जेना भारिबैं नामिती निदेशक Shri Pradyumna K Jena RBI Nominee Director Since 23.02.2015 से	गैकानि NED	2	2	3	3	1	1	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	1	1	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.
6	श्री एकनाथ बालिगा Shri Ekanath Baliga Since 17.10.2013 से	अनि/ गैकानि OD/NED	16	16	12	12	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	13	13	6	6	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	7	7
7	श्री आदीश कुमार जैन Shri Adish Kumar Jain Since 26.12.2013 से	स्वनि/ सलेनि ID/CAD	16	16	14	14	14	14	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	4	4	7	7	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.
8	श्री बोनम वेंकट भास्कर Shri Bonam Venkata Bhaskar Since 04.11.2013 से	स्वनि/ गैकानि ID/NED	16	13	10	7	8	7	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	4	3	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	6	5	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	7	6
9	श्री सुशोभन सरकेर Shri Sushobhan Sarker Since 26.08.2014 से	स्वनि/ शेनि ID/SD	10	5	10	7	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	2	1	4	2	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	4	3	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.
10	सुश्री चित्रा गौरी लाल Ms Chitra Gouri Lal Since 26.08.2014 से	स्वनि/ शेनि ID/SD	10	9	9	7	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	2	1	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.
11	श्री रमेश कुमार भट् Shri Ramesh Kumar Bhat Since 26.08.2014 से	स्वनि/ शेनि ID/SD	10	9	5	4	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	4	4	7	7	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.
31.03.2015 से पूर्व जो निदेशक बैंक के निदेशक मंडल में थे उनकी उपस्थिति के ब्योरे इस प्रकार है The following are the details of attendance of directors who were on the Board of the Bank prior to 31.03.2015																				
1	श्री यू. एस. पालीवाल (भा.रि.बैं. नामिती निदेशक) Shri U.S. Paliwal RBI Nominee Director Till 09.06.2014 से	गैकानि NED	3	3	3	3	3	3	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	1	1	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.
2	श्री सुशोभन सरकेर Shri Sushobhan Sarker Till 22.08.2014 तक	स्वनि/ शेनि ID/SD	6	4	2	1	5	3	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	2	2	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.
3	श्री कवलजीत सिंह ओबेरॉय Shri Kawaljit Singh Oberoi Till 22.08.2014 तक	स्वनि/ शेनि ID/SD	6	6	4	4	2	2	2	2	2	2	5	5	1	1	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	3	3
4	श्री एस. शब्बीर पाशा Shri S Shabbeer Pasha Till 22.08.2014 तक	स्वनि/ शेनि ID/SD	6	6		ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	2	2	2	2	5	5	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	3	3
5	श्री विन्सेंट डि'सूज़ा Shri Vincent D'Souza Till 27.12.2014 तक	कामनि/ गैकानि WD/NED	12	12	4	4	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	3	3	10	10	5	5	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.
6	श्री अरुण पसरीचा (भा.रि.बैं. नामिती निदेशक) Shri Arun Pasricha RBI Nominee Director Since 10.06.2014 से till 22.02.2015 तक	गैकानि NED	11	10	13	12	10	9	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.	3	3	ला.न. N.A.	ला.न. N.A.

श्री अमर लाल दौलतानी, बैंक के कार्यपालक निदेशक, 31.03.2015 को सेवानिवृत्त **Shri Amar Lal Daultani, Executive Director of the Bank, retired on 31.03.2015**

* निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या Number of meetings held during the tenor of the Director

3.6 2014–15 के दौरान निदेशकों, निदेशक मंडल एवं अन्य समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी ब्योरे इस प्रकार है:
Details of Directors, their attendance in the Board and other Committee Meetings during 2014-15 are as follows:

क्रमांक Sl.No.	निदेशक का नाम Name of the Director	प्रकार Type	निदेशक मंडल एवं निदेशक मंडल की समिति(यों) के सदस्य Board and Member of the Committee(s) of the Board																
			ग्राहक सेवा समिति Customer Service Committee		पारिश्रमिक समिति Remuneration Committee		नामांकन समिति Nomination Committee		आईसीएएपी समिति ICAAP Committee		मानव संसाधन समिति Human Resource Committee		ऋण अनुमोदन समिति Credit Approval Committee		वसूली की निगरानी हेतु बोर्ड स्तरीय समिति Board level committee for monitoring of recovery		प्रतिभूति आबंटन समिति Securities Allotment Committee		अन्य बोर्डों में सदस्यता Membership in other Boards Committees
			आयोजित * Held*	उपस्थित * Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित * Attended	आयोजित * Held*	उपस्थित * Attended	आयोजित * Held*	उपस्थित * Attended	आयोजित * Held*	उपस्थित * Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित* Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित* Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित* Attended	
1	श्री एस. आर बंसल Shri S. R. Bansal Since 05.10.2013 से	अप्रनि CMD	4	4	-	-	-	-	4	4	4	4	45	45	12	12	-	-	-
2	श्री अमर लाल दौलतानी# Shri Amar Lal Daultani# Since 03.02.2012 से	कानि ED	4	4	-	-	-	-	4	4	4	4	45	43	12	12	1	1	1
3	श्री बी. के. श्रीवास्तव Shri B.K. Srivastav Since 28.01.2013 से	कानि ED	4	4	-	-	-	-	4	4	4	4	45	42	12	12	1	1	1
4	श्री मनीष गुप्ता केंद्र सरकार नामिती Shri Manish Gupta Central Govt Nominee Since 16.04.2014 से	गैकानि NED	4	1	2	2	2	2	-	-	4	3	-	-	12	9	-	-	-
5	श्री प्रद्युम्न के जेना भारिबैं नामिती निदेशक Shri Pradyumna K Jena RBI Nominee Director Since 23.02.2015	गैकानि NED	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
6	श्री एकनाथ बालिगा Shri Ekanath Baliga Since 17.10.2013 से	अनि/ गैकानि OD/ NED	4	4	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	1	1	-
7	श्री आदीश कुमार जैन Shri Adish Kumar Jain Since 26.12.2013 से	स्वनि/ सलेनि ID/CAD	-	-	2	2	2	2	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	श्री बोनम वेंकट भास्कर Shri Bonam Venkata Bhaskar Since 04.11.2013 से	स्वनि/ सलेनि ID/ NED	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
9	श्री सुशोभन सरकेर Shri Sushobhan Sarker Since 26.08.2014 से	स्वनि/ शेनि ID/SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	2
10	सुश्री चित्रा गौरी लाल Ms Chitra Gouri Lal Since 26.08.2014 से	स्वनि/ शेनि ID/SD	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	श्री रमेश कुमार भट् Shri Ramesh Kumar Bhat Since 26.08.2014 से	स्वनि/ शेनि ID/SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2015 से पूर्व जो निदेशक बैंक के निदेशक मंडल में थे उनकी उपस्थिति के ब्योरे इस प्रकार है The following are the details of attendance of directors who were on the Board of the Bank prior to 31.03.2015																			
1	श्री यू. एस. पालीवाल (भा.रि.बैं. नामिती निदेशक) Shri U.S. Paliwal RBI Nominee Director Till 09.06.2014 से	गैकानि NED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	श्री सुशोभन सरकेर Shri Sushobhan Sarker Till 22.08.2014 तक	स्वनि/ शेनि ID/SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3	श्री कवलजीत सिंह ओबेरॉय Shri Kawaljit Singh Oberoi Till 22.08.2014 तक	स्वनि/ शेनि ID/SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	श्री एस. शब्बीर पाशा Shri S Shabbeer Pasha Till 22.08.2014 तक	स्वनि/ शेनि ID/SD	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	श्री विन्सेंट डिसूज़ा Shri Vincent D'Souza Till 27.12.2014 तक	कामनि/ गैकानि WD/ NED	3	3	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
6	श्री अरुण पसरीचा (भा.रि.बैं. नामिती निदेशक) Shri Arun Pasricha RBI Nominee Director Since 10.06.2014 से till 22.02.2015 तक	गैकानि NED	-	-	1	1	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-

श्री अमर लाल दौलतानी, बैंक के कार्यपालक निदेशक, 31.03.2015 को सेवानिवृत्त Shri Amar Lal Daultani, Executive Director of the Bank, retired on 31.03.2015

* निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या Number of meetings held during the tenor of the Director

अप्रनि – भारत सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कानि – भारत सरकार द्वारा नियुक्त कार्यपालक निदेशक

गैकानि – भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामिती गैर-कार्यपालक निदेशक

कामनि – भारत सरकार द्वारा नामिती कामगार कर्मचारी निदेशक

अनि – भारत सरकार द्वारा नामिती अधिकारी कर्मचारी निदेशक

शेनि – शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशक – स्वतंत्र निदेशक

सलेनि – सनदी लेखाकार श्रेणी निदेशक – स्वतंत्र निदेशक

स्वनि – स्वतंत्र निदेशक

CMD – Chairman & Managing Director appointed by Government of India

ED – Executive Director appointed by Government of India

NED – Non-Executive Director nominated by Government of India/Reserve Bank of India

WD – Workman Employee Director nominated by Government of India

OD – Officer Employee Director nominated by Government of India

SD – Director elected by Shareholders - Independent Director

CAD – Chartered Accountant Category Director - Independent Director

ID – Independent Director

3.7 वर्ष 2014-15 के दौरान, निदेशक मंडल ने निम्नलिखित दिनांकों को 16 बार बैठकें कीः (दिनांक, माह व वर्ष प्रारूप में तारीखें)

3.7 During the year 2014-15, 16 Board Meetings have taken place on the following dates: (Dates in DD-MM-YYYY format)

29.04.2014	09.05.2014	23.05.2014	26.06.2014	25.07.2014	08.08.2014	05.09.2014	26.09.2014
06.11.2014	07.11.2014	27.11.2014	22.12.2014	30.01.2015	09.02.2015	03.03.2015	28.03.2015

3.8 निदेशक मंडल का कोई भी निदेशक 10 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है अथवा जिन सभी कंपनियों में वे निदेशक हैं, पाँच से अधिक समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करते हैं। (इस उद्देश्य हेतु केवल तीन समितियों, अर्थात् लेखा परीक्षा समिति, शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति और पारिश्रमिक समिति को लिया गया है)। कोई भी निदेशक बैंक के किसी दूसरे निदेशक का रिश्तेदार नहीं है।

3.8 None of the Directors on the Board is a member in more than 10 committees or acts as a Chairman of more than five committees across all companies in which he is a Director. (Only three Committees viz. the Audit Committee, the Shareholders'/ Investors Grievance Committee and the Remuneration Committee are considered for this purpose). None of the Director is related to any other Director of the Bank.

3.9 निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइल नीचे प्रस्तुत है

3.9.1 श्री एस. आर. बंसल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री एस. आर. बंसल ने दिनांक 5 अक्तूबर, 2013 को कार्पोरेशन बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण करने से पहले वे पंजाब नैशनल बैंक के कार्यपालक निदेशक थे।

श्री एस.आर. बंसल को अंग्रेज़ी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त है और भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणपत्रित एसोसिएट (सीएआईआईबी) और भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (एआईआईबीएफ) के एसोसिएट हैं। आप शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और प्रधान कार्यालय में विभिन्न प्रशासनिक और कार्यात्मक हैसियत से 34 वर्षों के विपुल अनुभव प्राप्त अनुभवी बैंकर हैं। उन्होंने देना बैंक में 1981 में सीधी भर्ती द्वारा अधिकारी के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की और आठ राज्यों के प्रभारी फील्ड जनरल मैनेजर (उत्तर भारत) के पद तक पहुँचे। उन्हें जून 2012 में पंजाब नैशनल बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया जहाँ पर वे बड़े क्षेत्र परिचालनों और अन्य प्रमुख कार्यों के प्रभारी थे।

3.9 A brief profile of the Directors is furnished hereunder

3.9.1 Shri S. R. Bansal, Chairman & Managing Director

Shri S. R. Bansal had taken charge as the Chairman & Managing Director of Corporation Bank on 5th October, 2013. Prior to assuming the position of Chairman & Managing Director, he was Executive Director of Punjab National Bank.

Shri S. R. Bansal is a Post Graduate in English, a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB) and an Associate of Indian Institute of Banking & Finance (AIIBF). He is a seasoned banker with over 34 years of rich experience in various administrative and functional capacities at Branches, Regional Offices, Zonal Offices and also at the Head Office level. He started his banking career as a Direct Officer Recruit at Dena Bank in 1981 and went on to hold the office of the Field General Manager (North India) covering eight states. He was appointed as Executive Director of Punjab National Bank in June 2012, where he was in-charge of large field operations and many other key areas.

उन्होंने ऋण और खुदरा, कृषि, एसएमई, बड़े कार्पोरेट और आधारभूत संरचना वित्त सहित सभी सेग्मेंटों में परियोजना मूल्यांकन में विशेषज्ञता को देखते हुए अपने करियर के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण पद संभाले। वे पीएनबी गिल्ट्स लि. के निदेशक थे। श्री बंसल जी आधारभूत संरचना परियोजनाओं की निगरानी के लिए ढाँचा तैयार करने के लिए भारतीय बैंक संघ की समिति में सदस्य थे। आप खुदरा बैंकिंग पर भारतीय बैंक संघ की स्थाई समिति के सदस्य भी हैं। वे देना बैंक से प्रतिनियुक्ति पर भारत संरचना वित्त कंपनी लि. (आईएफसीएल) में थे जहाँ पर उन्होंने परियोजना मूल्यांकन/ड्यू डिलिजेन्स, ऋण मंजूरी और ऋण जोखिम प्रबंधन सहित ऋण प्रकार्य स्थापित किए। उन्होंने दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर के वित्त पोषण हेतु टोक्यो में जेबीआईसी के साथ एमओयू और एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, जापान बैंक फॉर इंटरनैशनल को ऑपरेशन (जेबीआईसी) एवं केएफडब्ल्यू के साथ समझौतों सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को निष्पादित करने वाली टीमों की अगुआई की और उनके अंग रहे।

श्री बंसल उद्योग जगत में परिणाम उन्मुख और व्यावहारिक दृष्टिकोण, टीम भावना और निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उनके बैंकों और अधीनस्थ विभागों ने कई पुरस्कार जीते हैं जैसे ''वित्तीय समावेशन हेतु स्कॉच पुरस्कार'', द सण्डे स्टैंडर्ड द्वारा ''कृषि ऋण-बड़े'' के अंतर्गत ''बेस्ट बैंकर'' पुरस्कार और ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा उत्तरी अंचल में पीएमईजीपी में उत्कृष्ट निष्पादन हेतु एमएसएमई राष्ट्रीय पुरस्कार'' जीता है। फिक्की, सीआईआई, आईआईएम-ए जैसी प्रबंधन संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न सेमिनारों और सम्मेलनों में और सिंगापूर एवं दुबई में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में वक्ता के रूप में उन्हें शाबाशियाँ प्राप्त हुई हैं।

कार्पोरेशन बैंक में उनके अब तक के कार्यकाल के दौरान कासा विपणन, कृषि, खुदरा और एमएसएमई अग्रिमों पर जोर देते हुए गुणात्मक ऋण वृद्धि शाखा एवं एटीएम नेटवर्क तथा अन्य डेलिवरी चैनलों का विस्तार, ग्राहक अभिग्रहण, खास तौर पर अगली पीढ़ी के ग्राहकों को लाने और ऋण निगरानी के लिए पृथक् वर्टिकल स्थापित करते हुए आस्ति की गुणवत्ता सुधारने जैसी विभिन्न रणनीतिपरक पहलों के द्वारा उन्होंने बैंक को मजबूत नेतृत्व प्रदान किया है और उत्कृष्ट प्रगति के पथ पर ला खड़ा किया है। इसके अलावा उन्होंने परिहार्य खर्च को कम करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।

3.9.2 श्री अमर लाल दौलतानी, कार्यपालक निदेशक (03.02.2012 से 31.03.2015 तक)

श्री अमर लाल दौलतानी, भूतपूर्व महा प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक को कार्पोरेशन बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि धारक श्री अमर लाल दौलतानी 1978 में इलाहाबाद बैंक में प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी के रूप में भर्ती हुए। आपने इलाहाबाद बैंक की विभिन्न शाखाओं में विभिन्न पदों पर काम किया।

He has held various important positions during the course of his career in view of his expertise in credit and project appraisal across all segments, including retail, agriculture, SME, Large Corporate and Infrastructure finance. He was Director of PNB Gilts Ltd. Shri Bansal was a member of Indian Banks' Association committee for evolving a framework for monitoring of infrastructure projects. He is also a member in IBA's standing committee on Retail Banking. On deputation from Dena Bank he had been to India Infrastructure Finance Company Ltd. (IIFCL), where he set up the credit functions including project appraisal/due diligence, sanction of loans, monitoring of loans and credit risk management. He led and was part of teams that successfully executed several marquee projects like MoU with JBIC in Tokyo, Japan for financing the Delhi-Mumbai Industrial Corridor and negotiations with multilateral & bilateral institutions like Asian Development Bank, World Bank, Japan bank for International Cooperation (JBIC) and KfW.

Shri Bansal is known in the industry circles for his result oriented and practical approach, team work and quick decisions. During his tenure, the respective Banks and departments led by him have won many prestigious awards like "The SKOCH award for Financial Inclusion", "Best Bankers" award under "Agriculture Lending-Large" by The Sunday Standard and "The MSME National Award by Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises for excellent performance in PMEGP in North Zone". He has also received accolades as speaker at various seminars and conferences organised by FICCI, CII, Management Institutes like IIM-A and International conferences in Singapore and Dubai.

During his tenure with Corporation Bank so far, he has provided strong leadership to the Bank and has put the Bank on a superlative growth path through various strategic initiatives with focus on Mobilising CASA, Quality Credit growth with emphasis on Agriculture, Retail and MSME advances, Expansion of Branch and ATM Network and other Alternative Delivery channels, Customer acquisition, especially next-gen customers and Improving asset quality through setting up a separate vertical for Credit Monitoring. In addition, he has taken concerted steps to bring down the avoidable expenditure.

3.9.2 Shri Amar Lal Daultani, Executive Director (from 3.02.2012 till 31.03.2015)

Shri Amar Lal Daultani, Ex-General Manager of Allahabad Bank had been appointed by the Government of India as the Executive Director of Corporation Bank. Shri Amar Lal Daultani, a postgraduate in Economics from Agra University, joined Allahabad Bank as Management Trainee in 1978. He worked in different capacities in various branches of Allahabad Bank.

आंचलिक प्रमुख के रूप में उन्होंने कानपुर, अहमदाबाद, चिनसुराह (पश्चिम बंगाल) और हैदराबाद में सेवा की। उन्होंने इलाहाबाद बैंक के प्रधान कार्यालय में उप महा प्रबंधक के पद पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यपालक सहायक के रूप में तथा बतौर महा प्रबंधक (कार्पोरेट ऋण) महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाई हैं।

श्री दौलतानी ने कई विदेशी देशों का दौरा किया है और मानव संसाधन, बैंक वित्तीय प्रबंधन, फॉरेक्स, ट्रेज़री, एएलएम और डेरिवेटीव्स आदि पर बीआईएस बेसल, ईएससीपी पैरिस और ईएससीपी लंदन में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। वे ऋण, विदेशी विनिमय और अन्य सामान्य बैंकिंग परिचालनों में 37 वर्षों का प्रचुर अनुभव प्राप्त बहुमुखी प्रतिभा के बैंकर हैं। कार्यपालक निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले श्री दौलतानी चेन्नै में परिमंडल महा प्रबंधक (दक्षिण) के पद पर थे और तमिल नाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और पुदुच्चेरी जैसे दक्षिणी राज्यों में कारोबार विकास को संभाल रहे थे। अपने कार्यकाल के दौरान, श्री दौलतानी जी मानव संसाधन और कार्मिक प्रशासन और प्रशिक्षण, निरीक्षण और लेखापरीक्षा, वित्तीय प्रबंधन और लेखा, जोखिम प्रबंधन और ऋण निगरानी, ट्रेजरी और अंतराष्ट्रीय कारोबार, आयोजना और विकास, परिचालन और सेवाएं और मुंबई, चेन्नै और अहमदाबाद तीन मंडलों के कारोबार विकास की निगरनी आदि का कार्यभार संभाल रहे थे।

श्री अमर लाल दौलतानी 31.03.2015 को अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर बैंक की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए।

3.9.3 श्री बिभाष कुमार श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक

श्री बिभाष कुमार श्रीवास्तव ने 28 जनवरी, 2013 से कार्पोरेशन बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला।

इससे पहले श्री श्रीवास्तव कोलकाता में इलाहाबाद बैंक के प्रधान कार्यालय में महा प्रबंधक के पद पर थे और वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण और वित्तीय समावेशन वर्टिकल के प्रभारी थे।

श्री श्रीवास्तव बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातकोत्तर उपाधि के धारक हैं और उन्हें पशुपालन और डेरी विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त है। वे भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणपत्रित सहयोगी हैं। उन्हें उर्दू और तमिल में तीन वर्षीय डिप्लोमा और आईसीएफएआई, हैदराबाद से बेसिक फाइनेंस में डिप्लोमा प्राप्त है। उन्होंने वर्ष 1979 में इलाहाबाद बैंक में कृषि क्षेत्र अधिकारी के रूप में अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत की। श्री श्रीवास्तव बहुमुखी प्रतिभा के बैंकर हैं और कृषि एवं ग्रामीण ऋण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण विकास, जन बैंकिंग हेतु नवोन्मेषण, जीविका कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, बैंकिंग प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन तथा अन्य सामान्य बैंकिंग परिचालनों में विपुल अनुभव प्राप्त है।

इलाहाबाद बैंक में श्री श्रीवास्तव ने ग्रामीण, अर्ध-शहरी, शहरी और महानगरीय केन्द्रों में विभिन्न वेतनमानों में महत्वपूर्ण शाखाओं का प्रभार संभाला है। वे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले के अग्रणी ज़िला प्रबंधक थे। उन्होंने मिर्ज़ापुर और मुंबई के क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों में तथा प्रधान कार्यालय में प्राथमिकता प्राप्त

As Zonal Head, he served Allahabad Bank at Kanpur, Ahmedabad, Chinsurah (West Bengal) and Hyderabad. He also worked at the Head Office of Allahabad Bank as Deputy General Manager holding important assignment as Executive Assistant to the Chairman and Managing Director and also as General Manager (Corporate Credit).

Shri Daultani has travelled abroad to several countries and attended training programmes at BIS Basel, ESCP Paris, ESCP London on HR, Bank Financial Management, Forex, Treasury, ALM and Derivatives, etc. He is a versatile banker having 37 years of rich experience in Credit, Forex and other General Banking Operations. Before his elevation as Executive Director, Shri Daultani held the position of Field General Manager (South) at Chennai and handled the Bank's business development in Southern States like Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Puducherry. During his tenure in the office, Shri Daultani was overseeing the functional responsibilities of Human Resources and Personnel Administration and Training, Inspection and Audit, Financial Management and Accounts, Risk Management and Credit Monitoring, Treasury and International Business, Planning and Development, Operations and Services and Monitoring of Business Development of three Circles, viz., Mumbai, Chennai and Ahmedabad.

Shri Amar Lal Daultani, retired from the services of the Bank on attaining the age of superannuation on 31.03.2015.

3.9.3 Shri Bibhas Kumar Srivastav, Executive Director

Shri Bibhas Kumar Srivastav assumed charge as the Executive Director of Corporation Bank with effect from 28th January, 2013.

Before taking over this assignment, Shri Srivastav held the position of General Manager of Allahabad Bank at its Head Office in Kolkata and was in charge of Priority Sector Credit and Financial Inclusion Verticals.

Shri Srivastav is a Post Graduate in Agriculture from Banaras Hindu University with specialization in Animal Husbandry and Dairy Science. He is a Certified Associate of Indian Institute of Bankers and has a three year diploma both in Urdu and Tamil and Diploma in basic finance from ICFAI, Hyderabad. He started his banking career as an Agricultural Field Officer in Allahabad Bank in the year 1979. Shri Srivastav is a versatile Banker and has vast experience in Agricultural and Rural Lending, Development of Priority Sector Credit, Innovation for Mass Banking, Implementation of Livelihood programmes, Banking technology implementation and other General Banking Operations.

At Allahabad Bank, Shri Srivastav headed important branches at rural, semi-urban, urban and metro centres in different scales. He was the Lead District Manager of Sonbhadra District in Uttar Pradesh. He also worked in the Regional/Zonal Offices of Mirzapur and Mumbai and in Priority Sector Credit and RBI

क्षेत्र ऋण तथा भा.रि.बैं. निरीक्षण एवं लेखा-परीक्षा कक्ष में भी काम किया है। उन्होंने संपूर्ण राजस्थान राज्य समाविष्ट बैंक के जयपुर अंचल का प्रभार भी संभाला है और बैंक के दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अर्थात्, त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (उरई) और लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (सीतापुर) के अध्यक्ष थे।

बहुमुखी प्रतिभा के बैंकर श्री बिभाष कुमार श्रीवास्तव 36 वर्षों के अधिक के समृद्ध बैंकिंग अनुभव के धनी हैं। उन्होंने भारत और विदेश में प्रतिष्ठित संस्थाओं में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है।

श्री बिभाष कुमार श्रीवास्तव प्राथमिकता क्षेत्र/कृषि ऋण/एसएमई/वित्तीय समावेशन, खुदरा ऋण, ई-करोबार, सूचना प्रौद्योगिकी, वसूली-एनपीए प्रबंधन, परिसर और सहयोग सेवा, विपणन और प्रचार, अनुपालन और दिल्ली कोलकाता और बेंगलूर तीन मंडलों में कारोबार विकास की निगरनी आदि का कार्यभार संभाल रहे हैं।

3.9.4 श्री मनीष गुप्ता (सरकार नामिती निदेशक)

श्री मनीष गुप्ता जी को 16 अप्रैल, 2014 से बैंक के बोर्ड में सरकार नामित निदेशक के रूप में केंद्र सरकार द्वारा नामित किया गया है।

श्री मनीष गुप्ता वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वर्तमान वे कृषि ऋण में कार्यरत है। श्री गुप्ता आईआरएसईई (इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रीकल इंजिनियर्स) के अधिकारी है और उनके पास भारत सरकार में काम करने का 19 वर्षों से अधिक अनुभव है। इससे पहले उन्होंने भारतीय रेलवे में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्होंने कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग एण्ड टेकनोलोजी, नई दिल्ली से स्नातक पदवी प्राप्त की है और आईआईटी रुड़की से मेझरमेंट और इंस्ट्रुमेंटेशन (स्वर्ण पदक) में मास्टर पदवी प्राप्त की है। इसके साथ ही उन्होंने 2009 में राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरिदाबाद से वित्तीय प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ एमबीए की पदवी पूरी की है।

3.9.5 श्री अरुण पसरीचा (भा. रि. बै. नामिती निदेशक) (10.06.2014 से 22.02.2015 तक)

भारतीय रिज़र्व बैंक के श्री अरुण पसरीचा, 57 वर्ष, मुख्य महा प्रबंधक भा.रि.बैं. के उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग के प्रभारी हैं।

उन्होंने अहमदाबाद, नई दिल्ली, गुवाहाटी और लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय भा.रि.बैं. जैसे अनेक स्थानों पर कार्य किया है। वे 1999-2003 तक प्रशिक्षण प्रभाग के प्रभारी उप महा प्रबंधक, 2003-2005 के दौरान महा प्रबंधक, डीआईटी, सीओ, 2005-2011 के दौरान महा प्रबंधक, डीपीएसएस सीओ के रूप में काम किया है। वे प्रभारी महा प्रबंधक और बाद में 2011 से 2014 तक उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय निदेशक थे।

3.9.6 श्री प्रद्युम्न के. जेना (भा रि.बै. नामिती निदेशक) (23.02.2015 से)

श्री प्रद्युम्न कुमार जेना, मुख्य महा प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर को

Inspection and Audit Cell in Head Office. He headed the Jaipur Zone of the Bank covering the whole of Rajasthan and was the Chairman of two Regional Rural Banks of the Bank, viz., Triveni Kshetriya Gramin Bank (Orai) and Lucknow Kshetriya Gramin Bank (Sitapur).

A versatile banker, Shri Bibhas Kumar Srivastav carries with him over 36 years of rich Banking experience. He has attended various training programmes at prestigious institutes both in India and abroad.

Shri Bibhas Kumar Srivastav is overseeing the functional responsibilities of Priority Sector/Agriculture Lending/SME/ Financial Inclusion, Retail Banking, e-Business, Information Technology, Recovery – NPA Management, Premises and Support Services, Marketing and Publicity, Compliance and Monitoring of Business Development of three Circles, viz., Delhi, Kolkata and Bangalore.

3.9.4 Shri Manish Gupta (Government Nominee Director)

Shri Manish Gupta has been nominated by the Central Government as Government of India Nominee Director on the Board of the Bank with effect from 16th April, 2014.

Shri Manish Gupta is working as Director in Department of Financial Services, Ministry of Finance, Govt. of India. He is presently handling Agriculture Credit. Shri Gupta is an IRSEE (Indian Railway Service of Electrical Engineers) officer and has more than 19 years of experience in the Government of India. Previously, he has held various important positions on Indian Railways. He holds a Bachelor's degree from College of Engineering And Technology, New Delhi and a Masters degree in Measurement and Instrumentation (Gold Medalist) from IIT, Roorkee. He also completed his MBA degree with specialization in Financial Management from National Institute of Financial Management, Faridabad in 2009.

3.9.5 Shri Arun Pasricha (RBI Nominee Director) (with effect from 10.06.2014 to 22.02.2015)

Shri Arun Pasricha, 57 years, Chief General Manager, RBI, is in charge of Consumer Education and Protection Department of RBI.

He served at various places like Ahmedabad, New Delhi, Guwahati & Lucknow Regional Office of RBI. He was Deputy General Manager in charge of Training Division from 1999-2003, General Manager, DIT CO. during 2003-2005, General Manager, DPSS CO. during 2005-2011. He was General Manager in charge and later Regional Director of Uttar Pradesh from 2011 to 2014.

3.9.6 Shri Pradyumna K. Jena (RBI Nominee Director) (with effect from 23.02.2015)

Shri Pradyumna Kumar Jena, Chief General Manager, Reserve Bank of India, Nagpur, has been nominated by the Government

23 फरवरी, 2015 से बैंक के बोर्ड में भारतीय रिजर्व बैंक के नामिति के रूप में भारत सरकार द्वारा नामित किया गया है।

श्री जेना, राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर है और भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट है। उन्होंने 1982 में प्रबंधक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यभार ग्रहण किया और विविध विभागों जैसे नकद (जारी विभाग), जन ऋण प्रबंधन, गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग में कार्य करके प्रचुर अनुभव प्राप्त किया है।

सहायक महा प्रबंधक के रूप में उन्होंने प्रतिष्ठान और शहरी बैंक विभाग, भुवनेश्वर में कार्य किया और 1994 में उप महा प्रबंधक के रूप में पदोन्नत होने पर उन्हें बैंकिग लोकपाल के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया और इसके साथ ही वे बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, एनसीसी और विदेशी मुद्रा विनिमय विभाग में भी काम किया है। महा प्रबंधक के रूप में उन्होंने विविध विभागों जैसे गैर बैंकिग पर्यवेक्षण विभाग, बैंकिग पर्यवेक्षण विभाग, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग और शहरी बैंक विभाग में कार्य किया है।

मुख्य महा प्रबंधक के रूप में पदोन्नत होने पर, श्री जेना 2012 से 2014 तक सभी सात उत्तरी-पूर्वी राज्यों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गुवाहाटी कार्यालय में क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्य किए और फरवरी, 2014 में नागपुर में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय खाता अनुभाग में नियुक्त हुए, तब से वे वहां वर्तमान पद पर कार्यरत हैं।

3.9.7 श्री एकनाथ बालिगा (अधिकारी कर्मचारी निदेशक)

श्री एकनाथ बालिगा को दिनांक 17 अक्तूबर, 2013 से तीन वर्षों की अवधि के लिए बैंक के निदेशक मंडल में अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री एकनाथ बालिगा वर्तमान में बैंक के प्रधान कार्यालय, मंगलूरु में प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे 2013 से कार्पोरेशन बैंक अधिकारी संगठन के महा सचिव हैं।

श्री एकनाथ बालिगा को वाणिज्य में स्नातक उपाधि प्राप्त है, भारतीय बैंकर्स संस्थान के सर्टिफाइड एसोसिएट (सीएआईआईबी) हैं और योग में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त है। वे वर्ष 1980 में कार्पोरेशन बैंक में भर्ती हुए। उन्होंने वडोदरा, अहमदाबाद और मंगलूरु में विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों में कार्य किया। उन्होंने कार्पोरेशन बैंक अधिकारी संगठन (सीबीओओ) में क्षेत्रीय सचिव, खजांची, उप महा सचिव जैसे विभिन्न पद धारित किए और जनवरी 2013 में महा सचिव के रूप में चुने गए।

3.9.8 श्री आदीश कुमार जैन (सनदी लेखाकार प्रवर्ग निदेशक)

श्री आदीश कुमार जैन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के सहयोगी सदस्य हैं और एलएलबी, बीएससी एवं डीआईएसए (आईसीएआई) की अतिरिक्त योग्यता रखते हैं।

श्री जैन को वित्त, प्रबंधन और कन्सेलटेन्सी के क्षेत्र में 31 वर्षों से अधिक का प्रचुर अनुभव है। वे विगत 13 वर्षों से एमबीए के छात्रों को पढ़ाते हैं। उन्हें लेखा-परीक्षा, सिस्टम सुधार में कन्सेलटेन्सी, विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, सहकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र कंपनियों, संस्थाओं और अन्य

of India as the Reserve Bank of India nominee on the Board of the Bank with effect from 23rd February, 2015.

Shri Jena, a postgraduate in Political Science and a Certified Associate of Indian Institute of Bankers, joined Reserve Bank of India as Manager in 1982 and gained rich experience working in various departments like Cash (Issue Department), Public Debt Management, Department of Non-Banking Supervision, Rural Planning and Credit Department.

As Assistant General Manager, he served in Establishment and Urban Banks Department in Bhubhaneshwar and on his elevation as Deputy General Manager in 1994, he was posted as Secretary to the Banking Ombudsman and also handled Department of Banking Supervision, NCC and Foreign Exchange Department. As General Manager, he served in various departments like, Department of Non-Banking Supervision, Department of Banking Supervision, Rural Planning and Credit Department and Urban Banks Department.

On his elevation as Chief General Manager, Shri Jena served in the Guwahati office of the Reserve Bank of India as Regional Director for all the seven North Eastern States from 2012 to 2014 and in February 2014 he was posted to the Central Accounts Section of Reserve Bank of India in Nagpur, wherein he is continuing in his present position.

3.9.7 Shri Ekanath Baliga (Officer's Employee Director)

Shri Ekanath Baliga had been appointed as Officer Employee Director on the Board of the Bank on October 17, 2013 for a period of three years. He is working as a Manager at the Head Office of the Bank in Mangaluru. He is the General Secretary of Corporation Bank Officers' Organization since 2013.

Shri Ekanath Baliga is a Graduate in Commerce, a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB) and holds a Post Graduate Diploma in Yoga. He joined Corporation Bank in the year 1980. He had worked at branches/offices of the Bank in Vadodara, Ahmedabad and Mangaluru. He has held various key positions in the Corporation Bank Officers' Organization [CBOO] like Regional Secretary, Treasurer, Deputy General Secretary and has been elected as the General Secretary in January 2013.

3.9.8 Shri Adish Kumar Jain (Chartered Accountant Category Director)

Shri Adish Kumar Jain is a Fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India and holds additional qualification of L.L.B., B.Sc., and DISA (ICAI).

Shri Jain carries with him a rich experience of over 31 years in the field of Finance, Management and Consultancy. He is teaching to MBA students for the past 13 years. He is having experience in the field of Audit, consultancy in system improvements, Advisor on Company law and tax matters to various Public Sector Undertakings, Public Sector Banks, Co-

प्रकार के कारोबारी प्रतिष्ठानों को कंपनी विधि और कर संबंधी मामलों में परामर्शदाता के रूप में अनुभव प्राप्त है।

उन्हें केन्द्र सरकार ने 26 दिसंबर, 2013 से बैंक के निदेशक मंडल में सनदी लेखाकार प्रवर्ग के अंतर्गत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया है।

3.9.9 श्री बोनम वेंकट भास्कर (गैर-सरकारी निदेशक)

श्री बोनम वेंकट भास्कर, एक प्रैक्टिसिंग एड्वोकेट को भारत सरकार द्वारा 4 नवंबर, 2013 से तीन वर्षों की अवधि के लिए बैंक के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री भास्कर को लेखे और बैंकिंग मुख्य विषय के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि प्राप्त है। उन्होंने बैंकिंग विनियमन अधिनियम को एक विषय के रूप में लेते हुए विधि में भी स्नातक उपाधि प्राप्त की है, औद्योगिक संबंध और कार्मिक प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और सहकारिता में जूनियर डिप्लोमा प्राप्त किया है। पिछले 15 वर्षों से श्री भास्कर सिविल और आपराधिक मामलों के एड्वोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं।

श्री भास्कर एक कृषक परिवार से हैं और अब भी कृषि एवं सहबद्ध क्रियाकलापों में लगे हैं।

श्री भास्कर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के पुनर्वास में सक्रिय रूप से लगे हैं और इस संबंध में सरकारी प्राधिकारियों की मदद कर रहे हैं तथा उन्होंने ग्रामीण जनसाधारण को शिक्षित करने के लिए कानूनी शिविर आयोजित किए हैं। विनम्र पृष्ठभूमि और कृषि एवं लघु उद्योग के क्षेत्र में विपुल अनुभव के साथ श्री भास्कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने का इरादा रखते हैं।

3.9.10 श्री सुशोभन सरकेर (शेयरधारक निदेशक)

श्री सुशोभन सरकेर, भारतीय जीवन बीमा निगम के भूतपूर्व प्रबंध निदेशक हैं जो शेयरधारक निदेशक के रूप में चुने गए एवं 23 अगस्त, 2011 को बैंक के निदेशक मंडल में शामिल हुए और शेयरधारक निदेशक के रूप में 26.08.2014 से 25.08.2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए पुन: चुने गए।

उन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में तीन दशकों से अधिक का करियर अनुभव प्राप्त है।

वे निवेश, आस्ति प्रबंधन, जीवन बीमा विपणन, आवास वित्त आदि के क्षेत्र में एलआईसी और इसकी सहयोगी कंपनियों में विभिन्न हैसियत से काम करते रहे हैं। वे भारतीय रिज़र्व बैंक की समितियों, इरडा और द क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. के बोर्ड में भी सदस्य रहे।

संप्रति श्री सरकेर लार्सन एण्ड टूब्रो लि., एल एण्ड टी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लि., एल एण्ड टी मेट्रो रेल हैदराबाद लि. और नेशनल इंश्योरेन्स अकैडमी के बोर्ड के निदेशक के रूप में भी हैं।

श्री सरकेर को बीएससी (ऑनर्स) उपाधि प्राप्त है और जमनालाल बजाज इन्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ (जेबीआईएमएस), मुंबई से प्रबंधन अध्ययन में डिप्लोमा प्राप्त है।

Operative Sector, Private Sector Companies, institutions and other forms of business establishments.

He had been nominated by the Central Government as a Part Time Non-Official Director under Chartered Accountant Category on the Board of the Bank effective from 26th December, 2013 onwards.

3.9.9 Shri Bonam Venkata Bhaskar (Non-official Director)

Shri Bonam Venkata Bhaskar, a practicing Advocate, had been appointed as Non-official Director on the Board of Directors of the Bank by the Government of India, for a period of three years with effect from 4th November, 2013.

Shri Bhaskar has graduated in Commerce with Accounts and Banking as main subjects. He has also graduated in Law with Banking Regulation Act as one of the subjects, has completed Post Graduate Diploma in Industrial Relations and Personnel Management and Junior diploma in Co-operations. For the last 15 years Shri Bhaskar has been practicing as an Advocate handling Civil and Criminal cases.

Shri Bhaskar hails from an Agricultural family and is still engaged in Agriculture and allied activities.

Shri Bhaskar has actively involved himself in rehabilitation of people affected by natural calamities, helping the Government authorities in this regard and arranged legal camps for enlightening the rural public. With a humble background and his rich experience in the field of Agriculture and Small Scale Industries, Shri Bhaskar intends to help improve the rural economy.

3.9.10 Shri Sushobhan Sarker (Shareholder Director)

Shri Sushobhan Sarker is Ex-Managing Director of LIC of India, had been elected as the shareholder director of the Bank and joined the Bank's Board on 23rd August, 2011 and since re-elected with effect from 26.08.2014, as shareholder director for a period of three years till 25.08.2017.

He is having more than three decades of career experience with Life Insurance Corporation of India (LIC).

He was working in LIC and its associate companies in various capacities in the field of Investment, Asset Management, Life insurance Marketing, Housing Finance etc. He was also a member of committees of RBI, IRDA, and the board of The Clearing Corporation of India Ltd.

Currently, Shri Sarker is on the Board of Larsen and Toubro Limited, L & T Infrastructure Development Projects Limited, L & T Metro Rail Hyderabad Ltd., and National Insurance Academy, as Director.

Shri Sarker has to his credit a B.Sc. (Honours) degree and Diploma in Management Studies from Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies (JBIMS), Mumbai.

वे जेबीआईएमएस, मुंबई विश्वविद्यालय से वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि धारक भी हैं।

3.9.11 सुश्री चित्रा गौरी लाल (शेयरधारक निदेशक)

सुश्री चित्रा गौरी लाल, 64 वर्ष आयु, उत्तर प्रदेश के नोएडा की निवासी हैं। उन्होंने एम. एससी. (वित्तीय अध्ययन) में स्नातकोत्तर पदवी प्राप्त की है, उन्होंने समाजिक शास्त्र में एम. फिल किया है, जन प्रशासन में मास्टर डिप्लोमा प्राप्त है तथा फिजिक्स में एम. एससी. किया है। उनके पास 37 वर्षों का प्रचुर अनुभव है। इन्होंने भारतीय सीमा और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 1974 में कार्यभार ग्रहण किया और भारत सरकार की विशेष सचिव बनीं और केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क केंद्रीय बोर्ड की सदस्य बनीं और इसी पद से नवंबर, 2010 में सेवानिवृत्त हुई। उनके पास राजस्व विभाग के साथ- साथ मंत्रालय में विभिन्न स्तर पर काम करने का प्रचुर और विविध अनुभव है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर वाणिज्य मंत्रालय, सांख्यिकी और आयोजना मंत्रालय, कृषि मंत्रालय में मध्यम तथा वरिष्ठ प्रबंधन दोनों स्तर पर विभिन्न क्षमताओं में काम किया है। अपने कैरियर के दौरान उन्होंने बाथ, विश्वविद्यालय, यूके में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जहां से उन्होंने वित्तीय अध्ययन पर दूसरी मास्टर पदवी प्राप्त की। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी लिखी है उनमें से एक है भारतीय सांख्यिकीय व्यवस्था में आधुनिकीकरण और दूसरी है सेवा बी व सी केडर समूह की पुनर्संरचना। इन्होंने बैंक में 25.08.2017 तक तीन साल की अवधि के लिए 26.08.2014 से बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। वे मेसर्स स्नोमैन लॉजिस्टीक लि. के बोर्ड में निदेशक हैं।

3.9.12 श्री रमेश कुमार भट् (शेयरधारक निदेशक)

श्री रमेश कुमार भट्, 59 वर्ष आयु के रिसर्च अध्येता (हारवार्ड) है, उन्होंने पीएचडी और एमफिल की उपाधी प्राप्त की है। वे हारवार्ड विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्र, आईआईएम, अहमदाबाद में प्रोफेसर, आईटीआई लि. के बोर्ड में है, बीईएमएल के बोर्ड सदस्य हैं और मासंवि, मंत्रालय के सलाहकार हैं। वे अध्यापन, रिसर्च और कार्पोरेट वित्त में सलाहकार में विशेषज्ञ हैं। उन्हें 31 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने 25.08.2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए 26.08.2014 से बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है।

4. निदेशक मंडल की समितियां

4.1 निदेशक मंडल की लेखा-परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन और परिचालन बैंक हेतु लागू सीमा तक ईक्विटी हेतु सूचीकरण करार के खण्ड 49 के साथ-यथा पठित भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिदेशों द्वारा शासित होता है। मंडल की लेखा-परीक्षा समिति बैंक में संपूर्ण लेखा-परीक्षा कार्य, जिसमें बैंक के भीतर का आंतरिक लेखा-परीक्षा तथा निरीक्षण का आयोजन, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण कार्य सम्मिलित है, को निर्देशन प्रदान करने के अलावा परिचालन का पर्यवेक्षण भी करती है और बैंक के सांविधिक/बाह्य लेखा-परीक्षा कार्य और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणों का अनुवर्ती कार्य करती है।

He is also a Masters Degree holder in Financial Management from JBIMS, University of Mumbai.

3.9.11 Ms. Chitra Gouri Lal (Shareholder Director)

Ms. Chitra Gouri Lal, 64 years of age, hailing from Noida in Uttar Pradesh, is a postgraduate in M.Sc. (Fiscal Studies) M.Phil. in Social Science, having Masters Diploma in Public Administration and an M.Sc. in Physics. She has 37 years of rich experience. She joined the Indian Customs & Central Excise Service in 1974 and rose to the level of Special Secretary to Government of India and Member, Central Board of Excise and Customs, from which post she superannuated in November, 2010. She has had a rich and varied experience at all levels in the Department of Revenue, in the field as well as in the Ministry. She also worked on Central Deputation basis in the Ministry of Commerce, Ministry of Statistics and Planning and Ministry of Agriculture in different capacities, both at the middle, as well as the senior management levels. During her career she received training at the University of Bath, UK which led to a second Masters' degree in Fiscal Studies. She has authored several important reports including one on Modernisation of the Indian Statistical System, another on Restructuring of Group B and C cadres of the Service. She assumes office as shareholder director of the Bank effective from 26.08.2014 for a period of three years till 25.08.2017. She is on the Board of M/s. Snowman Logistics Ltd., as Director.

3.9.12 Shri Ramesh Kumar Bhat (Shareholder Director)

Shri Ramesh Kumar Bhat, aged 59 years, is a Research Fellow (Harward), Ph.D. and an M.Phil. He is an Alumnus of Harward University and University of Delhi and Professor at IIM, Ahmedabad. He is on the Board of ITI Ltd., a Board Member of BEML and an Advisor to the Ministry of HRD. He specialises in the field of Teaching, Research and Consulting in Corporate Finance. He is having 31 years of experience. He assumes office as shareholder director of the Bank effective from 26.08.2014 for a period of three years till 25.08.2017.

4. Committees of the Board

4.1 Audit Committee of the Board

The formation and functioning of Audit Committee of the Board (ACB) is governed by the directives of Reserve Bank of India, guidelines of Ministry of Finance, Government of India and read with Clause 49 of the Listing Agreement for Equity to the extent applicable to the Bank. The ACB provides directions and also oversees the operations of the total audit function in the Bank comprising the organisation, operationalisation and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follows up the statutory/external audit of the Bank and inspections of Reserve Bank of India.

लेखा-परीक्षा समिति ऐसे विषयों में आंतरिक लेखा-परीक्षकों द्वारा की गई जाँच-पड़ताल के निष्कर्षों की समीक्षा करती है जहाँ कपट का संदेह होता है या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अनियमितता या विफलता देखी जाती है तथा वहाँ नियंत्रण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव देती है। जहाँ तक बाह्य लेखा-परीक्षा का संबंध है, यह समिति, वार्षिक लेखों और रिपोर्टों तथा तिमाही वित्तीय समीक्षा को अंतिम रूप देने से पहले, लेखा नीतियों और कार्य-प्रणालियों में परिवर्तनों, ड्राफ्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट में टिप्पणी, लेखा-मानकों और स्टॉक एक्सचेंज/विधिक अपेक्षाओं के अनुपालन पर ध्यान देते हुए सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों से विचार-विमर्श करती है।

निदेशक मंडल की लेखा-परीक्षा समिति में वर्तमान में 31.03.2015 तक बोर्ड के 6 सदस्य थें और श्री अमर लाल दौलतानी, कार्यपालक निदेशक की सेवानिवृति के कारण 01 अप्रैल, 2015 से 5 सदस्य हैं। वे हैं श्री अमर लाल दौलतानी (31.03.2015 तक) और श्री बी. के. श्रीवास्तव, बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री मनीष गुप्ता, भारत सरकार द्वारा नामिती निदेशक, श्री अरुण पसरीचा (भारिबैं नामिती निदेशक) (22.02.2015 तक)/ 23.02.2015 से श्री प्रद्युम्न के. जिना (भारिबैं नामिती निदेशक) श्री आदीश कुमार जैन, सनदी लेखाकर प्रवर्ग निदेशक और श्री बोमन कुमार भास्कर (गैर अधिकारी निदेशक)। श्री आदीश कुमार जैन, (सनदी लेखाकर प्रवर्ग निदेशक) द्वारा समिति की अध्यक्षता की जाती है। ईक्विटी सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार श्री एस. के. दाश, कंपनी सचिव, बोर्ड सचिवालय एवं निवेशक सेवा विभाग, लेखा परीक्षा समिति के भी सचिव हैं।

4.2 प्रबंधन समिति

प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 के यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार किया गया। समिति में 31.03.2015 तक 7 और श्री अमर लाल दौलतानी, कार्यपालक निदेशक की सेवानिवृत्ती के कारण 1 अप्रैल 2015 से 6 निदेशक है, अर्थात श्री एस.आर.बंसल (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) श्री अमर लाल दौलतानी (31.03.2015 तक) और श्री बी. के. श्रीवास्तव (कार्यपालक निदेशक), श्री अरूण पसरिचा (भारिबैं नामिती निदेशक) (22.02.2015 तक)/ श्री प्रद्युम्न के. जिना (भारिबैं नामिती निदेशक) (23.02.2015 से), श्री एकनाथ बालिगा (अधिकारी कर्मचारी निदेशक), श्री रमेश कुमार भट (शेयरधारक निदेशक) और सुश्री चित्रा गौरी लाल (शेयरधारक निदेशक) समिति के सदस्य हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। 29 फरवरी 2012 तक प्रबंधन समिति ने बैंक के सामान्य व्यापार लेन-देनों और ऋण प्रस्तावों के संबंध में वित्तीय मंजूरी देने के अधिकार का प्रयोग करती थी जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्रत्यायोजित अधिकारों से परे थे। सरकार की अधिसूचना दिनांक 5 दिसंबर, 2011 द्वारा 1मार्च, 2012 से निदेशक मंडल की ऋण अनुमोदन समिति के गठन के बाद प्रबंधन समिति ने एकल उधारकर्ता के लिए ₹250 करोड़ और उधारकर्ता समूह के लिए ₹500 करोड़ से अधिक के ऋण प्रस्तावों के संबंध में निदेशक मंडल के अधिकारों का प्रयोग किया, जो ऋण अनुमोदन समिति को प्रत्यायोजित अधिकारों के परे हैं।

Audit Committee reviews the findings of investigation by the internal auditors into matters where fraud is suspected or irregularity or failure of internal control systems is observed and suggests strengthening of control mechanism. As regards external audit, the Committee interacts with Statutory Central Auditors before the finalisation of the annual accounts and reports as well as quarterly financial review, focusing on the changes in accounting policies and practices, qualification in the draft Audit Report, compliance with accounting standards and Stock Exchange/legal requirements.

The Audit Committee of the Board, at present, comprises the following 6 Board members till 31.03.2015 and 5 members with effect from 1st April, 2015 on account of retirement of Shri Amar Lal Daultani, Executive Director. They are, Shri Amar Lal Daultani (till 31.03.2015) and Shri B. K. Srivastav, Executive Directors of the Bank, Shri Manish Gupta, Government of India Nominee Director, Shri Arun Pasricha (RBI Nominee Director) (till 22.02.2015) / Shri Pradyumna K. Jena (RBI Nominee Director) w.e.f. 23.02.2015, Shri Adish Kumar Jain, Chartered Accountant Category Director and Shri Bonam Venkata Bhaskar, (Non-official Director). The Committee is chaired by Shri Adish Kumar Jain, (Chartered Accountant Category Director). As per Clause 49 of the Listing Agreement for Equity Shri S. K. Dash, Company Secretary, Board Secretariat & Investors Services Department of the Bank is also the Secretary to ACB.

4.2 Management Committee

The Management Committee is constituted as per the provisions of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 as amended. The Committee comprises of 7 directors till 31.03.2015 and 6 Directors with effect from 1st April, 2015 on account of retirement of Shri Amar Lal Daultani, Executive Director viz., Shri S. R. Bansal (Chairman and Managing Director), Shri Amar Lal Daultani (till 31.03.2015) and Shri B. K. Srivastav (Executive Directors), Shri Arun Pasricha (RBI Nominee Director) (till 22.02.2015)/ Shri Pradyumna K. Jena (RBI Nominee Director) (w.e.f. 23.02.2015), Shri Ekanath Baliga (Officers' Employee Director), Shri Ramesh Kumar Bhat (Shareholder Director), and Ms. Chitra Gouri Lal (Shareholder Director) are the members of the Committee. The Chairman & Managing Director Chairs the Committee Meetings. Till 29th February, 2012, the Management Committee exercised financial sanctioning powers in respect of normal business transactions of the Bank and credit proposals which were beyond the delegated powers of the Chairman & Managing Director. Subsequent to the constitution of the Credit Approval Committee of the Board with effect from 1st March, 2012, vide Government Notification dated 5th December, 2011, the Management Committee exercised the powers of the Board in respect of credit proposals above ₹250 crore for single borrower and ₹500 crore for group of borrowers, which were beyond the delegated powers of the Credit Approval Committee.

4.3 ऋण अनुमोदन समिति

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना संदर्भ सं. 13.1.2006-बीओ.1 दिनांकित 31 जनवरी, 2012 द्वारा प्राप्त निदेशों के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 01.03.2012 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल की ऋण अनुमोदन समिति गठित की। ऋण अनुमोदन समिति ऐसे ऋण प्रस्ताव के संबंध में निदेशक मंडल के अधिकारों का प्रयोग करेगी जहाँ समग्र एक्सपोज़र ₹250 करोड़ से अधिक न हो। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित बैंक के अधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों से परे आने वाले ऋण प्रस्तावों और निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति द्वारा विचार किए जा रहे ऋण प्रस्तावों पर ₹250 करोड़ की निर्दिष्ट सीमा तक ऋण अनुमोदन समिति द्वारा विचार किया जाएगा और ऐसी सीमा से अधिक के ऋण प्रस्तावों पर निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति द्वारा विचार किया जाएगा। उपर्युक्त को देखते हुए, ऋण अनुमोदन समिति ऐसे ऋण प्रस्ताव के संबंध में निदेशक मंडल के अधिकारों का प्रयोग करेगी जहाँ एकल उधारकर्ता को समग्र ऋण ₹250 करोड़ से अधिक न हो तथा उधारकर्ता समूह हेतु ₹500 करोड़ से अधिक न हो। उक्त समिति को (i) 1.00 करोड़ तक का त्याग निहित अर्ली मॉर्टालिटी मामलों सहित ऋण समझौता/बट्टे खाते डालने के प्रस्तावों पर विचार करने तथा (ii) निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति द्वारा दी गई मंजूरियों के संबंध में अनुमोदन करने/आशोधन करने/मंजूरी शर्तों में अशोधन/नों की अनुमति देने तथा उनके द्वारा दी गई मंजूरी की शर्तों में आशोधन करने का भी अधिकार होगा।

इस समिति के सदस्य हैं - श्री एस. आर. बंसल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री अमर लाल दौलतानी (31.03.2015 तक) और श्री बी. के. श्रीवास्तव - कार्यपालक निदेशक, ऋण प्रभाग, वित्तीय प्रबंधन प्रभाग और जोखिम प्रबंधन प्रभाग के प्रभारी महा प्रबंधक। समिति की बैठकों की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस. आर बंसल करते हैं। कृषि और वित्तीय समावेशन प्रभाग के प्रभारी महा प्रबंधक, महा प्रबंधक, एसएमई एवं खुदरा ऋण प्रभाग और महा प्रबंधक, वसूली प्रभाग भी समिति के समक्ष प्रस्ताव रखते हैं।

इसके अलावा, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार से प्राप्त दिनांक 3 अप्रैल, 2012 के निदेशों के अनुसार 1 मई, 2012 से आंचलिक कार्यालय और मंडल कार्यालय स्तर पर ऋण अनुमोदन समितियाँ गठित की गई हैं। ये समितियाँ ऐसे मंजूरी अधिकारों का प्रयोग करेंगी जो शाख़ा प्रबंधकों के प्रत्यायोजित ऋण अधिकारों से परे हैं परन्तु ऐसी समितियों की अध्यक्षता करने वाले कार्यपालकों को प्रत्यायोजित अधिकारों के अंतर्गत हैं। जो प्रस्ताव मंडल कार्यालयों के महा प्रबंधकों को प्रत्यायोजित ऋण अधिकारों के परे हैं, उन्हें प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण समिति/निदेशक मंडल की ऋण अनुमोदन समिति/प्रबंधन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

4.3 Credit Approval Committee

As per the directions of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, vide their communication reference No.13/1/2006-BO.1 dated 31st January, 2012, the Board of the Bank at its meeting held on 01.03.2012, constituted the Credit Approval Committee of the Board. The Credit Approval Committee exercises the powers of the Board in respect of any credit proposal where the aggregate exposure shall not exceed ₹250 crore. The credit proposals which exceed the powers delegated to the officials of the Bank including the Chairman and Managing Director and the credit proposals being considered by the Management Committee of the Board are being considered by the Credit Approval Committee up to the limit specified i.e. ₹250 crore and the credit proposals which exceed such limits are being considered by the Management Committee of the Board. In view of the above, the Credit Approval Committee exercises the powers of the Board in respect of credit proposal where the aggregate exposure shall not exceed ₹250 crore to single borrower and ₹500 crore for group borrowers. The Committee is also empowered – (i) to consider loan compromise/write-off proposals including early mortality cases involving sacrifice up to ₹1.00 crore and (ii) to approve/modify/permit modification/s in sanction terms in respect of sanctions accorded by the Management Committee of the Board and to modify the terms of sanction accorded by it.

The members of the committee are Shri S. R. Bansal, Chairman and Managing Director, Shri Amar Lal Daultani (till 31.03.2015) and Shri B. K. Srivastav – Executive Directors, General Managers in charge of Credit Division, Financial Management Division and Risk Management Division. The committee meetings are chaired by Shri S. R. Bansal, Chairman and Managing Director of the Bank. General Manager in charge of Agriculture and Financial Inclusion Division, General Manager, SME and Retail Lending Division and General Manager, Recovery Division, also present their proposals to the Committee.

Further to this, as per the directions dated 3rd April, 2012 received from the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, Credit Approval Committees have been constituted at Zonal office and Circle office levels with effect from 1st May, 2012. These committees exercises sanctioning powers, which are beyond the delegated lending powers of the Branch Managers, but are within the delegated lending powers of the Executives heading such committees. Proposals which are beyond the delegated lending powers of the General Managers at Circle Office level are being referred to the Head Office level Credit Committee/ Credit Approval Committee of the Board/Management Committee of the Board.

4.3.1 प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण समिति

ऋण/वसूली प्रस्तावों पर सुचारु और सामयिक निर्णय सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 27.06.2013 से प्रधान कार्यालय में कार्यपालक निदेशक के अधीन प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण समिति गठित की गई है। यह समिति एकल उधारकर्ता के मामले में ₹75 करोड़ और उधारकर्ता समूह के बारे में ₹150 करोड़ तक की ऋण सुविधाओं की मंजूरी और ₹50 लाख तक त्याग की राशि निहित समझौता/बट्टे खाते के लिखने के खातों की मंजूरी पर विचार करेगी। कार्यपालक निदेशक श्री अमर लाल दौलतानी (31.03.2015 तक) और श्री बी. के. श्रीवास्तव, ऋण, वित्त, जोखिम प्रबंधन, खुदरा ऋण और प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र विकास के प्रभारी महा प्रबंधक उक्त समिति के सदस्य हैं। वसूली एवं कैप्स के महा प्रबंधक, उनके प्रभाग से संबंधित कार्यसूची पर विचार करते समय समिति की बैठक में उपस्थित होंगे। प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण समिति को विनिर्दिष्ट ऋण सीमाओं से अधिक राशि के ऋण प्रस्तावों को बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति के समक्ष रखा जाएगा।

4.4 विभागीय पदोन्नति समिति

विभागीय पदोन्नति समिति में सदस्य के रूप में 3 निदेशक अर्थात् श्री एस. आर. बंसल (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) श्री मनीष गुप्ता, (सरकार नामिती निदेशक) और श्री अरुण पसरीचा (भारिबैं नामिती निदेशक) (22.02.2015 तक)/ श्री प्रद्युम्न के. जेना (भारिबैं नामिती निदेशक) (23.02.2015 से) हैं। यह समिति बैंक के अनुशासन संबंधी मामलों और बैंक के वेतनमान VI से वेतनमान VII के उच्च कार्यपालकों की अनुशासनिक मामलों और पदोन्नतियों की देखरेख करती है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

4.5 शेयरधारक संबंध समिति (विगत में निवेशक शिकायत समिति)

सूचीबद्ध ईकाईयों में कार्पोरेट अभिशासन पर सेबी के परिपत्र दिनांकित 17.04.2014 में दिए गए निर्देश – ईक्विटी सूचीबद्ध करार के खंड 35बी और 49 के संशोधन के अनुसार गैर कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में और बोर्ड की कार्यसूची सं. 75 दिनांकित 06.11.2014 द्वारा यथा अनुमोदित ऐसे अन्य सदस्यों के तहत शेयरधारक, डिबेंचर धारक और अन्य सुरक्षा धारक की शिकायतों के निवारण पर ध्यान देने के लिए बोर्ड की एक "शेयरधारक संबंध समिति'' का गठन किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, निवेशक शिकायत समिति का नाम शेयरधारक संबंध समिति में बदल दिया गया। समिति में 31.03.2015 तक 5 और श्री अमर लाल दौलतानी, कार्यपालक निदेशक की सेवानिवृत्ति के कारण 01 अप्रैल, 2015 से 4 सदस्य हैं अर्थात श्री अमर लाल दौलतानी (31.03.2015 तक) और श्री बी. के. श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक, श्री मनीष गुप्ता, सरकार नामिति निदेशक, श्री सुशोभन सरकेर और सुश्री चित्रा गौरी लाल, शेयरधारक निदेशक समिति के सदस्य हैं। सुश्री चित्रा गौरी लाल, शेयरधारक निदेशक समिति की बैठकों की अध्यक्षता करती हैं।

ईक्विटी सूचीकरण करार के खंड 47 के अनुसार श्री एस.के. दाश, बैंक के

4.3.1 Head office-level Credit Committee

With a view to ensure smooth and timely decisions on Credit/ Recovery proposals, Head Office Level Credit Committee headed by the Executive Director, has been constituted at Head Office of the Bank with effect from 27.06.2013, to consider sanction of credit facilities upto ₹75 crore to a single borrower and upto ₹150 crore to group of borrowers and approve sacrifice amount upto ₹50 lakh for sanction of compromise /write off proposals. The Executive Directors, Shri Amar Lal Daultani (till 31.03.2015) and Shri. B. K. Srivastav and General Managers in charge of Credit, Finance, Risk Management, Retail Lending Division and Development of Priority Sector, constitute the members of the committee. General Managers in charge of Recovery and CAPS, are also present at the committee meeting when agendas pertaining to their division are presented. Credit proposals beyond the stipulated credit limits of the Head Office level Credit Committee shall be referred to the Credit Approval Committee of the Board.

4.4 Departmental Promotion Committee

The Departmental Promotion Committee comprises of 3 Directors, viz. Shri S. R. Bansal (Chairman & Managing Director), Shri Manish Gupta, Government of India nominee Director and Shri Arun Pasricha (RBI Nominee Director) (till 22.02.2015) /Shri Pradyumna K. Jena (RBI Nominee Director) (w.e.f. 23.02.2015), as members. The Committee oversees the disciplinary cases in the Bank and promotions of top executives of the Bank from scale VI to scale VII. The Chairman & Managing Director Chairs the Committee Meetings.

4.5 Stakeholders' Relationship Committee (formerly Investors Grievance Committee)

As per the directions contained in the SEBI circular dated 17.04.2014 on Corporate Governance in listed entities – Amendments to clauses 35B and 49 of the Equity Listing Agreement, a "Stakeholders Relationship Committee" of the Board was constituted under the Chairmanship of a non-executive director and such other members as approved by the Board vide Minute No. 75 dated 06.11.2014, to look into the redressal of grievances of shareholders, debenture holders and other security holders. Consequent upon this, the nomenclature of Investor Grievance Committee was changed to Stakeholders Relationship Committee. The Committee comprises of 5 members till 31.03.2015 and 4 members with effect from 1st April, 2015 on account of retirement of Shri Amar Lal Daultani, Executive Director, viz., Shri Amar Lal Daultani (till 31.03.2015) and Shri B. K. Srivastav – the Executive Directors, Shri Manish Gupta, Government of India nominee Director, Shri Sushobhan Sarker and Ms. Chitra Gouri Lal, Shareholder Directors are the members of the Committee. Ms. Chitra Gouri Lal, Shareholder Director, Chairs the Committee Meetings.

In terms of Clause 47 of the Listing Agreement for Equity,

बोर्ड सचिवालय तथा निवेशक सेवा विभाग के प्रभारी कंपनी सचिव, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करारों की विविध शर्तों और सेबी द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन के उद्देश्य हेतु अनुपालन अधिकारी हैं।

इस वर्ष के दौरान शेयरधारकों से 328 शिकायतें प्राप्त हुई। तथापि, 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार उनमें से कोई भी शिकायत निपटान के लिए लंबित नहीं है। यदि शेयरधारक से अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है तो सामान्यतः सात दिनों की अवधि के भीतर शिकायतों का निपटान किया जाता है। वर्ष 2013-14 की तुलना में, प्राप्त, निपटायी गई और वर्ष 2014-15 के अंत में लंबित शिकायतों को दर्शाने वाली तालिका नीचे प्रस्तुत है:

Shri S. K. Dash, Company Secretary in charge of Board Secretariat and Investor Services Department of the Bank is the Compliance Officer for the purpose of complying with various terms of Listing Agreements with Stock Exchanges and directives issued by SEBI.

During the year, 328 grievances were received from shareholders. However, as at 31st March, 2015, none of them was pending for redressal. Grievances are normally resolved within a period of seven days, unless further information from the shareholder is required. A table showing Grievances received, disposed off and pending as at the end of the year 2014-15 vis-a-vis 2013-14 is furnished hereunder:

शिकायतों की प्रकृति Nature of Grievances	31.03.13 को लंबित Pending as on 31.03.13	2014-15			2013-14		
		प्राप्त Recd.	निपटायी Disposed	31.03.15 को लंबित Pending as on 31.03.15	प्राप्त Recd.	निपटायी Disposed	31.03.14 को लंबित Pending as on 31.03.14
धन वापसी/लाभांश की अप्राप्ति Non-receipt of refund/dividend	–	251	251	–	847	847	–
शेयर प्रमाण पत्र की अप्राप्ति Non-receipt of share certificate	–	19	19	–	–	–	–
आंतरण डयूप्लिकेट हेतु भेजे गए शेयर प्रमाण पत्र की अप्राप्ति Non-receipt of share certificate sent for transfer/duplicate	–	21	21	–	22	22	–
शेयर प्रमाण पत्र खो जाना Loss of share certificate	–	35	35	–	50	50	–
विविध/Miscellaneous	–	–	–	–	1	1	–
स्टाक एक्सचेंजों के ज़रिए प्राप्त Recd. through Stock Exchanges	–	01	01	–	–	–	–
सेबी, स्कोर्स के ज़रिए प्राप्त Recd. through SEBI, SCORES	–	01	01	–	5	5	–
कुल/Total	**–**	**328**	**328**	**–**	**925**	**925**	**–**

यद्यपि निवेशक शिकायतों के निवारण हेतु संप्रति लिया जानेवाला औसत समय युक्ति-संगत है, फिर भी, बैंक, निवेशक शिकायतों का उत्तर देने में उच्चतर मानकों को स्थापित करने हेतु समय अंतराल को और भी घटाने के लिए प्रयासरत है। सेबी के समर्पित वेबसाईट स्कोर्स के माध्यम से प्राप्त निवेशक शिकायतों का इलेक्ट्रानिक रूप से शीघ्र निराकरण किया गया है।

Though the average time taken for redressal of investor grievances at present is reasonable, to set higher standards in responding to the investor grievances, Bank has been consistently striving for reducing the time lag. Investor grievances received through the SEBI dedicated website SCORES, have also been redressed electronically, promptly.

4.6 सूचना प्रौद्योगिकी समिति

तेज़ी से बदलते कारोबार परिदृश्य और ग्राहकों की आवश्यकताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने के लिए बैंक ई-गवर्नेंस के अंतर्गत विविध सूचना प्रौद्योगिकी उपाय करता रहा है। इन परियोजनाओं का त्वरित कार्यान्वयन करने तथा ग्राहक सुविधा एवं संतुष्टि को बढ़ाने की दृष्टि से नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद प्रदान करने की संभाव्यताओं का पता लगाने हेतु बैंक का मार्गदर्शन करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया गया है।

इस समिति में 31.03.2015 तक 7 सदस्य थे और श्री अमर लाल दौलतानी, कार्यपालक निदेशक की सेवानिवृत्ति के कारण 01 अप्रैल, 2015 से 6 सदस्य

4.6 Information Technology Committee

To keep pace with the fast changing business dynamics and customer needs, the Bank has been taking up various IT initiatives under the umbrella of e-governance to enhance customer convenience. To guide the Bank for accelerated implementation of these projects and also to explore the possibility of providing innovative technology based products and services that perfectly suit the requirements of the customers, Information Technology Committee has been constituted.

The Committee comprises of 7 members till 31.03.2015 and 6 members with effect from 1st April, 2015 on account

हैं अर्थात् श्री एस. आर. बंसल (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक), श्री अमर लाल दौलतानी (31.03.2015 तक), श्री बी. के. श्रीवास्तव (कार्यपालक निदेशक), श्री मनीष गुप्ता (सरकार नामिती निदेशक), श्री एकनाथ बालिगा, श्री आदिश कुमार जैन और श्री रमेश कुमार भट्, निदेशक समिति के सदस्य हैं । श्री एस. आर. बंसल, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

4.7 जोखिम प्रबंधन समिति

निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति पर्याप्त जाँच और संतुलन, पारदर्शिता और प्रकटन, सुदृढ जोखिम प्रबंधन प्रणालियाँ, जोखिम नियंत्रण पद्धतियाँ, शीघ्र चेतावनी प्रणालियाँ और चूक से बचने के लिए तुरंत सुधारात्मक कार्रवाइयाँ करने के लिए गठित की गयी थी। इस समिति में 31.03.2015 तक 7 सदस्य थे और श्री अमर लाल दौलतानी, कार्यपालक निदेशक की सेवानिवृत्ति के कारण 01 अप्रैल, 2015 से 6 सदस्य हैं और श्री एस. आर. बंसल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इसकी अध्यक्षता करते हैं। समिति के अन्य सदस्य हैं, श्री अमर लाल दौलतानी (31.03.2015 तक), श्री बी. के . श्रीवास्तव, बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री आदिश कुमार जैन, सनदी लेखाकार श्रेणी निदेशक, श्री बोनम वेंकट भास्कर, गैर-अधिकारिक निदेशक, श्री सुशोभन सरकेर और श्री रमेश कुमार भट्, शेयरधारक निदेशक।

4.8 उच्च मूल्य के कपटों की निगरानी समिति

रुपए एक करोड़ एवं अधिक के कपटों की निगरानी पर केंद्रीभूत ध्यान देने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उच्च मूल्य के कपटों की निगरानी हेतु बोर्ड की एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में 31.03.2015 तक 7 सदस्य थे और श्री अमर लाल दौलतानी, कार्यपालक निदेशक की सेवानिवृत्ति के कारण 01 अप्रैल, 2015 से 6 सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता श्री एस. आर. बंसल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक करते हैं। समिति के अन्य सदस्य हैं श्री अमर लाल दौलतानी (31.03.2015 तक), श्री बी. के . श्रीवास्तव - बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री मनीष गुप्ता (सरकार नामिती निदेशक), श्री एकनाथ बालिगा, अधिकारी कर्मचारी निदेशक, श्री बोनम वेंकट भास्कर, गैर-अधिकारिक निदेशक और श्री सुशोभन सरकेर, शेयरधारक निदेशक।

4.9 शेयर अंतरण समिति

शेयरों के अंतरण, रीमेटिरियलाइजेशन तथा डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्रों को जारी करने के संबंध में शेयरधारकों के अनुरोधों पर विचार करने के उद्देश्य से प्रचलित नियमों के अनुरूप निदेशक मंडल ने बोर्ड की एक 'शेयर अंतरण समिति' गठित की है। समिति में 3 सदस्य हैं अर्थात् श्री एस. आर. बंसल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में श्री अमर लाल दौलतानी (31.03.2015 तक) और श्री बी.के . श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशकों में से कोई एक समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। श्री एकनाथ बालिगा और श्री बोनम वेंकट भास्कर, निदेशक समिति के अन्य दो सदस्य हैं।

of retirement of Shri Amar Lal Daultani, Executive Director viz., Shri S. R. Bansal (Chairman and Managing Director), Shri Amar Lal Daultani (till 31.03.2015), Shri B. K. Srivastav, (Executive Directors), Shri Manish Gupta, (Government of India Nominee Director), Shri Ekanath Baliga, Shri Adish Kumar Jain and Shri Ramesh Kumar Bhat, Directors are the members of the Committee. Shri S. R. Bansal, Chairman and Managing Director of the Bank chairs the Committee Meetings.

4.7 Risk Management Committee

The Risk Management Committee of the Board was formed to provide adequate checks and balances, transparency and disclosures, robust risk management systems, risk containment procedures, early warning systems and prompt corrective actions to avoid default. The Committee comprises of 7 Directors till 31.03.2015 and 6 Directors with effect from 1st April, 2015 on account of retirement of Shri Amar Lal Daultani, Executive Director, and is Chaired by Shri S. R. Bansal, Chairman & Managing Director. The other members of the Committee are Shri Amar Lal Daultani (till 31.03.2015), Shri B. K. Srivastav, the Executive Directors of the Bank, Shri Adish Kumar Jain, Chartered Accountant category Director, Shri Bonam Venkata Bhaskar, Non-official Director, Shri Sushobhan Sarker and Shri Ramesh Kumar Bhat, Shareholder Directors.

4.8 Committee to Monitor Large Value Frauds

With a view to closely monitor frauds involving amounts of Rupees one crore and above, a Committee of the Board to Monitor Large Value Frauds has been constituted in terms of the guidelines of Reserve Bank of India. The Committee comprises of 7 Directors till 31.03.2015 and 6 Directors with effect from 1st April, 2015 on account of retirement of Shri Amar Lal Daultani, Executive Director and is chaired by Shri S. R. Bansal, Chairman & Managing Director. The other members of the Committee are Shri Amar Lal Daultani (till 31.03.2015), Shri B. K. Srivastav, the Executive Directors of the Bank, Shri Manish Gupta, (Government of India Nominee Director), Shri Ekanath Baliga, Officers' Employee Director, Shri Bonam Venkata Bhaskar, Non-official Director and Shri Sushobhan Sarker, Shareholder Director.

4.9 Share Transfer Committee

To meet the requests of the shareholders for transfer of shares, rematerialisation and issuance of duplicate share certificates, a "Share Transfer Committee" of the Board was constituted by the Board of Directors in line with the extant regulations. The Committee comprises of 3 members viz., Shri S. R. Bansal, Chairman & Managing Director or in his absence, either of the Executive Directors, Shri Amar Lal Daultani (till 31.03.2015) or Shri B. K. Srivastav, chairs the committee meetings. Shri Ekanath Baliga and Shri Bonam Venkata Bhaskar, Directors. are the other two members of the committee.

4.10 ग्राहक सेवा समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार तथा व्यक्तिगत ग्राहक के अधिकारों के संरक्षण तथा बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने की दृष्टि से बैंक ने ग्राहक सेवा समिति का गठन किया। समिति में 31.03.2015 तक 6 सदस्य थे और श्री अमर लाल दौलतानी, कार्यपालक निदेशक की सेवानिवृत्ति के कारण 1अप्रैल, 2015 से 5 सदस्य हैं। श्री एस. आर. बंसल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जो समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। श्री अमर लाल दौलतानी (31.03.2015 तक), श्री बी. के . श्रीवास्तव – बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री मनीष गुप्ता, सरकार नामिती निदेशक, श्री एकनाथ बालिगा और बोनम वेंकट भास्कर, निदेशक।

4.11 पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्णकालिक निदेशकों (अर्थात् अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक) को निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के तहत पात्र प्रोत्साहन राशि का आकलन करने हेतु निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था। श्री मनीष गुप्ता, सरकारी नामिती निदेशक, समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। श्री अरुण पसरीचा (22.02.2015 तक)/ श्री प्रद्युम्न के जेना (भारिबैं नामिती निदेशक) (23.02.2015 से), श्री आदीश कुमार जैन, सनदी लेखाकार श्रेणी निदेशक और सुश्री चित्रा गौरी लाल, शेयरधारक निदेशक उक्त समिति के सदस्य हैं।

4.12 नामांकन समिति

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा 22.12.2007 को आयोजित अपनी बैठक में बैंक के वर्तमान शेयरधारक निदेशकों और जो बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए नामांकन दायर करते हैं, उनकी बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(आई) के प्रावधानों के तहत 'उपयुक्तता एवं उचित' स्थिति का विनिश्चय करने हेतु सम्यक जांच की प्रक्रिया संचालित करने के लिए बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3एए) तथा धारा 9(3एबी) के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांकित 01.11.2007 के अनुसार नामांकन समिति गठित की गई। समिति के तीन सदस्य हैं अर्थात् श्री मनीष गुप्ता, भारत सरकार नामिती, श्री आदीश कुमार जैन (सनदी लेखाकार प्रवर्ग निदेशक) और श्री बोनम वेंकट भास्कर, निदेशक।

4.13 आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण समिति (आईसीएएपी समिति)

बैंकिंग प्रणाली की सुदृढता और स्थायित्व को मज़बूत करने के लक्ष्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने बेसल I प्रथाओं में सुधार लाने की दृष्टि से बेसल II और बेसल III द्वारा शुरू किए गए नए पूँजी पर्याप्तता ढाँचे की तर्ज पर दिशानिर्देश सूत्रबद्ध किए हैं। उक्त नीति के लक्ष्य हैं भारिबैंक के दिशानिर्देशों, बेसल दिशानिर्देशों तथा समग्र कार्पोरेट अभिशासन सिद्धांतों के अनुसार आंतरिक पूँजी का प्रबंधन

4.10 Customer Service Committee

With a view to safeguard the rights of individual customers and to deliver better customer service, the Bank has constituted the Customer Service Committee of the Board, in line with the directions of the Reserve Bank of India. The committee comprises of 6 members till 31.03.2015 and 5 members with effect from 1st April, 2015 on account of retirement of Shri Amar Lal Daultani, Executive Director are Shri S. R. Bansal, Chairman & Managing Director, who chairs the committee meetings. Shri Amar Lal Daultani (till 31.03.2015) and Shri B. K. Srivastav – Executive Directors of the Bank, Shri Manish Gupta, Government of India Nominee Director, Shri Ekanath Baliga and Shri Bonam Venkata Bhaskar, Directors.

4.11 Remuneration Committee

The Remuneration Committee was constituted as per the extant guidelines of Government of India to evaluate the performance of the Whole Time Directors (viz., CMD and EDs) for arriving at the eligible amount of incentives payable to them under Performance Linked Incentive Scheme. Shri Manish Gupta, Government of India Nominee, chairs the committee meetings. Shri Arun Pasricha (till 22.02.2015) / Shri Pradyumna K. Jena (RBI Nominee Director) (w.e.f. 23.02.2015), Shri Adish Kumar Jain, Chartered Accountant category Director and Ms. Chitra Gouri Lal, Shareholder Director, are the members of the Committee.

4.12 Nomination Committee

The Nomination Committee was constituted by the Board of the Bank at its meeting held on 22-12-2007 as per the guidelines issued by Reserve Bank of India dated 01-11-2007 read with Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 to undertake a process of due diligence to determine "fit and proper" status of the existing Shareholder Directors of the Bank and of those who file Nominations for election as Shareholder Directors of the Bank under the provisions of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980. The committee comprises of three members viz., Shri Manish Gupta, Government of India Nominee, Shri Adish Kumar Jain (Chartered Accountant category director) and Shri Bonam Venkata Bhaskar, Director.

4.13 Internal Capital Adequacy Assessment Committee (ICAAP Committee)

The Reserve Bank of India has formulated guidelines in the lines of the new Capital Adequacy framework introduced by Basel II and Basel III which seeks to enhance the Basel I practices with the objective of strengthening the soundness and stability of the Banking system. The objectives of the policy are to ensure management of internal capital in accordance with the RBI

करना, बैंक के कारोबार व संचालन में अंतर्निहित जोखिमों को पहचानने, मूल्यांकन करने, मापने और समुच्चयन करने की प्रक्रिया निर्धारित करना, यह सुनिश्चित करना कि उपलब्ध पूँजी बैंक के जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप है और यह सुनिश्चित करने कि आईसीएएपी को सुकर बनाने हेतु भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण हो।

समिति में 31.03.2015 तक 8 सदस्य थे और श्री अमर लाल दौलतानी, कार्यपालक निदेशक की सेवानिवृत्ति के कारण 01 अप्रैल, 2015 से 7 सदस्य हैं अर्थात श्री एस. आर. बंसल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री अमर लाल दौलतानी (31.03.2015 तक) और श्री बी. के. श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक और श्री आदीश कुमार जैन, निदेशक। बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक ऋण प्रभाग के प्रभारी महा प्रबंधक, महा प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन प्रभाग, महा प्रबंधक, एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रभाग और महा प्रबंधक, ट्रेज़री एवं निवेश विभाग भी समिति की बैठकों में भाग लेते हैं। श्री एस. आर. बंसल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

4.14 मानव संसाधन समिति

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली की संसूचना दिनांकित 21.03.2012 के द्वारा प्राप्त निदेशों के अनुसार यूनियनों/एसोसिएशनों और प्रबंधन के बीच विचारों के आदान-प्रदान हेतु बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 26.03.2012 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल की मानव संसाधन समिति गठित की है।

श्री एस. आर. बंसल, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री अमर लाल दौलतानी (31.03.2015 तक) और श्री बी. के . श्रीवास्तव - बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री मनीष गुप्ता, भारत सरकार नामिती निदेशक, श्री अरूण पसरिचा (22.02.2015 तक)/ 23.02.2015 से श्री प्रद्युम्न के जेना, भारिबैं नामिती निदेशक और श्री एकनाथ बालिगा, अधिकारी कर्मचारी निदेशक उक्त समिति के सदस्य हैं। बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस. आर. बंसल समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

4.15 प्रतिभूति आबंटन समिति

बेसल III के अंतर्गत बैंक की पूँजी अपेक्षा पूरी करने के लिए बैंक को भविष्य में हर वर्ष आवश्यकता के आधार पर शेयरों तथा/अथवा बाँडों को जारी करते हुए पूँजी जुटानी पड़ सकती है। अतः बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 11 नवंबर, 2013 को ऐसे मामलों में ईक्विटी शेयरों/बाँडों के आबंटन पर विचार करने के लिए "निदेशक मंडल की प्रतिभूति आबंटन समिति" नाम की एक समिति गठित की। यह समिति स्थाई प्रकृति की है और निदेशक मंडल के निदेशों के अनुसार कार्य करेगी। समिति में 31.03.2015 तक 5 निदेशक थे और श्री अमर लाल दौलतानी, कार्यपालक निदेशक की सेवानिवृत्ति के कारण 01 अप्रैल, 2015 से 4 निदेशक है; अर्थात श्री अमर लाल दौलतानी (31.03.2015 तक) और श्री बी. के . श्रीवास्तव, बैंक के कार्यपालक

Guidelines, Basel Guidelines and overall Corporate Governance Principles, to describe the process for identification, assessment, measurement and aggregation of the risks inherent in the Bank's business and operations, to ensure that the available capital is commensurate with the Bank's risk profile and to ensure that there is clear assignment of roles and responsibilities for facilitating the ICAAP.

The Committee consists of 8 members till 31.03.2015 and 7 members with effect from 1st April, 2015 on account of retirement of Shri Amar Lal Daultani, Executive Director viz., Shri S. R. Bansal, Chairman and Managing Director, Shri Amar Lal Daultani (till 31.03.2015) and Shri B. K. Srivastav- Executive Directors and Shri Adish Kumar Jain, Director. The Committee meetings are also attended by, Senior Executives of the Bank namely, General Manager in charge of Credit Division, the General Manager, Financial Management Division, the General Manager, Integrated Risk Management Division and the General Manager, Treasury and Investment Department. Shri S. R. Bansal, Chairman and Managing Director chairs the meetings of the Committee.

4.14 Human Resources Committee

As per the directives of the Ministry of Finance, Department of Financial Services, Government of India, New Delhi, vide their communication dated 21.03.2012, the Board of the Bank at its meeting held on 26.03.2012, constituted the HR Committee of the Board to provide for interaction between unions/associations and the management.

Shri S. R. Bansal, Chairman and Managing Director of the Bank, Shri Amar Lal Daultani (till 31.03.2015) and Shri B. K. Srivastav – Executive Directors of the Bank, Shri Manish Gupta, Government of India Nominee Director, Shri Arun Pasricha (till 22.02.2015) / Shri Pradyumna K. Jena, RBI Nominee Director w.e.f. 23.02.2015, and Shri Ekanath Baliga, Officer Employee Director, are the members of the committee. The committee meetings are chaired by Shri S. R. Bansal, Chairman and Managing Director of the Bank.

4.15 Securities Allotment Committee

To meet the Capital requirement of the Bank under Basel-III, the Bank may have to raise capital by way of issue of shares and/ or Bonds, etc., every year in future, on need based requirement. The Board of the Bank, therefore, constituted a committee on 11th November, 2013, called the "Securities Allotment Committee of the Board", to consider the allotment of Equity shares/Bonds in such cases. The committee is of permanent nature and will act as per the directions of the Board. The committee has 5 Directors till 31.03.2015 and 4 Directors with effect from 1st April, 2015 on account of retirement of Shri Amar Lal Daultani, Executive Director viz., Shri Amar Lal Daultani (till 31.03.2015) and Shri B. K. Srivastav – Executive Directors

निदेशक, श्री एकनाथ बालिगा, अधिकारी कर्मचारी निदेशक, श्री बोनम वेंकट भास्कर, स्वतंत्र निदेशक और श्री सुशोभन सरकेर, शेयरधारक निदेशक समिति के सदस्य हैं। 31.03.2015 तक श्री अमर लाल दौलतानी, कार्यपालक निदेशक ने समिति की अध्यक्षता की है।

4.16 वसूली निगरानी समिति

वसूली हेतु सुदृढ़ निगरानी तंत्र के लिए वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली ने अपनी संसूचना दिनांक 21.11.2012 द्वारा नियमित आधार पर वसूली में प्रगति की निगरानी हेतु निदेशक मंडल की एक समिति गठित करने और मासिक आधार पर उसकी रिपोर्ट निदेशक मंडल को प्रस्तुत करने को सूचित किया। वर्ष के दौरान समिति की 12 बैठके आयोजित की गई हैं। दिनांक 26.11.2012 को आयोजित बैठक में बोर्ड के अनुमोदन से समिति का गठन किया गया है। समिति में 31.03.2015 तक 4 निदेशक थे और श्री अमर लाल दौलतानी, कार्यपालक निदेशक की सेवानिवृत्ति के कारण 01 अप्रैल, 2015 से 3 निदेशक हैं अर्थात श्री एस. आर. बंसल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री अमर लाल दौलतानी (31.03.2015 तक) और श्री बी. के. श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक और श्री मनीष गुप्ता, सरकार नामिति निदेशक समिति के सदस्य हैं। समिति की बैठकों में अध्यक्षता श्री एस. आर. बंसल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

4.17 अन्य समितियाँ

क्रमशः 29.10.2009 और 20.10.2010 को गठित कारोबार/प्रबंधन/परिचालनात्मक परामर्शदाताओं के चयन के लिए निदेशक मंडल की समिति और वित्तीय समावेशन समिति के साथ-साथ निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2011-2015 हेतु निर्धारित दीर्घावधि योजना (एलआरएपी) के संदर्भ में अन्य उप-समितियाँ भी गठित की जैसे (i) बीमा/आस्ति प्रबंधन कंपनी/पैरा बैंकिंग क्रियाकलाप समिति (ii) कारोबार प्रक्रिया पुनर्निर्धारण, उत्पादकता संवर्धन और शाखा कार्य प्रवाह समिति, (iii) ट्रेज़री परिचालन/विदेश में विस्तार/उत्पाद पेशकश और जोखिम प्रबंधन समिति और (iv) शेयरधारक निदेशक हेतु मतदान पर विचार करने हेतु समिति (v) दिनांक 04.05.2012 को निदेशक मंडल ने महा प्रबंधकों की मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा हेतु समिति नाम की एक समिति भी गठित की है। इसके अलावा, बोर्ड ने (vi) प्रत्यायोजित ऋण अधिकारों की समीक्षा नीति हेतु समिति (कार्यवृत्त सं. 1 दिनांकित 05.09.2014 के जरिए), (vii) कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति (कार्यवृत्त सं.31 दिनांकित 26.09.2014 के जरिए) और (viii) बोर्ड की अपील समिति (कार्यवृत्त सं.77 दिनांकित 30.01.2015) का गठन किया है।

वर्ष के दौरान कारोबार प्रक्रिया पुनर्निर्धारण की दो बैठकें (26.06.2014 और 26.09.2014 को), कार्पोरेट सामाजिक दायित्व की (06.11.2014, 22.12.2014 और 27.03.2015 को) और प्रत्यायोजित ऋण अधिकारों की समीक्षा नीति हेतु समिति की (12.12.2014, 23.01.2015 और

of the Bank, Shri Ekanath Baliga, Officer Employee Director, Shri Bonam Venkata Bhaskar, Independent director and Shri Sushobhan Sarker, Shareholder Director, are the members of the Committee. The committee meetings were chaired by Shri Amar Lal Daultani, Executive Director till 31.03.2015.

4.16 Recovery Monitoring Committee

In order to have a robust monitoring mechanism for recovery, the Ministry of Finance, Department of Financial Services, Government of India, New Delhi, vide their communication dated 21.11.2012, advised to constitute a Committee of the Board for Monitoring the progress in Recovery on a regular basis and to submit its report to the Board on a monthly basis. During the year 12 meetings were held. The constitution of the committee was approved by the Board in its meeting held on 26.11.2012. The committee comprises of 4 Directors till 31.03.2015 and 3 Directors with effect from 1st April, 2015 on account of retirement of Shri Amar Lal Daultani, Executive Director viz., Shri S. R. Bansal, Chairman and Managing Director, Shri Amar Lal Daultani (till 31.03.2015) and Shri B. K. Srivastav, Executive Directors and Shri Manish Gupta, the Government Nominee Director. The meetings of the committee are chaired by Shri S. R. Bansal, the Chairman and Managing Director.

4.17 Other Committees

Along with the Committee of the Board for Selection of Business/Management/Operation Consultants for the Bank and the Financial Inclusion Committee, formed by the Board on 29.10.2009 and 20.10.2010 respectively, the Board also formed other Sub-committees like (i) Insurance/Asset Management Company/Para Banking activity Committee, (ii) Business Process Re-engineering, Productivity enhancement and branch work flow Committee, (iii) Treasury Operations/Overseas expansion/ Product Offerings and Risk Management Committee, in the context of the Long Range Plan (LRP) set for the Financial Year 2011 – 2015 and (iv) Committee to consider voting for shareholder Director. The Board, on 04.05.2012, also formed (v) a committee called the committee to review the appraisal report of General Managers. In addition to the above, the Board constituted (vi) a Committee to Review the policy of Delegated Lending Powers (vide Minute No.1 dated 05.09.2014), (vii) a Corporate Social Responsibility Committee (vide Minute No.31 dated 26.09.2014) and (viii) Appeal Committee of the Board (vide Minute No.77 dated 30.01.2015).

During the year two meetings of Business Process Re-engineering (on 26.06.2014 and 26.09.2014), three meetings each of Corporate Social Responsibility (on 06.11.2014, 22.12.2014 and 27.03.2015) and Committee to Review Policy of Delegated Lending Powers (on 12.12.2014, 23.01.2015 and 16.02.2015) and one meeting each of Financial Inclusion committee on

16.02.2015 को) तीन बैठकें और 30.01.2015 को वित्तीय समावेशन समिति और 09.03.2015 को बोर्ड की अपील समिति, बीमा/आस्ति प्रबंधन/पैरा बैंकिंग क्रियाकलाप समिति और ट्रेजरी परिचालन/विदेशों में विस्तार/उत्पाद की पेशकश और जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक 30.01.2015 आयोजित की गई। अन्य उप-समितियों की कोई भी बैठक वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजित नहीं की गई।

5. निदेशकों और कंपनी सचिव को पारिश्रमिक

5.1 भारत सरकार नामिती निदेशक और भा. रि. बैंक नामिती निदेशक को छोड़कर गैर-कार्यपालक एवं गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड व समिति की बैठकों में उपस्थित होने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है।

5.2 वर्ष 2013-14 हेतु बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों अर्थात् अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशकों और कंपनी सचिव को नियुक्ति की निर्धारित शर्तों तथा केन्द्र सरकार द्वारा तैयार प्रोत्साहन योजना के अनुसार प्रदत्त पारिश्रमिक के विवरण निम्नवत् हैं।

30.01.2015, Appeal Committee of the Board on 09.03.2015, Insurance/Asset Management/Para Banking Activity Committee and Treasury Operations/Overseas expansion/Product Offerings and Risk Management Committee on 30.01.2015, were held. No meetings of other sub-committees have taken place during the financial year 2014-15, as there was no requirement felt.

5. Remuneration to Directors and Company Secretary

5.1 Only sitting fees as prescribed by the Government of India for attending Board and Committee meetings are paid to the non executive and non-executive independent directors except Government of India nominee director and RBI Nominee Director.

5.2 The details of remuneration paid to the whole-time Directors of the Bank i.e. Chairman and Managing Director and the Executive Directors and Company Secretary, as per terms and conditions of appointment fixed and Performance linked incentive Scheme framed by the Central Government, i.e. for the year 2014-15 is furnished hereunder :

(₹ में/in ₹)

विवरण Particulars	श्री एस. आर. बंसल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri S. R. Bansal, CMD	श्री अमर लाल दौलतानी, कार्यपालक निदेशक Shri A. L. Daultani, ED	श्री बिभाष कुमार श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक Shri B. K. Srivastav, ED	श्री एस. के दाश कंपनी सचिव Shri S. K. Dash, Company Secretary
वेतन Salary	21,98,046.94	21,61,759.42	20,40,285.90	10,50,369.08
निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन Performance Linked Incentive	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL
कुल Total	21,98,046.94	21,61,759.42	20,40,285.90	10,50,369.08
स्टॉक विकल्प Stock Option	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL

6. वर्ष 2014-15 हेतु बैंक में कार्पोरेट अभिशासन के संबंध में सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों से प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है, जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

6. In terms of the Clause 49 of the Listing Agreement for Equity, a Certificate has been obtained from the Statutory Central Auditors on Corporate Governance in the Bank for the year 2014-15 and the same is annexed to this report.

7. महासभा

7.1 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार, महासभा में शेयरधारक तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा, निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करने, अनुमोदन करने तथा अपनाने के लिए पात्र हैं।

7. General Meetings

7.1 In terms of the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the shareholders at the Annual General Meeting are entitled to discuss, approve and adopt the Balance Sheet, Profit and Loss account, the report of the Board of Directors and the Auditors' Report.

7.2 पिछली तीन वार्षिक महासभा के विवरण

7.2 Particulars of past three Annual General Meetings

वित्त वर्ष Financial Year	2011-2012	2012-2013	2013-2014
वार्षिक महासभा का समय और दिनांक Date & Time of the AGM	29.06.2012 समय: पूर्वाह्न 10.30 बजे 29.06.2012 Time 10.30 a.m.	25.06.2013 समय: पूर्वाह्न 10.30 बजे 25.06.2013 Time 10.30 a.m.	26.06.2014 समय: पूर्वाह्न 10.30 बजे 26.06.2014 Time 10.30 a.m.
स्थान Venue	बैंक का प्रधान कार्यालय व कार्पोरेट कार्यालय, मंगलूरु Bank's Head Office & Corporate Office, Mangaluru	बैंक का प्रधान कार्यालय व कार्पोरेट कार्यालय, मंगलूरु Bank's Head Office & Corporate Office, Mangaluru	बैंक का प्रधान कार्यालय व कार्पोरेट कार्यालय, मंगलूरु Bank's Head Office & Corporate Office, Mangaluru
पारित विशेष संकल्प Special Resolutions passed	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil

7.3 असाधारण महासभा

बैंक के शेयरधारकों में से तीन निदेशकों का चयन करने के लिए प्रधान कार्यालय, मंगलूरु में बैंक के शेयरधारकों की एक असाधारण महासभा आयोजित की गई थी, जिसके विवरण निम्नानुसार हैं:

7.3 Extraordinary General Meeting

An Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank was held at H.O., Mangaluru, to elect three directors from amongst the shareholders of the Bank, the details of which are as follows:

बैठक का दिनांक और समय Date and Time of the Meeting	स्थान Venue	उद्देश्य Purpose	एकमत से पारित विशेष संकल्प Special Resolutions passed unanimously
25 अगस्त, 2014 पूर्वाह्न 10.00 बजे 25th August, 2014 at 10.00 a.m.	बैंक का प्रधान कार्यालय व कार्पोरेट कार्यालय, मंगलूरु Bank's Head Office & Corporate Office, Mangaluru	(i) बैंकिंग अधिनियम (उपक्र मों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9(3) (i), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 और कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) अधिनियम, 1998 के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा, बैंक के शेयरधारकों में से तीन निदेशकों का चयन करने हेतु। (ii) कार्पोरेशन बैंक कर्मचारी स्टाक खरीद योजना (ईएसपीएस)-2014 के तहत बैंक के कर्मचारियों को नए ईक्विटी शेयर जारी करने हेतु। (i) To elect three directors from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, in terms of Section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998. (ii) To issue fresh equity shares to the employees of the Bank under Corporation Bank Employees' Stock Purchase Scheme (ESPS) – 2014.	(i) केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से तीन शेयरधारक निदेशक चुने गए और वे 26.08.2014 से कार्यभार ग्रहण करेंगे। (ii) कार्पोरेशन बैंक कर्मचारी स्टाक खरीद योजना (ईएसपीएस)-2014 के तहत बैंक के कर्मचारियों को नए ईक्विटी शेयर जारी करने हेतु। (i) Three shareholder Directors were elected from amongst the shareholders other than the Central Government and they assumed office with effect from 26.08.2014. (ii) To issue fresh equity shares to the employees of the Bank under Corporation Bank Employees' Stock Purchase Scheme (ESPS) – 2014.

उपरोक्त विशेष संकल्प पारित करने के लिए कोई भी डाक मतपत्र आयोजित नहीं किया गया, जो बैंकों के लिए लागू नहीं है।

7.4 सीईओ तथा सीएफओ प्रमाण पत्र

ईक्विटी सूचीकरण करार के उपबंध 49 के तहत सीईओ तथा सीएफओ प्रमाण पत्र बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है तथा एक प्रति कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है।

8. महत्वपूर्ण प्रकटन

8.1 प्रबंधन ('निदेशक मंडल' के रूप में परिभाषित) के महत्वपूर्ण वित्तीय एवं वाणिज्यिक लेन-देनों आदि के साथ ऐसा कोई महत्वपूर्ण लेन-देन जिनमें उनका व्यक्तिगत हित हो, जिसके बैंक के हितों से विरोध की संभावना हो तो उसकी निदेशक मंडल को समय-समय पर सूचना दी गयी है।

8.2 बैंक ने पूँजी बाजार से संबद्ध मामलों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और गत तीन वर्षों के दौरान स्टॉक एक्सचेंजों या सेबी या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक की न तो निंदा की गई न बैंक पर कोई जुर्माना लगाया गया। किसी भी कार्मिक को बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति तक पहुँचने से मना नहीं किया गया है। बैंक ने सांविधिक समयावधि के भीतर वार्षिक महासभा आयोजित की है और पात्र शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया है।

बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लिए लागू सीमा तक भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों का अनुसरण किया है।

9. अनिवार्य एवं गैर-अनिवार्य अपेक्षाएँ

9.1 बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ ईक्विटी सूचीकरण करार के खंड 49 में दी गई सभी लागू अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है ।

No postal ballot was conducted for passing the above mentioned special resolutions as the same was not applicable for Banks.

7.4 CEO & CFO Certificate

The certificate of CEO & CFO under Clause 49 of Listing Agreement for Equity has been submitted to the Board of Directors of the Bank and a copy is attached to the Corporate Governance Report.

8. Material Disclosures

8.1 Material, financial and commercial transactions of the management (defined as 'Board of Directors'), where they have personal interest, that may have a potential conflict with the interest of the bank at large, have been reported to the Board from time to time.

8.2 The Bank has complied with all the requirements regarding capital market related matters and as such not been penalised or imposed with strictures by the stock exchanges or SEBI or any other statutory authority during the last three years. No personnel has been denied access to Audit Committee of the Board. The Bank conducted the Annual General Meeting and paid dividend to the eligible shareholders within the statutory time frame.

The bank has followed the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India, to the extent applicable to a Public Sector Bank.

9. Mandatory and non-mandatory requirements

9.1 Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Clause 49 of the Listing Agreement for Equity entered into with the Stock Exchanges.

9.2 गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं के कार्यान्वयन की सीमा का विवरण निम्नवत् है
9.2 The extent of implementation of non-mandatory requirements is furnished hereunder

	अपेक्षा Requirement	अनुपालन Compliance
9.2.1	**निदेशक मंडल** – गैर-कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष के कार्यालय के लिए पात्र हों तथा अपने कर्तव्य के निष्पादन में वहन किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए भी उन्हें अनुमति दी जाए। **The Board** – A non-executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the Bank's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	बैंक की अध्यक्षता कार्यपालक अध्यक्ष करते हैं और अतः यह अपेक्षा लागू नहीं है। The Bank is chaired by an Executive Chairman and as such this requirement is not applicable.
9.2.2	**शेयरधारक अधिकार** – पिछले छः माह की महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय निष्पादन की अर्ध-वार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयरधारक को भेजी जाए। **Shareholder Rights** – A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	इसे बैंक की वेबसाइट में अपलोड किया गया है। It has been uploaded in the website of the Bank.

	अपेक्षा Requirement	अनुपालन Compliance
9.2.3	**लेखा–परीक्षा शर्तें** – बैंक शर्त–रहित वित्तीय विवरणों की प्रणाली अपनाए। **Audit qualifications** – Bank may move towards a regime of unqualified financial statements.	प्रबंधन–वर्ग इन दिशानिर्देशों का पालन करने का प्रयास करता है। 2014–15 के लिए वित्तीय विवरणों पर लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में कोई सशर्त टिप्पणी नहीं है। The Management endeavours to confirm to the guidelines. The Audit Report on Financial Statements for 2014-15, do not contain qualified remarks.
9.2.4	**अध्यक्ष और सीईओ के अलग–अलग पद** – बैंक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/सीईओ के पद पर अलग–अलग व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं **Separate Posts of Chairman and CEO** – The Bank may appoint separate persons to the post of Chairman and Managing Director/CEO	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्तियाँ/नामांकन किए जाते हैं। The appointments/nominations are made by Ministry of Finance, Govt. of India.
9.2.5	**आंतरिक लेखा–परीक्षक की रिपोर्टिंग** – आंतरिक लेखा–परीक्षक निदेशक–मंडल की लेखा–परीक्षा समिति (एसीबी) को सीधे रिपोर्ट कर सकते हैं। **Reporting of Internal Auditor** – The Internal Auditor may report directly to the Audit Committee of the Board (ACB)	निरीक्षण एवं लेखा–परीक्षा के सभी महत्वपूर्ण निष्कर्षों को सूचना एवं उपयुक्त निदेशों हेतु बोर्ड की लेखा–परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है। एसीबी के निदेशों को बकायदा समेकित किया जाता है और एसीबी को प्रतिसूचना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। All important inspection and audit findings are placed before the Audit Committee of the Board for information and suitable directions. The directions of ACB are promptly complied with and feed back reports are submitted to ACB.

10. आचार संहिता

निदेशक मंडल द्वारा 17.12.2005 को आचार संहिता तैयार की गई। यह पुष्टि की जाती है कि वार्षिक आधार पर निदेशक मंडल के सदस्यों तथा बैंक के महा प्रबंधकों द्वारा इनका अनुपालन किया गया। इस रिपोर्ट के अंत में इस आशय की घोषणा संलग्न है।

10. Code of Conduct

The Board framed Code of Conduct on 17.12.2005. It is hereby affirmed that Board members and General Managers of the Bank have complied with this requirement on Annual basis. A declaration to this effect is attached at the end of this report.

11. संसूचना के माध्यम

11.1 त्रैमासिक वित्तीय परिणाम निर्धारित समय के भीतर ऐसे स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किए गए जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, त्रैमासिक वित्तीय परिणाम एक राष्ट्रीय समाचार–पत्र और मंगलूरु के एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार–पत्र में भी प्रकाशित किए गए हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान त्रैमासिक वित्तीय परिणाम समाचार पत्रों में निम्नानुसार प्रकाशित किए गए।

11. Means of Communication

11.1 Quarterly financial results are submitted within the time frame, to the Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed. Further, the quarterly financial results are also published in at least one national newspaper and one regional language newspaper based at Mangaluru. During the year 2014-15, the quarterly financial results were published in the newspapers as under.

तिमाही समाप्त/बोर्ड की बैठक की तारीख Quarter ended/Date of Board Meeting	अंग्रेजी/क्षेत्रीय दैनिक का नाम Name of the English/ Regional daily	प्रकाशन की तारीख Date of Publication
मार्च March, 2014/ 09.05.2014	बिज़नेस लाइन और उदयवाणी Business Line and Udayavani	10.05.2014
जून June, 2014/ 08.08.2014	बिज़नेस लाइन और उदयवाणी Business Line and Udayavani	09.08.2014
सितंबर September, 2014/ 07.11.2014	बिज़नेस लाइन और उदयवाणी Business Line and Udayavani	08.11.2014
दिसंबर December, 2014/ 09.02.2015	बिज़नेस लाइन और उदयवाणी Business Line and Udayavani	10.02.2015

11.2 वित्तीय परिणाम, बैंक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियाँ, विश्लेषकों को किया गया प्रस्तुतीकरण, सामान्य शेयरधारक सूचना, बाजार मूल्य डाटा, शेयर धारिता पैटर्न आदि बैंक की वेबसाईट www.corpbank.com में भी दिये जाते हैं।

11.3 वर्ष 2014-15 के दौरान नामिती/नियुक्त निदेशक तथा वर्तमान निदेशकों का एक संक्षिप्त परिचय इस रिपोर्ट के साथ पैरा सं. 3.9 में संलग्न है।

12. सामान्य शेयरधारक सूचना

12.1 वार्षिक महासभा के विवरण:

दिन और दिनांक Day & Date	सोमवार, 29 जून, 2015 Monday, 29th June, 2015
समय Time	पूर्वाह्न 10.30 10.30 a.m.
स्थान Venue	सहस्राब्दि भवन, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय एवं कार्पोरेट कार्यालय, मंगलूरु - 575 001 Millennium Building, Corporation Bank Head Office & Corporate Office, Mangaluru – 575 001
वित्तीय वर्ष Financial Year	अप्रैल 2014 से मार्च 2015/April 2014 to March 2015
वार्षिक महासभा करने हेतु तथा लाभांश, यदि कोई हो, हेतु लेखा-बही बंदी के दिनांक Dates of Book Closure for the AGM and dividend, if any	24.06.2015 से 29.06.2015 (दोनों दिन सहित) 24.06.2015 to 29.06.2015 (both days inclusive)
वर्ष 2014-15 हेतु लाभांशः अंतरिम लाभांश Dividend for the year 2014-15: अंतिम लाभांश Final Dividend	₹2 के प्रत्येक ईक्विटी शेयर हेतु ₹1.40 के लाभांश के भुगतान की सिफारिश की गई। ₹1.40 dividend recommended per Equity Share of ₹2/- each.
वार्षिक महासभा में अंतिम लाभांश घोषित करने पर उसके भुगतान की संभावित तिथि Tentative date of payment of final dividend if declared in the AGM	6 जुलाई, 2015 को या उसके बाद। On or after 6th July, 2015.

12. General Shareholder Information

12.1 Particulars of Annual General Meeting

12.2 सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक कूट

12.2 Stock Exchanges listed & stock code

क्र.सं. Sl. No.	स्टॉक एक्सचेंज Stock Exchange	स्टॉक कूट Stock Code	थोक कर्ज सूचीकरण कूट Wholesale Debt Listing Code
1.	बी एस ई लि., प्रथम तल, न्यू ट्रेडिंग रिंग, रोतुन्डा बिल्डिंग, पी.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-400 001 BSE Ltd., 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P. J. Towers, Dalal Street, Fort, MUMBAI – 400 001	532179	शून्य (सूचीबद्ध नहीं) NIL (not Listed)
2.	नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई), एक्सचेंज प्लाजा, 5 वाँ तल, प्लॉट सं. सी/1, जी ब्लॉक, बाँद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बाँद्रा (पू), मुंबई - 400 051 National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), MUMBAI – 400 051	CORP BANK	प्रतिभूति प्रकार : BB Security Type: BB प्रतिभूति : CORB Security : CORB

आगामी वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु सूचीकरण शुल्क उपरोक्त स्टॉक एक्सचेंजों को तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को ऋण सूचीकरण शुल्क भी 22.04.2015 को विप्रेषित कर दिया गया है।

12.3 बैंक का वित्तीय कैलेंडर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 माह की अवधि का है।

12.3.1 वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार है:

The Listing Fee for the next financial year 2015-16, for Equity Listing, has already been remitted to the above Stock Exchanges and also the Debt Listing Fee remitted to National Stock Exchange of India Ltd., on 22.04.2015.

12.3 The financial calendar of the Bank is from 1st April to 31st March, comprising 12 months period.

12.3.1 Financial performance is as under:

(₹ लाखों में/ ₹ in lakhs)

क्र. सं. Sl. No.	विवरण Particulars	समाप्त तिमाही Quarter Ended			समाप्त वर्ष Year ended		समाप्त वर्ष Year ended	
		31.03.2015 (लेखा-परीक्षित) 31.03.2015 (Audited)	31.12.2014 (समीक्षित) 31.12.2014 (Reviewed)	31.03.2014 (लेखा-परीक्षित) 31.03.2014 (Audited)	31.03.2015 (लेखा-परीक्षित) 31.03.2015 (Audited)	31.03.2014 (लेखा-परीक्षित) 31.03.2014 (Audited)	31.03.2015 (लेखा-परीक्षित) समेकित 31.03.2015 (Audited) Consolidated	31.03.2014 (लेखा-परीक्षित) समेकित 31.03.2014 (Audited) Consolidated
1.	अर्जित ब्याज (क)+(ख)+(ग)+(घ) Interest earned (a)+(b)+(c)+(d)	488164.14	488127.06	464435.36	1955644.48	1795856.91	1955644.48	1795856.91
	(क) अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा (a) Interest / Discount on Advances / Bills	372262.56	371359.03	341464.55	1480533.63	1321597.25	1480533.63	1321597.25
	(ख) निवेशों पर आय (b) Income on Investments	100242.71	103339.01	109681.13	416582.59	424219.53	416582.59	424219.53
	(ग) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष तथा अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज (c) Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	573.40	173.76	659.10	1511.32	1573.39	1511.31	1573.39
	(घ) अन्य (d) Others	15085.47	13255.26	12630.58	57016.94	48466.74	57016.95	48466.74
2.	अन्य आय Other Income	50363.98	32827.25	38826.30	148246.22	164771.79	147406.01	165718.96
3.	**कुल आय (1+2) TOTAL INCOME (1+2)**	**538528.12**	**520954.31**	**503261.66**	**2103890.70**	**1960628.70**	**2103050.49**	**1961575.87**
4.	व्यय किया गया ब्याज Interest Expended	376765.04	385226.19	373687.65	1548610.42	1417488.21	1548528.22	1417407.54
5.	परिचालन व्यय (i) + (ii) Operating Expenses (i) + (ii)	65226.44	63073.70	65918.75	252535.71	239200.76	252611.10	239232.49
	(i) कर्मचारी लागत (i) Employees cost	30745.65	29376.20	32893.31	118222.22	119023.77	118251.72	119041.46
	(ii) अन्य परिचालन व्यय (ii) Other Operating Expenses	34480.79	33697.50	33025.44	134313.49	120176.99	134359.38	120191.03
	(ब्याज व्यय को छोड़कर कुल व्यय के 10% से अधिक सभी मदों को अलग से दर्शाया जाए) (All items exceeding 10% of the total expenditure excluding interest expenditure may be shown separately)							

(₹ लाखों में/ ₹ in lakhs)

क्र. सं. Sl. No.	विवरण Particulars	समाप्त तिमाही Quarter Ended			समाप्त वर्ष Year ended		समाप्त वर्ष Year ended	
		31.03.2015 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2015 (Audited)	31.12.2014 (समीक्षित) 31.12.2014 (Reviewed)	31.03.2014 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2014 (Audited)	31.03.2015 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2015 (Audited)	31.03.2014 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2014 (Audited)	31.03.2015 (लेखा–परीक्षित) समेकित 31.03.2015 (Audited) Consolidated	31.03.2014 (लेखा–परीक्षित) समेकित 31.03.2014 (Audited) Consolidated
6.	**कुल व्यय (4+5) (प्रावधानों और आकस्मिकताओं को छोड़कर) TOTAL EXPENDITURE (4+5) (Excluding Provisions and contingencies)**	**441991.48**	**448299.89**	**439606.40**	**1801146.13**	**1656688.97**	**1801139.33**	**1656640.03**
7.	प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं के पूर्व परिचालन लाभ (3–6) Operating Profit before Provisions and Contingencies (3-6)	96536.63	72654.42	63655.25	302744.57	303939.73	301911.16	304935.84
8.	**प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिकताएं Provisions (other than tax) and Contingencies**	92649.16	64620.54	82452.81	255198.92	279770.88	255198.92	279770.87
9.	असाधारण मदें Exceptional items	–	–	–	–	–	–	–
10.	सामान्य कार्यकलापों से कर पूर्व लाभ (+)/हानि(–) (7–8–9) Profit (+)/Loss (-) from ordinary Activities before tax (7-8-9)	3887.47	8033.88	-18797.54	47545.64	24168.86	46712.24	25164.97
11.	कर व्यय Tax Expense	-619.52	-6687.07	-22954.58	-10879.92	-32003.00	-10575.05	-31683.62
12.	सामान्य कार्यकलापों से कर के पश्चात् निवल लाभ (+)/हानि(–) (10–11) Net Profit (+)/Loss (-) from ordinary Activities after tax (10-11)	4506.99	14720.95	4157.04	58425.56	56171.86	57287.29	56848.59
13.	असाधारण मदें (कर व्ययों का निवल) Extraordinary items (net of tax expense)	–	–	–	–	–	–	–
14.	अवधि हेतु निवल लाभ (+)/हानि (–) (12–13) Net Profit (+)/Loss (-) for the period (12-13)	4506.99	14720.95	4157.04	58425.56	56171.86	57287.29	56848.59
15.	प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी (शेयर का अंकित मूल्य ₹2 है) Paid-up equity share capital (Face value of the Share is ₹2)	16754.19	16754.19	16754.19	16754.19	16754.19	16754.19	16754.19

(₹ लाखों में/ ₹ in lakhs)

क्र. सं. Sl. No.	विवरण Particulars	समाप्त तिमाही Quarter Ended			समाप्त वर्ष Year ended		समाप्त वर्ष Year ended	
		31.03.2015 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2015 (Audited)	31.12.2014 (समीक्षित) 31.12.2014 (Reviewed)	31.03.2014 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2014 (Audited)	31.03.2015 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2015 (Audited)	31.03.2014 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2014 (Audited)	31.03.2015 (लेखा–परीक्षित) समेकित 31.03.2015 (Audited) Consolidated	31.03.2014 (लेखा–परीक्षित) समेकित 31.03.2014 (Audited) Consolidated
16.	पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों को छोड़कर अन्य आरक्षित निधियां (पिछले लेखा–वर्ष के तुलन–पत्र के अनुसार) Reserves excluding revaluation reserves (as per balance sheet of previous accounting year)	1031718.83	991756.37	991756.37	1031718.83	991756.37	1034641.63	995987.41
17.	विश्लेषणात्मक अनुपात Analytical Ratios							
	(i) भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का प्रतिशत (i) Percentage of shares held by Government of India	63.33%	63.33%	63.33%	63.33%	63.33%	63.33%	63.33%
	(ii) पूँजी पर्याप्तता अनुपात (ii) Capital Adequacy Ratio							
	बेसल II Basel II	11.80%	11.75%	12.21%	11.80%	12.21%	11.86%	12.28%
	टियर I Tier I	8.28%	8.09%	8.37%	8.28%	8.37%	8.32%	8.42%
	टियर II Tier II	3.52%	3.66%	3.84%	3.52%	3.84%	3.54%	3.86%
	बेसल III Basel III	11.09%	11.26%	11.64%	11.09%	11.64%	11.12%	11.68%
	टियर I Tier I	8.05%	7.90%	8.14%	8.05%	8.14%	8.08%	8.17%
	टियर II Tier II	3.04%	3.36%	3.50%	3.04%	3.50%	3.04%	3.51%
	(iii) प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (₹) (iii) Earning Per Share (EPS) (in ₹)							
	क) इस अवधि के, चालू वर्ष तथा गत वर्ष हेतु असाधारण मदों (कर व्ययों का निवल) से पहले मूलभूत तथा तनूकृत ईपीएस (वार्षिकीकृत नहीं) a) Basic and diluted EPS before Extraordinary items (net of tax expense) for the period, for the year to date and for the previous year (Not annualised)	0.54	8.79	0.50	6.97	7.15	6.84	7.24
	ख) इस अवधि के, चालू वर्ष तथा गत वर्ष हेतु असाधारण मदों के बाद मूलभूत तथा तनूकृत ईपीएस (वार्षिकीकृत नहीं) b) Basic and diluted EPS after Extraordinary items for the period, for the year to date and for the previous year (not annualised)	0.54	8.79	0.50	6.97	7.15	6.84	7.24

(₹ लाखों में/ ₹ in lakhs)

क्र. सं. Sl. No.	विवरण Particulars	समाप्त तिमाही Quarter Ended			समाप्त वर्ष Year ended		समाप्त वर्ष Year ended	
		31.03.2015 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2015 (Audited)	31.12.2014 (समीक्षित) 31.12.2014 (Reviewed)	31.03.2014 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2014 (Audited)	31.03.2015 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2015 (Audited)	31.03.2014 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2014 (Audited)	31.03.2015 (लेखा–परीक्षित) समेकित 31.03.2015 (Audited) Consolidated	31.03.2014 (लेखा–परीक्षित) समेकित 31.03.2014 (Audited) Consolidated
	(iv) एनपीए अनुपात (iv) NPA Ratios							
	(क) सकल एनपीए (a) Gross NPA	710667.88	693207.60	473679.31	710667.88	473679.31	710667.88	473679.31
	(ख) निवल एनपीए (b) Net NPA	446497.94	456813.90	318055.96	446497.94	318055.96	446497.94	318055.96
	(ग) सकल एनपीए का % (c) % of Gross NPA	4.81%	4.88%	3.42%	4.81%	3.42%	4.81%	3.42%
	(घ) निवल एनपीए का % (d) % of Net NPA	3.08%	3.27%	2.32%	3.08%	2.32%	3.08%	2.32%
	(v) आस्तियों पर प्रतिलाभ (वार्षिकीकृत) (v) Return on Assets (annualised)	0.08%	0.28%	0.08%	0.28%	0.29%	0.28%	0.29%
18.	सार्वजनिक शेयरधारिता Public Shareholding							
	शेयरों की संख्या (वास्तविक) Number of Shares (in lakhs)	3071.83	3071.83	3071.83	3071.83	3071.83	3071.83	3071.83
	शेयरधारिता का प्रतिशत Percentage of Share Holding	36.67%	36.67%	36.67%	36.67%	36.67%	36.67%	36.67%
19.	प्रवर्तकों और प्रवर्तक समूह की शेयरधारिता Promoters and Promoter Group Shareholding							
	(क) गिरवीकृत/भारग्रस्त (a) Pledged/ Encumbered							
	शेयरों की संख्या Number of Shares	–	–	–	–	–	–	–
	शेयरों का प्रतिशत (प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह की शेयरधारिता के % के रूप में) Percentage of Shares (as a % of the total shareholding of promoter and promoter group)	–	–	–	–	–	–	–
	शेयरों का प्रतिशत (कंपनी की शेयर पूँजी के % के रूप में) Percentage of Shares (as a % of the total share capital of the Company)	–	–	–	–	–	–	–
	(ख) भार–रहित (b) Non-encumbered							
	शेयरों की संख्या (लाखों में) Number of Shares (in lakhs)	5305.26	5305.26	5305.26	5305.26	5305.26	5305.26	5305.26

क्र. सं. Sl. No.	विवरण Particulars	समाप्त तिमाही Quarter Ended			समाप्त वर्ष Year ended		समाप्त वर्ष Year ended	
		31.03.2015 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2015 (Audited)	31.12.2014 (समीक्षित) 31.12.2014 (Reviewed)	31.03.2014 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2014 (Audited)	31.03.2015 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2015 (Audited)	31.03.2014 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2014 (Audited)	31.03.2015 (लेखा–परीक्षित) समेकित 31.03.2015 (Audited) Consolidated	31.03.2014 (लेखा–परीक्षित) समेकित 31.03.2014 (Audited) Consolidated
	शेयरों का प्रतिशत (प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह की शेयरधारिता के % के रूप में) Percentage of Shares (as a % of the total shareholding of promoter and promoter group)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	शेयरों का प्रतिशत (कंपनी की शेयर पूँजी के % के रूप में) Percentage of Shares (as a % of the total share capital of the Company)	63.33%	63.33%	63.33%	63.33%	63.33%	63.33%	63.33%

बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी अर्थात् कार्प बैंक सिक्युरिटीज़ लि. सहित समेकित वित्तीय विवरण।

12.4 स्टॉक मार्केट डाटा – वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बी एस ई लि., मुंबई में लेनदेन किए गए शेयरों की मात्रा और मासिक अधिकतम और न्यूनतम दर निम्नानुसार है:

Consolidated financial statement is inclusive of the wholly owned subsidiary of the Bank, namely, Corp Bank Securities Ltd.

12.4 Stock Market Data – The monthly high & low quotations and the volume of shares traded on National Stock Exchange (NSE) and the BSE Ltd., Mumbai during the financial year 2014-15 are as follows:

माह Month	एनएसई NSE			बीएसई BSE		
	अधिकतम High (₹)	न्यूनतम Low (₹)	माह के दौरान मात्रा (सं) Volume (Nos.) during the month	अधिकतम High (₹)	न्यूनतम Low (₹)	माह के दौरान मात्रा (सं) Volume (Nos.) during the month
अप्रैल APRIL	295.75	274.20	2632788	295.00	274.65	423600
मई MAY	380.45	285.65	6756176	381.45	285.90	1158852
जून JUNE	412.50	357.80	3818353	411.95	357.80	538603
जुलाई JULY	410.05	353.45	1811487	410.00	353.20	218047
अगस्त AUGUST	359.15	322.95	1659400	358.85	321.65	212858
सितंबर SEPTEMBER	347.25	309.85	1706464	347.80	309.30	247691
अक्तूबर OCTOBER	338.55	316.70	673405	337.55	316.35	99706
नवंबर NOVEMBER	337.15	319.95	3238120	337.35	320.35	431806
दिसंबर DECEMBER	339.60	295.65	3253523	339.70	296.05	509467
जनवरी JANUARY * विभाजन से पहले Before split विभाजन के बाद After split	388.35 74.30	324.20 69.30	8237325	388.20 74.25	324.45 69.15	1690648
फरवरी FEBRUARY	69.75	60.95	7451448	69.85	61.30	1518857
मार्च MARCH	62.95	52.60	5008513	62.95	52.20	990383

* 22.01.2015 से बैंक के ईक्विटी शेयर का अंकित मूल्य ₹10 से ₹2 तक कम हुआ है।

* The face value of the Bank's equity share was reduced from ₹10/-to ₹2/- w.e.f. 22.01.2015.

12.4.1 वर्ष 2014–15 के दौरान एस एण्ड पी सीएनएक्स निफ्टी में उतार–चढ़ाव की तुलना में बैंक की शेयर कीमत का निष्पादन नीचे दर्शाया गया है:

12.4.1 Performance of Bank's share price in comparison with the movement of S&P CNX Nifty during the year 2014-15 is shown here below.

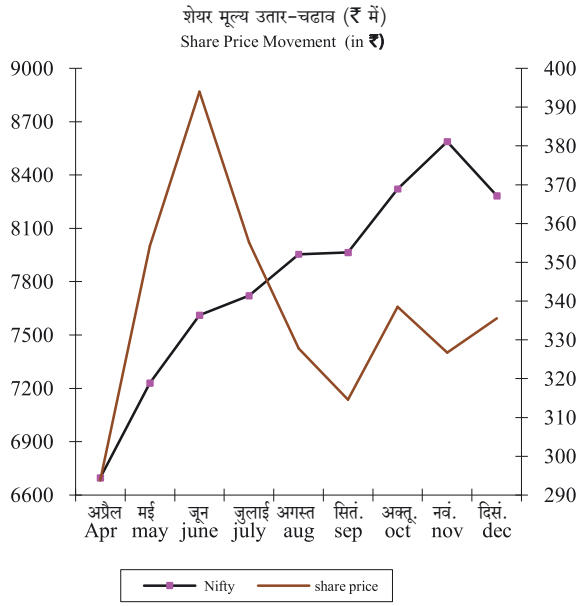

विभाजन से पहले Before split

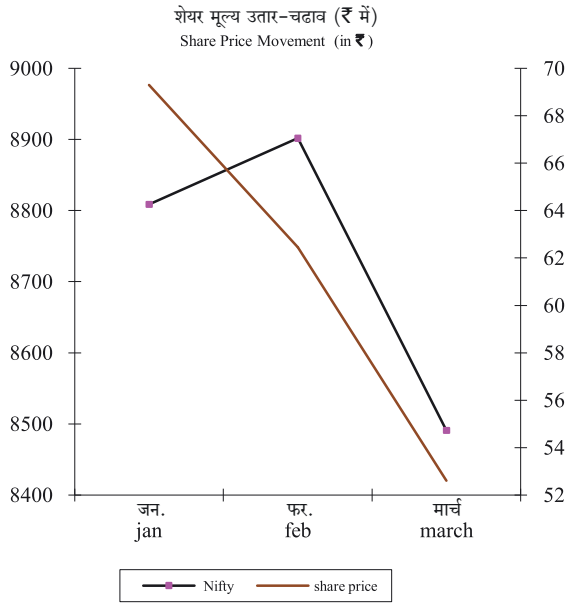

विभाजन के बाद After split (w.e.f. 22.01.2015

12.5 प्रति शेयर आंकड़े

12.5 Per Share Data

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
अंकित मूल्य Face Value (₹)	10	10	10	10	2**
31 मार्च की स्थिति के अनुसार बाजार दर (₹) Market quotation as on 31st March (₹)	638.15	424.80	384.15	276.90	52.60
प्रत्येक ₹10 का प्रति शेयर अर्जन (₹) Earning Per Share of ₹10 each (₹)	98.50	102.50	96.74	35.75	6.97*
प्रत्येक ₹10 का प्रति शेयर लाभांश (₹) विभाजन पर ₹2 का प्रति शेयर लाभांश Dividend per share of ₹10 each (₹) Dividend per share of ₹2 each on split	20.00	20.50	19.00	4.50 अंतरिम interim 2.25 अंतिम final	1.40*
बही मूल्य Book Value (₹)	497.62	558.69	645.76	601.95	125.16*
लाभांश अदायगी Dividend payout (%)	20.96	20.16	20.25	20.13	20.07

** ईक्विटी शेयर का अंकित मूल्य 22.01.2015 से ₹10 से ₹2 तक विभाजित हुआ।

* ₹2 प्रत्येक ईक्विटी शेयर पर।

** The Face value of the equity share was split from ₹10/- to ₹2/- effective from 22.01.2015.

* on Equity Share of ₹2/- each.

12.6 शेयर अंतरण एजेंट

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लि., हैदराबाद बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट हैं, जिन्हें पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश में परिवर्तन, एनईसीएस अधिदेश (कागज़ी शेयरों के मामले में), शेयरों के अंतरण इत्यादि के बारे में संसूचनाएं भेजी जा सकती हैं। शेयर अंतरण एजेंट का पता निम्नानुसार है:

मेसर्स कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड
यूनिटः कार्पोरेशन बैंक
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लाट सं.31-32, गचिबोवली,
फायनांसियल डिस्ट्रीक्ट, नंनकरमगुडा, हैदराबाद - 500 032
(दूरभाष: 040-67162222: फैक्सः 040-23001153)
टोल फ्री नंबर 1-800-3454-001
(ई-मेलः einward.ris@karvy.com)

12.7 शेयर अंतरण प्रणाली

12.7.1 बैंक के ईक्विटी शेयरों से संबंधित सभी मामलों के निपटान करने के अधिकार के साथ 27 मार्च, 2004 से निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति गठित की गई। शेयरों का त्वरित अंतरण करने, शेयर प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करने तथा रिमेटिरियलाज़ेशन करने हेतु उक्त समिति बारंबार अंतरालों में बैठकें करती रही हैं और यह इस संबंध में बोर्ड को सूचना प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है । वर्ष 2014-15 के दौरान शेयर अंतरण समिति की बैठकों में समिति द्वारा 10 बार और 2 बार परिपत्रों संकल्पों के जरिए शेयर अंतरण अनुमोदित किए गए।

12.7.2 वर्ष 2014-15 के दौरान किए गए शेयर अंतरणों की संख्या 7,100 है और 31 मार्च, 2015 को कोई शेयर अंतरण लंबित नहीं है।

12.7.3 स्थाई खाता संख्या (पैन): सेबी के अद्यतन निर्देशों तथा सूचीकरण करार के संशोधन के अनुसार कागजी शेयरों के निम्नलिखित लेनदेन करने के लिए अंतरिती द्वारा पैन कार्ड की अधिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है:- शेयरों का अंतरण, मृत शेयरधारक(कों) के नाम का निरसन, कानूनी वारिसों को शेयरों का उत्तराधिकार अंतरण और शेयरों का क्रम परिवर्तन - जब नाम, आदि के क्रम में कोई परिवर्तन हो।

12.7.4 कार्पोरेट अभिशासन में पर्यावरण सजगता पहल

कार्पोरेट अभिशासन में पर्यावरण सजगता पहल के तहत, बैंक सभी सूचनाओं और वार्षिक महासभा एवं अन्य महासभा की सूचना, उसके व्याख्यात्मक विवरण, वार्षिक रिपोर्टें, तुलन-पत्र, निदेशकों की रिपोर्टें, लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट और पते में परिवर्तन, एनईसीएस के ज़रिए लाभांश के भुगतान की सूचना, शेयरों के अंतरण की सूचना आदि सहित अन्य शेयरधारक संसूचनाएं शेयरधारकों द्वारा यथास्थिति बैंक से या डिपॉज़िटरियों से पंजीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजता रहा है। **शेयरधारकों से एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी ई-मेल आईडी को अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट**

12.6 Share Transfer Agent

M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad is the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank, to whom communications regarding change of address, change in Bank Mandate, NECS Mandate (in case of shares in physical mode), transfer of shares, etc. could be addressed. The address of Share Transfer Agent is as under:

M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd.
Unit: Corporation Bank
Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032
(Tel: 040-67162222: Fax: 040-23001153)
Toll Free No. 1-800-3454-001
(E-mail: einward.ris@karvy.com)

12.7 Share Transfer System

12.7.1 With effect from 27th March, 2004, a Share Transfer Committee of the Board of Directors was constituted with powers to deal with all matters pertaining to equity shares of the Bank. The Committee had been meeting at frequent intervals for effecting speedy transfer of shares, issuance of duplicate share certificates and re-materialisation and is responsible for submission of information in this regard to the Board. The Share Transfers were approved by the Committee 10 times in the Share Transfer Committee Meeting and on 2 occasions through circular resolutions, during the year 2014-15.

12.7.2 Number of share transfers effected during the year 2014-15 was 7,100 and the pendency of share transfers as at 31st March, 2015 was NIL.

12.7.3 Permanent Account Number (PAN) : As per SEBI directive and amendment to the Listing Agreement, submission of PAN by the Transferee/s, is made mandatory for effecting following transactions of Physical shares:-Transfer of Shares, Deletion of name of the deceased shareholder/s, Transmission of shares to the legal heir/s and Transposition of shares- when there is a change in the order of names, etc.

12.7.4 Green Initiative in Corporate Governance

As part of the Green initiative in Corporate Governance, the Bank has been sending all communications and documents such as Notices of AGM and other General Meetings, explanatory statements thereto, Annual Reports, Balance Sheets, Directors' Reports, Auditors Report and other shareholder communications including intimation regarding noting of Change of Address, intimation of payment of Dividend through NECS, intimation of Transfer of Shares etc., in electronic form to the e-mail address registered by the shareholders either with the Bank or with the Depositories as the case may be. **Shareholders are hereby requested to register/update their email ids with their Depository Participants (DPs) or**

(डीपी) या मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि., जो बैंक का रजिस्ट्रार है, से पंजीकृत/अद्यतन करवाएं ताकि बैंक इस पर्यावरण सजगता पहल का सहभागी हो सके।

जिन शेयरधारकों ने अपने ई-मेल पते नहीं दिए/अद्यतन नहीं किए हैं और इलेक्ट्रॉनिक मोड के बजाय उसकी मुद्रित प्रतियाँ (हार्ड कॉपी) प्राप्त करना चाहते हैं/करने का अनुरोध करते हैं, उन्हें संसूचनाओं/सूचनाओं और अन्य दस्तावेज़ों की हार्ड कॉपियाँ ही भेजी जाएंगी। जिन शेयरधारकों को ई-मेल से भेजी वार्षिक रिपोर्टों की सॉफ्ट कॉपियाँ वापस आती हैं, उन्हें हार्ड कॉपियाँ भेजना भी सुनिश्चित किया जाता है।

शेयरधारकों से यह भी अनुरोध है कि वे अपना संपर्क विवरण जैसे फोन/मोबाईल संख्या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/ बैंक के रजिस्ट्रार को सूचित करें ताकि बैंक जरूरत के समय उनसे संपर्क कर सकें।

12.8 शेयर-धारिता का संवितरण

12.8.1 31.03.2014 की स्थिति की तुलना में 31.03.2015 के अनुसार शेयरधारिता का संवितरणः

M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., the Registrar of the Bank, as the case may be, at the earliest, to enable the Bank to be a part of this green initiative.

Shareholders who have not provided/updated their email addresses and/or expressed their desire/request to receive the above shareholder communications in printed copies (hard copies) instead of in electronic mode, shall be sent the communications/notices and other documents, as mentioned above, in hard copies only. It is also ensured to send hard copies of the Annual Reports to such of the shareholders in whose case the soft copies of the Annual Reports sent by email have bounced back.

Shareholders are also requested to communicate/update their contact details like phone/mobile numbers to/with their depository participant/registrar of the Bank, to enable the Bank to contact them in case of need.

12.8 Distribution of Shareholding

12.8.1 Distribution of shareholding as on 31.03.2015 vis-à-vis position as at 31.03.2014.

धारित ईक्विटी शेयर Holding Equity Shares	31.03.2015* की स्थिति के अनुसार (अं.मू. ₹2/-) As on 31.03.2015* (FV ₹2/-)				31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (अं.मू. ₹10/-) As on 31.03.2014 (FV ₹10/-)			
	शेयर धारकों की सं. No. of shareholders	कुल का % % to total	शेयरों की सं. No. of shares	कुल का % % to total	शेयरधारकों की सं. No. of Share Holders	कुल का % % to total	शेयरों की सं. No. of shares	कुल का % % to total
Upto 5000 तक	62568	95.84	30633899	3.65	58181	99.50	8755327	5.23
5001 से to 10000 तक	1421	2.18	4662977	0.55	141	0.24	1003272	0.60
10001 से to 20000 तक	618	0.95	4495864	0.54	56	0.10	792758	0.47
20001 से to 30000 तक	220	0.33	3041140	0.36	26	0.05	654620	0.39
30001 से to 40000 तक	97	0.15	1645043	0.20	14	0.02	473293	0.28
40001 से to 50000 तक	72	0.11	1572130	0.19	7	0.01	309036	0.18
50001 से to 100000 तक	131	0.20	4826151	0.58	19	0.03	1281011	0.77
100001 व अधिक & above	158	0.24	786832181	93.93	29	0.05	154272560	92.08
कुल TOTAL	**65285**	**100.00**	**837709385**	**100.00**	**58473**	**100.00**	**167541877**	**100.00**

* 22.01.2015 से ₹10/- से ₹2/- तक शेयरों के उप-विभाजन के बाद

* After sub-division of shares from ₹10/- to ₹2/- with effect from 22.01.2015.

12.8.2 31.3.2015 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता पैटर्न

12.8.2 Shareholding Pattern as on 31.03.2015

क्र. सं. Sl. No.	शेयरधारकों का प्रवर्ग Category of Shareholders	धारित शेयरों की सं. No. of shares held			कुल धारिता का % % to total holding
		कागज़ी Physical	डीमैट Demat	कुल Total	
1.	भारत के राष्ट्रपति President of India	0	530525885	530525885	63.33
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम LIC of India भारतीय जीवन बीमा निगम मार्केट प्लस–1 LIC of India Market Plus –1 भारतीय जीवन बीमा निगम – वेल्थ प्लस/LIC of India – Wealth Plus	0	188787055	188787055	22.54
3.	भारतीय वित्तीय संस्थाएं Indian Financial Institutions	0	12171222	12171222	1.45
4.	म्यूचुअल फंड और यूटीआई Mutual Funds & UTI	500	21981355	21981855	2.62
5.	निगमित निकाय (आईसीबी) Bodies Corporate (ICBs)	80000	12373003	12453003	1.49
6.	बैंक Banks	1000	644930	645930	0.08
7.	विदेशी संस्थागत निवेशक Foreign Institutional Investors	5500	20934507	20940007	2.50
8.	ओसीबी OCBs	25500	-	25500	0
9.	एनआरआई NRIs	374000	2420483	2794483	0.33
10.	निवासी व्यक्ति Resident Individuals	3358350	44026095	47384445	5.66
	योग TOTAL	**3844850**	**833864535**	**837709385**	**100.00**

12.8.3 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार कुल विदेशी शेयरधारिता (अनिवासी भारतीय, ओसीबी और एफआईआई) 2.83% रही, जो बैंक की कुल प्रदत्त पूँजी के 20% के निर्धारित स्तर के भीतर है।

12.8.3 The total foreign shareholding (NRIs, OCBs and FIIs) as at 31st March, 2015 was 2.83% which is within the stipulated level of 20% of the total paid up capital of the Bank.

क्र. सं. Sl. No.	प्रवर्ग Category	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (₹2/– अं.मू.) As on 31.03.2015 (FV ₹2/-)		31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (₹10/– अं.मू.) As on 31.03.2014 (FV ₹10/-)	
		शेयरों की सं. No. of shares	कुल पूँजी का % % to total capital	शेयरों की सं. No. of shares	कुल पूँजी का % % to total capital
1.	विदेशी संस्थागत निवेशक Foreign Institutional Investors	20940007	2.50	4466172	2.67
2.	ओसीबी OCBs	25500	0.00	5100	0.00
3.	एनआरआई NRIs	2794483	0.33	651986	0.39
	योग TOTAL	**23759990**	**2.83**	**5123258**	**3.06**

12.8.4 31.3.2015 की स्थिति के अनुसार बैंक के पाँच शीर्ष शेयरधारक

12.8.4 Top five shareholders of the Bank as on 31.3.2015

क्र. सं. Sl. No.	शेयरधारक के प्रवर्ग Category of Shareholders	धारित शेयरों की सं. No. of shares held	कुल धारिता का % % to total holding
1.	भारत के राष्ट्रपति President of India	530525885	63.33
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम (उसकी सहयोगी कंपनियों सहित) Life Insurance Corporation of India (including its Associates)	188787055	22.54
3.	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड – एचडीएफसी प्रुडेन्स फंड HDFC Trustee Company Limited – HDFC Prudence Fund	12197060	1.46
4.	जनरल इंश्योरेन्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया General Insurance Corporation of India	5298050	0.63
5.	रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कं. लि. – रिलायंस दीर्घावधि ईक्विटी फंड Reliance Capital Trustee Co. Ltd. – Reliance Long term Equity Fund	3619105	0.43

12.9 शेयरों का डीमैटिरियलाइज़ेशन एवं चलनिधि

12.9.1 भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के परिपत्र एसएमडीआरपी/पॉलिसी/परि-03/99 दिनांकित 4 फरवरी, 1999 के अनुसार 31 मई, 1999 से सभी निवेशकों के लिए बैंक के शेयरों की डिलिवरी डीमैट रूप में होना अनिवार्य कर दिया गया है। अतः बैंक के शेयर लेनदेन अनिवार्यतः डीमैट रूप में ही होते हैं। जारीकर्ता के रूप में बैंक के शेयरों को डीमैट करने हेतु दोनों डिपॉज़िटरियों अर्थात् नैशनल सिक्युरिटीज़ डिपॉज़िटरीज लि. और सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. के साथ करार किए हैं। बैंक के ईक्विटी शेयरों को आबंटित आईएसआईएन कूट INE112A01023 है।

12.9.2 बैंक के ईक्विटी शेयरों का उपविभाजन:

सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद और स्टाक एक्सचेंज और एनएसडीएल/सीडीएसएल को संबंधित रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण के बाद, 22 जनवरी, 2015 से बैंक के ईक्विटी शेयर के अंकित मूल्य को ₹10 से ₹2 तक कम किया गया है। उप-विभाजन के कारण, प्रत्येकी रु.2/- के अंकित मूल्य के बैंक के नए शेयरों को नई आईएसआईएन सं. INE112A01023 प्रदान की गई है। दिनांक 23.01.2015 के रिकार्ड के अनुसार बैंक के शेयरधारन करनेवाले सभी शेयरधारकों को 23.01.2015 से ₹10/- अंकित मूल्य के पुराने शेयर प्रमाणपत्र को निरस्त/खारिज मानने की सलाह देते हुए, उप विभाजित शेयरों को डीमैट मोड में जमा करने / भौतिक रूप से नया शेयर प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को बैंक ने पूरा किया है। इस परिवर्तन की सूचना को दो राष्ट्रीय दैनिकों - फायनांसियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) और उदयवाणी (कन्नड) में 04.02.2015 को प्रकाशित किया गया है और साथ ही शेयरधारकों/आम जनता की सूचना के लिए इसे बैंक की वेबसाईट पर भी अपलोड किया गया है।

12.9.3 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार जनता (भारत सरकार, अर्थात् प्रवर्तक सहित) द्वारा धारित ईक्विटी शेयरों के 99.54% डीमैट रूप में हैं।

12.10 पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंक द्वारा घोषित तथा वित्त वर्ष 2014-15 हेतु संस्तुत लाभांश के विवरण निम्नानुसार है:

12.9 Dematerialisation of shares and liquidity

12.9.1 As per Securities and Exchange Board of India (SEBI) circular SMDRP/POLICY/CIR-03/99 dated February 4, 1999, delivery of the Bank's shares in dematerialised form has been made compulsory for all investors effective from May 31, 1999. The Bank's shares are therefore, compulsorily traded in demat form. As an issuer, the Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd., for dematerialisation of shares. The ISIN Code allotted to the Bank's Equity Shares is INE112A01023.

12.9.2 Sub-Division of the Bank's equity shares

With effect from 22nd January 2015, the face value of the Bank's Equity share has been reduced from ₹10/- to ₹2/-, after taking necessary approvals from the competent authority and submission of the relevant reports to stock exchanges and NSDL/CDSL. On account of the sub-division, a new ISIN No. INE112A01023 has been assigned to the Bank's new shares of face value of ₹2/- each. The Bank has completed the process of crediting the sub-divided shares in demat mode/issuing new share certificates in physical format to all the shareholders who were holding the Bank's shares as on the record date 23.01.2015, advising them to treat the old share certificate of FV of ₹10/- as cancelled/redundant with effect from 23.01.2015. A notice to this effect has also been published in two national dailies – Financial Express (English) and Udayavani (Kannada) on 04.02.2015 and also uploaded on the Bank's website, for the information of the shareholders/general public.

12.9.3 As on 31st March, 2015, 99.54% of equity shares held by the public (including Government of India i.e. Promoter) are in demat form.

12.10 The details of the dividend declared by the Bank during the past three years and also recommended for the year 2014-2015 are as under:

वर्ष Year	2013-14 तक प्रत्येक ₹10 के प्रति शेयर लाभांश की राशि Amount of Dividend per Share of ₹10 each upto 2013-14	रिकार्ड/बही बंदी के दिनांक Record Date/ Book Closure Dates	लाभांश अदायगी दिनांक Dividend payment date
2011-12	₹20.50	19.06.2012 से to 29.06.2012	12.07.2012
2012-13	₹19.00	04.06.2013 से to 10.06.2013	28.06.2013
2013-14	अंतरिम Interim ₹4.50	29.01.2014	31.01.2014
	अंतिम Final ₹2.25	17.06.2014 से to 26.06.2014	03.07.2014
2014-15	प्रत्येकी ₹2 के प्रति शेयर पर ₹1.40 ₹1.40 per share of ₹2/- each	24.06.2015 से to 29.06.2015	06.07.2015*

* वार्षिक महासभा में घोषित होने पर।

* If declared in the Annual General Meeting.

12.10.1 अदावाकृत लाभांश: जिन शेयरधारकों को पिछले वर्षों का लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है, वे सहायता हेतु बैंक के निवेशक सेवा विभाग या मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लि., हैदराबाद से संपर्क करें।

12.10.2 वर्ष के दौरान, निम्नवत दो अदावाकृत अंतिम लाभांश खाते के संबधी बकाया, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के साथ यथा पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10बी के प्रावधानों के तहत भारत सरकार की निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित करने हेतु नियत हो गई, उन्हें भारत सरकार, कंपनी कार्य मंत्रालय की गजट अधिसूचना दिनांकित 27 मार्च, 2014 – निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (निवेशकों की जागरूकता और संरक्षण) संशोधन नियम, 2014, जो 31 मार्च, 2014 को लागू हो गया, के अनुसार उनके सामने उपल्लिखित तारीख को पंजाब नैशनल बैंक, नई दिल्ली, कनॉट सर्कस शाखा में रखे उक्त खाते में अंतरित किया गया है।

12.10.1 Unclaimed Dividends : Shareholders who have not received the dividend for the earlier years may please contact Investor Services Department of the Bank or M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad, for assistance.

12.10.2 During the year, balances in respect of the following two unclaimed dividend accounts which fell due for transfer to the Investor Education Protection Fund (IEPF) account of Government of India, has been transferred to the said account held with Punjab National Bank, New Delhi-Connaught Circus, Branch on the dates mentioned against them, as per the provisions of Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1980, read with Section 125 of the Companies Act, 2013, and as per the Government of India, Ministry of Corporate Affairs gazette notification dated 27th March, 2014 – Investor Education and Protection Fund (awareness and protection of investors) Amendment Rules, 2014 which came into force with effect from 31st March, 2014.

क्र. सं. Sl. No.	अदावाकृत लाभांश खाते का विवरण Details of Unpaid Dividend Accounts	चालू खाता सं. CA A/c. No.	घोषणा की तारीख Date of Declaration	अंतरण की तारीख पर शेष ₹ Balance as on date of transfer ₹	आईईपीएफ को अंतरण की देय अंतिम तारीख Due date of transfer to IEPF	आईईपीएफ खाते को अंतरण की तारीख Date of transfer to IEPF A/c.
1.	असंदत्त अंतरिम लाभांश खाता –2006 –07 Unpaid Interim Dividend Account 2006-07	5207	24.03.2007	765124.00	30.04.2014	02.06.2014
2.	असंदत्त अंतरिम लाभांश खाता –2006 –07 Unpaid Final Dividend Account 2006-07	5208	27.06.2007	965330.00	03.08.2014	02.09.2014

इन लाभांश वारंटों से संबंधित कोई भी दावा शेयरधारकों द्वारा बैंक या आईईपीएफ के साथ नहीं किया जा सकेगा।
No claim for payment of dividends in respect thereof, lies either with the Bank or the IEPF, by the shareholders.

12.10.3 शेयरधारकों से आवधिक रूप से अनुरोध किया जाता है कि वे आईईपीएफ खाते में अंतरण हेतु नियत होने वाले अदावाकृत लाभांश खातों के संबंध में अपना दावा फार्म काफी पहले ही प्रस्तुत करें। वित्त वर्ष 2007–08 के संबंध में अदावाकृ त लाभांश खाते (अंतरिम लाभांश) में अर्थात् निम्नलिखित तालिका में चालू खाता सं. 5213 (क्र. सं. 1) से संबंधित शेषराशि 30.04.2015 को आईईपीएफ खाते में अंतरण हेतु नियत हो गई है। इसे इसके 30 दिन के अंदर आईईपीएफ खाते में अंतरित किया जाएगा। बाकी अदावाकृ त लाभांश खातों की शेषराशि उनके सामने दर्शाइ गई उनकी नियत तारीखों के अनुसार निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित की जाएगी और उसके बाद शेयरधारकों द्वारा बैंक से या आईईपीएफ से उक्त लाभांश के भुगतान हेतु कोई भी दावा नहीं किया जा सकेगा। इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे असंदत्त लाभांश हेतु अपने दावे बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि., हैदराबाद को या कार्पोरेट कार्यालय के निवेशक सेवा विभाग को यथाशीघ्र प्रस्तुत करें।

12.10.3 Shareholders are periodically requested to submit their claim forms, well in advance of the unclaimed dividend accounts falling due for transfer to IEPF Account. The balance in respect of unclaimed dividend Account for FY 2007-08 (interim dividend) i.e. CA/c 5213 (Sl. No. 1) in the following table, fell due for transfer to IEPF Account on 30.04.2015. The same shall be transferred to IEPF Account within a period of 30 days thereof. The balances in respect of the remaining unclaimed dividend accounts will be transferred to the Investor Education Protection Fund (IEPF) account, as per the due dates of transfer to IEPF, mentioned against them and thereafter no claim for payment of dividend thereof shall lie either with the Bank or the IEPF, by the shareholders. Shareholders are therefore requested to submit their claims for unpaid dividends, either to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank or to the Investor Services Department at Corporate office, at the earliest.

31.03.2015 को बकाया शेष सहित असंदत्त लाभांश खातों की सूची निम्नवत है:
The list of Unpaid Dividend accounts with balance outstanding as on 31.03.2015 is as follows :

क्र. सं. Sl. No.	असंदत्त लाभांश खातों केविवरण Details of the Unpaid Dividend Accounts	सी.ए. खाता सं. C.A. A/c No.	घोषणा का दिनांक Date of Declaration	31.03.2015 को शेष (₹) Balance as on 31.03.2015 (₹)	आईईपीएफ को अंतरण हेतु नियत तारीख Due date of transfer to IEPF
1.	असंदत्त अंतरिम लाभांश खाता - 2007-08 Unpaid Interim Dividend Account – 2007– 08	5213	25.03.2008	883910.00	30.04.2015
2.	असंदत्त अंतिम लाभांश खाता - 2007-08 Unpaid Final Dividend Account – 2007 – 08	5214	08.08.2008	1236812.00	12.09.2015
3.	असंदत्त अंतरिम लाभांश खाता - 2008-09 Unpaid Interim Dividend Account – 2008 – 09	5218	26.02.2009	1028856.00	03.03.2016
4.	असंदत्त अंतिम लाभांश खाता - 2008-09 Unpaid Final Dividend Account – 2008 – 09	5219	25.07.2009	1720968.00	30.08.2016
5.	असंदत्त लाभांश खाता - 2009-10 Unpaid Dividend Account – 2009–10	5235	10.07.2010	3442487.00	15.08.2017
6.	असंदत्त लाभांश खाता - 2010-11 Unpaid Dividend Account – 2010–11	5237	09.07.2011	4264983.00	16.08.2018
7.	असंदत्त लाभांश खाता - 2011-12 Unpaid Dividend Account – 2011–12	5269	29.06.2012	4382991.00	05.08.2019
8.	असंदत्त लाभांश खाता - 2012-13 Unpaid Dividend Account – 2012–13	5270	25.06.2013	4748319.00	24.07.2020
9.	असंदत्त लाभांश खाता - 2013-14 Unpaid Interim Dividend Account – 2013–14	5271	23.01.2014	1539694.00	30.03.2021
10.	असंदत्त अंतिम लाभांश खाता - 2013-14 Unpaid Final Dividend Account – 2013–14	5272	09.05.2014	841217.00	15.06.2021

12.11 सेबी ने बैंकों सहित सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे लाभांश का भुगतान करने हेतु डिपॉज़िटरी द्वारा प्रस्तुत बैंक खाता विवरण का उपयोग करें। उन्होंने सूचीबद्ध कंपनियों को यह भी अनिवार्य कर दिया है कि लाभांश के भुगतान हेतु वे ईसीएस, एनईसीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस आदि जैसे भा.रि.बैं. द्वारा अनुमोदित भुगतान विधियों का उपयोग करें और बैंक खाता विवरण, एमआईसीआर, आईएफएससी कूट आदि जैसी अपेक्षित जानकारी उपलब्ध न होने पर कंपनियाँ निवेशकों को ऐसे भुगतान करने हेतु कागज़ी भुगतान लिखतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक, निवेशकों को लाभांश वितरित करने हेतु भुगतान लिखत पर डिपॉज़िटरियों या शेयरधारकों द्वारा (यदि शेयर कागज़ी रूप में धारित हों तो) उपलब्ध कराए अनुसार भुगतान लिखतों पर बैंक खाता विवरण मुद्रित करेंगे।

12.11.1 जिन शेयरधारकों ने बैंक अधिदेश या एनईसीएस विवरण नहीं दिया है/बैंक अधिदेश विवरण में परिवर्तन सूचित नहीं किए हैं, वे लाभांश वारंटों की कपटपूर्ण भुनाई से बचने हेतु विवरण प्रस्तुत करें। बैंक अधिदेश प्रस्तुत करने हेतु प्रोफार्मा वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिया गया है।

12.11 SEBI has made it mandatory for all the listed companies including Banks, to use the Bank Account details furnished by the Depositories for payment of dividend. It has also made it mandatory for listed companies to use RBI approved electronic mode of payments such as ECS, NECS, NEFT, RTGS etc., for making dividend payments and in the event of non-availability of the required information like bank account details, MICR and IFSC Code etc., to use physical payment instruments for making such payments to shareholders. The Bank shall print Bank account details, as made available by the depositories or the shareholders (in case holding shares in physical form), on payment instruments for distribution of dividends to the investors.

12.11.1 The shareholders who have not provided the Bank Mandate or NECS details/change in Bank Mandate details, may furnish the same, to avoid fraudulent encashment of the dividend warrants. Proforma for furnishing the Bank Mandate is provided separately in the Annual Report.

12.11.2 कृपया नोट करें कि जो शेयरधारक कागज़ी रूप में शेयरों को धारित करते हैं वे रिकार्ड को अद्यतन करने हेतु अपने बैंक अधिदेश विवरण बैंक के निवेशक सेवा विभाग/मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लि., हैदराबाद को भेज सकते हैं। जो शेयरधारक डीमैट (इलेक्ट्रॉनिक) रूप में शेयर धारित करते हैं, वे विवरण को अद्यतन करने हेतु डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क कर सकते हैं।

12.11.3 कागज़ी रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अंतरण, शेयर में ट्रेडिंग में सुविधा तथा कागज़ी शेयर प्रमाणपत्र के खोने/क्षतिग्रस्त होने/कटने-फटने आदि से बचने के लिए अपने शेयरों को डिमैटिरियलाइज करवाएं।

12.11.4 शेयरों का उत्तराधिकार अंतरण: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने परिपत्र सीआईआर/एमआईआरएसडी/10/2013 दिनांक 28 अक्तूबर, 2013 द्वारा उत्तराधिकार अंतरण प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देशों को अधिक निवेशक हितैषी बनाने के उद्देश्य से आशोधित किया है। इससे संबंधित विवरण बैंक की वेबसाइट www.corpbank.com पर 'Investor Relations-Information to Investors' के अंतर्गत उपलब्ध है।

12.11.5 नामांकन सुविधा: बैंक के शेयर कागज़ी रूप में रखने वाले शेयरधारकों को बैंक ने अब नामांकन सुविधा उपलब्ध कराई है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इस वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कराए गए फार्मेट के अनुसार विधिवत् भरा हुआ और हस्ताक्षरित नामांकन फार्म रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लि., हैदराबाद को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत करें।

12.12 पत्राचार हेतु पता: बैंक ने मंगलूरु में अपने कार्पोरेट कार्यालय में निवेशक सेवा विभाग स्थापित किया है। शेयर अंतरण, उत्तरांतरण, पते में परिवर्तन, लाभांश की अप्राप्ति, शेयर प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति हेतु/प्रमाण पत्र खो जाने और शेयरों से संबंधित अन्य मामलों के लिए निवेशक निम्नलिखित पते पर बैंक से संपर्क कर सकते हैं:

कंपनी सचिव
निवेशक सेवा विभाग
कार्पोरेशन बैंक, कार्पोरेट कार्यालय
मंगलादेवी मंदिर मार्ग
मंगलूरु – 575 001
दूरभाष: 0824-2424971, 2423853 (सीधा)
2426416-420 (विस्तार 482)
फैक्स: 0824-2421581, 2423853
निवेशक शिकायतें – ई-मेल: isd@corpbank.co.in

12.13 कार्पोरेशन बैंक के शेयर बीएसई और एनएसई दोनों में सूचीबद्ध किए गए हैं। बड़ी मात्रा में शेयरों के लेनदेन होने के कारण शेयरधारकों को खरीदने/बेचने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं।

बैंक ने जीडीआर/एडीआर/वारंट या अन्य कोई परिवर्तनीय लिखतें जारी नहीं की हैं।

12.11.2 It may please be noted that the shareholders who are holding the shares in physical form may send their Bank Mandate details to Investor Services Department of the Bank or M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad, for updating the record of the shareholders. The shareholders who are holding the shares in demat (electronic) form may approach their Depository Participant for necessary updation of the particulars.

12.11.3 The shareholders holding shares in physical form are requested to dematerialise their shares due to the convenience it offers, in holding, in transferring and in trading of shares. Loss, damage, mutilation of share certificates can be totally avoided.

12.11.4 Transmission of Shares : The Securities and Exchange Board of India (SEBI), vide their circular CIR/MIRSD/10/2013 dated 28th October 2013, has modified the guidelines to make transmission process more investor friendly. The details of the same are available on the Bank's website www.corpbank.com under 'Investor Relations – Information to Investors".

12.11.5 Nomination facility : Nomination facility has now been made available by the Bank for shareholders holding the Bank's shares in physical mode. Shareholders are requested to submit the duly filled-in and signed Nomination form as per the format made available in this Annual Report, to the Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad, for doing the needful.

12.12 Address for Correspondence : The Bank has set up an Investor Services Department at its Corporate Office at Mangaluru. For any assistance regarding share transfers, transmissions, change of address, non-receipt of dividend, duplicate/missing share certificates and other matters pertaining to shares, the investors may contact the Bank at the following address:

The Company Secretary
Investor Services Department
Corporation Bank, Corporate Office,
Mangaladevi Temple Road
Mangaluru – 575 001
Tel: 0824-2424971, 2423853 (Direct),
2426416-420 (Extn. 482)
Fax: 0824-2421581, 2423853.
INVESTOR GRIEVANCES – E-mail: isd@corpbank.co.in

12.13 Corporation Bank shares are listed on both BSE and NSE. The fair volume of trading provides enough entry/exit opportunities to the shareholders.

The Bank has not issued GDRs/ADRs/Warrants or any other convertible instruments.

12.14 बैंक की शाखाएँ पूरे भारत भर में हैं तथा दुबई तथा हांगकांग में प्रतिनिधि कार्यालय हैं।

13. एक जिम्मेदार कार्पोरेट नागरिक के रूप में कार्पोरेशन बैंक यह विश्वास करता है कि कार्पोरेट अभिशासन सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन करना मात्र नहीं है बल्कि पारदर्शी एवं नैतिक तरीके से सभी शेयरधारकों एवं समग्र समाज के हित में उत्तम कार्य करना है।

14. सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिबंध) विनियम, 2002 का अनुपालन

14.1 इन विनियमों के अनुसरण में, बैंक के शेयर के लेनदेन हेतु पदनामित कर्मचारियों तथा निदेशकों के लिए भेदिया व्यापार के निवारण हेतु बैंक ने आचार संहिता बनाई है, जिसमें 03.03.2015 को अंतिम संशोधन किया गया था। इन विनियमों के अनुसार बैंक के पदनामित कर्मचारियों तथा निदेशकों से आवधिक सूचना प्राप्त करने हेतु विभिन्न फार्म बनाए गए हैं। साथ ही निम्नलिखित विवरण के अनुसार बैंक के निदेशकों तथा पदनामित कर्मचारियों हेतु बैंक के शेयरों के लेनदेन हेतु व्यापार विंडो बंद किया गया है:

12.14 The branches of the Bank have spread all over India and have representative office at Dubai and Hongkong.

13. Corporation Bank, as a responsible corporate citizen, believes that Corporate Governance is not just compliance with statutory requirements but doing what is best in the interest of all the stakeholders and the society at large in a transparent and ethical way.

14. Compliance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2002.

14.1 In pursuance of the Regulations, the Bank has formulated Code of Conduct for Prevention of Insider Trading for Designated Employees and Directors for dealing in Shares of the Bank which was last modified on 03.03.2015. Various forms have been designed to receive periodical information from the Designated Employees and the Directors of the Bank, as required in terms of these Regulations. Further, the Trading Window for dealing in shares of the Bank was kept closed for the Directors and Designated Employees of the Bank as per the following details:

व्यापार विंडो बंद करने की तारीखें Dates of Closure of Trading Window	बंद करने का उद्देश्य Purpose of Closure
4 मई, 2014 से 10 मई, 2014 4th May, 2014 to 10th May, 2014	31 मार्च, 2014 को समाप्त तिमाही हेतु तिमाही वित्तीय परिणामों की घोषणा Declaration of Quarterly Financial results for the quarter ended 31st March, 2014.
21 जून, 2014 से 27 जून, 2014 21st June, 2014 to 27th June, 2014	26 जून, 2014 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक में अंतिम लाभांश की घोषणा Declaration of Final Dividend in Annual General Meeting held on 26th June, 2014.
1अगस्त, 2014 से 9 अगस्त, 2014 1st August, 2014 to 9th August, 2014	30 जून, 2014 को समाप्त तिमाही हेतु तिमाही वित्तीय परिणामों की घोषणा Declaration of Quarterly Financial results for the quarter ended 30th June, 2014.
1 नवंबर, 2014 से 8 नवंबर, 2014 1st November, 2014 to 8th November, 2014	30 सितंबर, 2014 को समाप्त तिमाही हेतु तिमाही वित्तीय परिणामों की घोषणा Declaration of Quarterly Financial results for the quarter ended 30th September, 2014.
2 फरवरी, 2015 से 10 फरवरी, 2015 2nd February, 2015 to 10th February, 2015	31 दिसंबर, 2014 को समाप्त तिमाही हेतु तिमाही वित्तीय परिणामों की घोषणा Declaration of Quarterly Financial results for the quarter ended 31st December, 2014.
11 मई, 2015 से 17 मई, 2015 11th May, 2015 to 17th May, 2015.	31 मार्च, 2015 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष हेतु वार्षिक वित्तीय परिणामों की घोषणा करना तथा लाभांश, यदि कोई हो, तो संस्तुत करना Declaration of Annual Financial results for the quarter and year ended 31st March, 2015 and to recommend dividend if any.

14.2 बैंक ने भेदिया व्यापार के निवारण हेतु कार्पोरेट प्रकटन प्रणाली संहिता बनाई है और उसका अनुपालन किया है।

14.2 The Bank has framed a Code of Corporate Disclosure Practices for Prevention of Insider Trading and made compliance thereof.

14.3 संबंधित पार्टी लेनदेन नीति

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अपने परिपत्र दिनांकित 17 अप्रैल, 2014 और 15 सितंबर, 2014 के माध्यम से कार्पोरेट अभिशासन पर ईक्विटी सूचीबद्ध करार के खंड 49 के संशोधनों को सूचित करते हुए यह निर्देश दिया है कि, सूचीबद्ध इकाईयां यथा बैंक को लागू, संबधी पार्टी लेनदेन संबंधी वास्तविकता पर नीति तैयार करें, ताकि उसे 1 अक्तूबर, 2014 से लागू किया जा सके। तदनुसार, संबंधित पार्टी लेनदेनों पर नीति तैयार की गई, जिसे बोर्ड ने अपने कार्यवृत्त सं. 53 दिनांकित 26.09.2014 के जरिए अनुमोदित किया है। उक्त नीति के अनुमोदित संस्करण को बैंक के वेबसाईट www.corpbank.com पर "Investor Relations" – "Policies and Disclosures" के तहत अपलोड किया गया है। शेयरधारक और आम जनता की सूचना के लिए लिंक निम्नवत है:

14.3 Related Party Transactions Policy

The Securities and Exchange Board of India, vide its circulars dated 17th April, 2014 and 15th September, 2014, while communicating the amendments being made to Clause 49 of the Equity Listing Agreement on Corporate Governance, has directed that the listed entities shall formulate a policy on materiality of Related Party Transactions, as applicable to the Bank, to be made effective from October 1, 2014. Accordingly, a Related Party Transactions Policy was prepared, which has been approved by the Board vide its Minute No.53 dated 26.09.2014. The approved version of the said policy has been uploaded on the Bank's website www.corpbank.com under the head "Investor Relations" – "Policies and Disclosures", at the following link, for the information of the shareholders and general public.

http://www.corpbank.com/sites/default/files/Related_Party_Transactions_Policy_document_100315_0.pdf

15. अधिग्रहण संहिता

15.1 बैंक ने सेबी (शेयरों का पर्याप्त अभिग्रहण तथा अधिग्रहण) अधिनियम 2011 के यथा संशोधित प्रावधानों का समय-समय पर अनुपालन किया है।

16. कारोबार जिम्मेदारी रिपोर्ट

एक सूचीबद्ध इकाई के रूप में बैंक अपने आप को उस सामाजिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक मानता है जिसमें वह परिचालनगत है और इसलिए वह राजस्व एवं लाभप्रदता की दृष्टि से न केवल शेयरधारकों के प्रति बल्कि व्यापक समाज के प्रति भी उत्तरदायी है जिसका वह एक अंग है। इसलिए सामाजिक संरचना एवं परिवेश के हित में जिम्मेदार कारोबार प्रथाओं को अपनाने पर भी बैंक उतना ही महत्व देता है, जितना कि वह अपने वित्तीय एवं परिचालनगत निष्पादन को देता है। सार्वजनिक धनराशि का लेनदेन करने के कारण बैंक के कार्य में जन-हित निहित है और इसलिए वह नियमित आधार पर पारिवेशिक, सामाजिक एवं शासकीय दृष्टि से उसके द्वारा उठाए गए कदमों के सतत प्रकटन की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। आज तक की स्थिति के अनुसार सेबी ने बैंक को यह प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं बनाया है। इसे यथासमय प्रस्तुत किया जाएगा।

15. Takeover Code

15.1 The Bank has also complied from time to time with the provisions of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 as amended.

16. Business Responsibility Report

The Bank being a listed entity, considers itself to be the critical component of the social system in which it operates and hence is accountable not merely to the shareholders from revenue and profitability point of view, but also to the larger society of which it is a part. Hence, adoption of responsible business practices in the interest of the social set-up and the environment is being considered by the Bank as vital as its financial and operational performance. The Bank, having accessed funds from the public, have an element of public interest involved, and hence it takes upon itself the responsibility to make continuous disclosures regarding steps taken by it from environmental, social and governance perspective. SEBI has not made it mandatory for the Bank to submit the report as of now. The same shall be submitted in due course.

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

स्थान : मंगलूरु
दिनांक : 28.05.2015

(एस. आर. बंसल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Mangaluru
Date : 28.05.2015

(S. R. Bansal)
Chairman & Managing Director

घोषणा
DECLARATION

बैंक ने बोर्ड के सभी सदस्यों तथा बैंक के कोर प्रबंधन हेतु एक आचार संहिता निर्धारित की है जिसे बैंक की वेबसाइट में दिया गया है। बोर्ड के सदस्यों तथा कोर प्रबंधन ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the Board members and Core Management of the Bank, which is posted on the website of the Bank. The Board members and Core Management have affirmed compliance with the Code of Conduct for the financial year ended 31st March, 2015.

कृते कार्पोरेशन बैंक

(एस. आर. बंसल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मंगलूरु
दिनांक : 19.05.2015

For Corporation Bank

(S. R. Bansal)
Chairman & Managing Director

Place : Mangaluru
Date : 19.05.2015

निदेशक मंडल
कार्पोरेशन बैंक

सूचीकरण करार के खण्ड 49 के तहत सीईओ व सीएफओ प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

(क) हमने वर्ष (2014-15) हेतु कार्पोरेशन बैंक के वित्तीय विवरणों तथा नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है तथा हमारे अधिकतम ज्ञान व विश्वास के अनुसार:

(i) इन विवरणों में कोई तथ्यात्मक असत्य विवरण या कोई तथ्यपरक चूक या भ्रामक विवरण नहीं हैं।

(ii) इस के साथ ही ये विवरण बैंक के कार्यों की सही व उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखांकन मानक, लागू विधियों तथा विनियमों के अनुसार हैं।

(ख) हमारे अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार बैंक ने वर्ष के दौरान ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए हैं जो कपटपूर्ण, गैर-कानूनी हैं या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण कायम करने व बनाए रखने हेतु उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की प्रभाविता का मूल्यांकन किया है तथा हमने आंतरिक नियंत्रणों की रूपरेखा या परिचालन में यदि कोई कमी है जिनके बारे में हमें मालूम है, लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को सूचित किया है तथा हमने इन कमियों को ठीक करने हेतु उपाय किए हैं या प्रस्तावित किए हैं।

(घ) हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित सूचित किया है:

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

(ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इन्हें वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया है; तथा

(iii) हमारी जानकारी में आए कपटों की महत्वपूर्ण घटनाएँ जिनमें प्रबंधन या वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका वाले कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई है।

(ङ) वित्तीय विवरणों की सांविधिक केन्द्रीय लेखा-परीक्षकों द्वारा भी लेखा-परीक्षा की गई है।

(पी. परमशिवम)
महा प्रबंधक एवं सीएफओ

(बी. के. श्रीवास्तव)
कार्यपालक निदेशक

(एस.आर. बंसल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ

(P. Paramasivam)
General Manager & CFO

(B. K. Srivastav)
Executive Director

(S. R. Bansal)
Chairman & Managing Director and CEO

स्थान Place : मंगलूरु Mangaluru
दिनांक Date: May15, 2015

The Board of Directors
Corporation Bank

CEO & CFO Certificate under Clause 49 of the Listing Agreement

This is to certify that

(a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement of Corporation Bank for the year (2014-15) and that to the best of our knowledge and belief:

(i) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(ii) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

(b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

(c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

(d) We have indicated to the Auditors and the Audit committee

(i) Significant changes in internal control over financial reporting during the year;

(ii) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(iii) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(e) The financial statements have also been subjected to audit by Statutory Central Auditors.

कार्पोरेट अभिशासन पर लेखा–परीक्षकों का प्रमाण–पत्र

सेवा में,
कार्पोरेशन बैंक के सदस्यगण,

हमने, बी एस ई लिमिटेड एवं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में कार्पोरेशन बैंक के सूचीकरण करार के खण्ड 49 में विनिर्दिष्टानुसार 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु कार्पोरेशन बैंक द्वारा कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है।

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन–वर्ग की है। हमारी जाँच, कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके क्रियान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा–परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय एवं सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण एवं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 के साथ पठित के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने ऊपर उल्लिखित सूचीकरण करार में यथा विनिर्दिष्ट कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम स्पष्ट करते हैं कि शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति द्वारा रखे गए अभिलेख एवं बैंक के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंटों द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र के अनुसार बैंक के विरुद्ध कोई निवेशक शिकायत एक माह से अधिक अवधि हेतु लंबित नहीं है।

हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभाविता जिससे प्रबंधन–वर्ग ने बैंक के क्रियाकलाप संचालित किए हैं ।

कृते बी. के. रामध्यानी एण्ड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
FRN-002878S/S200021

[सीए सी.आर. दीपक]
एम.नं. 215398
साझेदार

कृते नृपेन्द्र एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-000379C

[सीए प्रदीप कुमार गुप्ता]
एम.नं. 070855
साझेदार

कृते जीएमजे एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-103429W

[सीए अतुल जैन]
एम.नं. 037097
साझेदार

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
FRN-001997S

[सीए मुरली मोहन भट्]
एम.नं. 203592
साझेदार

कृते एम. आनंदम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-000125S

[सीए ए. वी. सदाशिव]
एम.नं. 018404
साझेदार

स्थान : मंगलूरु
दिनांक : 16.05.2015

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To the Members of Corporation Bank,

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by the Corporation Bank for the year ended on 31st March, 2015, as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement for Equity of the Corporation Bank with the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

The compliance of conditions of the corporate governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion, and to the best of our information and according to explanations given to us, and read with Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement for Equity.

We state that no investor grievances are pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Shareholders/Investors Grievance Committee and certificate given by the Registrar and Transfer Agents of the Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank

for B. K. Ramadhyani & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN-002878S/S200021

[CA C. R. Deepak]
M.No. 215398
Partner

for Nripendra & Co.
Chartered Accountants
FRN-000379C

[CA Pradeep Kumar Gupta]
M.No. 070855
Partner

for GMJ & Co.
Chartered Accountants
FRN-103429W

[CA Atul Jain]
M. No. 037097
Partner

for Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN-001997S

[CA Murali Mohan Bhat]
M.No. 203592
Partner

for M. Anandam & Co.
Chartered Accountants
FRN-000125S

[CA A. V. Sadasiva]
M.No. 018404
Partner

Place : Mangaluru
Date : 16.05.2015

नए पूँजी पर्याप्तता ढाँचे संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रकटन – बेसल III (स्तंभ 3)
समेकित आधार पर 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
Disclosures under the New Capital Adequacy Framework Guidelines – Basel III (Pillar 3)
for the year ended on 31st March, 2015 on a consolidated basis

सारणी डीएफ–1: प्रयुक्ति की परिधि

बैंकिंग ग्रूप जहाँ ढांचा लागू होगा के मुखिया का नाम – कार्पोरेशन बैंक

कार्पोरेशन बैंक (लि.) एक वाणिज्यिक बैंक है जिसकी स्थापना मार्च 1906 में हुई थी। समूह की सभी ईकाइयों की नियंत्रक ईकाइ बैंक है। बैंक के समेकित वित्तीय विवरण में कार्पोरेशन बैंक एवं इसकी अनुषंगी कार्पबैंक सिक्यूरिटिज शामिल हैं जिससे समूह बनता है। बैंक अपनी अनुषंगी का समेकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखा मानक 21 (एएस–21) समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार करता है।

(i) गुणात्मक प्रकटन:

क. समेकन हेतु विचार की गई समूह संस्थाओं की सूची

Table DF-1: Scope of Application

Name of the head of the banking group to which the framework applies: 'Corporation Bank'.

Corporation Bank Limited (the 'Bank') is a Commercial Bank, which was incorporated in March 1906. The Bank is the controlling entity for all group entities. The consolidated financial statements of the Bank comprise the financial statement of Corporation Bank and its subsidiary CorpBank Securities Limited that together constitute the 'Group'. The Bank consolidates its subsidiaries in accordance with Accounting Standard 21 (AS-21) 'Consolidated Financial Statements' issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

(i) Qualitative Disclosures:

a. List of group entities considered for consolidation

संस्था का नाम/ निगमन का देश Name of the entity/Country of incorporation	क्या उक्त संस्था समेकन की लेखांकन परिधि में शामिल की गई है (हाँ/नहीं) Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes/no)	समेकन का तरीका स्पष्ट करें Explain the method of consolidation	क्या उक्त संस्था समेकन की विनियामक परिधि में शामिल की गई है (हाँ/नहीं) Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes/no)	समेकन का तरीका स्पष्ट करें Explain the method of consolidation	समेकन के तरीके में भिन्नता का कारण स्पष्ट करें Explain the reasons for difference in the method of consolidation	यदि केवल एक समेकन परिधि के अंतर्गत समेकित किया हो तो उसका कारण स्पष्ट करें Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लि./भारत Corpbank Securities Ltd./India	हाँ Yes	एएस 21 के अनुसार As per AS – 21	हाँ Yes	एएस 21 के अनुसार As per 21 AS – 21	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

ख. समेकन की लेखांकन और विनियामक परिधि, दोनों के अंतर्गत समेकन हेतु विचार न की गई समूह संस्थाओं की सूची:

b. List of group entities not considered for consolidation both under the Accounting and Regulatory scope of Consolidation:

संस्था का नाम/ निगमन का देश Name of the entity/ country of incorporation	संस्था का मूल क्रियाकलाप Principal activity of the entity	कुल तुलन–पत्र ईक्विटी (उक्त विधिक संस्था के लेखांकन तुलन–पत्र में उल्लिखित अनुसार) Total balance sheet equity *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)*	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का % % of bank's holding in the total equity	उक्त संस्था की पूँजीगत लिखतों में बैंक के निवेशों की विनियामक स्थिति Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	कुल तुलन–पत्र आस्तियाँ (उक्त विधिक संस्था के लेखांकन तुलन–पत्र में उल्लिखित अनुसार) Total balance sheet assets *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)*
लागू नहीं NA					

(ii) परिमाणात्मक प्रकटन:
(ii) Quantitative Disclosures:

ग. समेकन हेतु विचार की गई समूह संस्थाओं की सूची:
c. List of group entities considered for consolidation:

राशि (₹) मिलियन में
Amount in (₹) million

संस्था का नाम/ निगमन का देश (उपर्युक्त (i) क में सूचित अनुसार) Name of the entity/country of incorporation *(as indicated in (i)a. above)*	संस्था का मूल क्रियाकलाप Principal activity of the entity	कुल तुलन-पत्र ईक्विटी (उक्त विधिक संस्था के लेखांकन तुलन-पत्र में उल्लिखित अनुसार) Total balance sheet equity *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)*	कुल तुलन-पत्र आस्तियाँ (उक्त विधिक संस्था के लेखांकन तुलन-पत्र में उल्लिखित अनुसार) Total balance sheet assets *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)*
कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लि. भारत CorpBank Securities Limited/ India	यह सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिलों तथा जमा पत्रों के अतिरिक्त म्युचुअल फंड के वितरण के व्यवसाय में लिप्त है। It is engaged in the business of distribution of mutual fund besides dealing in Government Securities, Treasury Bills and Certificate of Deposits.	750.00	1,042.8

घ. सभी अनुषंगियों में पूँजीगत कमियों की समग्र राशि[17] जिनको समेकन की परिधि में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात् उससे निकाला गया है:
d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

अनुषंगियों का नाम/ निगमन का देश Name of the subsidiaries/ country of incorporation	संस्था का मूल क्रियाकलाप Principal activity of the entity	कुल तुलन-पत्र ईक्विटी (उक्त विधिक संस्था के लेखांकन तुलन-पत्र में उल्लिखित अनुसार) Total balance sheet equity *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)*	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का % % of bank's holding in the total equity	पूँजीगत कमियाँ Capital deficiencies
उक्त अनुषंगी में कोई पूँजीगत कमी नहीं है जिसे समेकन के विनियामक परिधि में सम्मिलित नहीं किया गया है। There is no capital deficiency in the subsidiary, which is not included in the regulatory scope of consolidation.				

ङ. बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हितलाभ की समग्र राशि (उदा: चालू बही मूल्य) जिनको जोखिम-भारित किया गया है:
e. The aggregate amounts (e.g. Current book value) of the bank's total interests in Insurance entities, which are risk-weighted:

बीमा कंपनियों का नाम/ निगमन का देश Name of the insurance entities/ country of incorporation	संस्था का मूल क्रियाकलाप Principal activity of the entity	कुल तुलन-पत्र ईक्विटी (उक्त विधिक संस्था के लेखांकन तुलन-पत्र में उल्लिखित अनुसार) Total balance sheet equity *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)*	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का %/मताधिकार का अनुपात % of bank's holding in the total equity/proportion of voting power	जोखिम भारित पद्धति बनाम पूर्ण कटौती पद्धति का उपयोग करने पर विनियामक पूँजी पर परिमाणात्मक प्रभाव Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
ऐसी कोई संस्था नहीं है No Such Entity				

च. बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या विनियामक पूँजी के अंतरण में कोई प्रतिबंध या बाधाएं:

लागू नहीं

डीएफ–2 पूंजी पर्याप्तता

(i) गुणात्मक प्रकटन

क. बैंक पूँजी पर्याप्तता पर भारिबैं के द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अंतर्गत आता है। भारिबैं ने बेसल III के दिशानिर्देशों को जारी किया है जिसे चरणबद्ध तरीके से 01 अप्रैल, 2013 से लागू किया जाना है। 31 मार्च को समाप्त हो रहे वर्ष के लिए बैंक को न्यूनतम टियर- I अनुपात का 7% तथा सामान्य इक्विटी टियर-I (सीइटी -1) अनुपात का 5% के साथ 9% की न्यूनतम पूँजी को बनाए रखना है।

ख. बैंक अपनी पूँजी आवश्यकता का प्रबंधन अपने वर्तमान एवं प्रक्षेपित व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए सक्रियता से करता है। बैंक ने व्यापक आंतरिक पूँजी पर्याप्तता अनुपात आकलन प्रक्रिया को लागू किया है। बैंक की आईसीएएपी प्रक्रियाओं में जोखिम की पहचान एवं मापन, बैंक के जोखिम प्रोफाइल के अनुसार आंतरिक पूँजी के उचित स्तर तथा उचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली का विकास, गुणात्मक तथा मात्रात्मक रूप से वर्तमान जोखिम तथा भविष्य के किसी जोखिम को सँभालने हेतु पर्याप्त आंतरिक पूँजी की संरचना एवं वितरण को सुनिश्चित करना शामिल है। तनाव परीक्षणों को चरम तनाव परिस्थितियों में बैंक की पूँजी पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने तथा पूँजी आधार अनिश्चित घटनाओं के प्रतिकूल प्रभाव को सह सकती है यह सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक पूँजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया के भाग के रूप में प्रयोग किया जाता है। बैंक पूँजी के अधिकतम उपयोग के दर्शन में विश्वास करता है जिससे पूँजी पर प्रतिलाभ को बढ़ाया जा सके एवं लंबी अवधि में शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि हो सके । अगले पाँच साल के लिए पूंजी आवश्यकता बैंक की आईसीएएपी के अंतर्गत आती है।

बैंक ने आईसीएएपी नीति को भी लागू किया है। इस पालिसी के अंतर्गत विनियामक मानक, आईसीएएपी प्रक्रिया तथा विभिन्न कार्यकर्ताओं की भूमिका एवं जबावदेही समिति आती है।

आईसीएएपी नीति के उद्देश्य हैं :

- भारिबैं के दिशानिर्देशों, बेसल II तथा बेसल III के दिशानिर्देशों समग्र कार्पोरेट गवर्नेंस सिद्धांतों के आधार पर आंतरिक पूँजी का प्रबंधन सुनिश्चित करना ।
- बैंक व्यवसाय तथा परिचालन में निहित जोखिम की पहचान, आकलन तथा मापन एवं समेकन की प्रक्रिया को परिभाषित करना।
- सुनिश्चित करना कि उपलब्ध पूँजी बैंक के जोखिम प्रोफाइल के साथ मेल खाती है।
- सुनिश्चित करना कि आईसीएएपी की सुविधा हेतु भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है।

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group:

Not Applicable.

DF-2 Capital Adequacy

(i) Qualitative Disclosure

a. The Bank is subject to the capital adequacy guidelines stipulated by RBI. RBI has issued a Basel-III guidelines which have been implemented from 1st April, 2013 in a phased manner. The minimum capital required to be maintained by the Bank for the year ended 31st March, 2015 is 9% with minimum Tier-I ratio of 7% and Common Equity Tier-I (CET-1) Ratio of 5.5%.

b. The Bank actively manages its capital requirement by taking in to account the current and projected Business growth of the Bank. Bank has implemented comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). ICAAP comprises Bank's procedure to ensure identification and measurement of risks, appropriate level of Internal Capital in relation to Bank's risk profile and development of suitable risk management system, composition and distribution of internal capital which is considered adequate to cover current risk and any future risk in both quantitative and qualitative terms. Stress tests are used as a part of Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to evaluate the impact on the bank's capital under extreme stress scenario and to ensure that the capital base can withstand the adverse impact of uncertain events. The Bank is guided by the philosophy of optimal utilisation of the capital so as to increase the return on capital and increase shareholders value in the long run. ICAAP of the Bank covers capital requirement for next five years.

The Bank has also implemented an ICAAP policy. This Policy covers regulatory standards, ICAAP procedures as well as roles and responsibilities of various functionaries.

Objectives of the ICAAP Policy are:

- To ensure management of internal capital in accordance with the RBI Guidelines, Basel II and Basel III Guidelines and overall Corporate Governance Principles.
- To describe the process for identification, assessment, measurement and aggregation of the risks inherent in the Bank's business and operations.
- To ensure that the available capital is commensurate with the Bank's risk profile.
- To ensure that there is clear assignment of roles and responsibilities for facilitating the ICAAP.

बोर्ड की आंतरिक पूँजी पर्याप्तता आकलन समिति बैंक में आईसीएएपी के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेवार है।

आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) : निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए बैंक की प्रक्रियायें एवं उपाय आईसीएएपी में शामिल हैं–

- जोखिम पहचान एवं मापन प्रक्रियायें पर्याप्त हैं।
- आंतरिक पूँजी का स्तर एवं बैंक के जोखिम प्रोफाइल में मेल है ।
- जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का उचित ढ़ंग से विकास एवं प्रयुक्त किया गया है।

तात्विक जोखिम की पहचान: बैंक निम्नलिखित को तात्विक जोखिम के रूप में लेता है, ये इसके व्यवसाय के क्रम में दृष्टिगोचर होते हैं अतः वर्तमान पूंजी तथा भविष्य में पूँजी की आवश्यकताओं का आकलन करते समय कारक होते हैं :

स्तंभ I	स्तंभ II
• ऋण जोखिम • बाजार जोखिम • परिचालन जोखिम	• अवशिष्ट ऋण जोखिम • ऋण संकेंद्रीकरण जोखिम • चलनिधि जोखिम • बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम • निपटान जोखिम • प्रतिपक्ष ऋण जोखिम • प्रतिष्ठा जोखिम • नीतिपरक तथा व्यवसाय जोखिम • पेंशन बाध्यता जोखिम • ऋण परिपक्वता संकेंद्रीकरण • मुद्रा अभिप्रेरित ऋण जोखिम • संपार्श्विक संकेंद्रीकरण जोखिम • मानव संसाधन संकेंद्रीकरण • अवशिष्ट जोखिम

(ii) परिमाणात्मक प्रकटन

क) ऋण जोखिम हेतु आवश्यक पूंजी

राशि (₹) मिलियन में

विवरण (बेसल III)	31 मार्च 2015
मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभाग	113,939.8
प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र	शून्य
कुल	**113,939.8**

Internal Capital Adequacy Assessment Committee of the Board is responsible for implementation of ICAAP in the Bank.

Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP): The ICAAP comprises of a bank's procedures and measures designed to ensure the following:

- Risk identification and measurement processes are appropriate;
- Level of internal capital is commensurate with the bank's risk profile;
- Risk management systems are suitably developed and applied.

Identification of Material Risk: The Bank considers the following as material risks it is exposed to in the course of its business and therefore, factors these while assessment of existing capital and future capital requirement:

Pillar-I	Pillar-II
• Credit Risk • Market Risk • Operational Risk	• Residual Credit Risks • Credit Concentration Risk • Liquidity Risk • Interest Rate Risk in the Banking Book • Settlement Risk • Counterparty Credit Risk • Reputation Risk • Strategic Risk and Business Risk • Pension obligation Risk • Loan Maturity Concentration • Currency Induced Credit Risk • Collateral Concentration Risk • Concentration in Human Resource • Residual Risk

(ii) Quantitative Disclosures

a. Capital requirement for Credit Risk

Amounts in (₹)million

Particulars (Basel-III)	March 31, 2015
Portfolio subject to standardised approach	113,939.8
Securitisation exposures	Nil
Total	**113,939.8**

ख) बाजार जोखिम हेतु आवश्यक पूँजी

राशि (₹) मिलियन में

मानकीकृत अवधि पद्धति के अधीन संविभाग (बेसल III)	31 मार्च 2015
ब्याज दर जोखिम	3416.4
विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)	45.0
ईक्विटी जोखिम	780.0
कुल	**4241.4**

ग) परिचालनात्मक जोखिम हेतु पूंजी

राशि (₹) मिलियन में

विवरण (बेसल III)	मार्च 31, 2015
मूल संकेतक दृष्टिकोण	7296.7
कुल	**7296.7**

घ) सामान्य ईक्विटी टियर 1, टियर 1 तथा कुल पूँजी अनुपात

विवरण	बेसल III
सीइटी 1 पूँजी अनुपात	7.37%
टीयर 1 पूँजी अनुपात	8.08%
कुल पूँजी अनुपात	11.12%

(iii) जोखिम एक्सपोजर तथा आकलन

जोखिम प्रबंधन बैंक की संस्कृति और परिचालन का अभिन्न हिस्सा है। बैंक द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों के लिए आवश्यक है कि जोखिम की प्रभावी पहचान, मापन तथा निगरानी की जाय। जोखिम प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसमें बैंक अपनी गतिविधियों से संबंधित जोखिम को नियमबद्ध तरीके से देखभाल इस उद्देश्य से करता है कि प्रत्येक गतिविधि तथा सभी गतिविधियों के सभी पोर्टफोलियो में सतत लाभ प्राप्त हो।

b. Capital requirement for Market risk

Amounts in (₹) million

Portfolio subject to Standardised Duration Method (Basel-III)	March 31, 2015
Interest Rate Risk	3,416.4
Foreign Exchange Risk (including gold)	45.0
Equity Risk	780.0
Total	**4,241.4**

c. Capital requirement for Operational Risk

Amounts in (₹)million

Particulars (Basel-III)	March 31, 2015
Basic indicator approach	7,296.7
Total	**7,296.7**

d. Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital Ratio

Particulars	Basel-III
CET 1 capital ratio	7.37%
Tier I capital ratio	8.08%
Total capital ratio	11.12%

(iii) Risk exposure and assessment

The Risk Management is integral to the operations and culture of the Bank. The wide variety of business undertaken by the Bank requires it to identify, measure, control, monitor and report risks effectively. Risk management is the process whereby Bank methodically addresses the risk attached to its activities with the goal of achieving sustained benefit within each activity and across the portfolio of all activities.

जोखिम प्रबंधन बैंक की व्यवसाय इकाईयों से अलग परिचालित एक प्रक्रिया है । इसके मुख्य घटक निम्नवत हैं–

Managing risk is a process operated independent of the business units of the Bank. It consists of the following key components:

पहचान करना Identification	बैंक इसे प्रभावित करने वाले सभी तात्विक जोखिमों के पहचान का प्रयास करता है । पहचान करना सतत और प्रो–एक्टिव प्रक्रिया है। इसमें बैंक की सभी वर्तमान गतिविधियों तथा नए उत्पाद व पहल शामिल हैं । The Bank endeavours to identify all material risks that may affect it. Identification is a continuous and pro-active process. It covers all the current activities of the Bank as well as new products and initiatives.
नीतियां Policies	बैंक की व्यवसाय इकाइयों द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन ढ़ांचा को सुनिश्चित करवाने हेतु निदेशक मंडल ने बैंक में जोखिम प्रबंधन के समग्र परिदृश्य को शामिल करते हुए विस्तृत ऋण नीति, एएलएम नीति तथा अन्य जोखिम प्रबंधन नीतियों को अनुमोदित किया है। In order to ensure that the Bank's business units comply with the approved risk management framework, the Board of Directors has approved detailed Group Credit Policy, ALM Policy and other Risk Management Policies covering an integrated view of risk management at the Bank.
जोखिम का मापन एवं देखरेख Measuring and handling risk	बैंक जोखिम प्रबंधन के समर्थन हेतु आधुनिक आईटी प्लेटफार्म और प्रशिक्षित संसाधनों पर अच्छी खासी रकम खर्च करता है। बैंक माडलो की सतत निगरानी करता है तथा अधोस्थित पोर्टफोलियो और लेनदेनों की सही स्थिति प्रदर्शित हो यह सुनिश्चित करने के लिए जोखिम मापदंडों को प्रमाणीकृत करता है। The Bank spends considerable resources on maintaining a modern IT platform and trained resources to support risk management. The Bank continually monitors models and validates risk parameters to ensure that risk measurement gives a fair presentation of the underlying portfolios and transactions.
मानदंडों का प्रयोग Parameter applications	अपने दैनंदिन लेनदेनों को करते समय बैंक की जोखिम जरूरतों को पूरा करने के क्रम में बैंक ग्राहकों, उद्योगों तथा भौगोलिक स्थिति आदि से संबंधित जोखिम आधारित आंकड़ों का प्रयोग करता है। In order to best capitalize on the Bank's risk appetite, the Bank applies risk-based data about customers, industries, geographies, etc., in the day-to-day handling of customer transactions.
नियंत्रण Controls	बैंक ने सीमाओं तथा अनुमोदित नीतियों को लागू करने तथा निगरानी करने हेतु स्वतंत्र नियंत्रण वातावरण को स्थापित किया है। The Bank has established an independent control environment to monitor and enforce approved policies and limits.
रिपोर्टिंग Reporting	बैंक बैंक के शेयरधारकों को जोखिम कारकों की रिपोर्टिंग में पारदार्शिता के साथ संगठन के सभी स्तरों पर जोखिम की रिपोर्टिंग के लिए सुव्यवस्थित जोखिम रिपोर्टिंग को लागू करता है। The Bank applies systematic risk reporting at all levels of the organization with openness in the reporting of risk factors to the Bank's stakeholders.

बैंक ने विभिन्न वित्तीय एवं गैर–वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन के लिए उचित जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया अर्थात् ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, तथा परिचालन जोखिम का विकास किया है । जबकि बोर्ड सभी जोखिम प्रंबधन नीतियों और रणनीतियों का श्रोत हैं। इसे बोर्ड की जोखिम प्रबंधन उप समिति का सहयोग प्राप्त है, साथ ही आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को), कार्यपालकों की बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी), कार्यपालकों की ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), कार्यपालकों की परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) का सहयोग भी प्राप्त है। जोखिम प्रोफाइल की तिमाही समीक्षा तथा आवश्यक पूँजी एवं जोखिम प्रोफाइल की तुलना एवं सुधारात्मक उपचार हेतु संस्तुति करते हुए आईसीएएपी के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी बोर्ड की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन समिति (आईसीएएसी) पर है।

Bank has evolved suitable risk management process and architecture in order to manage various financial and non-financial risks, broadly divided into three categories viz., Credit risk, Market risk and Operational Risk. While the Board of Directors remain the fountain head of all risk management policies and strategies. It is supported by the Sub -Committee of the Board for Risk Management which, in turn, is supported by the Asset Liability Management Committee (ALCO)/ Market Risk Management Committee of Executives (MRMC), Credit Risk Management Committee of Executives (CRMC), Operational Risk Management Committee of Executives (ORMC). Internal Capital Adequacy Assessment Committee of the Board (ICAAC) is responsible for execution of the ICAAP, reviewing the risk profile quarterly and compares the required capital commensurate with the risk profile with actual capital and recommends suitable corrective measures to be adopted.

बैंक ने ऋण प्रस्तावों को संस्वीकृति प्रदान करने के लिए अंचल स्तरीय ऋण समिति (जेडएलसीसी), मंडल स्तरीय ऋण समिति (सीएलसीसी), प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण समिति (एचएलसीसी) तथा ऋण अनुमोदन समिति (सीएसी) का गठन किया है।

जोखिम प्रबंधन संरचना

ऋण जोखिम:

ऋण जोखिम ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित है जिसमें बैंक का उधारकर्ता या प्रतिपार्टी सहमत शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने में चूक जाता है। ऋण जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य ऋण जोखिम एक्सपोज़र को स्वीकार्य स्तर के भीतर बनाए रखते हुए बैंक के जोखिम-समायोजित प्रतिलाभ दर अधिकतम करना है।

बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं खुदरा ऋणों सहित ऋण पोर्टफोलियो को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। बैंक ने इन्हें तेजी से वृद्धि दिलाने वाले प्रतिस्पर्धी साधन के रूप में चिन्हित किया है। बैंक जोखिमों का निर्धारण लागू कानून तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय - समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार करता है। समग्र रूप से बैंक वित्तीय संस्थानों हेतु लागू व्यवसाय संबंधी अच्छी प्रथाओं का पालन करता है । बैंक खराब स्थिति अथवा उसके चक्र में फंसे हुए उद्योगों को ऋण उपलब्ध करते समय विशेष सावधानी लेता है।

बैंक की व्यापक ऋण नीति के मुख्य बिंदु निम्नवत हैं-

क) बैंक दीर्घावधि ग्राहक रिश्ता बनाने में विश्वास करता है ।

ख) ऋणों को ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार तथा विशेष आकलन जो ऐसे ऋणों के लिए गुणात्मक तथा परिमाणात्मक कसौटियों सहित संदर्भ उपलब्ध कराता हो उसके अनुसार दिया जाता है।

ग) बैंक उधारकर्ताओं के खातों के ऋण गुणवत्ता पर प्रभाव का आकलन करने के लिए ग्राहक की वित्तीय स्थिति की गतिविधियों की नियमित निगरानी करता है।

घ) एक्सपोजर ग्राहक की योग्यता, पूंजी स्थिति या धन के घटकों के अनुसार होना चाहिए तथा ग्राहक को अपनी चुकौती क्षमता को साबित किया जाना चाहिए।

बैंक अपने ऋण जोखिम का सक्रिय प्रबंधन करता है और ₹25 लाख से ऊपर की ऋण सुविधाओं को प्राप्त करने वाले उधारकर्ताओं हेतु श्रेणीकरण-सह-मूल्यांकन प्रणाली कार्यान्वित की है। उधारकर्ताओं को वित्तीय घटकों, परियोजना की व्यवहार्यता और प्रस्तुत संपार्श्विक प्रतिभूतियों आदि के आधार पर श्रेणीकृत किया जाता है। मूल्यांकनकर्ता अधिकारियों द्वारा दी गई रेटिंग की पुष्टि करने के पहले जोखिम प्रबंधकों द्वारा स्वतंत्र रूप से सत्यापित की जानी चाहिए। उधारकर्ताओं के लिए 8 रेटिंग ग्रेड हैं। बैंक ने मल्टि-टियर ऋण अनुमोदन प्रणाली को लागू किया है जिसमें संबंधित संस्वीकृतिदाता प्राधिकारियों के समक्ष ऋण प्रस्तावों को प्रस्तुत करने से पहले उसे अनुमोदन ग्रिड द्वारा पास किया जाता है। समूह ऋण नीति में बाधा दर को परिभाषित किया गया है अर्थात नए/टेकओवर प्रस्तावों के मामले में उधारकर्ता द्वारा प्राप्त की जाने वाली न्यूनतम रेटिंग। बैंक रेटिंग सिस्टम के ज़रिए धीरे धीरे डाटा

Bank has also formed Zonal Level Credit Committee (ZLCC), Circle Level Credit Committee (CLCC),Head Office Level Credit Committee (HLCC) and Credit Approval Committee (CAC) for according sanctions to credit proposals.

Risk Management Architecture

Credit Risk:

Credit Risk is defined as a potential risk that a bank borrower or counterparty will fail to meet its obligations in accordance with agreed terms. The goal of credit risk management is to maximize a bank's risk-adjusted rate of return by maintaining credit risk exposure within acceptable levels.

The Bank is focused on developing the credit portfolio consisting of priority sector loans and retail loans. Bank has identified these as the competitive edge that it will use to achieve rapid growth. The Bank assumes risks within the limits of applicable legislation and other rules prescribed by RBI from time to time. Overall, the Bank adheres to good business practices applicable for financial enterprises. The Bank is particularly cautious in its granting of credits to businesses in troubled or cyclical industries.

The key components of Bank's overall credit policy are as follows:

a. The Bank believes in establishing and extending long-term customer relationships.
b. Loans are granted based on the customer's need and based on specific assessments that provide a context for such credit including a combination of qualitative and quantitative criteria.
c. The Bank regularly monitors the developments in the customer's financial position in order to assess the impact on credit quality of borrowal accounts.
d. The exposure should match the customer's credit worthiness, capital position or wealth components, and the client should be able to substantiate his repayment capacity.

The Bank actively manages its credit risk and has implemented rating-cum-appraisal system for commercial credit facilities of above ₹25 lakhs. The borrowers are rated based on the financials, the Project Viability, Industry performance, Collaterals Offered etc. Ratings assigned by the appraising officers are independently verified by the Risk Managers, before confirming the same. There are 8 rating grades for the borrowers. The Bank has implemented a multi-tier credit approving system wherein an "Approval Grid" clears the loan proposals before being placed to the respective sanctioning authorities. The Group Credit Policy has defined the hurdle rate i.e., the minimum rating that the borrower should get in case of new/takeover proposals. The Bank has been steadily building data through the rating system which will help

तैयार कर रहा है जो बैंक को जोखिम प्रबंधन के उन्नत दृष्टिकोण को अपनाते समय मदद करेगा।

खुदरा ऋणों के प्रसंस्करण को तेज करने तथा मूल्यांकन में गुणवत्ता को बनाए रखने के क्रम में पूरे देश में खुदरा ऋणों के प्रसंस्करण हेतु रिटेल हब खोले गए हैं। रिटेल हब ने खुदरा ऋणों की प्रसंस्करण प्रक्रिया में तेजी लाने तथा ऋण जोखिम को ध्यान में रखते हुए खुदरा दायित्वकारों के मूल्यांकन नोट को प्रोसेस करने में बैंक को सक्षम बनाया है। एसएमई तथा कृषि ऋणों में केंद्रित दृष्टिकोण तथा तीव्र निपटान के लिए बैंक ने पूरे देश में अलग से एसएमई ऋण केंद्रों की स्थापना की है।

ऋण जोखिम प्रबंधन संगठन

ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) ऋण जोखिम के क्षेत्रों को देखती है तथा बोर्ड की ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को रिपोर्ट करती है। बोर्ड को आरएमसीबी को रिपोर्ट।

स्थापित नीतियाँ :

बैंक ने ऋण जोखिम प्रंबधन हेतु निम्नलिखित नीतियों को लागू किया है–

- समूह ऋण नीति
- ऋण जोखिम प्रबंधन नीति
- देश जोखिम प्रंबधन नीति
- संपार्श्विक जोखिम प्रबंधन नीति

समूह ऋण नीति ऋण जोखिम वाले परिचालन के सभी क्षेत्रों में ऋण निर्णयों के समय समूह ऋण नीति से दिशानिर्देश प्राप्त होता है। बैंक ने व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए विवेकपूर्ण सीमा, बेंचमार्क वित्तीय अनुपात, उधारकर्ता मानक, उद्योगों के लिए एक्सपोजर सीमा / सीलिंग, संवेदनशील क्षेत्र, रेटिंग वर्गीकरण आदि को निर्धारित किया है। विवेकपूर्ण सीमाओं की विधिक समीक्षा बोर्ड द्वारा की जाती है।

बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम बाज़ार मूल्यों में उतार-चढ़ाव के कारण तुलन-पत्र की मदों और तुलन पत्र में शामिल न होने वाली मदों की स्थितियों में हानि के जोखिम के रूप में परिभाषित है।

बाज़ार जोखिम प्रबंधन संस्थान

बैंक ने मुंबई में अपने निवेश प्रभाग में एक स्वतंत्र मिड-आफिस स्थापित किया है। यह मिड-आफिस एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रभाग के विस्तारित अंग के रूप में कार्य करता है और इसे निर्धारित विभिन्न जोखिम सीमाओं जैसे ट्रेडिंग सीमाएं, प्रतिपार्टी एक्सपोज़र सीमाएं आदि के अनुपालन की निगरानी का दायित्व सौंपा गया है। मिड-ऑफिस दैनिक आधार पर जोखिम-पर-मूल्य परिकलित करता है और एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रभाग को रिपोर्ट करता है। सीमाओं का कोई भी उल्लंघन तत्काल शीर्ष प्रबंधन के ध्यान में लाया जाता है और जहाँ अपेक्षित हो आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

the bank in migrating to the advanced approaches in Risk Management.

In order to quicken the processing of Retail Loans and maintain quality in appraisal, Retail Hubs for processing of retail loans has been set up across the country. The Retail hubs have enabled the bank for speeding up the processing of Retail Loans and to also process the appraisal note of retail obligators keeping in view Risk Perspective. For a focused approach and faster dispensation of SME credit and Agriculture loans, the Bank has opened exclusive SME Loan centers across the country.

Credit Risk Management Organisation

The Credit Risk Management Committee (CRMC) looks after the credit risk areas and in turn reports to the Risk Management Committee of Board (RMCB). The RMCB reports to the Board.

Policies in place:

Bank has put in place following policies for Credit Risk Management:

- Group Credit Policy
- Credit Risk Management Policy
- Country Risk Management Policy
- Collateral Management Policy

Group Credit Policy guides the Credit decisions in all areas of operation where Credit Risk is involved. Bank has set prudential limits to individual borrowers, non-corporate borrowers, entry level exposure norms, substantial exposure limits, benchmark financial ratios, borrower standards, exposure limits/ceilings to industries, sensitive sectors, rating category etc. The Board reviews the prudential limits periodically.

Market Risk

Market risk is defined as the risk of losses in on-balance sheet and off-balance sheet positions arising from movements in market prices.

Market Risk Management Organisation

The Bank has set up an independent Mid-office at its Treasury Branch, Mumbai. Mid-office acts as extended arm of Integrated Risk Management Division and is entrusted with the responsibility of monitoring the adherence of various risks limits set, such as, Trading limits, Counterparty exposure limits etc. The Mid-office calculates the Value At Risk on a daily basis and reports the same to the Integrated Risk Management Division. Any breach of limits is immediately brought to the attention of Top Management and necessary actions are taken wherever required.

बाज़ार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी) ऋण जोखिम क्षेत्रों की देखरेख करती है और निदेशक-मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को रिपोर्ट करती है। आरएमसीबी निदेशक मंडल को रिपोर्ट करती है।

स्थापित नीतियाँ

बैंक ने बाज़ार जोखिम प्रबंधन के लिए निम्नलिखित नीतियां लागू की है:

- निवेश नीति
- बाज़ार जोखिम नीति
- डेरिवेटिव नीति
- स्वर्ण ऋण नीति
- कीमती धातु नीति

परिचालन जोखिम

अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, कर्मचारियों व प्रणालियों या बाह्य घटनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली हानि के जोखिम को परिचालन जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा में कानूनी जोखिम शामिल है लेकिन रणनीतिपरक और प्रतिष्ठा जोखिम शामिल नहीं है।

परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) को परिचालन जोखिम प्रबंधन क्षेत्र का कार्य सौंपा गया है और यह बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को रिपोर्ट करती है। आरएमसीबी बोर्ड को रिपोर्ट करती है।

स्थापित नीतियाँ

परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक ने निम्नलिखित नीतियों को लागू किया है:

- परिचालन जोखिम नीति

पूँजी गणना हेतु दृष्टिकोण

भारतीय रिज़र्व बैंक के (भारिबैं) दिशानिर्देशों के क्रम में बेसल II/ बेसल III के उपबंधों के अनुसार नए पूंजी पर्याप्तता ढ़ांचा के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित दृष्टिकोणों को स्वीकार किया है-

- ऋण जाखिम के लिए मानक दृष्टिकोण
- बाज़ार ऋण के लिए मानक अवधि दृष्टिकोण
- परिचालन जोखिम हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण

बैंक ऋण, बाजार तथा परिचालन जोखिम के उन्नत दृष्टिकोण को अपनाने की प्रक्रिया में है।

सारणी डीएफ-3: ऋण जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटन

क) बैंक ने विगत देय तथा अनर्जक आस्तियों के लिए (लेखांकन उद्देश्यों हेतु) नियामक द्वारा आय निर्धारण तथा आस्ति वर्गीकरण मानदंडों हेतु यथा परिभाषित परिभाषा को अपनाया है।

बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित समूह ऋण नीति लागू की है। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिचालन स्तर पर उच्च

The Market Risk Management Committee (MRMC) looks after the Market Risk areas and in turn reports to the Risk Management Committee of Board (RMCB). The RMCB reports to the Board.

Policies in place

Bank has put in place following policies for Market Risk Management:

- Investment Policy
- Market Risk Policy
- Derivative Policy
- Gold Loan Policy
- Precious Metal Policy

Operational Risk

Operational risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. This definition includes legal risk, but excludes strategic and reputational risk.

The Operational Risk Management Committee (ORMC) is entrusted with Operational Risk Management areas and in turn reports to the Risk Management Committee of Board (RMCB). The RMCB reports to the Board.

Policies in place

Bank has put in place following policies for Operational Risk Management:

- Operational Risk Policy

Approaches for capital computation

In line with the Reserve Bank of India (RBI) Guidelines, the Bank has adopted following approaches for implementation of New Capital Adequacy Framework under Basel-II/Basel-III norms.

- Standardised Approach for Credit Risk.
- Standardised Duration Approach for Market Risk.
- Basic Indicator Approach for Operational Risk.

The Bank is in the process of migration to advanced approaches for credit, market and operational risk.

Table DF-3: Credit Risk: General Disclosures for all Banks

a. The Bank has adopted the definition of the past due and impaired assets (for accounting purposes), as defined by the regulator, for income recognition and asset classification norms.

The Bank has put in place Board approved Group Credit Policy. The objectives of the policy are to ensure that

प्रबंधन-तंत्र की रणनीतियाँ अपेक्षाओं के अनुकूल सार्थक परिणाम देती हैं। यह नीति बृहत ऋण एक्सपोज़र, ऋण संपार्श्विक प्रतिभूति हेतु मानक, पोर्टफोलियो प्रबंधन, जोखिम केन्द्रीकरण, जोखिम निगरानी तथा मूल्यांकन, प्रावधानीकरण तथा विनियामक/विधिक अनुपालन पर विवेकपूर्ण परिसीमाएं निर्धारित करती है। बैंक अपने संभावित जोखिमों की पहचान करता है तथा इन जोखिमों के मापन, निगरानी तथा नियंत्रण हेतु समुचित तकनीकें लागू करता है।

विभिन्न जोखिम प्रबंधन समितियाँ बोर्ड द्वारा अनुमोदित इन नीतियों तथा रणनीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करती हैं। ये ऋण जोखिमों की निगरानी करती है तथा जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करती हैं।

बैंक एकल तथा समूह उधारकर्ताओं हेतु निर्धारित एक्सपोज़र सीमाओं की तुलना में वास्तविक एक्सपोज़र का विश्लेषण करते हुए जोखिम संकेन्द्रीकरण की निगरानी करता है, ग्रेड-वार सीमाओं की रेटिंग करता है, उद्योगवार एक्सपोज़र सीमाओं की निगरानी करता है तथा अंचलों/राज्यों आदि में ऋण के भौगोलिक वितरण का विश्लेषण करता है।

ख) निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित कुल समग्र ऋण जोखिम एक्सपोज़र

विवरण	राशि (₹) मिलियन में
निधि आधारित (बही मूल्य)	
सकल अग्रिम	1,477,077.3
निवेश (आरआईडीएफ तथा ऋण जोखिम हेतु उत्तरदायी वेंचर कैपिटल निधि सहित)	101,754.2
अन्य आस्तियाँ *	45,404.7
गैर निधि आधारित	
बाजार से संबंधित$	34,023.2
गैर बाजार से संबंधित (बही मूल्य)	254,102.2
कुल ऋण जोखिम एक्सपोज़र	**1,912,361.6**

* भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रभारित जोखिम

$ व्युत्पन्नियों का ऋण समान मूल्य तथा संपार्श्विक उधार तथा उधार लेनदेनों हेतु दिए गए संपार्श्विक प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य

ग) ऋण जोखिम एक्सपोज़र का भौगोलिक वितरण (उधार तथा अग्रिम)

राशि (₹) मिलियन में

एक्सपोज़र वितरण	मार्च 31, 2015		
	निधि आधारित	गैर निधि आधारित	कुल
घरेलू	1,477,077.3	254,102.2	1,731,179.5
विदेशी	–	–	–

the operations are in line with the expectation of the Management / Regulator so that strategies of the top management are translated into meaningful and desired outcomes at operational level. The policy stipulates prudential limits on large credit exposure, standards for loan collateral, portfolio management, risk concentration, risk monitoring and evaluation, provisioning and regulatory / legal compliance. The Bank identifies the risks to which it is exposed and applies suitable techniques to measure, monitor and control these risks.

Various Risk Management Committees monitor implementation of these policies and strategies approved by the Board. They monitor credit risks and ensure compliance of risk limits.

The Bank monitors the risk concentration by analyzing the actual exposure vis-à-vis exposure limits fixed for single and group borrowers, rating gradewise limits, Industry-wise exposure limits and analyzing the geographical distribution of credit across the Zones / States etc.

b. Total Gross credit risk exposures, Fund Based and Non-fund based

Particulars	Amounts in (₹) million
Fund Based (Book Value)	
Gross Advances	1,477,077.3
Investments (including RIDF and venture capital funds liable for credit risk)	101,754.2
Other Assets*	45,404.7
Non-fund Based	
Market related$	34,023.2
Non-Market related (Book Value)	254,102.2
Total Credit risk exposures	**1,912,361.6**

* Risk weighted as per RBI guidelines

$Credit equivalent value of derivatives and market value of securities posted as collateral for collaterised lending and borrowing transactions

c. Geographical Distribution of Credit Risk Exposures (loans and advances)

Amounts in (₹) million

Exposure distribution	March 31, 2015		
	Fund Based	Non-fund Based	Total
Domestic	1,477,077.3	254,102.2	1,731,179.5
Overseas	–	–	–

घ) निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित उद्योगवार एक्सपोज़र

d. Industry type distribution of exposures, fund based and non-fund based

राशि (₹) मिलियन में Amounts in (₹) million

उद्योग कूट Industry Code	उद्योग Industry	निधि आधारित Fund Based	गैर निधि आधारित Non-Fund Based	कुल Total	कुल ऋण एक्सपोज़र का % %age of Gross Credit Exposure
1	क. माइनिंग तथा क्वेरिंग (ए.1 से ए.2 का योग) A. Mining and Quarrying (Sum of A.1to A.2)	1,701.1	106.5	1,807.5	–
11	ए.1 कोयला A.1 Coal	782.1	9.6	791.7	0.05%
12	ए.2 अन्य A.2 Others	919.0	96.9	1,015.8	0.06%
2	बी. फूड प्रसंस्करण (बी 1 से बी 5 का योग) B. Food Processing (Sum of B.1 to B.5)	43,413.2	9,814.4	53,227.6	–
21	बी.1 चीनी B.1 Sugar	8,099.6	73.8	8,173.4	0.47%
22	बी.2 खाद्य तेल तथा वनस्पति B.2 Edible Oils and Vanaspati	5,390.9	7,362.7	12,753.6	0.74%
23	बी.3 चाय B.3 Tea	299.2	2.7	301.9	0.02%
24	बी.4 कॉफी B.4 Coffee	772.0	165.4	937.4	0.05%
25	बी.5 अन्य B.5 Others	28,851.4	2,209.8	31,061.2	1.79%
3	सी. पेय पदार्थ (चाय तथा कॉफी को छोड़कर) एवं तंबाकू (सी.1 तथा सी.2 का योग) C. Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco (Sum of C.1 & C.2)	8,860.8	1,862.1	10,722.9	–
31	सी.1 तंबाकू तथा तंबाकू उत्पाद C.1 Tobacco and tobacco products	4,039.2	461.7	4,500.9	0.26%
32	सी.2 अन्य C.2 Others	4,821.6	1,400.4	6,222.0	0.36%
4	डी. टेक्सटाइल्स (डी1 से डी6 तक का योग) D. Textiles ((Sum of D.1 to D.6)	59,880.8	8,413.9	68,294.7	–
41	डी.1 कॉटन D.1 Cotton	35,749.9	2,401.3	38,151.2	2.20%
42	डी. 2 जूट D.2 Jute	25.8	10.3	36.1	0.00%
43	डी.3 हैंडिक्राफ्ट खादी (गैर प्राथमिकता प्राप्त) D.3 Handicraft/Khadi (Non-priority)	621.5	–	621.5	0.04%
44	डी.4 सिल्क D.4 Silk	590.0	0.3	590.2	0.03%
45	डी.5 ऊन D.5. Woolen	–	–	–	–
46	डी.6 अन्य D.6. Others	22,893.6	6,002.0	28,895.6	1.67%
47	डी के अंतर्गत कताई मिलों को (अर्थात कुल टेक्सटाइल्स) Out of D (i.e., Total Textiles) to Spinning Mills	1,492.0	–	1,492.0	0.09%
5	इ. चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद E. Leather and Leather products	3,650.8	482.7	4,133.5	0.24%

6	एफ. काष्ठ एवं काष्ठ उत्पाद F. Wood and Wood Products	9,781.5	6,116.1	15,897.7	0.92%
7	जी. कागज तथा कागज उत्पाद G. Paper and Paper Products	4,989.7	690.5	5,680.2	0.33%
8	एच. पेट्रोलियम(गैर ढांचागत), कोयला उत्पाद (गैर-माइनिंग) तथा न्यूक्लियर फ्युअल्स H. Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	9,812.2	1,017.9	10,830.0	0.63%
9	आई. रसायन तथा रसायनिक उत्पाद (डाई, पेंट्स, आदि) (आई.1 से आई. 4 तक योग) I. Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.) (Sum of I.1 to I.4)	42,693.2	7,923.6	50,616.8	–
91	आई.1 उर्वरक I. 1 Fertilisers	9,982.2	1,817.7	11,799.9	0.68%
92	आई.2 ड्रग्स तथा फारमास्यूटिकल्स I.2 Drugs and Pharmaceuticals	8,550.9	1,155.1	9,706.0	0.56%
93	आई.3 पेट्रो-केमिकल्स (इन्फ्रास्ट्रक्चर का अधीन को छोड़कर) I.3 Petro-chemicals (excluding under Infrastructure)	16,357.2	4,478.3	20,835.5	1.20%
94	आई.4 अन्य I.4 Others	7,803.0	472.5	8,275.5	0.48%
10	जे. रबर प्लास्टिक तथा उनके उत्पाद J. Rubber, Plastic and their Products	6,275.2	3,959.5	10,234.7	0.59%
11	के. ग्लास एवं ग्लासवेयर K. Glass & Glassware	476.7	68.5	545.1	0.03%
12	एल. सीमेंट तथा सीमेंट उत्पाद L. Cement and Cement Products	13,314.1	899.0	14,213.1	0.82%
13	एम.बेसिक मेटल तथा मेटल उत्पाद (एम.1 से एम.2 का योग) M. Basic Metal and Metal Products (Sum of M.1 to M.2)	58,635.1	9,793.2	68,428.3	–
131	एम. 1 लोहा एवं इस्पात M.1 Iron and Steel	45,285.3	8,489.7	53,775.0	3.11%
132	एम.2 अन्य मेटल तथा मेटल उत्पाद M.2 Other Metal and Metal Products	13,349.8	1,303.5	14,653.3	0.85%
14	एन. सभी इंजीनियरिंग (एन.1 से एन.2 का योग) N. All Engineering (Sum of N.1 to N. 2)	47,214.4	31,896.5	79,110.9	
141	एन.1 इलेक्ट्रानिक्स N.1 Electronics	19,996.9	1,911.1	21,908.0	1.27%
142	एन.2 अन्य N.2 Others	27,217.5	29,985.4	57,202.9	3.30%
15	ओ. वाहन, वाहन पार्ट्स तथा परिवहन सामान O. Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipment's	30,243.3	4,917.8	35,161.1	2.03%
16	पी. जेम्स तथा ज्वेलरी P. Gems and Jewellery	39,191.7	1,402.5	40,594.2	2.34%
17	क्यू. निर्माण Q. Construction	4,070.4	1,230.5	5,300.9	0.31%
18	आर. आधारभूत संरचना (आर1 से आर4 तक का योग) R. Infrastructure (Sum of R1 to R.4)	2,37,644.5	18,038.9	2,55,683.4	–
181	आर.1 परिवहन (आर1.1 से आर1.5 तक का योग) R.1 Transport ((Sum of R.1.1 to R.1.5)	46,561.5	1,711.4	48,272.9	2.79%

1811	आर1.1 रेलवे R.1.1 Railways	–	–	–	–
1812	आर1.2 रोडवेज R.1.2 Roadways	42,821.7	1,711.4	44,533.1	2.57%
1813	आर1.3 एयरपोर्ट R.1.3 Airport	2,574.1	–	2,574.1	0.15%
1814	आर1.4 वाटरवेज R.1.4 Waterways	–	–	–	–
1815	आर1.5 अन्य R.1.5 Others	1,165.7	–	1,165.7	0.07%
182	आर2. उर्जा (आर2.1 से आर 2.4 तक का योग) R.2 Energy (Sum of R.2.1 to R.2.4)	139,558.3	9,477.8	149,036.1	
1821	**आर2.1 बिजली (उत्पादन–पारेषण तथा वितरण) R.2.1 Electricity (generation-transportation and distribution)**	**139,558.3**	**9,477.8**	**149,036.1**	**8.61%**
18211	आर2.1.1 राज्य बिजली बोर्ड R.2.1.1 State Electricity Boards	63,833.0	122.7	63,955.7	3.69%
18212	आर2.1.2 अन्य R.2.1.2 Others	75,725.3	9,355.1	85,080.4	4.91%
1822	आर2.2 तेल (भंडारण तथा पाइपलाइन) R.2.2 Oil (storage and pipeline)	–	–	–	–
1823	आर2.3 गैस / एलएनजी (भंडारण तथा पाइपलाइन) R.2.3 Gas/LNG (storage and pipeline)	–	–	–	–
1824	आर2.4 अन्य R.2.4 Others	–	–	–	–
183	आर 3 टेलिकम्यूनिकेशन R.3 Telecommunication	32,547.1	6,138.5	38,685.6	2.23%
184	आर4 अन्य R.4 Others (Sum of R.4.1 to R.4.3)	18,977.6	711.2	19,688.8	1.14%
1841	आर4.1 वाटर सैनिटेशन R.4.1 Water Sanitation	670.9	196.2	867.1	0.05%
1842	आर4.2 सामाजिक तथा वाणिज्यिक आधारभूत संरचना R.4.2 Social & Commercial Infrastructure	18,306.6	515.0	18,821.6	1.09%
1843	आर4.3 अन्य R.4.3 Others	–	–	–	–
19	एस. अन्य उद्योग S. Other Industries	160,519.7	46,438.5	206,958.2	
20	सभी उद्योग (ए से एस तक का योग) All Industries (Sum of A to S)	782,368.1	155,072.5	937,440.6	
21	शेष अन्य अग्रिम (सकल अग्रिम से मिलान करने के लिए) (ए + बी + सी) Residuary Other Advances (to tally with gross advances) [a+b+c]	641,875.4	99,029.7	793,738.9	
211	क. शिक्षा ऋण a. Education Loan	13,597.2	–	13,597.2	
212	ख . एविएशन सेक्टर b. Aviation Sector	12,369.7	–	12,369.7	
213	ग. अन्य शेष अग्रिम c. Other Residurary Advances	668,742.3	99,029.7	767,772.0	
22	**सकल कुल उधार तथा अग्रिम (20 +21) Gross total Loans and Advances (20+21)**	**1,477,077.3**	**254,102.2**	**1,731,179.5**	

नोट :

- डीएसबी विवरणियों के अनुसार निर्धारित उपरोक्त उद्योगवार ब्यौरा इसी रूप में उपलब्ध कराया जाता है।
- कूट सं. 1821 में दिए अनुसार बिजली (उत्पादन–पारेषण तथा वितरण) उद्योग में एक्सपोज़र कुल ऋण एक्सपोज़र (निधि और गैर–निधि आधारित के 5% से अधिक है।

Note:

- The above industries wise break-up is provided on the same lines as prescribed for DSB returns.
- Exposure to Electricity (generation-transportation and distribution) industry, as mentioned in industry code 1821 above, is exceeding 5% of Gross Credit exposure (Fund and non-fund based).

ङ. आस्तियों का अवशिष्ट संविदा परिपक्वता विश्लेषण

e Residual Contractual Maturity breakdown of assets

राशि (₹) मिलियन में Amounts in (₹) million

परिपक्वता बकेट Maturity Buckets	भारिबैं के साथ नकदी तथा शेष Cash and Balance with RBI	बैंकों के पास शेष तथा कॉल और कम नोटिस पर धनराशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	निवेश Investments	अग्रिम Advances	स्थिर आस्तियाँ Fixed Assets	अन्य आस्तियाँ Other Assets	समग्र कुल Grand Total
अगले दिन Next Day	26,986.1	1,773.2	77,990.5	32,302.2	–	15,686.5	154,738.5
2-7 दिन/Days	4,027.9	1,001.6	25,375.3	25,623.7	–	9,790.8	65,819.3
8-14 दिन/ Days	1,780.5	–	9,402.3	37,374.4	–	10,216.2	58,773.5
15-28 दिन/ Days	3,326.5	–	4,203.0	27,682.0	–	–	35,211.5
29 दिनों से 3 माह 29 Days – 3 Months	5,218.5	–	48,292.6	117,579.7	–	5,153.1	176,243.9
> 3 माह-6 माह > 3 Months – 6 Months	7,730.5	–	44,631.5	104,185.3	–	4,304.9	160,852.2
6 माह से 1 वर्ष > 6 Months-1Yr	11,914.6	–	119,915.8	120,417.2	–	35,851.7	288,099.3
> 1 वर्ष - 3 वर्ष > 1Yr-3 Yrs	14,011.0	23,125.0	90,811.6	578,901.1	–	18,799.6	725,648.3
> 3 वर्ष -5 वर्ष > 3 Yrs- 5 Yrs	5,554.0	–	61,123.0	174,101.3	–	–	240,778.3
> 5 वर्ष >5 Yrs	20,939.8	–	152,566.1	232,493.3	5,263.9	0.1	411,263.2
कुल Total	**101,489.4**	**25,899.8**	**634,311.7**	**1,450,660.3**	**5,263.9**	**99,802.9**	**2,317,428.0**
जोड़ें: धारित प्रावधान तथा दावें Add: Provision and claims held			1,096.9	26,417.0	–	–	–
सकल निवेश / अग्रिम Gross Investments/Advances			**635,408.6**	**1,477,077.3**	–	–	–

नोट: भारिबैं को एएलएम विवरणी में की गई रिपोर्टिंग के अनुसार संविदागत परिपक्वता विश्लेषण

Note: Contractual maturity break down of assets as used for reporting positions in the ALM returns to RBI.

च. एनपीए की राशि (सकल)

f. Amount of NPAs (Gross)

सकल एनपीए का वर्गीकरण Classification of Gross NPAs	राशि (₹) मिलियन में Amounts in (₹) million
अवमानक Sub-standard	22,072.6
संदिग्ध-1 Doubtful – 1	30,999.7
संदिग्ध-2 Doubtful – 2	14,736.9
संदिग्ध-3 Doubtful – 3	868.2
हानि Loss	2,389.3
कुल एनपीए (सकल) Total NPA [Gross]	**71,066.7**

छ. निवल एनपीए

g. Net NPAs

राशि (₹) मिलियन में Amounts in (₹) million

सकल एनपीए Gross NPAs	71,066.7
घटायें : प्रावधान Less: Provisions	26,417.0
निवल एनपीए Net NPAs	**44,649.7**

ज. एनपीए अनुपात

h. NPA Ratios

राशि (₹) मिलियन में Amounts in (₹) million

सकल अग्रिम में सकल एनपीए Gross NPA to Gross Advances	4.81%
निवल अग्रिम में निवल एनपीए Net NPA to Net Advances	3.08%

झ. एनपीए में उतार-चढाव (सकल)

i. Movement of NPAs (Gross)

राशि (₹) मिलियन में Amounts in (₹) million

वर्ष के प्रारंभ में 1अप्रैल, 2014 को अथ शेष Opening balance at the beginning of the year 1st April, 2014	47,367.9
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the Year	37,388.8
वर्ष के दौरान कमी Reductions during the Year	13,690.0
31 मार्च, 2015 को इतिशेष Closing balance as on 31st March, 2015	**71,066.7**

ञ. एनपीए के प्रावधान में उतार-चढ़ाव

j. Movement of Provisions for NPAs

राशि (₹) मिलियन में Amounts in (₹) million

वर्ष के प्रारंभ में 1 अप्रैल, 2014 को अथशेष Opening balance at the beginning of the year 1st April, 2014	15,511.1
जोडें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान **Add:** Provisions made during the year	19,690.4
जोडें: डीआईसीजीसी दावा समझौता राशि **Add:** DICGC claim settled amount	345.5
घटायें : वर्ष के दौरान बट्टा खाता डाले गए **Less:** Written off during the current year	7,790.5
घटायें : वर्ष के दौरान वापस किया गया अतिरिक्त प्रावधान **Less:** Write back of excess provision made during the year	1,339.5
31 मार्च, 2015 को इतिशेष Closing balance as on 31st March, 2015	**26,417.0**

राशि (₹) मिलियन में Amounts in (₹) million

त. गैर-निष्पादक निवेश की राशि **k.** Amount of Non-Performing Investment	1,160.7
थ. गैर-निष्पादक निवेश हेतु रखे गए प्रावधान की राशि **l.** Amount of provisions held for non-performing investments	687.50
द. निवेशों में मूल्यह्रास/समापन हेतु प्रावधान में उतार-चढ़ाव **m.** Movement of Provisions for Depreciation/ Amortization on Investments	
• 01 अप्रैल, 2014 को अथशेष Opening balance as on1st April, 2014	4,054.50
• **जोड़ें** : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान **Add** : Provisions made during the year	2,204.56
• **घटायें** : अधिक प्रावधान को बट्टा खाता डालना / वापसी **Less** : Write-off/write-back of excess provision	4,948.70
• 31 मार्च, 2015 को इतिशेष Closing balance as on 31st March, 2015	**1,310.36**

उपरोक्त पर नोट :
Note on above:

राशि (₹) मिलियन में Amounts in (₹) million

गैर-निष्पादक निवेशों हेतु प्रावधान Provision for Non-Performing Investments	687.50
निवेशों में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान Provisions for Depreciation on Investments	1,310.36
कुल Total	**1,997.86**
घटायें : समापन **Less:** Amortization	900.97
निवेशों पर सकल प्रावधान Gross Provision on Investments	**1,096.89**

सारणी डीएफ–4 : ऋण जोखिम : मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत पोर्टफोलियो का प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन

क जोखिम भारिता के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित ऋण रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग का उपयोग बैंक कर रहा हैं–

1. क्रिसिल
2. केअर
3. इक्रा
4. फिच
5. ब्रिकवर्क्स रेटिंग एजेंसी
6. स्मेरा

एक्सपोज़र का प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी का उपयोग किया गया

बैंक ने सभी पात्र एक्सपोज़रों के लिए, तुलन पत्र में शामिल होने वाले और शामिल न होने वाले, दोनों, चाहे अल्पावधि हो या दीर्घावधि, उपर्युक्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग को नए पूँजी पर्याप्तता ढाँचे (एनसीएएफ) पर भा.रि.बैं. दिशानिर्देशों में अनुमत तरीके से उपयोग किया है। बैंक ने इन एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग के बीच कोई भेदभाव नहीं किया, न ही किसी विशिष्ट एक्सपोज़र के लिए उनके उपयोग पर कोई प्रतिबंध लगाया।

बैंक ऋण रेटिंग

बैंक ऋण पोर्टफोलियो हेतु मान्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई दीर्घावधि तथा लघुअवधि रेटिंग को बैंक द्वारा मान लिया जाता है। बैंक के पोर्टफोलियो में उन आस्तियाँ जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष या उससे कम है को चुनी गई क्रेडिट एजेंसियों द्वारा दी गयी लघु अवधि रेटिंग को संगत माना गया है। अन्य आस्तियाँ जिनकी संविदा परिपक्वता अवधि एक वर्ष से अधिक हैं उनको चुनी गयी क्रेडिट एजेंसियों द्वारा दी गयी दीर्घावधि रेटिंग को संगत माना गया है।

चुनी हुई घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई दीर्घावधि रेटिंग को एनसीएएफ के अंतर्गत मानक दृष्टिकोण के अनुसार जोखिम भारिता के साथ संबद्ध किया गया है। भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार घरेलू कार्पोरेट एक्सपोज़र के लिए जोखिम भारित से संबद्ध निम्नलिखित रेटिंग को अपनाया गया है।

Table DF-4: Credit Risk: Disclosure of portfolios subject to the Standardised Approach

Qualitative Disclosures

a. The Bank is using the ratings assigned by the following credit rating agencies, approved by the RBI, for risk weighting:

1. Crisil
2. Care
3. ICRA
4. Fitch
5. Brickworks
6. SMERA

Types of exposures for which each agency is used

The Bank has used the solicited ratings assigned by the above approved credit rating agencies for all eligible exposures, both on balance sheet and off balance sheet, whether short term or long term, in the manner permitted in the RBI guidelines on the New Capital Adequacy Framework (NCAF). The Bank has not made any discrimination among ratings assigned by these agencies nor has restricted their usage to any particular type of exposure.

Bank Loan Rating

All long term and short term ratings assigned by the accredited credit rating agencies for Bank loan portfolio are considered by the Bank. For assets in the Bank's portfolio that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings accorded by the chosen credit rating agencies are considered relevant. For other assets, which have a contractual maturity of more than one year, long term ratings accorded by the chosen credit rating agencies are considered relevant.

Long term ratings issued by the chosen domestic credit rating agencies are mapped to the appropriate risk weights applicable as per the Standardised approach under the NCAF. The rating to risk weight mapping furnished below was adopted for domestic corporate exposures, as per RBI guidelines:

दीर्घावधि रेटिंग Long Term Rating	एएए AAA	एए AA	ए A	बीबीबी BBB	बीबी एवं कम BB & Below	नहीं रेट की गई Unrated
जोखिम भारिता Risk Weight	20%	30%	50%	100%	150%	100%

एनसीएएफ में उपलब्ध किए गए के अनुसार लघु अवधि रेटिंग के संबंध में निम्नवत जोखिम भारित मैपिंग को बैंक द्वारा अपनाया जाता है:
In respect of the short term ratings the following risk weight mapping has been adopted by the Bank, as provided in the NCAF:

लघु अवधि रेटिंग Short Term Rating	ए A1+	ए A1	ए A2	ए A3	ए4 और डि A4&D	रेट नहीं की गई DUnrated
जोखिम भार Risk Weight	20%	30%	50%	100%	150%	100%

परिमाणात्मक प्रकटन

ख. मुख्य जोखिम बकेट में बैंक की बकाया एक्सपोज़र राशि (रेट तथा न रेट की गयी)

Quantitative Disclosure

b. Amount of bank's outstanding exposure (rated and unrated) in major risk buckets:

कुल ऋण एक्सपोजर Gross Credit Exposure	राशि (₹) मिलियन में Amounts in (₹) million
100% से कम जोखिम भारिता Below 100% risk weight	8666,610.1
100% जोखिम भारिता 100% risk weight	451,005.8
100% से अधिक जोखिम भारिता More than 100% risk weight	413,563.6
घटाया गया Deducted	शून्य Nil
कुल Total	**1,731,179.5**

सारणी डीएफ–5 ऋण जोखिम कम करना: मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन

क) बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित संपार्श्विक प्रबंधन नीति है। यह नीति बैंक को स्वीकार्य जोखिम प्रशामकों/संपार्श्विकों का स्वरूप, संपार्श्विक का प्रलेखीकरण और अभिरक्षा व्यवस्था, मूल्यांकन तरीका और आवधिकता आदि निर्धारित करती है। ऋण जोखिम के लिए पूँजी अपेक्षाओं के अभिकलन हेतु बैंक केवल उन संपार्श्विकों पर विचार करता है, जिन्हें भा.रि.बैं. दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम कम करने के लिए पात्र माना गया है। वे निम्नानुसार हैं:

- स्वर्ण
- किसान विकास पत्र/एनएससी
- नकदी एवं बैंक जमाएँ

बैंक पूँजी आंकलन हेतु व्यापक दृष्टिकोण का उपयोग करता है। उक्त व्यापक दृष्टिकोण में संपार्श्विक लेते समय, बैंक, उस संपार्श्विक के प्रभाव को घटाते हुए पूँजी पर्याप्तता प्रयोजनों हेतु प्रति पार्टी को समायोजित एक्सपोज़र को परिकलित करता है। पूँजी के परिकलन के उद्देश्य के लिए, बैंक, निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋण संरक्षण को मानता है, जो भा.रि.बैं. दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र हैं:

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) और केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा दी गई गारंटियाँ।

ऋण जोखिम का प्रशमन मुख्यतः बैंक में नकद जमा के रूप में किया जाता है और इस प्रकार उक्त प्रशामकों का जोखिम (ऋण और बाज़ार) संकेन्द्रीकरण काफी कम है।

Table DF-5: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches

Qualitative Disclosures

a. The Bank has a Board approved collateral management policy. The policy covers aspects on the nature of risk Mitigants/collaterals acceptable to the Bank, the documentation and custodial arrangement of the collateral, the valuation process and periodicity etc. For purposes of computation of capital requirement for Credit Risk, the Bank recognizes only those collaterals that are considered as eligible for risk mitigation in RBI guidelines, which are as follows:

- Gold
- KisanVikas Patra, National Saving Certificates
- Cash & Bank Deposits

The Bank uses the comprehensive approach in capital assessment. In the comprehensive approach, when taking collateral, the Bank calculates the adjusted exposure to counterparty by netting off the effects of that collateral for capital adequacy purposes. The credit protection given by the following entities, considered eligible as per RBI guidelines, are recognized for the purpose of capital computation.

Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC) and Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE), and Guarantees given by Central and State Government.

The credit risk mitigation taken is largely in the form of cash deposit with the Bank and thus the risk (credit and market) concentration of the Mitigants is low.

परिमाणात्मक प्रकटन

ख) वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति से सुरक्षित एक्सपोज़र

Quantitative Disclosures

b. Exposure covered by financial collateral

राशि (₹) मिलियन में Amounts in (₹) million

पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति Eligible Financial Collateral	कुल प्रयुक्त वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति Total Amount of Financial Collateral Used	हेयरकट के बाद वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति की कुल राशि Net amount of financial collateral after haircut
स्वर्ण आभूषण Gold	69,650.1	46,556.8
किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र KisanVikasPatra, National Saving Certificates	3,473.6	2,476.0
नकदी एवं बैंक जमाएँ Cash & Bank Deposits	86,012.4	56,598.9
कुल Total	**159,136.1**	**105,631.7**

ग) गारंटियों से सुरक्षित एक्सपोज़र

c. Exposure covered by guarantees

राशि (₹) मिलियन में Amounts in (₹) million

विवरण Particulars	कुल एक्सपोज़र Total Exposure	गारंटीकृत भाग Guaranteed Portion
सीजीएसटीएमई CGSTME	9,565.8	9,382.7
ईसीजीसी ECGC	42,646.4	9,993.0
सरकारी (राज्य तथा केंद्र) Government (State & Central)	60,642.3	60,642.3
कुल Total	**112,854.5**	**80,018.0**

सारणी डीएफ–6 प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन

उद्देश्य, नीति, निगरानी

बैंक ऋण समनुदेशन लेनदेनों को मुख्यतः प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में उधार आवश्यकताओं को पूरा करने तथा आस्ति से अर्जन के अवसरों को बढ़ाने के लिए करता है। बैंक में प्रतिभूतीकरण के अंतर्गत ऋणों का समनुदेशन का नियंत्रण समूह ऋण नीति के द्वारा होता है। नीति में प्रतिभूतीकरण/ऋण समनुदेशन की जरूरत, न्यूनतम धारिता अवधि, आवश्यक न्यूनतम प्रतिधारण, कुल प्रतिधारण एक्सपोज़र की सीमा, तत्काल लाभ प्राप्ति, सेवा प्रदाता/निवेशक/ट्रस्टी रिपोर्ट में प्रकटन, वार्षिक खाता के नोट में प्रवर्तक द्वारा किया जाने वाला प्रकटन ऋण प्रवर्तन मानक, तनाव जाँच, ऋण निगरानी आदि पर विचार व्यक्त किया गया है।

बैंक धारण/व्यापार/अर्जन वृद्धि की संभावनाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तीय आस्तियों से समर्थित तृतीय पक्ष द्वारा जारी पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी) भी आमंत्रित करता है।

Table DF-6 Securitization: Disclosure for Standardized approach

Qualitative Disclosures

Objectives, Policies, Monitoring

The Bank undertakes loan assignment transactions basically for meeting priority sector lending requirements and maximizing yield on asset opportunities. The loan assignment under securitisation in the Bank is governed by Group Credit Policy. The policy envisages about need of securitisation/loan assignment, minimum holding period, minimum retention requirement, limit on total retained exposure, booking of profit upfront, disclosures to be made in Servicer/Investor/Trustee Report, disclosures to be made by the originator in notes to annual accounts, loan origination standards, stress testing, credit monitoring etc.

The Bank also invests in Pass Through Certificates (PTCs) backed by financial assets originated by third parties for the purposes of holding/trading/maximizing yield opportunities requirements.

ऋण समनुदेशन के मामलों में, अंतर्निहित बाध्यताहारी द्वारा चूकों/कमियों से होने वाली हानि को समनुदेशिति को सहना पड़ता है। भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिभूतीकरण/ऋण समनुदेशन के आधार पर खरीदी गई पूल आस्तियाँ बैंक की बहियों में ऋण के रूप में दर्शाने हेतु पात्र हैं। बैंक ने सभी खरीदी गई पूल आस्तियों को अपने ऋण का हिस्सा माना है तथा ऋण जोखिम के लिए पूँजी की गणना करने के उद्देश्य से भारिबैं से अनुमोदित मान्य बाह्य रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदत्त उपलब्ध पूल रेटिंग के आधार पर रेटिंग को लागू किया है।

बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी

ऋण समनुदेशन लेनदेन हेतु निम्नलिखित रेटिंग एजेंसियों द्वारा की गई रेटिंग का प्रयोग किया जाता है:

- क्रेडिट रेटिंग इंफार्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लि. (क्रिसिल)
- आईसीआरए लिमिटेड (आइसीआरए)
- क्रेडिट अनालीसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (सीएआरइ)
- इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया रेटिंग)
- ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिकवर्क)
- एसएमइआरए

परिमाणात्मक प्रकटन : बैंकिंग बही

तुलन पत्र में खरीदे गए प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र की कुल राशि :

In case of Loan Assignment transactions, the assignee bears the loss arising from defaults/delinquencies by the underlying obligors. The pool assets purchased under securitization/ loan assignment basis is eligible for qualifying as advances in Bank's book as per RBI guidelines. Bank has considered all the purchased pool assets as part of its advances and has applied the rating, for the purpose of capital computation for credit risk, based on the available pool rating assigned by the accredited external rating agencies approved by RBI.

External credit rating agencies

Rating assigned by the following rating agencies is used for loan assignment transactions:

- Credit Rating Information Services of India Limited (CRISIL)
- ICRA Limited (ICRA)
- Credit Analysis and Research Limited (CARE)
- India Ratings and Research Private Limited (India Ratings)
- Brickwork Ratings India Private Limited (Brickwork)
- SMERA

Quantitative disclosures: Banking Book

Aggregate amount of on-balance sheet securitisation exposures purchased:

राशि (₹) मिलियन में Amounts in (₹) million

एक्सपोज़र प्रकार Exposure Type	मार्च 31, 2015 March 31, 2015
गृह ऋण (अग्रिम में वर्गीकृत) Housing Loans (classified under advances)	4,051.0
वाहन ऋण (अग्रिम में वर्गीकृत) Vehicle Loans (classified under advances)	720.8
कुल Total	**4,771.8**

खरीदे गए प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र की कुल राशि तथा संबद्ध पूँजी प्रभारों का एक्सपोज़रों में विभाजन तथा आगे प्रत्येक विनियामक पूँजी दृष्टिकोण के लिए विभिन्न जोखिम भार बैंड में विभाजन :

Aggregate amount of securitisation exposures purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach:

राशि (₹) मिलियन में Amounts in (₹) million

जोखिम भार बैंड Risk weight Band	एक्सपोज़र प्रकार Exposure type	31 मार्च, 2015 March 31, 2015	
		एक्सपोज़र Exposure	पूँजी प्रभार Capital Charge
100% से कम Less than 100%	गृह ऋण Housing Loans	4051.0	181.6
	वाहन ऋण Vehicle Loans	720.8	26.0
100% पर At 100%	गृह ऋण Housing Loans	–	–
	वाहन ऋण Vehicle Loans	–	–
100% से अधिक More than 100%	गृह ऋण Housing Loans	–	–
	वाहन ऋण Vehicle Loans	–	–
कुल Total		**4,771.8**	**207.6**

31मार्च, 2015 को पूंजी से घटाया गया प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र: शून्य

ट्रेडिंग बही में प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र

विशेष जोखिम हेतु प्रतिभूतीकरण ढ़ांचा के अधीन निवेशित (पीटीसी द्वारा) प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र की सकल राशि का विभिन्न जोखिम भार बैंड में विभाजन तथा पूंजी आवश्यकता :

Securitisation exposures deducted from capital as on March 31, 2015: NIL

Securitisation exposures in trading book

Aggregate amount of securitisation exposures invested (through PTCs), subject to the securitisation framework for specific risk broken down into different risk weight bands and capital requirement:

राशि मिलियन में Amounts in (₹) million

जोखिम भार बैंड Risk weights Band	बही मूल्य Book Value	पूँजी प्रभार Capital Charge
100% से कम Less than 100%	2.7	0.2
100% पर At 100%	–	–
100% से अधिक More than 100%	–	–
कुल Total	2.7	0.2

31मार्च, 2015 को पूंजी से घटाया गया प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र: शून्य

Securitisation exposures deducted from capital as on March 31, 2015: NIL

सारणी डीएफ–7 व्यापार बही में बाज़ार जोखिम

गुणात्मक जोखिम

क. बाज़ार जोखिम:

बाज़ार जोखिम बैंक की कमाई और पूंजी के लिए वह जोखिम है जो ब्याज दरों या प्रतिभूतियों के मूल्य, विदेशी मुद्रा, वस्तुओं तथा इक्विटी के बाजार स्तर में परिवर्तन तथा इन बदलावों की परिवर्तनशीलता के कारण उत्पन्न होती है.

बैंक की गतिविधियाँ जिनसे बाज़ार जोखिम उत्पन्न होता है निम्नलिखित है:

Table DF-7: Market Risk in Trading Book

Qualitative Disclosures

a. Market Risk :

Market Risk is the risk to the Bank's earnings and capital due to changes in the market level of interest rates or prices of securities, foreign exchange, commodities and equities, as well as the volatilities of those changes.

Activities undertaken by the Bank which give rise to market risks are as follows:

स्रोत/गतिविधि Source / Activity	देशी Domestic	विदेशी मुद्रा Forex	स्वर्ण Gold	व्युत्पन्नी Derivatives
ट्रेडिंग Trading	देशी ट्रेजरी परिचालन (बांड, इक्विटी, म्युचुअल फंड, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र इत्यादि Domestic Treasury Operations (comprising of Bonds, Equity, Mutual Funds, Commercial paper, Certificates of Deposit ,etc)	विदेशी मुद्रा ट्रेजरी परिचालन (स्पाट्स, फारवर्ड, एफएक्स स्वैप्स) Forex Treasury Operations (Spots, Forwards, and Fx Swaps)	स्वामित्व स्थिति Proprietary positions	स्वामित्व स्थिति Proprietary positions
गैर–ट्रेडिंग या बैंकिंग Non-Trading or Banking	निवेश पोर्टफोलियो (एचटीएम) Investment Portfolio (HTM)	कुछ नहीं None	कुछ नहीं None	बैंकिंग पुस्तक हेजिंग के लिए इस्तेमाल किया Used for hedging Banking Book

बाज़ार जोखिम प्रबंधन संगठन :

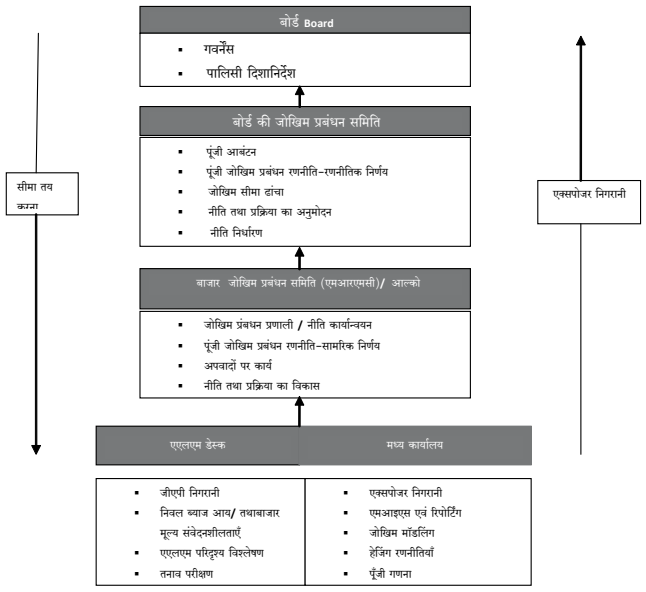

Market Risk Management Organisation:

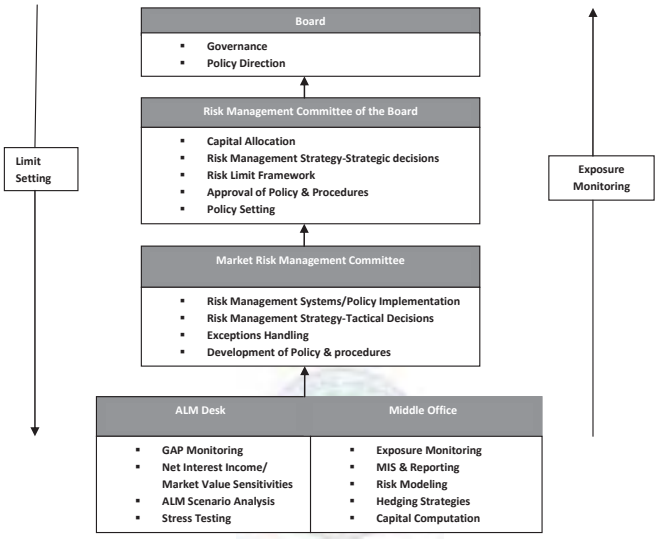

निवेश समिति : निवेश पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बैंक ने प्रधान कार्यालय में वरिष्ठ कार्यपालकों की समिति गठित किया है।

नीति तथा प्रक्रिया : बाजार ऋण के प्रबंधन के लिए बैंक ने विस्तृत नीति दिशानिर्देश बनाए हैं। नीति दस्तावेज का उद्देश्य ऐसी प्रक्रिया जिसे निदेशक मंडल अपने आदेश और जोखिम सहिष्णुता के अनुरूप समझता है, को परिभाषित करना है जिसमें बाजार जोखिम ढांचा के अंतर्गत बैंक द्वारा किए गए बाजार जोखिम की पहचान,मात्रा निर्धारण तथा प्रबंधन किया जा सके। नीति दस्तावेज यह मानता है कि बाजार जोखिम बैंक द्वारा किए गए जोखिमों की विस्तृत सूची में से एक है। नीति दस्तावेज का उद्देश्य है कि बैंक के परिचालन प्रबंधन के बाजार जोखिम पर प्रतिलाभ की आशा के अनुकूल हो।

पूँजी गणना : बाजार जोखिम के लिए पूँजी प्रभार की गणना के लिए भारिबैं के नियमानुसार बैंक ने अपने पूरे पोर्टफोलियो के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण को लागू किया है।

उन्नत दृष्टिकोण में जाने हेतु तैयारियाँ (आइएमए कैपिटल प्रभार): बैंक ने आंतरिक माडल दृष्टिकोण की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूँजी गणना हेतु अपने वर्तमान माडल को अद्यतन करने काम पूरा कर लिया है। आगे सुधार करने के लिए अद्यतित आइएमए माडल परीक्षण के आधार पर काम कर रहा है।

Investment Committee: For the purpose of focused approach on investments, Bank has constituted Investment Committee at Head Office comprising senior executives of the Bank.

Policy and Procedures: Bank has devised detailed policy guidelines for management of Market Risk. The purpose of the policy document is to define processes whereby the market risks carried out by the Bank can be identified, quantified and managed within a market risk framework that the Board of Directors considers as consistent with its mandate and risk tolerance. The policy document acknowledges that market risk is simply one of the wide arrays of risks carried out by the Bank. The objective of policy document is that the Bank's operations are in line with management's expectations of return to market risk.

Capital Computation: Bank has adopted the Standardized Duration Approach for its entire portfolio, as prescribed by RBI, for computation of capital charge for Market Risk.

Preparedness for moving over to advanced approaches (IMA Capital Charge): Bank has completed the up-gradation of its existing capital computation model to meet the requirement of Internal Model Approach. The upgraded IMA model is running on a test basis for further improvements.

परिमाणात्मक प्रकटन

ख. मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण के अंतर्गत बैंक ने बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार को निम्नवत बनाए रखा है:

Quantitative Disclosures

b. Bank maintains capital charge for Market Risk under the Standardised duration approach as under:

मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण **Standardised duration approach** **राशि (₹) मिलियन में Amounts in (₹) million**	
ब्याज दर जोखिम Interest Rate Risk	3,416.4
इक्विटी स्थिति जोखिम Equity Position Risk	780.0
विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) Foreign Exchange Risk (including Gold)	45.0
कुल Total	**4,241.4**

सारणी डीएफ–8 : परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटन

परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम वह जोखिम है जो आंतरिक प्रक्रिया, कर्मचारी तथा प्रणाली मे अपर्याप्तता या चूक से होने वाली हानि के कारण होता है। परिचालन जोखिम के प्रबंधन के ढ़ंग से बैंक के ग्राहकों, इसके वित्तीय निष्पादन तथा साख पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव होता है। बैंक ने अपने व्यवसाय और परिचालन से उत्पन्न परिचालन जोखिम को कम करने हेतु स्पष्ट भूमिका एवं जबाबदेही परिभाषित करते हुए बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिचालन जोखिम की संगठन संरचना को लागू किया है।

परिचालन जोखिम के प्रबंधन हेतु संगठन संरचना

बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिचालन जोखिम प्रबंधन ढ़ांचा की देखरेख वरिष्ठ प्रंबधन के व्यक्तियों की समिति अर्थात परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) करती है। ओआरएमसी का नेतृत्व सबसे वरिष्ठ कार्यपालक निदेशक करते हैं। जोखिम प्रबंधन, निरीक्षण एवं लेख परीक्षा प्रभाग, मानव संसाधन, सूचना तकनिकी, अनुपालन, ऋण तथा परिचालन एवं सेवाएँ प्रभाग के महा प्रबंधक ओआरएमसी के सदस्य होते हैं। एक स्वतंत्र समन्वित एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रभाग (आईआरएमडी) पूरे बैंक में ढ़ांचे के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति में कर्मचारियों, व्यापार इकाइयों,परिचालन एवं सहयोग कार्यों की भूमिका को निर्धारित किया गया है।

जोखिम प्रबंधन तथा निगरानी

जहाँ दैनंदिन परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए व्यवसाय की प्रकृति,परिचालन तथा सहयोग कार्य जिम्मेवार हैं वहीं बैंक के बोर्ड से अनुमोदित ढ़ांचे के अनुसार पूरे बैंक में परिचालन जोखिम की निगरानी के लिए उपकरणों और तकनीक का निर्माण करने के लिए आइआरएमडी जिम्मेदार है। आइआरएमडी यह भी सुनिश्चित करता है कि परिचालन जोखिम की पहचान की जाती है और परिचालन जोखिम को स्वीकार्य स्तर के अंदर रखने के लिए जोखिम को कम करने हेतु उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रबंधन के संबंधित स्तरों पर इसकी रिपोर्टिंग की जाती है।

Table DF-8: Operational Risk

Qualitative Disclosures

Operational Risk

Operational risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. The way operational risk is managed has the potential to positively or negatively impact a bank's customers, its financial performance and reputation. The Bank has put in place Board approved organization structure for Operational Risk Management with clearly defined roles and responsibilities to mitigate operational risk arising out of the Bank's business and operations.

Organizational Structure for Managing Operational Risk

A committee comprising of senior management personnel viz. Operational Risk Management Committee (ORMC) oversees the implementation of operational risk management framework approved by the Board. The ORMC is headed by the senior most Executive Director. General Managers of Risk Management, Inspection and Audit Division, Human Resource, Information Technology, Compliance, Credit and Operation & Services are members of ORMC. An independent Integrated Risk Management Division (IRMD) is responsible for implementation of the framework across the Bank. Board approved operational risk management policy stipulates the roles and responsibilities of employees, business units, operations and support functions in managing operational risk.

Risk Measurement and Monitoring

While the day-to-day operational risk management lies with business lines, operations and support functions, the IRMD is responsible for designing tools and techniques for identification and monitoring of operational risk across the Bank consistent with the framework approved by the Board. The IRMD also ensures that operational risk exposures are captured and reported to the relevant levels of the management for initiating suitable risk mitigations in order to contain operational risk exposures within acceptable levels.

बैंक परिचालन जोखिम को प्रभावी ढ़ंग से करने के लिए बैंक कई जोखिम प्रबंधन तकनीक का प्रयोग करता है :

- नए उत्पादों को नया उत्पाद समिति / प्रणाली तथा प्रक्रिया समिति तथा परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) के अनुमोदन के बाद शुरू किया जाता है।
- नीचे से उपर तक आकलन की एक प्रक्रिया,जोखिम एवं नियंत्रण आत्म-मूल्यांकन उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करती है जिससे बैंक समय पर उपचारात्मक उपाय कर सके। पूरे बैंक के स्तर पर यह आकलन वरिष्ठ प्रबंधन को जोखिम स्तर के बारे में जानकारी देने के लिए वर्ष में एक बार किया जाता है।
- आसन्न समस्याओं से बैंक को समय पर सचेत करने के लिए मुख्य जोखिम सूचक कार्यरत हैं। ये परिचालन जोखिम निगरानी में मदद करते हैं।
- तात्विक परिचालन जोखिम हानि विस्तृत जोखिम विश्लेषण के अधीन हैं।
- सत्याभासी वित्तीय प्रभाव का विश्लेषण करने के अलावा काल्पनिक गंभीर हानि की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने और जोखिम प्रबंधन कार्यों के लिए इस जानकारी का उपयोग करने के लिए बैंक वार्षिक परिदृश्य विश्लेषण आयोजित करता है।
- समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जोखिम मूल्यांकन और निगरानी पर आवधिक रिपोर्ट वरिष्ठ प्रबंधन को दी जानी चाहिए।

पूँजी आवश्कता

बैंक के परिचालन जोखिम पूँजी का आकलन करने के लिए बैंक ने उन्नत मापन दृष्टिकोण के अनुपालन में बैंक ने परिचालन जोखिम मापन प्रणाली का निर्माण किया है।

वर्तमान में बैंक परिचालन जोखिम पूंजी की गणना करने के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण को अपनाता है। परिचालन जोखिम का आकलन करने के लिए उन्नत मापन दृष्टिकोण को अपनाने हेतु बैंक ने विनियामक के पास आवेदन दिया है। बैंक को मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत समानांतर रूप से चलाने की पर्यवेक्षी मंजूरी मिल गई है।

सारणी डीएफ-9 बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटन

क) बैंक के एएलएम जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में बैंक की बही में (आईआरआरबीबी) चलनिधि जोखिम तथा ब्याज जोखिम प्रबंधन शामिल है। चलनिधि जोखिम मुख्यतः बैंक की आस्तियों तथा देयताओं में असंतुलन के कारण पैदा होता है। चलनिधि जोखिम में निधि स्रोतों में अनियोजित परिवर्तन के प्रबंधन में अक्षमता, जरूरत पर बाध्यताओं को पूरा न कर पाना तथा आस्तियों में निधि वृद्धि शामिल हैं। बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) से तात्पर्य है, ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण कमाई में कमी या आस्तियों/देयताओं के आर्थिक मूल्य में कमी। बैंक के पास आस्तियों और देयताओं का बड़ा पोर्टफोलियो है जो बाजार के लिए चिन्हित नहीं है और बैंक की बही में ऐतिहासिक मूल्य पर धारित है। अतः यदि आस्तियों को परिपक्वता तक

The Bank applies a number of risk management techniques to effectively manage operational risks:

- New products are rolled out after approval from the New Product Committee / Systems and Procedure Committee and Operational Risk Management Committee (ORMC).
- A bottom up risk assessment process, Risk and Control Self-Assessment identifies high risk areas so that the Bank can initiate timely remedial measures. This assessment is conducted at yearly rests to update senior management, of the risk levels across the Bank.
- Key Risk Indicators are employed to alert the Bank on impending problems in a timely manner. These allow monitoring of the operational risk exposures.
- Material operational risk losses are subjected to detailed risk analysis.
- Bank conducts annual scenario analysis to derive information on hypothetical severe loss situations and use the information for risk management actions, apart from analyzing the plausible financial impact.
- Periodic reporting on risk assessment and monitoring is made to the senior management to ensure that timely actions are initiated.

Capital Requirement

The Bank has devised an operational risk measurement system compliant with Advanced Measurement Approach for estimating operational risk capital of the Bank.

Currently the Bank follows the Basic Indicator Approach for computing operational risk capital. Bank has applied to the regulator to move over to Advanced Measurement Approach for estimating operational risk capital. Bank has got supervisory approval for parallel run under The Standardized Approach.

Table DF-9: Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

Qualitative Disclosures

a. Bank's ALM risk management process consists of management of Liquidity Risk and Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB). Liquidity risk primarily arises due to the maturity mismatches associated with assets and liabilities of the Bank. Liquidity risk involves the inability of the Bank to manage unplanned changes in funding sources, meet obligation when required and fund increase in assets. Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) refers to the risk of loss in earnings or economic value of the assets/liabilities in Banking Book because of movement in interest rates. The Bank has significant portion of its assets and liabilities portfolio not marked to market and is held in the books of the Bank at historical values. Thus, the changes in the economic value of such

नहीं रखा गया तो ऐसी आस्तियों और देयताओं के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन जोखिम का महत्वपूर्ण स्रोत बन सकते हैं। चलनिधि जोखिम और आईआरआरबीबी को सहनशील सीमा के अंतर्गत बनाए रखना बैंक का उद्देश्य है।

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम का विश्लेषण

- **पुनः मूल्य निर्धारण जोखिम**: ब्याज दरों के समग्र स्तर में बदलाव के कारण कमाई या आर्थिक मूल्य में कमी को दर्शाता है। यह जोखिम बैंकिग बही के मदों के मूल्य निर्धारण तिथियों में बेमेल के कारण उत्पन्न होती हैं।
- **पुनः मूल्य निर्धारण गैप दृष्टिकोण** : इस दृष्टिकोण के अंतर्गत दर संवेदनशील आस्तियों और देयताओं के पुनर्मूल्यांकन समय के अनुसार विभिन्न समयांतराल या बकेट में बांटा जाता है। बैंक का गैप संवेदनशील आस्तियों तथा देयताओं के अंतर के बराबर होता है जिसे आगे बैंक के ब्याज दर जोखिम की पहचान के लिए तथा इसके प्रबंधन के लिए रणनिति बनाने में प्रयोग किया जाता है। इस विश्लेषण के अंतर्गत जिन मानदंडों को ग्रहण और विश्लेषित किया जाता है वे निवल ब्याज आय (एनआईआई) तथा निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) हैं।
- **आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण** : यह दृष्टिकोण अलग-अलग ब्याज दर परिदृश्यों के प्रत्युत्तर में इक्विटी के आर्थिक मूल्य के गतिशील व्यवहार का विश्लेषण करती है। मोटे तौर पर, ब्याज दर के बदलाव के प्रत्युत्तर में इवीइ को आस्तियों के आर्थिक मूल्य तथा देयताओं के आर्थिक मूल्य के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। दोनों के बीच संबंध दर के प्रति संवेदनशील आस्तियों और देयताओं की संशोधित अवधि के द्वारा स्थापित होता है।

नीति और प्रक्रिया अवलोकन:

ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए नीति कार्यरत है। नीति और प्रक्रिया का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :

- **ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के सिद्धांत** : बैंक की नीति ब्याज दर जोखिम के सिद्धांत तथा उद्देश्य को परिभाषित करती है। बैंक ब्याज दर जोखिम के अंतर या बेमेल, आधार, निहित विकल्प, अर्जन वक्र, मूल्य, पुनर्निवेश, तथा निवल ब्याज जोखिम स्थिति के एक्सपोजर सहित सभी तात्विक स्रोतों को संबोधित करने का इरादा रखता है। ब्याज दर जोखिम के प्रभाव को कम करने के लिए बैंक को बाजार में उपलब्ध कई नए हेजिंग लिखतों जैसे वायदा दर करार, ब्याज दर स्वैप, विकल्प, वायदा आदि का सहारा लेना चाहिए।
- **भूमिका तथा जिम्मेदारी** : आस्ति देयता समिति (अलको) बैंक की ब्याज दर जोखिम प्रबंधन रणनीति के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार है। दैनंदिन जोखिम मापन, निगरानी तथा मूल्यांकन की जिम्मेदारी एएलएम डेस्क तथा मध्य कार्यालय की है।
- **ब्याज दर जोखिम का मापन** : बैंक ब्याज दर जोखिम का मापन एवं प्रबंधन बैंकिंग बही में सभी पूर्वनिर्धारित समय बकेट के दर संवेदनशील गैप विवरणों की सतत निगरानी के द्वारा करता है। बैंक ने निवल ब्याज

assets and liabilities can be a significant source of risk if the assets are not held until maturity. The Bank's objective is to maintain liquidity risk and IRRBB within tolerable limits.

Analysis of Interest Rate Risk in Banking Book

- **Re-pricing risk**: refers to the risk of loss in the earnings or economic value due to the changes in the overall level of interest rates. This risk arises due to mismatches in the reprising dates of the banking book items.
- **Re-pricing Gap Approach:** Under this approach, the rate sensitive assets and liabilities are grouped into various time intervals or buckets according to the repricing time. The Bank's gap then equals to the difference between rate sensitive assets and rate sensitive liabilities, which is further used to identify the Bank's interest rate risk and to develop strategy to manage the same. The parameter that are observed and analyzed under this analysis is the Net Interest Income (NII) and Net Interest Margin (NIM).
- **Economic Value Approach:** This approach analyzes the dynamic behavior of economic value of equity with response to varying interest rate scenarios. Broadly, the EVE is defined as the difference between the economic value of assets and economic value of liability in response to a change in the interest rate. The linkage between the two is established via modified duration of rate sensitive assets and liabilities.

Policy and Procedure Overview

The policy for Interest Rate Risk Management is in place. The broad overview of policy and procedure is given below:

- **Principles of interest rate risk management:** The policy of the Bank defines the principles and objectives of the interest rate risk management. The Bank intends to address all material sources of interest rate risk including gap or mismatch, basis, embedded option, yield curve, price, reinvestment and net risk interest position exposures. To mitigate the impact of Interest Rate Risk, Bank shall go in for several new hedging instruments available in the market such as Forward rate agreements, Interest Rate Swaps, Options, Futures etc.
- **Roles and Responsibilities:** Asset liability committee (ALCO) is responsible for the implementation of interest rate risk management strategy of the Bank. The day-to-day responsibility of risk measurement, monitoring, and evaluation rests with the ALM Desk and the Middle Office.
- **Measurement of interest rate risk:** The Bank measures and manages interest rate risk in the banking book by continuously monitoring the rate sensitive gap statements

आय तथा इक्विटी दृष्टिकोण के आर्थिक मूल्य के माध्यम से ब्याज दर जोखिम का अध्ययन करने का दृष्टिकोण परिभाषित किया है।

- **ब्याज दर जोखिम सीमा:** बैंक प्रत्येक बकेट में ब्याज दर के अंतर की सीमा के साथ-साथ सभी बकेट की संचयी ब्याज दर के अंतर का उपयोग करता है।

संरचना और संगठन

बैंक की एएलएम जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया निम्नलिखित अनुक्रम तरिके से कार्य करती है:

निदेशक मंडल

चलनिधि तथा ब्याज दर जोखिम की पूरी जिम्मेदारी निदेशक मंडल की है। चलनिधि और ब्याज दर जोखिम सहित जोखिम सहनशीलता सीमा का निर्धारण तथा तनाव परीक्षण परिणामों की समीक्षा के लिए रणनीति, नीति और प्रक्रिया का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाता है।

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)

आरएमसीबी नियामकीय जरूरतों अनुपालन एवं चलनिधि तथा ब्याज दर जोखिम सहित बैंकिंग गतिविधियों में अंतर्निहित सभी जोखिमों की पहचान, मापन, निगरानी तथा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। आरएमसीबी का सहयोग आस्ति देयता प्रबंधन समिति (अल्को) करती है। अल्को का सहयोग अल्को डेस्क द्वारा किया जाता है।

आस्ति देयता समिति (अल्को)

अल्को एक जोखिम-प्रबंधन इकाई है जो बैंक के जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों तथा जोखिम सहनशीलता के क्रम में चलनिधि तथा ब्याज दर जोखिम के कार्यन्वयन तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित जोखिम सहनशीलता/सीमाओं का पालन सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेदार है। चलनिधि तथा ब्याज दर जोखिम के रणनीतिक प्रबंधन सहित जोखिम-प्रतिलाभ के परिप्रेक्ष्य में तुलन पत्र के निर्माण के लिए भी अल्को जिम्मेदार है। अल्को की भूमिका निम्नलिखित है:

- जमाराशियों और अग्रिमों के लिए उत्पाद मूल्य निर्धारण
- वृद्धिशील आस्तियों एवं देयताओं का वाँछित परिपक्वता प्रोफाइल और मिश्रण का निर्णय करना
- बैंक के ब्याज दर दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करना और भावी कारोबार रणनिति का निर्णय करना
- निधीयन नीति की समीक्षा और अभिव्यक्ति
- निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना
- चलनिधि और ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए संरचना, जिम्मेदारियाँ और नियंत्रण निर्धारित करना
- जोखिम प्रबंधन कार्य की परिचालनात्मक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना
- दबाव परीक्षण परिणामों की समीक्षा करना
- बैंक की मूल्य अंतरण नीति के संबंध में निर्णय लेना

across pre-defined time buckets. The Bank has defined the approach to study interest rate risk via Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity approach.

- **Interest Rate Risk Limit:** Bank uses interest rate gap limits in each time bucket as well as cumulative interest rate gap limits across the time buckets.

Structure and Organization

The ALM risk management process of the Bank operates in the following hierarchical manner:

Board of Directors

The Board has the overall responsibility for management of liquidity and interest rate risks. The Board decides the strategy, policies and procedures of the Bank to manage liquidity and interest rate risk including setting of risk tolerance limits and reviewing of stress test results.

Risk Management Committee of the Board (RMCB)

RMCB is responsible for ensuring compliance with regulatory requirements and also for identification, measurement, monitoring and management of all risk inherent in the banking activities including liquidity and interest rate risks. RMCB is supported by Assets Liability Management Committee (ALCO). ALCO are in turn supported by ALCO desk.

Asset Liability Committee (ALCO)

ALCO is a decision-making unit responsible for ensuring adherence to the risk tolerance/limits set by the Board as well as implementing the liquidity and interest rate risk management strategy of the Bank in line with the Bank's risk management objectives and risk tolerance. The ALCO is also responsible for balance sheet planning from risk-return perspective including strategic management of liquidity and interest rate risks. The role of the ALCO includes the following:

- Product pricing for deposits and advances
- Deciding the desired maturity profile and mix of incremental assets and liabilities
- Articulating interest rate view of the Bank and deciding on the future business strategy
- Reviewing and articulating funding strategy
- Ensuring adherence to the limits set by the Board of Directors
- Determining the structure, responsibilities and controls for managing liquidity and interest rate risk
- Ensuring operational independence of risk management function
- Reviewing stress test results
- Deciding on the transfer pricing policy of the Bank

जोखिम प्रबंधन प्रणाली और सूचना

प्रवाह दृष्टिकोण और स्टॉक दृष्टिकोण का उपयोग कर चलनिधि जोखिम को मापा जाता है। **प्रवाह दृष्टिकोण** के अंतर्गत बैंक चलनिधि का प्रबंधन और निगरानी निम्नलिखित आधार पर करता है:

- **संरचनात्मक चलनिधि विवरण को बनाना और विश्लेषण :** बैंक भा.रि.बैं. द्वारा वर्णित समय बकेट के अनुसार परिपक्वता अंतर के विश्लेषण के लिए संरचनात्मक चलनिधि विवरण (एसएलएस) को प्रतिदिन के आधार पर तैयार करता है। उच्च प्रबंधन को एसएलएस की सूचना प्रतिदिन दी जाती है। बैंक एसएलएस को प्रत्येक शुक्रवार, पहले और तीसरे बुधवार और पंद्रह को और प्रत्येक महीने के अंतिम दिन तैयार करता है और अल्को को सूचित करता है। आरएमसीबी को भी पाक्षिक आधार पर एसएलएस की सूचना दी जाती है।
- **विभिन्न चलनिधि मानदंडों के लिए स्थिर अनुपात विश्लेषण :** बैंक तिमाही आधार पर स्टाक और प्रवाह दृष्टिकोण के अनुसार अनेक स्थिर अनुपातों को तैयार और विश्लेषित करता है और अल्को और आईसीएएसी को सूचित करता है।
- **90 दिनों तक की स्थिति के संबंध में गतिशील चलनिधि विश्लेषण:** बैंक पाक्षिक आधार पर गतिशील चलनिधि विवरण (डीएलएस) को भी तैयार और विश्लेषित करता है। डीएलएस मासिक आधार पर अल्को को सूचित की जाती है।
- **वापसी परीक्षण:** बैंक तिमाही आधार पर 90 दिनों के लिए वापसी परीक्षण को आयोजित करता है और आलको और आरएमसीबी को सूचित किया जाता है और पाक्षिक आधार पर भी अल्प समय (14 दिन) के लिए डीएलएस का वापसी परीक्षण आयोजित किया जाता है और उच्च प्रबंधन को सूचित किया जाता है।
- **ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण:** आईआरएस विवरण आलको, आरएमसीबी और भा.रि.बै. को मासिक आधार पर सूचित की जाती है।
- **अवधि विश्लेषण:** अवधि और संशोधित अवधि को विवरण की सूचना मासिक आधार पर आलको और भा.रि.बैं. को सूचित की जाती है।
- **जोखिम पर आय:** ईएआर विवरण मासिक आधार पर अल्को और आरएमसीबी को सूचित की जाती है।
- आईआरएमडी और खजाना प्रभाग द्वारा संपूर्ण चलनिधि की निगरानी की जाती है। बैंक द्वारा पूर्वनिर्धारित अवधि बकेट के आधार पर अल्को नियमित आधार पर चलनिधि स्थिति की निगरानी करता है।
- आकस्मिक निधियन योजना के अनुसार बैंक ने दूसरे बैंकों के साथ मिलकर ऋण व्यवस्था की तैयारी की है।

स्टाक दृष्टिकोण में चलनिधि जोखिम से संबंधित महत्वपूर्ण अनुपातों का मापन शामिल है। संकट की स्थिति में निधियन जरूरत कैसे प्रभावित होती है, जोखिम विश्लेषण में शामिल है। विनियामक के निर्देशों के अनुसार बैंक ने चलनिधि दबाव के ढांचा को मंजूरी दी है। बैंक के पास दिन के अंदर स्थिति की निगरानी के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन का ढांचा मौजूद है।

आईआरआरबीबी आय परिप्रेक्ष्य (परंपरागत अंतराल विश्लेषण) और आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य (आवधिक अंतराल विश्लेषण) दोनों का उपयोग कर मापा और नियंत्रित किया जाता है। अगले 12 महीने के लिए कुल ब्याज आय की दरों में परिवर्तन की संवेदनशीलता को आय परिप्रेक्ष्य में मापा जाता है। इसमें दर संवेदनशील आस्तियों, देयताओं तथा अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार तुलनपत्र से बाहर की मदें/विभिन्न समय समूहों में पुनर्मूल्यन की तिथि एवं एक साल

Risk Measurement Systems and Reporting

Liquidity Risk is measured using flow approach and stock approach. **Under flow approach** the Bank manages and monitors the liquidity on the following basis:

- **Preparation and analysis of Structural Liquidity Statement:** Bank prepares Structural Liquidity Statement (SLS) on a daily basis for analysis of maturity gap according to RBI defined time buckets. Daily SLS is being reported to top management. Bank also prepares SLS on each Friday, first and third Wednesday and 15th and last day of every month and reports to ALCO. SLS on a Fortnightly basis is being reported to RMCB also.
- **Static Ratio Analysis for various liquidity parameters:** Bank prepares and analyses various Static Ratios according to stock and flow approaches and reports to ALCO and ICAAC on a quarterly basis.
- **Dynamic Liquidity Analysis for likely position until 90 days:** Bank is also preparing and analyzing Dynamic Liquidity Statement (DLS) on a fortnightly basis. DLS is reported to ALCO on a monthly basis.
- **Back testing:** Bank is also conducting back testing for 90 days on a quarterly basis and reports to ALCO and RMCB and also short term back testing (14 days) of DLS conducted on a fortnightly basis and reports to top management.
- **Interest Rate Sensitivity Statement:** IRS statement is reported to ALCO, RMCB and RBI on a monthly Basis.
- **Duration Analysis:** Statement of duration and modified duration is reported to ALCO and RBI on a monthly basis.
- **Earning at Risk:** Statement of EAR is reported to ALCO and RMCB on a monthly basis.
- **The** overall liquidity is monitored by the IRMD and Treasury Division. ALCO monitors the liquidity position on regular basis as per the tenor buckets predefined by the Bank.
- As part of Contingency Funding Plan, Bank has made some line of credit arrangements with other Banks.

Stock approach involves measurement of critical ratios in respect of liquidity risk. Analysis of liquidity risk also involves examining how funding requirements are likely to be affected under crisis scenarios. The Bank has a Board approved liquidity stress framework guided by the regulatory instructions. The Bank has an extensive intraday liquidity risk management framework for monitoring intraday positions during the day.

IRRBB is measured and controlled using both Earnings Perspective (Traditional Gap Analysis) and Economic Value Perspective (Duration Gap Analysis). Earnings Perspective measures the sensitivity of net interest income to changes in interest rate over the next 12 months. It involves bucketing of rate sensitive assets, liabilities and off-balance sheet items as per residual maturity/re-pricing date in various time bands and computing change of income under 200 basis points upward and downward rate shocks over a one year horizon. Economic

की अवधि में 200 आधार अंकों के उतार-चढ़ाव आधार दर के अंतर्गत आय में परिवर्तन की गणना की बकेटिंग शामिल है। 200 आधार अंकों के उतार-चढ़ाव आधार दर हेतु बैंक की अपेक्षित नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य में बदलाव की गणना आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य में की जाती है। बैंक अपनी बैंकिंग बही के लिए समय-समय पर दबाव परीक्षण भी करता है। परम किंतु सत्याभासी ब्याज दर से उतार-चढ़ाव से बैंक की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए एक उपाय प्रदान करता है।

परिमाणात्मक प्रकटन

ख) आय परिप्रेक्ष्य (शुद्ध ब्याज पर प्रभाव)

राशि (₹) मिलियन में

	एन.आई.आई. पर प्रभाव
शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) पर दोनों आस्ति और देयताओं पर ब्याज दर में 200 आधार अंकों के समानांतर बदलाव का प्रभाव	4,476.9

आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य (इक्विटी का बाजार मूल्य पर प्रभाव)

राशि (₹) मिलियन में

	एम.वि.ई. पर प्रभाव
इक्विटी के बाजार मूल्य(एमवीई) पर दोनों आस्ति और देयता पर ब्याज दर में 200 आधार अंकों के समानांतर बदलाव का प्रभाव	19,227.4

सारणी डीएफ-10: प्रति पक्ष ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोज़रों के लिए सामान्य प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन

प्रति पक्ष ऋण जोखिम (सीसीआर) लेन-देन नकदी प्रवाह के अंतिम निपटान के पहले एक लेन-देन के प्रति पक्ष द्वारा चूक का जोखिम है। जहाँ ऋण जोखिम एकतरफा जोखिम है और केवल बैंक जोखिम की हानि का सामना करता है, सीसीआर हानि द्विपक्षीय खतरा पैदा करता है: लेन-देन का बाजार मूल्य लेन-देन के दोनों प्रति पक्षों के लिए सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है । बाजार मूल्य अनिश्चित है और अंतर्निहित बाजार कारकों के कारण समय के साथ बदलते संकेत हैं । प्रति पक्ष ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए बैंक ने बोर्ड के द्वारा मंजूर समूह ऋण नीति, विनिवेश नीति और देश जोखिम प्रबंधन नीति अपनाया है। सीसीआर की गणना आंतरिक माडल के आधार पर की जाती है जिसमें बैंक की विभिन्न नीतियों में निर्दिष्ट सीमाओं और विभिन्न मानदंडों जैसे कि वित्तीय जोखिम स्कोरिंग, व्यापार जोखिम स्कोरिंग, औद्योगिक जोखिम स्कोरिंग आदि पर विचार करता है । सीसीआर सीमा नियमित मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक हिस्सा है।

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के ढांचे के भीतर व्युत्पन्न लेनदेन को दो ग्रुपों में व्यवसाय करता है।

- काउंटर पर व्युत्पन्न
- विनिमय व्युत्पन्न कारोबार

बैंक वर्तमान में ब्याज दर और मुद्रा व्युत्पन्न का व्यवसाय कर रहा है। बैंक मालिकाना व्यापार / बाजार बनाने, अपने तुलन पत्र की हेजिंग तथा ग्राहक, जो नियमों के भीतर अपने जोखिम की हेजिंग के लिए इनका प्रयोग करते हैं को पेशकश के लिए व्युत्पन्न लेन-देन करता है ।

Value Perspective calculates the change in the present value of the Bank's expected cash flows for a 200 basis point upward and downward rate shock. The Bank also undertakes periodic stress testing for its banking book. This provides a measure to assess the Bank's financial standing from extreme but plausible interest rate fluctuations.

Quantitative Disclosures

b. Earnings Perspective (impact on net interest income)

Amounts in (₹) million

	Impact on NII
Impact of 200 bps parallel shift in interest rate on both assets & liability on Net Interest Income (NII)	4,476.9

Economic Value Perspective (impact on market value of equity)

Amounts in (₹) million

	Impact on MVE
Impact of 200 bps parallel shift in interest rate on both assets & liability on Market Value of Equity (MVE)	19,227.4

Table DF-10: General Disclosure for Exposures related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosures

Counterparty credit risk (CCR)is the risk that the counterparty to a transaction could default before the final settlement of the transaction's cash flows. Unlike credit risk, where the exposure is un-ilateral and only the bank faces the risk of loss, CCR creates a bilateral risk of loss: the market value of the transaction can be positive or negative to either counterparty to the transaction. The market value is uncertain and canvary over time with the movement of underlying market factors. Bank has put in place Board approved Group Credit Policy, Investment Policy and Country Risk Management Policy for the management of counterparty credit risk. CCR limits are computed based on internal model that considers various parameters like financial risk scoring, business risk scoring, industry risk scoring etc., and limits specified in various Bank policies. The CCR limits forms part of regular appraisal process.

The Bank deals in two groups of derivative transactions within the framework of RBI guidelines.

- Over the Counter Derivatives
- Exchange Traded Derivatives

The Bank presently deals in Interest Rate and Currency Derivatives. The Bank undertakes derivative transactions for proprietary trading/market making, hedging own balance sheet and for offering to customers, who use them for hedging their risks within the prevalent regulations.

बैंक ने किसी द्विपक्षीय नेटिंग को मान्यता नहीं दिया है तथा ऋण सहयोग करार नहीं किया है। सीसीआर के लिए पूँजी की गणना मानक दृष्टिकोण के आधार पर की जाती है।

परिमाणात्मक प्रकटन

Bank has not recognised bilateral netting and has not entered into any credit support agreements. Capital for CCR is computed based on Standardized Approach.

Quantitative Disclosures

राशि(₹) मिलियन में Amounts in (₹) million

	विवरण Particulars	काल्पनिक मूल्य Notional Value	ईक्यू मूल्य Eq. Value
A	वायदा संविदा Forward Contracts	42,964.8	1,117.8
	उपरोक्त में से Out of above...		
	विदेशी मुद्रा वायदा संविदायें Forward Forex contracts	41,190.2	1,080.0
	विदेशी मुद्रा वायदा संविदायें (14 दिनों से कम अवधि की मूल परिपक्वता वाले) Forward Forex contracts (Original maturity less than 14 days)	1,774.6	37.8
B	स्वैप्स–अंतर बैंक Swaps – Inter-Bank	6,62,539.2	17,550.1
	उपरोक्त में से... Out of above...		
	बैंकों के साथ With Banks	4,52,810.9	11,923.7
	एसबीआई के साथ With RBI	1,42,062.5	4,192.1
	अंतर–बैंक (14 दिनों से कम अवधि की मूल परिपक्वता वाले) Inter-Bank(Original maturity less than 14 days)	67,665.8	1,434.3
C	ब्याज दर करार (फ्लोटिंग को छोड़कर एकल मुद्रा/फ्लोटिंग ब्याज दर स्वैप्स) Interest rate contracts (Single currency other than floating/ floating interest rate swaps)	7,750.0	73.1
	कुल (क+ख+ग) Total (A+B+C)	**713,254.0**	**18,741.0**

सारणी डीएफ 11: पूंजी प्रकटन की संरचना
(30 मार्च, 2017 के पहले प्रयुक्त होनेवाले टेंपलेट का संदर्भ लें)
Table DF-11: Composition of Capital Disclosures
(Refer the template to be used before March 30, 2017)

राशि(₹) मिलियन में Amounts in (₹) million

	विनियामक समायोजनों के अंतरण के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाला बेसल III सामान्य प्रकटन टेंपलेट (अर्थात 01 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर,2017) Basel III common disclosure template to be used during the Transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)	राशि Amount	पूर्व बेसल III व्यवहार के अधीन राशि Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Ref No.
	असामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखत एवं आरक्षित निधियाँ Common Equity Tier 1 Capital: Instruments and Reserves			
1	सीधा जारी योग्य सामान्य पूंजी शेयर तथा संबंधित स्टाक आधिक्य (शेयर प्रीमियम) Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	18,334.1	–	ए+ई A+E
2	धारित आय Retained earnings	85,467.8	–	बी+सी+डी+एफ+जी B+C+D+F+G
3	असंचयी अन्य व्यापक आय (तथा अन्य आरक्षित निधियाँ) Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	–	–	
4	सीईटी 1 से बाहर किए जाने के अधीन सीधी जारी पूंजी (केवल गैर–संयुक्त स्टाक कंपनियों के लिए लागू) Directly issued capital subject to phase out from CET 1 (only applicable to non-joint stock companies1)	–	–	

	सार्वजनिक उपक्रम पूंजी निवेश ग्रांडफादर्ड यूनिट 1 जनवरी, 2018 Public sector capital injections grandfathered until 1 January, 2018	–	–	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी सामान्य शेयर पूंजी तथा तृतीय पक्ष द्वारा धारित (राशि सीइटी 1 समूह में स्वीकृत) Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	–	–	
6	विनियामक समायोजनों के पहले सामान्य इक्विटी टीयर1 पूंजी Common Equity Tier 1 capital before regulatory Adjustments	**103,801.9**	–	
सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments				
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन Prudential valuation adjustments	–	–	
8	गुडविल (संबंधित कर देयता को हटाकर) Goodwill (net of related tax liability)	–	–	
9	बंधक के अतिरिक्त अमूर्त–सेवा अधिकार (संबंधित कर देयता को हटाकर) Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	207.2	-	**आर R**
10	आस्थगित कर आस्तियाँ Deferred tax assets	–	–	
11	नकद – बहाव हेज सुरक्षा Cash flow hedge reserve	–	–	
12	संभावित हानियों के लिए प्रवधानों में कमी Shortfall of provisions to expected losses	–	–	
13	बिक्री से प्रतिभूति लाभ Securitisation gain on sale	–	–	
14	उचित मूल्य देयताओं पर अपने ऋण जोखिम में बदलावों के कारण लाभ एवं हानि Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	–	–	
15	परिभाषित–आस्तियों में पेंशन लाभ निधि Defined-benefit pension fund net assets	–	–	
16	अपने शेयरों में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र में पहले से ही प्रदत्त पूंजी में नहीं लिया हो) Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	–	–	
17	सामान्य इक्विटी में पारस्पारिक प्रतिधारिता Reciprocal cross-holdings in common equity	892.2	594.81	**ओ O**
18	नियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाईयों में निवेश, पात्र लघु स्थिति का निवल, जहां बैंक ने जारी किए गए शेयर पूंजी के 10 % से अधिक प्राप्त नहीं किया हो (10% सीमा से ऊपर राशि) Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	–	–	
19	नियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाईयों की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश, उपयुक्त सभी की स्थिति के बराबर (10% सीमा से ऊपर राशि) Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	–	–	
20	बंधक सेवा अधिकार (10% सीमा से ऊपर राशि) Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	–	–	

21	अस्थायी अंतर से परिकलित आस्थगित कर आस्तियां (10% सीमा से ऊपर राशि, संबंधित कर देयता का निवल) Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	–	–	
22	15% सीमा से अधिक राशि Amount exceeding the 15% threshold	–	–	
23	जिसमें से: वित्तीय इकाईयों के सामान्य स्टाक में पर्याप्त निवेश of which: significant investments in the common stock of financial entities	–	–	
24	जिसमें से: बंधक सेवा अधिकार of which: mortgage servicing rights	–	–	
25	जिसमें से: अस्थायी अंतर से परिकलित आस्थगित कर आस्तियां of which: deferred tax assets arising from temporary differences	–	–	
26	राष्ट्रीय विशिष्ट नियामक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ) National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	–	–	
26क 26a	जिसमें से: गैर समेकित बीमा अनुषंगियों के इक्विटी पूंजी में निवेश of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	–	–	
26ख 26b	जिसमें से: गैर समेकित गैर वित्तीय अनुषंगियों के इक्विटी पूंजी में निवेश of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	–	–	
26ग 26c	जिसमें से: बैंक के साथ समेकित न की गई बहुमत स्वामित्ववाली वित्तीय इकाईयों के इक्विटी पूंजी में कमी of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	–	–	
26घ 26d	जिसमें से : गैर परिशोधित पेंशन निधि व्यय of which: Unamortized pension funds expenditures	–	–	
	पूर्व–बेसल–III व्यवहार के अधीन राशि के संबंध में सामान्य इक्विटी टियर 1 के लिए लागू नियामक समायोजन Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	–	–	
27	कटौती कवर के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1और टियर 2 के कारण सामान्य इक्विटी हेतु लागू नियामक समायोजन Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	–	–	
28	**सामान्य इक्विटी टियर 1 के लिए कुल नियामक समायोजन Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1**	**1,099.4**	–	
29	**सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**102,702.5**	–	
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी: लिखत Additional Tier 1 capital: instruments			–	
30	सीधे जारी किए गए गुणात्मक अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित स्टाक अधिभार (31+32) Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	5,000.0	–	
31	जिसमें से: लागू लेखांकन मानकों के तहत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (गैर संचयी अधिमानी शेयर) of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	–	–	

32	जिसमें से : लागू लेखांकन मानकों के तहत देयता के रूप में वर्गीकृत (शाश्वत उधार लिखत) of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	5,000.0	–	**के K**
33	अतिरिक्त टियर 1 से बाहर करने के अधीन सीधे जारी किए पूंजी लिखत Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	7,375.0	2,212.5	**आई I**
34	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा तृतीय पक्ष द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और पंक्ति 5 में शामिल न किए गए सीईटी 1 लिखत) (समूह एटी 1 में अनुमत राशि) Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	–	–	
35	जिसमें से : बाहर करने के अधीन अनुषंगियो द्वारा जारी लिखत of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	–	–	
36	**नियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी** **Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**12,375.0**		
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : नियामक समायोजन Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments			–	
37	स्वामित्ववाले अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश Investments in own Additional Tier 1 instruments	–	–	
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखत में पारस्परिक प्रति धारिता Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	–	–	
39	नियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाईयों में निवेश, उपयुक्त सभी की स्थिति के बराबर, जहां बैंक ने जारी किए गए शेयर पूंजी के 10 % से अधिक प्राप्त नहीं किया हो (10% सीमा से ऊपर राशि) Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	258.9	–	**पी P**
40	नियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाईयों में महत्वपूर्ण निवेश (उपयुक्त सभी की स्थिति के बराबर) Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	–	–	
41	राष्ट्रीय विशिष्ट नियामन समायोजन (41क+41ख) National specific regulatory adjustments (41a+41b)	–	–	
41क 41a	गैर समेकित बीमा अनुषंगियों के अतिरिक्त टियर 1 में निवेश Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	–	–	
41ख 41b	बैंक के साथ समेकित न की गई बहुमत स्वामित्ववाली वित्तीय इकाईयों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	–	–	
	पूर्व- बेसल-III व्यवहार के अधीन राशि के संबंध में सामान्य इक्विटी टियर 1 के लिए लागू नियामक समायोजन Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	2,212.5	–	**जे J**

42	कटौती कवर के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 हेतु लागू नियामक समायोजन Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	–	–	
43	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के लिए कुल नियामक समायोजन** **Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	–	–	
44	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1) Additional Tier 1 capital (AT1)**	9,903.6	–	
44 क a	**पूंजी पर्याप्तता हेतु गणना की गई अतिरिक्त टियर 1 पूँजी** **Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy**	9,903.6	–	
45	**टियर 1 पूंजी (टी 1 = सीईटी 1 + एटी 1) (29+44 क)** **Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29+44a)**	**112,606.1**	–	
	टियर 2 पूंजी: लिखत और प्रावधान Tier 2 capital: Instruments and provisions		–	
46	सीधे जारी किए गए गुणात्मक टियर 2 लिखत के साथ संबंधित स्टाक अधिभार Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	–	–	
47	टियर 2 से बाहर करने के अधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	46,000.0	14,640.0	**एल L**
48	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा तृतीय पक्ष द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 2 लिखत (और पंक्ति 5 या 34 में शामिल न किए गए सीईटी 1 और एटी 1 लिखत) (समूह टियर 2 में अनुमत राशि) Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	–	–	
49	जिसमें से बाहर करने के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी किए गए लिखत of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	–	–	
50	प्रावधान और अन्य टियर II आरक्षित निधियां Provisions and other Tier-II reserves	11,145.2	–	**एच+एन H+N**
51	**नियामक समायोजन से पूर्व टियर 2 पूंजी** **Tier 2 capital before regulatory adjustments**	57,145.2		
	टियर 2 पूंजी: नियामक समायोजन Tier 2 capital: regulatory adjustments			
52	स्वामित्ववाली टियर 2 लिखतों में निवेश Investments in own Tier 2 instruments	–	–	
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारित Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	61.8	–	**क्यू Q**
54	नियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाईयों में निवेश, उपयुक्तसभी की स्थिति के बराबर, जहां बैंक ने जारी किए गए शेयर पूंजी के 10 % से अधिक प्राप्त नहीं किया हो (10% सीमा से ऊपर राशि) Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	–	–	
55	नियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाईयों में निवेश (पात्र लघु स्थिति का निवल) नियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाईयों में निवेश 13 (पात्र लघु स्थिति का निवल) Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions) Significant investments 13 in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	–	–	

56	राष्ट्रीय विशिष्ट नियामक समायोजन (56 क+56 ख) National specific regulatory adjustments (56a+56b)	–	–	
56 क a	जिसमें से: गैर समेकित अनुषंगियों के टियर 2 पूंजी में निवेश of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	–	–	
56 ख b	जिसमें से: बैंक के साथ समेकित न की गई बहुमत स्वामित्ववाली वित्तीय इकाईयों के अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में कमी of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	–	–	
	पूर्व- बेसल-III व्यवहार के अधीन राशि के संबंध में सामान्य इक्विटी टियर 2 के लिए लागू नियामक समायोजन Regulatory Adjustments Applied to Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	**14,640.0**	-	**एम M**
	जिसमें से: टियर II से 50% के लिए पात्र गैर वित्तीय अनुषंगी में निवेश Of which Investment in Non Financial Subsidiary eligible for 50% deduction from Tier II	–	–	
57	**टियर 2 पूंजी के लिए कुल नियामक समायोजन Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	**14,701.8**		–
58	**टियर 2 पूंजी (टी 2) Tier 2 capital (T2)**	**42,443.4**		
58 क 58a	**पूंजी पर्याप्तता के लिए गणना की गई टियर 2 पूंजी Tier 2 capital reckoned for capital adequacy**	**42,443.4**		
58 ख 58b	**टियर 2 पूंजी के रूप में गणना की गई अधिक अतिरिक्त टियर 1 पूंजी Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital**	–	–	
58 ग 58c	**पूंजी पर्याप्तता हेतू ग्राह्य कुल टियर 2 पूंजी (58 क + 58 ख) Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a + 58b)**	**42,443.4**		
59	**कुल पूंजी (टीसी =टी1 + टी 2) (45 + 58 ग) Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)**	**155,049.6**		
	पूर्व- बेसल III व्यवहार के अधीन राशि से संबधित जोखिम भारित आस्तियां Risk Weighted Assets in respect of Amounts Subject to Pre- Basel III Treatment		–	
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियां (60 क + 60 ख + 60 ग) Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	**1,394,200.7**	–	
60र 60a	**जिसमें से: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां of which: total credit risk weighted assets**	**1,265,998.1**	–	
60ल 60b	**जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां of which: total market risk weighted assets**	**47,127.8**	–	
60ल 60c	**जिसमें से: कुल परिचालनगत जोखिम भारित आस्तियां of which: total operational risk weighted assets**	**81,074.8**	–	
	(%) में पूंजी अनुपात Capital Ratios in (%)		–	
61	**सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)**	**7.37%**	–	
62	**टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)**	**8.08%**	–	
63	**कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) Total capital (as a percentage of risk weighted assets)**	**11.12%**	–	

64	**संस्थागत विशिष्ट बफर आवश्यकताएं (न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता और पूंजी संरक्षण और काउंटर प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता, जोखिम भारित आस्तियों के रूप में उल्लिखित)** **Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)**	–	–	
65	**जिसमें से: पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता** **of which: capital conservation buffer requirement**	–	–	
66	**जिसमें से: बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता** **of which: bank specific countercyclical buffer requirement**	–	–	
67	**जिसमें से: जी–एसआईबी बफर आवश्यकता** **of which: G-SIB buffer requirement**	–	–	
68	**बफर को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य इक्विटी टियर– 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)** **Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)**	–	–	
राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बेसल III से अलग हो) National minima (if different from Basel III)			–	
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से अलग हो) National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50	–	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से अलग हो) National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00	–	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से अलग हो) National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00	–	
कटौती हेतु सीमा से नीचे की राशि (जोखिम धारिता से पूर्व) **Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)**			–	
72	अन्य वित्तीय इकाईयों की पूंजी में गैर– विशिष्ट निवेश Non-significant investments in the capital of other financial entities	–	–	
73	वित्तीय इकाईयों के सामान्य स्टाक में विशिष्ट निवेश Significant investments in the common stock of financial entities	–	–	
74	बंधक सेवा अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल) Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	–	–	
75	अस्थायी अंतर से प्राप्त आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल) Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	–	–	
टियर 2 में प्रावधानों के समावेशन पर लागू उच्चतम सीमा **Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2**			–	
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोज़र के संबंध में टियर 2 में समावेशन के लिए पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा के आवेदन से पूर्व) Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	9,810.1	–	**एन N**
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों के समावेशन पर उच्चतम सीमा Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	15,825.0	–	

78	आंतरिक रेटिंग- आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में समावेशन के लिए पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा के आवेदन से पूर्व) Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	–	–	
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों के समावेशन के लिए उच्चतम सीमा Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	–	–	
फेज- आउट व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखत (केवल 31 मार्च, 2017 और 31 मार्च,2022 के बीच लागू) Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)			–	
80	फेज आऊट व्यवस्था के अधीन सीईटी 1 लिखतों पर वर्तमान उच्चतम सीमा Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	–	–	
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 से छोडी गई राशि (प्रतिदान और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक खर्च) Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	–	–	
82	फेज आऊट व्यवस्था के अधीन एटी 1 लिखतों पर वर्तमान उच्चतम सीमा Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	–	–	
83	उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 से छोडी गई राशि (प्रतिदान और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक खर्च) Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	–	–	
84	फेज आऊट व्यवस्था के अधीन टी 2 लिखतों पर वर्तमान उच्चतम सीमा Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	–	–	
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 से छोडी गई राशि (प्रतिदान और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक खर्च) Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	–	–	

सारणी डीएफ- 12: पूँजी समन्वय आवश्यकता की संरचना
Table DF-12: Composition of Capital-Reconciliation Requirements

चरण 1: नियामन समेकन और लेखांकन समेकन के बीच कोई अंतर नहीं है, इसलिए चरण-1 लागू नहीं है।

Step 1: There is no difference between the regulatory consolidations and accounting consolidation, hence step 1 is not applicable.

चरण 2: Step 2:

राशि (₹) मिलियन मेंAmounts in (₹) million

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2015 को वित्तीय विवरण में तुलन पत्र Balance Sheet as in Financial statements as on 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2015 को समेकन के नियामक अवसर के तहत तुलन पत्र Balance Sheet under Regulatory Scope of Consolidation as on 31st March, 2015	संदर्भ सं. Ref. No.
कA	पूंजी और देयताएं Capital & Liabilities			
i कa	प्रदत्त पूंजी Paid-up Capital	1,675.4	1,675.4	ए A
	जिसमें से: सीईटी 1 हेतु पात्र राशि of which: Amount eligible for CET1	1,675.4	1,675.4	
	जिसमें से: एटी 1 हेतु पात्र राशि of which: Amount eligible for AT1	–	–	
i ख b	आरक्षित निधियां और अधिभार (क +ख) Reserves & Surplus (a+b)	1,03,461.6	1,03,461.6	

	जिसमें से टियर I हेतु पात्र of which eligible for Tier I (a)	**1,02,147.3**	**1,02,126.5**	
	सांविधिक आरक्षित निधियां Statutory Reserves	32,285.8	32,285.8	**बीB**
	विशेष आरक्षित निधियां Special Reserves	14,366.1	14,366.1	**सी C**
	पूंजी आरक्षित निधियां Capital Reserve	8,004.3	8,004.3	**डी D**
	शेयर प्रीमियम Share Premium	16,658.7	16,658.7	**ई E**
	जब्त शेयर खाता Share Forfeited a/c	–	–	
	सामान्य आरक्षित निधियां (फेक्स और निवेश आरक्षित निधियों में प्रतिकूल उतार-चढाव के लिए विकास निधि, विकास और अनुसंधान निधि और आरक्षित निधियों को छोड़कर) General reserves(excluding development fund, Development and Research fund and reserve for adverse fluctuations in Fex and investment reserve)	30,801.7	30,780.9	**एफF**
	अन्य प्रकटन रहित आरक्षित निधियां Other Disclosed Free Reserve	–	–	
	पी और एल खाता शेष P & L Account Balance	–	–	
	इनमें से समेकन के नियामक अवसर के अधीन ली गई Out of which considered under the regulatory scope of consolidation	30.7	30.7	**जी G**
	जिसमें से टियर II (ख) हेतु पात्र Of which Eligible for Tier II (b)	**1,314.4**	**1,335.1**	**एच H**
	सामान्य आरक्षित निधियां (फेक्स और निवेश आरक्षित निधियों में प्रतिकूल उतार-चढाव के लिए विकास निधि, विकास और अनुसंधान निधि और आरक्षित निधियों को छोड़कर) Other Reserves (including development fund, Development and Research fund and reserve for adverse fluctuations in Fex, Investment Reserve)	1,314.4	1,335.1	
	अल्पसंख्या ब्याज Minority Interest	–	–	
	कुल पूंजी (इक+इख) Total Capital (ia+ib)	**105,137.1**	**105,137.1**	
ii	**जमाराशियां Deposits**	**1,993,428.1**	**1,993,428.1**	
	जिसमें से : बैंक की जमाराशियां of which: Deposits from banks	229,483.2	229,483.2	
	जिसमें से : ग्राहक की जमाराशियां of which: Customer deposits	1,633,746.0	1,633,746.0	
	जिसमें से: अन्य जमाराशियां of which: Other deposits	1,30,198.9	130,198.9	
	गतावधि खाते सहित चालू खाते Current Accounts Including Stale Accounts	107,676.5	107,676.5	
	ओडी में जमा शेष Credit balance in OD	837.7	837.7	
	सीसी खाते में जमा शेष Credit balance in CC A/C	4,556.4	4,556.4	
	मांग जमाराशियां Call Deposits	3.5	3.5	
	विविध जमाराशियां Sundry Deposits	1,772.1	1,772.1	
	अतिदेय जमाराशियां Overdue Deposits	14,046.6	14,046.6	
	कार्प फ्लेक्स खाता (ईईएफसी) Corpflex A/C (EEFC)	1,306.2	1,306.2	
iii	**उधार Borrowings**	**104,149.0**	**104,149.0**	
	जिसमें से: भारिबैं से of which: From RBI	29,450.0	29,450.0	
	जिसमें से: बैंक से of which: From banks	0.0	0.0	
	जिसमें से: अन्य संस्था और एजेंसियों से (क+ख+ग) of which: From other institutions & Agencies (a+b+c)	**74.0**	**74.0**	
	अन्य एजेंसियां- सिडबी (क)Other Agencies-Sidbi (a)	–	–	
	अन्य एजेंसियां- नाबार्ड (ख) Other Agencies-Nabard (b)	**74.0**	**74.0**	
	अन्य एजेंसियां- एनएचबी (ग) Other Agencies-NHB (C)	–	–	
	जिसमें से :अन्य of which: Others	**16,250.0**	**16,250.0**	

	अन्य: भारत के बाहर उधार Others: Borrowings outside India	**16,250.0**	**16,250.0**	
	जिसमें से: पूंजी लिखत (क+ख) of which: Capital instruments (a+b)	**58,375.0**	**58,375.0**	
	एटी 1 हेतु पात्र (क)Eligible for AT 1 (a)	**12,375.0**	**12,375.0**	
	जिसमें से: टियर I शाश्वत बांड of which: Tier I Perpetual bonds	7,375.0	7,375.0	**आई I**
	जिसमें से समेकन के नियामक अवसर के तहत लिए गए of which considered under regulatory scope of consolidation	–	5,162.5	
	पूर्व बेसल-III के अधीन नियामक समायोजन (एटी1) Regulatory adjustments subject to Pre-Basel-III (AT1)	–	2,212.5	**जे J**
	जिसमें से: टियर I शाश्वत बांड-बेसल III of which: Tier I Perpetual bonds-Basel-III	5,000.0	5,000.0	**केK**
	टियर II पूंजी हेतु पात्र (ख) Eligible for Tier II capital (b)	**46,000.0**	**46,000.0**	
	गैर जमानती प्रतिदेय बांड (टियर II) Unsecured Redeemable Bonds (Tier II)	46,000.0	46,000.0	**एल L**
	जिसमें से समेकन के नियामक अवसर के तहत लिए गए of which considered under regulatory scope of consolidation	–	31,360.0	
	पूर्व बेसल-III के अधीन नियामक समायोजन (टियर-II) Regulatory adjustments subject to Pre-Basel-III (Tier-II)		14,640.0	**एम M**
iv	**अन्य देयताएं और प्रावधान Other liabilities & provisions**	**57,478.4**	**57,478.4**	
	जिसमें से टियर II के तहत ली गई मानक आस्तियों के लिए प्रावधान of which Provision for standard assets considered under Tier-II	9,810.1	9,810.1	**एन N**
	जिसमें से डीटीएल के पक्ष में डीटीए समायोजित of which DTA adjusted against DTL	–	–	
	जिसमें से अमूर्त आस्तियां of which Intangible assets	–	–	
	कुल पूंजी और देयताएं (इक+इख+ii+iii+iv) Total Capital and Liabilities (ia+ib+ii+iii+iv)	**2,260,192.6**	**2,260,192.6**	

क्र.सं. Sr. No.	**आस्तियां Assets**	**यथा 31 मार्च, 2015 को वित्तीय विवरण में तुलन पत्र Balance Sheet as in Financial statements as on 31st March, 2015**	**यथा 31 मार्च, 2015 को समेकन के नियामक अवसर के तहत तुलन पत्र Balance Sheet under Regulatory Scope of Consolidation as on 31st March, 2015**	**संदर्भ सं. Ref. No.**
i	स्वर्ण के साथ नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में शेष Cash and balances with Reserve Bank of India including gold at hand	101,489.3	101,489.3	
	बैंक के पास शेष और मांग पर और अल्प सूचना पर धन Balance with banks and money at call and short notice	25,899.7	25,899.7	
ii	**निवेश: Investments:**	634,311.7	634,311.7	
	जिसमें से: सरकारी प्रतिभूतियां of which: Government securities	486,429.2	4,86,429.2	
	जिसमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां of which: Other approved securities	14.6	14.6	
	जिसमें से: शेयर of which: Shares	4,478.9	4,478.9	
	जिसमें से सामान्य शेयर में पारस्परिक प्रतिधारिता of which Reciprocal Cross Holding in Common Shares	1,487.0	1,487.0	
	जिसमें से सीईटी- I से कटौती की गई of which deducted from CET-I	–	892.2	**ओ O**
	और जिसमें से जोखिम भार हेतु ली गई and of which considered for Risk weight	–	594.8	

	जिसमें से नियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाईयों में महत्वपूर्ण निवेश of which significant investment in Banking, Financial and Insurance entities which are outside the scope of regulatory consolidation	–	431.4	
	जिसमें से एटी-1 से कटौती की गई of which deducted from AT-I	–	258.9	पी P
	और जिसमें से जोखिम भार हेतु ली गई and of which considered for Risk weight	–	172.6	
	जिसमें से: डिबेंचर और बांड of which: Debentures & Bonds	**21,853.2**	**21,853.2**	
	जिसमें से टियर II लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता of which reciprocal cross holding in Tier II instruments	–	103.0	
	जिसमें से टियर II से कटौती की गई of which deducted from Tier II	–	61.8	क्यू Q
	और जिसमें से जोखिम भार हेतु ली गई and of which considered for Risk weight		41.2	
	जिसमें से अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश of which investment in Subsidiaries / Joint Ventures	–	–	
	जिसमें से टियर I पूंजी से की कटौती की गई of which deducted from Tier I capital	–	–	
	जिसमें से टियर II से कटौती की गई of which deducted from Tier II	–	–	
	जिसमें से लागू 250% जोखिम भार of which 250% risk weight applied	–	–	
	जिसमें से अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि) of which others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	121,534.9	1,21,534.9	
	जिसमें से, भारत के बाहर निवेश of which investment outside India	1.0	1.0	
iii	**ऋण और अग्रिम Loans and advances**	**1,450,660.4**	**1,450,660.4**	
	जिसमें से: बैंक के लिए ऋण और अग्रिम of which: Loans and advances to banks	10,000.2	10,000.2	
	जिसमें से: ग्राहक के लिए ऋण और अग्रिम of which: Loans and advances to customers	1,440,660.1	1,440,660.1	
iv	**स्थिर आस्तियां Fixed assets**	**5,263.9**	5,263.9	
	जिसमें से अमूर्त आस्तियां of which Intangible Assets	207.2	207.2	आर R
v	**अन्य आस्तियां Other assets**	**42,567.6**	**42,567.6**	
	जिसमें से: गुडविल और अमूर्त आस्तियां of which: Goodwill and intangible assets	–	–	
	जिसमें से: आस्थगित कर आस्तियां of which: Deferred tax assets	–	–	
vi	**समेकन पर गुडविल Goodwill on consolidation**	–	–	
vii	**लाभ और हानि खाते में नामे शेष Debit balance in Profit & Loss account**	–	–	
	कुल आस्तियां Total Assets	**2,260,192.6**	**2,260,192.6**	

सारणी डीएफ– 13– नियामक पूँजी लिखत का मुख्य स्वरूप
Table DF-13: Main features of Regulatory Capital Instruments

राशि (₹) मिलियन में Amounts in (₹) million

मद Item	विवरण Particulars	इक्विटी शेयर Equity Shares	टियर–I बांड Tier-I bonds	टियर–I बांड Tier -I bonds	टियर–I बांड Tier -I bonds	टियर–I बांड Tier -I bonds	टियर–I बांड Tier -I bonds
1	जारीकर्ता Issuer	कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank					
2	विशिष्ट पहचानकर्ता Unique Identifier	INA112A01023	112A09067	112A09117	112A09141	112A09158	112A08010
3	लिखत का शासी कानून Governing law(s) of the instrument	भारतीय कानून तथा नियामक आवश्यकताएं लागू है Applicable Indian Laws and Regulatory Requirements					
	नियामक व्यवहार Regulatory Treatment						
4	परिवर्ती बेसल III नियम Transitional Basel III rules	सामान्य इक्विटी टियर I Common Equity Tier I	टियर I बांड Tier I Bonds				अतिरिक्त टियर I बांड Additional Tier-I Bonds
5	परिवर्ती के बाद बेसल III नियम Post-transitional Basel III rules	पात्र Eligible	अपात्र (परिवर्तन अवधि के दौरान बाहर किया जाएगा) Ineligible (will be phased out during transition period)				**पात्र (बेसल III योग्य बांड) Eligible (Basel III compliant Bonds)**
6	एकल/समूह और समूह व एकल में पात्र Eligible at solo/group/group and solo	एकल और समूह Solo and group	एकल और समूह (परिवर्तन अवधि के दौरान) Solo and Group (during transition period)				एकल और समूह Solo and Group
7	लिखत प्रकार Instrument type	इक्विटी शेयर Equity Shares	वचन पत्र की प्रकृति में शाश्वत गैर जमानती गैर परिवर्तनीय गौण टियर–I बांड (आईपीडीआई) Perpetual Unsecured Non-Convertible Subordinated Tier-I Bonds in the nature of Promissory Note (IPDI)				डिबेंचर प्रकृति में शाश्वत गैर–जमानती गैर–परिवर्तनीय गौण, कर योग्य, अतिरिक्त टियर I बांड Perpetual Unsecured Non-Convertible Subordinated, Taxable, Additional Tier-I Bonds in the nature of Debentures
8	नियामक पूँजी में निश्चित की गई राशि (यथा 31 मार्च, 2015) Amount recognized in regulatory capital (as on 31stMarch, 2015)	1675.4	1,662.5	2,100	700	700	5,000
9	लिखतों का सम मूल्य Par value of instrument	लागू नहीं Not Applicable	2,375	3,000	1,000	1,000	5,000
10	लेखांकन वर्गीकरण Accounting classification	शेयरधारकों की निधि Shareholders' Fund	देयता (तुलन पत्र में उधार के तहत वर्गीकृत) Liability (Classified under borrowings in Balance Sheet)				
11	जारीकरण की मूल तारीख Original date of issuance	05.12.1997, 23.10.2001, 29.03.2011, 22.03.2013, 20.12.2013	19.01.2009	10.07.2009	11.08.2009	26.08.2009	**09.02.2015**
12	शाश्वत अथवा दिनांकित Perpetual or dated	शाश्वत Perpetual	शाश्वत (भारिबैं की विशिष्ट शर्तों के अधीन लिखत कम से कम 10 वर्ष तक कार्यरत रहने के बाद बैंक के पास मांग विकल्प उपलब्ध है।)Perpetual (Bank is having Call option after the instruments has run for at least 10 years subject to RBI's specified conditions)				शाश्वत (भारिबैं की विशिष्ट शर्तों के अधीन लिखत कम से कम 5 वर्षों तक कार्यरत रहने के बाद बैंक के पास मांग विकल्प उपलब्ध है।) Perpetual (Bank is having Call option after the instruments has run for at least 5 years subject to RBI's specified conditions)
13	मूल परिपक्वता तारीख Original maturity date	परिपक्वता नहीं है No Maturity	परिपक्वता नहीं है No Maturity				
14	पर्यवेक्षी के पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता मांग Issuer call subject to prior supervisory approval	लागू नहीं Not Applicable	हां (यथा मद सं.12 में उल्लिखित) Yes (As mentioned in item no. 12)				
15	वैकल्पिक मांग तारीख, आकस्मिक मांग तारीख और प्रतिदान राशि Optional call date, contingent call date and redemption amount	लागू नहीं Not Applicable	19.01.2019 (सममूल्य पर) (At Par)	10.07.2019 (सममूल्य पर) (At Par)	11.08.2019 (सममूल्य पर) (At Par)	26.08.2019 (सममूल्य पर) (At Par)	09.02.2020 (सममूल्य पर) (At Par)

मद Item	विवरण Particulars	इक्विटी शेयर Equity Shares	टियर–I बांड Tier-I bonds	टियर–I बांड Tier -I bonds	टियर–I बांड Tier -I bonds	टियर–I बांड Tier -I bonds	टियर–I बांड Tier -I bonds
16	आगामी मांग तारीख, यदि लागू हो Subsequent call dates if applicable	लागू नहीं Not Applicable					
	कूपन/लाभांश Coupons/dividends						
17	स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन Fixed or floating dividend/coupon	लागू नहीं Not Applicable	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed
18	कूपन दर और अन्य संबंधित सूची Coupon rate and any related index	लागू नहीं Not Applicable	9.00%	9.15%	9.05%	9.10%	9.51%
19	लाभांश स्टापर में उपस्थिति Existence of dividend stopper	लागू नहीं Not Applicable	नहीं No	नहीं No	नहीं No	नहीं No	नहीं No
20	पूर्ण रूप से विवेकाधीन, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	पूर्ण रूप से विवेकाधीन Fully Discretionary	आंशिक रूप से विवेकाधीन Partially Discretionary				पूर्ण रूप से विवेकाधीन Fully Discretionary
21	आगे बढ़ने का अस्तित्व या पुन: प्राप्त करने हेतु अन्य प्रोत्साहन Existence of step up or other incentives to redeem	नहीं No	हां (पुन: प्राप्ति हेतु कोई प्रोत्साहन नहीं है) Yes (No incentives to redeem)	हां (पुन: प्राप्ति हेतु कोई प्रोत्साहन नहीं है) Yes (No incentives to redeem)	हां (पुन: प्राप्ति हेतु कोई प्रोत्साहन नहीं है) Yes (No incentives to redeem)	हां (पुन: प्राप्ति हेतु कोई प्रोत्साहन नहीं है) Yes (No incentives to redeem)	नहीं (पुन: प्राप्ति हेतु कोई प्रोत्साहन नहीं है) No (No incentives to redeem)
22	गैर–संचयी या संचयी Non-Cumulative or Cumulative	गैर–संचयी Non-Cumulative	गैर–संचयी Non-Cumulative	गैर–संचयी Non-Cumulative	गैर–संचयी Non-Cumulative	गैर–संचयी Non-Cumulative	गैर–संचयी Non-Cumulative
23	परिवर्तनीय या गैर–परिवर्तनीय Convertible or non-convertible	लागू नहीं Not Applicable	गैर–परिवर्तनीय Non-Convertible				**गैर–परिवर्तनीय Non-Convertible**
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रीगर/उत्प्रेरक बिंदु if convertible, conversion trigger(s)	लागू नहीं Not Applicable					
25	यदि परिवर्तनीय है तो, संपूर्ण रूप से या आंशिक रूप से? if convertible, fully or partially	लागू नहीं Not Applicable					
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर if convertible, conversion rate	लागू नहीं Not Applicable					
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य या वैक ल्पिक परिवर्तन If convertible, mandatory or optional conversion	लागू नहीं Not Applicable					
28	यदि परिवर्तनीय है तो, इसमें परिवर्तनीय लिखत प्रकार निर्दिष्ट करें If convertible, specify instrument type convertible into	लागू नहीं Not Applicable					
29	यदि परिवर्तनीय है तो, लिखतों क ो परिवर्तित करनेवाले जारीकर्ता को निर्दिष्ट करें If convertible specify issuer of instruments it converts in to	लागू नहीं Not Applicable					
30	अवलेखन स्वरूप Write down feature	लागू नहीं Not Applicable					
31	यदि अवलेखन है तो, अवलेखन ट्रीगर / उत्प्रेरक बिंदु If write down-write down trigger (s)	लागू नहीं Not Applicable					
32	यदि अवलेखन है तो, संपूर्ण रूप से या आंशिक रूप से? If write down fully or partial	लागू नहीं Not Applicable					
33	यदि अवलेखन है तो, स्थायी या अस्थायी If write down, permanent or temporary	लागू नहीं Not Applicable					

मद Item	विवरण Particulars	इक्विटी शेयर Equity Shares	टियर–I बांड Tier-I bonds	टियर–I बांड Tier -I bonds	टियर–I बांड Tier -I bonds	टियर–I बांड Tier -I bonds	टियर–I बांड Tier -I bonds
34	यदि अवलेखन है तो, अवलेखन व्यवस्था का विवरण If write down, description of write up mechanism	लागू नहीं Not Applicable					
35	परिसमापन में मातहती अनुक्रम में स्थिति Position in subordination hierarchy in liquidation	परिसमापन में अन्याश्रित दावों को दर्शाता है Represents the most subordinated claim in liquidation	बैंक के अन्य जमाकर्ताओं को तथा उधारकर्ताओं के दावों से अन्याश्रितSubordinated to the claim of all other creditors and depositors of the bank				1. सभी जमाकर्ताओं, समान्य उधारकर्ताओं और एटी 1 के रूप में पात्र अन्याश्रित ऋण जो छोडकर दावों से अन्याश्रित। 2.एटी 1 (बेसल III) के रूप में वर्गीकृत कि ए गए अन्य ऋण लिखतों के बीच वरीयता के बिना समरूप। 3. बेसल III के दिशा निर्देशों द्वारा अनुमत सीमा तक , प्रचलित बेसल–II दिशानिर्देश, यदि कोई हो, के तहत संक र टियर I पूंजी में शामिल पात्र किसी दायित्व के साथ समरूप 1. Subordinated to the claim of all depositors, general creditors and subordinate debt other than subordinated debt qualifying as an AT1. 2. Parripassu without preference amongst themselves another debt instrument classifying as AT1 (Basel-III) 3. To the extent permitted by Basel-III guidelines, parripassu with any subordinated obligation eligible inclusion in hybrid Tier-I capital under the then prevailing Basel-II guidelines, if any.
36	गैर–अनुपालन परिवर्तित स्वरूप Non-compliant transitioned feature	नहीं No	हां Yes				नहीं No
37	यदि हां तो, गैर–अनुपालन विशेषताएं निर्दिष्ट करें if yes, specify non-compliant feature	लागू नहीं Not Applicable	नहीं – हानि समावेशन विशेषताएं No-loss absorption Feature				लागू नहीं Not Applicable

मद Item	विवरण Particulars	ऊपरी टियर II बांड Upper Tier-II Bonds	ऊपरी टियर II बांड Upper Tier-II Bonds	ऊपरी टियर II बांड Upper Tier-II Bonds	ऊपरी टियर II बांड Upper Tier-II Bonds	ऊपरी टियर II बांड Upper Tier-II Bonds	ऊपरी टियर II बांड Upper Tier-II Bonds	ऊपरी टियर II बांड Upper Tier-II Bonds
1	जारीकर्ता Issuer	कार्पोरेशन बैंकCorporation Bank						
2	विशिष्ट पहचानकर्ता Unique Identifier	112A09059	112A09075	112A09125	112A09133	112A09166	112A09091	112A09109
3	लिखत का शासी कानून Governing law(s) of the instrument	भारतीय कानून तथा नियामक आवश्यकताएं लागू है Applicable Indian law(s) and regulatory requirements						
	नियामक व्यवहार Regulatory Treatment							
4	परिवर्ती बेसल III नियामक पूंजी आवश्यकताएं Transitional Basel III regulatory capital requirement	टियर II पूँजी के तहत ऊपरी टीयर II बांड Upper Tier II Bonds under Tier II Capital						
5	परवर्तित व्यवहार में न लिए गए बेसल III नियमों के तहत नियामक पूँजी व्यवहार Regulatory capital treatment under Basel III rules not taking into account transitional treatment	अपात्र Ineligible						
6	समूह का स्तर जिसमें पूँजी में लिखतों को शामिल किया गया Level(s) within the group at which the instrument is included in capital	एकल और समूह Solo and Group						

7	लिखत प्रकार Instrument type	वचनपत्र प्रारूप में गैर–जमानती प्रतिदेय गैर–परिवर्तनीय गौण ऊपरी टियर–II बांड Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds in the nature of Promissory Notes						
8	नियामक पूंजी में निश्चित की गई राशि (यथा 31 मार्च, 2015) Amount recognized in regulatory capital (as on 31st March, 2015)	2,100	4,900	1,750	2,100	3,850	3,500	3,500
9	लिखत का सममूल्य Par value of instrument	3,000	7,000	2,500	3,000	5,500	5,000	5,000
10	लेखाकंन वर्गीकरण Accounting classification	देयता (तुलन पत्र में उधार के तहत वर्गीकृत) Liability (Classified under borrowings in Balance Sheet)						
11	जारीकरण की मूल तारीख Original date of issuance	12.12.2008	24.02.2009	10.08.2009	11.08.2009	29.04.2010	06.05.2009	28.05.2009
12	शाश्वत या दिनांकित Perpetual or dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated
13	मूल परिपक्वता तारीख Original maturity date	12.12.2023	24.02.2024	10.08.2024	11.08.2024	29.04.2025	06.05.2024	28.05.2024
14	पर्यवेक्षी के पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता मांग Issuer call subject to prior supervisor approval	हां (भारिबैं की विशिष्ट शर्तों के अधीन लिखत कम से कम 10 वर्ष तक कार्यरत रहने के बाद बैंक के पास मांग विकल्प उपलब्ध है।) Yes (Bank is having Call option after the instruments has run for at least 10 years subject to RBI's specified conditions)						
15	वैक ल्पिक मांग तारीख, आकस्मिक मांग तारीख और प्रतिदान राशि Optional call date, contingent call date and redemption amount	12.12.2018 (सममूल्य पर) (At Par)	24.02.2019 (सममूल्य पर) (At Par)	10.08.2019 (सममूल्य पर) (At Par)	11.08.2019 (सममूल्य पर) (At Par)	29.04.2020 (सममूल्य पर) (At Par)	06.05.2019 (सममूल्य पर) (At Par)	28.05.2019 (सममूल्य पर) (At Par)
16	आगामी मांग तारीख, यदि लागू हो, Subsequent call dates if applicable	लागू नहीं Not Applicable						
	कूपन/लाभांश Coupons/ dividends							
17	स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन Fixed or floating dividend/coupon	स्थिर Fixed						
18	कूपन दर और अन्य संबंधित सूची Coupon rate and any related index	10.10%	9.15%	8.45%	8.45%	8.75%	8.25%	8.37%
19	लाभांश स्टापर में उपस्थिति Existence of dividend stopper	नहीं No						
20	पूर्ण रूप से विवेकाधीन आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	आंशिक रूप से विवेकाधीन Partially Discretionary						
21	आगे बढने का अस्तित्व या पुन: प्राप्ति हेतु प्रोत्साहन Existence of step up or other incentives to redeem	हां Yes						
22	गैर–संचयी या संचयी Non-Cumulative or Cumulative	गैर–संचयी Non-Cumulative	गैर–संचयी Non-Cumulative	गैर–संचयी Non-Cumulative	गैर–संचयी Non-Cumulative	गैर–संचयी Non-Cumulative	गैर–संचयी Non-Cumulative	गैर–संचयी Non-Cumulative
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय Convertible or non-convertible	गैर परिवर्तनीय Non-Convertible						
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रीगर/उत्प्रेरक बिंदु If convertible, conversion trigger	लागू नहीं Not Applicable						
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्ण रूप से या आंशिक रुप से If convertible, fully or partially	लागू नहीं Not Applicable						
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर If convertible, conversion rate	लागू नहीं Not Applicable						
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन If convertible, mandatory or optional conversion	लागू नहीं Not Applicable						
28	यदि परिवर्तनीय है तो, इसमें परिवर्तनीय लिखत का प्रकार निर्दिष्ट करें If convertible, specify instrument type convertible to	लागू नहीं Not Applicable						

29	यदि परिवर्तनीय है तो, लिखतों को परिवर्तित करनेवाले जारीकर्ता को निर्दिष्ट करें If convertible specify issuer of instruments it converts in to	लागू नहीं Not Applicable
30	अवलेखन स्वरूप Write down feature	लागू नहीं Not Applicable
31	यदि अवलेखन है तो, अवलेखन स्वरूप If write down-write down features	लागू नहीं Not Applicable
32	यदि अवलेखन है तो, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से If write down fully or partial	लागू नहीं Not Applicable
33	यदि अवलेखन है तो, स्थायी या अस्थायी If write down, permanent or temporary	लागू नहीं Not Applicable
34	यदि अवलेखन है तो, अवलेखन व्यवस्था का विवरण If write down, description of write up mechanism	लागू नहीं Not Applicable
35	परिसमापन में मातहती अनुक्रम में स्थिति (लिखत के लिए अगले लिखत प्रकार को निर्दिष्टकरें) Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	बैंक के सभी अन्य उधारकर्ता, जमाकर्ता और शाश्वत ऋण लिखत (आईपीडीआई) All other creditors, depositors and perpetual debt instruments (IPDI) of the bank
36	गैर-अनुपालन परवर्तित स्वरूप Non-compliant transitioned feature	हां Yes
37	यदि हां तो, गैर-अनुपालन की विशेषताएं निर्दिष्ट करें if yes specify non-compliant feature	नहीं-हानि समावेशन विशेषताएं No-loss absorption Feature

मद Item	विवरण Particulars	न्यूनतर टियर-II बांड Lower Tier-II Bonds	न्यूनतर टियर-II बांड Lower Tier-II Bonds	न्यूनतर टियर-II बांड Lower Tier-II Bonds	न्यूनतर टियर-II बांड Lower Tier-II bonds	न्यूनतर टियर-II बांड Lower Tier-II bonds
1	जारीकर्ता Issuer	कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank				
2	विशिष्ट पहचानकर्ता Unique Identifier	112A09018	112A09026	112A09034	112A09042	112A09083
3	लिखत का शासी कानून Governing laws of the instrument	भारतीय कानून और नियामक आवश्यकताएं लागू है Applicable Indian law(s) and regulatory requirements				
	नियामक व्यवहार Regulatory Treatment					
4	परवर्तित बेसल III नियम Transitional Basel III rules	टियर II पूँजी के तहत न्यूनतर टियर II बांड Lower Tier II Bonds under Tier II Capital				
5	परवर्तित के बाद बेसल III नियम Post- transitional Basel III rules	अपात्र Ineligible				
6	एकल/समूह/समूह और एकल में पात्र Eligible at solo/group/group and solo	एकल और समूह Solo and Group				
7	लिखत प्रकार Instrument type	वचनपत्र की प्रकृति में गैर-जमानती प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय गौण न्यूनतर टियर II बांड Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier II Bonds in the nature of Promissory Notes				
8	नियामक पूंजी में निश्चित की गई राशि (यथा 31 मार्च, 2015) Amount recognized in regulatory capital (as on 31st March, 2015)	1,260	1,400	2,100	1,400	3,500
9	लिखतों का सममूल्य Par value of instrument	3,000	2,000	3,000	2,000	5,000
10	लेखांकन वर्गीकरण Accounting classification	देयता (तुलन पत्र में उधार के तहत वर्गीकृत) Liability (Classified under borrowings in Balance Sheet)				
11	जारीकरण की मुख्य तारीख Original date of issuance	24.03.2006	19.03.2008	27.03.2008	03.12.2008	31.03.2009
12	शाश्वत या दिनांकित Perpetual or dated	दिनांकित Dated				
13	मुख्य परिपक्वता तारीख Original maturity date	24.03.2016	19.03.2018	27.03.2018	03.12.2018	31.05.2019

14	पर्यवेक्षी के पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता मांग Issuer call subject to prior supervisory approval	नहीं No				
15	वैकल्पिक मांग तारीख, आकस्मिक मांग तारीख और प्रतिदान राशि Optional call date, contingent call date and redemption amount	लागू नहीं Not Applicable				
16	आगामी मांग तारीख, यदि कोई हो Subsequent call dates if applicable	लागू नहीं Not Applicable				
	कूपन/लाभांश **Coupons/dividends**					
17	स्थित या अस्थिर लाभांश/कूपन Fixed or floating dividend/coupon	स्थिर Fixed				
18	कूपन दर और अन्य संबंधित सूची Coupon rate and any related index	7.90%	9.30%	9.40%	10.80%	8.85%
19	लाभांश स्टापर की उपस्थिति Existence of dividend stopper	नहीं No				
20	पूर्ण रूप से विवेकाधीन, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	लागू नहीं Not Applicable				
21	आगे बढने का अस्तित्व या पुन: प्राप्ति हेतु प्रोत्साहन Existence of step up or other incentives to redeem	लागू नहीं No				
22	गैर-संचयी या संचयी Non-Cumulative or Cumulative	गैर-संचयी Non-Cumulative				
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय Convertible or non-convertible	गैर-परिवर्तनीय Non-Convertible				
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर/उत्प्रेरक बिंदु If convertible, conversion trigger	लागू नहीं Not Applicable				
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से If convertible, fully or partially	लागू नहीं Not Applicable				
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर If convertible, conversion rate	लागू नहीं Not Applicable				
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन If convertible, mandatory or optional conversion	लागू नहीं Not Applicable				
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत प्रकार निर्दिष्ट करें If convertible, specify instrument type convertible in to	लागू नहीं Not Applicable				
29	यदि परिवर्तनीय है तो, लिखतों को परिवर्तित करनेवाले जारीकर्ता को निर्दिष्ट करें If convertible specify issuer of instruments it converts in to	लागू नहीं Not Applicable				
30	अवलेखन स्वरूप Write down feature	लागू नहीं Not Applicable				
31	यदि अवलेखन है तो, अवलेखन स्वरूप If write down-write down features	लागू नहीं Not Applicable				
32	यदि अवलेखन है तो, पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में If write down fully or partial	लागू नहीं Not Applicable				

33	यदि अवलेखन है तो, स्थायी या अस्थायी If write down, permanent or temporary	लागू नहीं Not Applicable
34	यदि अवलेखन है तो अवलेखन व्यवस्था का विवरण If write down, description of write up mechanism	लागू नहीं Not Applicable
35	परिसमापन में मातहती अनुक्रम में स्थिति Position in subordination hierarchy in liquidation	बैंक के सभी उधारकर्ता, जमाकर्ता और शाश्वत ऋण लिखत (आईपीडीआई) All other creditors, depositors and perpetual debt instruments (IPDI) of the bank
36	गैर-अनुपालन परवर्तित स्वरूप Non-compliant transitioned feature	हां Yes
37	यदि हां तो, गैर-अनुपालन की विशेषताएं निर्दिष्ट करें If yes specify non-compliant feature	नहीं- हानि समावेशन विशेषताएं No-loss absorption Feature

Passbooks - a thing of the past

Presenting a Green Initiative

Corp e-Passbook

- Passbook on your mobile
- Generate Statement of Accounts
- Personalize transaction details
- Search your transaction history
- Online & Offline access 24x7
- SMS/ e-Mail/ Whatsapp your account details

Download from

Google play | Available on the App Store | Windows Phone

Open an account with CorpBank today and avail this facility.

For more details visit the nearest branch or call Toll Free: 1800 425 3555
or SMS 'CALLME' to 9231 000 333 or Visit: www.corpbank.com

Conditions Apply

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

A Premier Public Sector Bank

Power of
Touch & Transact

Enjoy the pleasure of seamless banking
with

Corp MOBILE
Banking App for iOS & Android

Be it early in the morning or late evening, in the travel mode or within the cozy comforts of your home, carry out your banking on Mobile Phones or iPad with "CorpMobile" App (Available on iOS and Android).

FEATURES

- View Account Details
- Money Transfer to own Bank & other Banks through NEFT
- Payment through IMPS
- Cheque Book Request
- Stop Payment
- CorpBank Credit Card Payment

Android
Google play

iOS
Available on the App Store

Call Toll Free: 1800 425 3555 or SMS 'CALLME' <CITY> <NAME> to 9231 000 333

Download Now!
Simply scan the QR Code

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

A Premier Public Sector Bank

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रतिष्ठा में

भारत के राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च, 2015 तक के, कार्पोरेशन बैंक (यत्पश्चात् "बैंक" कहा गया है) के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिनमें यथा 31 मार्च, 2015 का तुलन-पत्र और इसी तिथि को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण (यत्पश्चात् वित्तीय विवरण कहा गया है), तथा महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं। इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं और ट्रेजरी परिचालनों तथा शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1049 शाखाओं/अन्य कार्यालयों को शामिल किया गया है। बैंक ने, हमारे द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुरूप किया है। इस तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखे में 1229 शाखाओं की विवरणियाँ भी शामिल हैं जिनकी लेखा-परीक्षा नहीं की गई है और इनके मामले में हमने कोई लेखा-परीक्षा प्रक्रिया नहीं की है। ये अलेखापरीक्षित शाखाएँ अग्रिम का 5.32 प्रतिशत, जमाराशियों का 11.50 प्रतिशत, ब्याज आय का 4.49 प्रतिशत तथा ब्याज व्यय का 10.15 प्रतिशत समाहित करती हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन-वर्ग का उत्तरदायित्व

2. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन वर्ग का है जिसमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देश और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों सहित मान्यताप्राप्त लेखांकन नीतियों और कार्यप्रणालियों के प्रावधान की आवश्यकता के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय क्रियाकलाप और नकद प्रवाह को सही और उचित रूप से स्पष्ट हो। इस उत्तरदायित्व में चाहे कपट के कारण हो या त्रुटिवश, महत्वपूर्ण अयथार्थों से मुक्त वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जरूरी आंतरिक नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली के निरूपण, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखा-परीक्षक का उत्तरदायित्व

3. हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपना अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार की है। उन मानकों की यह अपेक्षा होती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु योजना बनाकर लेखा-परीक्षा का कार्य संपन्न करें कि वित्तीय विवरण तात्विक अयथार्थ विवरणों से मुक्त हैं।

4. किसी लेखा-परीक्षा में, वित्तीय विवरणों में व्यक्त धनराशियों और प्रकटनों के समर्थक साक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चुनी जाने वाली प्रक्रियाएं लेखा-परीक्षक का विवेक, जिसमें चाहे कपट के कारण हो या त्रुटिवश, वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण अयथार्थों के जोखिमों का

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The President of India

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of CORPORATION BANK (hereinafter referred to as "Bank") as at 31st March, 2015, which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2015, Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement (hereinafter referred to as Financial Statements) for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches and treasury operations audited by us and 1049 branches / other offices audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 1229 branches which have not been subjected to audit, for which we have not exercised any audit process. These unaudited branches account for 5.32 per cent of advances, 11.50 per cent of deposits, 4.49 per cent of interest income and 10.15 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. The Bank's management is responsible for the preparation of these financial statement that gives a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the bank in accordance with the requirements of the provisions of the Banking Regulation Act 1949, the Reserve Bank of India guidelines, and recognized accounting policies and practices, including the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). This responsibility of the management includes the design, implementation and maintenance of internal controls and risk management systems relevant to the preparation of the financial statement that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether

आकलन शामिल है, पर निर्भर करती हैं। जोखिम का यह आकलन करने में लेखा-परीक्षक परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को निरूपित करने के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं उचित प्रस्तुति के लिए ज़रूरी आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं। किसी लेखा-परीक्षा में प्रबंधन वर्ग द्वारा प्रयुक्त लेखा-नीतियों की उपयुक्तता तथा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों की युक्तियुक्तता का आकलन और साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है।

5. हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा साक्ष्य लेखा-परीक्षा अभिमत हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

अभिमत

6. हमारी राय में, जैसा कि बैंक की बहियों में दर्शाया गया है तथा हमारी अधिकतम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

   i. महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों और लेखों के अभिन्न अंग टिप्पणियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र, एक संपूर्ण एवं यथोचित तुलन-पत्र है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण हैं और यह 31 मार्च, 2015 को बैंक की स्थिति को सही एवं स्पष्ट रूप से दर्शाने हेतु भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों के अनुरूप भली-भाँति तैयार किया गया है;

   ii. महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों और लेखों के अभिन्न अंग टिप्पणियों के साथ पठित लाभ लेखा, लेखा द्वारा समाविष्ट वर्ष हेतु भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों के अनुरूप लाभ का सही शेष दर्शाता है; और

   iii. नकदी प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सही एवं यथार्थ स्थिति प्रस्तुत करता है।

महत्वपूर्ण बात

7. हमारे अभिमत को सापेक्ष न करते हुए हम, लेखों के अभिन्न अंग निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं-

क) वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18क की टिप्पणी सं. 4.3, जो पुनर्संरचित अग्रिमों का वर्गीकरण, आय निर्धारण और प्रावधान से संबंधित है जो कि सीडीआर/ भारिबैं दिशानिर्देशों में होने वाली मुख्य शर्तों के पर्याप्त अनुपालन के आधार पर किया गया है।

ख) वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18ख में टिप्पणी सं. 2.3, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को पेंशन विकल्प पुन: देना तथा ग्रैच्युटी सीमाओं में वृद्धि-विवेकपूर्ण विनियामक व्यवस्था पर अपने परिपत्र सं. डीबीओडी. बीपी. बीसी/80/21.04.018/2010-11 दिनांकित 09.02.2011 के द्वारा लेखा मानक (एएस-15), कर्मचारी हितलाभ के प्रावधानों को लागू करने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा छूट देने परिणामस्वरूप ₹110.49 करोड़ की हद तक बैंक की पेंशन देयता को आस्थगित करने के संबंध में है।

due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

   i. the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March, 2015 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

   ii. the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

   iii. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

7. Without qualifying our opinion, we draw attention to the following notes on accounts forming integral part of accounts -

a) Note No. 4.3, Schedule 18A to the financial statements, regarding classification, income recognition and provisioning of restructured advances, which have been done based on substantial compliance of major conditions contained in the CDR/RBI guidelines.

b) Note No. 2.3 Schedule 18B of the financial Statements regarding deferment of pension liability to the extent of ₹110.49 crore pursuant to the exemption granted by the RBI to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standards (AS-15) 'Employee Benefits' vide Circular No. DBOD.BP.BC/80/21.04.018/ 2010-11 dated 09.02.2011 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits Prudential Regulatory Treatment.

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के क्रमशः फार्म "क" और "ख" में तैयार किए गए हैं और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार हैं।

9. उपर्युक्त 1 से 5 तक के पैरा में बताई गई सीमाओं तथा महत्वपूर्ण बात संबंधी पैरा के अधनि और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षितानुसार, और उनमें अपेक्षित प्रकटनों की सीमाओं के भी अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क. हमने ऐसी सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास में हमारी लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;

   ख. बैंक के जो लेनदेन हमारे ध्यान में आए, वे बैंक के अधिकारों के भीतर थे; और

   ग. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखा-परीक्षा के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।

10. हमारी राय में, तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण कंपनी के साथ लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949 and is in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and emphasis of matter paragraph and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

   a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

   b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

   c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

कृते बी. के. रामध्यानी एण्ड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
FRN-002878S/S200021
[सीए सी.आर. दीपक]
एम.नं. 215398
साझेदार

कृते नृपेन्द्र एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-000379C
[सीए प्रदीप कुमार गुप्ता]
एम.नं. 070855
साझेदार

कृते जीएमजे एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-103429W
[सीए अतुल जैन]
एम.नं. 037097
साझेदार

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
FRN-001997S
[सीए मुरली मोहन भट्]
एम.नं. 203592
साझेदार

कृते एम. आनंदम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-000125S
[सीए ए. वी. सदाशिव]
एम.नं. 018404
साझेदार

स्थानः मंगलूरु
दिनांकः 16 मई, 2015

for B.K. Ramadhyani & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN-002878S/S200021
[CA C.R. Deepak]
M.No. 215398
Partner

for Nripendra & Co.
Chartered Accountants
FRN-000379C
[CA Pradeep Kumar Gupta]
M.No. 070855
Partner

for GMJ & Co.
Chartered Accountants
FRN-103429W
[CA Atul Jain]
M. No. 037097
Partner

for Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN-001997S
[CA Murali Mohan Bhat]
M.No. 203592
Partner

for M. Anandam & Co.
Chartered Accountants
FRN-000125S
[CA A.V. Sadasiva]
M.No. 018404
Partner

Place : Mangaluru
Date : May 16, 2015

कार्पोरेशन बैंक CORPORATION BANK

31 मार्च, 2015 की स्थिति का तुलन–पत्र BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2015

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची सं. Schedule No.	यथा As on 31.03.2015 ₹	यथा As on 31.03.2014 ₹
पूँजी और देयताएँ CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी Capital	1	**167,54,19**	167,54,19
आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष Reserves and Surplus	2	**10316,93,59**	9917,56,37
जमाराशियाँ Deposits	3	**199345,81,90**	193393,00,69
उधार राशियाँ Borrowings	4	**10414,90,41**	13021,44,53
अन्य देयताएँ तथा प्रावधान Other Liabilities and Provisions	5	**5747,81,69**	5548,91,28
योग TOTAL		**225993,01,78**	222048,47,06
आस्तियाँ ASSETS			
नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**10148,93,37**	13740,20,76
बैंकों में शेष तथा माँग एवं अल्प सूचना पर धन Balances with Banks and Money at call and short notice	7	**2589,97,06**	498,80,82
निवेश Investments	8	**63412,27,57**	66191,21,29
अग्रिम Advances	9	**145066,03,56**	137086,29,92
स्थाई आस्तियाँ Fixed Assets	10	**526,37,23**	465,26,80
अन्य आस्तियाँ Other Assets	11	**4249,42,99**	4066,67,47
योग TOTAL		**225993,01,78**	222048,47,06
आकस्मिक देयताएँ Contingent Liabilities	12	**99044,39,21**	62391,81,86
वसूली हेतु बिल Bills for collection		**13521,31,07**	11385,20,68
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ Significant Accounting Policies	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ Notes on Accounts	18		

उपरोक्त वर्णित अनुसूचियाँ तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं। The schedules referred to above form an integral part of Balance Sheet.

[S. R. Bansal]
Chairman & Managing Director

[B. K. Srivastav]
Executive Director

[P. Paramasivam]
General Manager

[H. Rajbhooshan]
Dy. Gen. Manager

Directors
Pradyumna K. Jena
Ekanath Baliga
Adish Kumar Jain
B. Venkata Bhaskar
Chitra Gouri Lal
Ramesh Kumar Bhat

As per our Report of even date

for B. K. Ramadhyani & Co. LLP
Chartered Accountants FRN-002878S/S200021
[CA C. R. Deepak]
(M. No. 215398) Partner

for GMJ & Co.
Chartered Accountants FRN-103429W
[CA Atul Jain]
(M. No. 037097) Partner

for M. Anandam & Co.
Chartered Accountants FRN-000125S
[CA A.V. Sadasiva]
(M. No. 018404) Partner

for Nripendra & Co.
Chartered Accountants FRN-000379C
[CA Pradeep Kumar Gupta]
(M. No. 070855) Partner

for Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants FRN-001997S
[CA Murali Mohan Bhat]
(M. No. 203592) Partner

Place : Mangaluru
Date : 16th May, 2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2015

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची सं. Schedule No.	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ended on 31.03.2015 ₹	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ended on 31.03.2014 ₹
I. **आय INCOME**			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	**19556,44,48**	17958,56,91
अन्य आय Other income	14	**1482,46,22**	1647,71,79
योग TOTAL		**21038,90,70**	19606,28,70
II. **व्यय EXPENDITURE**			
व्यय किया गया ब्याज Interest Expended	15	**15486,10,42**	14174,88,21
परिचालन व्यय Operating Expenses	16	**2525,35,71**	2392,00,76
प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ Provisions and Contingencies		**2443,19,01**	2477,67,87
योग TOTAL		**20454,65,14**	19044,56,84
III. **लाभ PROFIT**			
वर्ष हेतु निवल लाभ Net Profit for the year		**584,25,56**	561,71,86
योग TOTAL		**584,25,56**	561,71,86
IV. **विनियोग APPROPRIATIONS**			
सांविधिक आरक्षित निधियों में अन्तरण Transfer to Statutory Reserves		**146,06,39**	140,42,96
स्टाफ कल्याण निधि में अन्तरण Transfer to Staff Welfare Fund		**15,00,00**	15,00,00
स्टाफ कल्याण निधि से वापसी Reversal from Staff Welfare Fund		**–**	–19,46,31
निवेश आरक्षित निधि में अन्तरण Transfer to Investment Reserve		**115,92,25**	1,53,97
पूँजी आरक्षित निधि में अन्तरण Transfer to Capital Reserve		**17,32,36**	23,17,05
विशेष आरक्षित निधियाँ में अन्तरण Transfer to Special Reserves		**151,50,00**	207,00,00
सामान्य आरक्षित निधियों में अन्तरण Transfer to General Reserves		**59,89**	61,72,94
प्रदत्त अंतरिम लाभांश Interim Dividend Paid		**–**	75,39,45
प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend		**117,27,93**	37,69,79
प्रदत्त लाभांश पर कर Tax on Interim Dividends Paid		**–**	12,81,33
प्रस्तावित लाभांश पर कर Tax on Dividends Proposed		**20,56,74**	6,40,68
योग TOTAL		**584,25,56**	561,71,86
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ तथा लेखा 17 एवं 18 पर टिप्पणियाँ Significant accounting policies and notes to accounts 17 and 18			
प्रति शेयर अर्जन (अनुसूची–18 टिप्पणी 6 का संदर्भ लें) Earning per share (Refer Sch-18 Note 6)			
आधार ईपीएस Basic EPS(₹)		**6.97**	7.15
तनुकृत ईपीएस Diluted EPS(₹)		**6.97**	7.15
प्रति शेयर सममूल्य Face Value per share ₹2			

उपरोक्त वर्णित अनुसूचियाँ लाभ एवं हानि खाता का अभिन्न भाग हैं। The schedules referred to above form an integral part of Profit and Loss Account.

As per our Report of even date

[S. R. Bansal]
Chairman & Managing Director

[B. K. Srivastav]
Executive Director

[P. Paramasivam]
General Manager

[H. Rajbhooshan]
Dy. Gen. Manager

Directors
Pradyumna K. Jena
Ekanath Baliga
Adish Kumar Jain
B. Venkata Bhaskar
Chitra Gouri Lal
Ramesh Kumar Bhat

for B. K. Ramadhyani & Co. LLP
Chartered Accountants FRN-002878S/S200021
[CA C. R. Deepak]
(M. No. 215398) Partner

for GMJ & Co.
Chartered Accountants FRN-103429W
[CA Atul Jain]
(M. No. 037097) Partner

for M. Anandam & Co.
Chartered Accountants FRN-000125S
[CA A.V. Sadasiva]
(M. No. 018404) Partner

for Nripendra & Co.
Chartered Accountants FRN-000379C
[CA Pradeep Kumar Gupta]
(M. No. 070855) Partner

for Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants FRN-001997S
[CA Murali Mohan Bhat]
(M. No. 203592) Partner

Place : Mangaluru
Date : 16th May, 2015

तुलन पत्र में संलग्न अनुसूचियाँ
SCHEDULES ANNEXED TO BALANCE SHEET

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As on 31.03.2015 ₹	₹	यथा As on 31.03.2014 ₹	₹
अनुसूची 1 – पूँजी **SCHEDULE 1 – CAPITAL**				
प्राधिकृत पूँजी AUTHORISED CAPITAL				
प्रत्येक ₹2 के 1500,00,00,000 ईक्विटी शेयर * 1500,00,00,000 Equity Shares of ₹2 each *		**3000,00,00**		**3000,00,00**
(पिछले वर्ष प्रत्येक ₹10 के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर) (Previous year 300,00,00,000 Equity Shares of ₹10 each)				
निर्गमित एवं अभिदत्त पूँजी ISSUED & SUBSCRIBED CAPITAL				
प्रत्येक ₹ 2 के 83,77,09,385 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष में 16,75,41,877 प्रत्येक ₹ 10 के ईक्विटी शेयर) * 83,77,09,385 Equity Shares of ₹ 2 each * (Previous year 16,75,41,877 Equity share of ₹10/- each)				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	**167,54,19**		152,91,44	
वर्ष के दौरान परिवर्धन (जब्ती) Addition/(Forfeited) during the year	–	**167,54,19**	14,62,75	167,54,19
प्रदत्त पूँजी PAID-UP CAPITAL				
क) ₹2* अंकित मूल्य के 53,05,25,885 शेयर केन्द्र सरकार द्वारा धारित (पिछले वर्ष प्रत्येकी ₹10 के 10,61,05,177 ईक्विटी शेयर) a) Held by Central Government 53,05,25,885 shares of Face value of ₹2* (Previous year 10,61,05,177 Equity Shares of ₹10 each)	**106,10,52**	**106,10,52**	106,10,52	106,10,52
ख) ₹2* अंकित मूल्य के 30,71,83,500 शेयर जनता एवं अन्य द्वारा धारित (पिछले वर्ष प्रत्येकी ₹10 के 6,14,36,700 ईक्विटी शेयर धारित) b) Held by the Public & Others 30,71,83,500 shares of Face value of ₹2* (Previous Yr. 6,14,36,700 Equity Shares of ₹10 each)	**61,43,67**		61,43,67	
घटाएँ: देय आबंटन राशि Less : Allotment money due	–		–	
वर्ष के दौरान जब्ती Forfeited during the year	–	**61,43,67**	–	61,43,67
योग TOTAL		**167,54,19**		167,54,19

* वर्ष के दौरान बैंक के ईक्विटी शेयर का अंकित मूल्य ₹10/- से प्रत्येक की ₹2/- के अंकित मूल्य में विभाजित हुआ।
* During the year the face value of equity share of the Bank was split from face value of ₹10/- to the Face value of ₹2/- each.

अनुसूची 2 – आरक्षित निधियाँ और अधिशेष **SCHEDULE 2 – RESERVES AND SURPLUS**				
I. **सांविधिक आरक्षित निधियाँ** **Statutory Reserves**				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	**3082,51,93**		2942,08,97	
लाभ से विनियोग Appropriation from Profit	**146,06,39**		140,42, 96	
निवेशों पर मूल्यह्रास के अतिरिक्त प्रावधान से विनियोग Appropriation from excess Provision of Depreciation on Investments	–		–	
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि से अंतरण Transfer from Investment Fluctuation Reserve	–	**3228,58,32**	–	3082,51,93

अनुसूची–2 SCHEDULE – 2 (क्रमशः Contd.) (₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As on 31.03.2015 ₹	₹	यथा As on 31.03.2014 ₹	₹
II. **पूँजी आरक्षित निधियाँ Capital Reserves**				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	**783,10,80**		759,93,59	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	**17,32,19**		23,17,05	
पुनर्निर्गम हेतु पात्र जब्त शेयर खाता Share Forfeited A/c eligible for Re-issue	**17**	**800,43,16**	17	783,10,81
III. **शेयर प्रीमियम Share Premium**				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	**1640,86,72**		1205,49,47	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/(कटौती) Additions/(deductions) during the year	–		435,37,25	
घटाएँ: बकाये में माँग राशि Less : Calls in Arrears	–	**1640,86,72**	–	1640,86,72
IV. **राजस्व और अन्य आरक्षित निधियाँ Revenue & Other Reserves**				
क) राजस्व आरक्षित निधि				
a) Revenue Reserve				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	**3110,44,91**		3413,18,05	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	**59,89**		61,72,94	
	3111,04,80		3474,90,99	
वर्ष के दौरान कटौती Deductions during the year	**32,03,67**	**3079,01,14**	364,46,08	3110,44,91
ख) विशेष आरक्षित निधि				
b) Special Reserve				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	**1285,10,74**		1078,10,74	
वर्ष के दौरान कटौती Additions during the year	**151,50,00**		207,00,00	
	1436,60,74		1285,10,74	
वर्ष के दौरान कटौती Deductions during the year	–	**1436,60,74**	–	1285,10,74
ग) निवेश आरक्षित निधि				
c) Investment Reserve				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	**15,51,26**		13,97,29	
लाभ–हानि विनियोग खाते से अंतरण Transfer from Profit and Loss Appropriation Account	**115,92,25**		1,53,97	
		131,43,51		15,51,26
V. **लाभ व हानि खाते में शेष Balance in Profit & Loss A/c**		–		–
कुल TOTAL (I+II+III+IV+V)		**10316,93,59**		9917,56,37

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As on 31.03.2015 ₹	यथा As on 31.03.2014 ₹
अनुसूची 3 – जमाराशियाँ		
SCHEDULE 3 – DEPOSITS		
क. A. I. माँग जमाराशियाँ Demand Deposits		
i) बैंकों से From Banks	**9,76,42**	13,26,86
ii) अन्यों से From Others	**13019,94,86**	14823,18,87
II. बचत बैंक जमाराशियाँ Savings Bank Deposits	**26284,89,51**	24478,45,36
III. मीयादी जमाराशियाँ Term Deposits		
i) बैंकों से From Banks	**22938,55,49**	21362,76,31
ii) अन्यों से From Others *	**137092,65,62**	132715,33,29
योग TOTAL (I, II व & III)	**199345,81,90**	193393,00,69
ख. B. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाएँ Deposits of branches in India	**199345,81,90**	193393,00,69
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाएँ Deposits of branches outside India	–	–
योग TOTAL	**199345,81,90**	193393,00,69
* जिसमें कार्पगोल्ड जमाएँ सम्मिलित हैं which includes Corpgold Deposits	**340,61,89**	386,10,85
एफसीएनआर जमाएँ FCNR Deposits	**1515,96,15**	1252,24,49
अनुसूची 4 – उधार राशियाँ		
SCHEDULE 4 – BORROWINGS		
I. भारत में उधार राशियाँ Borrowings in India		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक Reserve Bank of India	**2945,00,00**	6419,00,00
ii) अन्य बैंक Other Banks	**48**	5,08,59
iii) अन्य संस्थाएँ एवं एजेंसियाँ Other Institutions and Agencies	**7,39,93**	61,55,94
iv) असुरक्षित प्रतिदेय बांड/आईपीडीआई तथा अधीनस्थ कर्ज Unsecured Redeemable Bonds/IPDI and Subordinated Debts	**5837,50,00**	5337,50,00
योग TOTAL	**8789,90,41**	11823,14,53
II. भारत से बाहर शाखाओं की उधार राशियाँ Borrowings outside India	**1625,00,00**	1198,30,00
योग TOTAL (I व & II)	**10414,90,41**	13021,44,53
उपर्युक्त I व II में शामिल सुरक्षित उधार राशियाँ Secured Borrowings included in I & II above	–	–

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As on 31.03.2015 ₹	यथा As on 31.03.2014 ₹
अनुसूची 5 – अन्य देयताएँ एवं प्रावधान **SCHEDULE 5 – OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**		
I. देय बिल Bills Payable	**587,62,99**	593,44,25
II. अन्तर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-Office Adjustments (Net)	**5,73,79**	220,87,50
III. उपचित ब्याज Interests accrued	**708,42,67**	752,72,67
IV. अन्य (प्रावधानों को शामिल करके)* Others (including provisions)*	**4446,02,24**	3981,86,86
योग TOTAL	**5747,81,69**	5548,91,28
* ''मानक आस्तियों पर आकस्मिक प्रावधान'' सम्मिलित हैं Includes "Contingent Provisions against Standard Assets"	**981,00,53**	842,00,53
''आस्थगित कर देयता'' "Deferred Tax Liability"	**13,89,08**	174,05, 64
अनुसूची 6 – नकद और भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष **SCHEDULE 6 – CASH AND BALANCE WITH RESERVE BANK OF INDIA**		
I. हस्तगत रोकड़ (विदेशी मुद्रा नोट सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	**1063,53,17**	850,66,61
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के चालू खाते में शेष Balances with Reserve Bank of India in Current Accounts	**8744,65,48**	12644,79,95
III. हस्तगत स्वर्ण Gold in hand	**340,74,72**	244,74,20
योग TOTAL (I, II व & III)	**10148,93,37**	13740,20,76
अनुसूची 7 – बैंकों में शेष एवं माँग तथा अल्प सूचना पर धन **SCHEDULE 7 – BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE**		
I. भारत में In India		
i) बैंकों में शेष Balances with Banks		
क a) चालू खातों में In Current Accounts	**66,72,92**	318,58,01
ख b) अन्य जमा खातों में In Other Deposit Accounts	**11,02**	1,99
ii) माँग एवं अल्प सूचना पर धन Money at call and short notice		
क a) बैंकों में with Banks	**100,00,00**	–
ख b) अन्य संस्थाओं में with Other Institutions	**3,71**	7
योग TOTAL (i+ii)	**166,87,65**	318,60,07
II. भारत के बाहर Outside India		
i) चालू खातों में In Current Accounts	**110,59,41**	30,42,00
ii) अन्य जमा खातों में In Other Deposit Accounts	**2312,50,00**	149,78,75
iii) मांग और अल्प सूचना पर धन Money at call and Short notice	–	–
योग TOTAL	**2423,09,41**	180,20,75
सकल योग GRAND TOTAL (I व & II)	**2589,97,06**	498,80,82

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As on 31.03.2015 ₹	यथा As on 31.03.2014 ₹
अनुसूची 8 – निवेश SCHEDULE 8 – INVESTMENTS		
I. निवेश (समग्र) Investments (Gross)	**63521,96,62**	66650,61,18
घटाएँ: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान Less: Provision for Depreciation	**109,69,05**	459,39,89
निवल निवेश Net Investments	**63412,27,57**	66191,21,29
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	**48642,92,25**	51696,08,64
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	**1,46,16**	1,37,48
iii) शेयर Shares	**447,38,64**	569,99,90
iv) डिबेंचर एवं बांड Debentures and Bonds	**2185,31,89**	3769,58,96
v) संयुक्त उद्यम/अनुषंगियां Joint venture/Subsidiaries		
क a) क्षे.ग्रा. बैंक में निवेश Investments in R.R.B.	**–**	–
ख b) अनुषंगियों में निवेश Investments in Subsidiaries	**75,00,00**	75,00,00
vi) अन्य Others		
क a) जमा प्रमाण पत्र Certificate of Deposit	**1794,89,56**	–
ख b) वाणिज्यिक पत्र Commercial Paper	**–**	–
ग c) म्यूचुअल फंड की ईकाइयाँ Units of Mutual Funds	**10,00,00**	10,09,00
घ d) वेंचर पूंजी निधियाँ Venture Capital Funds	**140,90,35**	162,97,66
झ e) नाबार्ड के तहत आरआईडीएफ/सिडबी एमएसएमई फंड/ आरएचडीएफ जमाएँ NABARD under RIDF/SIDBI MSME FUND/RHDF Dep.	**10114,29,17**	9906,00,10
योग TOTAL	**63412,18,02**	66191,11,74
II. भारत के बाहर निवेश Investments outside India	**9,55**	9,55
योग TOTAL (I व & II)	**63412,27,57**	66191,21,29

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As on 31.03.2015 ₹	यथा As on 31.03.2014 ₹
अनुसूची 9 – अग्रिम **SCHEDULE 9 – ADVANCES**		
क A. i) खरीदे एवं भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted	**2580,13,31**	3591,02,99
ii) नकद जमाएँ, ओवरड्राफ्ट/माँग पर चुकौती योग्य ऋण Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	**66455,71,43**	64110,46,52
iii) सावधि ऋण Term loans	**76030,18,82**	69384,80,41
योग TOTAL	**145066,03,56**	137086,29,92
ख B. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं) Secured by Tangible Assets (includes Advances against Book Debts)	**120044,32,16**	115146,20,24
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	**1443,09,79**	1478,11,89
iii) असुरक्षित Unsecured	**23578,61,61**	20461,97,79
योग TOTAL	**145066,03,56**	137086,29,92
ग C. I. भारत में अग्रिम Advances in India		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector	**52249,26,01**	47723,25,32
ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	**19672,94,80**	15073,31,08
iii) बैंक Banks	**1000,02,12**	10,35,53
iv) अन्य Others	**72143,80,63**	74279,37,99
योग TOTAL	**145066,03,56**	137086,29,92
ग C. II. भारत से बाहर अग्रिम Advances outside India	**शून्य Nil**	शून्य Nil
सकल योग GRAND TOTAL (ग C. I व & ग C. II)	**145066,03,56**	137086,29,92

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As on 31.03.2015 ₹	₹	यथा As on 31.03.2014 ₹	₹
अनुसूची 10 – स्थाई आस्तियाँ				
SCHEDULE 10 – FIXED ASSETS				
I. परिसर Premises				
पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	**193,14,04**		182,14,11	
इस अवधि के दौरान परिवर्धन Additions during the period	**38,76,07**		11,10,71	
	231,90,11		193,24,82	
इस अवधि के दौरान कटौतियाँ Deductions during the period	**9,84**		10,78	
	231,80,27		193,14,04	
यथातिथि मूल्यह्रास Depreciation to date	**80,89,25**		75,57,59	
	150,91,02		117,56,45	
जोड़ें: कार्यगत पूँजी Add: Capital Work in progress	–	**150,91,02**	8,88	117,65,33
II. अन्य स्थाई आस्तियाँ Other Fixed Assets (फर्नीचर और जुड़नार सहित including furniture and fixtures)				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	**935,71,30**		869,69,17	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the period	**175,42,55**		112,87,49	
	1111,13,85		982,56,66	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the period	**25,13,64**		46,85,36	
	1086,00,21		935,71,30	
यथातिथि मूल्यह्रास Depreciation to date	**734,96,65**		701,08,07	
	351,03,56		234,63,23	
जोड़ें: कार्यगत पूँजी Add: Capital Work in progress	**3,70,63**	**354,74,19**	3,45,76	238,08,99
III. आस्तियाँ Intangible Assets (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) (Computer Software)				
पूर्ववर्ती वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	**123,73,24**		109,49,01	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the period	**19,13,26**		14,24,23	
	142,86,50		123,73,24	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the period	**14**		–	
	142,86,36		123,73,24	
यथातिथि मूल्यह्रास Depreciation to date	**122,14,34**		14,20,76	
		20,72,02		109,52,48
योग TOTAL (I व & II, III)		**526,37,23**		465,26,80

(₹ 000's हटाकर Omitted))

विवरण PARTICULARS	यथा As on 31.03.2015 ₹	यथा As on 31.03.2014 ₹
अनुसूची 11 – अन्य आस्तियाँ **SCHEDULE 11 – OTHER ASSETS**		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-Office Adjustments (Net)	–	–
II. प्रोद्भूत ब्याज Interest accrued	**1083,11,78**	1259,59,91
III. एमएटी ऋण उपलब्धता MAT Credit Availability	**470,76,70**	219,65,14
IV. अग्रिम/टीडीएस में प्रदत्त कर Tax paid in advance/TDS	**1894,01,17**	1680,13,63
V. लेखन-सामग्री तथा स्टाम्प Stationery and Stamps	**3,42,88**	2,09,29
VI. दावों के निपटान में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियाँ Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	**9,44**	16,87
VII. अन्य Others	**798,01,02**	905,02,63
योग TOTAL	**4249,42,99**	4066,67,47
अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएँ **SCHEDULE 12 – CONTINGENT LIABILITIES**		
I. कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किए गए बैंक के विरुद्ध दावे Claims against the bank not acknowledged as debts	**1846,80,14**	587,82,78
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	–	–
III. डीईएएफ – भा.रि.बैं. में शेष DEAF – Balance with RBI	**53,93,82**	–
IV. क. बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के हेतु देयता A. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	**70550,41,49**	33925,32,13
ख. व्युत्पन्नी B. Derivatives	**1183,00,00**	1325,00,00
V. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ Guarantees given on behalf of constituents		
क/a) भारत में in India	**12137,34,14**	11980,15,49
ख/b) भारत के बाहर outside India	**1984,29,12**	1741,49,10
VI. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन एवं अन्य बाध्यताएँ Acceptances, endorsements and other obligations	**11288,60,50**	12832,02,36
VII. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other items for which the Bank is contingently liable	–	–
योग TOTAL	**99044,39,21**	62391,81,86

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2015 ₹	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014 ₹
अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज		
SCHEDULE 13 – INTEREST EARNED		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा Interest/Discount on advances/bills	**14805,33,63**	**13215,97,25**
II. निवेशों पर ब्याज Interest on investments	**4165,82,59**	**4242,19,53**
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter-bank Funds	**15,11,31**	**15,73,39**
IV. अन्य Others	**570,16,95**	**484,66,74**
योग TOTAL	**19556,44,48**	**17958,56,91**
अनुसूची 14 – अन्य आय		
SCHEDULE 14 – OTHER INCOME		
I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली Commission, exchange and brokerage	**447,55,74**	**461,03,99**
II. निवेशों (निवल) की बिक्री पर लाभ Profit on sale of investments (net)	**104,72,48**	**338,70,85**
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/(हानि) Profit/(loss) on the revaluation of Investment	**–**	**–**
IV. भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ (निवल) Profit on sale of land, buildings and other assets (net)	**– 64**	**– 34,03**
V. विनिमय लेन-देनों पर लाभ (निवल) Profit on exchange transactions (net)	**101,47,63**	**101,46,49**
VI. अनुषंगियों/कंपनियों से लाभांश इत्यादि से आय Income earned by way of dividends etc., from subsidiaries/companies	**27,91,40**	**10,19,00**
VII. विविध आय Miscellaneous income	**800,79,61**	**736,65,49**
योग TOTAL	**1482,46,22**	**1647,71,79**

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2015 ₹	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014 ₹
अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज SCHEDULE 15 – INTEREST EXPENDED		
I. जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on deposits	**14701,53,40**	13242,60,06
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधार राशियाँ पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings	**269,22,76**	297,76,81
III. अन्य Others	**515,34,26**	634,51,34
योग TOTAL	**15486,10,42**	14174,88,21
अनुसूची 16 – परिचालन व्यय SCHEDULE 16 – OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान Payment to and provisions for employees	**1182,22,22**	1190,23,77
II. किराया, कर तथा बिजली Rent, taxes and lighting	**239,63,87**	213,23,43
III. मुद्रण एवं लेखन-सामग्री Printing and stationery	**22,48,04**	25,39,84
IV. विज्ञापन एवं प्रचार Advertisement and publicity	**3,68,81**	18,15,60
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास Depreciation on bank's property	**122,81,81**	113,23,98
VI. निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	**87,26**	95,04
VII. लेखा परीक्षकों के शुल्क तथा व्यय (शाखा के लेखा परीक्षक भी शामिल) Auditors' fees and expenses (including branch auditors)	**22,00,00**	21,00,00
VIII. विधि प्रभार Law Charges	**3,61,21**	4,21,42
IX. डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि Postages, Telegrams, Telephones, etc.	**52,73,47**	50,76,82
X. मरम्मत एवं अनुरक्षण Repairs and Maintenance	**67,41,06**	47,82,17
XI. बीमा Insurance	**194,14,78**	167,93,02
XII. अन्य व्यय Other Expenditure	**613,73,18**	539,05,67
योग TOTAL	**2525,35,71**	2392,00,76

अनुसूची 17

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ जो 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लेखों के अंग हैं

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

क) वित्तीय विवरण लेखांकन के उपचित आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार तथा प्रस्तुत किए गए हैं, तथा अन्यथा उल्लिखित के सिवाय तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैं.) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नकदी आधार पर निर्धारित मदों के अलावा ये भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित संबंधित अपेक्षाओं तथा भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित वर्तमान रीतियों के अनुरूप हैं।

ख) सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (गैप) के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन वर्ग से अपेक्षित होता है कि वित्तीय विवरणों के दिनांक को यथा विद्यमान रिपोर्ट की गई आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि तथा रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई आय व व्ययों पर प्राक्कलन व अनुमान करें। प्रबंधन वर्ग का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत हैं। वास्तविक आंकड़े इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं।

2. राजस्व निर्धारण

क) आय को निम्न को छोड़कर उपचित आधार पर निर्धारित किया गया है:

i) बैंक गारंटियों एवं साख पत्र, आपूर्तिकर्ता/क्रेता ऋण की व्यवस्था पर कमीशन, तथा लॉकर किराया जो प्राप्ति आधार पर निर्धारित किया गया है।

ii) गैर-निष्पादक अग्रिमों तथा निवेशों पर ब्याज आय तथा केन्द्र सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों पर ब्याज आय, जिनके लिए 90 दिनों के अंदर ब्याज वसूल नहीं होता है, प्राप्ति आधार पर निर्धारित की गई है।

iii) आय-कर वापसियों पर ब्याज का लेखांकन सूचना आदेश प्राप्त होने पर किया गया है।

ख) 'परिपक्वता तक धारित' प्रवर्ग में निवेशों की बिक्री पर प्राप्त लाभ, जिसे लाभ-हानि लेखे में निर्धारित किया गया है तथा तदनंतर भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षित पूँजी खाते में विनियोजित किया गया है, को छोड़कर निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को बिक्री के समय निपटान आधार पर लाभ-हानि लेखे में निर्धारित किया गया है।

ग) बैंक के प्रत्यक्ष अंशदान पर प्राप्त दलाली/कमीशन/प्रोत्साहन राशि को प्रतिभूतियों की लागत से काटा गया है, जबकि प्रतिभूतियों के अर्जन हेतु प्रदत्त दलाली को राजस्व व्यय के रूप में माना गया है।

Schedule 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2015

1. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

a) The financial statements have been prepared and presented under the historical cost convention on accrual basis of accounting unless otherwise stated and except for items recognized on cash basis, as per guidelines issued by the Reserve Bank of India ['RBI'] and comply with the Accounting standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and relevant requirements prescribed under the Banking Regulation Act, 1949 and Companies Act, 2013, and current practices prevailing within the banking industry in India.

b) The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles [GAAP] requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting period. The Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actuals could differ from these estimates.

2. REVENUE RECOGNITION

a] Income is recognized on an accrual basis except:

(i) Commission on Bank Guarantees and Letters of Credit, arrangement of suppliers /buyers Credit, and Locker rent which are recognized on receipt basis.

(ii) Interest income on Non-Performing advances and investments, and securities guaranteed by Central Government where interest is not realized within 90 days is recognized on receipt basis.

(iii) Interest on Income-tax refunds is accounted for on receipt of Intimation order from the Income Tax Department.

b] Profit or loss on sale of investments is recognized in the profit and loss account on settlement basis at the time of sale except the realized profit on sale of investments in 'Held to Maturity' category which is recognized in the profit and loss account and subsequently appropriated to capital reserve account in accordance with RBI guidelines.

c] Brokerage/commission/incentives received on Banks direct subscriptions are deducted from the cost of securities, whereas brokerage paid in connection with acquisition of securities is treated as revenue expenditure.

घ) प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय पर खंडित अवधि–ब्याज को राजस्व मद के रूप में माना गया है।

3. अग्रिम

क) अग्रिमों को भा.रि.बैं. द्वारा जारी दिशानिदेशों के अनुसार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है तथा गैर–निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) के लिए किए गए निर्दिष्ट प्रावधान के निवल के रूप में दर्शाया गया है।

ख) क्रेडिट कार्ड बकायों को उस स्थिति में एनपीए के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जहाँ न्यूनतम प्राप्य बकाया राशि लगातार 90 दिन से अधिक अवधि से चूक में रही है। गैर–निष्पादक कार्ड खातों से आय वित्तीय विवरण में नहीं ली गई है।

ग) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अंतर्गत आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण अपेक्षा के आधार पर अवमानक, संदिग्ध तथा हानि–अग्रिमों के लिए प्रावधान किया गया है।

घ) गैर–निष्पादक अग्रिमों में वसूली, पहले बही शेष में, उसके बाद प्रभारों एवं उसके पश्चात् वसूल न किए गए ब्याज में विनियोजित की गई है।

ङ) भा.रि.बैं. दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित मानक आस्तियों हेतु सामान्य प्रावधान को 'अन्य देयताएं–अन्य' के तहत शामिल किया गया है।

च) पुनः संरचित खातेः पुनःसंरचित अग्रिमों के लिए ऋण के उचित मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान अन्यथा अपेक्षित प्रावधान के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिदेशों के अनुसार किए गए हैं। अग्रिम के उचित मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान अग्रिमों से घटाया नहीं गया है तथा 'अन्य देयताएं–अन्य' शीर्ष के तहत तुलन–पत्र में शामिल किया गया है।

4. निवेश

4.1 वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिदेशों के अनुसार निवेशों के अधिग्रहण के समय निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैः

- परिपक्वता तक धारित (एचटीएम),
- बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) तथा
- ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी)।

बैंक, बही मूल्य या बाज़ार मूल्य, इन में से न्यूनतम मूल्य पर निवेशों को एएफएस/एचएफटी प्रवर्ग से एचटीएम प्रवर्ग में अंतरित करता है। अर्थात्, जहाँ अंतरण के समय बाज़ार मूल्य बही मूल्य से अधिक है, मूल्यवृद्धि को अनदेखा किया जाए तथा प्रतिभूति को बही मूल्य पर अंतरित किया जाए। ऐसे मामले जहाँ बाज़ार मूल्य बही मूल्य से कम है, इस प्रतिभूति (अंतरण को दिनांक को किए गए मूल्यांकन के आधार पर अपेक्षित अतिरिक्त प्रावधान, यदि कोई है, सहित) के विरुद्ध धारित मूल्यह्रास पर प्रावधान को बही मूल्य को बाज़ार मूल्य तक कम करने के लिए समायोजित किया जाए तथा प्रतिभूति बाज़ार मूल्य पर अंतरित किया जाए।

d] The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item.

3. ADVANCES

a) Advances are classified into standard, sub-standard, doubtful and loss assets in accordance with the guidelines issued by the RBI and are stated net of specific provisions made towards Non-Performing Advances ['NPAs'].

b) Credit Card dues are identified as NPAs where minimum dues receivable are in default for a continuous period of more than 90 days. Income from non performing card accounts is not recognized in financial statements.

c) Provisions for sub-standard, doubtful and loss advances are made on the basis of asset classification and provisioning requirements under the prudential norms laid down by the Reserve Bank of India.

d) Recoveries in non-performing advances are appropriated first towards book balance, then to charges and thereafter to unrealized interest.

e) General provision for Standard Assets made in accordance with RBI Guidelines is included under "Other Liabilities & Provisions-others".

f) Restructured Accounts: For restructured advances, provisions for erosion in fair value of loan are made in accordance with the guidelines issued by RBI, in addition to the provision otherwise required. The provision for erosion in fair value of advance is not reduced from advances and is included in the balance sheet under the head "Other Liabilities & Provisions-Others"

4. INVESTMENTS

4.1 Categorization & Classification

In accordance with the RBI guidelines, investments at the time of acquisition are categorized as

- Held to Maturity [HTM],
- Available for Sale [AFS] and
- Held for Trading [HFT].

The Bank shifts investments from AFS / HFT category to HTM category at the lower of book value or market value. In other words, in cases where the market value is higher than the book value at the time of transfer, the appreciation should be ignored and the security should be transferred at the book value. In cases where the market value is less than the book value, the provision against depreciation held against this security (including the additional provision, if any, required based on valuation done on the date of transfer) should be adjusted to reduce the book value to the market value and the security should be transferred at the market value.

यदि प्रतिभूति मूलतः बट्टे पर एचटीएम प्रवर्ग के तहत रखी जाती है, उसे अर्जन मूल्य/बही मूल्य पर एएफएस/एचएफटी प्रवर्ग में अंतरित किया जाए। (यह नोट किया जाए कि विद्यमान अनुदेशों के अनुसार एचटीएम प्रवर्ग के तहत धारित प्रतिभूतियों पर बट्टा उपचित करने की अनुमति नहीं है तथा, अतः, ऐसी प्रतिभूतियों को परिपक्वता तक अर्जन लागत पर धारण जारी रखा जाए)। अंतरण के पश्चात्, इन प्रतिभूतियों का तत्काल पुनर्मूल्यांकन किया जाए तथा परिणामी मूल्यह्रास, यदि कोई है, हेतु प्रावधान किया जाए।

यदि प्रतिभूति मूलतः प्रीमियम पर एचटीएम प्रवर्ग के तहत रखी जाती है, उसे परिशोधक मूल्य पर एएफएस/एचएफटी प्रवर्ग में अंतरित किया जाए। अंतरण के पश्चात्, इन प्रतिभूतियों का तत्काल पुनर्मूल्यांकन किया जाए तथा परिणामी मूल्यह्रास, यदि कोई है, हेतु प्रावधान किया जाए।

एएफएस से एचएफटी प्रवर्ग में या विलोमतः प्रतिभूतियों को अंतरित करने पर, अंतरण की तारीख को प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यन करने की आवश्यकता नहीं है तथा संचित मूल्यह्रास के लिए यदि कोई प्रावधान धारित किया है तो उसे एचएफटी प्रतिभूतियों के विरुद्ध मूल्यह्रास हेतु प्रावधान में या विलोमतः अंतरित किया जा सकता है।

तथापि, तुलन-पत्र में प्रकटन हेतु निवेशों को सात प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है - सरकारी प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकारी विशेष प्रतिभूतियाँ, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, शेयर, डिबेंचर तथा बॉंड, अनुषंगियों/क्षे.ग्रा.बैं./संयुक्त उद्यमों तथा अन्य (म्यूचुअल फंड की यूनिटों, वाणिज्यिक पत्रों, जमा प्रमाण पत्र तथा वेंचर पूंजी निधि और नाबार्ड के आरआईडीएफ, सिडबी के एमएसएमई फंड, एनएचबी में निवेश)।

'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के तहत वर्गीकृत निवेशों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क) मांग तथा मीयादी देयताओं के 21.50% तक या भा.रि.बैं. द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अनुसार एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश।

ख) पुनर्पूंजीकरण आवश्यकताओं हेतु भारत सरकार से प्राप्त पुनर्पूंजीकरण बांड।

ग) अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों के शेयरों में निवेश।

घ) नाबार्ड की आरआईडीएफ योजनाएं/सिडबी की एमएसएमई (पुनर्वित्त) निधि/एनएचबी की आरएचएफ जमाएं।

ङ) उद्यम पूँजी निधियों में निवेश, 23 अगस्त, 2006 के बाद प्रत्येक गिरावट से तीन वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए किए गए हैं।

ट्रेडिंग के उद्देश्य से प्राथमिक रूप से अधिग्रहीत निवेशों को एचएफटी प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूतियाँ 90 दिन से अधिक नहीं धारित की गई हैं व विक्रय करने में असमर्थता या अत्यधिक उतार-चढाव अथवा बाजार के एकतरफा होने जैसी अपवादात्मक परिस्थितियों में ही बोर्ड/आल्को/निवेश समिति के अनुमोदन से एएफएस श्रेणी में अंतरित किए जाते हैं।

अन्य सभी निवेशों को एएफएस के तहत वर्गीकृत किया गया है।

If the security was originally placed under the HTM category at a discount, it may be transferred to AFS / HFT category at the acquisition price / book value. (It may be noted that as per existing instructions banks are not allowed to accrue the discount on the securities held under HTM category and, therefore, such securities would continue to be held at the acquisition cost till maturity). After transfer, these securities should be immediately re-valued and resultant depreciation, if any, may be provided.

If the security was originally placed in the HTM category at a premium, it may be transferred to the AFS / HFT category at the amortised cost. After transfer, these securities should be immediately re-valued and resultant depreciation, if any, may be provided.

In the case of transfer of securities from AFS to HFT category or vice-versa, the securities need not be re-valued on the date of transfer and the provisions for the accumulated depreciation, if any, held may be transferred to the provisions for depreciation against the HFT securities and vice-versa.

However, for disclosure in the Balance sheet, investments are classified under seven categories – Government securities, State Govt. special securities, other approved securities, shares, debentures and bonds, Investments in Subsidiaries/RRB/Joint Ventures and Others [units of Mutual Funds, Commercial Papers, certificate of deposits and Venture Capital Funds and investments in RIDF of NABARD, MSME Fund of SIDBI, NHB].

Investments classified under 'Held to Maturity' include the following:

a) Investments in SLR securities upto 21.50% of Demand and Time liabilities or as notified by RBI from time to time.

b) Recapitalisation bonds received from the Government of India towards recapitalisation requirements.

c) Investments in share of subsidiaries and joint ventures.

d) RIDF Schemes of NABARD / MSME (Refinance) Fund of SIDBI/RHF deposits of NHB

e) Investment in Venture Capital Funds, for an initial period of 3 years of each draw down, after 23rd August, 2006.

Investments acquired primarily with an intention for trading are classified as HFT securities. As per RBI guidelines, securities in HFT category are not held beyond 90 days and are transferred to AFS category under exceptional circumstances like not able to sell or extreme volatility or market becoming unidirectional, with the approval of the Board/ALCO/Investment Committee.

All other investments are classified under AFS.

4.2 मूल्यांकन तथा परिणामी समायोजन:

क) **परिपक्वता तक धारित:** 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के तहत वर्गीकृत निवेश भारित औसत अर्जन लागत पर मूल्यांकित किए गए हैं। अधिग्रहण पर प्रीमियम यदि कोई है तो परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधन किया गया है। अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश के मामले में अस्थाई को छोड़कर अन्य ऐसे निवेश के मूल्य में कमी का निर्धारण किया गया है और उसके लिए प्रावधान किया गया है। वेंचर पूंजी निधि में निवेशों को लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

ख) **बिक्री के लिए उपलब्ध तथा ट्रेडिंग के लिए धारित:**

(i) इन प्रवर्गों ('ट्रेडिंग के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी के तहत वर्गीकृत) में निवेश को भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार एचएफटी तथा एएफएस हेतु क्रमशः मासिक तथा तिमाही अंतराल में बाज़ार/अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर अंकित किया गया है। जबकि ऊपर 4.1 में उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत परिणामी निवल मूल्यह्रास यदि कोई है, को लाभ एवं हानि लेखे में 'प्रावधान एवं आकस्मिकताओं' के रूप में निर्धारित किया गया है तथा मूल्यह्रास हेतु पहले किए गए प्रावधान की हद तक को छोड़कर निवल अधिमूल्यन को छोड़ दिया गया है। पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् अलग-अलग प्रतिभूतियों के बही मूल्य में परिवर्तन नहीं हुआ है। मूल्यह्रास के अतिरिक्त प्रावधान के प्रतिलेखन के संबंध में, उसे 'प्रावधान और आकस्मिकताएँ' में जमा किया गया है और समतुल्य राशि (करों का निवल और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण) को अनुसूची 2 – "आरक्षित निधि एवं अधिशेष" के तहत निवेश आरक्षित निधि खाते में विनियोजित किया गया है।

(ii) उपरोक्त (i) के उद्देश्य हेतु, बाजार कीमत/अनुमानित प्राप्य मूल्य निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:

4.2 Valuation and consequential adjustments :

a] **Held to Maturity:** Investments classified under 'Held-to-Maturity' are carried at weighted average acquisition cost. Premium on acquisition, if any, is amortized on a straight-line basis over the remaining maturity period. In case of investments in subsidiaries / joint ventures any diminution, other than temporary, in the value of such investment is recognized and provided for. Investments in Venture Capital Fund are valued at Cost.

b] **Available for Sale and Held for Trading :**

(i) Investments in these categories (classified under the category 'Held for Trading' and 'Available for Sale') are marked to market / estimated realizable value as per RBI guidelines at monthly and quarterly intervals for HFT and AFS respectively. While the resultant net depreciation, if any, within each category referred to in 4.1 above, is recognized in profit & loss account as "Provisions and Contingencies", the net appreciation is ignored except to the extent of depreciation previously provided. The book value of the individual scrip is not changed after revaluation. In the case of write back of excess provision of depreciation the same is credited to "Provisions and Contingencies "and a like amount (net of taxes and transfer to Statutory Reserve) is appropriated to Investment Reserve Account under Schedule 2 – "Reserves & Surplus".

(ii) For the purpose of (i) above, the market price / estimated realizable value is determined as under:

1.	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ Central Government of India securities	(i) उद्धृतः एफआईएमएमडीए द्वारा दिए कोटेशन के अनुसार बाज़ार मूल्य पर Quoted : At market price as per the quotation put out by FIMMDA. (ii) अनुद्धृतः एफआईएमएमडीए द्वारा दी गई कीमतों/वाईटीएम दरों के आधार पर Unquoted: on the basis of the prices/YTM rates put by the FIMMDA
2.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार विशेष प्रतिभूतियाँ, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियाँ (अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ) State Government Securities, State Government Special Securities, Securities guaranteed by Central/State Government (other approved securities)	(i) राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के मामले में एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित कीमतों पर At prices published by FIMMDA in respect of State Govt. Securities. (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के मामले में एफआईएमएमडीए द्वारा निर्दिष्ट प्रतिफल वक्र पर उपयुक्त अतिरिक्त कीमत लागत अंतर पर At appropriate spread upon the yield curve put out by the FIMMDA in respect of other approved securities
3.	ट्रेज़री बिल (पीडी कारोबार के कारण रखे ट्रेज़री बिलों सहित)/जमा प्रमाणपत्र/वाणिज्यिक पत्र Treasury Bills (including Treasury Bills held on account of PD business)/Certificates of deposits/Commercial paper	रखाव लागत पर At carrying cost.

4.	ईक्विटी शेयर Equity shares	(i) उद्धृतः बाज़ार मूल्य पर Quoted : At market price (ii) अनुद्धृतः कंपनी के अद्यतन तुलन-पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो) के अनुसार निश्चित विश्लेषित मूल्य पर अन्यथा ₹ 1/- प्रति कंपनी। Unquoted: At break up value as ascertained from the company's latest Balance Sheet [not more than one year old], otherwise at ₹ 1/- per company.
5.	अधिमान शेयर, डिबेंचर एवं बांड Preference Share, Debentures and Bonds	(i) उद्धृतः बाज़ार मूल्य पर Quoted : At market price (ii) अनुद्धृतः उचित परिपक्वता प्रतिफल पर Unquoted: On appropriate yield to maturity
6.	म्यूचुअल फंड Mutual Fund	(i) उद्धृतः. बाज़ार मूल्य पर Quoted : At market price (ii) अनुद्धृतः पुनर्क्रय मूल्य या प्रत्येक योजना में फंड द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य पर (जहाँ पुनर्क्रय मूल्य उपलब्ध नहीं है) Unquoted : At repurchase price or Net Asset Value [where repurchase price is not available] declared by the fund in each of the schemes
7.	उद्यम पूंजी निधि Venture Capital Funds	(i) उद्धृतः बाज़ार मूल्य पर Quoted: At market value (ii) अनुद्धृतः इकाइयों के रूप में निवेशों के मामले में, अपने वित्तीय विवरणों में वीसीएफ द्वारा दर्शाए गए एनएवी पर मूल्यांकन किया जाए। एनएवी पर आधारित इकाइयों पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए निवेशों के एएफएस प्रवर्ग से एचटीएम प्रवर्ग में अंतरण के समय तथा वीसीएफ से प्राप्त वित्तीय विवरणों के आधार पर तिमाही या बारंबार अंतरालों पर किए जाने वाले अनुवर्ती मूल्यांकनों पर भी प्रावधान किया जाना चाहिए। इकाइयों का कम से कम वर्ष में एक बार लेखापरीक्षित परिणामों के आधार पर मूल्यांकन किया जाए। तथापि, यदि एनएवी आँकडे दर्शाने वाले लेखा परीक्षित तुलन पत्र/ वित्तीय विवरण मूल्यांकन की तारीख को 18 माह से अधिक के लिए उपलब्ध नहीं हैं, तो निवेशों का मूल्यांकन 1 रुपया प्रति वीसीएफ पर किया जाए। Unquoted: In the case of investments in the form of units, the valuation will be done at the NAV shown by the VCF in its financial statements. Depreciation, if any, on the units based on NAV has to be provided at the time of shifting the investments to AFS category from HTM category as also on subsequent valuations which should be done at quarterly or more frequent intervals based on the financial statements received from the VCF. At least once in a year, the units should be valued based on the audited results. However, if the audited balance sheet/ financial statements showing NAV figures are not available continuously for more than 18 months as on the date of valuation, the investments are to be valued at Rupee 1per VCF.

4.3 गैर-निष्पादक निवेश

क) केन्द्र सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों को छोड़कर सभी प्रतिभूतियों को, जहाँ मूलधन या ब्याज की चुकौती देय तारीख से 90 दिनों के अंदर नहीं की गई है, गैर-निष्पादक निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों को मूलधन/ब्याज अदायगी बकाया रहने के बावजूद निष्पादक निवेशों के रूप में माना गया है। गैर-निष्पादक के रूप में वर्गीकृत निवेशों के संबंध में इन निवेशों के मूल्य में मूल्यहास हेतु उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं। इन प्रतिभूतियों के संबंध में अपेक्षित मूल्यहास अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यवृद्धि के साथ समंजन नहीं किया गया है।

4.3 Non-performing Investments

a] All such securities where repayment of principal or interest not serviced within 90 days from the due date are classified as Non-Performing Investments, except securities guaranteed by the Central Government which are treated as performing investments notwithstanding arrears of principal / interest payments. In respect of investments classified as Non-performing, appropriate provisions are made for the depreciation in the value of these investments. The depreciation requirement in respect of these securities is not set off against appreciation in respect of other performing securities.

ख) जहाँ बैंक का किसी पार्टी/ग्रुप में ऋण एवं निवेश दोनों विनिधान हैं तथा ऋण विनिधान को गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करने की स्थिति में इनमें निवेश विनिधान को भी गैर-निष्पादक के रूप में वगीकृत किया गया है।

स्पष्टीकरण:

यदि जारीकर्ता द्वारा उपलब्ध कोई ऋण सुविधा बैंक की बहियों में एनपीए है, उसी जारीकर्ता द्वारा जारी अधिमान शेयरों सहित किसी भी प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई तथा विलोमतः माना जाएगा। तथापि, यदि मात्र अधिमान शेयरों को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उसी जारीकर्ता द्वारा किसी अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा तथा उस उधारकर्ता को प्रदत्त कोई निष्पादक ऋण सुविधाओं को एनपीए के रूप में नहीं माना जाएगा।

4.4 रेपो लेनदेनों के लिए लेखांकन

भा.रि.बैं. द्वारा 1 अप्रैल, 2010 से जारी संशोधित लेखांकन दिशानिर्देश सरकारी प्रतिभूतियों तथा कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में बाज़ार रेपो लेनदेनों के लिए लागू होगा। तथापि, ये लेखांकन मानदंड रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा(एलएएफ) के तहत संचालित रेपो/ रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए लागू नहीं होंगे।

रेपो/ रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए निम्नलिखित क्रियाविधि लागू की जाए:

वर्ष के दौरान रेपो/ रिवर्स रेपो लेनदेनों पर प्राप्त / प्रदत्त राशियाँ रेपो/ रिवर्स रेपो खाते में नामे/ जमा की गई तथा लेनदेनों की परिपक्वता पर प्रतिवर्तित की गई।

4.5 निवेश लेनदेनों हेतु लेखांकन

i) बैंक अपने निवेशों के लेखांकन हेतु निपटान तारीख पद्धति का पालन करता है;

ii) लागत भारित औसत लागत पद्धति पर निर्धारित की गई है;

iii) प्रतिभूतियों के विक्रय पर लाभ का विक्रय पर हानि के साथ निवल निकाला गया है;

iv) तरल म्यूचुअल फंडों के विक्रय/मोचन मूल्य तथा बही मूल्य के बीच अंतर को निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ माना गया है।

5. स्थिर आस्तियाँ

क) i. स्थिर आस्तियों को संचित मूल्यह्रास तथा हानि हेतु प्रावधान को कम करते हुए लागत पर दर्शाया गया है। लागत में क्रय कीमत तथा आस्ति को उसके अभिप्रेत प्रयोग हेतु उसके कार्य करने की स्थिति में लाने हेतु सहायक कोई भी लागत शामिल है। स्थिर आस्तियों की निहित राशि की प्रत्येक तुलन-पत्र दिनांक को समीक्षा की जाती है तथा किसी भी क्षति हेतु भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखांकन मानक 28 (आस्तियों की क्षति) के अनुसार समायोजित किया गया है।

b] Where the Bank has both credit and investment exposures to any borrower/ group and in the event the credit exposure is classified as Non-Performing asset, the investment exposure to them is also classified as Non-Performing.

Clarifications:

If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities, including preference shares issued by the same issuer would also be treated as NPI and vice versa. However, if only the preference shares are classified as NPI, the investment in any of the other performing securities issued by the same issuer may not be classified as NPI and any performing credit facilities granted to that borrower need not be treated as NPA.

4.4 ACCOUNTING FOR REPO TRANSACTIONS

The revised accounting guidelines effective from April 1, 2010 issued by Reserve Bank of India are applicable to market repo transactions in Government Securities and corporate debt securities. These accounting norms will, however, not apply to repo / reverse repo transactions conducted under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the Reserve Bank.

The following procedure shall be applicable for Repo / Reverse Repo transactions:

Monies received/paid during the year on Repo / Reverse Repo transactions are debited / credited to Repo/ Reverse Repo Account and reversed on maturity of the transactions. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure/income, as the case may be.

4.5 Accounting for Investment Transactions

i) The Bank follows settlement date method of accounting its investments;

ii) Cost is determined on weighted average cost method;

iii) Profit on sale is netted with loss on sale of securities;

iv) The difference between the sale/ redemption value of liquid Mutual Funds and the book value is treated as profit on sale of investments.

5. FIXED ASSETS

a] i. Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and provision for impairment. Cost comprises of the purchase price and any cost attributable for bringing the asset to its working condition for its intended use. The carrying amounts of fixed assets are reviewed at each balance sheet date and adjusted for any impairment in accordance with the Accounting Standard 28 ("Impairment of Assets") issued in this regard by the Institute of Chartered Accountants of India.

ii. **आस्तियों की क्षति:**

जहाँ किन्हीं घटनाओं और परिस्थितियों में परिवर्तनों के कारण ऐसा हो जाता है कि किसी आस्ति के रखाव राशि की वसूली नहीं हो सकती है, वहाँ स्थिर आस्तियों की क्षति हेतु समीक्षा की गई है। धारित और उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली क्षमता किसी आस्ति की रखाव राशि से उक्त राशि से प्रत्याशित भावी निवल बट्टाकृत नकद प्रवाह की तुलना द्वारा मापा जाता है। यदि ऐसी आस्तियों को क्षत माना जाता है, तो उक्त आस्ति के उचित मूल्य से जितनी अधिक उसकी रखाव राशि है, उससे क्षति का निर्धारण किया जाता है।

iii. कार्यगत पूँजी में स्थिर आस्तियों की लागत शामिल है जो अपने अभिप्रेत प्रयोग हेतु तैयार नहीं है तथा स्थिर आस्तियाँ अर्जित करने हेतु प्रदत्त अग्रिम भी शामिल है।

ख) पूँजीकरण के दिनांक से जहाँ सीधी रेखा पद्धति के तहत मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधान के अनुसार आस्ति के उपयोगी समय पर विचार करते हुए आस्तियों हेतु मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। सावधानी के मामले के रूप में बैंक ने पाया कि निम्नलिखित आस्तियों का उपयोगी समय कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II (संदर्भ: धारा 123)में उल्लिखित आस्तियों के संबंधित प्रवर्ग के उपयोगी समय से कम है:

क) सर्वर तथा नेटवर्क
ख) मोबाइल फोन
ग) यूपीएस तथा संबद्ध मदें

सर्वर तथा नेटवर्क तथा मोबाइल फोन के मामले में 1/3 प्रतिवर्ष की दर पर तथा यूपीएस तथा संबद्ध मदों हेतु 1/5 प्रति वर्ष की दर पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। पट्टाधारी सुधारों हेतु 1/5 प्रति वर्ष की दर पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

ग) जहाँ भूमि एवं भवन का मूल्य अलग-अलग नहीं लिया गया है, वहाँ परिसर पर मूल्यह्रास संयुक्त लागत पर प्रदान किया गया है।

6. विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेन

क) विदेशी मुद्रा में किए गए लेनदेनों को लेनदेन की तिथि को लागू दरों पर परिकलित किया गया है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक आस्तियाँ एवं देयताएं तुलन-पत्र की तिथि को भारतीय विदेश विनिमय डीलर एसोसिएशन (एफ ई डी ए आई) द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर परिकलित की गई हैं तथा परिणामी लाभ/हानियाँ लाभ एवं हानि खाते में शामिल की गई हैं।

ख) विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदें जो परंपरागत लागत के अनुसार ली गई, लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का प्रयोग करके रिपोर्ट की गई हैं।

ग) ट्रेडिंग के लिए धारित बकाया वायदा विनिमय हाजिर व वायदा करार विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं हेतु एफ ई डी ए आई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किए गए हैं तथा परिणामी लाभ या हानि को लाभ हानि खाते में लिया गया है।

ii. **Impairment of Assets:**

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

iii. Capital Work-in-progress includes cost of fixed assets that are not ready for their intended use and also includes advances paid to acquire fixed assets.

b] Depreciation is provided under the straight line method from the date of capitalization. The assets are depreciated taking into consideration the useful life of the asset as provided in schedule II of the Companies Act, 2013. The Bank as a matter of prudence finds that the useful life of the following assets is lower than the useful life of the respective category of assets mentioned in Schedule II (ref.: Sec. 123) of the Companies Act, 2013:

a) Servers and networks
b) Mobile Phones
c) UPS and allied items

Depreciation in the case of Servers and networks and Mobile phones are depreciated at the rate of 1/3rd per annum and UPS and Allied items at the rate of 1/5th per annum. Leasehold improvements are depreciated at the rate of 1/5th per annum.

c] Depreciation on premises is provided for on composite cost, wherever the value of land and building is not separately identified.

6. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

a) Transactions denominated in foreign currencies are accounted for at the rates prevailing on the date of the transaction. Foreign currency monetary assets and liabilities are translated at the balance sheet date at closing exchange rates notified by Foreign Exchange Dealers Association of India ['FEDAI'] and the resulting profits/losses are recognized in the profit and loss account.

b) Foreign Currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

c) Outstanding foreign exchange spot and forward contracts meant for trading purpose are revalued at the exchange rates specified for spot and the respective forward maturities as notified by FEDAI. The resulting profit or loss is shown under Profit or Loss account.

घ) विदेश विनिमय वायदा संविदाएं, जो ट्रेडिंग हेतु उद्दिष्ट नहीं हैं तथा तुलन पत्र के दिनांक को बकाया हैं, उनका पुनर्मूल्यन एफ ई डी ए आई द्वारा अधिसूचित अंतिम हाज़िर दरों पर किया गया है तथा परिणामी लाभ या हानि लाभ-हानि खाते में दर्शाई गई है। ऐसे वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ पर उत्पन्न प्रीमियम या बट्टे को संविदा अवधि में ब्याज व्यय अथवा आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

ङ) विदेशी मुद्रा में आकस्मिक देयताओं को एफ ई डी ए आई की अंतिम हाज़िर दरों का उपयोग करके रिपोर्ट किया गया है।

7. व्युत्पन्न संविदाएं

क) बैंक विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप, मुद्रा फ्युचर, ऑप्शन तथा वायदा दर करार जैसे व्युत्पन्न संविदाएं करता है।

ख) व्युत्पन्न करारों पर बचाव (हेज) के रूप में वर्गीकृत आय/व्यय उपचय आधार पर दर्ज की गई है।

ग) सभी ट्रेडिंग व्युत्पन्न संविदाएं बाजार दर पर निर्दिष्ट की गई हैं तथा परिणामी लाभ या हानि लाभ-हानि लेखे में विनिर्दिष्ट की गई है।

घ) सभी व्युत्पन्न लेनदेन आकस्मिक देयताओं के तहत वर्गीकृत किए गए हैं तथा विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के लेनदेनों को एफ ई डी ए आई अंतिम हाज़िर दरों का प्रयोग करके रिपोर्ट किया गया है।

8. बहुमूल्य धातु निहित लेनदेन

क) बहुमूल्य धातु लेनदेन से प्राप्त आय को 'अन्य आय' के रूप में लेखांकित किया गया है। परेषण आधार पर प्राप्त धातुओं के मामले में उसे बिक्री के समय की आय के आधार पर निर्धारण किया गया है।

ख) बहुमूल्य धातुओं के रूप में ग्राहकों को दिए गए पण्य ऋणों तथा जनता से स्वर्ण जमा योजना के अंतर्गत प्राप्त जमाओं को अवधि समाप्ति के समय प्रचलित बाज़ार संबद्ध दरों में परिवर्तित किया गया है तथा क्रमशः 'अग्रिम' और 'जमाएं' शीर्ष के तहत दर्शाया गया है।

ग) बहुमूल्य धातुओं के अंतिम स्टाक को (अपने लेनदेन) लागत से निम्न तथा निवल वसूली योग्य मूल्य पर आँका गया है।

घ) स्वर्ण जमा योजना के अंतर्गत धारित स्वर्ण के अंतिम स्टाक को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बाज़ार संबद्ध दरों पर आँका गया है।

9. नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में शेष

नकदी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष में हस्तगत व एटीएमों में नकदी तथा हस्तगत स्वर्ण एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चालू खाते में शेष शामिल हैं।

10. स्टाफ हितलाभ

(क) बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 के अनुसार कर्मचारी हितलाभ का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है।

d) Foreign exchange forward contracts, which are not intended for trading and are outstanding at the balance sheet date, are revalued at the closing spot rate as notified by FEDAI and the resulting profit or loss is shown under Profit or Loss account. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortized as interest expense or income over the period of the contract.

e) Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

7. DERIVATIVES

a) The bank enters into derivative contracts such as foreign currency interest rate swaps, currency swaps, currency futures, options and forward rate agreements.

b) The income/expenses on derivative contracts classified as hedge are recorded on accrual basis.

c) All trading derivative contracts are marked to market and the resultant gains or losses are recognized in the profit and loss account.

d) All derivative transactions are classified under contingent liabilities and those denominated in foreign currencies are reported using the FEDAI closing spot rates.

8. TRANSACTIONS INVOLVING PRECIOUS METALS

a] Income from precious metals transactions is accounted for as "Other Income". In case of metals received on consignment basis, the income thereon is recognized at the time of sale.

b] Commodity loans to the constituents and deposits from public under the gold deposit scheme in the form of precious metals are translated at market related rates prevailing at the close of the period and shown under the head "Advances" and "Deposits" respectively.

c] Closing stock of precious metals [own dealing] is valued at lower of the cost and net realizable value.

d] Closing stock of gold held under Gold Deposit Scheme is valued at market related rates, as per RBI guidelines.

9. CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

Cash and Balance with Reserve Bank of India include cash on hand and in ATM's, and gold in hand and balances with RBI in current accounts.

10. EMPLOYEE BENEFITS

a) The Bank has accounted for Employee Benefits as per Accounting Standard 15 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

(ख) i) ग्रैच्युटी, पेंशन तथा छुट्टी नकदीकरण, आदि को देय अंशदान, जो हितलाभ परिभाषित हैं, तुलन-पत्र दिनांक को स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित हैं।

ii) मान्यता प्राप्त भविष्य निधि/ राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन पी एस) को देय अंशदान, जो निर्धारित अंशदान योजना है, लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किए गए हैं।

11. पट्टागत लेनदेन

परिचालन पट्टे पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टे के भुगतानों को पट्टे की अवधि में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर लाभ-हानि लेखे में व्यय के रूप में लिया गया है।

12. आकस्मिक देयताएं एवं प्रावधान

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां" के अनुरूप बैंक प्रावधानों का निर्धारण केवल तभी करता है जब विगत किसी घटना के फलस्वरूप उसे वर्तमान दायित्व होता है। यह संभव है कि जब दायित्व का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है तब आर्थिक लाभ अभिव्यक्त करने वाले संसाधनों के बाहर प्रवाह से दायित्व का निपटान करना पड़े।

संभावित दायित्व उत्पन्न करने वाले पिछली घटनाओं की पुष्टि जिनका अस्तित्व एक अथवा अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं, जो पूर्णतः बैंक के नियंत्रण में नहीं हैं, के घटने या न घटने पर ही, की जाएगी अथवा वर्तमान दायित्व, जहाँ यह संभाव्य नहीं है कि आर्थिक लाभ उत्पन्न करने वाले संसाधनों का कोई बहिर्वाह दायित्व का निपटान करने हेतु अपेक्षित होगा अथवा दायित्व की राशि का विश्वसनीय प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है, इन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में माना जाता है तथा लेखांकन मानक 29 के अनुसार कार्यवाई की जाती है।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का निर्धारण नहीं किया जाता है।

13. आय पर कर

आय कर व्यय में चालू कर (अर्थात् आय कर कानून के अनुसार निर्धारित अवधि हेतु कर की राशि) तथा आस्थगित कर प्रभार या जमा (अवधि हेतु लेखांकन आय तथा कर योग्य आय के बीच समय के अंतर का कर प्रभाव प्रतिबिंबित करने वाला) शामिल है।

क) लागू कर दरों, कर विधियों और अनुकूल न्यायिक उद्घोषणाओं/ विधिक अभिमतों के अनुसार कराधान प्राधिकारियों को भुगतान हेतु अपेक्षित राशि के आधार पर चालू कर को मापा गया है।

ख) आस्थगित कर प्रभार या जमा तथा अनुरूपी आस्थागित कर देयताओं या आस्तियों को उन कर दरों के प्रयोग से निर्धारित किया गया है जो तुलन-पत्र दिनांक तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित की गई हैं। भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार, आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती को स्थाई अंतर नहीं माना गया है आस्थगित कर देयता सृजित की जानी है। जहाँ तक निवेश संविभाग में मूल्यह्रास का सवाल है, चूँकि लेखों के अनुसार निवेशों पर मूल्यह्रास

b) i) Contributions payable to Gratuity, Pension and Leave Encashment etc., which are defined benefits, based on actuarial valuations, at the Balance Sheet date, carried out by an independent actuary;

ii) Contributions payable to the recognized provident fund/National Pension Scheme (NPS), which is a defined contribution scheme; are charged to the profit and loss account.

11. LEASE TRANSACTIONS

Lease payments for assets taken on operating lease are recognized as an expense in the profit and loss account on a straight-line basis over the lease term.

12. CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Past events leading to possible obligations existence of which will be confirmed only by the occurrence or nonoccurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or present obligations where it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made, are treated as contingent liabilities and are dealt-with in accordance with AS 29.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

13. TAXES ON INCOME

Income-tax expense comprises current tax [i.e. amount of tax for the period determined in accordance with the income-tax law] and deferred-tax charge or credit [reflecting tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period].

a] Current tax is measured at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using the applicable tax rates, tax laws and favourable judicial pronouncements / legal opinions.

b] The deferred-tax charge or credit and the corresponding deferred-tax liabilities or assets are recognized using the tax rates that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. As per RBI guideline, Deduction under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act 1961 is no longer considered as permanent difference and the Deferred Tax Liability is to be created. As regards depreciation on Investment Portfolio, since the difference in

में अंतर और आय कर अभिकलन के अनुसार अंतर को स्थाई अंतर माना जाता है, अतः निवेश पर मूल्यह्रास के प्रति डीटीएल का सृजन आवश्यक नहीं समझा गया। आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण उसी सीमा तक विवेकानुसार किया गया है जहाँ यह संभाव्य निश्चितता रहती है कि आस्तियों को भविष्य में प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन बैंक हानियों पर आस्थगित कर आस्तियों का सृजन नहीं करेगा।

14. प्रति शेयर अर्जन

मूल एवं तनूकृत प्रति शेयर आय का परिकलन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 20 प्रति शेयर अर्जन के अनुरूप किया गया है।

15. ट्रिगर इवेंट के होने पर बेसल III आधारित अतिरिक्त टियर I बॉण्ड तथा टियर II बॉण्ड का निरूपण:

क) ट्रिगर इवेंट अर्थात्, सामान्य इक्विटी टियर 1 ट्रिगर इवेंट के होने पर बैंक बॉण्डों के बकाया मूलधन का अवलेखन करेगा जो "एटी1 बॉण्ड रिज़र्व" के सृजन द्वारा उपरोक्त सीईटी1 ट्रिगर इवेंट को बैंक के सामान्य इक्विटी अनुपात की तत्काल वापसी हेतु अपेक्षित राशि से कम नहीं होगा। इस प्रकार सृजित रिज़र्व सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी बॉण्ड का भाग होगा जिसे सीईटी1 ट्रिगर इवेंट के होने पर अस्थायी रूप से अवलेखित किया गया है, को एटी–1 बॉण्ड रिज़र्व में नामे करते हुए बॉण्ड निर्गम/ भा.रि.बैं. दिशानिर्देशों के अनुसार पुनःस्थापित किया जाएगा।

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रारंभ प्वाइंट ऑफ नॉन वायेबिलिटी (पीओएनवी) ट्रिगर इवेंट के होने पर, मामले के अनुसार एटी–1 बॉण्ड रिज़र्व/ टियर II बॉण्ड रिज़र्व के तदनुरूपी सृजन के साथ स्थायी रूप से अतिरिक्त टियर I बॉण्ड मूलधन राशि के अवलेखन द्वारा सामान्य इक्विटी टियर I पूँजी का सृजन कर सकते हैं। पुनःस्थापना शर्त पीओएनवी ट्रिगर इवेंट की घटना पर लागू नहीं है।

depreciation on Investments as per accounts and as per income tax computation is treated as permanent difference, creation of DTL against depreciation on investment portfolio not considered necessary. Deferred-tax assets are recognized keeping in view the consideration of prudence only to the extent there is virtual certainty that the assets can be realized in future. However Bank will not create Deferred Tax Assets on losses.

14. EARNINGS PER SHARE

Basic and Diluted Earnings per Equity Share are computed in accordance with Accounting Standard 20, Earnings Per Share, issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

15. Treatment of Basel III compliant Additional Tier I Bonds and Tier II Bonds on occurrence of Trigger events:

A] On occurrence of Trigger event i.e. Common Equity Tier 1 trigger event the Bank shall write-down the outstanding principal of the Bonds not less than that the amount required to immediately return the Banks Common Equity Ratio to above the CET1 trigger event by creating "AT 1 Bond Reserve". The reserve so created shall be part of Common Equity Tier I Capital Bonds written down on occurrence of CET1 Trigger event temporarily may be re-instated in terms of Bond issue /RBI guidelines by debit to AT-1 Bond reserve.

b] On occurrence of Point of Non Viability [PONV] trigger event initiated by Reserve Bank of India, the Bank may create common equity Tier I capital by writing off Additional Tier I Bond principal amount permanently with corresponding creation of AT-1 Bond reserve/Tier II Bond Reserve as the case may be. The re-instatement clause is not applicable on occurrence of PONV trigger event.

अनुसूची 18

टिप्पणियां जो 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु लेखों का अभिन्न अंग हैं

क. भा.रि.बैं. द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार अपेक्षित प्रकटन

1.0 पूँजी

क) वर्ष के दौरान बैंक ने बांड जारी करके ₹500 करोड़ राशि की जुटाई है, जो अतिरिक्त टियर I पूंजी के रूप में लेने के लिए पात्र है।

ख) बैंक की पूँजी में भारित जोखिम आस्ति अनुपात (सीआरएआर) की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार की गई है। दिनांक 31 मार्च, 2015 के अनुपात निम्नवत् हैः

Schedule 18

NOTES FORMING INTEGRAL PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2015

A. DISCLOSURES REQUIRED IN TERMS OF GUIDELINES ISSUED BY RBI

1.0 CAPITAL

a) During the year, Bank has raised an amount of ₹500 crore through issue of bonds which are eligible to be considered as additional tier I capital.

b) The Bank's Capital to Weighted Risk Assets Ratio (CRAR) has been worked out as per Reserve Bank of India guidelines. The ratios as at 31st March, 2015 are:

(राशि करोड़ में Amount in Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015		यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	
		बेसल III Basel III	बेसल II Basel II	बेसल III Basel III	बेसल II Basel II
i)	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी अनुपात (%) Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	7.34%	7.39%	7.63%	7.79%
ii)	टियर 1 पूँजी अनुपात (%) Tier 1 capital ratio (%)	8.05%	8.28%	8.14%	8.37%
iii)	टियर 2 पूँजी अनुपात (%) Tier 2 capital ratio (%)	3.04%	3.52%	3.51%	3.84%
iv)	कुल पूँजी अनुपात (सीआरएआर) (%) Total Capital ratio (CRAR) (%)	11.09%	11.80%	11.65%	12.21%
v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत Percentage of the shareholding of the Government of India	63.33%	63.33%	63.33%	63.33%
vi)	वर्ष के दौरान संग्रहीत ईक्विटी पूँजी की राशि Amount of equity capital raised during the year	शून्य Nil	शून्य Nil	450.00	450.00
vii)	वर्ष के दौरान संग्रहीत अतिरिक्त टियर1 पूँजी की राशि Amount of Additional Tier 1 capital raised during the year				
	पीएनसीपीएसः PNCPS	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
	पीडीआईः PDI	500.00	500.00	शून्य Nil	शून्य Nil
viii)	संग्रहीत टियर 2 पूँजी; जिनमें से Amount of Tier 2 capital raised; of which				
	कर्ज पूँजी लिखतः Debt capital instrument	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
	अधिमान शेयर पूँजी लिखत Preference Share Capital Instruments	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
	शाश्वत संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस) Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS)	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
	प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस) Redeemable Non-Cum. Preference Shares (RNCPS)	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
	प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस) Redeemable Cum. Preference Shares (RCPS)	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil

2.0 निवेश
2.0 INVESTMENTS

(राशि करोड़ में Amount in Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
1	**निवेशों का मूल्य Value of Investments**		
(i)	निवेशों का सकल मूल्य Gross Value of Investments		
	क) (a) भारत में In India	63521.87	66650.51
	ख) (b) भारत के बाहर Outside India	0.10	0.10
(ii)	**मूल्यह्रास हेतु प्रावधान Provisions for Depreciation**		
	क) (a) भारत में In India	109.69	459.40
	ख) (b) भारत के बाहर Outside India	शून्य Nil	शून्य Nil
(iii)	**निवेशों का निवल मूल्य Net Value of Investments**		
	क) (a) भारत में In India	63412.18	66191.11
	ख) (b) भारत के बाहर Outside India	0.10	0.10
2	**निवेशों में मूल्यह्रास हेतु धारित प्रावधानों की स्थिति Movement of provisions held towards depreciation on investments**		
	प्रारंभिक शेष Opening balance	459.40	108.41
	जोड़ेः वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Add: Provisions made during the year	145.16	536.51
	घटाएंः वर्ष के दौरान अधिक प्रावधानों का अपलेखन/प्रतिलेखन Less: Write-off/write-back of excess provisions during the year	494.87	185.52
	अंतिम शेष Closing balance	109.69	459.40

उपर्युक्त निवेशों में से निम्नलिखित प्रतिभूतियाँ गिरवी रखी/अंतरित की गई हैं
Out of the above investments, the following securities are pledged/ transferred

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में) (Face value in ₹ crore)

	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March 2014
एनएससीसीएल को प्रस्तुत प्रतिभूति SEC OFFERED TO NSCCL		
7.16% जी.एस. 2023 7.16% G.S. 2023	21	1
एमसीएक्ससीसीएल को प्रस्तुत प्रतिभूति SEC OFFERED TO MCXCCL		
8.28% जी.एस. 2032 8.28% GS 2032	-	1
7.16% जी.एस. 2023 7.16% G.S. 2023	0.55	-
सीबीएलओ हेतु सीसीआईएल को प्रस्तुत प्रतिभूति SEC OFFERED TO CCIL FOR CBLO		
7.83% जी.एस. 2018 7.83% G.S. 2018	400	-
7.46% जी.एस. 2017 7.46% G.S. 2017	500	500
युनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत प्रतिभूति SEC OFFERED TO UNITED STOCK EXCHANGE		
8.24% जी.एस. 2027 8.24% G.S. 2027	-	1
फॉरैक्स एफडब्ल्यूडी हेतु सीसीआईएल को प्रस्तुत प्रतिभूति SEC OFFERED TO CCIL FOR FOREX FWD		
8.24% जी.एस. 2027 8.24% G.S. 2027	38.10	20
एसजीएफ के रूप में सीसीआईएल को प्रस्तुत प्रतिभूति SEC OFFERED TO CCIL AS SGF		
8.20% जी.एस. 2025 8.20% G.S. 2025	50	50
8.32% जी.एस. 2032 8.32% G.S. 2032	300	300
8.24% जी.एस. 2027 8.24% G.S. 2027	200	-

निवेशों में विविध सुविधाएं प्राप्त करने हेतु भा.रि.बैं. को गिरवी रखी/ अंतरित ₹11,610.00 करोड़(गत वर्ष 19,860.00 करोड़) अंकित मूल्य की प्रतिभूतियाँ शामिल हैं। इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के नाम में अंतरित ₹7,200.00 करोड़ (गत वर्ष ₹15,450.00 करोड़) अंकित मूल्य की प्रतिभूतियाँ भी शामिल हैं, जिनमें अंकित मूल्य 3,062.80 करोड़(गत वर्ष 5,464.16 करोड़) की प्रतिभूतियाँ 31.03.2015 को एलएएफ-रेपो के तहत उधार हेतु भारग्रस्त हैं।

2.1 "परिपक्वता तकधारित" संवर्ग के तहत प्रतिभूतियों के संबंध में प्रीमियम ₹90.10 करोड़ (गत वर्ष ₹77.24 करोड़) का परिशोधन किया गया।

2.2 "बिक्री के लिए उपलब्ध" प्रवर्ग के अंतर्गत निवेशों के लिए ₹234.15 (गत वर्ष ₹512.30 करोड़ प्रदान किया गया था) करोड़ के मूल्यह्रास को प्रत्यावर्तित किया गया।

2.3 "ट्रेडिंग के लिए धारित" प्रवर्ग के अंतर्गत धारित निवेशों में ₹0.0016 करोड़ (गत वर्ष 3.11 करोड़ प्रत्यावर्तित किया गया) का मूल्यह्रास किया गया है।

2.4 वर्ष के दौरान बैंक ने ₹3014.84 करोड़ (गत वर्ष ₹8369.93 करोड़) के बही मूल्य की प्रतिभूतियों को "बिक्री के लिए उपलब्ध" प्रवर्ग से "परिपक्वता तकधारित" प्रवर्ग में अंतरित किया और ₹17.91 करोड़(गत वर्ष 8093.67 करोड़) के बही मूल्य की प्रतिभूतियों को "परिपक्वता तकधारित" प्रवर्ग से "बिक्री के लिए उपलब्ध" प्रवर्ग में अंतरित किया है और शून्य (गत वर्ष ₹340.62 करोड़) के बही मूल्य की प्रतिभूतियों को "ट्रेडिंग के लिए धारित" से "बिक्री के लिए उपलब्ध" प्रवर्ग में अंतरित किया है और ₹शून्य (गत वर्ष ₹505.24 करोड़) के बही मूल्य की प्रतिभूतियों को "ट्रेडिंग के लिए धारित" से "परिपक्वता तकधारित" प्रवर्ग में अंतरित भी किया है।

2.5 चालू वर्ष के दौरान, एचटीएम प्रवर्ग में/से प्रतिभूतियों की बिक्री/ अंतरण का मूल्य {प्रतिभूतियों का संविभाग अंतरण (भा.रि.बैं. द्वारा अनुमत एक बारगी/विशेष विंडो के अंतर्गत) और ओएमओ नीलामियों में भा.रि.बैं. को बिक्री को छोड़कर} वर्ष के प्रारंभ में एचटीएम प्रवर्ग में धारित निवेश के बही मूल्य के 5% के अंदर था।

Investments includes securities of the face value of ₹11,610.00 Crore (Previous year ₹19,860.00 Crore), pledged/transferred to RBI for availing various facilities. It also includes securities of the face value of ₹7,200.00 Crore (Previous year ₹15,450.00 Crore) transferred in the name of Reserve Bank of India out of which securities of the face value of ₹3,062.80 Crore (Previous year ₹5,464.16 Crore) were encumbered for borrowing under LAF-Repo as on 31.03.2015.

2.1 Premium of ₹90.10 Crore (Previous year ₹77.24 Crore) has been amortized in respect of securities under "Held to Maturity" category.

2.2 Depreciation of ₹234.15 Crore (Previous year ₹512.30 crore provided) has been reversed for investments under the "Available for Sale" category.

2.3 Depreciation of ₹0.0016 Crore (Previous year ₹3.11 crore reversed) has been provided for investments under the "Held for Trading" category.

2.4 During the year, the Bank has transferred securities of book value of ₹3014.84 Crore (Previous year ₹8369.93 Crore) from "Available for Sale category" to "Held to Maturity", transferred securities of book value of ₹17.91 Crore (Previous year ₹8093.67 Crore) from "Held to Maturity" to "Available for Sale category", transferred securities of book value of ₹ NIL (Previous year ₹340.62 Crore) from "Held for Trading" to "Available for Sale category" and also transferred securities of book value of ₹ NIL (Previous year ₹505.24 Crores) from "Held for Trading" to "Held to Maturity".

2.5 During the current year, the value of sales / transfers of securities to / from HTM category {excluding portfolio transfer of securities (under one time / special window permitted by RBI) and sales to RBI under OMO auctions} was within 5% of the book value of the investment held in HTM category at the beginning of the year.

2.6 रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के आधार पर) / 2.6 Repo Transactions (In face value terms)

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान औसतन दैनिक बकाया Daily Average outstanding during the year	यथा मार्च 31, 2015 As on March 31, 2015
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ Securities sold under repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ Government securities	5.00	719.77	17.45	0.00
ii. कार्पोरेट कर्ज प्रतिभूतियाँ Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased under reverse repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ Government securities	14.00	586.37	17.61	0.00
ii. कार्पोरेट कर्ज प्रतिभूतियाँ Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

2.7 गैर–एसएलआर निवेश संविभाग

i) यथा 31.03.2015 को गैर–एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना

2.7 Non-SLR Investment Portfolio

i) Issuer Composition of Non-SLR Investments as at 31.03.2015

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

क्र.सं. Sr. No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी नियोजन की मात्रा Extent of Private Placement	'निवेश ग्रेड से निम्न' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'Below investment Grade' securities	'अश्रेणीगत' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'Un-rated' Securities	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'Un-listed' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सा.क्षे. उद्यम (सा.क्षे. बैंकों व सा.क्षे. वि. संस्थाओं को छोड़कर) PSU (Excl. PSU Banks & PSU FIs)	1545.75	1522.82	-	83.03	1.49
2	वित्तीय संस्थाएं FIs	569.10	559.10	-	143.49	143.49
3	बैंक Banks	1820.41	1820.41	-	-	1794.90
4	निजी कार्पोरेट Private Corporates	597.99	553.18	103.34	296.51	289.27
5	अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम Subsidiaries/Joint Ventures	75.00	75.00	-	75.00	75.00
6	अन्य Others	10269.21	10269.21	-	154.92	154.92
7	मूल्यह्रास हेतु धारित प्रावधान Provision held towards depreciation	(109.66)	-	-	-	-
	कुल Total	14767.80	14799.72	103.34	752.95	2459.07

टिप्पणी

क) **उपर्युक्त कॉलम 4,5,6 और 7 में रिपोर्ट की गई राशि परस्पर अनन्य नहीं हो सकती।**

Note

a) **Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.**

ii) गैर–निष्पादक गैर–एसएलआर निवेश

ii) Non-performing Non-SLR Investments

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
प्रारंभिक शेष Opening Balance	**53.95**	26.63
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year since 1st April	**14.80**	27.32
उपर्युक्त अवधि के दौरान कमी Reduction during the above period	**0.00**	0.00
इतिशेष Closing balance	**68.75**	53.95
धारित कुल प्रावधान Total Provisions held	**68.75**	53.95

3.0 व्युत्पन्न संविदाएं

3.1 वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप

3.0 DERIVATIVES

3.1 Forward Rate Agreement/Interest Rate swap

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

मदें Items	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
(i) स्वैप करार का आनुमानिक मूलधन The notional principal of swap agreements	775.00	1,325.00
(ii) करारों के तहत यदि प्रति पार्टियाँ अपने दायित्व पूरा करने में असफल होती हैं तो उससे होनेवाली हानि Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	7.31	17.29
(iii) स्वैप में प्रवेश करने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति Collateral required by the bank upon entering into swaps	–	–
(iv) बैंकों को स्वैप से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम का केन्द्रीकरण Concentration of credit risk arising from the swaps to banks	–	–
(v) स्वैप बही का उचित मूल्य The fair value of the swap book	(2.34)	(4.02)

3.2 एक्सचेंज में व्यापारगत ब्याज दर व्युत्पन्न लिखतें

3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
(i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज में व्यापारगत ब्याज दर व्युत्पन्न लिखतों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	शून्य NIL	शून्य NIL
(ii)	31 मार्च को बकाया एक्सचेंज मं व्यापारगत ब्याज दर व्युत्पन्न लिखतों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March (instrument wise)	शून्य NIL	शून्य NIL
(iii)	बकाया परंतु ''अधिक प्रभावी'' नहीं, ऐसी एक्सचेंज में व्यापारगत ब्याज दर व्युत्पन्न लिखतों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise)	शून्य NIL	शून्य NIL
(iv)	बकाया परंतु ''अधिक प्रभावी'' नहीं, ऐसी एक्सचेंज में व्यापारगत ब्याज दर व्युत्पन्न लिखतों का बाजार-को-अंकित मूल्य (लिखत वार) Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise)	शून्य NIL	शून्य NIL

वर्ष के दौरान बैंक ने कोई एक्सचेंज में व्यापारगत ब्याज दर व्युत्पन्न संविदा नहीं की है।

The Bank has not contracted any exchange traded interest rate derivatives during the year.

3.3 व्युत्पन्न लिखतों में जोखिम एक्सपोज़र पर प्रकटन:

(i) गुणात्मक प्रकटन:

क) बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की व्युत्पन्न नीति बैंक को काउंटर पर (ओटीसी) तथा एक्सचेंज में व्यापारगत (ईटी) ब्याज दर तथा करेंसी व्युत्पन्न लिखतों के लेनदेन की अनुमति देती है। यह नीति ग्राहकों को विदेशी मुद्रा निवेशों के प्रबंधन के लिए उत्पादों को प्रस्तुत करने, जो अंतर बैंक बाज़ार में बैक-टु-बैक आधार पर आवरित होने हैं, की अनुमति देती है। व्युत्पन्नों को बैक द्वारा व्यापार तथा तुलन पत्र मदों की ट्रेडिंग और हेजिंग के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। चालू वित्त वर्ष में बैंक द्वारा वायदा व करेंसी फ्यूचरों वाले व्युत्पन्नों में सौदे किए।

ख) बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) इन जोखिमों के प्रबंधन की निगरानी करती है। बैंक का एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग (आईआरएमडी) स्वतंत्र रूप से व्युत्पन्न लिखत लेनदेनों संबंधी बाज़ार जोखिम अभिनिर्धारित करता है, उसे मापता है, निगरानी करता है और इन जोखिमों के नियंत्रण व प्रबंधन में आल्को की मदद करता है तथा नियमित अंतरालों में बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को नीतिगत परामर्शों के अनुपालन की रिपोर्ट देता है।

ग) व्युत्पन्न लिखत लेनदेन में बाज़ारी जोखिम है, अर्थात् ब्याज दरों/विनिमय दरों में प्रतिकूल परिवर्तनों के कारण बैंक को संभाव्य हानि तथा उधार जोखिम है, अर्थात् यदि प्रति पार्टियाँ अपनी वचनबद्धता का पालन नहीं करती हैं तो बैंक को होने वाली संभाव्य हानि। व्युत्पन्न लिखत लेनदेन में शामिल होने के लिए मंडल द्वारा अनुमोदित बैंक की "व्युत्पन्न लिखत नीति" बाज़ार जोखिम मानदण्ड तथा ग्राहक विनियोजन नीति निर्धारित करती है। केवल उन प्रतिपार्टियों के साथ व्युत्पन्न लिखत लेनदेन में शामिल होकर उधार जोखिम नियंत्रित की जाती है, जिनको वचनबद्धता के पालन की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त उधार सीमा मंजूर है। बैंक प्रत्येक प्रतिपार्टी के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्वैप डीलर्स एसोसिएशन (आईएसडीए) करार करता है।

घ) उल्लेखनीय लेखांकन नीति में उल्लिखित व्युतपन्नियों हेतु लेखांकन नीति भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार की गई हैं तथा राजस्व तदनुसार निर्धारित किए गए हैं।

3.3 Disclosure on Risk Exposure in Derivatives:

(i) Qualitative Disclosure:

a. The Bank's Derivative Policy as approved by Board permits Bank to undertake deals in over-the-counter (OTC) as well as exchange traded (ET) interest rate and currency derivatives. The policy permits the offering of the products to the customer to manage their foreign currency exposures, which are to be covered on Back-to-Back basis in the interbank market. Derivatives can also be used by the Bank both for trading as well as hedging on-balance sheet items. In the current financial year Bank has entered into derivative deals involving forwards and currency futures.

b. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank overseas management of these risks. The Bank's Integrated Risk Management Department (IRMD), independently identifies, measures and monitors market risk associated with derivative transactions, assists ALCO in controlling and managing these risks and reports compliance with policy prescriptions to the Risk Management Committee of the Board (RMCB) at regular intervals.

c. Derivative transactions carry market risk i.e. the probable loss the Bank may incur as a result of adverse movements in interest rates / exchange rates and credit risk i.e. the probable loss the Bank may incur if the counterparties fail to meet their obligations. The Bank's "Derivative Policy" approved by the Board prescribes the market risk parameters as well as Customer Appropriateness policy for entering into derivative transactions. Credit risk is controlled by entering into derivative transactions only with counterparties in respect of whom appropriate credit limits are sanctioned taking into account their ability to honor obligations. The Bank enters into International Swap Dealers Association (ISDA) agreements with each counter party.

d. The accounting policy for derivatives as stated in Significant Accounting Policies has been drawn-up in accordance with RBI guidelines and revenues are recognized accordingly.

(ii) मात्रात्मक प्रकटन **(ii) Quantitative Disclosures**

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015 मुद्रा व्युत्पन्न लिखते Currency Derivatives	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015 ब्याज दर व्युत्पन्न लिखते Interest rate Derivatives	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014 मुद्रा व्युत्पन्न लिखते Currency Derivatives	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014 ब्याज दर व्युत्पन्न लिखते Interest rate Derivatives
1	**व्युत्पन्न लिखते (आनुमानिक मूलधन) Derivatives (Notional Principal Amount)**				
	क) a) हेजिंग हेतु For hedging	–	–	–	–
	ख) b) ट्रेडिंग हेतु For trading	–	775.00	–	1,325.00
2	**बाज़ार को अंकित स्थिति [1] Marked to Market Positions [1]**				
	क) a) आस्तियाँ (+) Assets (+)	–	–	–	–
	ख) b) देयताएं (-) Liability (–)	–	(2.34)	–	(4.02)
3	**ऋण एक्सपोज़र [2] Credit Exposure [2]**	–	**7.31**	–	**17.29**
4	**आईआरएसों तथा सीसीएसों पर ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन होने पर संभावित प्रभाव (100* पीवी 01) Likely impact of one percentage change in interest rate on IRSs and CCSs (100*PV01)**				
	क) a) हेजिंग व्युत्पन्न लिखतों पर on hedging derivatives	–	–	–	–
	ख) b) ट्रेडिंग व्युत्पन्न लिखतों पर on trading derivatives	–	0.01	–	0.01
5	**आईआरएसों तथा सीसीएसों हेतु वर्ष के दौरान अवलोकित 100* पीवी 01 का अधिकतम और न्यूनतम Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year for IRSs and CCSs**				
	क) a) हेजिंग पर on hedging				
	i) अधिकतम maximum	–	–	–	–
	ii) न्यूनतम minimum	–	–	–	–
	ख) b) ट्रेडिंग पर on trading				
	i) अधिकतम maximum	–	0.01	–	0.05
	ii) न्यूनतम minimum	–	(0.17)	–	0.01

3.4 क्रेडिट डीफॉल्ट स्वैप

वर्ष के दौरान बैंक ने कोई क्रेडिट डीफॉल्ट स्वैप करार नहीं किया है।

4. आस्ति गुणवत्ता

4.1 अग्रिम

क) गैर लेखा-परीक्षित शाखाओं के मामले में, शाखा प्रबंधकों द्वारा यथा प्रमाणित अग्रिमों का वर्गीकरण समाविष्ट किया गया है।

3.4 Credit Default Swaps (CDS)

The Bank has not entered into any Credit Default Swap during the year.

4. ASSET QUALITY

4.1 ADVANCES

a) In the case of unaudited branches, the classification of advances, as certified by the Branch Managers has been incorporated.

ख) बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 31.03.2015 को गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए अपेक्षित प्रावधान ₹2,607.15 करोड़ (गत वर्ष ₹1551.11 करोड़) किया है। बैंक ने वर्ष के दौरान ₹1,969.04 करोड़ (गत वर्ष ₹1,520.84 करोड़) प्रावधान किया।

b) Bank has made required provision for NPAs of ₹2,607.15 Crores (Previous Year ₹1,551.11 Crore) in line with RBI guidelines as at 31st March, 2015. During the year, Bank has made provision of ₹1,969.04 crore (Previous year ₹1,520.84 crore).

4.2 गैर-निष्पादक आस्तियाँ

4.2 Non-Performing Assets

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
(i) क) निवल गैर निष्पादक आस्तियाँ (a) Net NPAs	4,464.98	3,180.56
ख) गै.नि.आ. अनुपात (b) NPA Ratios		
i) सकल अग्रिमों में सकल गै.नि.आ.(%) Gross NPAs to Gross Advances (%)	4.81	3.42
ii) निवल अग्रिमों में निवल गै.नि.आ.(%) Net NPAs to Net Advances (%)	3.08	2.32
(ii) गैर-निष्पादक आस्तियों में कमी-बढ़त (सकल) Movement of NPAs (Gross)		
क) अथशेष a) Opening balance	4.736.79	2,048.23
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन b) Additions during the year	3,738.88	3,555.73
ग) वर्ष के दौरान कमी c) Reductions during the year	1,369.00	867.17
घ) इतिशेष d) Closing balance	7,106.67	4,736.79
(iii) निवल गैर-निष्पादक आस्तियों में कमी-बढ़त Movement of Net NPAs		
क) अथशेष a) Opening balance	3,180.56	1,410.88
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन b) Additions during the year	1,740.41	2,034.89
ग) वर्ष के दौरान कमी c) Reductions during the year	455.99	265.21
घ) इतिशेष d) Closing balance	4,464.98	3,180.56
(iv) गैर-निष्पादक आस्तियों हेतु प्रावधान की स्थिति (मानक आस्तियों हेतु प्रावधान को छोड़कर) **Movement of provisions for NPAs** (excluding provisions for standard assets)		
क) अथशेष a) Opening balance	1,551.11	575.74
ख) वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान b) Provisions made during the year	1,969.04	1,520.84
ग) अतिरिक्त प्रावधान का बट्टे खाते लिखना/पुनरांकन, प्रत्यावर्तित प्रावधान c) Write off/ write back of excess provisions, provision reversed	913.00	545.47
घ) इतिशेष d) Closing balance	2,607.15	1,551.11
(v) गैर-निष्पादक निवेशों की राशि Amount of Non-Performing Investments	68.75	53.95

4.3 पुनर्संरचित खातों के विवरण:

4.3 Particulars of accounts restructured:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	पुनर्संरचना का प्रकार Type of Restructuring	सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्संरचना के अंतर्गत Under SME Debt Restructuring Mechanism				
		आस्ति वर्गीकरण Asset classification	मानक Standard	अवमानक Sub Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
1	वित्त वर्ष के 1 अप्रैल को पुनर्संरचित खाते प्रारंभिक आंकड़े Restructured accounts as on April1 of FY Opening figures	उधारकर्ताओं की सं. No. of Borrowers	39	5	4	–	48	263	204	11	4	482
		बकाया राशि Amount Outstanding	2,734.51	228.84	238.35	–	3,201.70	373.33	51.74	0.43	0.14	425.64
		उसपर प्रावधान Provision thereon	225.78	13.87	28.20	–	267.85	0.08	–	–	–	0.08
2	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचना Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की सं. No. of Borrowers	26	1	–	–	27	84	4	1	1	90
		बकाया राशि Amount Outstanding	2,152.71	48.90	(0.20)	–	2,201.42	399.76	24.48	0.02	0.00	424.27
		उसपर प्रावधान Provision thereon	141.91	(6.76)	11.57	–	146.73	4.39	0.13	–	–	4.52
3	वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक प्रवर्ग में उन्नयन Up-gradations to restructured standard category during the FY	उधारकर्ताओं की सं. No. of Borrowers	1	(1)	–	–	–	6	(6)	–	–	–
		बकाया राशि Amount Outstanding	11.18	(11.18)	–	–	–	0.82	(0.82)	–	–	–
		उसपर प्रावधान Provision thereon	1.14	(1.14)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	वित्त वर्ष के अंत में पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए अधिक प्रावधान ज़रूरी नहीं और इसलिए अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ में उन्हें पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की सं. No. of Borrowers	5				5	20				20
		बकाया राशि Amount Outstanding	181.57				181.57	157.80				157.80
		उसपर प्रावधान Provision thereon	–				–	–				–
5	वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की डाउन ग्रेडिंग Down-gradations of restructured accounts during FY	उधारकर्ताओं की सं. No. of Borrowers	(9)	(1)	10	–	–	(141)	(18)	150	9	–
		बकाया राशि Amount Outstanding	(432.61)	(5.22)	437.83	–	–	(44.27)	9.57	34.24	0.46	–
		उसपर प्रावधान Provision thereon	(8.16)	2.77	5.39	–	–	–	–	–	–	–
6	वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते लिखना* Write-offs restructured accounts during the FY*	उधारकर्ताओं की सं. No. of Borrowers	1	–	1	–	2	57	43	3	–	103
		बकाया राशि Amount Outstanding	2.56	–	18.07	–	20.63	17.14	19.63	0.03	–	36.79

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	पुनर्संरचना का प्रकार Type of Restructuring	सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्संरचना के अंतर्गत Under SME Debt Restructuring Mechanism				
		आस्ति वर्गीकरण Asset classification	मानक Standard	अवमानक Sub Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
7	वित्त वर्ष के 31 मार्च को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकड़े)* Restructured Accounts as on March 31 of FY (closing figures)*	उधारकर्ताओं की सं. No. of Borrowers	51	4	13	–	68	135	141	159	14	449
		बकाया राशि Amount Outstanding	4,281.66	261.34	657.91	–	5,200.91	554.70	65.35	34.67	0.60	655.31
		उसपर प्रावधान Provision thereon	360.67	8.74	45.16	–	414.58	4.47	0.13	–	–	4.60

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	पुनर्संरचना का प्रकार Type of Restructuring	अन्य Others					कुल Total				
		आस्ति वर्गीकरण Asset classification	मानक Standard	अवमानक Sub Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
1	वित्त वर्ष के 1 अप्रैल को पुनर्संरचित खाते प्रारंभिक आंकड़े Restructured accounts as on April 1 of FY Opening figures	उधारकर्ताओं की सं. No. of Borrowers	326	40	29	18	413	628	249	44	22	943
		बकाया राशि Amount Outstanding	6,642.21	546.91	271.68	0.08	7,460.88	9,750.05	827.49	510.46	0.22	11,088.22
		उसपर प्रावधान Provision thereon	260.68	–	–	–	260.68	486.54	13.87	28.20	–	528.61
2	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचना Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की सं. No. of Borrowers	125	97	121	3	346	235	102	122	4	463
		बकाया राशि Amount Outstanding	2,890.55	40.15	28.60	0.02	2,959.31	5,443.02	113.53	28.42	0.02	5,585.00
		उसपर प्रावधान Provision thereon	96.26	–	6.52	–	102.78	242.57	(6.63)	18.09	–	254.03
3	वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक प्रवर्ग में उन्नयन Up-gradations to restructured standard category during the FY	उधारकर्ताओं की सं. No. of Borrowers	3	(3)	–	–	–	10	(10)	–	–	–
		बकाया राशि Amount Outstanding	0.28	(0.28)	–	–	–	12.28	(12.28)	–	–	–
		उसपर प्रावधान Provision thereon	–	–	–	–	–	1.14	(1.14)	–	–	–
4	वित्त वर्ष के अंत को पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए अधिक प्रावधान ज़रूरी नहीं और इसलिए अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ में उन्हें पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की सं. No. of Borrowers	179	–	–	–	179	204	–	–	–	204
		बकाया राशि Amount Outstanding	680.84	–	–	–	680.84	1,020.21	–	–	–	1,020.21
		उसपर प्रावधान Provision thereon	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	पुनर्संरचना का प्रकार Type of Restructuring	अन्य Others					कुल Total				
		आस्ति वर्गीकरण Asset classification	मानक Standard	अवमानक Sub Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
5	वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की डाउन ग्रेडिंग Down-gradations of restructured accounts during FY	उधारकर्ताओं की सं. No. of Borrowers	(35)	(4)	30	9	-	(185)	(23)	190	18	-
		बकाया राशि Amount Outstanding	(414.74)	(334.75)	607.13	142.36	-	(891.62)	(330.40)	1,079.20	142.82	-
		उसपर प्रावधान Provision thereon	(7.51)	3.25	4.25	0.01	0.00	(15.67)	6.02	9.64	0.01	0.00
6	वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते लिखना* Write-offs restructured accounts during the FY*	उधारकर्ताओं की सं. No. of Borrowers	50	7	3	12	72	108	50	7	12	177
		बकाया राशि Amount Outstanding	97.17	45.43	0.69	0.02	143.31	116.87	65.05	18.79	0.02	200.73
7	वित्त वर्ष के 31 मार्च को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकड़े)* Restructured Accounts as on March 31 of FY (closing figures)*	उधारकर्ताओं की सं. No. of Borrowers	190	123	177	18	508	376	268	349	32	1,025
		बकाया राशि Amount Outstanding	8,340.29	206.60	906.72	142.44	9,596.05	13,176.65	533.29	1,599.30	143.04	15,452.28
		उसपर प्रावधान Provision thereon	349.43	3.25	10.77	0.01	363.46	714.58	12.12	55.93	0.01	782.64

* विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते लिखे गए खातों को छोड़कर

* excluding prudential write-off accounts

टिप्पणी:

क) पुर्नसंरचित खातों से संबंधित उपर्युक्त प्रकटन का समेकन और प्रमाणन प्रबंधन-वर्ग ने कि या है और लेखा परीक्षकों ने उसपर विश्वास किया है। पुनर्संरचित खातों के ब्यौरे (खातों की संख्या एवं मूल्य) का शाखाओं से प्राप्त सूचना से मिलान करते हुए विस्तार से समीक्षा की गई है, और रिपोर्टिंग संरचना में आगे ले जाते हुए इसमें पुनर्संरचित/पुनर्निर्धारित खातों को छोड़ने हेतु सुधार किए गए और सुविधा-वार के बजाय उधारकर्ता-वार रिपोर्टिंग की गई है।

ख) पुनर्संरचित खातों के मामले में - मानक आस्तियाँ, अग्रिमों का वर्गीकरण, आय निर्धारण और उस पर प्रावधान सीडीआर/भा.रि.बैं. दिशानिर्देशों के अंतर्गत की गई पुनर्संरचना में दी गई मुख्य शर्तों का अनुपालन करते हुए किया गया है।

Notes:

a) The above disclosures on restructured accounts is compiled and certified by the management and relied upon by the Auditors. Details of restructured accounts (number of accounts and value) have been comprehensively reviewed by collating the information obtained from the branches and on further migration to reporting structure, wherein the correction were carried out for excluding rescheduled/ rephased accounts and reporting borrower wise instead of facility wise.

b) In case of restructured loans - Standard Assets, classification of advances, income recognition and provisioning thereon have been done, based on substantial compliance of major conditions contained in restructuring undertaken under CDR / RBI guidelines.

4.4 आस्ति पुनर्संरचना हेतु प्रतिभूतिकरण/पुनर्संरचना कंपनी को विक्रय की गई वित्तीय आस्तियों के विवरण:

4.4 Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

	मद Item	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
(i)	खातों की सं. No. of accounts	शून्य Nil	1
(ii)	एससी/आरसी को बिक्री किए गए खातों का समग्र मूल्य (प्रावधानों का निवल) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	शून्य Nil	शून्य Nil
(iii)	समग्र प्रतिफल Aggregate consideration	शून्य Nil	6.00
(iv)	विगत वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	शून्य Nil	शून्य Nil
(v)	निवल बही मूल्य पर समग्र लाभ Aggregate gain over net book value	शून्य Nil	6.00

4.5 खरीदी/बिक्री की गई गैर–निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

क. खरीदी गई गैर–निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण:

4.5 Details of non-performing financial assets purchased/ sold

A. Details of non-performing financial assets purchased:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

	विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
1.	(क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की सं. (a) No. of accounts purchased during the year	शून्य Nil	शून्य Nil
	(ख) समग्र बकाया (b) Aggregate outstanding	शून्य Nil	शून्य Nil
2.	(क) इनमें से, वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की सं. (a) Of these, number of accounts restructured during the year	शून्य Nil	शून्य Nil
	(ख) समग्र बकाया (b) Aggregate outstanding	शून्य Nil	शून्य Nil

ख. बिक्री की गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

B. Details of non-performing financial assets sold

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

	विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
1.	बिक्री किए गए खातों की सं. No. of accounts sold	शून्य Nil	शून्य Nil
2.	समग्र बकाया (प्रावधान का निवल) Aggregate outstanding (Net of Provision)	शून्य Nil	शून्य Nil
3.	प्राप्त समग्र प्रतिफल Aggregate consideration received	शून्य Nil	शून्य Nil

4.6 मानक आस्तियों पर प्रावधान

4.6 Provisions on Standard Assets

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

मद Item	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान (धारित) Provisions towards Standard Assets (held)	981.00	842.00

5.0 कारोबार अनुपात

5.0 BUSINESS RATIOS

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
(i) औसत कार्यशील निधियों में ब्याज आय का % Interest Income as a % to average Working Funds	9.27%	9.21%
(ii) औसत कार्यशील निधियों में ब्याजेतर आय का % Non- Interest Income as a % to average Working Funds	0.70%	0.84%
(iii) औसत कार्यशील निधियों में परिचालन लाभ % Operating Profit as a % to average Working Funds	1.44%	1.56%
(iv) आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Assets	0.28%	0.29%
(v) प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशियाँ और अग्रिम) (₹ करोड़ में) Business (deposits plus advances) per employee (₹ in crore)	19.14	19.33
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में) Profit per employee (₹ in crore)	0.03	0.03

नोट: कार्यकारी निधि वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान भा.रि.बैं. को रिपोर्ट की गई कुल आस्तियों का औसत है।

Note : Average working funds represent average of total assets as reported to RBI during 12 months of the financial year.

6.0 आस्ति देयता प्रबंधन

31 मार्च, 2015 को आस्तियों तथा देयताओं का परिपक्वता पैटर्न

6.0 Asset Liability Management

Maturity pattern of Assets and Liabilities as at 31st March, 2015

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

विवरण Particulars	1 दिन Day 1	2–7 दिन 2-7 Days	8 – 14 दिन 8-14 Days	15 – 28 दिन 15-28 Days	29 दिन – 3 माह 29D-3M	3 माह से अधिक 6 माह तक >3M-6M	6 माह से अधिक 1 वर्ष तक >6M-1Y	1 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष तक >1Y-3Y	3 वर्ष से अधिक – 5 वर्ष तक >3Y-5Y	5 वर्ष से अधिक >5Yrs	कुल Total
निवल ऋण व अग्रिम Net Loans & Advances	3230.23	2562.38	3737.44	2768.20	11757.97	10418.53	12041.72	57890.11	17410.13	23249.33	145066.04
निवेश Investments	7799.04	2537.53	940.23	420.30	4829.26	4463.15	11991.58	9081.16	6112.30	15237.73	63412.28
जमाराशियाँ Deposits	1790.45	3706.78	2081.25	2169.34	21408.91	16459.98	47612.69	32186.02	13038.67	58891.73	199345.82
उधार Borrowings	0.00	1299.00	1646.00	0.00	1000.00	1.61	925.56	502.26	702.26	4338.21	10414.90
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ Foreign Currency Assets	242.92	55.28	102.33	235.30	1051.66	796.05	81.69	2334.69	4.94	2.44	4907.30
विदेशी मुद्रा देयताएँ Foreign Currency Liabilities	168.52	12.31	6.65	25.74	1114.92	154.52	1092.32	315.20	469.88	0.00	3360.06

31.03.2014 को आस्तियों एवं देयताओं का परिपक्वता पैटर्न

Maturity pattern of Assets and Liabilities as at 31st March, 2014

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

विवरण Particulars	1 दिन Day 1	2–7 दिन 2-7 Days	8 – 14 दिन 8-14 Days	15 – 28 दिन 15-28 Days	29 दिन – 3 माह 29D-3M	3 माह से अधिक 6 माह तक >3M-6M	6 माह से अधिक 1 वर्ष तक >6M-1Y	1 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष तक >1Y-3Y	3 वर्ष से अधिक – 5 वर्ष तक >3Y-5Y	5 वर्ष से अधिक >5Yrs	कुल Total
निवल ऋण व अग्रिम Net Loans & Advances	2644.43	1753.09	1221.54	2157.90	12273.94	8081.62	11312.97	55260.84	17510.15	24869.82	137086.30
निवेश Investments	9894.03	2263.21	707.02	1120.55	5952.61	6433.39	10267.77	9511.95	5849.95	14190.73	66191.21
जमाराशियाँ Deposits	2479.12	3865.77	3066.64	5384.41	28229.73	23664.15	42318.37	26431.29	10401.52	47482.01	193393.01
उधार Borrowings	68.63	5282.31	21.09	84.60	1210.10	680.19	329.65	303.30	939.76	4101.82	13021.45
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ Foreign Currency Assets	277.55	223.82	80.26	269.71	1079.34	931.53	74.37	76.33	105.93	2.80	3121.64
विदेशी मुद्रा देयताएँ Foreign Currency Liabilities	277.85	49.52	24.77	26.58	779.10	363.33	699.53	314.03	295.13	0.00	2829.84

7.0 एक्सपोज़र

7.1 स्थावर संपदा क्षेत्र को एक्सपोज़र

7.0 Exposures

7.1 Exposure to Real Estate Sector

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

		यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
क) a)	प्रत्यक्ष एक्सपोज़र Direct Exposure		
i)	आवासीय बंधक–Residential Mortgages –		
	ऐसी आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्णतः प्रतिभूत उधार जहाँ उधारकर्ता रहता है या रहेगा या भाड़े पर दिया है; Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	11,524.52	10,003.41
	(जिसमें से, **प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र में शामिल करने हेतु पात्र वैयक्तिक आवास ऋण**) (of which, ***Individual housing loans eligible for inclusion in priority Sector***)	(7,237.25)	(6,563.63)
ii)	वाणिज्यिक स्थावर संपदा – Commercial Real Estate –		
	वाणिज्यिक स्थावर संपदा (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहु–उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु–परिवारीय आवासीय भवन, बहु–किराएदारी वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण आदि) पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार। एक्सपोज़र में **गैर–निधि आधारित** सीमाएं (एनएफबी) भी शामिल। Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure also include **non-fund based** (NFB) limits	4,337.81	3,560.22
	(जिनमें से, रिहाइशी आवास हेतु वाणिज्यिक स्थावर संपदा) (of which, commercial Real Estate to Residential Housing)	(1,080.73)	(1,457.19)

(iii)	बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतिगत वित्त एक्सपोज़र – Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures –		
	क) आवासीय a) Residential	405.19	506.91
	ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा b) Commercial Real Estate	–	–
ख) b)	अप्रत्यक्ष एक्सपोज़र Indirect Exposure राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित एवं **गैर–निधि आधारित** एक्सपोज़र, स्टेट हाउसिंग बोर्डों तथा कार्पोरेशनों सहित Fund based and **non-fund based** exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs) including State Housing Boards and Corporations	4,356.85	4,418.49
	स्थावर संपदा क्षेत्र को कुल एक्सपोज़र Total Exposure to Real Estate Sector	**20,624.37**	**18,489.03**

7.2 पूँजी बाजार में एक्सपोज़र

7.2 Exposure to Capital Market

(राशि ₹ करोड़ में Amount ₹ Crore)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
[i] ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बाँडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी मूल निधि विशेष रूप से कार्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है;*** [i] Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;***	603.00	758.81
[ii] शेयरों/बाँडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर अग्रिम या शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बाँडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को बेजमानती आधार पर अग्रिम; [ii] Advances against share/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares [including IPOs/ ESOPs], convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds;	0.24	0.51
[iii] किसी अन्य उद्देश्यों हेतु अग्रिम जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बाँडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है; [iii] Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units or equity oriented mutual funds are taken as primary security.	0.13	0.12
[iv] किसी अन्य उद्देश्यों हेतु उस सीमा तक अग्रिम जो शेयरों या परिवर्तनीय बाँडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा रक्षित है अर्थात्, जहाँ शेयरों/परिवर्तनीय बाँडों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति 'अग्रिमों को पूर्णतः रक्षित नहीं करते हैं'; [iv] Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds, i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.	160.54	151.62
[v] शेयर दलालों को जमानती तथा गैर–जमानती अग्रिम तथा शेयर दलालों तथा बाजार विनिर्माताओं की ओर से जारी गारंटियाँ; [v] Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers.	4.75	6.15

[vi] शेयरों/बाँडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति पर या बढ़ते संसाधनों की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के योगदान को पूरा करने हेतु बेजमानती आधार पर कार्पोरेटों हेतु मंजूर किए गए ऋण; [vi] Loans sanctioned to corporates against the security of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	–	–
[vii] प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गम पर कंपनियों को तात्कालिक ऋण; [vii] Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	–	–
[viii] शेयरों या परिवर्तनीय बाँडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की प्राथमिक निर्गम हेतु बैंकों द्वारा ली गई हामीदारी प्रतिबद्धताएँ; [viii] Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	–	–
[ix] मार्जिन व्यापार हेतु शेयर दलालों को वित्त प्रदान करना; **(जारी बैंक गारंटियाँ)** [ix] Financing to stockbrokers for margin trading **[Bank Guarantees issued]**	95.51	25.51
[x] उद्यम पूँजी निधि (पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत दोनों) को ईक्विटी के साथ सममूल्य पर समझा जाएगा तथा इस कारण पूँजी बाजार जोखिम सीमा (प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों) के अनुपालन हेतु लिया जाएगा [x] All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance with the capital market exposure ceilings (both direct and indirect)	200.85	227.77
पूँजी बाजार में कुल एक्सपेज़र Total Exposure to Capital Market	1065.02	1170.49

टिप्पणी –

*** इसमें ₹429.05 करोड़ (गत वर्ष ₹432.49 करोड़) निवेश, जिन्हें 5% की सीमा से छूट प्राप्त है और एनसीडी में ₹4.47 करोड़ का निवेश, जो उक्त कंपनी के ईक्विटी शेयरों से प्रतिभूत हैं, शामिल हैं।

Note –

*** includes investments of ₹429.05 Crore (Previous year is ₹432.49 Crore) which are exempted from 5% ceiling and ₹4.47 Crore of investment in NCD which is secured by equity shares of the company.

7.3 जोखिम प्रवर्ग वार देशी एक्सपोज़र

निर्यात ऋण गारंटी कार्पोरेशन (ईसीजीसी) द्वारा प्रदत्त देशगत ऋण जोखिम वर्गीकरण के आधार पर बैंक के देश वार निवल जोखिम एक्सपोज़र निम्नलिखित है।

7.3 Risk Category wise Country Exposure

The following are the bank's country wise net risk exposure based on the Country risk classification provided by the Export Credit Guarantee Corporation (ECGC).

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च, 2015 को एक्सपोज़र (निवल) (चालू वर्ष) Exposure (net) as at 31st March, 2015 (Current Year)	31 मार्च, 2015 को धारित प्रावधान (चालू वर्ष) Provision held as at 31st March, 2015 (Current Year)	31 मार्च, 2014 को एक्सपोज़र (निवल) (गत वर्ष) Exposure (net) as at 31st March, 2014 (Previous Year)	31 मार्च, 2014 को धारित प्रावधान (गत वर्ष) Provision held as at 31st March, 2014 (Previous Year)
नगण्य Insignificant	5,509	–	4,341	–
निम्न Low	1,599	–	1,469	–
मामूली Moderate	114	–	211	–
उच्च High	17	–	77	–
अत्यधिक Very High	1	–	6	–
प्रतिबंधित Restricted	5	–	–	–
ऋणेतर Off Credit	–	–	–	–
योग Total	**7,245**	–	**6,104**	–

7.4 बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), ग्रुप उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) से अधिक प्रदत्त ऋण के विवरण

बैंक ने 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के दौरान वैयक्तिक उधारकर्ता/ग्रुप हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित बैंक के पूंजी निधियों के प्रतिशत की एक्सपोज़र अधिकतम सीमा को पार नहीं किया है:

7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank

During the year ended 31st March, 2015, the Bank has not exceeded the exposure ceiling as a percentage of capital funds of the Bank fixed by RBI to individual borrower/Group (excluding non-committal Line of credit)

7.5 अप्रतिभूत अग्रिम

7.5 Unsecured Advances

(₹ करोड़ में Amount ₹ Crore)

	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
कुल अप्रतिभूत अग्रिम Total Unsecured Advances	23,578.62	20,461.98
जिनमें बैंक द्वारा अधिकार, लाइसेंस, **ब्रैंड मूल्यांकन, प्राधिकार** आदि जैसी अमूर्त प्रतिभूतियों को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में लिए गए अग्रिम Out of which advances with intangible securities such as charge over the rights, licenses, ***brand valuations, authorizations*** etc. taken by the bank as collateral	5,113.12	2,795.05
ऐसी अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूति का अनुमानित मूल्य Estimated value of such intangible collateral	3,869.27	1,637.47

8.0 भा.रि.बैं. द्वारा लगाये जुर्माने का प्रकटन

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं) ने निम्नवत जुर्माना लगाए हैं:

i) ऋण सुविधाएं मंजूरी में निश्चित दस्तावेजों को प्राप्त न करने के लिए बैंकिंग विनिमय अधिनियम, 1949 की धारा 47 ए (1) के तहत ₹0.10 करोड का दंड ।

ii) भारिबैं मास्टर परिपत्र डीसीएम (सीसी) सं.जी-3/03.39.01/2014-15- आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन के आधार पर बैंक शाखाओं के लिए प्रोत्साहन और दंड की योजना - दिनांकित 01 जुलाई, 2014 के प्रावधानों के अनुसार मुद्रा तिजोरी से प्राप्त गंदे नोट विप्रेषण के प्रसंस्करण के दौरान कमी पायी जाने के कारण ₹0.01 करोड़ नामे किया गया।

iii) गंदे नोटों और अन्य मुद्रा नोटों लेनदेन के परीक्षण के दौरान गलत रिपोर्टिंग, कमियों के लिए ₹0.02 करोड दंड लगाया गया।

8.0 DISCLOSURE OF PENALTIES IMPOSED BY RBI

During the financial year 2014-15, Reserve Bank of India ("RBI") has imposed following Penalties:

i) Penalty of ₹0.10 crore under section 47A(1) of the Banking Regulation Act, 1949 for non obtention of certain documents in the sanction of credit facilities.

ii) As per the provision of RBI Master Circular DCM (CC) No. G-3/03.39.01/2014-15 – Scheme of Incentive and penalties for Bank branches based on performance in rendering customer service to the member of public dated July 1, 2014 an amount of ₹0.01 Crore has been debited for discrepancies detected while processing the soiled note remittances received from currency chest.

iii) Penalty levied for wrong reporting, discrepancies detected during examination of soiled notes and others of currency chest transactions ₹0.02 Crores.

ख. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं जहाँ भा.रि.बैं. ने लेखों की टिप्पणियों के लिए प्रकटन मदों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं

B. DISCLOSURE REQUIREMENTS AS PER ACCOUNTING STANDARDS WHERE RBI HAS ISSUED GUIDELINES IN RESPECT OF DISCLOSURE ITEMS FOR NOTES TO ACCOUNTS

1.0 **स्थिर आस्तियाँ**

1. कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची – II की अधिसूचना के अनुसरण में, वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान 01.04.2014 से निम्नवत् लिखित परिवर्तनों को लागू किया गया:

   क. 31.03.2014 तक पालन की गई ह्रासमान मूल्य पद्धति की तुलना में सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया। (कंप्यूटर, एटीएम और पट्टाधृत सुधार के मामलों को छोडकर)

   ख. तदनुसार, आस्तियों के उपयोगी जीवन का पुन: अनुमान लगाया गया और यथा 1अप्रैल, 2014 को अवशिष्ट आयु न होने वाली आस्तियों के लिए सामान्य निधियों के पक्ष में ₹32.04 करोड़(आस्थगित कर का निवल) राशि समायोजित की गई। यथा 31.03.2014 को अवशिष्ट मूल्य होनेवाली आस्तियों के लिए प्रत्येक आस्ति के संबंध मे ₹10/– के अवशिष्ट मूल्य को रखते हुए शेष उपयोगी आयु के लिए मूल्यह्रास का विस्तार किया गया।

   ग. यदि बैंक ने मूल्यह्रास की पुरानी पद्धति को जारी रखा होता तो, उससे सामान्य निधियां (अथशेष) ₹45.17 करोड़ अधिक होती, वित्त वर्ष 2014-15 हेतु बैंक का लाभ ₹3.68 करोड़ कम होता और स्थित आस्तियां ₹41.49 करोड़ अधिक होती।

2. परिसर में ₹12.30 करोड़ (गत वर्ष ₹12.30 करोड़) की लागत वाली परिसंपत्तियाँ भी शामिल हैं जिनके पंजीकरण की औपचारिकताएं लम्बित हैं।

3. स्थिर आस्तियों में पूँजीगत चालू कार्य-परिसर से संबंधित शून्य करोड़(गत वर्ष ₹0.09 करोड़) शामिल होती।

4. वर्ष 2014–15 के दौरान अर्जित सॉफ्टवेयरों की लागत ₹19.13 करोड़ (गत वर्ष ₹14.24 करोड़) है और वर्ष के दौरान परिशोधित राशि ₹14.66 करोड़ (गत वर्ष ₹14.15 करोड़) है।

5. पूँजीगत खाते पर निष्पादन हेतु लंबित संविदाएँ जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया, ₹65.73 करोड़ (गत वर्ष ₹86.09 करोड़) हैं।

2.0 कर्मचारी हितलाभ

2.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 15 के अनुसार बैंक द्वारा कर्मचारी हितलाभ हेतु लेखांकन किया गया है।

2.2 (क) तुलन-पत्र की तारीख को प्रयुक्त मुख्य बीमांकिक धारणाएं:

1.0 FIXED ASSETS

1. Pursuant to the notification of Schedule II to the Companies Act 2013, w.e.f. 01.04.2014, following changes have been effected during the Financial Year 2014-15:

   a. Depreciation has been provided on straight line method as compared to diminishing value method which was hitherto being followed up till 31.03.2014 (except in case of computers, ATMs and leasehold improvements).

   b. Accordingly, useful life of the assets has been re-estimated and an amount of ₹32.04 crore (net of deferred tax) has been adjusted against General Reserves for assets having no residual life as at 1st April, 2014. For assets having residual value as on 31.03.2014, depreciation is being spread over the remaining useful life of the asset keeping a residual value of ₹10/- in respect of each asset.

   c. Had the Bank continued with the old method of charging depreciation, the General Reserve (Opening Balance) would have been higher by ₹45.17 crores, profit of the Bank for the year FY 2014-15 would have been lowered by ₹3.68 crores and Fixed Asset would have been higher by ₹41.49 crore.

2. Premises include properties costing ₹12.30 crore (previous year ₹12.30 crore) for which registration formalities are pending.

3. Fixed Assets include Nil (previous year ₹0.09 crore) in respect of Capital Work in Progress-Premises.

4. During the year 2014-15 cost of software acquired is ₹19.13 crore (previous year ₹14.24 crore) and the amount amortized during the year is ₹14.66 crore (previous year ₹14.15 crore).

5. Contracts pending execution on Capital account and not provided for is ₹65.73 crore (previous year ₹86.09 crore).

2.0 EMPLOYEE BENEFITS

2.1 The Bank has accounted for Employee Benefits as per Accounting Standard 15 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

2.2 (a) The Principal actuarial assumptions used as at the balance sheet date :

परिभाषित हितलाभ निधिक Defined benefits funded	पेंशन –निधिक Pension-Funded		ग्रैच्युटी –निधिक Gratuity-Funded		दीर्घावधि प्रतिपूरक हितलाभ – अनिधिक Long Term compensated benefit-Unfunded	
	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
बट्टा दर Discount Rate	7.87%	8.75%	7.87%	8.75%	7.87%	8.75%
वेतन वृद्धि Salaries increase	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
पेंशन वृद्धि Pension increase	5.50%	5.50%	–	–	–	–
एट्रीशन दर Attrition Rate	1.61%	1.69%	2.27%	4.24%	2.27%	4.24%
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ दर Expected Rate of Return on Plan Assets	9.00%	9.00%	8.98%	8.50%	–	–

(ख) परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के आरंभिक एवं अंतिम शेष का समाधान निम्नवत् प्रस्तुत है:

(b) A reconciliation of Opening and Closing Balances of the present value of the defined benefit obligation and Plan assets is as under:

परिभाषित हितलाभ

Defined benefits

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

दायित्व Obligations	पेंशन [निधिक] Pension [Funded]		ग्रैच्युटी [निधिक] Gratuity [Funded]		दीर्घावधि प्रतिपूरक हितलाभ [अनिधिक] Long Term compensated benefit [Unfunded]	
	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
आरंभिक शेष Opening Balance	2473.20	2,148.55	452.54	420.65	226.49	217.81
ब्याज लागत Interest Cost	190.53	184.63	33.80	35.17	16.73	18.15
चालू सेवा लागत Current Service Cost	72.23	71.34	45.60	48.84	27.64	22.16
विगत सेवा लागत – निर्धारित Past service cost-recognized	–	–	–	–	–	–
विगत सेवा लागत – अनिर्धारित Past service cost-unrecognized	–	–	–	–	–	–
विगत सेवा लागत – परिशोधन हेतु अपात्र Past service cost-Not eligible for amortization	–	–	–	–	–	–
प्रदत्त हितलाभ Benefit Paid	-104.45	-77.00	-46.18	-37.38	-27.81	-20.63
दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि Actuarial (Gain) / Loss on obligation	148.08	145.68	-20.73	-14.74	-6.49	-11.00
अंतिम शेष Closing Balance	2,779.59	2,473.20	465.03	452.54	236.56	226.49

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

योजना आस्तियाँ Plan Assets	पेंशन [निधिक] Pension [Funded]		ग्रैच्युटी [निधिक] Gratuity [Funded]	
	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
अप्रैल को योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of plan assets as on April	2,443.92	2,173.02	439.95	439.90
योजना आस्ति अंशदानों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ Expected Return on Plan Assets Contributions	226.05	214.88	37.20	36.45
नियोक्ता अंशदान Employer Contribution	182.01	188.42	29.58	15.00
दूसरे न्यास और सदस्यों से अंतरण Transfer from other trust and members	–	–	–	–
प्रदत्त हितलाभ Benefits Paid	(104.45)	(77.00)	(46.18)	(37.39)
बीमांकिक लाभ / (–) हानि Actuarial gain / (-) loss	61.96	(55.40)	18.30	(14.00)
मार्च को योजना आस्तियों का हितलाभ Fair Value of plan assets as on March	2,809.49	2,443.92	478.85	439.95

ग. लाभ एवं हानि विवरण में निर्धारित कुल व्ययः

c. Total Expenses recognized in the Profit and Loss Account:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

परिभाषित हितलाभ Defined benefits	पेंशन [निधिक] Pension [Funded]		ग्रैच्युटी [निधिक] Gratuity [Funded]		दीर्घावधि प्रतिपूरक हितलाभ [अनिधिक] Long Term compensated benefit [Unfunded]	
	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
चालू सेवा लागत Current Service Cost	72.23	71.34	45.60	48.85	27.64	22.16
ब्याज लागत Interest Cost	190.53	184.63	33.80	35.17	16.73	18.15
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ Expected return on plan assets	(226.05)	(214.88)	(37.20)	(36.45)	0.00	0
अवधि के दौरान निर्धारित निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि Net Actuarial (Gain) / Loss recognized in the period	86.12	201.10	(39.04)	(0.73)	(6.49)	(11.00)
विगत सेवा लागत – निर्धारित Past service cost-recognized	110.49	110.51	–	–	–	–
विगत सेवा लागत – परिशोधन हेतु अपात्र Past service cost-Not eligible for amortization	–	–	–	–	–	–
लाभ एवं हानि विवरण में निर्धारित व्यय Expenses recognized in the statement of profit and loss	233.32	352.70	3.16	46.84	37.88	29.31

घ. योजना आस्तियों का संघटन:

d. The Compositions of Plan Assets:

(प्रतिशत में in percentage)

	पेंशन-निधिक Pension-Funded		ग्रैच्युटी-निधिक Gratuity-Funded	
	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	30.24	32.08	0.00	54.14
उच्च गुणवत्ता सरकारी बाँड High Quality corporate Bonds	9.15	11.31	20.98	21.49
विशेष जमाराशियाँ Special deposits	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य (सा.क्षे.उ.) Other (PSU)	10.48	13.68	8.15	11.42
बीमा योजनाओं के अंतर्गत आस्तियाँ Assets under Insurance Schemes	50.13	42.93	70.87	12.95
कुल Total	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

ङ परिभाषित हितलाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य, योजना आस्तियों का उचित मूल्य, अधिशेष/कमी तथा चालू एवं गत वर्ष के लिए अनुभव समायोजन निम्नानुसार है:

e. The present value of defined benefits obligations, the fair value of plan assets, Surplus/Deficits and experience adjustments for the current and previous year are as under:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

पेंशन Pension	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
दायित्व का वर्तमान मूल्य PV of obligation	2779.59	2473.20
योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets	2809.49	2333.43
(अधिशेष)/कमी (Surplus)/Deficits	(29.90)	139.77
अपरिशोधित देयता Un-amortized Liability	0.00	110.49
(अधिशेष)/कमी [अपरिशोधित देयता का निवल] (Surplus)/Deficits [Net of Un-amortized Liability]	(29.90)	29.28
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ Experience Adjustment on Plan Liabilities (Loss)/Gain	148.08	145.68
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ Experience Adjustment on Plan assets (Loss)/Gain	61.96	(55.40)

ग्रैच्युटी Gratuity	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
दायित्व का वर्तमान मूल्य PV of obligation	465.03	452.54
योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets	478.85	439.95
(अधिशेष)/कमी (Surplus)/Deficits	(13.82)	12.59
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ Experience Adjustment on Plan Liabilities(Loss)/Gain	(20.73)	(14.74)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ Experience Adjustment on Plan assets (Loss)/Gain	18.30	(14.00)

दीर्घावधि प्रतिपूरक हितलाभ – अनिधिक Long Term compensated benefit - Unfunded	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
दायित्व का वर्तमान मूल्य PV of obligation	236.56	226.49
योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets	0.00	0.00
(अधिशेष)/कमी (Surplus)/Deficits	236.56	226.49
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन Experience Adjustment on Plan Liabilities	(6.49)	(11.00)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन Experience Adjustment on Plan assets	0.00	0.00

2.3 भा.रि.बैं. परिपत्र सं. डीबीओडी.बीपी.बीसी/80/21.04.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी, 2011 के अनुसार ₹338.67 करोड़ के उपलब्ध पेंशन निधि शेष को हिसाब में लेने के बाद ₹552.53 करोड़ की निवल वृद्धिशील देयता के 2010-11 से लेकर पाँच वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जा रहा है। तदनुसार ₹110.49 करोड़ (₹552.53 करोड़ का एक बटा पाँचवाँ भाग) 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ-हानि लेखे को प्रभारित किया गया है। सेवारत कर्मचारियों से संबंधित ₹ शून्य की निवल देयता पूर्वोक्त परिपत्र की अपेक्षाओं के अनुसार आगे ले जाई जा रही है।

2.4 01 नवंबर 2012 से प्रभावी प्रस्तावित वेतन संशोधन पर समझौता होने तक चालू वर्ष के दौरान ₹198.00 करोड़ का तदर्थ प्रावधान किया गया है। 31 मार्च, 2015 को इस खाते में धारित कुल प्रावधान ₹316.00 करोड़ है।

3.0 प्रखंड रिपोर्टिंग – भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "लेखांकन मानक 17 – प्रखंड रिपोर्टिंग" के अनुसार प्रखंड रिपोर्ट इस प्रकार है:

2.3 In terms of RBI circular no: DBOD. BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated 9th February, 2011, after reckoning the available pension fund balance of ₹338.67 Crore, the net incremental liability of ₹552.53 Crore has been amortized over a period of five years starting from 2010-11. Accordingly a sum of ₹110.49 Crore (representing one-fifth of ₹552.53 Crore) has been charged to the Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2015. The net liability relating to serving employees being carried forward in terms of the requirements of the aforesaid circular amounts to ₹Nil.

2.4 Pending settlement of the proposed wage revision of employees effective from 01st November, 2012, an adhoc provision of ₹198.00 Crore has been made during the current year. The total provision held on this account as at 31st March, 2015 is ₹316.00 Crore.

3.0 SEGMENT REPORTING – In terms of "AS 17 – Segment Reporting", issued by the Institute of Chartered Accountants of India is as follows:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

क्र.सं. Sl. No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
क) a)	**प्रखंड राजस्व Segment Revenue**		
	i) ट्रेज़री परिचालन Treasury Operations	4,422.72	4,716.53
	ii) थोक बैंकिंग Wholesale Banking	10,702.74	10,032.85
	iii) खुदरा बैंकिंग Retail Banking	5,159.07	4,215.40
	iv) अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations	754.37	641.51
	कुल Total	**21,038.91**	**19,606.29**
ख) b)	**प्रखंड परिणाम Segment Results**		
	प्रत्येक प्रखंड से कर पूर्व और ब्याज पश्चात् लाभ (+) हानि (-) Profit (+) Loss (-) before tax and after interest from each segment		
	i) ट्रेज़री परिचालन Treasury Operations	768.51	421.64
	ii) थोक बैंकिंग Wholesale Banking	88.28	493.04
	iii) खुदरा बैंकिंग Retail Banking	828.19	618.06

क्र.सं. Sl. No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
	iv) अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations	–1209.52	–1291.05
	कुल Total	**475.46**	**241.69**
ग) c)	**अनाबंटित व्यय Unallocated Expenses**	0.00	0.00
घ) d)	**परिचालन लाभ Operating Profit**	**475.46**	**241.69**
ङ) e)	**आय कर Income Tax**	–108.80	–320.03
च) f)	**असाधारण लाभ/हानि Extraordinary Profit/Loss**	0.00	0.00
छ) g)	**निवल लाभ Net Profit**	**584.26**	**561.72**
ज) h)	**अन्य सूचना Other Information**		
झ) i)	**प्रखंड आस्तियाँ Segment Assets**		
	i) ट्रेज़री परिचालन Treasury Operations	54849.19	57677.04
	ii) थोक बैंकिंग Wholesale Banking	97921.81	96721.58
	iii) खुदरा बैंकिंग Retail Banking	47273.91	40952.72
	iv) अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations	23053.43	24329.81
	v) अनाबंटित आस्तियाँ Unallocated Assets	2894.67	2367.32
	कुल आस्तियाँ Total Assets	**225993.02**	**222048.47**
ञ) j)	**प्रखंड देयताएँ Segment Liabilities**		
	i) ट्रेज़री परिचालन Treasury Operations	51990.29	54010.13
	ii) थोक बैंकिंग Wholesale Banking	95555.25	92631.05
	iii) खुदरा बैंकिंग Retail Banking	45418.09	39043.00
	iv) अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations	21843.20	22781.60
	v) अनाबंटित देयताएं Unallocated Liabilities	701.71	3497.59
	vi) पूँजी और आरक्षित निधियाँ Capital and Reserves	10484.48	10085.10
	कुल देयताएं Total Liabilities	**225993.02**	**222048.47**

4.0 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के साथ पठित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 18–संबंधित पार्टी प्रकटन के अनुपालन में संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित विवरण निम्नवत् हैं:

4.0 RELATED PARTY DISCLOSURE

In compliance with Accounting Standard 18 - Related Party Disclosures, issued by the Institute of Chartered Accountants of India read along with the Reserve Bank of India guidelines, the details pertaining to Related Party transactions are disclosed as under:

संबंधित पार्टियों का नाम एवं बैंक के साथ उनका संबंध: Name of related parties and their relationship with the bank

मुख्य प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel

क्र. सं. Sr. No.	नाम Name	संबंध Relation	अदा की गई पारिश्रमिक राशि (₹ करोड़ में) Remuneration paid (₹ in Crore)
1.	श्री एस. आर. बंसल Shri S. R. Bansal	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director	0.22
2.	श्री अमर लाल दौलतानी (31.03.2015 तक) Shri Amar Lal Daultani (upto 31.03.2015)	कार्यपालक निदेशक Executive Director	0.22
3.	श्री बिभाष कुमार श्रीवास्तव Shri Bibhas Kumar Srivastav	कार्यपालक निदेशक Executive Director	0.20

अनुषंगी/सहयोगी कंपनियाँ/संस्थाएं Subsidiaries/Associates		
क्र.सं. Sr. No.	नाम Name	संबंध Relation
1	कार्प बैंक सिक्युरिटीज़ लि. Corpbank Securities Limited	अनुषंगी Subsidiary

संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन: Transaction with the related parties

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

मदें/संबंधित पार्टी Items/Related Party	अनुषंगी* Subsidiary*	मुख्य प्रबंधक कार्मिक Key Management Personnel	कुल Total
निवेश Investments	75.00	–	75.00
पारिश्रमिक Remuneration	–	0.64	0.64
ट्रेज़री बिलों की खरीद Purchase of Treasury Bills	4.17	–	4.17
ट्रेज़री बिलों की बिक्री Sale of Treasury Bills	4.10	–	4.10
वर्ष के दौरान प्रदत्त / भुगतान किया जानेवाला ब्याज Interest paid/Payable during the year	0.84	–	0.84
किराए की प्राप्ति Receipt of Rent	0.01	–	0.01
प्राप्त लाभांश Dividend Received	17.50		17.50
31.03.2015 को शेष **Balances as at 31.03.2015**			
जमा चालू/बचत बैंक खाता Deposit Current / Saving Bank Account	0.06	–	0.06
प्राप्त जमाएं Deposits Received	2.95	–	2.95

* वास्तविक रूप से राशि ₹50000/– से कम है, अत: इसे प्रस्तुत नहीं किया गया है।

टिप्पणी: जहाँ संबंधित पार्टी के किसी प्रवर्ग में केवल एक संस्था है, बैंकों को उक्त संबंधित पार्टी से संबंध के अलावा उससे संबंधित कोई ब्योरे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है (मार्गनिर्देशों का पैरा 8.3.1 देखें)।

*Actual amount being less than ₹50000/-, the same is not furnished.

Note: Where there is only one entity in any category of related party, banks need not disclose any details pertaining to that related party other than the relationship with that related party [c.f. Para 8.3.1 of the Guidelines].

5.0 लीज

बैंक ने कार्यालयों, गेस्ट हाऊस और कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर हेतु विविध परिचालित लीज किया जिसे आवधिक आधार पर नवीकृत तथा बैंक के विकल्प में निरस्त किया जा सकता है। ऐसे परिचालनगत लीज हेतु किराया व्ययों को वर्ष 2014–15 के लिए वित्तीय विवरण में समाविष्ट किया गया है, जो ₹209.96 करोड़ (गत वर्ष 183.24 करोड़) है।

5.0 LEASES

The Bank has entered into various operating lease for offices, guest house and residential premises for employees that are renewable on a periodical basis and cancellable at the Bank's option. Rental expenses for such operating leases included in the financial statements for the year 2014-15 are ₹209.96 crore (Previous year ₹183.24 crore).

6.0 प्रति शेयर अर्जन

मूल: 6.97 प्रति शेयर (शेयर का अंकित मूल्य ₹2.00 प्रति शेयर कम हुआ। तदनुसार गत वर्ष के आंकडों को पुन: घोषित किया गया)।

6.0 EARNINGS PER SHARE

Basic: ₹6.97 per share (The face value of the share has been reduced to ₹2.00 per share. Accordingly, the previous year figures have been restated).

मूल ईपीएस की गणना:

Calculation of Basic EPS:

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
ईक्विटी शेयरधारकों हेतु कर पश्चात् उपलब्ध निवल लाभ (₹ करोड़ में) Net profit after tax available for equity shareholders (₹ in Crore)	584.26	561.72
भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या (करोड़ में) Weighted average number of equity shares (in Crore)	83.77	78.55
प्रति शेयर मूल अर्जन Basic Earnings per Share (₹)	6.97	7.15
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य Nominal Value per Share (₹)	2.00	2.00

तनूकृत: लागू नहीं क्योंकि कोई तनूकृत संभाव्य ईक्विटी शेयर नहीं है।

Diluted: Not applicable as there are no dilutive potential equity shares.

7.0 आय पर करों के लिए लेखांकन

क) बैंक ने वर्ष 2014-15 के दौरान लेखा आय और प्रतिभूतियों के मूल्यांकन पर कर-योग्य आय के बीच के अंतर को स्थाई अंतर मानना जारी रखा है।

ख) बैंक ने आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं को लेखा मानक सं. 22 के अनुसार निर्धारित किया है, जिसके प्रमुख संघटक नीचे प्रस्तुत हैं:

7.0 ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME

a) Bank continues to consider the difference between accounting income and taxable income on valuation of securities as permanent difference during financial year 2014-15.

b) The Bank has recognized deferred tax assets and liabilities as per Accounting Standard No. 22, major components of which are set out below:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
आस्थगित कर आस्तियाँ Deferred Tax Assets		
छुट्टी नकदीकरण Leave encashment	80.41	76.99
एफआईटीएल FITL	282.63	166.99
वेतन बकाया Wage Arrear	107.41	40.10
एएस-15 प्रावधान AS-15 Provision	Nil	13.98
स्थिर आस्तियां Fixed Assets	16.16	0.25
कुल Total	**486.61**	**298.31**
आस्थगित कर देयताएं Deferred Tax Liabilities		
पेंशन - पूर्व भुगतान Pension – Pre-payment	14.19	37.55
दीर्घावधि वित्त आय Long Term Finance Income	486.31	434.82
कुल Total	**500.50**	**472.37**

आस्थगित कर देयता (निवल) ₹13.89 करोड़(गत वर्ष ₹174.06 करोड़) को 'अन्य देयताएं और प्रावधान' के अंतर्गत शामिल किया गया है।

Deferred tax liability (net) ₹13.89 Crore (Previous year ₹174.06 Crore) is included under "Other Liabilities and Provisions".

घ) आय कर और संपत्ति कर

i) वर्ष के दौरान आय कर और संपत्ति कर हेतु किए गए प्रावधानों का विश्लेषण:

c) Income Tax and Wealth Tax

i) Break-up of provision made for Income Tax and wealth tax during the year :

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
चालू कर Current Tax	287.98	219.65
आस्थगित कर Deferred Tax Liability/(Assets)	(143.67)	(320.78)
आय कर Income Tax (Under MAT)	287.98	219.65
संपत्ति कर Wealth Tax	0.50	0.75

ii) वित्त वर्ष 2012-13 तक आयकर हेतु निर्धारण पूरा किया गया है और वित्त वर्ष 2006-07 तक और केवल वित्त वर्ष 2011-12 हेतु संपत्ति कर हेतु निर्धारण पूरा किया गया है।

बैंक / आयकर विभाग द्वारा दायर निम्नलिखित अपील विभिन्न स्तरों पर शेष है:

ii) Assessments for Income Tax have been completed up to the financial year 2012-13 and assessments for Wealth Tax have been completed up to the financial year 2006-07 and for the financial year 2011-12 only.

The following appeals by the Bank/Income Tax Department are pending at various stages:

आय कर Income Tax	ब्याज कर Interest Tax	सेवा कर Service Tax	व्यवसाय कर Professional Tax
निर्धारण वर्ष 1998-99 व 2007-08 से 2013-14 Assessment Year 1998-99 & 2007-08 to 2013-14	निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1985-86 Assessment year 1983-84 to 1985-86	वित्त वर्ष 2002-03 से 2005-06 Financial Year 2002-03 to 2005-06	2009-10 से 2013-14 2009-10 to 2013-14

i) "अन्य आस्तियों" के अंतर्गत दर्शाए गए अग्रिम प्रदत्त कर और स्रोत पर काटे गए कर में बैंक द्वारा विवादग्रस्त माँगों के लिए प्रदत्त ₹1091.93 करोड़ (गत वर्ष ₹559.92 करोड़) शामिल हैं, जिसके लिए बैंक ने ₹0.04 करोड़ (गत वर्ष ₹0.04 करोड़) का प्रावधान रखा है। बैंक ने अपील की है और इसी प्रकार के मामलों में अनुकूल फैसलों को देखते हुए कोई अतिरिक्त प्रावधान ज़रूरी नहीं समझा गया है।

i) Tax paid in advance and tax deducted at source appearing under ''Other Assets'' includes ₹1091.93 Crore (previous year ₹559.92 Crore) paid on account of demands disputed by the Bank, against which the Bank holds a provision of ₹0.04 Crore (Previous year ₹0.04 Crore). The Bank has gone on appeal and no additional provision is considered necessary in view of favorable judicial pronouncements in similar cases.

8.0 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

8.0 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

क) प्रावधान:

a) Provisions:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

प्रावधान की प्रकृति Nature of Provision		प्रारंभिक शेष Opening Balance	वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान Additional Provision made during the year	वर्ष के दौरान प्रयोग किए गए प्रावधान Provision used during the year	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित प्रावधान Provision Reversed during the year	अंतिम शेष Closing Balance
i.	गै.नि.आ. हेतु किए गए प्रावधान Provision made towards NPAs	1,551.11	1,969.04	779.05	133.95	2,607.15
ii.	निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (गै.नि.आ. प्रावधान सहित) Provision for Depreciation on Investment (Including NPA provision)	459.39	–	130.36	219.34	109.69
iii.	आय कर/संपत्ति कर हेतु प्रावधान Provision made towards Income Tax/ Wealth Tax	1,032.49	288.48	601.46	162.66	556.85
iv.	सभी अन्य *All other *	1,911.99	738.10	–	1.68	2648.41

* इसमें कर्ज के रूप में स्वीकार न किये गये बैंक के विरुद्ध दावों हेतु प्रावधान, कपटपूर्ण लेन-देनों हेतु प्रावधान तथा अन्य विविध लेनदेन शामिल हैं।

* This includes provision for claims against the Bank not acknowledged as debt, provision towards fraudulent transactions and other miscellaneous transactions.

ख) आकस्मिक देयता:

b) Contingent Liability:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

i) कर्ज के रूप में स्वीकार न किये गये बैंक के विरुद्ध दावे: Claims against the Bank not acknowledged as debts:			
विवरण Particulars	**दावों की सं. No. of claim**	**सकल दावे Gross Claim**	**निवल दावे Net Claim**
01.04.2014 को बकाया कुल दावे Total Claims outstanding as on 01.04.2014	**111**	**596.74**	**587.83**
घटाएं: 01.04.2014 से 31.03.2015 तक की अवधि के दौरान घटाएं/संशोधित दावे Less: Claims deleted/revised during the period from 01.04.2014 to 31.03.2015	30	71.76	69.57
जोड़ें: 01.04.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान जोड़े नए दावे Add : New Claims added during the period from 01.04.2013 to 31.03.2015	15	1329.05	1328.54
31.03.2015 को बकाया कुल दावे Total Claims outstanding as on 31.03.2015	**96**	**1854.03**	**1846.80**

31 मार्च, 2015 को बकाया दावों का विषयवार वर्गीकरण:

Subject wise classification of the claims outstanding as on 31st March, 2015:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

विवरण Particulars	**दावों की सं No. of Claims**	**सकल दावे Gross Claim**	**निवल दावे Net Claim**
बैंक गारंटी Bank Guarantee	2	0.16	0.01
चेक /माँग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश आदि की उगाही Cheques/DD/PO etc., collection	12	0.95	0.39
ऋण संविभाग Credit Portfolio	17	1.22	0.84
जमा संविभाग Deposits Portfolio	5	0.50	0.14
सतर्कता Vigilance	21	6.22	1.72
विविध [आयकर व ब्याज कर माँगों से संबंधित दावों सहित] # Miscellaneous [Including claims on account of Income Tax Demands]#	39	1844.98	1843.70
योग Total	96	1854.03	1846.80

* शुरुआत से लेकर जहाँ लागू हो दावों पर ब्याज को छोड़कर

\# आकस्मिक देयताओं में ₹1810.91 करोड़(गत वर्ष ₹550.74 करोड़) का विवादित आय कर तथा ब्याज कर शामिल है।

वित्त वर्ष 2013-14 हेतु, ₹1236.67 करोड़ की मांग के पक्ष में बैंक ने केवल ₹441.12 करोड़ के प्रतिवाद के तहत भुगतान किया और वित्त वर्ष 2008-09 हेतु, ₹164.37 करोड़ की मांग के पक्ष में बैंक ने केवल ₹88.82 करोड़ के प्रतिवाद के तहत भुगतान किया।

* Excluding interest on claims, wherever applicable, since inception.

\# Contingent Liabilities includes disputed Income tax and interest of ₹1810.91 Crore (Previous year ₹550.74 Crore).

For AY 2013-14, against total demand of ₹1236.67 crore, Bank has paid only ₹441.12 crore under protest and for AY 2008-09, against total demand of ₹164.37 crore, Bank has paid only ₹88.82 crore under protest.

ग. अतिरिक्त प्रकटन

1. प्रावधान और आकस्मिकताएं

C. ADDITIONAL DISCLOSURES

1. PROVISIONS AND CONTINGENCIES

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

	यथा 31 मार्च 2015 As at 31st March 2015	यथा 31 मार्च 2014 As at 31st March 2014
निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान Provision for Depreciation on Investment	–219.34	537.32
एनपीए के प्रति प्रावधान Provision towards NPA	1,835.09	1,438.11
मानक आस्ति के प्रति प्रावधान Provision towards Standard Asset	139.00	224.00
आयकर और संपत्तिकर हेतु प्रावधान Provision for Income Tax and wealth tax	–108.80	–320.03
ब्याज पूँजीकरण हेतु प्रावधान Provision for Interest Capitalisation	340.22	239.33
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Other Provision & Contingencies	457.02	358.94
योग TOTAL	2,443.19	2,477.67

2. अस्थिर प्रावधान

2. FLOATING PROVISION

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

अस्थिर प्रावधान Floating Provision	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
क) अस्थिर प्रावधान खाते में अथशेष a) Opening balance in the floating provisions account	शून्य Nil	शून्य Nil
ख) लेखा वर्ष के दौरान किए गए अस्थिर प्रावधान की मात्रा b) Quantum of floating provisions made in the accounting year	शून्य Nil	शून्य Nil
ग) लेखा वर्ष के दौरान किए गए आहरण का उद्देश्य और राशि c) Purpose and amount of draw down made during the accounting year	शून्य Nil	शून्य Nil
घ) अस्थिर प्रावधान खाते में इतिशेष d) Closing balance in the floating provisions account	शून्य Nil	शून्य Nil

3. आरक्षित निधियों से आहरित: शून्य (गत वर्ष शून्य)

3. Draw Down from Reserves : Nil (Previous Year Nil)

4. शिकायतें/बैंकिंग लोकपाल के कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णय

4. Complaints / unimplemented awards of Banking Ombudsmen

क) ग्राहक शिकायतें

A. Customer Complaints

(क)(a)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending at the beginning of the year	शून्य Nil
(ख)(b)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या No. of complaints received during the year	2388
(ग)(c)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या No. of complaints redressed during the year	2388
(घ)(d)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending at the end of the year	शून्य Nil

ख. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय **B. Awards passed by the Banking Ombudsman**

(क)(a)	वर्ष के आरंभ में गैर-कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं. No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	1
(ख)(b)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की सं. No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	1
(ग)(c)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं. No. of Awards implemented during the year	2
(घ)(d)	वर्ष के अंत में गैर-कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं. No. of unimplemented Awards at the end of the year	शून्य Nil

ग. 2014-15 के दौरान एटीएम के संबंध में ग्राहक शिकायतें

C. Customer complaints for ATM during the financial year 2014-15

ग्राहक शिकायतें **Customer Complaints**

क्र. सं. Sl. No.	विवरण Particulars	हमारे कार्ड धारकों से वर्ष के दौरान प्राप्त कुल शिकायतें Total Complaints received from our card holders during the year	इनमें से दूसरे बैंक के एटीएमों का उपयोग करते समय हमारे कार्ड धारकों से प्राप्त शिकायतें Out of which complaint received from our card holders while using other Bank ATMs
(क)(a)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending at the beginning of the year	506	374
(ख)(b)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या No. of complaints received during the year	68902	48866
(ग)(c)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या No. of complaints redressed during the year	69083	48948
(घ)(d)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending at the end of the year	325	302

5. बैंक अपने विभिन्न ग्राहकों को मंजूर ऋण सीमाओं के प्रति उनकी ओर से चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) जारी करता है। प्रबंधन-वर्ग की राय में बैंक द्वारा विगत में, चालू वर्ष के दौरान जारी एलओसी के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव और संचयी वित्तीय दायित्व का आकलन नहीं हुआ है और अब भी बकाया नहीं है। बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र के संक्षिप्त ब्यौरे निम्नानुसार है:

5. The Bank issues Letters of Comfort (LOCs) on behalf of its various constituents against the credit limits sanctioned to them. In the opinion of Management, no significant financial impact and cumulative financial obligations have been assessed under LOCs issued by the Bank in the past, during the current year and still outstanding. Brief details of LOCs issued by the Bank are as follows:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

विवरण Particulars	यथा 31मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) में प्रारंभिक शेष Opening Balance in Letters of Comfort (LOCs)	5569.41	8100.71
वर्ष के दौरान किया गया भुगतान Payment made during the year	1652.10	1814.05
वर्ष के दौरान जारी एलओसी LOCs issued during the year	3426.04	4345.36
अंतिम शेष Closing balance	3795.46	5569.41

6. 31 मार्च, 2014 के 52.90% के मुकाबले 31 मार्च, 2015 को बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 55.34% हैं।

6. Provisioning coverage ratio of the Bank as on 31st March, 2015 is 55.34% as against 52.90% as on 31st March, 2014.

7. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक को बैंक एश्योरेन्स कारोबार से ₹10.46 करोड़ (गत वर्ष ₹10.85 करोड़) शुल्क/प्रतिलाभ प्राप्त हुआ है।

7. During the year ended 31st March, 2015, Bank has received fee/remuneration of ₹10.46 Crore from Bancassurance business (Previous year ₹10.85 Crore).

8. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोज़र और एनपीए का संकेंद्रीकरण

क. जमाराशियों का सकेंद्रीकरण:

8. CONCENTRATION OF DEPOSITS , ADVANCES, EXPOSURES AND NPAs

a. Concentration of Deposits:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ Total deposits of twenty largest depositors	35692.39	29,289.57
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	17.90%	15.15%

ख. अग्रिमों का सकेंद्रीकरण:

b. Concentration of Advances:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम Total Advances to twenty largest borrowers*	31,775.74	34,259.12
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total advances of the Bank	21.88%	24.89%

ग. एक्सपोज़र का सकेंद्रीकरण:

c. Concentration of Exposures:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र* Total exposure to twenty largest borrowers/customers*	32,549.95	34,613.55
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल एक्सपोज़र में अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत Percentage of Exposures to twenty largest borrowers to Total Exposure of the Bank on borrowers/customers	22.41%	22.73%

गैर–प्रतिबद्धता वाले ऋणों को छोड़कर

* Excluding Non-committal Line of Credit

घ. गैर–निष्पादक आस्तियों का सकेंद्रीकरण:

d. Concentration of NPAs:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
चार बड़े गै.नि.आस्ति खातों में निहित राशि Total Exposure to top four NPA Accounts	1,308.03	688.85

9. क्षेत्र–वार गैर–निष्पादक आस्तियाँ

9. Sector-wise advances

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

क्र. सं. Sl. No.	क्षेत्र Sector	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015			यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2014		
		कुल अग्रिम बकाया O/s total Advances	सकल एनपीए Gross NPA	सकल एनपीए कुल अग्रिम का % % of Gross NPA total Advances	कुल अग्रिम बकाया O/s total Advances	सकल एनपीए Gross NPA	सकल एनपीए कुल अग्रिम का % % of Gross NPA total Advances
क A	**प्राथमिकता प्राप्त Priority Sector**						
1	कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप Agriculture and allied activities	15,822.98	580.01	3.66	13,144.00	557.27	4.24
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के रूप में पात्र उद्यमों को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	11,873.09	1241.43	10.46	10,958.00	819.96	7.48
3	सेवा Services	13,894.42	670.45	4.83	13,100.00	494.83	3.78
4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	12,063.68	373.77	3.10	11,358.00	289.48	2.55
	उप–योग (क) Sub-total (A)	**53,654.17**	**2,865.66**	**5.34**	**48,560.00**	**2,161.54**	**4.45**
ख B	**गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non-Priority Sector**						
1	कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप Agriculture and allied activities	–	–	–	–	–	–
2	उद्यम Industry	61,503.92	5,958.94	9.69	60,295.03	4,160.70	6.90
3	सेवा Services	315.49	35.93	11.39	1,254.05	156.60	12.49
4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	34,823.62	928.55	2.66	30,549.29	273.79	0.90
	उप–योग (ख) Sub-total (B)	**96,643.03**	**6,923.42**	**7.16**	**92098.37**	**4,591.09**	**4.98**
	कुल (क+ख) Total (A+B)	**150,297.20**	**9,789.08**	**6.51**	**140,658.37**	**6,752.63**	**4.80**

10. गैर–निष्पादक आस्तियों में उतार–चढ़ाव

10. Movement of NPAs

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
1 अप्रैल, 2014 को सकल गै.नि.आ. [आरंभिक शेष] Gross NPAs* as on 1st April, 2014 [Opening Balance]	4736.79	2048.23
वर्ष 2014-15 के दौरान परिवर्धन [नई गै.नि.आ.] Additions [Fresh NPAs] during the year 2014-15	3738.88	3555.73
उप–योग (क) Sub-Total [A]	**8475.67**	**5603.96**
घटाएं Less : [i] उन्नयन Upgradations	271.66	176.12
[ii] वसूली (उन्नयन किए गए खातों में की गई वसूली को छोड़कर) Recoveries [excluding recoveries made from upgraded accounts	318.29	228.31
[iii] बट्टे खाते लिखे गए Technical/Prudential Write-offs	770.57	453.93
[iv] उपरोक्त (iii) में आनेवालों को छोड़कर बट्टा खाते डाले गए Write-offs other than those under (iii) above	8.48	8.81
उप–योग [ख] Sub-total [B]	1369.00	867.17
31 मार्च, 2015 को सकल गै.नि. आस्तियाँ [इतिशेष (क –ख)] Gross NPAs as on 31st March 2015 [closing balance (A) – (B)]	7106.67	4736.79

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
1अप्रैल को तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते का प्रारंभिक शेष Opening balance of Technical/Prudential written-off accounts as at April 1	2015.84	1670.45
जोडे: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते (वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते के बकाया शेष में ₹0.45 करोड की वृद्धि शामिल है) Add: Technical/Prudential write-offs during the year (includes ₹0.45 crores increase in the outstanding balance of technical/prudential written off during the year)	771.02	455.56
उप–योग (क) Sub-total (A)	2786.86	2126.01
घटाएं: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते से की गई वसूली (ख) Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year (B)	104.46	110.17
यथा 31 मार्च को इतिशेष (क–ख) Closing balance as at March 31 (A-B)	2682.40	2015.84

11. विदेशी आस्तियाँ, गैर–निष्पादक आस्तियाँ एवं राजस्व

11. Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
कुल आस्तियाँ Total Assets	शून्य Nil	शून्य Nil
कुल गैर–निष्पादक आस्तियाँ Total NPAs	शून्य Nil	शून्य Nil
कुल राजस्व Total Revenue	शून्य Nil	शून्य Nil

12. प्रायोजित इतर तुलन–पत्र एसपीवी (लेखांकन मानदंडों के अनुसार जिनका समेकन किया जाना है)

12. Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

प्रायोजित एसपीवी का नाम Name of the SPV Sponsored	
देशी Domestic	विदेशी Overseas
शून्य NIL	शून्य NIL

13. प्रवर्तक बैंक के रूप में प्रतिभूतिकरण:

13. Securitisation as Originating Bank:

Sl. No. क्र. सं.	विवरण Particulars			No./Amount ₹ in Cr. सं./राशि ₹ करोड़ में
1	प्रतिभूतिकरण लेनदेनों के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या No. of SPVs sponsored by the bank for securitization transactions			
2	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूत आस्तियों की कुल आस्ति Total amount of securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the bank			
3	तुलन–पत्र की तारीख को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए बैंक द्वारा प्रतिधारित एक्सपोज़र की कुल राशि Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet			
	क) a)	तुलन–पत्र से इतर एक्सपोज़र Off-balance sheet exposures		
		प्रथम हानि First loss		
		अन्य Others		–
	ख) b)	तुलन–पत्रगत एक्सपोज़र On-balance sheet exposures		
		प्रथम हानि First loss		
		अन्य Others		
4	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण लेनदेनों की एक्सपोज़र राशि Amount of exposures to securitization transactions other than MRR			
	क) a)	तुलन–पत्र से इतर एक्सपोज़र Off-balance sheet exposures		
		i)	स्व–अपने ही प्रतिभूतिकरण को एक्सपोज़र Exposure to own securitizations	
			प्रथम हानि First loss	
			हानि Loss	
		ii)	तृतीय पार्टी प्रतिभूतिकरण को एक्सपोज़र Exposure to third party securitizations	
			प्रथम हानि First loss	–
			अन्य Others	
	ख) b)	तुलन–पत्रगत एक्सपोज़र On-balance sheet exposures		
		i)	स्व–प्रतिभूतिकरण को एक्सपोज़र Exposure to own securitizations	
			प्रथम हानि First loss	
			अन्य Others	
		ii)	तृतीय पार्टी प्रतिभूतिकरण को एक्सपोज़र Exposure to third party securitizations	
			प्रथम हानि First loss	
			अन्य Others	

14. अत: समूह एक्सपोज़र

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु समूह इकाईयों हेतु एक्सपोज़र निम्नवत है:

14. Intra-Group Exposures

Exposure to the group entities for the year ended 31st March, 2015 is as under:

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015
क) (a) अंत: समूह एक्सपोज़र की कुल राशि Total amount of intra-group exposures	शून्य Nil
ख) (b) शीर्ष 20 अंत: समूह एक्सपोज़र की कुल राशि Total amount of top-20 intra-group exposures	शून्य Nil
ग) उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोज़र में अंत: समूह एक्सपोज़र का प्रतिशत (c) Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers/customers	शून्य Nil
घ) अंत:-समूह एक्सपोज़र पर सीमा तोड़ने का विवरण और उसपर की गई नियामक कार्रवाई, यदि कोई हो (d) Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	शून्य Nil

15. जमाकर्ता शिक्षा व जागरूकता निधि में अंतरण (डीईएएफ)

बैंक ने 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के दौरान डीईएएफ को निम्नवत राशि अंतरित की है:

15. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

Bank has transferred the below mentioned amount to DEAF during the year ended 31.03.2015.

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष Opening balance of amounts transferred to DEAF	शून्य Nil	शून्य Nil
जोडे: वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि Add : Amounts transferred to DEAF during the year	53.94	शून्य Nil
घटाएं: दावों के संबंध में डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	शून्य Nil	शून्य Nil
डीईएएफ को अंतरित राशि का अंतिम शेष Closing balance of amounts transferred to DEAF	53.94	शून्य Nil

16. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र:

बैंक में अपने उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र से उत्पन्न होनेवाली जोखिम के प्रबंधन पर एक नीति है। इस नीति का उद्देश्य यह है कि उधारकर्ताओं के विदेशी मुद्रा उत्पाद के पोर्टफोलियों की समीक्षा करते हुए उनके विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र को अधिकतम रक्षित करना और उनके अरक्षित भाग को रक्षित करने हेतु प्रेरित करना।

नीति के अनुसार, अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र का मूल्यांकन उधारकर्ता के मूल्यांकन का एक भाग है और इसे सीमाओं के प्रस्ताव के समय या समीक्षा करते समय पर किया जाता है। इसके अलावा, बैंक सभी ग्राहकों के लिए सीमा मंजूर करते समय, उधारकर्ता का आंतरिक श्रेणीकरण, आकार, स्वाभाविक बचाव व्यवस्थाओं की संभाव्यता, ग्राहक की कुल उधार के संबंध में अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र का संबंधित आकार आदि इस तरह के तथ्यों पर विचार करने के बाद ही उधारकर्ता के विदेशी अरक्षित मुद्रा एक्सपोज़र की सीमा निर्धारित करता है (यथा बैंक द्वारा मंजूर कुल विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र का %)।

16. Unhedged Foreign Currency Exposure

The Bank has in place a policy on managing credit risk arising out of unhedged foreign currency exposures of its borrowers. The objective of this policy is to maximize the hedging on foreign currency exposures of borrowers by reviewing their foreign currency product portfolio and encouraging them to hedge the unhedged portion.

In line with the policy, assessment of unhedged foreign currency exposure is a part of assessment of borrowers and is undertaken while proposing limits or at the review stage. Additionally, at the time of sanctioning limits for all clients, the Bank stipulates a limit on the unhedged foreign currency exposure of the client (as a % of total foreign currency exposure sanctioned by the Bank) after considering factors such as internal rating of the borrower, size, possibility of natural hedging, relative size of unhedged foreign currency exposure with respect to total borrowings of the client, etc. Further, the Bank reviews the unhedged foreign

इसके अलावा बैंक अपने संपूर्ण पोर्टफोलियो के अंतर्गत अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र की आवधिक आधार पर समीक्षा करता है। इसके साथ ही बैंक भारिबैं के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार अपने उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के संबंध में वृद्धिशील प्रावधान रखता है।

इसके अलावा, बैंक ने यथा 31 मार्च, 2015 को अपने अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के खाते में ₹13.22 करोड़ का प्रावधान और ₹19.04 करोड़ की अतिरिक्तपूंजी रखी है।

17. चलनिधि कवरेज अनुपात

चलनिधि मानकों– चलनिधी कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम नियंत्रण साधन और एलसीआर प्रकटन मानकों पर बेसल III मानकों पर भारिबैं परिपत्र सं.डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं.120/21.04.098/2013–14 दिनांकित 09 जून, 2014 के क्रम में, बैंक को खातों पर टिप्पणी के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण में एलसीआर पर 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष से सूचना प्रकट करना अनिवार्य है। जिसके लिए केवल 31 मार्च, 2015 को समाप्त तिमाही हेतु एलसीआर संबंधी सूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए। आवश्यक सूचना निम्नवत है:

currency exposure across its portfolio on a periodic basis. The Bank also maintains incremental provision towards the unhedged foreign currency exposures of its borrowers in line with the extant RBI guidelines.

Further, the bank has maintained provision of ₹13.22 Crore and additional capital of ₹19.04 crore on account of Un-hedged Foreign Currency Exposure of its borrower as at March 31, 2015.

17. Liquidity Coverage Ratio

In pursuant to RBI Circular No. DBOD.BP.BC.No.120/21.04.098/2013-14 dated June 9, 2014 on Basel III Framework on Liquidity Standards – Liquidity Coverage Ratio (LCR), Liquidity Risk Monitoring Tools and LCR Disclosure Standards, Bank has to disclose information on LCR in the annual financial statement under Notes to Accounts, starting with financial year ending 31st March, 2015, for which the LCR related information needs to be furnished only for the quarter ending March 31, 2015. The necessary information is as under:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

			चालू वर्ष (01.01.2015 से 31.03.2015 तक) Current year (01.01.2015 to 31.03.2015)		गत वर्ष Previous Year	
			कुल गैर–भारित मूल्य (औसत) Total Un-weighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	कुल गैर–भारित मूल्य (औसत) Total Un-weighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)
	उच्च गुणवत्ता चल आस्तियाँ High Quality Liquid Assets					
1	कुल उच्च गुणवत्ता आस्तियां (एचक्यूएलए) Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		21,073.37	20,962.70	–	–
नकदी बहिर्गमन Cash Outflows						
2	खुदरा जमाएं और लघु कारोबार ग्राहकों से जमाएं, जिसमें से Retail deposits and deposits from small business customers, of which:		77,460.06	5,802.11	–	–
	(i)	स्थिर जमाएं Stable deposits	38,877.84	1,943.89	–	–
	(ii)	घटाएं– स्थिर जमाएं Less stable deposits	38,582.22	3,858.22	–	–
3	अरक्षित थोक निधियन, जिसमें से Unsecured wholesale funding, of which:		69,341.24	37,686.33	–	–
	(i)	परिचालनगत जमाएं (सभी प्रतिपक्षकार) Operational deposits (all counterparties)	–	–	–	–
	(ii)	गैर–परिचालनगत जमाएं (सभी प्रतिपक्षकार) Non-operational deposits (all counterparties)	69,341.24	37,686.33	–	–
	(iii)	अरक्षित ऋण Unsecured debt	–	–	–	–

4	जमानती थोक निधियन Secured wholesale funding	2,561.61	0	–	–
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से Additional requirements, of which	19,020.93	1,966.39	–	–
	(i) व्युत्पन्न एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं संबंधी बहिर्गमन Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	6.44	6.44	–	–
	(ii) ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि से संबधित बहिर्गमन Outflows related to loss of funding on debt products	–	–	–	–
	(iii) ऋण तथा चल सुविधा Credit and liquidity facilities	19,014.49	1,959.95	–	–
6	अन्य संविदागत निधियन बाध्यताएं Other contractual funding obligations	–	–	–	–
7	अन्य आकस्मिक निधियन बाध्यताएं Other contingent funding obligations	17,146.31	878.13	–	–
8	कुल नकदी बहिर्गमन **Total Cash Outflows**	185,530.15	46,332.96	–	–
	नकदी अंतर्प्रवाह Cash Inflows				
9	जमानती उधार (अर्थात प्रतिवर्ती रेपो) Secured lending (e.g. reverse repos)	1,299.59	–	–	–
10	संपूर्ण निष्पादन एक्सपोज़र से अंतर्प्रवाह Inflows from fully performing exposures	2,947.41	1,473.71	–	–
11	अन्य नकदी प्रवाह Other cash inflows	7,155.10	5,921.77	–	–
12	**कुल नकदी अंतर्प्रवाह Total Cash Inflows**	11,402.10	7,395.48	–	–
			कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value	–	–
13	**कुल एचक्यूएलए TOTAL HQLA**	21,073.37	20,962.70	–	–
14	**कुल निवल नकदी बहिर्प्रवाह Total Net Cash Outflows**	174,128.05	38,937.48	–	–
15	**चलनिधि कवरेज अनुपात (%) Liquidity Coverage Ratio (%)**		**54.07**	–	–

यथा 31 मार्च, 2015 को एलसीआर का गुणात्मक प्रकटन

1. एलसीआर परिणामों की मुख्य वाहक और समय के साथ एलसीआर की गणना करने के लिए आदानों के योगदान का विकास:

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) को निवल नकदी प्रवाह के लिए एचक्यूएलए (उच्च गुणवत्ता चल आस्ति) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि, गंभीर तरलता तनाव परिदृश्य के तहत 30 कैलेंडर दिन कि अवधि के लिए अपनी तरलता जरूरतों को पूरा करने के लिए भार रहित एचक्यूएलए के पर्याप्त स्तर की बैंक अनुरक्षित रखना सुनिश्चित करें, जिसे नकदी में परिवर्तित किया जा सके।

Qualitative Disclosure around LCR as on 31st March, 2015

1. The main drivers of the LCR results and the evolution of the contribution of inputs to the LCR's calculation over time:

Liquidity Coverage Ratio (LCR) is defined as the ratio of HQLA (High Quality Liquid Assets) to net cash outflows. It aims to ensure that a bank maintains adequate level of unencumbered HQLAs that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario.

I. एलसीआर के मुख्य वाहक:

एलसीआर परिणाम के मुख्य वाहक हैं- अगले 30 दिन के समय के भीतर उच्च गुणवत्ता चल आस्ति का स्तर, अपेक्षित नकदी अंतप्रवाह और अपेक्षित निवल नकदी बहिर्प्रवाह:

क. एचक्यूएलए: इसमें निम्नवत उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां शामिल है:

- स्तर-1 आस्तियां
- स्तर-2 ए आस्तियां
- स्तर-2 बी आस्तियां

स्तर -1 आस्तियों में निम्नवत शामिल है:

- नकदी
- आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) न्यूनतम नियामक आवश्यकता से अधिक
- सरकारी प्रतिभूतियां न्यूनतम सांविधिक चल आवश्यकताओं (एसएलआर) से अधिक
- अनिवार्य एसएलआर आवश्यकताओं में सरकारी प्रतिभूतियां, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत भारिबैं द्वारा विस्तार हेतु अनुमति (एमएसएफ हेतु वर्तमान में एनडीटीएल के 7 % की अनुमति है)
- 0% जोखिम भार सहित शासन द्वारा जारी गारंटीकृत/ बाजारयोग्य प्रतिभूतियां जारी

31 मार्च, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए बैंक के स्तर-1आस्तियों का तिमाही औसत ₹20,484.60 करोड़ रहा। जो उसी अवधि के लिए ₹21,073.37 करोड़ के एचक्यूएलए कुल औसत का 97.21% है।

स्तर 2 ए आस्तियों में निम्नवत शामिल है:

- बाह्य रेटिंग एजेंसियों द्वारा एए या अधिक वर्गीकृत कार्पोरेट बांड।

बैंक भारिबैं के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार स्तर 2 ए आस्तियों पर 15% मार्जिन लागू कर रहा है। 31 मार्च, 2015 को समाप्त तिमाही हेतु स्तर 2 ए आस्तियों के औसत का हिस्सा कुल औसत एचक्यूएलए का 2.49% (₹524.88 करोड़) है और इसमें मुख्य रूप से गैर वित्तीय संस्थाओं के एए- या उससे अधिक वर्गीकृत कार्पोरेट बांड, जो शामिल हैं।

स्तर 2 बी आस्तियों में निम्नवत शामिल है:

- सूचीबद्ध कार्पोरेट के ईक्विटी शेयर

बैंक भारिबैं के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार स्तर 2 बी आस्तियों पर 50% मार्जिन लागू कर रहा है। 31 मार्च, 2015 को समाप्त तिमाही हेतु स्तर 2 बी आस्तियों के औसत का हिस्सा कुल औसत एचक्यूएलए का 0.30% (₹63.89 करोड़) है और इसमें सूचीबद्ध कार्पोरेट के ईक्विटी शेयर शामिल है, जो राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज सीएनएक्स निफ्टी और/या एस एण्ड पी बीएसई सेन्सेक्स में सूचीबद्ध है। तथापि, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और एनबीएफसी के शेयरों को स्तर 2 बी आस्तियों के रूप में नहीं लिया गया है।

I. Main Drivers of LCR:

The Main drivers of LCR result are level of High Quality Liquid Assets, expected Cash Inflows and expected net Cash Outflow within next 30days time horizon.

a. HQLA: This comprises of High Quality Liquid Assets as under :

- Level-1 assets
- Level-2A assets
- Level-2B assets

The Level-1 assets comprise of:

- Cash
- Cash Reserve Ratio (CRR) balance in excess minimum regulatory requirement.
- Government Securities in excess of minimum Statutory Liquidity Requirement (SLR).
- Government securities within the mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under Marginal Standing Facility (MSF) (7% of NDTL is at present allowed for MSF).
- Marketable securities issued/guaranteed by sovereigns with 0% risk weight.

The quarterly average of Level-1 assets of the Bank for the quarter ended 31st March, 2015 were ₹20,484.60 crore which accounts for 97.21% of total average HQLA of ₹21,073.37 crore for the same period.

The Level 2A assets comprise of:

- Corporate Bonds rated AA- or above by external rating agencies.

Bank is applying 15% haircut on Level 2A assets as per extant guidelines of RBI. The share of average Level 2A assets is 2.49 % (₹524.88 crore) of total average HQLA for the quarter ended 31st March, 2015 and mainly comprises of corporate bonds of Non-financial entities which have been rated AA- or above.

The Level 2B assets comprise of:

- Equity Shares of listed corporates

Bank is applying 50% haircut on Level 2B assets as per extant guidelines of RBI. The share of average Level 2B assets is 0.30% (₹63.89 crore) of total average HQLA for the quarter ended 31st March, 2015 and comprises of equity shares of listed corporates which are listed in National Stock Exchange CNX NIFTY and/or S&P BSE Sensex. However, shares of Banks, financial institution and NBFCs are not reckoned as level 2B assets.

ख. **नकदी अंतर्प्रवाह:**

- **जमानती उधार से अंतर्प्रवाह:** इसमें लघु अवधी ऋण जैसे प्रतिवर्ती रेपो, मांग उधार आदि शामिल है।
- **संपूर्ण निष्पादन एक्सपोज़र से अंतर्प्रवाह:** एनपीए को छोडकर, 30 दिन के भीतर ऋण चुकौती अनुसूची पर विचार किया जाता है।
- **अन्य नकदी अंतर्प्रवाह:** इसमें निवेश/चल म्युचुअल फंड/30 दिन के भीतर जमा परिपक्वता प्रमाणपत्र और अन्य बैंक में बैंक बकाया शामिल है।

ग. **नकदी बहिर्प्रवाह:** एलसीआर के उद्देश्य हेतु बहिर्प्रवाह को निम्नवत दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया है:

- **खुदरा जमाओं से बहिर्प्रवाह:** स्वाभाविक व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा जमाओं सहित बैंक में रखी गई सभी मांग तथा मीयादी जमाओं को खुदरा जमाओं के रूप में लिया जाता है। आगे खुदरा जमाओं के बहिर्प्रवाह को स्थिर जमा और अस्थिर जमा में विभक्त किया जाता है। प्रति उधारक र्ता ₹1 लाख तक के बीमाकृ त जमाओं को स्थिर जमा के रूप में लिया जाता है और शेष भाग को (कुल जमाओं से स्थिर जमाओं को घटाकर) अस्थिर जमा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 31 मार्च, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए एलसीआर उद्देश्य के लिए खुदरा जमा का कुल तिमाही औसत ₹77,460.06 करोड़ रहा जिसमें से औसत स्थिर जमाएँ ₹38,877.84 करोड़ और अस्थिर जमाएं ₹38,582.22 करोड़ हैं। बैंक ने 30 दिनों की अवशिष्ट परिपक्वता सहित सभी खुदरा जमाओं के बहिर्प्रवाह को लिया है।
- **लघु कारोबार ग्राहकों से बहिर्प्रवाह:** लघु कारोबार ग्राहकों से बहिर्प्रवाह वह जमाएं जिनका समग्र मूल्य ₹50 करोड़ से अधिक नहीं है। भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार इन जमाओं से 30 दिनों तक बहिर्प्रवाह को एलसीआर उद्देश्य हेतु लिया गया है।
- **थोक निधियन से बहिर्प्रवाह:** खुदरा जमाओं और लघु कारोबार ग्राहकों के अलावा बहिर्प्रवाह को थोक निधियन के कारण बहिर्प्रवाह के रूप में लिया जाता है जिसे बाद में गैर जमानती थोक निधियन और जमानती थोक निधियन में विभाजित किया जाता है। एलसीआर उद्देश्य के लिए, 31 मार्च, 2015 को समाप्त तिमाही हेतु ₹69,341.21 करोड़ के थोक निधियन के सभी गैर जमानती औसत को गैर परिचालनगत जमाओं में वर्गीकृ त कि या गया, ये जमाएँ समायोजन, अभिरक्षा या नक दी प्रबंधन क्रि याक लाप के लिए प्रस्तुत नहीं की गई। जमानती थोक निधियन में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)/संपार्श्विकृत उधार लेनदेन संबंधी दायित्व (सीएलबीओ)पुर्नखरीद क रार (आरईपीओ) द्वारा जमानती उधार शामिल है। 31 मार्च, 2015 को समाप्त तिमाही हेतु जमानती उधार का कुल औसत ₹2,561.61 करोड़ रहा।

b. **Cash inflows:**

- **Inflows from Secured Lending:** It consists of short term lending such as reverse repo, call lending etc.
- **Inflows from fully performing exposure:** Scheduled loan repayment within 30 days, other than NPA, has been considered.
- **Other Cash inflows:** It includes Investments/ Liquid Mutual Funds/Certificate of Deposits maturing within 30 days and bank balances with other banks.

c. **Cash Outflows:** The outflows for the purpose of LCR have been divided in to following major categories:

- **Outflows from retail deposits:** All demand and term deposits including foreign currency deposits placed with the Bank by a natural person are considered as retail deposits. The outflows from retail deposit are further bifurcated in to stable deposit and unstable deposit. Insured deposits up to ₹1 lakhs per borrower have been considered as stable deposit and the remaining portion (Total deposits less stable deposits) is classified as unstable deposit. Total quarterly average retail deposit for LCR purposes for the quarter ended 31st March, 2015 was ₹77,460.06 crore out of which average stable deposits was ₹38,877.84 crore and unstable deposits was ₹38,582.22 crore. Bank has considered outflows of all retail deposits for LCR purpose, including those where residual maturity is beyond 30 days.
- **Outflows from small business customers:** The outflows from small business customers are those deposits where aggregate value of deposits does not exceed ₹50 crore. Outflows up to 30 days from these deposits have been considered for LCR purposes as per the RBI guidelines.
- **Outflows from wholesale funding:** The outflows other than those from retail deposits and small business customers are considered as outflows due to wholesale funding which has been further bifurcated in to unsecured wholesale funding and secured wholesale funding. For LCR purpose, all unsecured average wholesale funding of ₹69,341.24 crore for the quarter ended 31st March, 2015 are classified as non-operational deposits as these deposit do not represent clearing, custody or cash management activities. The secured wholesale funding is consisting of secured borrowings through Liquidity Adjustment Facility (LAF)/ Collateralized Borrowing and Lending Obligation (CBLO) and Repurchase Agreement (REPO). Total average of secured borrowings for the quarter ended as on 31st March, 2015 was ₹ 2,561.61 crore.

- **उधार तथा चलनिधि सुविधा से बहिर्प्रवाह:** इसमें नकद ऋण खाते (सीसी) और ओवरड्राफ्ट (ओडी) खाते के अप्राप्त/अप्रयुक्त सीमा को लिया गया है।
- **अन्य आकस्मिक निधियन बाध्यताओं से बहिर्प्रवाह:** अन्य आकस्मिक निधियन बाध्यताओं से बहिर्प्रवाह में बैंक गारंटी और ऋण प्रतिबद्धता पत्र के कारण बहिर्गमन शामिल है। एलसीआर उद्देश्य के लिए, बैंक ने यथा तिथी बकाया संपूर्ण बैंक गारंटी तथा 30 दिन के भीतर के साख पत्र के बहिर्प्रभाव को लिया है। इसके साथ ही बैंक ने ऋण के रूप में न लिए गए बैंक के विरुद्ध के संपूर्ण दावों को लिया है।

2. माह वार एलसीआर

एलसीआर दिशानिर्देश 01 जनवरी, 2015 से लागू है। यहां उल्लिखित एलसीआर 54.07% है जो अंतिम तीन माह के एलसीआर का सामान्य औसत है:

जनवरी 2015	फरवरी 2015	मार्च 2015	तीन माह का औसत
50.60%	50.87%	60.74%	54.07%

31.03.2015 को **60%** की आवश्यकता के मुकाबले बैंक का एलसीआर **60.74%** रहा। जमाओं के खुदरा भाग में वृद्धि, मीयादी जमाओं के परिपक्वता पूर्व आहरण के लिए दंड लगाना/निवारण खंड आदि द्वारा बैंक एलसीआर वृद्धि के लिए विविध उपाय कर रहा है। इसके साथ ही बैंक वाणिज्यिक पर, ट्रेजरी बिल, चल मुच्युअल फंड जहां चलनिधि के साथ प्रतिलाभ अधिक है, जैसी उच्च वर्गीकृत/गुणात्मक आस्तियों में निवेश का विस्तार कर रहा है।

3. अंतर समय परिवर्तन के साथ समयाधीन परिवर्तन:

एलसीआर के परिकलन हेतु दिशानिर्देशों को 01 जनवरी, 2015 से कार्यान्वित किया जा रहा है। एलसीआर आवश्यकता में 1 जनवरी, 2015 को वर्तमान 60% से यथा 1 जनवरी, 2019 को 100% तक वृद्धि की जाएगी। बैंक ने एलसीआर के कार्यान्वयन से पहले ही उचित चल आस्तियों का अनुरक्षण किया है। इसके आगे, बैंक खुदरा जमा पर अधिक ध्यान देते हुए एलसीआर में वृद्धि करेगा।

4. एचक्यूएलए की संरचना:

बैंक ने एचक्यूएलए के आरामदेह स्तर को बनाए रखा है। उसका विवरण निम्नवत है:

(यथा 31.03.2015)

विवरण	₹ करोड में	
	राशि	भार राशि
स्तर 1	21491.49	21491.49
स्तर 2 ए	550.59	468.00
स्तर 2 बी	12.63	6.32
कुल एचक्यूएलए	**22054.71**	**21965.81**

5. निधियन स्रोतों का सकेंद्रीकरण:

बैंक मुख्य रूप से ऋण और उधार क्रियाकलापों को करता है। बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार लोगों से जमाएं स्वीकार करता है। बैंक दिन प्रतिदिन की तरलता/अन्य आवश्यकताओं के लिए मुद्रा बाजार से उधार

- **Outflows from Credit and Liquidity facilities:** The un-availed/un-utilized limits of cash credit accounts (CC) and overdrafts (OD) accounts have been considered.
- **Outflows from other contingent funding obligations:** The outflows from other contingent funding obligations include outflows due to bank guarantee and letter of credit commitments. For LCR purposes, Bank has considered the entire bank guarantee outstanding as on date and outflows of letter of credit within 30 days' time horizon. Bank has also considered entire claims against the Bank not considered as debt.

2. Month wise LCR:

The LCR guidelines are applicable with effect from 1st January, 2015. The LCR stated herein i.e. 54.07% is a simple average of last three months LCR as follows:

January 2015	February 2015	March 2015	Average of three months
50.60%	50.87%	60.74%	54.07%

LCR of the Bank as on **31.03.2015** is **60.74%** as against the requirement of **60%**. Bank is taking various steps to improve its LCR like increasing the retail portion of deposits where the run off factor is low, imposition of Penalty/Prevention clause for premature withdrawal of term deposits etc. Bank is also exploring the avenues to invest in high rated/quality assets like commercial paper, Treasury Bills, liquid mutual funds where return as well as liquidity is very high.

3. Intra-period changes as well as changes over time:

The Guidelines for computation of LCR is implemented with effect from 1st Jan., 2015. The requirement of LCR will increase from existing 60% as on 1st Jan., 2015 to 100% as on 1st Jan., 2019. The Bank has been maintaining sufficient liquid assets even before implementation of LCR. Going forward, Bank will improve LCR by focusing more on retail deposit.

4. The composition of HQLA:

Bank has maintained a comfortable level of HQLA. Details are furnished below:

(As on 31.03.2015)

Particulars	₹ in Crore	
	Amount	Weighted Amount
Level 1	21491.49	21491.49
Level 2A	550.59	468.00
Level 2B	12.63	6.32
Total HQLA	**22054.71**	**21965.81**

5. Concentration of funding sources:

The Bank is primarily engaged in lending and borrowing activities. Bank is accepting deposit from the public as per the requirement of the Bank. Bank is borrowing from/lending in the money market to manage its day to day

लेता है/देता है। यथा 31 मार्च, 2015 को थोक जमा (₹1 करोड व अधिक) का अनुपात 51% रहा जो, 31 मार्च, 2014 के 54% से नीचे आया है। बैंक खुदरा जमाओं पर अधिकाधिक ध्यान देते हुए थोक जमाओं के हिस्से को कम करने के लिए सम्मिलित प्रयास कर रहा है।

6. व्युत्पन्नी एक्सपोज़र और संभावित संपार्श्विक मांग:

बैंक व्यापार के साथ साथ बचाव उद्देश्य के लिए व्युत्पन्नी में कार्य करता है। व्युत्पन्नी व्यवहार की मात्रा कम है। यथा 31 मार्च, 2015 को व्युत्पन्नी बकाया (स्वैप ब्याज दर, मुद्रा भविष्य) ₹1,183 करोड़ है।

7. एलसीआर में मुद्रा असंतुलन:

जब विदेशी मुद्रा राशि में समग्र देयताएँ बैंक की कुल देयताओं के 5%या इससे अधिक हो तब मुद्रा असंतुलन लागू होता है। ऐसे मामलों में मुद्रा को ''महत्वपूण'' रूप में लिया जाता है। हमारे बैंक की बैंकिंग और व्यापार पुस्तिका स्थानीय मुद्रा में मूल्यवर्गित की जाती है। बैंक की कोई विदेशी अनुषंगी नहीं है। विदेशी मुद्रा देयताएं बैंक की कुल देयताओं के 5% से कम हैं और इसे मुद्रा असंतुलन लागू होने हेतु महत्व नहीं है।

8. चलनिधि प्रबंधन के केंद्रीकरण की डिग्री और समूह ईकाईयों में वार्तालाप

बैंक स्टाक और प्रवाह दृष्टिकोण के तहत विविध अनुपातों की निगरानी के जरिए प्रधान कार्यालय में एक केंद्रीकृत तरीके से लगातार अपनी चल जोखिम का प्रबंधन करता है और उसके परिणामों को निर्णय लेने हेतु प्रबंधन के सामने प्रस्तुत करता है। बैंक आंतरिक /भारिबैं शर्तों के अनुसार विभिन्न समय वर्ग में चल असंतुलन के विश्लेषण/निगरानी के लिए प्रतिदिन के आधार पर संरचनात्मक चल विवरण (एसएलएस) तैयार करता है। एसएलएस प्रत्येक शुक्रवार, प्रथम तथा तीसरे बुधवार और प्रत्येक माह के 15 तारीख तथा अंतिम दिन को आस्ति चल प्रबंधन समिति (अल्को) के सामने प्रस्तुत किया जाता है। 90 दिनों से ऊपर की स्थिति के लिए डायनैमिक चल विश्लेषण (डीएलएस) को मासिक /तिमाही आधार पर अल्को के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा बैंक तिमाही आधार पर पुन: परीक्षण करता है और अल्को को रिपोर्ट करता है और साथ ही, पाक्षिक आधार पर डीएलएस का लघु अवधि पुन: परीक्षण किया जाता है और उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

9. एलसीआर संगणना में अन्य अंत:प्रवाह और बहिर्गमन जिसे एलसीआर सामान्य टेम्पलेट में कैप्चर नहीं किया गया है किंतु जो चलनिधि प्रोफाईल से संबंधित है।

एलसीआर सामान्य टेम्पलेट के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (पीएसई) द्वारा दावे अथवा गारंटीकृत दावे की प्रतिनिधित्व वाली विपणन योग्य प्रतिभूतियों में निवेश जिसपर ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 20% भार जोखिम निर्धारित है, उन्हें स्तर 2 ए आस्तियों में नहीं लिया जाता है, जबकि हमारे बैंक के पास एएफएस और एचएफटी पोर्टफोलियों के अंतर्गत पीएसई प्रतिभूतियों का पोर्टफोलिओं है जिसे बाजार के लिए चिह्नित किया गया है और इसे ऋण जोखिम के तहत नहीं लिया जाता है। इसलिए, बैंक के एचक्यूएलए में सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में निवेश का कोई योगदान नहीं हैं।

टिप्पणी: उपरोक्त चलनिधी कवरेज अनुपात पर प्रकटन प्रबंधन द्वारा तैयार और प्रमाणित किया गया है और लेखा परीक्षकों ने इसे मान लिया है।

liquidities/other requirements. The ratio of bulk deposit (₹1 crore and above) as on 31st Mar., 2015 was 51% which has come down from 54% as at 31st Mar., 2014. Bank is taking concerted effort to reduce the share of bulk deposit by focusing more on retail deposits.

6. Derivative exposures and potential collateral calls:

Bank deals in derivative for trading as well as for hedging purpose. The volume of derivative deals undertaken is relatively small. The outstanding derivative (interest rate swaps, currency future) as on 31st March, 2015 was ₹1,183 crore.

7. Currency mismatch in the LCR:

Currency mismatch is applicable when the aggregate liabilities in the foreign currency amount to 5% or more of the bank's total liabilities. In such cases the currency is considered as 'significant'. Our Bank's banking and trading book is denominated in local currency. Bank does not have any foreign subsidiary. Foreign currency liabilities are less than 5% of total liabilities of the Bank and hence not treated as significant for application of currency mismatch.

8. Degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units:

The Bank manages its liquidity risk proactively in a centralized manner at its Head Office through monitoring of various ratios both under stock and flow approach and the results are placed before the management for decision taking. Bank prepares Structural Liquidity Statement (SLS) on a daily basis for analysing/monitoring of liquidity mismatches in different time buckets according to internal/RBI norms. Such analysis is being reported to top management. SLS as on each Friday, first and third Wednesday and 15th and last day of every month are placed before Asset Liability Management Committee (ALCO). Dynamic Liquidity Analysis (DLS) for likely position over a 90 days' time horizon is placed to ALCO on monthly/ quarterly basis. In addition the Bank conducts back testing on a quarterly basis and reports to ALCO and also short term back testing of DLS on a fortnightly basis and reports to top management.

9. Other inflows and outflows in the LCR calculation that are not captured in the LCR common template but which is relevant for liquidity profile:

As per the LCR common template, investment in marketable securities representing claims or claims guaranteed by Public Sector Enterprises (PSE's) that are assigned a 20% risk weight under the Basel II Standardized approach for credit risk are captured under level 2 A assets, whereas our Bank has a portfolio of PSE's securities under AFS and HFT portfolio which are Marked to Market and not covered under credit risk. Hence investments in Public Sector Enterprises have not contributed to HQLA of the Bank.

Note: The above disclosure on Liquidity Coverage Ratio is compiled and certified by the Management and relied upon by the Auditors.

घ) अन्य

1.0 अंतर–शाखा लेनदेन

शाखाओं, नियंत्रण कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय के बीच के लेन–देनों का समाधान किया गया है। यथा 31 मार्च, 2015 को 06 अक्तूबर, 2014 तक के सभी अंतर–शाखा लेन–देनों को समायोजित किया गया है।

2.0 31 मार्च, 2015 को ₹340.74 करोड़ का स्वर्ण बैंक के पास है जिसमें भारत के बाहर ₹339.68 करोड़ राशि का स्वर्ण शामिल है जिसके लिए बैंक के पास अभिरक्षक से प्राप्त धारित विवरण है।

3.0 बैंक ने प्रत्येक ₹2/- अंकित मूल्य वाले शेयर के लिए 70% अर्थात ₹ 1.40 लाभांश का प्रस्ताव रखा है।

4.0 जहाँ आवश्यक है वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःवर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

D. OTHERS

1.0 Inter-Branch Transactions

Reconciliation of transactions between Branches, Controlling offices and Head office has been done. All inter branch transactions up to 6th October, 2014 stand adjusted as at 31st March, 2015.

2.0 Gold in hand as at 31st March, 2015 of ₹340.74 crore includes Gold held outside India amounting to ₹339.68 crore for which Bank possesses statement of holding from the custodian.

3.0 The Bank has proposed for a dividend of 70% i.e. ₹1.40 per share of the face value of ₹2/- each.

4.0 Previous year's figures have been regrouped/rearranged wherever necessary in conformity with the current year presentation.

(एस.आर. बंसल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(बी. के. श्रीवास्तव)
कार्यपालक निदेशक

(प्रद्युम्न के. जेना)
निदेशक

(एकनाथ बालिगा)
निदेशक

(आदीश कुमार जैन)
निदेशक

(बी. वेंकट भास्कर)
निदेशक

(चित्रा गौरी लाल)
निदेशक

(रमेश कुमार भट्)
निदेशक

(पी. परमशिवम)
महा प्रबंधक

(एच. राजभूषण)
उप–महा प्रबंधक

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी.के.रामध्यानी एण्ड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार FRN-002878S/S200021
[सीए सी. आर. दीपक]
एम.नं. 215398
साझेदार

कृते नृपेंन्द्र एण्ड कं
सनदी लेखाकार FRN-000379C
[सीए प्रदीप कुमार गुप्ता]
एम. नं. 070855
साझेदार

कृते जीएमजे एण्ड कं.
सनदी लेखाकार FRN-103429W
[सीए अतुल जैन]
एम. नं. 037097
साझेदार

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार FRN-001997S
[सीए मुरली मोहन भट्]
एम. नं. 203592
साझेदार

कृते एम. आनंदम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार FRN-000125S
[सीए ए. वी. सदाशिव]
एम. नं. 018404
साझेदार

स्थान : मंगलूरु
दिनांक : 16 मई, 2015

[S. R. Bansal]
Chairman & Managing Director

[B. K. Srivastav]
Executive Director

[Pradyumna K. Jena]
Director

[Ekanath Baliga]
Director

[Adish Kumar Jain]
Director

[B. Venkata Bhaskar]
Director

[Chitra Gouri Lal]
Director

[Ramesh Kumar Bhat]
Director

[P. Paramasivam]
General Manager

[H. Rajbhooshan]
Dy. Gen. Manager

As per our Report of even date

for B. K. Ramadhyani & Co. LLP
Chartered Accountants FRN-002878S/S200021
[CA C. R. Deepak]
M. No. 215398
Partner

for Nripendra & Co.
Chartered Accountants FRN-000379C
[CA Pradeep Kumar Gupta]
M. No. 070855
Partner

for GMJ & Co.
Chartered Accountants FRN-103429W
[CA Atul Jain]
M. No. 037097
Partner

for Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants FRN-001997S
[CA Murali Mohan Bhat]
M. No. 203592
Partner

for M. Anandam & Co.
Chartered Accountants FRN-000125S
[CA A.V. Sadasiva]
M. No. 018404
Partner

Place : Mangaluru
Date : 16th May, 2015

कार्पोरेशन बैंक CORPORATION BANK

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु एकल नकदी प्रवाह विवरण

Standalone Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2015

(₹ in '000 में)

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2015 चालू वर्ष Current Year	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2014 गत वर्ष Previous Year
क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
A CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
कर उपरांत निवल लाभ Net Profit after Tax	**5,842,556**	5,617,186
जोड़ें: कर हेतु प्रावधान Add: Provision for Tax	**(1,087,992)**	(3,200,300)
कर पूर्व निवल लाभ Net Profit before Tax	**4,754,564**	2,416,886
i निम्न हेतु समायोजन Adjustment for :		
स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on Fixed Assets	**1,228,181**	1,132,399
निवेशों पर मूल्यह्रास Depreciation on Investments	**(2,193,450)**	5,373,219
एनपीए हेतु मूल्यह्रास Provision for NPAs	**18,350,866**	14,381,114
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान Provision for Standard Assets	**1,390,000**	2,240,000
टियर I और टियर II बाँडों पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on Tier I & Tier II Bonds	**4,820,190**	4,753,750
आकस्मिकताओं और अन्य हेतु प्रावधान Provision for Contingencies and Others	**4,570,277**	3,589,456
स्थिर आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि (Profit)/Loss on Sale of Fixed Assets	**65**	3,403
अनुषंगियों और सहयोगियों से लाभांश आदि द्वारा अर्जित आय Income earned by way of Dividend etc. from Subsidiaries and Associates	**175,000**	–
(प्रदत्त)/वापस किया गया प्रत्यक्ष कर Direct Taxes (paid)/Refund	**(7,978,684)**	(1,029,760)
ब्याज पूँजीकरण हेतु प्रावधान Provision for Interest Capitalisation	**3,402,200**	2,393,300
परिचालन आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन से पहले नकदी प्रवाह Cash Flow before change in Operating Assets and Liabilities	**28,519,209**	35,253,767
ii निम्न हेतु समायोजन Adjustment for:		
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Deposits	**59,528,121**	273,875,522
उधार में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Borrowings	**(31,065,413)**	1,225,990
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in other liabilities & provisions	**(23,543,030)**	(16,059,271)
निवेशों में वृद्धि/(कमी) (Increase)/Decrease in Investments	**27,789,372**	(80,267,186)
अग्रिमों में वृद्धि/(कमी) (Increase)/Decrease in Advances	**(79,797,364)**	(183,696,537)
अन्य आस्तियों में वृद्धि/(कमी) (Increase)/Decrease in Other Assets	**6,151,131**	(5,290,258)
बट्टे खाते लिखने/अंतरित करने के लिए आरक्षित निधियों में/से समायोजन Adjustments to/from Reserves for Write Off/trf	**(320,367)**	(3,644,608)
परिचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क) NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES [A]	**(12,738,341)**	21,397,419

(₹ in '000 में)

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2015 चालू वर्ष Current Year	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2014 गत वर्ष Previous Year
ख. निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह		
B CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
स्थिर आस्तियों की बिक्री/निपटान Sale/Disposal of Fixed Assets	**(583,874)**	(114,225)
स्थिर आस्तियों की खरीद Purchase of Fixed Assets	**(1,255,415)**	(1,242,271)
अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सहयोगियों में अतिरिक्त निवेश Additional Investment in Subsidiary/Joint Ventures/Associates	–	–
अनुषंगियों और सहयोगियों में लाभांश आदि द्वारा अर्जित आय Income earned by way of Dividend etc. from Subsidiaries and Associates	**(175,000)**	–
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ख) NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES [B]	**(2,014,289)**	(1,356,496)
ग. वित्तीयन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह		
C CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
शेयर पूँजी के निर्गमन से आगम Proceeds from Issuance of Share Capital	–	146,275
शेयर प्रीमियम से आगम Proceeds from Share Premium	–	4,353,725
टियर I और टियर II बाँडों से आगम Proceeds of Tier I & Tier II Bonds	**5,000,000**	–
टियर I और टियर II बाँडों का प्रतिदान Redemption of Tier I & Tier II Bonds	–	–
टियर I और टियर II बाँडों पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on Tier I & Tier II Bonds	**(4,820,190)**	(4,753,750)
प्रदत्त लाभांश (अंतरिम एवं अंतिम) Dividend (Interim & Final) paid	**(376,976)**	(2,905,374)
प्रदत्त लाभांश (अंतरिम) Dividend (Interim) paid	–	(882,077)
प्रदत्त लाभांश संवितरण कर Dividend Distribution Tax paid	**(51,321)**	(442,784)
वित्तीयन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ग) NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES [C]	**(248,487)**	(4,483,985)
घ. नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी))(क+ख+ग) या (च–ङ)		
D NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS [A+B+C] or [F-E]	**(15,001,117)**	15,556,938
ङ. वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		
E CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
नकदी और भा.रि.बैं. के पास बैंक शेष Cash and Bank Balance with RBI	**137,402,076**	88,478,457
बैंकों के पास शेष राशियाँ और माँग पर और अल्प सूचना पर धन Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	**4,988,083**	38,354,764
वर्ष के प्रारंभ में निवल नकदी और नकदी समतुल्य (ङ) NET CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR [E]	**142,390,159**	126,833,221
च. वर्ष के अंत में निवल नकदी और नकदी समतुल्य		
F CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
नकदी और भा.रि.बैं. के पास बैंक शेष Cash and Bank Balance with RBI	**101,489,336**	**137,402,076**
बैंकों के पास शेष राशियाँ और माँग पर और अल्प सूचना पर धन Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	**25,899,706**	**4,988,083**
वर्ष के अंत में निवल नकदी और नकदी समतुल्य (च) NET CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR [F]	**127,389,042**	**142,390,159**

समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कार्पोरेशन बैंक के निदेशक मंडल की सेवा में

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट:

1. हमने कार्पोरेशन बैंक और उसकी अनुषंगी (एक साथ "समूह" कहा गया है) के 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार संलग्न समेकित तुलन-पत्र तथा उसके साथ उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु समूह के समेकित लाभ-हानि लेखे और समेकित नकदी प्रवाह विवरणी की लेखा परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन-वर्ग का उत्तरदायित्व

2. इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन-वर्ग का है और इसे प्रबंधन-वर्ग ने अनुषंगी के वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय सूचना के आधार पर तैयार किया है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपना अभिमत व्यक्त करना है।

3. इन समेकित वित्तीय विवरणों को बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए एएस 21 (समेकित वित्तीय विवरण) की आवश्यकताओं के अनुसार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है।

लेखा-परीक्षक का उत्तरदायित्व

4. हमने हमारी समेकित लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा मानकों के आधार पर तैयार की है। उन मानकों की यह अपेक्षा होती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु योजना बनाकर लेखा-परीक्षा का कार्य संपन्न करें कि वित्तीय विवरण सभी मानदंडो सहित, चिन्हित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा के अनुसार है और तात्विक अयथार्थ विवरणों से मुक्त हैं। इस लेखा परीक्षा में, वित्तीय विवरणों में किए गये खुलासे और राशियों हेतु दिए गए प्रमाणों की जाँच आधार पर परीक्षा शामिल होती है । लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन सिद्धांतों का इस्तेमाल और महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन, साथ ही समग्र वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे अभिमत को पर्याप्त आधार देती है।

INDEPENDENT AUDITORS REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

TO THE BOARD OF DIRECTORS OF CORPORATION BANK

Report on the Consolidated Financial Statements

1. We have audited the attached Consolidated Balance Sheet of Corporation Bank and its subsidiary (collectively referred as "the Group"), as at 31st March, 2015, the consolidated profit and loss account and the consolidated cash Flow statement of the Group for the year ended on that date.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. The consolidated financial statements are the responsibility of the Bank's Management and have been prepared by the management on the basis of separate financial statements and other financial information of the subsidiary. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.

3. These consolidated financial statements have been prepared by the Bank in accordance with the requirements of AS 21 (Consolidated Financial Statements) issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

4. We conducted our audit of the consolidated financial statements in accordance with the generally accepted auditing standards in India. These Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are prepared, in all material respects, in accordance with an identified financial reporting framework and are free of material misstatements. An audit includes, examining on a test basis, of evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by Management, as well as evaluating the overall financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

अभिमत:

5. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, अन्य लेखा परीक्षकों की अनुषंगी हेतु दिए गए अन्य वित्तीय विवरणों पर विचार करने और उपरोक्त अनुच्छेद 1 से 4 में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारा अभिमत है कि समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा मानकों के अनुरूप सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाते हैं ।

i. समेकित तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2015 को समूह की स्थिति;

ii. समेकित लाभ- हानि लेखा के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु समूह का समेकि त लाभ;

iii. समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु समूह की सही और निष्पक्ष नकदी प्रवाह ।

महत्वपूर्ण बात

6. हमारे अभिमत को सापेक्ष न करते हुए हम, खातों पर टिप्पणी जो खातों का अभिन्न हिस्सा है की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं-

क) समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 टिप्पणी सं. 9, जो पुनर्संरचित खातों का वर्गीकरण, आय निर्धारण और पुनर्गठित आस्तियों के प्रावधान, जिसे सीडीआर/ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में निहित महत्वपूर्ण शर्तों के पर्याप्त अनुपालन के आधार पर किया गया है।

ख) वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 में टिप्पणी सं. 7.2, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को पेंशन विकल्प पुन: देना तथा ग्रैच्युटी सीमाओं में वृद्धि-विवेकपूर्ण विनियामक व्यवस्था पर अपने परिपत्र सं. डीबीओडी. बीपी. बीसी/80/21.04.018/2010-11 दिनांकित 09.02.2011 के द्वारा लेखा मानक (एएस-15), कर्मचारी हितलाभ के प्रावधानों को लागू करने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा छूट देने के परिणामस्वरूप ₹110.49 करोड़ की हद तक बैंक की पेंशन देयता को आस्थगित करने के संबंध में है।

अन्य मामले:

7. हमने अनुषंगी के कार्प बैंक सिक्युरिटीज़ के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2015 को ₹104.28 करोड़ की कुल आस्तियों तथा उक्त तारीख को समाप्त वर्ष हेतु

Opinion

5. Based on our audit, consideration of the report of other auditor on separate financial statements of the subsidiary and to the best of our information and accordingly to the explanations given to us read with paragraphs 1 to 4 above, we are of the opinion that the attached consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India

i. In the case of the consolidated balance sheet, of the state of affairs of the Group as at 31st March, 2015;

ii. In the case of the consolidated profit & loss account, the consolidated profit of the Group for the year ended on that date, and

iii. In the case of consolidated cash flow statement gives a true and fair view of the cash flows of the Group for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

6. Without qualifying our opinion, we draw attention to the following notes on accounts forming integral part of accounts -

a) Note No. 9, Schedule 18 to the financial statements, regarding classification, income recognition and provisioning of restructured advances, which have been done based on substantial compliance of major conditions contained in the CDR/RBI guidelines.

b) Note No. 7.2, Schedule 18 of the financial Statements regarding deferment of pension liability to the extent of ₹110.49 crore pursuant to the exemption granted by the RBI to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standards (AS-15) 'Employee Benefits' vide Circular No. DBOD. BP.BC/80/21.04.018/ 2010-11 dated 09.02.2011 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits Prudential Regulatory Treatment.

Other Matters

7. We have not audited the financial statements of the Subsidiary Corpbank Securities Limited, whose financial statements reflect total assets of ₹104.28 crore as at

₹9.93 करोड़ का कुल राजस्व प्रतिबिंबित करते हैं। इन वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा अन्य लेखा–परीक्षक द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहाँ तक उक्त अनुषंगी के संबंध में शामिल राशियों का संबंध है, हमारी राय केवल उक्त अन्य लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है।

31st March, 2015 and total revenues of ₹9.93 crore for the year ended on that date. These financial statements have been audited by another auditor whose report has been furnished to us, and our opinion, in so far as it relates to the amounts included in respect of the said subsidiary, is based solely on the report of the another auditor.

कृते बी. के. रामध्यानी एण्ड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
FRN-002878S/S200021

[सीए सी.आर. दीपक]
एम.नं. 215398
साझेदार

कृते नृपेन्द्र एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-000379C

[सीए प्रदीप कुमार गुप्ता]
एम.नं. 070855
साझेदार

कृते जीएमजे एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-103429W

[सीए अतुल जैन]
एम. नं. 037097
साझेदार

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
FRN-001997S

[सीए मुरली मोहन भट्]
एम. नं. 203592
साझेदार

कृते एम. आनंदम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-000125S

[सीए ए. वी. सदाशिव]
एम. नं. 018404
साझेदार

स्थानः मंगलूरु
दिनांकः 16 मई 2015

for B.K. Ramadhyani & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN-002878S/S200021

[CA C.R. Deepak]
M.No. 215398
Partner

for Nripendra & Co.
Chartered Accountants
FRN-000379C

[CA Pradeep Kumar Gupta]
M.No. 070855
Partner

for GMJ & Co.
Chartered Accountants
FRN-103429W

[CA Atul Jain]
M. No. 037097
Partner

for Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN-001997S

[CA Murali Mohan Bhat]
M.No. 203592
Partner

for M. Anandam & Co.
Chartered Accountants
FRN-000125S

[CA A.V. Sadasiva]
M.No. 018404
Partner

Place : Mangaluru
Date : May 16, 2015

कार्पोरेशन बैंक CORPORATION BANK

31 मार्च, 2015 की समेकित स्थिति का तुलन-पत्र CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2015

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची सं. Schedule No.	यथा As on 31.03.2015 ₹	यथा As on 31.03.2014 ₹
पूँजी और देयताएँ CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी Capital	1	**1,675,419**	1,675,419
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष Reserves and Surplus	2	**103,461,640**	99,598,741
न्यूनहित Minority Interest		**शून्य Nil**	शून्य Nil
जमाराशियाँ Deposits	3	**1,993,428,111**	1,933,556,393
उधार राशियाँ Borrowings	4	**104,149,041**	130,214,453
अन्य देयताएँ व प्रावधान Other Liabilities and Provisions	5	**57,478,434**	55,500,255
योग TOTAL		**2,260,192,645**	2,220,545,261
आस्तियाँ ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**101,489,342**	137,402,079
बैंकों में शेष और माँग तथा अल्प सूचना पर धन Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**25,899,706**	4,988,128
निवेश Investments	8	**634,311,742**	661,897,459
अग्रिम Advances	9	**1,450,660,356**	1,370,862,992
स्थाई आस्तियाँ Fixed Assets	10	**5,263,866**	4,652,904
अन्य आस्तियाँ Other Assets	11	**42,567,632**	40,741,699
योग TOTAL		**2,260,192,645**	2,220,545,261
आकस्मिक देयताएँ Contingent Liabilities	12	**990,443,921**	623,918,187
उगाही के लिए बिल Bills for Collection		**135,213,107**	113,852,068
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ Significant Accounting Policies	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ Notes on Accounts	18		

उपरोक्त अनुसूचियाँ तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं।
The schedules referred to above form an integral part of Balance Sheet.

[S. R. Bansal]
Chairman & Managing Director
[B. K. Srivastav]
Executive Director
[P. Paramasivam]
General Manager
[H. Rajbhooshan]
Dy. Gen. Manager

Place : Mangaluru
Date : 16th May, 2015

Directors
Pradyumna K. Jena
Ekanath Baliga
Adish Kumar Jain
B. Venkata Bhaskar
Chitra Gouri Lal
Ramesh Kumar Bhat

As per our Report of even date

for B. K. Ramadhyani & Co. LLP
Chartered Accountants FRN-002878S/S200021
[CA C. R. Deepak]
(M. No. 215398) Partner

for GMJ & Co.
Chartered Accountants FRN-103429W
[CA Atul Jain]
(M. No. 037097) Partner

for M. Anandam & Co.
Chartered Accountants FRN-000125S
[CA A.V. Sadasiva]
(M. No. 018404) Partner

for Nripendra & Co.
Chartered Accountants FRN-000379C
[CA Pradeep Kumar Gupta]
(M. No. 070855) Partner

for Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants FRN-001997S
[CA Murali Mohan Bhat]
(M. No. 203592) Partner

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ–हानि खाता
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2015

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची सं. Schedule No.	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2015 ₹	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014 ₹
I. आय INCOME			
अर्जित ब्याज Interest Earned	13	**195,564,448**	179,585,691
अन्य आय Other Income	14	**14,740,601**	16,571,896
योग TOTAL		**210,305,049**	196,157,587
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest Expended	15	**154,852,822**	141,740,754
परिचालन व्यय Operating Expenses	16	**25,261,111**	23,923,249
प्रावधान और आकस्मिकताएँ Provisions and Contingencies		**24,462,387**	24,808,725
योग TOTAL		**204,576,320**	190,472,728
सहयोगियों में अर्जन/हानि का भाग Share of Earning/loss in Associates		–	–
III. न्यूनहित ब्याज घटाने से पहले वर्ष का समेकित निवल लाभ Consolidated Net Profit for the year before deducting Minorities Interest		**5,728,729**	5,684,859
घटाएँ: न्यूनहित ब्याज Less: Minorities Interest		–	–
वर्ष हेतु ग्रूप का समेकित निवल लाभ Consolidated Net Profit of the Group for the year		**5,728,729**	5,684,859
जोडें: ग्रूप का अग्रेषित समेकित लाभ Add: Brought forward consolidated Profit of the Group		**164,536**	109,609
योग TOTAL		**5,893,265**	5,794,468
IV. विनियोग APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षित निधियों में अन्तरण Transfer to Statutory Reserves		**1,460,639**	1,404,296
कर्मचारी कल्याण निधि में अन्तरण Transfer to Staff Welfare Fund		**150,000**	150,000
कर्मचारी कल्याण निधि से प्रत्यावर्तन Reversal from Staff Welfare Fund		–	(194,631)
विशेष आरक्षित निधियों में अन्तरण Transfer to Special Reserves		**1,515,000**	2,070,000
पूँजी आरक्षित निधियों में अन्तरण Transfer to Capital Reserve		**173,236**	231,705
सामान्य आरक्षित निधियों में अन्तरण Transfer to General Reserves		**9,049**	617,294
निवेश आरक्षित निधियाँ Investment Reserve		**1,159,225**	15,397
अंतरिम लाभांश Interim Dividend		–	753,945
प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend		**1,172,793**	376,979
अंतरिम लाभांश पर कर Tax on Interim Dividends		**16,995**	128,133
लाभांश पर कर Tax on Dividends		**205,674**	76,814
तुलन–पत्र में ले जायी गई शेष राशि Balance carried over to B/S		**30,654**	164,536
योग TOTAL		**5,893,265**	5,794,468
प्रति शेयर अर्जन (अनुसूची –18 के नोट–4 का संदर्भ लें)Earning per share (Refer Sch-18 Note 4)			
आधार ईपीएस Basic EPS (₹)		**6.84**	7.24
तनुकृत इपीएस Diluted EPS (₹)		**6.84**	7.24
प्रति शेयर सममूल्य Face value per share ₹2			

उपरोक्त अनुसूचियाँ लाभ तथा हानि खाता का अभिन्न अंग हैं। The schedules referred to above form an integral part of Profit and Loss account.

As per our Report of even date

[S. R. Bansal]
Chairman & Managing Director

[B. K. Srivastav]
Executive Director

[P. Paramasivam]
General Manager

[H. Rajbhooshan]
Dy. Gen. Manager

Directors
Pradyumna K. Jena
Ekanath Baliga
Adish Kumar Jain
B. Venkata Bhaskar
Chitra Gouri Lal
Ramesh Kumar Bhat

for B. K. Ramadhyani & Co. LLP
Chartered Accountants FRN-002878S/S200021
[CA C. R. Deepak]
(M. No. 215398) Partner

for GMJ & Co.
Chartered Accountants FRN-103429W
[CA Atul Jain]
(M. No. 037097) Partner

for M. Anandam & Co.
Chartered Accountants FRN-000125S
[CA A.V. Sadasiva]
(M. No. 018404) Partner

for Nripendra & Co.
Chartered Accountants FRN-000379C
[CA Pradeep Kumar Gupta]
(M. No. 070855) Partner

for Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants FRN-001997S
[CA Murali Mohan Bhat]
(M. No. 203592) Partner

Place : Mangaluru
Date : 16th May, 2015

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन–पत्र में संलग्न अनुसूचियाँ
SCHEDULES ANNEXED TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2015

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As at 31.03.2015 ₹	₹	यथा As at 31.03.2014 ₹	₹
अनुसूची 1 – पूँजी SCHEDULE 1 – CAPITAL				
प्राधिकृत पूँजी				
AUTHORISED CAPITAL				
प्रत्येक ₹2* के 1500,00,00,000 ईक्विटी शेयर 1500,00,00,000 Equity shares of ₹2/- each*				
प्रत्येक ₹10 के पिछले वर्ष में 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर (Previous Yr. 300,00,00,000 Equity Shares of ₹10 each)		**30,000,000**		30,000,000
निर्गमित एवं अभिदत्त पूँजी ISSUED & SUBSCRIBED CAPITAL				
प्रत्येक ₹2* के 83,77,09,385 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष में प्रत्येक ₹10 के 16,75,41,877) 83,77,09,385 Equity Shares of ₹2 each* (Previous year 16,75,41,877 Equity Shares of ₹10 each)				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	**1,675,419**		1,529,144	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/(जब्त) Additions/(Forfeited) during the year	**–**	**1,675,419**	146,275	1,675,419
प्रदत्त पूँजी PAID UP CAPITAL				
क) केन्द्र सरकार द्वारा धारित a) Held by Central Government ₹2* के अंकित मूल्य के 53,05,25,885 शेयर (प्रत्येक ₹10 के पिछले वर्ष में 10,61,05,177 ईक्विटी शेयर) 53,05,25,885 shares of Face value of ₹2* (Previous Yr 10,61,05,177 Equity Shares of ₹10 each)	**1,061,052**	**1,061,052**	1,061,052	1,061,052
ख) जनता एवं अन्य द्वारा धारित b) Held by the public & others ₹2* के अंकित मूल्य के 30,71,83,500 शेयर (पिछले वर्ष प्रत्येक ₹10 के 6,14,36,700 ईक्विटी शेयर) 30,71,83,500 shares of Face value of ₹ 2* (Previous Yr 6,14,36,700 Equity Shares of ₹10 each)	**614,367**		614,367	
घटाएँ: देय आबंटन राशि Less : Allotment money due	**–**		–	
वर्ष के दौरान जब्त Forfeiture during the year	**–**	**614,367**	–	614,367
योग TOTAL		**1,675,419**		1,675,419

वर्ष के दौरान बैंक के इक्विटी शेयर प्रत्येक सममूल्य ₹ 10/- को प्रत्येक सममूल्य ₹ 2/- में विभाजित किया गया।
* During the year the face value of equity share of the Bank was split from face value of ₹10/- to the Face value of ₹2/- each.

अनुसूची 2 – आरक्षित निधियाँ और अधिशेष **SCHEDULE 2 – RESERVES AND SURPLUS**				
I. सांविधिक आरक्षित निधियाँ **Statutory Reserves**				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	**30,825,193**		29,420,897	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	**1,460,639**		1,404,296	
निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु अतिरिक्त प्रावधान से विनियोग Appropriation from excess Provision of Depreciation on Investments	**–**		–	
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित राशि Amount trfd. to Gen. Reserve	**–**	**32,285,832**	–	30,825,193
II. पूँजी आरक्षित निधियाँ Capital Reserve				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	**7,831,080**		7,849,359	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	**173,219**		231,705	
पुन: निर्गमन हेतु पात्र जब्त शेयर Share Forfeited Acct eligible for Re-issue	**17**	**8,004,316**	17	8,081,081

समेकित Consolidated (₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As at 31.03.2015 ₹	₹	यथा As at 31.03.2014 ₹	₹
III. शेयर प्रीमियम Share Premium				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	**16,658,672**		12,054,947	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	–		4,353,725	
घटाएँ: माँग में बकाया राशि Less : Calls in Arrears	–	**16,658,672**	–	16,408,672
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियाँ Revenue & Other Reserves				
क) राजस्व निधि a) Revenue Reserve				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	**31,113,059**		34,140,373	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	**9,049**		617,294	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	**(320,367)**	**30,801,742**	(3,644,608)	31,113,059
ख) विशेष आरक्षित निधियाँ b) Special Reserve				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	**12,851,074**		10,781,074	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	**1,515,000**		2,070,000	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	–	**14,366,074**	–	12,851,074
ग) निवेश आरक्षित निधि c) Investment Reserve				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	**155,126**		139,729	
लाभ–हानि विनियोग खाते से अंतरण Transfer from Profit and Loss Appropriation Account	**1,159,225**	**1,314,351**	15,397	155,126
V. लाभ हानि खाते में शेष Balance in Profit & Loss A/c		**30,654**		164,536
योग TOTAL (I+II+III+IV+V)		**103,461,640**		99,598,741

समेकित Consolidated (₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	**यथा As at 31.03.2015 ₹**	यथा As at 31.03.2014 ₹
अनुसूची 3 – जमाराशियाँ SCHEDULE 3 – DEPOSITS		
क A. I. माँग जमाराशियाँ Demand Deposits		
i) बैंकों से From Banks	**97,642**	132,686
ii) अन्यों से From Others	**130,198,907**	148,231,394
II. बचत बैंक जमाराशियाँ Savings Bank Deposits	**262,848,951**	244,784,536
III. मीयादी जमाराशियाँ Term Deposits		
i) बैंकों से From Banks	**229,385,549**	213,627,631
ii) अन्यों से From Others	**1,370,897,062**	1,326,780,146
योग TOTAL (I, II व & III)	**1,993,428,111**	1,933,556,393
ख B. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ Deposits of branches in India	**1,993,428,111**	1,933,556,393
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियाँ Deposits of Branches outside India	–	–
योग TOTAL	**1,993,428,111**	1,933,556,393
जिसमें शामिल हैं कार्पगोल्ड जमाराशियाँ which includes Corpgold Deposits	**3,406,189**	3,861,085
एफसीएनआर जमाराशियाँ FCNR Deposits	**15,159,615**	12,522,449
अनुसूची 4 – उधार राशियाँ SCHEDULE 4 – BORROWINGS		
I. भारत में उधार राशियाँ Borrowings in India		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक Reserve Bank of India	**29,450,000**	64,190,000
ii) अन्य बैंक Other Banks	**48**	50,859
iii) अन्य संस्थाएँ एवं एजेंसियाँ Other Institutions and Agencies	**58,448,993**	53,990,594
योग TOTAL	**87,899,041**	118,231,453
II. a) भारत के बाहर उधार राशियाँ Borrowings outside India	**16,250,000**	11,983,000
योग TOTAL (I व & II)	**104,149,041**	130,214,453

उपर्युक्त I व II में शामिल की गयी प्रतिभूत उधार राशियाँ
Secured borrowings included in I & II above

समेकित Consolidated (₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	**यथा As at 31.03.2015 ₹**	यथा As at 31.03.2014 ₹
अनुसूची 5 – अन्य देयताएँ एवं प्रावधान		
SCHEDULE 5 – OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I. देय बिल Bills payable	**5,876,299**	5,934,425
II. अन्तर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-Office adjustments (net)	**57,379**	2,208,750
III. उपचित ब्याज Interests accrued	**7,084,069**	7,525,590
IV. आस्थगित कर देयता Deferred Tax Liability	**138,805**	1,740,465
V. अन्य (प्रावधानों सहित)*Others (including provisions)*	**44,321,881**	38,091,025
योग TOTAL	**57,478,434**	55,500,255
* मानक आस्तियों के बदले आकस्मिक प्रावधान शामिल * Includes contingent provisions against standard assets	**9,810,053**	8,420,053
अनुसूची 6 – नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष		
SCHEDULE 6 – CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. हस्तगत रोकड़ (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	**10,635,323**	8,506,664
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चालू खाते में शेष Balances with the Reserve Bank of India in Current Accounts	**87,446,548**	126,447,995
III. हस्तगत स्वर्ण Gold in hand	**3,407,472**	2,447,420
योग TOTAL (I, II व & III)	**101,489,342**	137,402,079
अनुसूची 7 – बैंकों में शेष एवं माँग तथा अल्प सूचना पर राशि		
SCHEDULE 7 – BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICES		
I. भारत में In India		
i) बैंकों में शेष Balances with Banks		
क a) चालू खातों में In Current Accounts	**667,292**	3,185,847
ख b) अन्य जमा खातों में In Other Deposit Accounts	**1,102**	199
ii) माँग एवं अल्प सूचना पर धन Money at Call and Short Notice		
क a) बैंकों में with Banks	**1,000,000**	–
ख b) अन्य संस्थाओं में with other Institutions	**371**	7
योग TOTAL (i+ii)	**1,668,765**	3,186,053
II. भारत के बाहर Outside India		
i) चालू खातों में In Current Accounts	**1,105,941**	304,200
ii) अन्य जमा खातों में In Other Deposit Accounts	**23,125,000**	1,497,875
iii) मांग और अल्प सूचना पर धन Money at Call and Short Notice	–	–
योग TOTAL (i+ii+iii)	**24,230,941**	1,802,075
सकल योग GRAND TOTAL (I व & II)	**25,899,706**	4,988,128

समेकित Consolidated (₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As at 31.03.2015 ₹	यथा As at 31.03.2014 ₹
अनुसूची 8 – निवेश SCHEDULE 8 – INVESTMENTS		
I. भारत में निवेश (सकल) Investment in India (Gross)	**635,408,648**	666,491,448
घटाएँ: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation	**1,096,905**	4,593,989
निवल निवेश Net Investments	**634,311,742**	661,897,459
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	**486,429,225**	516,960,864
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	**14,616**	13,748
iii) शेयर Shares	**4,478,864**	5,704,990
iv) डिबेंचर और बांड Debentures and Bonds	**21,853,189**	37,695,896
v) सहयोगियों में निवेश Investments in Associates	**–**	–
vi) अन्य Others		
क a) जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposit	**18,882,941**	730,330
ख b) वाणिज्यिक पत्र Commercial Paper	**–**	–
ग c) म्यूचुअल फंडों की यूनिटें Units of Mutual Funds	**100,000**	100,900
घ d) वेंचर पूंजी निधियां Venture Capital Funds	**1,409,035**	1,629,766
ङ e) आरआईडीएफ के तहत नाबार्ड के पास/सिडबी/आरएचडीएफ जमाराशियाँ With NABARD under RIDF/ SIDBI/ RHDF Dep.	**101,142,917**	99,060,010
योग TOTAL	**634,310,788**	661,896,504
II. भारत के बाहर निवेश Investments outside India	**955**	955
योग TOTAL (I व & II)	**634,311,742**	661,897,459
अनुसूची 9 – अग्रिम SCHEDULE 9 – ADVANCES		
क A. i) खरीदे एवं भुनाये गये बिल Bills purchased and discounted	**25,801,331**	35,910,299
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट एवं माँग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on demand	**664,557,143**	641,104,652
iii) मीयादी ऋण Term Loans	**760,301,882**	693,848,041
योग TOTAL	**1,450,660,356**	1,370,862,992
ख B. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋणों पर अग्रिम सहित) Secured by Tangible Assets (includes Advances against book debts)	**1,200,443,216**	1,151,462,024
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	**14,430,979**	14,781,189
iii) गैर-जमानती Unsecured	**235,786,161**	204,619,779
योग TOTAL	**1,450,660,356**	1,370,862,992
ग C. I. भारत में अग्रिम Advances in India		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector	**522,492,601**	477,232,532
ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	**196,729,480**	150,733,108

समेकित Consolidated (₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As at 31.03.2015 ₹		यथा As at 31.03.2014 ₹	
iii) बैंक Banks	**10,000,212**		103,553	
iv) अन्य Others	**721,438,063**		742,793,799	
योग TOTAL	**1,450,660,356**		1,370,862,992	
ग C. II. भारत के बाहर अग्रिम Advances outside India	–		–	
सकल योग GRAND TOTAL (ग C. I व & ग C. II)	**1,450,660,356**		1,370,862,992	

अनुसूची 10 – अचल आस्तियाँ
SCHEDULE 10 – FIXED ASSETS

I. **परिसर Premises**				
पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	**1,931,404**		1,821,411	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	**387,607**		111,071	
	2,319,011		1,932,482	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	**984**		1,078	
	2,318,027		1,931,404	
यथा तिथि मूल्यह्रास Depreciation to date	**808,925**		755,759	
	1,509,102		1,175,645	
जोडें: पूँजीगत चालू कार्य Add: Capital Work in progress	–	**1,509,102**	888	1,176,533
II. **अन्य अचल आस्तियाँ** (इसमें फर्नीचर और जुड़नार सम्मिलित हैं) **Other Fixed Assets** (including furniture & fixtures)				
पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	**9,362,625**		8,702,395	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	**1,754,255**		1,128,765	
	11,116,880		9,831,160	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	**251,364**		468,536	
	10,865,516		9,362,624	
यथा तिथि मूल्यह्रास Depreciation to date	**7,355,020**		7,016,090	
	3,510,495		2,346,534	
जोडें: पूंजीगत चालू कार्य Add: Capital Work in progress	**37,063**	**3,547,558**	34,576	2,381,110
III. अमूर्त आस्तियों (कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर) **Intangible Assets (Computer Software)**				
पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	**1,237,341**		1,094,918	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	**191,326**		142,423	
	1,428,667		1,237,341	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	**14**		–	
	1,428,653		1,237,341	
यथा तिथि मूल्यह्रास Depreciation to date	**1,221,447**	**207,206**	142,080	1,095,261
योग TOTAL (I+II+III)		**5,263,866**		4,652,904

समेकित Consolidated (₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As at 31.03.2015 ₹	यथा As at 31.03.2014 ₹
अनुसूची 11 – अन्य आस्तियाँ **SCHEDULE 11 – OTHER ASSETS**		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter Office Adjustments (Net)	–	–
II. उपचित ब्याज Interest accrued	**10,831,178**	12,601,982
III. मैट जमा उपलब्धतता MAT Credit Availability	**4,761,975**	2,262,805
IV. पूर्वसंदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/TDS	**18,943,282**	16,803,269
V. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प Stationery and stamps	**34,288**	20,929
VI. आस्थगित कर आस्ति Deferred Tax Asset	–	–
VII. उपार्जित गैर–बैंकिंग आस्तियाँ Non-banking assets acquired	**944**	1,687
VIII. अन्य Others	**7,995,964**	9,051,027
योग TOTAL	**42,567,632**	40,741,699
अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएँ **SCHEDULE 12 – CONTINGENT LIABILITIES**		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया Claims against the bank not acknowledged as debts	**18,468,014**	5,878,278
II. डीइएफ – भारिबैं के पास शेष DEAF - Balance with RBI	**539,382**	–
III. क) बकाया वायदा विदेशी विनिमय संविदाओं के बाबत देयता		
A. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	**705,504,149**	339,253,213
ख) व्युत्पन्नी		
B. Derivatives	**11,830,000**	13,250,000
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ Guarantees given on behalf of constituents		
क a) भारत में in India	**121,373,414**	119,801,549
ख b) भारत के बाहर outside India	**19,842,912**	17,414,910
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन एवं अन्य बाध्यताएँ Acceptances, endorsements and other obligations	**112,886,050**	128,320,236
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other items for which the Bank is contingently liable	–	–
योग TOTAL	**990,443,921**	623,918,186

समेकित Consolidated (₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2015 ₹	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014 ₹
अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज SCHEDULE 13 – INTEREST EARNED		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा Interest/Discount on advances/bills	**148,053,363**	132,159,725
II. निवेशों पर आय Income on investments	**41,658,259**	42,421,953
III. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter-bank Funds	**151,131**	157,339
IV. अन्य Others	**5,701,695**	4,846,674
योग TOTAL	**195,564,448**	179,585,691
अनुसूची 14 – अन्य आय SCHEDULE 14 – OTHER INCOME		
I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली Commission, exchange and brokerage	**4,478,781**	4,613,997
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ (निवल) Profit on sale of investments (net)	**1,133,362**	3,476,922
III. भूमि, भवनों एवं अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल) Profit on sale of land, buildings and other assets (net)	**(64)**	(3,403)
IV. विनिमय लेन-देनों पर लाभ (निवल) Profit on exchange transactions (net)	**1,014,763**	1,014,649
V. अनुषंगियों/कंपनियों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends, etc. from subsidiaries/companies	**105,939**	103,101
VI. विविध आय Miscellaneous income	**8,007,819**	7,366,630
योग TOTAL	**14,740,601**	16,571,896
अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज SCHEDULE 15 – INTEREST EXPENDED		
I. जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	**147,007,120**	132,417,939
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings	**2,692,276**	2,977,681
III. अन्य Others	**5,153,426**	6,345,134
योग TOTAL	**154,852,822**	141,740,754

समेकित Consolidated (₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2015 ₹	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014 ₹
अनुसूची 16 – परिचालन व्यय SCHEDULE 16 – OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payment to and provisions of employees	**11,825,172**	11,904,146
II. किराया, कर एवं बिजली Rent, taxes and lighting	**2,396,391**	2,132,353
III. मुद्रण एवं लेखन-सामग्री Printing and stationery	**224,860**	254,044
IV. विज्ञापन एवं प्रचार Advertisement and Publicity	**36,881**	181,560
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास Depreciation on bank's property	**1,228,261**	1,132,460
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	**8,771**	9,633
VII. लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) Auditors' fees and expenses (including branch auditors)	**220,090**	210,084
VIII. विधि प्रभार Law charges	**36,593**	42,178
IX. डाक खर्च, तार, टेलीफोन आदि Postages, Telegrams, Telephones, etc.	**527,542**	507,848
X. मरम्मत एवं अनुरक्षण Repairs and maintenance	**674,422**	478,514
XI. बीमा Insurance	**1,941,486**	1,679,308
XII. अन्य व्यय Other expenditure	**6,140,640**	5,391,121
योग TOTAL	**25,261,111**	23,923,249

अनुसूची 17

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ जो 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के समेकित लेखों का अंग हैं

समेकन के सिद्धांत

समेकित वित्तीय विवरणों में कार्पोरेशन बैंक और उसकी अनुषंगी के लेखे शामिल हैं।

बैंक और इसकी अनुषंगी का वित्तीय विवरण अंतरासमूह शेषों और अंतरासमूह लेनदेनों को, अन्यथा उल्लिखित के सिवाय, पूर्णतः निरसित करने के बाद आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय जैसी मदों के बही मूल्यों को साथ जोड़कर पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर एक साथ मिलाया गया है।

तैयार करने का आधार

बैंक और इसकी अनुषंगी के समेकित वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक तथा संबंधित नियामक प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों एवं सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किये गये हैं।

निम्नलिखित अनुषंगी को लेखांकन मानक 21 ''समेकित वित्तीय विवरण'' के अनुसार समेकित किया गया है:

कंपनी का नाम	देश/निवास	संबंध	स्वामित्व हित
कार्प बैंक सिक्युरिटीज़ लिमिटेड	भारत	अनुषंगी	100%

अनुषंगी के वित्तीय विवरणों को आवश्यकतानुसार उनकी मूल कंपनी के साथ पुनर्समूहित किया गया है।

अनुषंगी ने कुछ मामलों में समान लेनदेन एवं एक ही प्रकार की परिस्थितियों के मामले में बैंक द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों से भिन्न लेखांकन नीति का प्रयोग किया है। समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उपयोग करते समय अनुषंगी के वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किया गया है।

समेकन में प्रयुक्त, सहयोगी के वित्तीय विवरण मूल कंपनी के रिपोर्टिंग दिनांक अर्थात् 31 मार्च, 2015 तक के ही हैं।

1. राजस्व निर्धारण

बैंकिंग संस्था:

i. आय को निम्न को छोड़कर उपचित आधार पर निर्धारित किया गया है:

क) बैंक गारंटियों एवं साख पत्र, आपूर्तिकर्ता/क्रेता ऋण की व्यवस्था पर कमीशन; तथा लॉकर किराया जो प्राप्ति आधार पर निर्धारित किया गया है।

ख) गैर-निष्पादक अग्रिमों तथा निवेशों पर ब्याज आय तथा केन्द्र सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों पर ब्याज आय, जिनके लिए 90 दिनों के अंदर ब्याज वसूल नहीं होता है, प्राप्ति आधार पर निर्धारित की गई है।

Schedule 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2015

Principles of Consolidation

The consolidated financial statements include the accounts of Corporation Bank and its subsidiary.

The financial statements of the Bank and its subsidiary have been combined on a line to line basis by adding together the book values of like items of assets, liabilities, income and expenses, after fully eliminating intra group balances and intra group transactions, except wherever otherwise stated.

Basis of Preparation

The consolidated financial statements of the Bank and its subsidiary have been prepared in accordance with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and guidelines issued by the respective regulatory authorities from time to time and generally accepted accounting principles.

The following subsidiary has been consolidated as per the Accounting Standard 21, "Consolidated Financial Statements":

Name of the Company	Country / Residence	Relationship	Ownership Interest
Corpbank Securities Limited	India	Subsidiary	100%

The financial statements of the subsidiary have been regrouped with those of the parent company wherever necessary.

The subsidiary has used accounting policies other than those adopted by the Bank, in certain cases, for like transactions and events in similar circumstances. No adjustments have been made to the financial statements of the subsidiary, when they are used in preparing the consolidated financial statements.

The financial statements of the subsidiary used in the consolidation are drawn upto the same reporting date as that of the parent company i.e., year ended 31st March, 2015.

1. REVENUE RECOGNITION

Banking Entity:

i. Income is recognized on an accrual basis except:

a) Commission on Bank Guarantees and Letters of Credit, arrangement of suppliers/buyers Credit, and Locker rent which are recognized on receipt basis.

b) Interest income on Non-Performing advances and investments, and securities guaranteed by Central Government where interest is not realized within 90 days is recognized on receipt basis.

ग) आय-कर वापसियों पर ब्याज का लेखांकन सूचना आदेश प्राप्त होने पर किया गया है।

ii. ''परिपक्वता तक धारित'' प्रवर्ग में निवेशों की बिक्री पर प्राप्त लाभ, जिसे लाभ-हानि लेखे में निर्धारित किया गया है तथा तदनंतर भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षित पूँजी खाते में विनियोजित किया गया है, को छोड़कर निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को बिक्री के समय निपटान आधार पर लाभ-हानि लेखे में निर्धारित किया गया है।

iii. बैंक के प्रत्यक्ष अंशदान पर प्राप्त दलाली/कमीशन/प्रोत्साहन राशि को प्रतिभूतियों की लागत से काटा गया है, जबकि प्रतिभूतियों के अर्जन हेतु प्रदत्त दलाली को राजस्व व्यय के रूप में माना गया है।

iv. प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय पर खंडित अवधि-ब्याज को राजस्व मद के रूप में माना गया है।

गैर-बैंकिंग संस्था:

जमा प्रमाणपत्रों, वाणिज्यिक पत्रों तथा ट्रेज़री की अधिग्रहण लागत एवं परिपक्वता मूल्य के बीच के अंतर को समय आधार पर प्रभाजित किया जाता है तथा इन प्रतिभूतियों पर लेखांकन अवधि से संबंधित प्रभावी बट्टे/ब्याज को आय के रूप में निर्धारित किया जाता है। अधिग्रहण तक उपचित बट्टे/उपचित ब्याज को अधिग्रहण लागत में शामिल किया जाता है और रखाव लागत माना जाता है।

i. दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज को उसकी कूपन दर पर निर्धारित किया जाता है।

ii. स्थिर आय प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री मूल्य को लागत और प्रदत्त एवं वसूल उपचित ब्याज के रूप में विभाजित किया जाता है। स्थिर आय प्रतिभूतियों की खरीद पर उपचित या बिक्री पर प्राप्त ब्याज (खंडित अवधि ब्याज) के रूप में प्रदत्त राशि का निवल निकाला गया और आय/व्यय के रूप में माना जाता है।

iii. प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ/हानि, भारित औसत मूल्य पद्धति (डब्ल्यूएपी) पर परिकलित की जाती है और निपटान तारीख को इसका निर्धारण किया जाता है। प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ को प्रतिभूतियों की बिक्री पर हानि के साथ निवलित किया जाता है।

iv. मध्यवर्ती के रूप में किए गए कारोबार पर कमीशन/दलाली का निर्धारण उपचय आधार पर किया जाताा है।

v. निवेशों पर ब्याज का निर्धारण उपचय आधार पर किया जाता है। म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश पर लाभांश आय उनकी घोषणा के आधार पर निर्धारित की जाती है।

2. निवेश

बैंकिंग संस्था:

i. श्रेणीकरण एवं वर्गीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिदेशों के अनुसार निवेशों के अधिग्रहण के समय निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिपक्वता तक धारित (एचटीएम),
- बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) तथा
- ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी)।

बैंक, बही मूल्य या बाज़ार मूल्य, इन में से न्यूनतम मूल्य पर निवेशों को एएफएस/एचएफटी प्रवर्ग से एचटीएम प्रवर्ग में अंतरित करता है। अर्थात्, जहाँ अंतरण के समय बाज़ार मूल्य बही मूल्य से अधिक है, मूल्यवृद्धि को अनदेखा

c) Interest on Income-tax refunds is accounted for on receipt of Intimation order.

ii. Profit or loss on sale of investments is recognized in the profit and loss account on settlement basis at the time of sale except the realized profit on sale of investments in 'Held to Maturity' category which is recognized in the profit and loss account and subsequently appropriated to capital reserve account in accordance with RBI guidelines.

iii. Brokerage/commission/incentives received on Banks direct subscriptions are deducted from the cost of securities, whereas brokerage paid in connection with acquisition of securities is treated as revenue expenditure.

iv. The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item.

Non-banking Entity:

The difference between the acquisition cost and maturity value of Certificate of Deposits, Commercial papers and Treasury Bills is apportioned on time basis and effective discount/ interest on these securities pertaining to the accounting period is recognized as income. The discount/interest accrued till acquisition is included in the acquisition cost and regarded as the carrying cost.

i. Interest accrued on Dated Government Securities is recognized at its coupon rate.

ii. Purchase and sale price of fixed income securities is bifurcated into cost and accrued interest paid or realized. Amount paid as interest accrued on purchase and received on sale of fixed income securities (Broken period interest) is netted and reckoned as income/expense.

iii. Profit / loss on sale of securities is accounted on Weighted Average Price Method (WAP) and is recognized on settlement date. Profit on sale of securities is netted with loss on sale of Securities.

iv. Commission/brokerage on the business done as intermediary is recognized on accrual basis.

v. Interest on investments is recognized on accrual basis. Dividend income on investments in the Units of Mutual Funds is recognized on the basis of declaration of the same.

2. INVESTMENTS

Banking Entity:

i. Categorization & Classification

In accordance with the RBI guidelines, investments at the time of acquisition are categorized as

- Held to Maturity [HTM],
- Available for Sale [AFS] and
- Held for Trading [HFT].

The Bank shifts investments from AFS / HFT category to HTM category at the lower of book value or market value. In other words, in cases where the market value is higher than the book

किया जाए तथा प्रतिभूति को बही मूल्य पर अंतरित किया जाए। ऐसे मामले जहाँ बाज़ार मूल्य बही मूल्य से कम है, इस प्रतिभूति (अंतरण के दिनांक को किए गए मूल्यांकन के आधार पर अपेक्षित अतिरिक्त प्रावधान, यदि कोई है, सहित) के विरुद्ध धारित मूल्यह्रास पर प्रावधान को बही मूल्य को बाज़ार मूल्य तक कम करने के लिए समायोजित किया जाए तथा प्रतिभूति बाज़ार मूल्य पर अंतरित किया जाए।

यदि प्रतिभूति मूलतः बट्टे पर एचटीएम प्रवर्ग के तहत रखी जाती है, उसे अर्जन मूल्य/बही मूल्य पर एएफएस/एचएफटी प्रवर्ग में अंतरित किया जाए। (यह नोट किया जाए कि विद्यमान अनुदेशों के अनुसार एचटीएम प्रवर्ग के तहत धारित प्रतिभूतियों पर बट्टा उपचित करने की अनुमति नहीं है तथा, अतः, ऐसी प्रतिभूतियों को परिपक्वता तक अर्जन लागत पर धारण जारी रखा जाए)। अंतरण के पश्चात्, इन प्रतिभूतियों का तत्काल पुनर्मूल्यांकन किया जाए तथा परिणामी मूल्यह्रास, यदि कोई है, हेतु प्रावधान किया जाए।

यदि प्रतिभूति मूलतः प्रीमियम पर एचटीएम प्रवर्ग के तहत रखी जाती है, उसे परिशोधक मूल्य पर एएफएस/एचएफटी प्रवर्ग में अंतरित किया जाए। अंतरण के पश्चात्, इन प्रतिभूतियों का तत्काल पुनर्मूल्यांकन किया जाए तथा परिणामी मूल्यह्रास, यदि कोई है, हेतु प्रावधान किया जाए।

एएफएस से एचएफटी प्रवर्ग में या विलोमतः प्रतिभूतियों को अंतरित करने पर, अंतरण की तारीख को प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यन करने की आवश्यकता नहीं है तथा संचित मूल्यह्रास के लिए यदि कोई प्रावधान धारित किया है तो उसे एचएफटी प्रतिभूतियों के विरुद्ध मूल्यह्रास हेतु प्रावधान में या विलोमतः अंतरित किया जा सकता है।

तथापि, तुलन-पत्र में प्रकटन हेतु निवेशों को सात प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है - सरकारी प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकारी विशेष प्रतिभूतियाँ, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, शेयर, डिबेंचर तथा बॉंड, अनुषंगियों/क्षे.ग्रा.बैं./संयुक्त उद्यमों तथा अन्य (म्यूचुअल फंड की यूनिटों, वाणिज्यिक पत्रों, जमा प्रमाण पत्र तथा वेंचर पूंजी निधि और नाबार्ड के आरआईडीएफ, सिडबी के एमएसएमई फंड, एनएचबी में निवेश)।

'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के तहत वर्गीकृत निवेशों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क) मांग तथा मीयादी देयताओं के 21.50% तक या भा.रि.बैं. द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अनुसार एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश।

ख) पुनर्पूंजीकरण आवश्यकताओं हेतु भारत सरकार से प्राप्त पुनर्पूंजीकरण बांड।

ग) अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों के शेयरों में निवेश।

घ) नाबार्ड की आरआईडीएफ योजनाएं/सिडबी की एमएसएमई (पुनर्वित्त) निधि/एनएचबी की आरएचएफ जमाएं।

ङ) उद्यम पूँजी निधियों में निवेश, 23 अगस्त, 2006 के बाद प्रत्येक ड्रा डाऊन से 3 वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए किए गए हैं।

ट्रेडिंग के उद्देश्य से प्राथमिक रूप से अधिग्रहीत निवेशों को एचएफटी प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूतियाँ 90 दिन से अधिक नहीं धारित की गई हैं व विक्रय करने में असमर्थता या अत्यधिक उतार-चढाव अथवा बाजार के एकतरफा होने जैसी अपवादात्मक परिस्थितियों में ही बोर्ड/आल्को/निवेश समिति के अनुमोदन से एएफएस श्रेणी में अंतरित किए जाते हैं।

अन्य सभी निवेशों को एएफएस के तहत वर्गीकृत किया गया है।

ii. मूल्यांकन तथा परिणामी समायोजन:

क) परिपक्वता तक धारित: 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के तहत वर्गीकृत निवेश भारित औसत अर्जन लागत पर मूल्यांकित किए गए हैं। अधिग्रहण

value at the time of transfer, the appreciation should be ignored and the security should be transferred at the book value. In cases where the market value is less than the book value, the provision against depreciation held against this security (including the additional provision, if any, required based on valuation done on the date of transfer) should be adjusted to reduce the book value to the market value and the security should be transferred at the market value.

If the security was originally placed under the HTM category at a discount, it may be transferred to AFS / HFT category at the acquisition price / book value. (It may be noted that as per existing instructions banks are not allowed to accrue the discount on the securities held under HTM category and, therefore, such securities would continue to be held at the acquisition cost till maturity). After transfer, these securities should be immediately re-valued and resultant depreciation, if any, may be provided.

If the security was originally placed in the HTM category at a premium, it may be transferred to the AFS / HFT category at the amortised cost. After transfer, these securities should be immediately re-valued and resultant depreciation, if any, may be provided.

In the case of transfer of securities from AFS to HFT category or vice-versa, the securities need not be re-valued on the date of transfer and the provisions for the accumulated depreciation, if any, held may be transferred to the provisions for depreciation against the HFT securities and vice-versa.

However, for disclosure in the Balance Sheet, investments are classified under seven categories – Government securities, State Govt. special securities, other approved securities, shares, debentures and bonds, Investments in Subsidiaries/RRB/Joint Ventures and Others [units of Mutual Funds, Commercial Papers, certificate of deposits and Venture Capital Funds and investments in RIDF of NABARD, MSME Fund of SIDBI, NHB].

Investments classified under 'Held to Maturity' include the following:

a) Investments in SLR securities upto 21.50% of Demand and Time liabilities or as notified by RBI from time to time.

b) Recapitalisation bonds received from the Government of India towards recapitalisation requirements.

c) Investments in share of subsidiaries and joint ventures.

d) RIDF Schemes of NABARD / MSME (Refinance) Fund of SIDBI/RHF deposits of NHB.

e) Investment in Venture Capital Funds, for an initial period of 3 years of each draw down, after 23rd August, 2006.

Investments acquired primarily with an intention for trading are classified as HFT securities. As per RBI guidelines, securities in HFT category are not held beyond 90 days and are transferred to AFS category under exceptional circumstances like not able to sell or extreme volatility or market becoming unidirectional, with the approval of the Board/ALCO/Investment Committee.

All other investments are classified under AFS.

ii. Valuation and Consequential Adjustments :

a] Held to Maturity: Investments classified under 'Held-to-Maturity' are carried at weighted average acquisition cost.

पर प्रीमियम यदि कोई है तो परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधन किया गया है। अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश के मामले में अस्थाई को छोड़कर अन्य ऐसे निवेश के मूल्य में कमी का निर्धारण किया गया है और उसके लिए प्रावधान किया गया है। वेंचर पूंजी निधि में निवेशों को लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

ख) बिक्री के लिए उपलब्ध तथा ट्रेडिंग के लिए धारित:

(i) इन प्रवर्गों ('ट्रेडिंग के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी के तहत वर्गीकृत) में निवेश को भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार एचएफटी तथा एएफएस हेतु क्रमशः मासिक तथा तिमाही अंतराल में बाज़ार/अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर अंकित किया गया है। जबकि ऊपर 4.1 में उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत परिणामी निवल मूल्यह्रास यदि कोई है, को लाभ एवं हानि लेखे में 'प्रावधान एवं आकस्मिकताओं' के रूप में निर्धारित किया गया है तथा मूल्यह्रास हेतु पहले किए गए प्रावधान की हद तक को छोड़कर निवल अधिमूल्यन को छोड़ दिया गया है। पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् अलग-अलग प्रतिभूतियों के बही मूल्य में परिवर्तन नहीं हुआ है। मूल्यह्रास के अतिरिक्त प्रावधान के प्रतिलेखन के संबंध में, उसे 'प्रावधान और आकस्मिकताएँ' में जमा किया गया है और समतुल्य राशि (करों का निवल और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण) को अनुसूची 2 – ''आरक्षित निधि एवं अधिशेष'' के तहत निवेश आरक्षित निधि खाते में विनियोजित किया गया है।

(ii) उपरोक्त (i) के उद्देश्य हेतु, बाजार कीमत/अनुमानित प्राप्य मूल्य निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:

Premium on acquisition, if any, is amortized on a straight-line basis over the remaining maturity period. In case of investments in subsidiaries/joint ventures any diminution, other than temporary, in the value of such investment is recognized and provided for. Investments in Venture Capital Fund are valued at Cost.

b] Available for Sale and Held for Trading:

(i) Investments in these categories (classified under the category 'Held for Trading' and 'Available for Sale') are marked to market / estimated realizable value as per RBI guidelines at monthly and quarterly intervals for HFT and AFS respectively. While the resultant net depreciation, if any, within each category referred to in 4.1 above, is recognized in profit & loss account as "Provisions and Contingencies", the net appreciation is ignored except to the extent of depreciation previously provided. The book value of the individual scrip is not changed after revaluation. In the case of write back of excess provision of depreciation the same is credited to "Provisions and Contingencies" and a like amount (net of taxes and transfer to Statutory Reserve) is appropriated to Investment Reserve Account under Schedule 2 – "Reserves & Surplus".

(ii) For the purpose of (i) above, the market price / estimated realizable value is determined as under:

1.	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ Central Government of India Securities	i) उद्धृतः एफआईएमएमडीए द्वारा दिए कोटेशन के अनुसार बाज़ार मूल्य पर Quoted: At market price as per the quotation put out by FIMMDA. ii) अनुद्धृतः एफआईएमएमडीए द्वारा दी गई कीमतों/वाईटीएम दरों के आधार पर Unquoted: On the basis of the prices/YTM rates put by the FIMMDA.
2.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियाँ, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियाँ (अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ) State Government Securities, State Govt. Special Securities, Securities guaranteed by Central/State Government (other approved securities)	i) राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के मामले में एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित कीमतों पर At prices published by FIMMDA in respect of State Govt. Securities. ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के मामले में एफआईएमएमडीए द्वारा निर्दिष्ट प्रतिफल वक्र पर उपयुक्त अतिरिक्त कीमत लागत अंतर पर At appropriate spread upon the yield curve put out by the FIMMDA in respect of other approved Securities
3.	ट्रेज़री बिल (पीडी कारोबार के कारण रखे ट्रेज़री बिलों सहित)/जमा प्रमाणपत्र/वाणिज्यिक पत्र Treasury Bills (including Treasury Bills held on account of PD business) / Certificates of deposits / Commercial paper	रखाव लागत पर At carrying cost.
4.	ईक्विटी शेयर Equity Shares	[i] उद्धृतः बाजार मूल्य पर Quoted : At market price [ii] अनुद्धृतः कंपनी के अद्यतन तुलन पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो) के अनुसार निश्चित विश्लेषित मूल्य पर अन्यथा ₹1/- प्रति कंपनी। Unquoted: At break up value as ascertained from the Company's latest Balance Sheet [not more than one year old], otherwise at ₹1/- per Company.

5.	अधिमान शेयर, डिबेंचर एवं बांड Preference Share, Debentures and Bonds	[i] उद्धृतः बाजार मूल्य पर Quoted: At market price [ii] अनुद्धृतः उचित परिपक्वता प्रतिफल पर Unquoted: On appropriate yield to maturity
6.	म्यूचुअल फंड Mutual Fund	[i] उद्धृतः बाजार मूल्य पर Quoted : At market price [ii] अनुद्धृतः पुनर्खरीद मूल्य या प्रत्येक योजना में फंड द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य पर (जहाँ पुनर्खरीद मूल्य उपलब्ध नहीं है) Unquoted : At repurchase price or Net Asset Value [where repurchase price is not available] declared by the fund in each of the schemes
7.	उद्यम पूँजी निधि Venture Capital Funds	[i] उद्धृतः बाजार मूल्य पर Quoted : At market value [ii] अनुद्धृतः इकाइयों के रूप में निवेशों के मामले में, अपने वित्तीय विवरणों में वीसीएफ द्वारा दर्शाए गए एनएवी पर मूल्यांकन किया जाए। एनएवी पर आधारित इकाइयों पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए निवेशों के एएफएस प्रवर्ग से एचटीएम प्रवर्ग में अंतरण के समय तथा वीसीएफ से प्राप्त वित्तीय विवरणों के आधार पर तिमाही या बारंबार अंतरालों पर किए जाने वाले अनुवर्ती मूल्यांकनों पर भी प्रावधान किया जाना चाहिए। इकाइयों का कम से कम वर्ष में एक बार लेखापरीक्षित परिणामों के आधार पर मूल्यांकन किया जाए। तथापि, यदि एनएवी आँकडे दर्शाने वाले लेखा परीक्षित तुलन पत्र/वित्तीय विवरण मूल्यांकन की तारीख को 18 माह से अधिक के लिए उपलब्ध नहीं हैं, तो निवेशों का मूल्यांकन 1 रुपया प्रति वीसीएफ पर किया जाए। Unquoted funds: In the case of investments in the form of units, the valuation will be done at the NAV shown by the VCF in its financial statements. Depreciation, if any, on the units based on NAV has to be provided at the time of shifting the investments to AFS category from HTM category as also on subsequent valuations which should be done at quarterly or more frequent intervals based on the financial statements received from the VCF. At least once in a year, the units should be valued based on the audited results. However, if the audited balance sheet/financial statements showing NAV figures are not available continuously for more than 18 months as on the date of valuation, the investments are to be valued at Rupee 1per VCF.

iii. गैर–निष्पादक निवेश

क) केन्द्र सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों को छोड़कर सभी प्रतिभूतियों को, जहाँ मूलधन या ब्याज की चुकौती देय तारीख से 90 दिनों के अंदर नहीं की गई है, गैर–निष्पादक निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों को मूलधन/ब्याज अदायगी बकाया रहने के बावजूद निष्पादक निवेशों के रूप में माना गया है। गैर–निष्पादक के रूप में वर्गीकृत निवेशों के संबंध में इन निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास हेतु उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं। इन प्रतिभूतियों के संबंध में अपेक्षित मूल्यह्रास अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यवृद्धि के साथ समंजन नहीं किया गया है।

ख) जहाँ बैंक का किसी पार्टी/ग्रुप में ऋण एवं निवेश दोनों विनिधान हैं तथा ऋण विनिधान को गैर–निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करने की स्थिति में इनमें निवेश विनिधान को भी गैर–निष्पादक के रूप में वगीकृत किया गया है।

iii. Non-performing Investments

a] All such securities where repayment of principal or interest not serviced within 90 days from the due date are classified as Non-Performing Investments, except securities guaranteed by the Central Government which are treated as performing investments notwithstanding arrears of principal / interest payments. In respect of investments classified as Non-performing, appropriate provisions are made for the depreciation in the value of these investments. The depreciation requirement in respect of these securities is not set off against appreciation in respect of other performing securities.

b] Where the Bank has both credit and investment exposures to any borrower/group and in the event the credit exposure is classified as Non-Performing asset, the investment exposure to them is also classified as Non-Performing.

स्पष्टीकरण:

यदि जारीकर्ता द्वारा उपलब्ध कोई ऋण सुविधा बैंक की बहियों में एनपीए है, उसी जारीकर्ता द्वारा जारी अधिमान शेयरों सहित किसी भी प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई तथा विलोमतः माना जाएगा। तथापि, यदि मात्र अधिमान शेयरों को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उसी जारीकर्ता द्वारा किसी अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा तथा उस उधारकर्ता को प्रदत्त कोई निष्पादक ऋण सुविधाओं को एनपीए के रूप में नहीं माना जाएगा।

iv. रेपो लेनदेनों के लिए लेखांकन

भा.रि.बैं. द्वारा 1 अप्रैल 2010 से जारी संशोधित लेखांकन दिशानिर्देश सरकारी प्रतिभूतियों तथा कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में बाज़ार रेपो लेनदेनों के लिए लागू होगा। तथापि, ये लेखांकन मानदंड रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा(एलएएफ) के तहत संचालित रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए लागू नहीं होंगे।

रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए निम्नलिखित क्रियाविधि लागू की जाए:

वर्ष के दौरान रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेनों पर प्राप्त/प्रदत्त राशियाँ रेपो/रिवर्स रेपो खाते में नामे/जमा की गई तथा लेनदेनों की परिपक्वता पर प्रतिवर्तित की गई।

v. निवेश लेनदेनों हेतु लेखांकन

क) बैंक अपने निवेशों के लेखांकन हेतु निपटान तारीख पद्धति का पालन करता है;

ख) लागत भारित औसत लागत पद्धति पर निर्धारित की गई है;

ग) प्रतिभूतियों के विक्रय पर लाभ का विक्रय पर हानि के साथ निवल निकाला गया है;

घ) तरल म्यूचुअल फंडों के विक्रय/मोचन मूल्य तथा बही मूल्य के बीच अंतर को निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ माना गया है।

गैर-बैंकिंग संस्था

कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लि. के निवेश के संबंध में:

(i) अल्पावधि धारण तथा व्यापारिक क्रय-विक्रय के उद्देश्य से अर्जित प्रतिभूतियों को ''विक्रेय स्टॉक'' के रूप में माना जाता है और चालू आस्तियों के अधीन दर्शाया जाता है। दीर्घावधि धारण के उद्देश्य से अर्जित अन्य आस्तियों को 'निवेश' के रूप में माना जाता है।

(ii) निवेशों के रूप में धारित तथा परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रत्येक निवेश के किसी मूल्यह्रास हेतु, जहाँ कहीं यह ह्रास स्थाई है, प्रावधान किया जाता है।

(iii) कोट की गई प्रतिभूतियों को लागत या बाज़ार मूल्य, जो भी कम है, पर मूल्यांकित किया जाता है। बाज़ार भाव उपलब्ध न होने पर, समान प्रकृति एवं परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियों के विद्यमान प्रतिफल के आधार पर परिकलित दरों पर बाज़ार मूल्य निर्धारित किए जाते हैं।

(iv) प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूति को एक प्रत्येक प्रवर्ग माना जाता है। प्रत्येक प्रवर्ग के अंतर्गत, मूल्यांकन स्क्रिप-वार किया जाता है तथा मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है जबकि मूल्य-वृद्धि को छोड़ दिया जाता है। एक प्रवर्ग की प्रतिभूतियों के मूल्यह्रास को दूसरे प्रवर्ग में मूल्यवृद्धि के बदले समंजन नहीं किया जाता है।

Clarifications:

If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities, including preference shares issued by the same issuer would also be treated as NPI and vice versa. However, if only the preference shares are classified as NPI, the investment in any of the other performing securities issued by the same issuer may not be classified as NPI and any performing credit facilities granted to that borrower need not be treated as NPA.

iv. Accounting for Repo Transactions

The revised accounting guidelines effective from April 1, 2010 issued by Reserve Bank of India are applicable to market repo transactions in Government Securities and corporate debt securities. These accounting norms will, however, not apply to Repo / Reverse Repo transactions conducted under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the Reserve Bank.

The following procedure shall be applicable for Repo / Reverse Repo transactions:

Monies received/paid during the year on Repo / Reverse Repo transactions are debited / credited to Repo/Reverse Repo Account and reversed on maturity of the transactions. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure/income, as the case may be.

v. Accounting for Investment Transactions

a) The Bank follows settlement date method of accounting its investments;

b) Cost is determined on weighted average cost method;

c) Profit on sale is netted with loss on sale of securities;

d) The difference between the sale/redemption value of liquid Mutual Funds and the book value is treated as profit on sale of investments.

Non-Banking Entity

In respect of Investments of Corpbank Securities Ltd:

(i) The securities acquired with the intention of short term holding and trading positions is considered as "Stock-in-Trade" and shown under current assets. Other securities acquired with the intention of long-term holding are treated as "Investments."

(ii) Securities held as investments and held till maturity are valued at cost. Any diminution in the value of each investment individually is provided for, wherever such diminution is permanent.

(iii) The Quoted securities are valued at cost or market price, whichever is lower. In the absence of market quotes, market prices are determined at the rates derived from the prevailing yield of securities having similar standing and maturity period.

(iv) Each type of security is regarded as a separate category. Under each category, valuation is done scrip-wise and depreciation is provided, while appreciation is ignored. The depreciation in one category of securities is not set off against appreciation in another category.

(v) तुलन-पत्र की तारीख को धारित ट्रेज़री बिल का मूल्यांकन रखाव लागत या बाज़ार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। तुलन-पत्र की तारीख को धारित ट्रेज़री बिलों का बाज़ार मूल्य भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई दरों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। तुलन-पत्र की तारीख को धारित जमा प्रमाण-पत्र और वाणिज्य पत्रों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

(vi) केन्द्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों का बाज़ार मूल्य भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा उपलब्ध कराई दरों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

3. स्थिर आस्तियाँ

क) i. स्थिर आस्तियों को संचित मूल्यह्रास तथा हानि हेतु प्रावधान को कम करते हुए लागत पर दर्शाया गया है। लागत में क्रय कीमत तथा आस्ति को उसके अभिप्रेत प्रयोग हेतु उसके कार्य करने की स्थिति में लाने हेतु सहायक कोई भी लागत शामिल है। स्थिर आस्तियों की निहित राशि की प्रत्येक तुलन-पत्र दिनांक को समीक्षा की जाती है तथा किसी भी क्षति हेतु भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखांकन मानक 28 (''आस्तियों की क्षति'') के अनुसार समायोजित किया गया है।

ii. आस्तियों की क्षतिः
जहाँ किन्हीं घटनाओं और परिस्थितियों में परिवर्तनों के कारण ऐसा हो जाता है कि किसी आस्ति के रखाव राशि की वसूली नहीं हो सकती है, वहाँ स्थिर आस्तियों की क्षति हेतु समीक्षा की गई है। धारित और उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली क्षमता किसी आस्ति की रखाव राशि से उक्त राशि से प्रत्याशित भावी निवल बट्टाकृत नकद प्रवाह की तुलना द्वारा मापा जाता है। यदि ऐसी आस्तियों को क्षत माना जाता है, तो उक्त आस्ति के उचित मूल्य से जितनी अधिक उसकी रखाव राशि है, उससे क्षति का निर्धारण किया जाता है।

iii. पूंजीगत जारी कार्य में स्थिर आस्तियों की लागत शामिल है जो अपने अभिप्रेत प्रयोग हेतु तैयार नहीं है तथा स्थिर आस्तियाँ अर्जित करने हेतु प्रदत्त अग्रिम भी शामिल है।

ख) पूँजीकरण के दिनांक से जहाँ सीधी रेखा पद्धति के तहत मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधान के अनुसार आस्ति के उपयोगी समय पर विचार करते हुए आस्तियों हेतु मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। सावधानी के मामले के रूप में बैंक ने पाया कि निम्नलिखित आस्तियों का उपयोगी समय कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II (संदर्भ: धारा 123) में उल्लिखित आस्तियों के संबंधित प्रवर्ग के उपयोगी समय से कम है:

क) सर्वर तथा नेटवर्क
ख) मोबाइल फोन
ग) यूपीएस तथा संबद्ध मदें

सर्वर तथा नेटवर्क तथा मोबाइल फोन के मामले में 1/3 प्रतिवर्ष की दर पर तथा यूपीएस तथा संबद्ध मदों हेतु 1/5 प्रति वर्ष की दर पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। पट्टाधारी सुधारों हेतु 1/5 प्रति वर्ष की दर पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

ग) जहाँ भूमि एवं भवन का मूल्य अलग-अलग नहीं लिया गया है, वहाँ परिसर पर मूल्यह्रास संयुक्त लागत पर प्रदान किया गया है।

(v) Treasury Bills held on the balance sheet date are valued at carrying cost or market value whichever is lower. The market value of Treasury Bills held on the Balance Sheet date is determined as per the rates provided by Clearing Corporation of India Limited. The Certificate of Deposits, and Commercial Papers held on the balance sheet date, are valued at carrying cost.

(vi) The market value of Central Government Dated Securities is determined as per the rates provided by Fixed Income and Money Market Dealers Association (FIMMDA).

3. FIXED ASSETS

a) i. Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and provision for impairment. Cost comprises of the purchase price and any cost attributable for bringing the asset to its working condition for its intended use. The carrying amounts of fixed assets are reviewed at each balance sheet date and adjusted for any impairment in accordance with the Accounting Standard 28 ("Impairment of Assets") issued in this regard by the Institute of Chartered Accountants of India.

ii. Impairment of Assets:
Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

iii. Capital Work-in-progress includes cost of fixed assets that are not ready for their intended use and also includes advances paid to acquire fixed assets.

b) Depreciation is provided under the straight line method from the date of capitalization. The assets are depreciated taking into consideration the useful life of the asset as provided in schedule II of the Companies Act, 2013. The Bank as a matter of prudence finds that the useful life of the following assets is lower than the useful life of the respective category of assets mentioned in Schedule II (ref.: Sec. 123) of the Companies Act, 2013:

a) Servers and networks
b) Mobile Phones
c) UPS and allied items

Depreciation in the case of Servers and networks and Mobile phones are depreciated at the rate of 1/3rd per annum and UPS and Allied items at the rate of 1/5th per annum. Leasehold improvements are depreciated at the rate of 1/5th per annum

c) Depreciation on premises is provided for on composite cost, wherever the value of land and building is not separately identified.

4. स्टाफ हितलाभ

कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लिमिटेड के मामले में भुगतान मूल संगठन अर्थात् कार्पोरेशन बैंक स्टाफ को अपने कर्मचारियों/अधिकारियों की परिलब्धियों/भविष्य निधि के प्रति भुगतान किए गए हैं जिनकी सेवाएं कंपनी को प्रतिनियुक्ति आधार पर दी गई हैं। इन भुगतानों को कंपनी की लागत के रूप में माना गया है ।

5. आय पर कर

समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया कर व्यय मूल कंपनी एवं उसकी अनुषंगी के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में उल्लिखित कर व्ययों की राशियों का योग है।

6. प्रति शेयर अर्जन

बैंक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 20, प्रति शेयर अर्जन के अनुसार प्रति ईक्विटी शेयर प्राथमिक एवं तनुकृत अर्जन सूचित करता है।

7. प्रखंड रिपोर्टिंग

कारोबार प्रखंड – प्राथमिक प्रखंड

अपनी अनुषंगी सहित बैंक ने अपने कारोबार निम्नलिखित में वर्गीकृत किया है

- ट्रेज़री
- थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग कारोबार

भौगोलिक प्रखंड – द्वितीयक प्रखंड

चूंकि बैंक और उसकी अनुषंगी को भारत के बाहर से उद्भूत आय नहीं होती है, बैंक परिचालन सिर्फ घरेलू प्रखंड में ही माना जाए।

8. ट्रिगर इवेंट के होने पर बेसल III आधारित अतिरिक्त टियर I बॉण्ड तथा टियर II बॉण्ड का निरूपण:

क) ट्रिगर इवेंट अर्थात्, सामान्य इक्विटी टियर 1 ट्रिगर इवेंट के होने पर बैंक बॉण्डों के बकाया मूलधन का अवलेखन करेगा जो ''एटी1 बॉण्ड रिज़र्व'' के सृजन द्वारा उपरोक्त सीईटी1 ट्रिगर इवेंट को बैंक के सामान्य इक्विटी अनुपात की तत्काल वापसी हेतु अपेक्षित राशि से कम नहीं होगा। इस प्रकार सृजित रिज़र्व सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी बॉण्ड का भाग होगा जिसे सीईटी1 ट्रिगर इवेंट के होने पर अस्थायी रूप से अवलेखित किया गया है, को एटी-1 बॉण्ड रिज़र्व में नामे करते हुए बॉण्ड निर्गम/ भा.रि.बैं. दिशानिदेशों के अनुसार पुनःस्थापित किया जाएगा।

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रारंभ प्वाइंट ऑफ नॉन वायेबिलिटी (पीओएनवी) ट्रिगर इवेंट के होने पर, मामले के अनुसार एटी-1 बॉण्ड रिज़र्व/टियर II बॉण्ड रिज़र्व के तदनुरूपी सृजन के साथ स्थायी रूप से अतिरिक्त टियर I बॉण्ड मूलधन राशि के अवलेखन द्वारा सामान्य इक्विटी टियर पूँजी का सृजन कर सकते हैं। पुनःस्थापना शर्त पीओएनवी ट्रिगर इवेंट की घटना पर लागू नहीं है।

4. STAFF BENEFITS

In the case of Corpbank Securities Limited, payments made to parent organization viz., Corporation Bank Staff, towards emoluments/provident fund of their employees/officials, whose services are lent to the company on deputation basis, are regarded as Company's costs.

5. TAXES ON INCOME

The tax expense shown in the Consolidated Financial Statements is the aggregate of the amounts of tax expenses appearing in the separate financial statements of the parent and its subsidiary.

6. EARNINGS PER SHARE

Basic and diluted Earnings per Equity Share in accordance with Accounting Standard 20, Earnings Per Share, issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

7. SEGMENT REPORTING

Business Segment – Primary Segment

The Bank along with its subsidiary has organized its business into

- Treasury
- Wholesale Banking
- Retail Banking
- Other Banking Business

Geographic Segment – Secondary Segment

Since the Bank and its subsidiary do not have earnings emanating outside India, they may be considered to operate in only the domestic segment.

8. TREATMENT OF BASEL III COMPLIANT ADDITIONAL TIER I BONDS AND TIER II BONDS ON OCCURRENCE OF TRIGGER EVENTS:

A] On occurrence of Trigger event i.e. Common Equity Tier 1 trigger event the Bank shall write-down the outstanding principal of the Bonds not less than that the amount required to immediately return the Banks Common Equity Ratio to above the CET1 trigger event by creating "AT 1 Bond Reserve". The reserve so created shall be part of Common Equity Tier I Capital Bonds written down on occurrence of CET1 Trigger event temporarily may be re-instated in terms of Bond issue /RBI guidelines by debit to AT-1 Bond reserve.

b] On occurrence of Point of Non-Viability [PONV] trigger event initiated by Reserve Bank of India, the Bank may create common equity Tier I capital by writing off Additional Tier I Bond principal amount permanently with corresponding creation of AT-1 Bond reserve/Tier II Bond Reserve as the case may be. The re-instatement clause is not applicable on occurrence of PONV trigger event.

अनुसूची 18

टिप्पणियाँ जो 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लेखों का अंग हैं

1. आय कर

क) बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान प्रतिभूतियों के मूल्यांकन पर लेखा आय और कर-योग्य आय के बीच के अंतर को स्थाई अंतर माना है।

ख) बैंक ने लेखा मानक सं.22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियां और देयताओं को निर्धारित किया है, इसमें से मुख्य घटक निम्नवत् है।

(₹ करोड़ में)

	यथा 31 मार्च, 2015	यथा 31 मार्च, 2014
आस्थगित कर आस्तियाँ		
छुट्टी नकदीकरण	80.41	76.99
एफआईटीएल	282.63	166.99
वेतन बकाया	107.41	40.10
एएस-15 प्रावधान	शून्य	13.98
स्थिर आस्तियां	16.16	0.25
कुल	486.61	298.31
आस्थगित कर देयताएं		
पेंशन - पूर्व भुगतान	14.19	37.55
दीर्घावधि वित्त आय	486.31	434.82
कुल	**500.50**	**472.37**

आस्थगित कर देयता (निवल) ₹13.89 करोड़ (गत वर्ष ₹174.06 करोड़) को ''अन्य देयताएं एवं प्रावधान'' के अंतर्गत शामिल किया गया।

Schedule 18

NOTES TO AND FORMING PART OF THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2015

1. INCOME TAX

a) Bank continues to consider the difference between accounting income and taxable income on valuation of securities as permanent difference during financial year 2014-15.

b) The Bank has recognized deferred tax assets and liabilities as per Accounting Standard No.22, major components of which are set out below:

(₹ in crore)

	As at 31st March, 2015	As at 31st March, 2014
Deferred Tax Assets		
Leave encashment	80.41	76.99
FITL	282.63	166.99
Wage Arrear	107.41	40.10
AS-15 Provision	–	13.98
Fixed Assets	16.16	0.25
Total	486.61	298.31
Deferred Tax Liabilities		
Pension - Pre-payment	14.19	37.55
Long Term Finance Income	486.31	434.82
Total	**500.50**	**472.37**

Deferred tax liability (net) ₹13.89 Crore (Previous year ₹174.06 Crore) is included under "Other Liabilities and Provisions".

2. प्रखंड रिपोर्टिंग

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुसार सूचना निम्नवत् है।

2. SEGMENT REPORTING

In terms of "AS 17 - Segment reporting", issued by the Institute of Chartered Accountants of India is as follows:

(₹ करोड़ में)(₹ in crore)

क्र.सं. Sl. No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current year 31.03.2015	गत वर्ष Previous year 31.03.2014
क) a)	**प्रखंड राजस्व Segment Revenue**		
	i) ट्रेज़री परिचालन Treasury Operations	**4422.72**	4716.53
	ii) थोक बैंकिंग Wholesale Banking	**10702.74**	10032.85
	iii) खुदरा बैंकिंग Retail Banking	**5159.07**	4215.40
	iv) अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations	**745.97**	650.98
	कुल Total	**21030.50**	**19615.76**
ख) b)	**प्रखंड परिणाम Segment Results**		
	प्रत्येक प्रखंड से कर पूर्व और ब्याज पश्चात लाभ (+) हानि (–) Profit (+) Loss (-) before tax and after interest from each segment		
	i) ट्रेज़री परिचालन Treasury Operations	**768.51**	421.64
	ii) थोक बैंकिंग Wholesale Banking	**88.28**	493.04
	iii) खुदरा बैंकिंग Retail Banking	**828.19**	618.06
	iv) अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations	**–1217.86**	–1281.09
	कुल Total	**467.12**	251.65
ग) c)	**अनाबंटित व्यय Unallocated Expenses**	**0.00**	0.00
घ) d)	**परिचालन लाभ Operating Profit**	**467.12**	251.65
ङ) e)	**आय कर Income Tax**	**–105.75**	–316.84
च) f)	**असाधारण लाभ/हानि Extraordinary Profit/Loss**	**0.00**	0.00
छ) g)	**निवल लाभ Net Profit**	**572.87**	**568.49**
ज) h)	**अन्य सूचना Other Information**		
झ) i)	**प्रखंड आस्तियाँ Segment Assets**		
	i) ट्रेज़री परिचालन Treasury Operations	**54849.19**	57677.04
	ii) थोक बैंकिंग Wholesale Banking	**97921.81**	96721.58
	iii) खुदरा बैंकिंग Retail Banking	**47273.91**	40952.72
	iv) अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations	**23079.68**	24335.86
	v) अनाबंटित आस्तियाँ Unallocated Assets	**2894.67**	2367.32
	कुल आस्तियाँ Total Assets	**226019.26**	**222054.53**
ञ) j)	**प्रखंड देयताएँ Segment Liabilities**		
	i) ट्रेज़री परिचालन Treasury Operations	**51990.29**	54010.13
	ii) थोक बैंकिंग Wholesale Banking	**95555.25**	92631.05
	iii) खुदरा बैंकिंग Retail Banking	**45418.09**	39043.00
	iv) अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations	**21869.45**	22787.65
	v) अनाबंटित देयताएं Unallocated Liabilities	**701.71**	3497.59
	vi) पूँजी और आरक्षित निधियाँ Capital and Reserves	**10484.48**	10085.11
	कुल देयताएं Total Liabilities	**226019.26**	**222054.53**

3. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के साथ पठित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 18–संबंधित पार्टी प्रकटन के अनुपालन में संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित विवरण निम्नवत् हैं:

3. RELATED PARTY DISCLOSURE

In compliance with Accounting Standard 18 - Related Party Disclosures, issued by the Institute of Chartered Accountants of India read along with the Reserve Bank of India guidelines, the details pertaining to Related Party transactions are disclosed as under:

संबंधित पार्टियों का नाम एवं बैंक के साथ उनका संबंध Name of related parties and their relationship with the bank			
मुख्य प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel			
क्र. सं. Sr. No.	नाम Name	संबंध Relation	अदा की गई पारिश्रमिक राशि (₹ करोड़ में) Remuneration paid Amount (₹ in crore)
1	श्री एस. आर. बंसल Shri S.R. Bansal	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director	0.22
2	श्री अमर लाल दौलतानी (31.03.2015 तक) Shri Amar Lal Daultani (upto 31.03.2015)	कार्यपालक निदेशक Executive Director	0.22
3	श्री बिभाष कुमार श्रीवास्तव Shri Bibhas Kumar Srivastav	कार्यपालक निदेशक Executive Director	0.20
4	श्री ए. आई. जेम्स Shri A I James	कार्यपालक Executive	0.08
5	श्री एन. जयशंकरन Shri N. Jayasankaran	कार्यपालक Executive	0.02

एएस–18 के पैरा 9 के अनुसार अनुषंगी के साथ लेनदेन का प्रकटन नहीं किया गया है।
Transactions with subsidiary has not been disclosed in terms of Para 9 of AS-18

4. प्रति शेयर अर्जन

मूल: प्रति शेयर ₹6.84 (शेयरों का अंकित मूल्य कम करके प्रति शेयर ₹2.00 हुआ है। तदनुसार पिछले वर्ष के आंकडों को पुन: प्रस्तुत किया है)

मूल ईपीएस का परिकलन

4. EARNINGS PER SHARE

Basic: ₹6.84 per share (The face value of the share has been reduced to ₹2.00 per share. Accordingly, the previous year figures have been restated).

Calculation of Basic EPS

विवरण Particulars	2014-15	2013-14
ईक्विटी शेयरधारकों हेतु उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (₹ करोड़ में) Net profit after tax available for equity shareholders (₹in crore)	**572.87**	568.49
भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या (₹ करोड़ में) Weighted average number of equity shares (₹ in crore)	**83.77**	78.56
प्रति शेयर मूल अर्जन (₹) Basic Earnings per Share (₹)	**6.84**	7.24
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹) Nominal Value per Share (₹)	**2.00**	2.00

तनुकृत: लागू नहीं क्योंकि कोई तनुकृत संभाव्य ईक्विटी शेयर नहीं है।

Diluted: Not applicable as there are no dilutive potential equity shares.

5. पूंजी पर्याप्तता

पूँजी–भारित जोखिम आस्ति अनुपात (सीआरएआर) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार परिकलित किया गया है। बैंक के निर्धारण के अनुसार ये अनुपात निम्नवत् हैं:

5. CAPITAL ADEQUACY

The Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) has been worked out as per Reserve Bank of India guidelines. As per the Bank's assessment, the ratios are:

		यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015		यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	
		बेसल Basel III	बेसल Basel II	बेसल Basel III	बेसल Basel II
(क) सीआरएआर (a) CRAR	टियर I पूंजी Tier I Capital	**8.08%**	**8.32%**	8.17%	8.42%
(ख) सीआरएआर (b) CRAR	टियर II पूंजी Tier II Capital	**3.04%**	**3.54%**	3.51%	3.86%
(ग) सीआरएआर (c) CRAR	[टियर I + II पूंजी] [Tier I + II Capital]	**11.12%**	**11.86%**	11.68%	12.28%

6. स्थिर आस्तियाँ

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची- II की अधिसूचना के अनुसरण में, वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 01.04.2014 से निम्नवत लिखित परिवर्तनों को लागू किया गया:
   क. 31.03.2014 तक पालन की गई ह्रासमान मूल्य पद्धति की तुलना में सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया। (कंप्यूटर, एटीएम और पट्टाधृत सुधार के मामलों को छोडकर)।
   ख. तदनुसार, आस्तियों के उपयोगी जीवन का पुन: अनुमान लगाया गया और यथा 1अप्रैल, 2014 को अवशिष्ट आयु न होने वाली आस्तियों के लिए सामान्य निधियों के पक्ष में ₹32.04 करोड़ (आस्थगित कर का निवल) राशि समायोजित की गई। यथा 31.03.2014 को अवशिष्ट मूल्य होनेवाली आस्तियों के लिए प्रत्येक आस्ति के संबंध में ₹10/- के अवशिष्ट मूल्य को रखते हुए शेष उपयोगी आयु के लिए मूल्यह्रास का विस्तार किया गया।
   ग. यदि बैंक ने मूल्यह्रास की पुरानी पद्धति को जारी रखा होता तो, सामान्य निधियां ₹45.17 करोड़ अधिक होती, वित्त वर्ष 2014-15 हेतु बैंक का लाभ ₹3.68 करोड़ कम होता और स्थित आस्तियां 41.49 करोड़ अधिक होती।
2. परिसर में ₹12.30 करोड़ (गत वर्ष ₹12.30 करोड़) की लागत वाली परिसंपत्तियाँ भी शामिल हैं जिनके लिए पंजीकरण की औपचारिकताएं लंबित हैं।
3. स्थिर आस्तियों में पूँजीगत चालू कार्य-परिसर से संबंधित शून्य करोड़ (गत वर्ष 0.09 करोड़) शामिल है।
4. वर्ष 2014-15 के दौरान अर्जित सॉफ्टवेयरों की लागत ₹19.13 करोड़ (गत वर्ष ₹14.24 करोड़) है और वर्ष के दौरान परिशोधित राशि ₹14.66 करोड़ (गत वर्ष ₹14.15 करोड़) है।
5. ₹65.73 करोड़ (गत वर्ष ₹86.09 करोड़) हेतु पूँजीगत खाते पर निष्पादन हेतु लंबित संविदाएँ जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया।

7. कर्मचारी हितलाभ

7.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 15 के अनुसार बैंक द्वारा कर्मचारी हितलाभ हेतु लेखांकन किया गया है।

(क) तुलन-पत्र की तारीख को प्रयुक्त मुख्य बीमांकित धारणाएं:

6. FIXED ASSETS

1. Pursuant to the notification of Schedule II to the Companies Act, 2013, w.e.f. 01.04.2014, following changes have been effected during the Financial Year 2014-15.
   a. Depreciation has been provided on straight line method as compared to diminishing value method which was hitherto being followed up till 31.03.2014 (except in case of computers, ATMs and leasehold improvements).
   b. Accordingly, useful life of the assets has been re-estimated and an amount of ₹32.04 crore (net of deferred tax) has been adjusted against General Reserves for assets having no residual life as at 1st April 2014. For assets having residual value as on 31.03.2014, depreciation is being spread over the remaining useful life of the asset keeping a residual value of ₹10/- in respect of each asset.
   c. Had the Bank continued with the old method of charging depreciation, the General Reserve (Opening Balance) would have been higher by ₹45.17 crores and profit of the Bank for the year FY 2014-15 would have been lowered by ₹3.68 crores and Fixed Asset would have been higher by 41.49 crore.
2. Premises include properties costing ₹12.30 crore (previous year ₹12.30 crore) for which registration formalities are pending.
3. Fixed Assets include Nil (previous year 0.09 crore) in respect of Capital Work in Progress-Premises.
4. During the year 2014-15 cost of software acquired is ₹19.13 crore (previous year ₹14.24 crore) and the amount amortized during the year is ₹14.66 crore (previous year ₹14.15 crore).
5. Contracts pending execution on Capital account and not provided for is ₹65.73 crore (previous year ₹86.09 crore).

7. EMPLOYEE BENEFITS

7.1 The Bank has accounted for Employee Benefits as per Accounting Standard 15 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

(a) The Principal actuarial assumptions used as at the balance sheet date :

परिभाषित हितलाभ निधिक Defined benefits funded	पेंशन [निधिक] Pension [Funded]		ग्रैच्युटी [निधिक] Gratuity [Funded]		दीर्घावधि प्रतिपूरक हितलाभ [अनिधिक] Long Term compensated benefit [Unfunded]	
	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
बट्टा दर Discount Rate	**7.87%**	8.75%	**7.87%**	8.75%	**7.87%**	8.75%
वेतन वृद्धि Salaries increase	**5.50%**	5.50%	**5.50%**	5.50%	**5.50%**	5.50%
पेंशन वृद्धि Pension increase	**5.50%**	5.50%	–	–	–	–
एट्रीशन दर Attrition Rate	**1.61%**	1.69%	**2.27%**	4.24%	**2.27%**	4.24%
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ दर Expected Rate of Return on Plan Assets	**9.00%**	9.00%	**8.98%**	8.50%	–	–

(ख) परिभाषित हितलाभ दायित्व और योजना आस्तियों के वर्तमान मूल्य के आरंभिक एवं अंतिम शेष का समाधान निम्नवत् प्रस्तुत है:

(b) A reconciliation of Opening and Closing Balances of the present value of the defined benefit obligation and Plan assets is as under:

परिभाषित हितलाभ Defined benefits

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

दायित्व Obligations	पेंशन [निधिक] Pension [Funded]		ग्रैच्युटी [निधिक] Gratuity [Funded]		दीर्घावधि प्रतिपूरक हितलाभ [अनिधिक] Long Term compensated benefit [Unfunded]	
	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
आरंभिक शेष Opening Balance	2473.20	2,148.55	452.54	420.65	226.49	217.81
ब्याज लागत Interest Cost	190.53	184.63	33.80	35.17	16.73	18.15
चालू सेवा लागत Current Service Cost	72.23	71.34	45.60	48.84	27.64	22.16
विगत सेवा लागत – निर्धारित Past service cost-recognized	–	–	–	–	–	–
विगत सेवा लागत – अनिर्धारित Past service cost- unrecognized	–	–	–	–	–	–
विगत सेवा लागत – परिशोधन हेतु अपात्र Past service cost – Not eligible for amortization	–	–	–	–	–	–
प्रदत्त हितलाभ Benefit Paid	–104.45	–77.00	–46.18	–37.38	–27.81	-20.63
दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि Actuarial (Gain) / Loss on obligation	148.08	145.68	–20.73	–14.74	–6.49	–11.00
अंतिम शेष Closing Balance	2,779.59	2,473.20	465.03	452.54	236.56	226.49

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

योजना आस्तियाँ Plan Assets	पेंशन [निधिक] Pension [Funded]		ग्रैच्युटी [निधिक] Gratuity [Funded]	
	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
अप्रैल को योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of plan assets as on April	2443.92	2,173.02	439.95	439.90
योजना आस्ति अंशदानों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ Expected Return on Plan Assets Contributions	226.05	214.88	37.20	36.45
नियोक्ता अंशदान Employer Contribution	182.01	188.42	29.58	15.00

योजना आस्तियाँ Plan Assets	पेंशन [निधिक] Pension [Funded]		ग्रैच्युटी [निधिक] Gratuity [Funded]	
	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
दूसरे न्यास और सदस्यों से अंतरण Transfer from other trust and members	–	–	–	–
प्रदत्त हितलाभ Benefits Paid	(104.45)	(77.00)	(46.18)	(37.39)
बीमांकिक लाभ / (–)) हानि Actuarial gain / (–) loss	61.96	(55.40)	18.30	(14.00)
मार्च को योजना आस्तियों का अंकित मूल्य Fair Value of plan assets as on March	2809.49	2,443.92	478.85	439.95

(ग) लाभ एवं हानि विवरण में निर्धारित कुल व्ययः (c) Total Expenses recognized in the Profit and Loss Account :

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

परिभाषित हितलाभ Defined benefits	पेंशन [निधिक] Pension [Funded]		ग्रैच्युटी [निधिक] Gratuity [Funded]		दीर्घावधि प्रतिपूरक हितलाभ [अनिधिक] Long Term compensated benefit [Unfunded]	
	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
चालू सेवा लागत Current Service Cost	**72.23**	71.34	**45.60**	48.85	**27.64**	22.16
ब्याज लागत Interest Cost	**190.53**	184.63	**33.80**	35.17	**16.73**	18.15
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ Expected return on plan assets	**(226.05)**	(214.88)	**(37.20)**	(36.45)	**0.00**	0.00
अवधि के दौरान निर्धारित निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि Net Actuarial (Gain) / Loss recognized in the period	**86.12**	201.10	**(39.04)**	(0.73)	**(6.49)**	(11.00)
विगत सेवा लागत – निर्धारित Past service cost-recognized	**110.49**	110.51	**–**	–	**–**	–
विगत सेवा लागत – परिशोधन हेतु अपात्र Past service cost-Not eligible for amortization	**–**	–	**–**	–	**–**	–
लाभ एवं हानि विवरण में निर्धारित व्यय Expenses recognized in the statement of Profit and Loss	**233.32**	352.70	**3.16**	46.84	**37.88**	29.31

घ. योजना आस्तियों का संघटनः d. The Compositions of Plan Assets:

(प्रतिशत में) (in percentage)

	पेंशन [निधिक] Pension [Funded]		ग्रैच्युटी [निधिक] Gratuity [Funded]	
	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	30.24	32.08	0.00	54.14
उच्च गुणवत्ता सरकारी बॉंड High Quality Corporate Bonds	9.15	11.31	20.98	21.49
विशेष जमाराशियाँ Special deposits	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य (पीएसयू) Other (PSU)	10.48	13.68	8.15	11.42
बीमा योजनाओं के अंतर्गत आस्तियाँ Assets under Insurance Schemes	50.13	42.93	70.87	12.95
कुल Total	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

ङ. परिभाषित हितलाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य, योजना आस्तियों का उचित मूल्य, अधिशेष/कमी तथा चालू एवं गत वर्ष के लिए अनुभव समायोजन निम्नानुसार है:

e. The present value of defined benefits obligations, the fair value of plan assets, Surplus/ Deficits and experience adjustments for the current and previous year are as under:

(₹ करोड़ में)(₹ in Crore)

पेंशन Pension	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
दायित्व का वर्तमान मूल्य PV of obligation	**2779.59**	2473.20
योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets	**2809.49**	2333.43
(अधिशेष)/कमी (Surplus) /Deficits	**(29.90)**	139.77
अपरिशोधित देयता Un-amortized Liability	**0.00**	110.49
(अधिशेष)/कमी [अपरिशोधित देयता का निवल] (Surplus) / Deficits [Net of Un-amortized Liability]	**(29.90)**	29.28
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ Experience Adjustment on Plan Liabilities (Loss)/Gain	**148.08**	145.68
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ Experience Adjustment on Plan Assets (Loss)/Gain	**61.96**	(55.40)

(₹ करोड़ में)(₹ in Crore)

ग्रैच्युटी Gratuity	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
दायित्व का वर्तमान मूल्य PV of obligation	**465.03**	452.54
योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets	**478.85**	439.95
(अधिशेष)/कमी (Surplus) / Deficits	**(13.82)**	12.59
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ Experience Adjustment on Plan Liabilities (Loss)/ Gain	**(20.73)**	(14.74)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ Experience Adjustment on Plan Assets (Loss)/ Gain	**18.30**	(14.00)

(₹ करोड़ में)(₹ in Crore)

दीर्घावधि प्रतिपूरक हितलाभ – अनिधिक Long Term compensated benefit – Unfunded	यथा 31 मार्च, 2015 As at 31st March, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014
दायित्व का वर्तमान मूल्य PV of obligation	**236.56**	226.49
योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets	**0.00**	0.00
(अधिशेष)/कमी (Surplus) / Deficits	**236.56**	226.49
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन Experience Adjustment on Plan Liabilities	**(6.49)**	(11.00)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन Experience Adjustment on Plan assets	**0.00**	0.00

7.2 भा.रि.बैं. परिपत्र सं डीबीओडी.बीपी.बीसी/80/21.04.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी, 2011 के अनुसार ₹338.67 करोड़ के उपलब्ध पेंशन निधि शेष को हिसाब में लेने के बाद ₹552.53 करोड़ की निवल वृद्धिशील देयता को 2010-11 से लेकर पाँच वर्षों की अवधि में परिशोधित किया गया है। तदनुसार ₹110.49 करोड़ (₹552.53 करोड़ का एक बटा पाँचवाँ भाग) 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ-हानि लेखे को प्रभारित किया गया है। सेवारत कर्मचारियों से संबंधित ₹ शून्य की निवल देयता पूर्वोक्त परिपत्र की अपेक्षाओं के अनुसार आगे ले जाई जा रही है।

7.2 In terms of RBI Circular No: DBOD. BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated 9th February, 2011, after reckoning the available pension fund balance of ₹338.67 Crore, the net incremental liability of ₹552.53 Crore has been amortized over a period of five years starting from 2010-11. Accordingly a sum of ₹110.49 Crore (representing one-fifth of ₹552.53 Crore) has been charged to the Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2015. The net liability relating to serving employees being carried forward in terms of the requirements of the aforesaid circular amounts to ₹Nil.

7.3 01 नवंबर, 2012 से प्रभावी प्रस्तावित वेतन संशोधन पर समझौता होने तक चालू वर्ष के दौरान ₹198.00 करोड़ का तदर्थ प्रावधान किया गया है। 31 मार्च, 2015 को इस खाते में धारित कुल प्रावधान ₹316.00 करोड़ है।

7.3 Pending settlement of the proposed wage revision of employees effective from 01st November, 2012, an adhoc provision of ₹198.00 Crore has been made during the current year. The total provision held on this account as at 31st March, 2015 is ₹316.00 Crore.

8. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

क) प्रावधान:

8. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

a) Provisions:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

	प्रावधान की प्रकृति Nature of Provision	प्रारंभिक शेष Opening Balance	वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान Additional Provision made during the year	वर्ष के दौरान प्रयोग किए गए प्रावधान Provision used during the year	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित प्रावधान Provision Reversed during the year	अंतिम शेष Closing Balance
i.	गै.नि.आ. हेतु किए गए प्रावधान Provision made towards NPAs	1,551.11	1,969.04	779.05	133.95	2,607.15
ii.	निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (गै.नि.आ. प्रावधान सहित) Provision for Depreciation on Investment (including NPA provision)	459.39	–	130.36	219.34	109.69
iii.	आय कर/संपत्ति कर हेतु प्रावधान Provision made towards Income Tax / Wealth Tax	1,032.49	288.48	601.46	162.66	556.85
iv.	सभी अन्य * All other *	1,911.99	738.10	–	1.68	2648.41

* इसमें कर्ज के रूप में स्वीकार न किये गये बैंक के विरुद्ध दावों हेतु प्रावधान, कपटपूर्ण लेन-देनों हेतु प्रावधान तथा अन्य विविध लेनदेन शामिल हैं।

* This includes provision for claims against the Bank not acknowledged as debt, provision towards fraudulent transactions and other miscellaneous transactions.

ख) आकस्मिक देयता:

b) Contingent Liability :

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

i) कर्ज के रूप में स्वीकार न किये गये बैंक के विरुद्ध दावे:
i) Claims against the Bank not acknowledged as debts:

विवरण Particulars	दावों की सं No. of Claim	सकल दावे Gross Claim	निवल दावे Net Claim
01.04.2014 को बकाया कुल दावे Total Claims outstanding as on 01.04.2014	**111**	**596.74**	**587.83**
घटाएं: 01.04.2014 से 31.03.2015 तक की अवधि के दौरान हटाए/संशोधित दावे Less: Claims deleted/revised during the period from 01.04.2014 to 31.03.2015	30	71.76	69.57
जोड़ें : 01.04.2014 से 31.03.2015 तक की अवधि के दौरान जोड़े नए दावे Add : New Claims added during the period from 01.04.2014 to 31.03.2015	15	1329.05	1328.54
31.03.2015 को बकाया कुल दावे Total Claims outstanding as on 31.03.2015	**96**	**1854.03**	**1846.80**

31 मार्च, 2015 को बकाया दावों का विषयवार वर्गीकरण:

Subject wise classification of the claims outstanding as on 31st March, 2015:

(₹ करोड़ में)(₹ in Crore)

विवरण Particulars	दावों की सं. No. of Claims	सकल दावे Gross Claim	निवल दावे Net Claim
बैंक गारंटी Bank Guarantee	2	0.16	0.01
चेक /माँग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश आदि की उगाही Cheques/DD/PO etc., collection	12	0.95	0.39
ऋण संविभाग Credit Portfolio	17	1.22	0.84
जमा संविभाग Deposits Portfolio	5	0.50	0.14
सतर्कता Vigilance	21	6.22	1.72
विविध [आय कर व ब्याज कर माँगों से संबंधित दावों सहित]# Miscellaneous [including claims on account of Income Tax & Demands] #	39	1844.98	1843.70
योग Total*	**96**	**1854.03**	**1846.80**

* शुरुआत से लेकर जहाँ लागू हो दावों पर ब्याज को छोड़कर

* Excluding interest on claims, wherever applicable, since inception.

#आकस्मिक देयताओं में ₹1810.91 करोड़ (गत वर्ष ₹550.74 करोड़) का विवादित आय कर तथा ब्याज शामिल है। वित्त वर्ष 2013-14 हेतु, ₹1236.67 करोड़ की मांग के पक्ष में बैंक ने केवल ₹441.12 करोड का प्रतिवाद के तहत भुगतान किया और वित्त वर्ष 2008-09 हेतु, ₹164.37 करोड़ की मांग के पक्ष में बैंक ने केवल ₹88.82 करोड़ का प्रतिवाद के तहत भुगतान किया।

Contingent Liabilities includes disputed Income tax and interest of ₹1810.91 Crore (Previous year ₹550.74 Crore). For AY 2013-14, against total demand of ₹1236.67 crore, Bank has paid only ₹441.12 crore under protest and for AY 2008-09, against total demand of ₹164.37 crore, Bank has paid only ₹88.82 crore under protest.

9. पुनर्संरचित खाते:

पुनर्संरचित ऋणों के मामले में - मानक आस्तियों, अग्रिमों का वर्गीकरण, आय निर्धारण और उसपर प्रावधान सीडीआर के अंतर्गत की गई पुनर्संरचना में दी गई मुख्य शर्तों/भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के व्यापक अनुपालन के आधार पर किया गया है।

9. RESTRUCTURED ACCOUNTS

In case of Restructured Loans- Standard Assets, Classification of Advances, Income Recognition and provisioning thereon have been done, based on substantial compliance of major conditions contained in restructuring undertaken under CDR/RBI guidelines.

10. जहाँ आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकडों को वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप बनाने के लिए पुनःवर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

10. Previous year's figures have been regrouped/rearranged wherever necessary in order to confirm with the current year presentation.

(एस.आर. बंसल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(बी. के. श्रीवास्तव)
कार्यपालक निदेशक

(प्रद्युम्न के. जेना)
निदेशक

(एकनाथ बालिगा)
निदेशक

(आदीश कुमार जैन)
निदेशक

(बी. वेंकट भास्कर)
निदेशक

(चित्रा गौरी लाल)
निदेशक

(रमेश कुमार भट्)
निदेशक

(पी. परमशिवम)
महा प्रबंधक

(एच. राजभूषण)
उप-महा प्रबंधक

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी.के.रामध्यानी एण्ड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकारFRN-002878S/S200021
[सीए सी. आर. दीपक]
एम.नं. 215398
साझेदार

कृते नृपेंन्द्र एण्ड कं
सनदी लेखाकार FRN-000379C
[सीए प्रदीप कुमार गुप्ता]
एम. नं. 070855
साझेदार

कृते जीएमजे एण्ड कं.
सनदी लेखाकार FRN-103429W
[सीए अतुल जैन]
एम. नं. 037097
साझेदार

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार FRN-001997S
[सीए मुरली मोहन भट्]
एम. नं. 203592
साझेदार

कृते एम. आनंदम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार FRN-000125S
[सीए ए. वी. सदाशिव]
एम. नं. 018404
साझेदार

स्थान : मंगलूरु
दिनांक : 16 मई, 2015

[S. R. Bansal]
Chairman & Managing Director

[B. K. Srivastav]
Executive Director

[Pradyumna K. Jena]
Director

[Ekanath Baliga]
Director

[Adish Kumar Jain]
Director

[B. Venkata Bhaskar]
Director

[Chitra Gouri Lal]
Director

[Ramesh Kumar Bhat]
Director

[P. Paramasivam]
General Manager

[H. Rajbhooshan]
Dy. Gen. Manager

As per our Report of even date

for B. K. Ramadhyani & Co. LLP
Chartered Accountants FRN-002878S/S200021
[CA C. R. Deepak]
M. No. 215398
Partner

for Nripendra & Co.
Chartered Accountants FRN-000379C
[CA Pradeep Kumar Gupta]
M. No. 070855
Partner

for GMJ & Co.
Chartered Accountants FRN-103429W
[CA Atul Jain]
M. No. 037097
Partner

for Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants FRN-001997S
[CA Murali Mohan Bhat]
M. No. 203592
Partner

for M. Anandam & Co.
Chartered Accountants FRN-000125S
[CA A.V. Sadasiva]
M. No. 018404
Partner

Place : Mangaluru
Date : 16th May, 2015

कार्पोरेशन बैंक CORPORATION BANK

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण

Consolidated Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2015

(₹ in '000 में)

विवरण PARTICULARS	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2015 चालू वर्ष Current Year	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2014 गत वर्ष Previous Year
क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
A CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
कर उपरांत निवल लाभ Net Profit after Tax	**5,728,729**	5,684,859
जोड़ें: कर हेतु प्रावधान Add: Provision for Tax	**(1,057,505)**	(3,168,362)
कर पूर्व निवल लाभ Net Profit before Tax	**4,671,224**	2,516,497
i निम्न हेतु समायोजन Adjustment for :		
स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on Fixed Assets	**1,228,261**	1,132,461
निवेशों पर मूल्यह्रास Depreciation on Investments	**(2,193,450)**	5,373,219
एनपीए हेतु मूल्यह्रास Provision for NPAs	**18,350,866**	14,381,114
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान Provision for Standard Assets	**1,390,000**	2,240,000
टियर I और टियर II बाँडों पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on Tier I & Tier II Bonds	**4,820,190**	4,753,750
आकस्मिकताओं और अन्य हेतु प्रावधान Provision for Contingencies and Others	**4,570,277**	3,589,456
बट्टा खाता लिखा गया विविध शेष Sundry Bal.Written off	**–**	–
स्थिर आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि (Profit)/Loss on Sale of Fixed Assets	**65**	3,403
प्राप्त ब्याज/लाभांश Interest/Dividend Received	**(10,020)**	(8,817)
अनुषंगियों और सहयोगियों से लाभांश आदि द्वारा अर्जित आय Income earned by way of Dividend etc. from Subsidiaries and Associates	**(29,741)**	–
प्रत्यक्ष कर (प्रदत्त)/वापस किया गया (कार्प बैंक द्वारा) Direct Taxes (paid)/Refund [by Corp Bank)	**(7,978,684)**	(1,029,760)
प्रत्यक्ष कर (प्रदत्त)/वापस किया गया (कार्प सिक्यूरिटिज द्वारा) Direct Taxes (paid)/Refund [by Corp Securities)	**(19,822)**	(20,307)
ब्याज पूँजीकरण हेतु प्रावधान Provision for Interest Capitalisation	**3,402,200**	2,393,300
परिचालन आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन से पहले नकदी प्रवाह Cash Flow before change in Operating Assets and Liabilities	**28,201,366**	35,324,316
ii निम्न हेतु समायोजन Adjustment for:		
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Deposits	**59,868,537**	273,571,901
उधार में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Borrowings	**(31,065,413)**	1,225,990
अन्य देयताओं एवं प्रावधान में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in other liabilities & provisions	**(23,542,622)**	(16,056,075)
निवेशों में वृद्धि/(कमी) (Increase)/Decrease in Investments	**27,789,460**	(80,267,451)
अग्रिमों में वृद्धि/(कमी) (Increase)/Decrease in Advances	**(79,797,364)**	(183,696,537)
अन्य आस्तियों में वृद्धि/(कमी) (Increase)/Decrease in Other Assets	**5,938,336**	(5,070,138)
बट्टे खाते लिखने/अंतरित करने के लिए आरक्षित निधियों में/से समायोजन Adjustments to/from Reserves for Write Off/trf	**(320,367)**	(3,644,608)
परिचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क) NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES [A]	**(12,928,067)**	21,387,397

(₹ in '000 में)

विवरण PARTICULARS	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2015 चालू वर्ष Current Year	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2014 पिछला वर्ष Previous Year
ख. निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह		
B CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
स्थिर आस्तियों की बिक्री/निपटान Sale/Disposal of Fixed Assets	**(583,874)**	(114,225)
बिक्री आस्तियों की खरीद/Purchase of Fixed Assets	**(1,255,415)**	(1,242,288)
अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम/सहयोगियों में अतिरिक्त निवेश Additional Investment in Subsidiary/Joint Ventures/Associates	**–**	–
प्राप्त ब्याज/लाभांश Interest/Dividend Received	**14,682**	10,078
अनुषंगियों और सहयोगियों में लाभांश आदि द्वारा अर्जित आय Income earned by way of Dividend etc. from Subsidiaries and Associates	**–**	–
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ख) NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES [B]	**(1,824,607)**	(1,346,435)
ग. वित्तीयन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह		
C CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
शेयर पूँजी के निर्गमन से आगम Proceeds from Issuance of Share Capital	**–**	146,275
शेयर प्रीमियम से आगम Proceeds from Share Premium	**–**	4,353,725
टियर I और टियर II बाँडों से आगम Proceeds of Tier I & Tier II Bonds	**5,000,000**	–
टियर I और टियर II बाँडों का प्रतिदान Redemption of Tier I & Tier II Bonds	**–**	–
टियर I और टियर II बाँडों पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on Tier I & Tier II Bonds	**(4,820,190)**	(4,753,750)
प्रदत्त लाभांश (अंतरिम व अंतिम) Dividend (Interim & Final) paid	**(376,976)**	(2,905,374)
प्रदत्त लाभांश (अंतरिम) Dividend (Interim) paid	**–**	(882,077)
प्रदत्त लाभांश संवितरण कर Dividend Distribution Tax paid	**(51,321)**	(442,784)
वित्तीयन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ग) NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES [C]	**(248,487)**	(4,483,986)
घ. नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी))(क+ख+ग) या (च–ङ)		
D NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS [A+B+C] or [F-E]	**(15,001,161)**	15,556,976
ङ. वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		
E CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
नकदी और भा.रि.बैं. के पास बैंक शेष Cash and Bank Balance with RBI	**137,402,079**	88,478,458
बैंक के पास शेष राशियाँ और माँग पर और अल्प सूचना पर धन Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	**4,988,130**	38,354,775
वर्ष के प्रारंभ में निवल नकदी और नकदी समतुल्य (ङ) NET CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR [E]	**142,390,209**	126,833,233
च. वर्ष के अंत में निवल नकदी और नकदी समतुल्य		
F CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
नकदी और भा.रि.बैं. के पास बैंक शेष Cash and Bank Balance with RBI	**101,489,342**	137,402,079
बैंक के पास शेष राशियाँ और माँग पर और अल्प सूचना पर धन Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	**25,899,706**	4,988,130
वर्ष के अंत में निवल नकदी और नकदी समतुल्य (च) NET CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR [F]	**127,389,048**	142,390,209

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लिमिटेड के सदस्यगण को

1. वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने **कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लिमिटेड** ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है जिनमें 31, मार्च 2015 तक की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु लाभ-हानि लेखे और नकदी प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों के सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं।

2. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन-वर्ग का उत्तरदायित्व

वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में संदर्भित लेखा मानकों के अनुसार भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों सहित अधिनियम की धारा 133, नियम सहित कंपनी (खाता) नियम, 2014 के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और कंपनी की नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के निदेशक मंडल का है ।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधडियों व अन्य अनियमितताओं को पता लगाने और रोकने के लिए, उचित लेखांकन नीति का चयन उपयोग, अधिनियम के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों का रख-रखाव; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और उपयोग, सही एवं उचित आकलन एवं निर्णय; लेखांकन रिकार्ड की शुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का निरूपण, कार्यान्यवन और अनुरक्षण शामिल है, जो वित्तीय विवरणों को कपट या त्रुटि, तात्विक अयथार्थ से मुक्त सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाते हुए बनाने एवं प्रस्तुति हेतु उपयोगी है।

3. लेखा-परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपना अभिमत व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों और लेखा परीक्षा रिपोर्टों में शामिल करने हेतु जरूरी विषयों को ध्यान में रखा है।

हमने लेखापरीक्षा 143(10) अधिनियम के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानको के अनुसार की है। उन मानकों की यह अपेक्षा होती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु योजना बनाकर लेखा परीक्षा का कार्य संपन्न करें कि वित्तीय तात्विक अयथार्थ विवरणों से मुक्त हैं।

किसी लेखा परीक्षा में, वित्तीय विवरणों में व्यक्त धनराशियों और प्रकटनों के समर्थक साक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चुनी जाने वाली प्रक्रियाएं लेखा-परीक्षक का विवेक, जिसमें चाहे कपट के कारण हो या त्रुटिवश, वित्तीय

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of CORPBANK SECURITIES LIMITED

1. Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying standalone financial statements of **CORPBANK SECURITIES LIMITED** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31 March, 2015, the Statement of Profit and Loss, and Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

2. Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

3. Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provision of the Act and the Rules made thereunder.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material

विवरणों के तात्विक अयथार्थों के जोखिमों का आकलन शामिल है, पर निर्भर करती हैं। जोखिम का यह आकलन करने में, लेखा-परीक्षक, परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं को निरूपित करने के उद्देश्य से वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं उचित प्रस्तुति के लिए ज़रूरी आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं। लेकिन वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और यह प्रभावी भी है। इस पर विचार प्रकट करना इसका उद्देश्य नहीं है। किसी लेखा परीक्षा में कंपनी निदेशकों द्वारा प्रयुक्त लेखा-नीतियों की उपयुक्तता तथा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों की युक्तियुक्तता का आकलन और साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा साक्ष्य हमारे लेखा-परीक्षा अभिमत हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

4. अभिमत

हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना अपेक्षित तरीके से देते हैं और 31 मार्च, 2015 को कंपनी की कारोबारी स्थिति और लाभ और नकदी प्रवाह उस तारीख को समाप्त वर्ष के आधार पर भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुरूप सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं।

5. अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (II) के अनुसार भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2015 द्वारा अपेक्षितानुसार हम उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण अनुबंध में संलग्न करते हैं।
2. अधिनियम धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (i) हमने सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास में हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;

   (ii) हमारी राय में जहाँ तक उक्त बहियों की जाँच से प्रतीत होता है, कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षितानुसार उचित लेखा बहियाँ रखी हैं;

   (iii) उक्त रिपोर्ट में समाहित तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी की लेखा बहियों से मेल खाते हैं;

   (iv) हमारी राय में, उपरोक्त दिए गए वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 कंपनी नियम 2014, नियम 7 सहित संदर्भित लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।

   (v) 31 मार्च, 2015 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों तथा निदेशक मंडल द्वारा अभिलिखित किए जाने के आधार पर अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार किसी भी निदेशक को 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Company has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidences we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

4. Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2015 and its profit and its cash flows for the year ended on that date.

5. Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by The Companies (Auditor's Report) Order, 2015 (the Order) issued by the Central Government of India in terms of Sub-section (11) of Section 143 of the Act, we give in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the said order.
2. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
   (a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
   (b) in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books;
   (c) the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss, and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;
   (d) in our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014;
   (e) on the basis of written representations received from the directors as on 31st March, 2015 and taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31st March, 2015 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act.

(vi) कंपनी नियम (लेखा परीक्षा तथा लेखापरीक्षक), 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अन्य मामलों को शामिल करने के संबंध में, हमारे विचार और हमारी सूचना के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार;

i) कंपनी में किसी भी प्रकार का लंबित मुकदमा नहीं है जो वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।

ii) कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदा सहित कोई भी दीर्घ कालीन संविदा नहीं है जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की आर्थिक हानि की संभावना नहीं है।

iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और सरंक्षण निधि में अंतरण करने हेतु कोई रकम नहीं है।

कृते
आर.सी. रेशमवाला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 108832W

रजनीकांत सी. रेशमवाला
साझेदार
सदस्यता सं. 005502
स्थानः मुंबई
दिनांकः 7 मई, 2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लिमिटेड के सदस्यगण को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट" शीर्षक वाले पैरा में संदर्भित अनुबंध।

ऐसी जाँच जो हमने उचित समझी, के आधार पर तथा हमें प्रस्तुत सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम विवरण देते हैं किः

1. (क) कंपनी परिमाणात्मक विवरण और स्थिर आस्तियों की स्थिति सहित पूर्ण ब्योरे दर्शाने वाले उचित अभिलेख रख रही है।

(ख) जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया, कंपनी की स्थिर आस्तियों का प्रबंधन-वर्ग द्वारा वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है जो हमारी राय में कंपनी के आकार और उसकी प्रकृति को देखते हुए संगत है। बही अभिलेखों और प्रत्यक्ष सत्यापन में कोई विसंगति नहीं देखी गई।

2. (क) व (ख) कंपनी जमा प्रमाणपत्रों में संव्यवहार करती है जो डीमैट रूप में हैं। तदनुसार, प्रत्यक्ष सत्यापन का सवाल नहीं उठता और आदेश का खंड 4(ii) (क) व (ख) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(ग) इन्वेंटरी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर हमारी राय है कि कंपनी इन्वेंटरी का उचित अभिलेख रख रही है।

3. जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया, कंपनी के निदेशक कार्पोरेशन बैंक के नामिती हैं और अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत संबंधित या हितबद्ध नहीं माना जाना है। वर्ष के दौरान कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के

(f) with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i) the Company does not have any pending litigations which would impact its financial position.

ii) the Company did not have any long term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

iii) there were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection fund by the Company.

For and on behalf of
R. C. Reshamwala & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 108832W

Rajanikanth C. Reshamwala
Partner
Membership No.: 005502

Place: Mumbai
Date: 7th May, 2015

Annexure referred to in Paragraph titled as "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" of Auditor's Report to the members of CORPBANK SECURITIES LIMITED for the year ended 31st March, 2015.

On the basis of such checks as we considered appropriate, and in terms of information and explanation given to us, we state that:

1. (a) The company has maintained proper records, showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets.

(b) As explained to us, the fixed assets have been physically verified by the management during the year which in our opinion is reasonable considering the size and nature of its business. No discrepancies were noticed between the book records and the physical verification.

2. (a)&(b) The company is dealing in certificate of deposits which are in dematerialized form. Accordingly the question of physical verification of such certificate of deposits does not arise. Accordingly the Clause 4 (ii) (a) & (b) of the Order is not applicable to the Company.

(c) On the basis of our examination of the records of inventories, we are of the opinion that the Company is maintaining proper records of inventories.

3. As explained to us the directors of the Company are nominees of the Corporation Bank and not be regarded as concerned or interested under Section 189 of the Act. During the year, the Company has nor granted

अंतर्गत रखे रजिस्टर में समाविष्ट पार्टियों को प्रतिभूत या अप्रतिभूत कोई ऋण नहीं दिया है । तदनुसार, आदेश का खंड 4 (iii) (क) से (ग) कंपनी को लागू नहीं है।

4. हमारी राय में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार इन्वेंटरी एवं स्थिर आस्तियों की खरीद तथा सेवाओं की बिक्री हेतु कंपनी के आकार और अपने कारोबार के स्वरूप के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं हैं। लेखा-परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में प्रमुख कमज़ोरियों को सुधारने में कोई निरंतर असफलता हमने नहीं देखी है।

5. कंपनी ने वर्ष के दौरान जनसाधारण से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है। तदनुसार, आदेश का खंड 4 (v) कंपनी को लागू नहीं है।

6. केन्द्र सरकार ने कंपनी के किसी उत्पाद हेतु कंपनी अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत अभिलेख रखने संबंधी निर्धारण नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 4(vi) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

7. (क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा जाँचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, सीमा-शुल्क, संपत्ति कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, उपकर और उसे लागू अन्य सांविधिक देयताओं सहित अविवादित सांविधिक देयताएं उपयुक्त प्राधिकारियों को जमा करने में सामान्यतः नियमित है। वित्त वर्ष के अंतिमदिन को बकाया सांविधिक देयताएँ देय होने की तारीख से छह माह से अधिक अवधि से बकाया नहीं है।

   (ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा जाँचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, वेतन से स्रोत पर काटे गए ₹48,500 के विवादित सांविधिक देय को छोड़कर, जो हमें दी गई सूचना के अनुसार माननीय केरल के उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश के आधार पर जमा नहीं किया गया है, बिक्री कर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क या उप-कर की ऐसी कोई देयताएं नहीं हैं जो किसी विवाद के कारण जमा न की गई हों।

   (ग) अधिनियम के संगत प्रावधानों तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में किसी राशि का अंतरण अपेक्षित नहीं है।

8. वित्त वर्ष के अंत में कंपनी की कोई संचित हानि नहीं है और उसे चालू और तत्काल पूर्व वित्त वर्ष में कोई नकदी हानि नहीं हुई है। तदनुसार, आदेश का खंड 4(viii) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

9. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंक, वित्तीय संस्थाओं से या डिबेंचर धारकों से कोई ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश का खंड 4(ix) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

any loans, secured or unsecured to parties covered in the register maintained under Section 189 of the Act, Accordingly, Clause 4 (iii) (a) to (c) of the Order is not applicable to the Company.

4. In our opinion and according to the explanations given to us, there are adequate internal control procedures commensurate with the size of the Company and the nature of its business for the purchase of inventory and fixed assets and for the sale of services. During the course of the audit we have not observed any continuing failure to correct major weaknesses in internal control.

5. The Company has not accepted deposits from the public. Accordingly, Clause 4(v) of the order is not applicable to the Company.

6. The Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under Section 148 (1) of the Act for any of the products of the Company. Accordingly Clause 4 (vi) of the Order is not applicable to the Company.

7. (a) According to the information and explanations given to us and according to the records of the Company examined by us, in our opinion, the Company is regular in depositing with the appropriate authorities undisputed statutory dues including Provident Fund, Investor Education and Protection Fund, Employees, State Insurance, Income-tax, Sales-tax, Wealth Tax, Service Tax, Custom Duty, Excise Duty, Cess and any other statutory dues, wherever applicable. There are no arrears of outstanding statutory dues at the last day of the financial year for a period of more than six months from the date they became payable.

   (b) According to the information and explanations given to us, and the records of the Company examined by us, there are no dues of Sales-tax, Custom Duty, Wealth Tax, Service Tax, Excise Duty, Cess, which have not been deposited on account of dispute except one disputed statutory due of Tax deducted at source on salary of ₹48,500/- which as per the information provided to us has not been deposited on stay order issued by the Honourable High Court of Kerala.

   (c) There are no amount required to be transferred to investor education and protection fund in accordance with the relevant provisions of the Act and rules made there under.

8. The Company does not have accumulated losses at the end of the financial year and it has not incurred any cash losses in the current and immediately preceding financial year. Accordingly Clause 4 (viii) of the Order is not applicable to the Company.

9. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not taken any loans from bank, financial institutions or debenture holders. Accordingly Clause 4(ix) of the Order is not applicable to the Company.

10. हमें दी गई सूचना के अनुसार, कंपनी ने दूसरों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों हेतु कोई गारंटी नहीं दी है। तदनुसार, आदेश का खंड 4(x) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

11. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई मीयादी ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश का खंड 4(xi) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

12. की गई लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन-वर्ग द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान कंपनी पर या कंपनी द्वारा कोई कपट नहीं देखा गया या रिपोर्ट किया गया।

कृते
आर.सी. रेशमवाला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 108832W

रजनीकांत सी. रेशमवाला
साझेदार
सदस्यता सं. 005502

स्थानः मुंबई
दिनांकः 7 मई, 2015

10. As informed to us, the Company has not given any guarantees for any loans taken by others from banks or financial institutions. Accordingly Clause 4(x) of the Order is not applicable to the company.

11. The company has not raised any term loan during the year. Accordingly Clause 4 (xi) of the Order is not applicable to the Company.

12. Based upon the audit procedures performed and information and explanations given by the management, we report no fraud on or by the Company has been noticed or reported during the course of our audit for the year ended 31st March, 2015.

For and on behalf of
R. C. Reshamwala & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 108832W

Rajanikanth C. Reshamwala
Partner
Membership No.: 005502

Place: Mumbai
Date: 7th May, 2015

कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लि. Corpbank Securities Ltd.

31 मार्च, 2015 की स्थिति का तुलन–पत्र BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2015

(₹ हज़ारों में/₹ in thousands)

विवरण Particulars	टिप्पणी सं. Note No.	यथा As on 31st March, 2015	यथा As on 31st March, 2014
I. ईक्विटी एवं देयताएं EQUITY AND LIABILITIES			
1) शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's funds			
क a) शेयर पूँजी Share Capital	2	**750,000**	750,000
ख b) आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष Reserves & Surplus	3	**292,282**	348,104
2) चालू देयताएं Current liabilities			
क a) व्यापार देनदारियाँ Trade payables	4	**516**	109
ख b) अन्य चालू देयताएं Other current liabilities	5	**49**	48
ग c) अल्पावधि प्रावधान Short - Term Provisions	6	**–**	87,746
कुल TOTAL		**1,042,847**	1,186,007
II. आस्तियाँ ASSETS			
1) गैर–चालू आस्तियाँ Non - Current Assets			
क a) स्थिर आस्तियाँ Fixed Assets	7		
मूर्त आस्तियाँ Tangible Assets		**140**	211
अमूर्त आस्तियाँ Intangible Assets		**4**	13
ख b) गैर–चालू निवेश Non - Current Investment	8	**5,000**	5,000
ग c) आस्थगित कर आस्तियाँ Deferred tax assets	9	**103**	99
घ d) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम Long - term loans and advances	10	**54,561**	66,487
2) चालू आस्तियाँ Current Assets			
क a) इनवेंटरी Inventories	11	**933,985**	730,330
ख b) नकदी एवं बैंक शेषराशि Cash & Bank Balances	12	**30,085**	370,542
ग c) अल्पावधि–ऋण एवं अग्रिम Short Term-Loans and Advances	13	**3,349**	2,181
घ d) अन्य चालू आस्तियाँ Other Current Assets	14	**15,620**	11,144
कुल TOTAL		**1,042,847**	1,186,007
महत्वपूर्ण लेखा–नीतियाँ एवं लेखों पर टिप्पणियाँ SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS	1 to 29		

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached

कृते आर. सी. रेशमवाला एण्ड कं
For **R. C. Reshamwala & Co.**
सनदी लेखाकार *CHARTERED ACCOUNTANTS*
फर्म पंजीकरण सं. 108832W
FRN No. 108832W

कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से
For and on behalf of the Board of Directors of CorpBank Securities Limited

रजनीकांत सी. रेशमवाला
Rajnikanth C. Reshamwala
साझेदार Partner
सदस्यता सं. 005502
Membership No. 005502

एस. आर. बंसल
S. R. Bansal
अध्यक्ष Chairman

बी. के. श्रीवास्तव
B. K. Srivastav
निदेशक Director

पी. परमसिवम
P. Paramasivam
निदेशक Director

वी. एस. कार्तिकेयन
V. S. Karthikeyan
निदेशक Director

डी. पूर्णचंद्र राव
D. Purnachandra Rao
निदेशक Director

पी. सनियल
P. Sanyal
निदेशक Director

स्थान Place : मुंबई Mumbai
दिनांक Dated : 07th मई May, 2015

ए. आई. जेम्स
A. I. James
पूर्णकालिक निदेशक एवं कंपनी सचिव
Whole time Director & Company Secretary

निधि अरोरा
सी.एफ.ओ.
Nidhi Arora
C.F.O.

कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लि. Corpbank Securities Ltd.

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ–हानि लेखा STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2015

(₹ हज़ारों में/₹ in thousands)

विवरण Particulars	टिप्पणी सं. Note No.	समाप्त वर्ष Year ended 31st March, 2015	समाप्त वर्ष Year ended 31st March, 2014
परिचालन से राजस्व Revenue from operation	15	**89,321**	93,435
अन्य आय Other income	16	**10,019**	9,486
कुल राजस्व Total Revenue		**99,340**	102,921
व्यय Expenses:			
कर्मचारी हितलाभ व्यय Employee benefit expenses	17	**2,950**	1,769
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय Depreciation & amortization expenses	7	**80**	62
अन्य व्यय Other Expenses	18	**4,650**	1,479
कुल व्यय Total Expenses		**7,680**	3,310
अपवादात्मक और असाधारण मद एवं कर पूर्व लाभ Profit before exceptional and extraordinary items & tax		**91,660**	99,611
अपवादात्मक मदें Exceptional Items		**-**	-
असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ Profit before extraordinary items and tax		**91,660**	99,611
असाधारण मदें Extraordinary Items		**-**	-
कर पूर्व लाभ Profit before tax		**91,660**	99,611
घटाएं : कर व्यय Less : Tax expenses			
(1) आय कर Income tax			
चालू वर्षों का of Current years		**18,500**	19,695
गत वर्षों का of Earlier years		**6**	-
(2) आस्थगित कर Deferred tax		**4**	5,379
(3) समंजन हेतु उपलब्ध एमएटी जमा MAT credit available for set off		**11,985**	6,864
अवधि हेतु लाभ (हानि) Profit / (Loss) for the period		**61,173**	67,673
प्रति शेयर अर्जन: Earning per share:	19		
प्रति शेयर मूल और तनूकृत अर्जन Basic and Diluted Earnings per Share		**0.82**	0.90

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached

कृते आर. सी. रेशमवाला एण्ड कं
For **R. C. Reshamwala & Co.**
सनदी लेखाकार *CHARTERED ACCOUNTANTS*
फर्म पंजीकरण सं. 108832W
FRN No. 108832W

रजनीकांत सी. रेशमवाला
Rajnikanth Reshamwala
साझेदार Partner
सदस्यता सं. 005502
Membership No. 005502

कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से
For and on behalf of the Board of Directors of CorpBank Securities Limited

एस. आर. बंसल
S. R. Bansal
अध्यक्ष Chairman

बी. के. श्रीवास्तव
B. K. Srivastav
निदेशक Director

पी. परमसिवम
P. Paramasivam
निदेशक Director

वी. एस. कार्तिकेयन
V. S. Karthikeyan
निदेशक Director

डी. पूर्णचंद्र राव
D. Purnachandra Rao
निदेशक Director

पी. सनियल
P. Sanyal
निदेशक Director

ए. आई. जेम्स
A. I. James
पूर्णकालिक निदेशक एवं कंपनी सचिव
Whole time Director & Company Secretary

निधि अरोरा
सी.एफ.ओ.
Nidhi Arora
C.F.O.

स्थान Place : मुंबई Mumbai
दिनांक Dated : 07th मई May, 2015

31 मार्च 2015 की स्थिति का नकदी प्रवाह विवरण CASH FLOW STATEMENT AS ON 31ST MARCH, 2015

(₹ हज़ारों में/₹ in thousands)

	2014-2015		2013-2014	
क) परिचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
A) CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES				
कर एवं असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ				
Net Profit before tax & Extraordinary Items		**91,660**		99,611
निम्न हेतु समायोजन: Adjustment for:				
प्राप्त लाभांश Dividend Received	**–1799**		(750)	
स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on Fixed Assets	**80**		62	
प्राप्त ब्याज Interest Received	**(8,220)**		(8,067)	
		(9,940)		(8,755)
कार्यशील पूँजी परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ		**81,720**		90,856
OPERATING PROFIT BEFORE WORKING CAPITAL CHANGES				
कार्यशील पूँजी परिवर्तनों के लिए समायोजन:				
ADJUSTMENTS FOR WORKING CAPITAL CHANGES :				
चालू देयताएं Current Liabilities	**408**		12	
व्यापारगत स्टॉक Stock in trade	**(203,655)**		219,104	
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम Long term Loans & Advances	**(4)**		(77)	
अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम Short term Loans & Advances	**92**		(188)	
अन्य चालू आस्तियाँ Other Current Assets	**(9,140)**		1,016	
		(212,299)		219,867
परिचालनों से अर्जित नकद Cash Generated from Operations		**(130,579)**		310,723
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर Direct Taxes paid		**19,822**		20,307
परिचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी (क) NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES (A)		**(150,401)**		290,416
ख) निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
B) CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES				
प्राप्त ब्याज (नोट सं. 2) Interest Received (Note No. 2)		**12,883**		9,328
प्राप्त लाभांश Dividend Received		**1,799**		750
खरीदी गई अमूर्त आस्ति Intangible Asset Purchased		**–**		(17)
निवेश क्रियाकलाप में प्रयुक्त निवल नकदी (ख) NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITY (B)		**14,682**		10,061
ग) वित्त क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
C) CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES				
प्रदत्त लाभांश (लाभांश संवितरण कर सहित) Dividend Paid (Includes Dividend Distribution Tax)		**(204,741)**		–
वित्त क्रियाकलाप में प्रयुक्त निवल नकदी (ग) NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITY (C)		**(204,741)**		–
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल परिवर्तन(क+ख+ग) NET CHANGES IN CASH & CASH EQUIVALENTS (A+B+C)		**(340,460)**		300,477
नकदी एवं नकदी समतुल्य का प्रारंभिक शेष OPENING BALANCE OF CASH & CASH EQUIVALENTS		**370,542**		70,065
नकदी एवं नकदी समतुल्य का अंतिम शेष CLOSING BALANCE OF CASH & CASH EQUIVALENTS		**30,082**		370,542
		340,460		(300,477)

टिप्पणियां Notes :

नकदी एवं नकदी समतुल्य का अंतिम शेष
Closing Balance of Cash & Cash Equivalents

1. नकदी एवं नकदी समतुल्य में शामिल हैं Cash and Cash Equivalents includes:

हस्तगत नकदी Cash in Hand	**6**	3
अनुसूचित बैंकों में शेष Balance with Scheduled Banks		
– चालू खाते में In Current Account	**579**	539
– ऐसे जमा खाते जिनकी परिप्रवता अवधि 12 महीनों से कम हो In Deposit account having maturity below 12 months	**29,500**	370,000
	30,085	370,542

2. चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया गत वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित एवं पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
Previous year figures have been regrouped and rearranged wherever considered necessary to make them comparable with those of the current year.

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached

कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से
For and on behalf of the Board of Directors of CorpBank Securities Limited

कृते आर. सी. रेशमवाला एण्ड कं
For **R. C. Reshamwala & Co.**
सनदी लेखाकार *CHARTERED ACCOUNTANTS*
फर्म पंजीकरण सं. 108832W
FRN : 108832W

रजनीकांत सी. रेशमवाला
Rajanikanth Reshamwala
साझेदार Partner
सदस्यता स. 005502
Membership No. 005502

एस. आर. बंसल
S. R. Bansal
अध्यक्ष Chairman

बी के. श्रीवास्तव
B. K. Srivastav
निदेशक Director

पी. परमसिवम
P. Paramasivam
निदेशक Director

वी. एस. कार्तिकेयन
V. S. Karthikeyan
निदेशक Director

डी. पूर्णचंद्र राव
D. Purnachandra Rao
निदेशक Director

पी. सनियल
P. Sanyal
निदेशक Director

स्थान Place : मुंबई Mumbai
दिनांक Dated : 07th मई May, 2015

ए. आई. जेम्स
A. I. James
पूर्णकालिक निदेशक एवं कंपनी सचिव
Whole time Director & Company Secretary

निधि अरोरा
सी.एफ.ओ.
Nidhi Arora
C.F.O.

31.03.2015 को समाप्त वर्ष हेतु महत्वपूर्ण लेखा–नीतियाँ एवं लेखों की टिप्पणियाँ
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2015

नोट 1: कंपनी द्वारा अनुपालित महत्वपूर्ण लेखा– नीतियों का सारांश

वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार:

यह वित्तीय विवरण उपचय आधार और ऐतिहासिक लागत परम्परा और सभी तात्विक पहलू के साथ भारत में लागू लेखा सिद्धांतों, धारा 211(3सी) के तहत अधिसूचित लागू लेखा मानकों और कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्य संबद्ध प्रावधानों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

सभी प्रकार की आस्तियों एवं देयताओं को कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI में उल्लिखित अन्य मानदंड के आधार पर चालू या गैर चालू में वर्गीकृत किया गया है । उत्पाद की प्रकृति और प्रसंस्करण हेतु आस्तियों के अधिग्रहण हेतु प्रक्रिया एवं उसके नकदी रूपांतरण में लानेवाले समय के आधार पर कंपनी ने अपने परिचालन चक्र को 12 माह से कम निर्धारित किया है।

1 महत्वपूर्ण लेखा–नीतियाँ

1.1 लेखांकन विधि

(i) वित्तीय विवरण सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में सांविधिक प्रावधानों के अनुसार ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए जाते हैं।

(ii) कंपनी, लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली अपनाती है।

1.2 स्थिर आस्तियाँ एवं मूल्यह्रास

(i) स्थिर आस्तियों का मूल्यांकन उनकी मूल लागत में से संचित मूल्यह्रास घटाकर किया जाता है। लागत में अधिग्रहण, संस्थापन तथा कार्य–आरंभ से जुड़ी समस्त प्रत्यक्ष लागत शामिल है।

(ii) स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास का निर्धारण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची XII में निर्दिष्ट दरों एवं निर्धारित ढंग से 'अवलिखित मूल्य' (डब्ल्यूडीवी) पद्धति से किया जाता है।

1.3 निवेश

(i) अल्पावधि धारण तथा व्यापारिक क्रय–विक्रय के उद्देश्य से अर्जित प्रतिभूतियों को 'विक्रेय स्टॉक' के रूप में माना जाता है और चालू आस्तियों के अधीन दर्शाया जाता है। दीर्घावधि धारण के उद्देश्य से अर्जित अन्य आस्तियों को 'निवेश' के रूप में माना जाता है।

(ii) निवेशों या स्टॉक इन ट्रेड के रूप में धारित तथा परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

(iii) निवेश के रूप में रखी प्रतिभूतियों के मूल्यह्रास हेतु, जहाँ कहीं यह ह्रास स्थाई है, प्रावधान किया जाता है।

Note 1: Summary of Significant Accounting Policies followed by the Company

Basis of preparation of Financial Statements:

These financial statements have been prepared on accrual basis and under historical cost convention and in all material aspects, with the applicable accounting principles in India, the applicable accounting standards notified under Section 211 (3C) and the other relevant provision of the Companies Act, 1956.

All the assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the Company's normal operating cycle and other criteria set out in the Schedule VI to the Companies Act, 1956. Based on the nature of product and the time between the acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalent, the Company has ascertained its operating cycle to be less than 12 months.

1 Significant Accounting Policies

1.1 Method of Accounting

(i) The financial statements are prepared on historical cost basis conforming to the statutory provisions, in accordance with Generally Accepted Accounting Principles.

(ii) The company follows accrual system of accounting.

1.2 Fixed Assets & Depreciation

(i) Fixed assets are valued at original cost less accumulated depreciation. Costs include all direct costs attributable to acquisition, installation and commissioning.

(ii) Depreciation on fixed assets is provided on "Written Down Value" (WDV) method, at the rates specified in and in the manner as laid down by Schedule XII of Companies Act, 2013.

1.3 Investments

(i) The securities acquired with the intention of short-term holding and trading positions is considered as "Stock-in-Trade" and shown under current assets. Other securities acquired with the intention of long-term holding are treated as "Investments".

(ii) Securities held as investments or stock-in-trade and held till maturity are valued at cost.

(iii) Any diminution in the value of securities held as investment individually is provided for, wherever such diminution is permanent.

1.4 विक्रेय स्टॉक का मूल्यांकन

(i) कोट की गई प्रतिभूतियों को लागत या बाज़ार मूल्य, जो भी कम है, पर मूल्यांकित किया जाता है। बाज़ार भाव उपलब्ध न होने पर, समान प्रकृति एवं परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियों के विद्यमान प्रतिफल के आधार पर परिकलित दरों पर बाज़ार मूल्य निर्धारित किए जाते हैं।

(ii) प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूति को एक प्रत्येक प्रवर्ग माना जाता है। प्रत्येक प्रवर्ग के अंतर्गत, मूल्यांकन स्क्रिप-वार किया जाता है तथा मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है जबकि मूल्य-वृद्धि को छोड़ दिया जाता है। एक प्रवर्ग की प्रतिभूतियों के मूल्यह्रास को दूसरे प्रवर्ग में मूल्यवृद्धि के बदले समंजन नहीं किया जाता है।

(iii) तुलन-पत्र की तारीख को धारित ट्रेज़री बिल का मूल्यांकन रखाव लागत या बाज़ार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। तुलन-पत्र की तारीख को धारित ट्रेज़री बिलों का बाज़ार मूल्य भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई दरों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। तुलन-पत्र की तारीख को धारित जमा प्रमाण-पत्र और वाणिज्य पत्रों को नीचे 1.6 में वर्णित अनुसार रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

(iv) केन्द्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों का बाज़ार मूल्य भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएम डीए) द्वारा उपलब्ध कराई दरों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

1.5 कर्मचारियों को भुगतान व उनके लिए प्रावधान

मूल संगठन अर्थात्, कार्पोरेशन बैंक को, उनके कर्मचारियों/अधिकारियों की, जिनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति के आधार पर कंपनी को प्रदान की जाती हैं, परिलब्धियों/भविष्य निधि हेतु किए गए भुगतान को कंपनी की लागत के रूप में माना जाता है।

कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ मूल संगठन कार्पोरेशन बैंक का उत्तरदायित्व है जिसे वित्तीय विवरण में मान्यता नहीं दी गई है। सेवांत लाभ और छुट्टी नकदीकरण के मामले में भी यही हुआ है।

1.6 राजस्व का निर्धारण

(i) जमा प्रमाणपत्रों, वाणिज्यिक पत्रों तथा ट्रेज़री की अधिग्रहण लागत एवं परिपक्वता मूल्य के बीच के अंतर को समय आधार पर प्रभाजित किया जाता है तथा इन प्रतिभूतियों पर लेखांकन अवधि से संबंधित प्रभावी बट्टे /ब्याज को आय के रूप में निर्धारित किया जाता है। अधिग्रहण तक उपचित बट्टे/उपचित ब्याज को अधिग्रहण लागत में शामिल किया जाता है और रखाव लागत माना जाता है।

(ii) दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज को उसकी कूपन दर पर निर्धारित किया जाता है।

(iii) स्थिर आय प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री मूल्य को लागत और प्रदत्त एवं वसूल उपचित ब्याज के रूप में विभाजित किया जाता है। स्थिर आय प्रतिभूतियों की खरीद पर उपचित या बिक्री पर प्राप्त ब्याज (खंडित अवधि ब्याज) के रूप में प्रदत्त राशि का निवल निकाला गया और आय/व्यय के रूप में माना जाता है।

1.4 Valuation of Stock- in-Trade

(i) The Quoted securities are valued at cost or market price, whichever is lower. In the absence of market quotes, market prices are determined at the rates derived from the prevailing yield of securities having similar standing and maturity period.

(ii) Each type of security is regarded as a separate category. Under each category, valuation is done scrip-wise and depreciation is provided, while appreciation is ignored. The depreciation in one category of securities is not set off against appreciation in another category.

(iii) Treasury Bills held on the balance sheet date are valued at carrying cost or market value whichever is lower. The market value of Treasury Bills held on the Balance Sheet date is determined as per the rates provided by Clearing Corporation of India Limited. The Certificate of Deposits, and Commercial Papers held on the Balance Sheet date, are valued at carrying cost as explained in 1.6 below.

(iv) The market value of Central Government Dated Securities is determined as per the rates provided by Fixed Income and Money Market Dealers Association (FIMMDA).

1.5 Payments to and Provision for Employees

Payments made to parent organization viz., Corporation Bank's staff, towards emoluments/ provident funds of their employees/officials, whose services are lent to the Company on deputation basis, are regarded as Company's costs.

Employee Retirement Benefits being the liability of the parent organization viz., Corporation Bank is not recognized in the Financial Statement Similar is the case for termination benefits and leave encashment.

1.6 Revenue Recognition

(i) The difference between the acquisition cost and maturity value of Certificate of Deposits, Commercial papers and Treasury Bills is apportioned on time basis and effective discount/ interest on these securities pertaining to the accounting period is recognized as income. The discount/interest accrued till acquisition is included in the acquisition cost and regarded as the carrying cost.

(ii) Interest accrued on Dated Government Securities is recognized at its coupon rate.

(iii) Purchase and sale price of fixed income securities is bifurcated into cost and accrued interest paid or realized. Amount paid as interest accrued on purchase and received on sale of fixed income securities (Broken period interest) is netted and reckoned as income/expense.

(iv) प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ/हानि, भारित औसत मूल्य पद्धति (डब्ल्यूएपी) पर परिकलित की जाती है और निपटान तारीख को इसका निर्धारण किया जाता है। प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ को प्रतिभूतियों की बिक्री पर हानि के साथ निवलित किया जाता है।

(v) मध्यवर्ती के रूप में किए गए कारोबार पर कमीशन/दलाली का निर्धारण उपचय आधार पर किया जाता है।

(vi) निवेशों पर ब्याज का निर्धारण उपचय आधार पर किया जाता है। म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश पर लाभांश आय उनकी घोषणा के आधार पर निर्धारित की जाती है।

1.7 कराधान

(i) चालू कर का प्रावधान आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार चालू लेखांकन वर्ष हेतु अनुमानित कर-योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

(ii) वर्ष के कर लाभ एवं बही लाभ के समयान्तर हेतु आस्थगित कर की गणना तुलन-पत्र की तारीख को विद्यमान कर दर तथा अधिनियमित या तत्वतः अधिनियमित विधियों का प्रयोग करते हुए की जाती है। समयान्तर से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण इस सीमा तक किया जाता है जितना कि भविष्य में उक्त आस्तियों की वसूली की निश्चितता हो और हर तुलन-पत्र की तारीख को उनके संबंधित मूल्यों की उपयुक्तता की समीक्षा की जाती है।

1.8 आस्तियों की क्षति

आंतरिक/बाह्य घटकों के आधार पर किसी क्षति के संकेत की दृष्टि से आस्तियों की निहित राशि की प्रत्येक तुलन-पत्र तारीख को समीक्षा की जाती है। जहाँ कहीं निहित राशि उसकी वसूली-योग्य राशि से अधिक हो जाती है, क्षतिगत हानि निर्धारित की जाती है। ऐसी किसी क्षतिगत हानि को लाभ-हानि लेखे में प्रभारित करते हुए निर्धारित किया जाता है। जब किसी पूर्व निर्धारित क्षतिगत हानि की मौजूदगी खत्म हो जाती है, उसे प्रत्यावर्तित किया जाता है और उस हद तक पुनर्निर्धारित किया जाता है।

1.9 प्रावधान, आकस्मिक आस्तियाँ एवं आकस्मिक देयता

विगत की किसी घटना के कारण जब वर्तमान में कोई दायित्व हो जिसके लिए संसाधनों को बहिर्गमन अपेक्षित हो और उक्त दायित्व की राशि का कोई विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो कंपनी इसके लिए प्रावधान करती है। आकस्मिक देयता का प्रकटन तब किया जाता है जब ऐसा कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व हो जिसके लिए संभवतः संसाधनों के बहिर्गमन अपेक्षित न हो। जहाँ ऐसा कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व हो जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना नगण्य है, वहाँ कोई प्रावधान या प्रकटन नहीं किया जाता है।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्यता दी गई न ही उद्घाटित किया गया है।

(iv) Profit/loss on sale of securities is accounted on Weighted Average Price Method (WAP) and is recognized on settlement date. Profit on sale of securities is netted with loss on sale of Securities.

(v) Commission/brokerage on the business done as intermediaries is recognised on accrual basis.

(vi) Interest on investments is recognised on accrual basis. Dividend income on investments in the Units of Mutual Funds is recognised on the basis of declaration of the same.

1.7 Taxation

(i) Provision for current tax is made on the basis of estimated taxable income for the current accounting year in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961.

(ii) Deferred Tax for timing differences between tax profit and book profit for the year is accounted for using the tax rate and laws that have been enacted or substantially enacted as of the Balance Sheet date. Deferred Tax assets arising from timing differences are recognised to the extent there is a virtual certainity that these assets would be realised in future and reviewed for the appropriateness of their respective carrying values at each Balance Sheet date.

1.8 Impairment of Assets

The carrying amount of assets is reviewed at each balance sheet date for indications of any impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognised wherever the carrying amount of the assets exceeds its recoverable amount. Any such impairment loss is recognised by charging it to the profit and loss account. A previously recognised impairment loss is reversed when it ceases to exist and the asset is restated to that effect.

1.9 Provisions, Contingent Assets and Contingent Liabilities

The Company creates a provision when there is a present obligaiton as a result of a past event that probably requires an outflow of resourses and a realiable estimate can be made of the amount of the obligation. A disclosure for contingent liability is made when there is possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require any outflow of resourses. Where there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote no provision or disclosure is made.

Contingent assets are not recognized nor disclosed in the Financial Statements.

लेखों की टिप्पणियाँ NOTES TO ACCOUNTS

2 शेयर पूँजी SHARE CAPITAL

(₹ हज़ारों में ₹ in thousands)

विवरण Particulars	यथा As at March 31, 2015	यथा As at March 31, 2014
प्राधिकृत Authorized		
12,50,00,000 ईक्विटी शेयर, ₹10/- सम मूल्य के 12,50,00,000 Equity shares, ₹10/- par value (गत वर्ष 12,50,00,000 इक्विटी शेयर ₹10/- सम मूल्य के) (Previous Year 12,50,00,000 equity shares ₹10/- par value)	**1,250,000**	1,250,000
	1,250,000	1,250,000
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त **Issued, Subscribed and Paid Up**		
7,50,00,000 ईक्विटी शेयर, ₹10/- सम मूल्य के, पूर्णतः प्रदत्त 7,50,00,000 Equity shares, ₹10/- par value, fully paid up (7,50,00,000 शेयर धारक कंपनी कार्पोरेशन बैंक और उसके नामितियों द्वारा धारित) (7,50,00,000 Shares held by Holding Company Corporation Bank and its Nominees)	**750,000**	750,000
	750,000	750,000

टिप्पणी सं. 2.1: 31.3.2015 और 31.3.2014 को बकाया शेयरों का समाधान यहां नीचे प्रस्तुत है:
Note No. 2.1 : The reconciliation of the number of shares outstanding as at 31.3.2015 and 31.3.2014 is set out below :

विवरण Particulars	31 मार्च, 2015 को As at March 31, 2015	31 मार्च, 2014 को As at March 31, 2014
आरंभ में शेयरों की संख्या Number of shares at the beginning	**75,000,000**	75,000,000
जोडें: वर्ष के दौरान जारी शेयर Add: Shares issued during the year	–	–
घटाएं: वापस खरीदे गए शेयर (अगर कोई हो तो) Less : Shares bought back (if any)	–	–
अंत में शेयरों की संख्या Number of Shares at the end	**75,000,000**	75,000,000

कंपनी के पास एक तरह का शेयर है जिसके प्रत्येक शेयर का सम मूल्य ₹10/- है। ईक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर हेतु एक वोट के लिए पात्र है। कंपनी लाभांश की घोषणा एवं भुगतान भारतीय रुपए में करती है।

निदेशक मंडल द्वारा घोषित लाभांश यदि कुछ है तो यह आगामी आम सभा बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होगा।

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में इक्विटी शेयरधारक वरीय राशि के वितरण के बाद शेष आस्तियों को प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या के अनुपात में वितरण किया जाएगा।

The Company has only one class of equity shares having a par value of Rs. 10 per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share. The Company declares and pays dividends in Indian rupees.

The dividend proposed if any, by the Board of Directors is subjected to the approval of the shareholders in the ensuing Annual General meeting.

In the event of liquidation of the Company the hoders of the equity shares will be entitled to receive remaining assets of the Company, after distribution of preferential amounts. The distribution will be in proportion to the number of equity shares held by the Shareholders.

टिप्पणी सं. 2.2 : 31.3.2015 और 31.3.2014 को 5% शेयरों से अधिक धारित करने वाले शेयरधारकों के ब्योरे नीचे प्रस्तुत है :
Note No. 2.2 : The details of shareholders holding more than 5% shares as at 31.3.2015 and 31.3.2014 is set out below :

शेयरधारकों के नाम Name of the Shareholders	धारित शेयरों की सं. No. of shares held	31 मार्च, 2015 को धारित As at March 31, 2015	धारित शेयरों की सं. No. of shares held	31 मार्च, 2014 को धारित As at March 31, 2014
कार्पोरेशन बैंक (धारक कंपनी) और उसके नामिती Corporation Bank (Holding Company) and its Nominees	**75,000,000**	**100%**	75,000,000	100%

टिप्पणी सं. 2.3 : कंपनी ने वर्ष 2008-09 में 2,50,00,000 इक्विटी शेयर वापस खरीदकर उनको समाप्त कर दिया।
Note No. 2.3 : In the year 2008-09 the company bought back and extinguished 2,50,00,000 Equity Shares.

अंतिम लाभांश: ₹ शून्य की प्रति शेयर लाभांश रकम (पिछले वर्ष ₹1), 31.03.2015 को समाप्त वर्ष में इक्विटी शेयरधारकों में संवितरित करने का प्रस्ताव है। कुल लाभांश रकम होगी ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹8,77,46) {₹ शून्य के लाभांश संवितरण कर सहित (पिछले वर्ष ₹1,27,46)}
Final Dividend : The amount of dividend per share of ₹ Nil (Previous year ₹1) has been proposed to be distributed to Equity Shareholders for the year ended 31.03.2015. The total amount of dividend shall be ₹ Nil (Previous Year ₹8,77,46) {Including Dividend Distribution Tax ₹ Nil) (Previous year ₹1,27,46)}.

अंतरिम लाभांश: अवधि के दौरान इक्विटी शेयरधारकों को प्रति शेयर ₹1.33 की दर से अंतरिम लाभांश दिया गया (पिछले वर्ष ₹ शून्य प्रति शेयर)। कुल मिलाकर ₹100,000 का अंतरिम लाभांश अदा किया गया (पिछले वर्ष ₹ शून्य) {₹16,995 के लाभांश संवितरण कर सहित (गत वर्ष ₹ शून्य)}

Interim Dividend : Interim Dividend paid during the period @ ₹ 1.33 per share (Previous year ₹ Nill per share) to Equity Shareholders. The total Interim Dividend paid was ₹ 100,000 (Previous year ₹ Nil) {Including Dividend Distrubition Tax ₹ 16.995 (Previous year ₹ Nil)}.

3 आरक्षित निधियाँ व अधिशेष RESERVES & SURPLUS

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2015 As at March 31, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at March 31, 2014
पूँजी मोचन आरक्षित निधि Capital Redemption Reserve		
प्रारंभिक शेष Opening Balance क/A	**250,000**	250,000
सामान्य आरक्षित निधि General Reserve		
प्रारंभिक शेष Opening Balance	**8,568**	8,568
जोड़ें: अधिशेष से अंतरण Add: Transferred from surplus	**3,060**	–
ख/B	**11,628**	8,568
अधिशेष–प्रारंभिक शेष Surplus – Opening balance	**89,536**	109,609
जोडें: लाभ–हानि विवरण से कर का अंतरण करने के बाद निवल लाभ Add: Net profit after tax transferred from	**61,173**	–
Statement of Profit & Loss	–	67, 673
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि Amount available for appropriation	**150,709**	177,282
घटाएं : विनियोजन Less : Appropriations		
अंतिम लाभांश Final Devidend	–	75,000

(₹ हज़ारों में ₹ in thousands)

विवरण Particulars		यथा 31 मार्च, 2015 As at March 31, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at March 31, 2014
अंतरिम लाभांश Interim Dividend	–	**100,000**	–
कुल लाभांश Total Dividend	–	**100,000**	75,000
लाभांश संवितरण कर Dividend Distribution Tax	–	**16,995**	12,746
सामान्य आरक्षित निधि को अंतरित राशि Amount transferred to General Reserve	–	**3,060**	–
अधिशेष अंतिम शेष Surplus Closing Balance ग/C	–	**30,654**	89,536
कुल आरक्षित निधि और अधिशेष Total Reserves & Surplus (क+ख+ग/A+B+C)		**292,282**	348,103

4 व्यापार देनदारियाँ TRADE PAYABLES

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2015 As at March 31, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at March 31, 2014
व्ययों हेतु विविध लेनदार (देखें टिप्पणी सं. 4.1) Sundry Creditors For Expenses (Refer Note No. 4.1)	**516**	109
	516	109

टिप्पणी सं. 4.1

कंपनी को माइक्रो लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत हैसियत के संबंध में वेंडरों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है और इसलिए इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त/देय ब्याज के साथ वर्षांत तक अदत्त राशियों से संबंधित प्रकटन नहीं दिए गए है। लेखा परीक्षकों द्वारा प्रबंधन की प्रस्तुति को माना गया है।

Note No. 4.1 :

The Company has not received information from vendors regarding their status under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and hence disclosures relating to amounts unpaid as at the year end together with interest paid/payable under this Act, have not been given. The representation of the manangement has been relied upon by the Auditors.

5 अन्य चालू देयताएं OTHER CURRENT LIABILITIES

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2015 As at March 31, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at March 31, 2014
अन्य देयताएं Other payables		
सांविधिक देयताएं Statutory Liabilities	**49**	48
	49	48

6 अल्पावधि प्रावधान SHORT TERM PROVISIONS

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2015 As at March 31, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at March 31, 2014
अन्य Others		
प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend	–	75,000
लाभांश संवितरण कर Dividend Distribution Tax	–	12,746
	–	87,746

7 स्थिर आस्तियाँ FIXED ASSETS

(₹ हज़ारों में/₹ in thousands)

विवरण Particulars	सकल खंड Gross Block				मूल्यह्रास/परिशोधन Depreciation/Amortisation				निवल खंड Net Block	
	यथा As at 01.04.2014	परिवर्धन Additions	वर्ष के दौरान कटौती Deduction During the year	**यथा As At 31.03.2015**	यथा As at 01.04.2014	वर्ष हेतु मूल्यह्रास Depreciation For the year	वर्ष के दौरान कटौती Deduction During the year	**यथा As at 31.03.2015**	**यथा As at 31.03.2015**	यथा As at 31.03.2014
मूर्त आस्तियाँ TANGIBLE ASSETS :										
फर्नीचर और जुड़नार Furniture & Fixtures	646	–	–	**646**	598	15	–	**613**	**33**	48
वाहन Vehicles	330	–	–	**330**	237	23	–	**260**	**70**	93
कार्यालय उपकरण Office Equipment	227	–	–	**227**	193	23	–	**216**	**11**	34
कंप्यूटर Computer	3,888	–	–	**3,888**	3,881	–	–	**3,881**	**7**	7
विद्युत संस्थापन Electrical Installations	404	–	–	**404**	375	10	–	**385**	**19**	29
कुल Total	**5,495**	**–**	**–**	**5,495**	**5,284**	**71**	**–**	**5,355**	**140**	**211**
(गत वर्ष) (Previous year)	5,495	–	–	**5495**	5,226	58	–	**5,284**	**211**	269
अमूर्त आस्तियाँ INTANGIBLE ASSETS :										
कंप्यूटर साफ्टवेयर Computer Software	17	–	–	**17**	4	9	–	**13**	**4**	**13**
कुल Total	17	–	–	**17**	4	**9**	–	**13**	**4**	**13**
(गत वर्ष) (Previous year)	–	**17**	–	**17**	–	**4**	–	**4**	**13**	–

नोट: कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 के अनुसार मूल्यह्रास किया है। अत: ये आस्तियों जो अपने प्रयुक्त जीवन से अधिक है उन्हे मूल्यह्रास न देकर कबाड़ मूल्य दिया गया हैं। अन्य आस्तियों को अनुसूची 2 के प्रावधानों के अनुसार मूल्यह्रास प्रदान किया गया हैं।

Note : The company has considered depreciation as per Schedule II of the Companies Act, 2013. Thus assets which have exceeded the estimated usefull life have not been charged depreciation and are reflected at their realisable scrap wale. The other assets have been depreciated over their useful life as per Schedule II provisions.

8 गैर चालू निवेश NON-CURRENT INVESTMENT

(₹ हज़ारों में ₹ in thousands)

विवरण Particulars	अंकित मूल्य Face Value	मात्रा Qty.	यथा 31 मार्च, 2015 As at March 31, 2015 राशि (₹) Amount ₹	यथा 31 मार्च, 2014 As at March 31, 2014 राशि (₹) Amount ₹
कोट न किए गए Unquoted				
ईक्विटी लिखतों में In Equity Instruments				
क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड Clearing Corporation of India Limited	10	500,000	**5,000**	5,000
कोट न किए गए निवेशों का कुल मूल्य Total Value of Unquoted Investments			**5,000**	5,000
दीर्घावधि निवेशों का योग Total of Long Term Investments			**5,000**	5,000
घटाएं : निवेशों के मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान Less : Provision for Diminution in the value of Investment			–	–
निवेश का निवल मूल्य Net Value of Investment			**5,000**	5,000

9 आस्थगित कर आस्तियाँ DEFERRED TAX ASSETS

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2015 As at March 31, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at March 31, 2014
बहियों और आय कर अधिनियम के अनुसार मूल्यह्रास में अंतर के कारण On account of Difference in Depreciation as per books and as per Income Tax Act	**103**	99
	103	99

टिप्पणी सं 9.1

ब्याज पर आय की गणना के लिए कंपनी ने ईन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक 22 को लागू किया है जो कि अनिवार्य है।

बैंक लाभ और टैक्स लाभ के समयांतरालों के फलस्वरूप उत्पन्न आस्थगित करों की प्रदान की है जो कि एक अवधि में उत्पन्न होती है और एक या अनेक क्रमश: आनेवाली अवधियों में वापस प्राप्त होती हैं।

Note No 9.1

The Company has implemented Accounting Standard 22– Accounting for taxes on income, issued by the Institute of Chartered Accountants of India which is mandatory in nature.

The Company has recognised Defered Taxes which result from the timing difference between the Book Profits and Tax Profits that originate in one period and are capable of reverse in one or more subsequent periods.

फलस्वरूप इस दौरान की अवधि में लाभ हानि लेखा विवरण में आस्थगित टैक्स आस्ति कुल मिलाकर ₹4/- (पिछले वर्ष की देयता ₹5379/-) मानी गई थी।

As a reult the Deferred Tax Asset for the period aggregating to ₹4/- (previous year liability of ₹5379/-) has been recognised in the Statement of Profit & Loss for the period.

आय कर विधियों के अनुसार कंपनी की वर्ष 2008-09 के लिए अनवशोषित कारोबार हानि है। कंपनी के प्रबंधन ने वर्षांत को स्थिति की समीक्षा की है और आस्थगित कर आस्ति का प्रावधान नहीं किया गया है चूँकि निकट भविष्य में दीर्घावधि पूँजी अभिलाभ की उम्मीद नहीं है। तदनुसार, लेखा मानक 22 – आय पर करों का लेखांकन के अनुसार कंपनी ने अनवशोषित दीर्घावधि पूंजीगत हानि पर आस्थगित कर निर्धारित नहीं किया है।

The Company has unabsorbed Long term capital loss for FY 2008-09 as per Income tax laws. The management of the Company has reviewed the position at the year end and the deferred tax asset has not been provided since it does not foresee any long term capital gain in the near future. Accordingly, as per Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income, the company has not recognised deferred tax on unabsorbed long term capital loss.

10 दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम LONG TERM LOANS & ADVANCES

(₹ हज़ारों में ₹ in thousands)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2015 As at March 31, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at March 31, 2014
(अप्रतिभूत, अन्यथा न बताए जाने पर शोध्य माने गए) (Unsecured, considered good unless stated otherwise)		
विविध जमाराशियाँ Sundry Deposits	**200**	160
अन्य ऋण एवं अग्रिम Other Loans & Advances		
पूर्वदत्त व्यय Prepaid Expense	**–**	36
न्यूनतम वैकल्पिक कर जमा Minimum Alternate Tax Credit	**56**	–
	54, 305	66,291
	54,561	**66,487**

11 इनवेंटरी INVENTORIES

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2015 As at March 31, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at March 31, 2014
जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposits	**933,985**	730,330
	933,985	730,330

12 नकदी एवं नकदी समतुल्य CASH & CASH EQUIVALENTS

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2015 As at March 31, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at March 31, 2014
नकदी एवं बैंक शेष राशि Cash & Bank Balances		
बैंकों में शेष Balance with Banks		
- चालू खाते में In Current account	**579**	539
- उन जमा खातों में जिनकी परिपक्वता अवधि 12 महीनों से कम हो In Deposit account having maturity below 12 months	**29,500**	370,000
हस्तगत नकदी Cash in Hand	**6**	3
	30,085	370,542

13 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम SHORT TERM LOANS & ADVANCES

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2015 As at March 31, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at March 31, 2014
(अप्रतिभूत, अन्यथा न बताए जाने पर शोध्य माने गए) (Unsecured, considered good unless stated otherwise)		
अन्य Others		
पूर्वदत्त व्यय Prepaid Expenses	**183**	146

(₹ हज़ारों में ₹ in thousands)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2015 As at March 31, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at March 31, 2014
सेवाप्रदाता को अग्रिम Advance to Service Provider	**1**	89
अग्रिम आय कर Advance Income Tax	**3,165**	1,906
कर ₹18,500 हेतु निवल प्रावधान (गत वर्ष ₹ 19,695) (Net of Provision for Tax ₹18,500 (Previous Year ₹19,695)		
विविध जमा Sundry Deposits	–	40
	3,349	2,181

14 अन्य चालू आस्तियाँ OTHER CURRENT ASSETS

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2015 As at March 31, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at March 31, 2014
(अप्रतिभूत, अन्यथा न बताए जाने पर शोध्य माने गए) (Unsecured, considered good unless stated otherwise)		
प्राप्य ब्याज Interest Receivable	**198**	4,860
प्राप्य कमीशन Commission receivable	**217**	293
जमा प्रमाणपत्रों पर उपचित बट्टा Accrued Discount on Certificate of Deposits	**15,205**	5,991
	15,620	11,144

निदेशकों के विचार के अनुसार चालू आस्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम उल्लिखित मूल्य के लगभग बराबर हैं एवं व्यवसाय के सामान्य क्रम में प्राप्त हुए हैं।
In the opinion of the Directors, the current assets, loans and advances are approximately of the value stated, of realized in the ordinary course of business.

15 परिचालन से राजस्व REVENUE FROM OPERATION

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year 2014-15	गत वर्ष Previous Year 2013-14
जमा प्रमाणपत्रों में लेन-देन (देखें टिप्पणी सं 15.1) **Trading in Certificate of Deposits (Refer Note No. 15.1)**		
प्रारंभिक स्टॉक Opening Stock	**730,330**	949,433
जमा प्रमाणपत्र खोलने पर उपचित बट्टा Discount Accrued on opening Certificate of Deposits	**5,990**	7,021
क्रय Purchases	**2,372,336**	1,925,109
क A	**3,108,656**	2,881,563
घटाएं: बिक्री/मोचन Less: Sales/Redemption	**2,244,819**	2,233,160
जमा प्रमाणपत्र पर उपचित बट्टा Discount Accrued on Certificate of Deposits	**15,205**	5,991
अंतिम स्टॉक Closing Stock	**933,985**	730,330
ख B	**3,194,009**	2,969,481
ख-क B-A	**85,353**	87,918
ट्रेजरी बिलों में ट्रेडिंग (देखें टिप्पणी सं. 15.1) Trading in Treasury Bills (Refer Note No. 15.1)		
प्रारंभिक स्टॉक Opening Stock	–	–
ट्रेज़री बिल खोलने पर उपचित बट्टा Discount Accrued on opening Treasury Bills	–	–
क्रय Purchases	**40,989**	173,701
क A	**40,989**	173,701

(₹ हज़ारों में ₹ in thousands)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2015 As at March 31, 2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at March 31, 2014
घटाएं: बिक्री/मोचन Less: Sales/Redemption	**41,750**	175,620
ट्रेजरी बिलों पर उपचित बट्टा Discount Accrued on Treasury Bills	**–**	–
अंतिम स्टॉक Closing Stock	**–**	–
ख B	**41,750**	175,620
ख–क B-A	**761**	1,919
म्यूचुअल फंड के संवितरण पर कमीशन/दलाली Commission/Brokerage on Distribution of Mutual Fund	**3,207**	3,598
	89,321	93,435

टिप्पणी सं. 15.1 :
जमा प्रमाणपत्रों तथा ट्रेजरी बिलों पर बट्टा अर्जित करने के उद्देश्य से जमा प्रमाणपत्रों तथा ट्रेजरी बिलों को खरीदा और बेचा/मोचित किया जाता है। इसका उद्देश्य मात्र बट्टा अर्जन होता है, जिस वजह से उसे उपर्युक्तानुसार निवल लागत के रूप में दर्शाया गया है

Note No. 15.1 :

1) Certificate of deposits & Treasury Bills are purchased and sold/redeemed with a view to earn discount on the same. In substance it is to earn discount only, due to the same, it has been shown as net of cost as above.

2) वर्ष के दौरान 10 जमा प्रमाणपत्र खरीदे गए जिनमें से निम्नलिखित वर्षांत को परिपक्व होने तथा 4 बकाया हैं:

2) During the year 10 Certificate of deposits were purchased out of which to be matured and 4 are outstanding as at year end details of which are:

a) 2.5 आन्ध्र बैंक सीडी Andhra Bank CD ₹233,130 d) आईडीबीआई बैंक सीडी IDBI Bank CD : ₹233,109

b) 2.5 आन्ध्र बैंक सीडी Andhra Bank CD ₹234,286

c) 2.5 आईडीबीआई बैंक सीडी IDBI Bank CD ₹233,460

3) वर्ष के दौरान मात्र 4 ट्रेजरी बिल खरीदे गए तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले सभी परिपक्व हो गए। ट्रेजरी बिलों का व्यापार मूल कंपनी अर्थात् कार्पोरेशन बैंक से प्राप्त ई–मेल अनुदेशों के माध्यम से किया जाता है।

3) During the year only 4 Treasury bills were purchased and all have matured before the end of the financial year. Treasury bills are traded through e-mail instructions received from the Parent Company viz., Corporation Bank.

4) ट्रेजरी बिलों तथा जमा प्रमाण पत्रों के लिए कंपनी ने 27.06.14 तक अद्यतन कंपनी की निवेश तथा लेखांकन नीति का अनुपालन किया है।

4) For treasury bills & certificate of deposits the company has followed the investments & accounting policy of the Company updated upto 27.06.14.

16 अन्य आय OTHER INCOME

(₹ हज़ारों में ₹ in thousands)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year 2014-15	गत वर्ष Previous Year 2013-14
सावधि जमाराशियों पर प्राप्त ब्याज Interest Received on Fixed Deposits	**8,220**	8,067
दीर्घावधि निवेशों पर प्राप्त लाभांश Dividend Received on Long Term Investments	**1,500**	750
अल्पावधि निवेशों पर प्राप्त लाभांश Dividend Received on Short Term Investments	**299**	451
विविध आय Miscellaneous Income	**–**	218
	10,019	9,486

17 कर्मचारी हितलाभ व्यय EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year 2014-15	गत वर्ष Previous Year 2013-14
वेतन एवं मज़दूरी (देखें टिप्पणी सं 17.1) Salaries & Wages (Refer Note No. 17.1)	**2,773**	1,613
भविष्य और अन्य निधियों के प्रति अंशदान (देखें टिप्पणी सं 16.1) Contribution to Provident and other funds (Refer Note No. 17.1)	**104**	77
स्टाफ कल्याण पर व्यय Staff Welfare Expenses	**73**	79
	2,950	1,769

टिप्पणी सं. 17.1 :
वेतन एवं मज़दूरी में शामिल है ₹971/- (गत वर्ष ₹1,076/-) का निदेशक का पारिश्रमिक।
(वित्तीय विवरणों को नोट सं. 21 देखें)

Note No. 17.1 :
Salaries & Wages includes Director's Remuneration of ₹ 971/- (Previous Year ₹1076/-)
(Refer Note No. 21 of the notes to financial statements)

18 अन्य व्यय OTHER EXPENSES

(₹ हज़ारों में ₹ in thousands)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year 2014-15		गत वर्ष Previous Year 2013-14	
किराया Rent		**100**		100
मरम्मत एवं रख-रखाव Repairs & Maintenance - Others		**41**		51
बीमा Insurance		**8**		6
निदेशकों का बैठक शुल्क Directors Sitting fees		**45**		129
लेखा-परीक्षक को भुगतान Payment to Auditor:				
लेखा-परीक्षा शुल्क Audit Fees	**55**			50
कर लेखा-परीक्षा शुल्क Tax Audit Fees	**25**			25
सेवा कर Service tax	**10**			9
		90		84
ए.सी. किराया प्रभार A.C. Hiring Charges		**48**		48
एएमसी एवं डीपी प्रभार AMC & DP Charges		**57**		79
एसोसिएशन सदस्यता शुल्क Association Membership Fee		**140**		157
बोर्ड/लेखा-परीक्षा समिति/वार्षिक महासभा व्यय Board/Audit Committee/AGM Expenses		**20**		88
बीएसई/एनएसई दलाली कारोबार व्यय BSE/NSE broking business expenses		**385**		77
परिवहन प्रभार Conveyance Charges		**79**		43
कुरियर/डाक प्रभार Courier/Postage Charges		**96**		83
सीएसआर प्रभार CSR Charges		**2,500**		–
बिजली प्रभार Electricity Charges		**24**		19
मोटर कार रख-रखाव Motor Car Maintenance		**293**		264
समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं Newspaper & Periodicals		**13**		10
मुद्रण एवं लेखन सामग्री Printing & Stationery		**56**		60
व्यावसायिक एवं विधिक शुल्क Professional & Legal fees		**472**		39
कर और निर्धारण Taxes & Assessment		**4**		10
टेलिफोन प्रभार Telephone Charges		**99**		83
सत्कार व्यय Entertainment Expenses		**32**		9
विविध व्यय Miscellaneous Expenses		**48**		40
		4,650		1,479

टिप्पणी
1. कंपनी ने सीएसआर व्ययों के रूप में ₹25 लाख की राशि का व्यय किया है और सीएसआर के उद्देश्य के लिए किए गए व्यय को कार्पोरेशन बैंक लिमिटेड (उनकी मूल कंपनी जो सूचीबद्ध संस्था है) को राशि का भुगतान किया है। मूल कंपनी को प्रदत्त कुल राशि में से ₹20,604 की राशि सीएसआर उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने के लिए लंबित है।
2. न्यूनतम देय भावी पट्टा किराए निम्नवत हैं:

क) एक वर्ष के अंदर देय	148	148
ख) एक वर्ष एवं पाँच वर्ष के अंदर देय	–	–
ग) पाँच वर्षों के उपरांत देय	–	–

Notes:
1. The company has during the year incurred a sum of ₹25 lakhs as CSR Expenses and paid the sum to Corporation Bank Ltd. (its parent company which is a listed entity to incurr the expenses for the purposes of CSR. A sum of ₹20.604 is pending to be utilised for CSR purposes out of the total monies paid to the parent company.
2. Minimmum future lease rentals payable are

a) Payable within one year	148	148
b) Payable within one year & five years	–	–
c) Payable after five years	–	–

19 प्रति शेयर अर्जन EARNING PER SHARE

(₹ हजारों में in thousands)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year 2014-15	गत वर्ष Previous Year 2013-14
(क/A) ईक्विटी शेयरधारकों को नियोज्य लाभ Profit attributable to Equity Shareholders	**61,173**	67,673
(ख/B) वर्ष के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की संख्या No. of Equity Share outstanding during the year	**75,000**	75,000
(ग/C) प्रत्येक ईक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (₹) Face Value of each Equity Share (₹)	**10**	10
(घ/D) प्रति शेयर मूल एवं तनूकृत अर्जन (₹) Basic & Diluted earning per Share (₹)	**0.82**	0.90

20 कंपनी, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है और मार्च 2007 तक प्राथमिक डीलर के रूप में कार्य करती रही। उसके प्राथमिक डीलरशिप क्रियाकलाप को समाप्त करने के बाद कंपनी एनबीएफसी नहीं रही और तदनुसार भा.रि.बैं. अधिनियम 1934 की धारा 45-Iए (6) के अंतर्गत वर्ष 2007 में पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया गया था। कंपनी ने म्युचुअल फंड उत्पादों का संवितरण शुरू किया। इसके अलावा, कंपनी अपने कारोबारी क्रियाकलाप के तहत जमा प्रमाणपत्रों, केन्द्र सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेज़री बिलों सहित अनुमोदित लिखतों में लेन-देन के द्वारा अपनी निधियों का विनियोग करती रही। कंपनी को ईक्विटी ब्रोकिंग कारोबार शुरू करने के लिए अपेक्षित विनियामक अनुमोदन और कनेक्टिविटी प्राप्त हुआ है और आगामी वित्त वर्ष कारोबार शुरू करने के लिए कदम उठा रही है।

21 कंपनी के सभी कर्मचारी कार्पोरेशन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर हैं और बैंक की कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य हैं और बैंक की पेंशन निधि के भी सदस्य हैं, इन दोनों को आय कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आने वाले न्यास के रूप में मान्यता-प्राप्त है। पेंशन निधि के संबंध में, पेंशन विकल्पदाताओं के वेतन से 10% के मासिक अंशदान के अलावा बैंक, पेंशन देयताओं की देयताओं की पूर्ति हेतु बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर एकमुश्त रूप से निधि में अंशदान करता है। सेवानिवृत्ति लाभ का प्रावधान कार्पोरेशन बैंक द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार, उपचय आधार पर छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान कार्पोरेशन बैंक द्वारा किया जाता है। इसलिए अपनी द्वारा सेवानिवृत्ति की देयों के निश्चित नहीं किया जाता।

22 **प्रखंड रिपोर्टिंग:** कंपनी अपना कारोबार मुख्यतः भारत की क्षेत्रीय परिधि के अंदर करती रही है। तदनुसार, वित्तीय विवरण भौगोलिक प्रखंड के आधार पर प्रखंडीय सूचना का प्राथमिक आधार संलग्न लाभ-हानि लेखा तथा तुलन-पत्र के अनुसार है जिसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस-17)'प्रखंड रिपोर्टिंग' के अधीन यथा अपेक्षित सभी प्राथमिक प्रकटन जैसे प्रखंड राजस्व, प्रखंड परिणाम, प्रखंड आस्तियाँ, प्रखंड देयताएं आदि दिए गए हैं। इसके अलावा, कंपनी दो अलग-अलग कारोबार क्रियाकलापों अर्थात् 1. म्युचुअल फंड उत्पादों के संवितरण और 2. जमा प्रमाणपत्रों, ट्रेज़री बिल और दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन में लगी है। अतः उपर्युक्त दो कारोबार प्रखंडों पर आधारित गौण प्रखंडीय रिपोर्टिंग निम्नमत् है:

20 The Company had registered as a Non-Banking Financial Company (NBFC) with Reserve Bank of India and had been functioning as Primary Dealer till March 2007. Further to the discontinuation of its Primary Dealership activity, the Company had ceased to be the NBFC and accordingly the Certificate of Registration under Section 45-IA (6) of the RBI Act, 1934 was cancelled in the year 2007. The Company started the distribution of Mutual Fund products. Besides, the Company has been deploying its funds by way of trading in approved instruments including Certificate of Deposits, Central Govt. Securities and Treasury Bills as part of its business activity. The Company has secured the requisite regulatory approvals for commencement of equity broking business and is in the process to finalise the statutory requirements to commence the business in the coming financial year.

21 All the employees of the Company are on deputation from Corporation Bank and are the members of Bank's Staff Provident Fund and also the members of Bank's Pension Fund, both are recognised as Trusts coming under Income Tax Act, 1961. In regard to Pension Fund, apart from the monthly contribution of 10% of the salary of pension optees, the Bank contributes to the Fund in lump sum, based on the actuarial valuation to meet the pension liabilities. The provision for retirement benefits is made by Corporation Bank. Similarly provision for Leave Encashment and Gratuity on accrual basis is made by Corporation Bank and hence retirement dues are not recognised as a liability by the company.

22 **Segment Reporting:** The Company has been predominantly carrying on its business within the territorial limits of India. Accordingly, the primary basis of segmental information on the basis of geographical segment in the financial statement is as per the attached Profit and Loss account, and Balance Sheet that give all the necessary primary disclosures such as Segment Revenue, Segment Result, Segment Assets, Segment Liabilities, etc., as required under Accounting Standard (AS-17) "Segment Reporting" issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Further the Company is engaged in the business of two separate business activities, viz., 1. Distribution of Mutual Fund Products and 2. Dealing in Certificate of Deposits, Treasury Bills and Dated Govt. Securities. Therefore, the primary segmental reporting based on the above mentioned two business segments is as under:

प्राथमिक कारोबार प्रखंड से संबंधित सूचना Information about Primary business segment								(₹ हज़ारों में ₹ in thousands)
	2014-15				2013-14			
	प्रखंड Segments				प्रखंड Segments			
विवरण Particulars	म्युचुअल फंड उत्पादों का संवितरण Distribution of Mutual Fund Products	जमा प्रमाणपत्र/ट्रे. बिल/सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन Dealing in CDs/T.Bills/ Govt. Securities	अनाबंटित Unallocated	कुल Total	म्युचुअल फंड उत्पादों का संवितरण Distribution of Mutual Fund Products	जमा प्रमाणपत्र/ट्रे. बिल/सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन Dealing in CDs/T.Bills/ Govt. Securities	अनाबंटित Unallocated	कुल Total
राजस्व Revenue								
प्रखंड राजस्व Segment Revenue	**3,207**	**86,114**	**10,019**	**99,340**	3,598	89,837	9,486	102,921
परिणाम Result								
घटाएं: व्यय Less: Expenses	**248**	**6,658**	**775**	**7,680**	116	2,889	305	3,310
घटाएं : असाधारण मदें Less : Extraordinary items	–	–	–	–	–	–	–	–
कर पूर्व लाभ Profit Before Tax	**2,959**	**79,457**	**9,244**	**91,660**	3,482	86,948	9,181	99,611
घटाएं: कर हेतु प्रावधान (आस्थगित कर का निवल) Less: Provision for Tax (Net of Deferred Tax)	–	–	–	**30,487**	–	–	–	31,938
कर उपरांत और पूर्व अवधि समायोजन से पहले लाभ Net Profit After Tax & Before Prior Period Adjustments	–	–	–	**61,173**	–	–	–	67,673
जोड़ें : पूर्व अवधि कर समायोजन Add : Prior Period Tax Adjustments	–	–	–	–	–	–	–	–
पूर्व अवधि समायोजन के बाद निवल लाभ Net Profit After Prior Period Adjustments	–	–	–	**61,173**	–	–	–	67,673
अन्य सूचना Other Information								
प्रखंड आस्तियाँ Segment Assets	–	**933,985**	**108,862**	**1,042,847**	–	730,330	455,677	1,186,007
प्रखंड देयताएं Segment Liabilities	–	–	**565**	**565**	–	–	87,903	87,903
पूँजीगत व्यय Capital Expenditure	–	–	–	–	–	–	17	17
मूल्यह्रास/परिशोधन Depreciation/ Amortisation	–	–	**80**	**80**	–	–	62	62

23 कंपनी, कार्पोरशन बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है। कंपनी का समग्र पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण इसके निदेशक मंडल के हाथों में है। कंपनी के प्रबंध निदेशक सहित सभी प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक जो कंपनी में काम कर रहे हैं, वे कार्पोरेशन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर आए हैं। वे कंपनी में पूर्णकालीन कार्य कर रहे हैं।

23 The company is a fully owned subsidiary of Corporation Bank. The overall supervision and control of the company vests with the Board of Directors. All the key managerial personnel including the Whole-time Director & Co. Secretary of the company, who are on the rolls of the company, are on deputation from Corporation Bank. They are working full-time with the company.

24 संबंधित पार्टी प्रकटन

संबंधित पार्टी प्रकटन पर लेखांकन मानक (एएस)-18 के पैरा 9 के अनुसार, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन उद्यम होने के नाते कंपनी के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वह सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य उद्यमों के साथ संबंधित पार्टी लेन-देनों और ऐसे उद्यमों के साथ लेन-देनों को प्रकटन करें। इसलिए कार्पोरशन बैंक (मूल कंपनी) के साथ लेन-देन प्रकटन नहीं किया गया हैं।

24 RELATED PARTY DISCLOSURES

As per Para 9 of the Accounting Standard (AS)-18 on Related Party Disclosures, the company being a state-controlled enterprise is not required to make disclosures of related party transactions with other state controlled enterprises and transactions with such enterprises. Hence, transactions with Corporation Bank (Parent Company) is not disclosed.

वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी लेन-देन के ब्योरे: Details of related party transactions during the year:

संबंधित पार्टियों का नाम Name of Related Parties	संबंध का स्वरूप Nature of Relationship
कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank	धारक कंपनी Holding Company
एन. जयशंकरन N. Jayasankaran	पूर्णकालिक निदेशक व कंपनी सचिव (20 जुलाई, 2012 से 10 जुन, 2014 तक) Whole-time Director & Co-Secretary (20 July, 2012- Till 10th June 2014)
ए. आई. जेम्स A. I. James	पूर्णकालिक निदेशक व कंपनी सचिव (10 जुन, 2014 से-आज की तारीख तक) Whole-time Director & Co. Secretary (10 June, 2014 - Till Date)

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पार्टियों के साथ किए गए लेन-देन:
Transactions that have taken place during the year with related parties by the Company: (₹ हजारों में ₹ in thousands)

संबंधित पार्टियों का नाम Name of Related Parties	वर्ष के दौरान लेन-देन का स्वरूप Nature of Transaction during the year	2014-2015	2013-2014
एन. जयशंकरन N. Jayasankaran	निदेशक पारिश्रमिक Directors Remuneration	**173**	1,076
ए. आई. जेम्स A. I. James	निदेशक पारिश्रमिक Directors Remuneration	**798**	–

25 जहाँ तक क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के ईक्विटी शेयरों में किए गए ₹ 50 लाख निवेश का संबंध है, तुलन-पत्र की तारीख को इसका बाज़ार मूल्य का पता नहीं लगाया जा सकता चूँकि ये शेयर सूचीबद्ध नहीं हैं। तथापि, लागत पर मूल्य लिया गया है और नवीनतम उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट से पता किए अनुसार उक्त निवेश के मूल्य में कोई गिरावट या ह्रास नहीं हुआ है।

26 मूल्यह्रास और सभी ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान पर्याप्त है और आवश्यक राशि से अधिक नहीं है।

27 विविध देनदारों, ऋणों एवं अग्रिमों की शेषराशि, पुष्टीकरण और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो तो उसके अधीन है।

28 कंपनी में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कोई कर्मचारी नहीं है और इसलिए उपदान संदाय अधिनियम के अनुसार उपदान के लिए वे पात्र नहीं है। अत: एसएस-15 के प्रावधान लागू नहीं है

29 जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, गत वर्ष के आंकड़ों को पून: समूहित, पुन: व्यवस्थित या पुन: वर्गीकृत किया गया है।

25 As regards the Investment of ₹ 50 lakhs made in Equity Shares of Clearing Corporation of India Limited, market value as on Balance Sheet date is not ascertainable, as the shares are not listed. However, the value is taken at cost and there is no deterioration or depreciation in the value of Investment as ascertained from the latest available annual report.

26 The provision for depreciation and all known liabilities are adequate and not in excess of the amounts reasonably necessary.

27 Balance of the Sundry Creditors, Loans and Advances are subject to conformation and consequential adjustments, if any.

28 The Company does not have any employees who have completed 5 years in service and hence they are not eligible for gratuity as per the payment of Gratuity Act. Thus the provisions of AS 15 are not applicable.

29 Previous year figures have been regrouped, rearragned or reclassified wherever necessary to make them comparable with those of the current year.

कृते आर. सी. रेशमवाला एण्ड कं
For **R. C. Reshamwala & CO**
सनदी लेखाकार *CHARTERED ACCOUNTANTS*
फर्म पंजीकरण सं 108832W
Firm's Registration No. 108832W

कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से
For and on behalf of the Board of Directors of CorpBank Securities Limited

रजनीकांत सी. रेशमवाला
Rajanikanth Reshamwala
साझेदार Partner
सदस्यता सं. 005502
Membership No. 005502

एस. आर. बंसल
S. R. Bansal
अध्यक्ष Chairman

बी. के. श्रीवास्तव
B. K. Srivastav
निदेशक Director

पी. परमशिवम
P. Paramaslvam
निदेशक Director

वी. एस. कार्तिकेयन
V. S. Karthikeyan
निदेशक Directo

डी. पूर्णचंद्र राव
D. Purnachandra Rao
निदेशक Director

पी. सानियल
P. Sanyal
निदेशक Director

स्थान Place : मुंबई Mumbai
दिनांक Dated : 07th मई May, 2015

ए. आई. जेम्स
A. I. James
पूर्णकालिक निदेशक एवं कंपनी सचिव
Whole time Director & Company Secretary

निधि अरोरा
सी. एफ. ओ.
Nidhi Arora
C.F.O.

कार्पोरेशन बैंक

नामांकन फार्म

(अकेले या केवल दो व्यक्तियों तक आवेदन करनेवाले व्यक्ति द्वारा भरा जाए)

मैं/हम..... और .....और.....
..... , फोलियो सं. सीबीई ..... के द्वारा कार्पोरेशन बैंक के विशिष्ट सं..... से ..... तक ..... ईक्विटी शेयर के धारक हैं और नामांकन करना चाहते हैं तथा एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति(यों) को नामांकित करते हैं, जिन्हें मेरी/हमारी मृत्यु होने की स्थिति में उक्त शेयरों के संबंध में अंतरण के सभी अधिकार/देय राशि निहित होगी।

नामांकिती (नामांकितियों) का नाम और पता/पते

नाम .....

पता .....

.....

जन्म की तिथि* .....

.....

(* यदि नामांकिती अवयस्क हो तो प्रस्तुत करें) **नामांकिती के हस्ताक्षर (वैकल्पिक)**

** नामांकिती अवयस्क हैं, उनके अभिभावक हैं:

नाम .....

पता .....

(** यदि लागू नहीं तो काट दें)

धारक(कों) के हस्ताक्षर

हस्ताक्षरः 1..... 2..... 3.....

नामः 1..... 2..... 3.....

पता .....

दिनांक : ...../...../201

दो साक्षियों के हस्ताक्षर

नाम और पता

1..... 1.....

2..... 2.....

दिनांकः **दिनांक सहित हस्ताक्षर**

अनुदेशः

1. केवल अपनी ओर से अकेले या संयुक्त रूप से आवेदन करनेवाले/शेयर रखनेवाले व्यक्ति ही नामांकन कर सकते हैं। सोसाइटी, ट्रस्ट, कंपनी निकाय, भागीदारी फर्म, हिन्दू अविभक्त परिवार के कर्ता, मुख्तारनामा धारक सहित व्यक्तियों को छोड़कर अन्य नामांकन नहीं कर सकते। अगर शेयर संयुक्त रूप से धारित किए हैं, तो नामांकन फार्म में सभी हस्ताक्षर (बैंक के पास पंजीकृत नमूने के अनुसार) करें।
2. शेयरों के धारक द्वारा किसी अवयस्क को नामांकित किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में धारक द्वारा अभिभावक का नाम और पता भी दिया जाए।
3. नामांकिती कोई ट्रस्ट, सोसाइटी, कंपनी निकाय, भागीदारी फर्म, हिन्दू अविभक्त परिवार का कर्ता या मुख्तारनामा धारक न हो। अनिवासी भारतीय प्रत्यावर्तनीय आधार पर नामांकिती हो सकता है बशर्ते कि भा.रि.बै. द्वारा दिए गए अनुमोदन को बैंक के पास पंजीकृत करवाया हो।
4. शेयरों का अंतरण होने पर नामांकन निरस्त हो जाएगा।
5. नामांकिती के पक्ष में शेयर का अंतरण कानूनी वारिस के विरुद्ध बैंक का वैध दायित्व-मोचन होगा।
6. नामांकन संबंधी सूचना/नामांकन फार्म बैंक/बैंक के रजिस्ट्रार/शेयर अंतरण एजेंट के पास दो प्रतियों में दायर किया जाए, जो उसकी एक प्रति शेयरधारक को लौटाएंगे।

केवल कार्यालय के उपयोग हेतु

नामांकन पंजीकरण सं. ..... **पंजीकरण की तारीखः**.....

टिप्पणीः ..... **जाँचकर्ता और कर्मचारी के हस्ताक्षर :**.....

CORPORATION BANK
NOMINATION FORM

(To be filled in by individual applying singly or jointly, only upto two persons)

I/We_____ and_____and _____ _____ the holder of _____ equity shares bearing Distinctive Nos. from _____to _____ of Corporation Bank vide Folio No. CBE_____ wish to make a nomination and do hereby nominate the following person(s) in whom all rights of transfer and/or amount payable inrespect of shares shall vest in the event of my/our death.

NAME(S) AND ADDRESS(S) OF NOMINEE(S)

Name _____

Address_____

_____

Date of Birth * _____

_____

(* To be furnished in case the nominee is a minor) **Signature of Nominee (Optional)**

** The nominee is a minor, whose guardian is:

Name : _____

Address: _____

(** To be deleted if not applicable)

Signature(s) of Holders(s)

Signature : 1. _____ 2._____3._____

Name : 1. _____ 2._____3._____

Address : _____

Date : _____/_____/201

Signature of two witnesses
Name and Address

1. _____

2. _____

1. _____

2. _____

Date: **Signature with date**

Instructions:

1. The nomination can be made by individuals'only applying/holding shares on their own behalf singly or jointly. Non individuals including society, trust, bodycorporate, partnership firm, karta of Hindu Undivided family, holder of power of attorney cannot nominate. If the shares are held jointly, all joint holders will sign (as per the specimen registered with the Bank) the nomination form.
2. A minor can be nominated by a holder of shares and in that event the name and address of the Guardian shall be given by the holder.
3. The nominee shall not be a trust, society, body corporate, partnership firm, Karta of Hindu Undivided Family or a power of attorney holder. A non-resident Indian can be a nominee on a re-patriable basis, provided RBI approval granted is registered with the Bank.
4. Nomination shall stand rescinded upon transfer of share(s).
5. Transfer of share in favour of a nominee shall be a valid discharge by a Bank against the legal heir.
6. The intimation regarding Nomination/Nomination form shall be filed in duplicate with Bank/Registrar & Share Transfer Agents of the Bank who will return one copy thereof to the shareholder.

FOR OFFICE USE ONLY

Nomination Registration No. _____ **Date of Registration:_____**

Remarks:_____ Checked by and Signature of Employee: _____

ईक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान हेतु ईसीएस/एनईसीएस/आरटीजीएस/एनईएफटी अधिदेश फार्म

(कागज़ी रूप में शेयरों के मामले में – शेयर अंतरण एजेन्ट मेसर्स कार्वी कंप्यूटर शेयर प्रा. लि. को भेजें)

(डीमैट शेयरों के मामले में – अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेन्ट को भेजें)

1. प्रथम शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :
2. पता :
3. पंजीकृत फोलियो सं. : सीबीई .....
   (यदि डीमैट नहीं किया गया) ग्राहक आईडी सं. .....
   (यदि डीमैट किया गया हो) डीपीआईडी सं. .....
4. बैंक खाते के विवरण
   - क. बैंक का नाम :
   - ख. शाखा का नाम और शहर या स्थान का नाम (पिन कोड) :
   - ग. खाता सं. (चेक बुक में यथा उल्लिखित) :
   - घ. खाते का प्रकार (कृपया टिक करें) : ब.बैं. ☐ चालू ☐ नकद उधार ☐
   - ड. बैंक द्वारा जारी एमआईसीआर चेक पर अंकित बैंक एवं शाखा की 9 अंकीय एमआईसीआर कूट सं. : ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
   - च. शाखा का आईएफएससी कूट :
   - छ. संपर्क ब्यौरे: मोबाईल सं..... ई-मेल आईडी.....
5. कूट संख्याओं की परिशुद्धता सत्यापित करने के लिए कृपया अपने बैंक द्वारा जारी अपने उपर्युक्त खाते से संबंधित चेक पन्ने की एक फोटोप्रति या एक कोरा निरस्त चेक संलग्न करें ।

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिये गये विवरण सही एवं पूर्ण हैं । अपूर्ण या गलत सूचना के कारण यदि लेन-देन विलंबित होता है या सम्पन्न नहीं होता है तो मैं कार्पोरेशन बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराऊँगा/ठहराऊँगी । किसी कारणवश ईसीएस/एनईसीएस/आरटीजीएस/एनईएफटी सुविधा उपलब्ध न होने पर ऊपर उल्लिखित खाता विवरणों को भुगतान लिखत में शामिल किया जाए ।

स्थान :
दिनांक :

प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित विवरण हमारे अभिलेख के अनुसार सही हैं।

स्थान :
दिनांक :

संबंधित बैंक के प्रबंधक के हस्ताक्षर

टिप्पणी: 1. कृपया सभी कॉलम भरें । अपूर्ण प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।
2. यदि यह प्रपत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है तो पुन: देने की आवश्यकता नहीं है ।
3. बैंक से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के स्थान पर शेयरधारक एक कोरा 'निरस्त' चेक या उसकी फोटोप्रति संलग्न कर सकते हैं।

ECS/NECS/RTGS/NEFT MANDATE FORM FOR PAYMENT OF DIVIDEND ON EQUITY SHARES

(In case of physical shares – send to Share Transfer Agent, M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd.)
(In case of demat shares – send to your Depository Participant)

1. First Shareholder's Name (in Block letters) :

2. Address :

3. Regd. Folio No. : CBE .....
   (If not Dematerialised)
   (If Dematerialised) : Client ID No…….:
   DPID No……..

4. Particulars of Bank Account :
   A. Bank Name :
   B. Branch Name & City or name of Place(Pin code) :
   C. Account No. (as appearing on the Cheque Book) :
   D. Account Type (Please tick) : SB ☐ Current ☐ Cash Credit ☐
   E. 9 Digit MICR code No. of the Bank & Branch As appearing on the MICR cheque issued by the bank : ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
   F. IFSC Code of the Branch :
   G. Contact Details : Mobile No…… E-mail id ……..

5. Please attach a photocopy of a cheque leaf or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the code numbers.

DECLARATION

I hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold the Corporation Bank responsible. In case of ECS/NECS/RTGS/NEFT facility not being available for any reason, the account details provided above may be incorporated in the payment instrument.

Place :
Date : Signature of the first shareholder

Certified that the particulars furnished above are correct as per our records.

Place :
Date : Signature of the Manager of the Bank Concerned

Notes: 1. Kindly fill all columns. Incomplete forms shall not be entertained.

2. Please ignore this form, if the same is already submitted.

3. In lieu of the Bank Certificate to be obtained, shareholders can attach a blank 'cancelled' cheque or a photocopy thereof.

निष्पादन विशिष्टताएँ PERFORMANCE HIGHLIGHTS

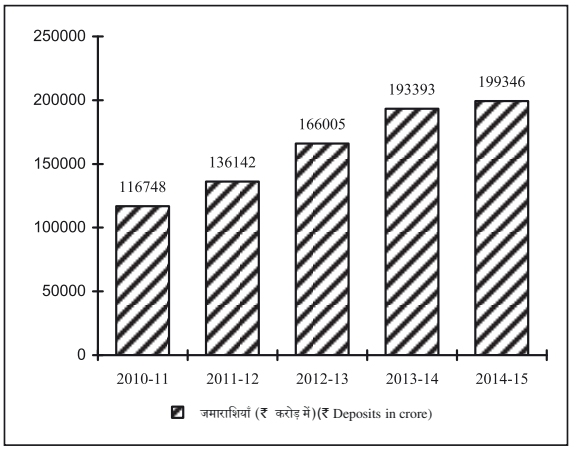

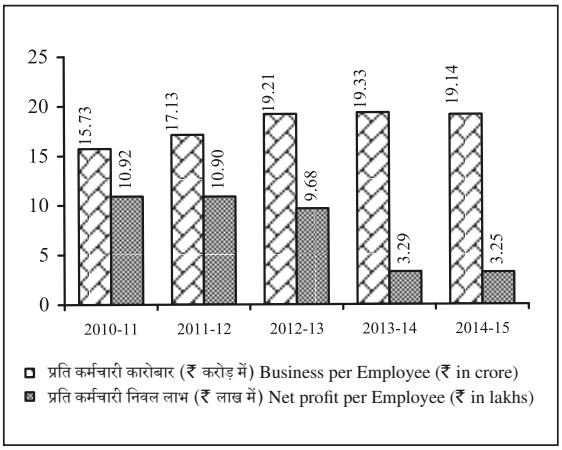

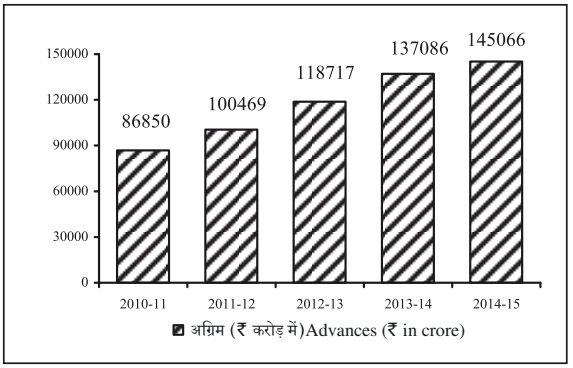

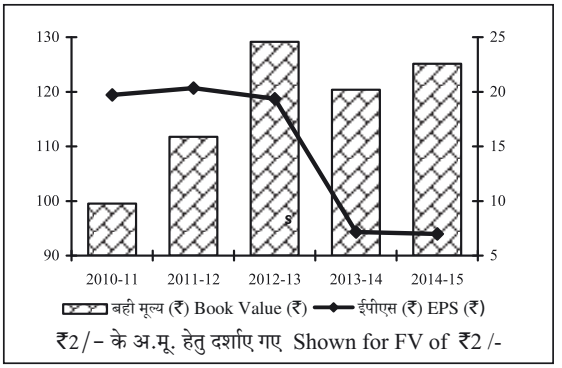

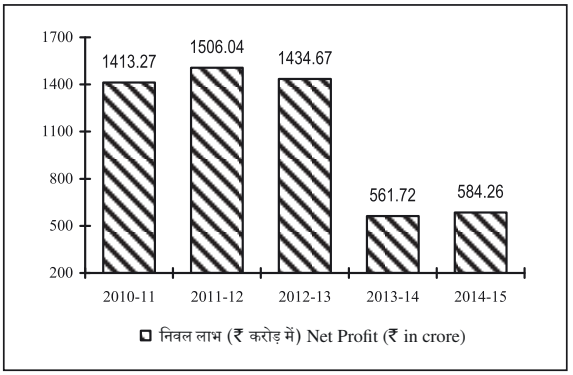

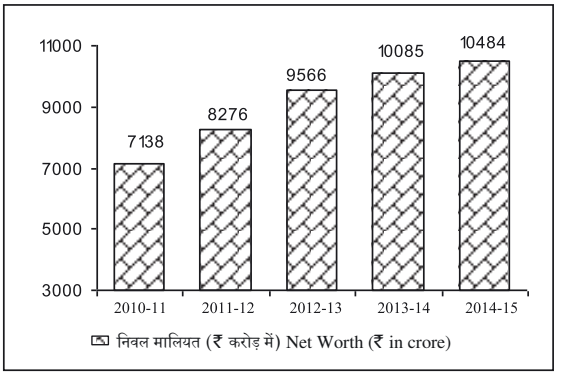

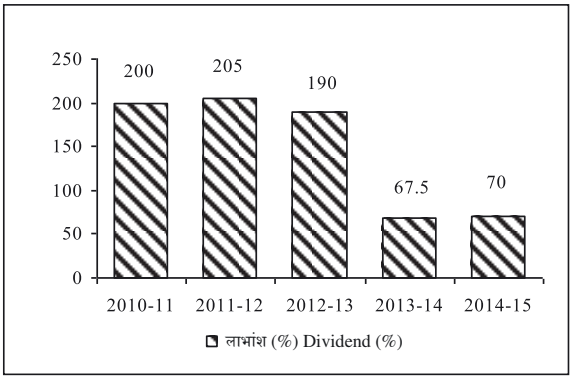

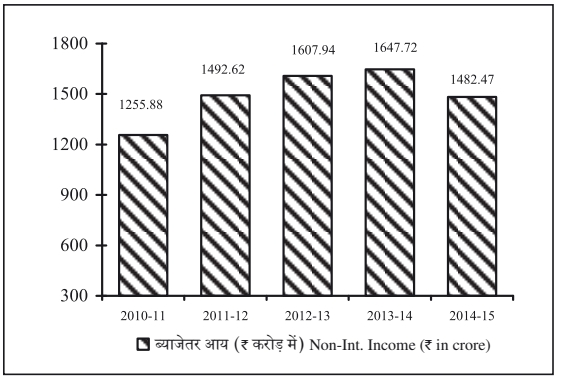

टिप्पणियाँ/Notes

कार्पोरेशन बैंक

प्रधान कार्यालय: मंगलूर – 575 001

फॉर्म 'बी'

प्रॉक्सी फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरकर हस्ताक्षरित किया जाए)

पंजीकृत फोलियो सं. सीबीई ..... (यदि डीमेट न किया गया हो)
डीपीआईडी सं. ..... ग्राहक आईडी सं. .....

मैं/हम ....., ... राज्य के ..... जिले के .....का/के निवासी **कार्पोरेशन बैंक** का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा ..... राज्य के .....जिले के निवासी श्री/श्रीमती ..... को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर ..... राज्य के ..... जिले के निवासी श्री/श्रीमती .....को **सोमवार, 29 जून, 2015 पूर्वाह्न10.30 बजे को, सहस्राब्दि भवन, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलूरु** में आयोजित होने वाली बैंक के शेयरधारकों की **अठारहवीं महासभा** में तथा इसके अधिस्थगन में मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे लिए वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूँ/करते हैं ।

..... माह के ..... दिन, 2015 को हस्ताक्षरित।

कृपया पंद्रह पैसे का रसीदी टिकट चिपकाएं

.....
प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

.....
प्रथम धारक/एकमात्र धारक के हस्ताक्षर

नाम: .....

पता: .....

.....

.....

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश

1. प्रॉक्सी लिखत वैध होने के लिए यह ज़रूरी है कि,
   क. व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में यह उसके द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो ।
   ख. संयुक्त धारकों के मामले में यह सदस्य-रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो ।
   ग. किसी कार्पोरेट निकाय के मामले में यह सामान्य मोहर अगर कोई है, के साथ इसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाएगा या अन्यथा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो ।
2. प्रॉक्सी की कोई लिखत जिस में शेयरधारक के अंगूठे का निशान है, वैध होगी बशर्ते यह किसी जज, मज़िस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार, एश्योरेंस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या कार्पोरेशन बैंक के अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित की गयी हो ।
3. प्रॉक्सी के साथ
   क. मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत यह हस्ताक्षरित किया गया या
   ख. नोटरी पब्लिक या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित उस मुख्तारनामा या प्राधिकार की प्रति **अठारवीं** महासभा प्रारंभ होने की तारीख से **चार दिन** पहले अर्थात् **बुधवार, 24 जून, 2015** को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् **शाम 5.00 बजे** तक या उसके पहले कार्पोरेशन बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा की जानी चाहिए ।
4. यदि संबद्ध मुख्तारनामा कार्पोरेशन बैंक या इसके शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है तो मुख्तारनामे की पंजीकरण संख्या तथा ऐसे पंजीकरण की तिथि उल्लिखित की जानी चाहिए ।
5. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि उस पर विधिवत् स्टैम्प न लगाया जाए ।
6. बैंक में जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी ।
7. यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रूप में दो प्राप्तिकर्ताओं के पक्ष में प्रदान की गई है तो एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा ।
8. शेयरधारक जिसने प्रॉक्सी लिखत निष्पादित की है, ऐसी लिखत जिस बैठक से संबंधित है उसमें व्यक्तिगत रूप से वोट डालने का हकदार नहीं होगा।
9. **कार्पोरेशन बैंक** के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।
10. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि यह फार्म ''बी'' में न हो ।

Corporation Bank

Head Office : Mangaluru – 575 001

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No. CBE .... (If not Dematerialised)
DPID No. .... Client ID No. ....

I/We, ... Resident of ....in the District of .... in the State of..being a shareholder/s of CORPORATION BANK, hereby appoint Shri/Smt. .... resident of ……...…….. in the district of ....in the State of...or failing him/her, Shri/Smt. ....resident of ....

in the District of .... in the State of ....

as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the EIGHTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of the Bank to be held on Monday, 29th June, 2015, at 10.30 a.m. at MILLENNIUM BUILDING, CORPORATION BANK, HEAD OFFICE, MANGALURU and at any adjournment thereof.

Signed this …………………….. day of ……………………….. 2015.

Please affix fifteen paise revenue stamp

....

Signature of the Proxy

....

Signature of the first holder/sole holder

Name : ....

Address : ....

....

....

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. The instrument of proxy to be valid,
   a. in case of an individual shareholder, shall be signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing
   b. in the case of joint holders, shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorised in writing
   c. in the case of a body corporate, shall be signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Corporation Bank.
3. The proxy together with
   a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
   b. a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Corporation Bank, not later than FOUR DAYS before the date of the Eighteenth Annual General Meeting, i.e. on or before closing hours i.e. 5.00 p.m. of Wednesday, 24th June, 2015.
4. In case the relevant power of attorney is already registered with Corporation Bank or its Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.
5. No proxy shall be valid unless it is duly stamped.
6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of CORPORATION BANK.
10. No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".

कार्प किरण
CorpKiran

An Association of Wives of Senior Executives of Corporation Bank under CSR towards underprivileged section of society

श्रीमती सुमित्रा बंसल, अध्यक्ष, कार्प किरण, दृष्टि हीन हेतु एनजीओके अंधेरे अलो सदस्यों को ड्रेस मटेरीयल का वितरण, हमारी कोलकाता एनयूजेएस शाखा द्वारा किया गया कार्यक्रम

Smt. Sumitra Bansal, President, Corp Kiran, distributing dress materials to members of Andhare Alo, an NGO for blind - Activity undertaken by our Kolkata NUJS branch.

स्वामी श्रद्धानंद सेवाश्रम, मंगलूरु की निवासी लड़कियों हेतु वितरित किए जा रहे बेड स्प्रेड

Bed Spreads being distributed to girl inmates of Swamy Shraddhananda Sevashram, Mangaluru.

भारतीय अदिमजाति सेवक संघ, नई दिल्ली के तहत कात्यायनी बालिका आश्रम को कार्पकिरण सदस्यों द्वारा कुर्सियां और वॉटर प्यूरिफायर वितरित किए गए।

Chairs and Water Purifier donated by the members of CorpKiran to Katyayani Balika Ashram under Bhartiya Adimjati Sevak Sangh, New Delhi.

कसाबा बेंग्रे स्कूल, मंगलूरु में पंखे दान देते हुए

Ceiling Fans being donated to Kasaba Bengre School, Mangaluru.

कोबेस्टी, चिकमंगलूर, कर्नाटक में कंप्यूटर हार्डविअर और नेटवर्किंग पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

Computer Hardware & Networking training programme underway at COBSETI - Chikmagalur, Karnataka

कार्प किरण सदस्यों द्वारा सुलुर, कोयंबत्तूर अंचल, तमिलनाडु में पंचायत यूनियन स्कूल को पंखे दान देते हुए ।

CorpKiran members donated Chairs to Panchayat union School at Sulur, Coimatore Zone, Tamilnadu

प्रधानमंत्री जन-धन योजना
Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव, अतिरिक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार, 22.11.2014 को बैंक द्वारा वामंजूर, मंगलूरु में आयोजित पीएमजेडीवाई मेगा कैम्प में मुख्य अतिथि थीं।

Smt. Snehalata Shrivastava, Additional Secretary, Ministry of Finance, Dept. of Financial Services, Govt. of Indiawas the Chief Guest at the PMJDY Mega Camp at Vamanjur, Mangaluru, organised by the Bank on 22.11.2014.

दिनांक 09.05.2015 को जयपुर में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के शुभारंभ के अवसर पर लाभार्थियों को प्रमाणपत्र प्रदान करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ श्री एस. आर. बंसल, अ.प्र.नि।

Shri S.R. Bansal, CMD, with Rajasthan CM, Vasundhara Raje Sindhia, handing over a certificate to beneficiary at the launch of Pradam Mantri Suraksha Bima Yojana, Pradhanmantri Jeevan Bima Yojana & Atal Pension Yojana at Jaipur on 09.05.2015.

दिल्ली (दक्षिण) अंचल के पेल्पा ग्राम के दौरे के दौरान हमारे बैंक मित्र को माइक्रो एटीएम प्रदान करते हुए श्री एस. आर. बंसल, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

Shri S.R. Bansal, CMD Handling over Micro ATM to our Bank Mitra during his visit to Pelpa village of Badli Branch in Delhi (South) Zone

श्री जेकोब जे.ल्यू, ट्रेज़री सचिव, अमेरिका ने मच्छी-मार कॉलनी में हमारे ग्राम स्तरीय उद्यमी केंद्र को भेट दी और कोल्हार गाँव में बैंक द्वारा नियुक्त बैंक मित्र के माइक्रो एटीएम के माध्यम से आधार संबद्ध भुगतान सेवाओं के प्रदर्शन का निरीक्षण किया।

Mr. Jacob J. Lew, Treasury Secretary, United States, visited our Village Level Entrepreneur Centre at Macchi-mar colony and inspected the demonstration of Adhar enabled payment services through Micro ATM of a Bank Mitra appointed by the Bank at Kolhar Village.

दिनांक 09.05.2015 को मंगलूरू में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के शुभारंभ के अवसर श्री सदानंद गौडा, माननीय केंद्रीय विधि मंत्री के साथ में है श्री बी.के. श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक

Shri B.K.Srivastav, Executive Director with Shri Sadananda Gowda, H'onble Union Law Minister at the launch of the Pradam Mantri Suraksha Bima Yojana, Pradhanmantri Jeevan Bima Yojana & Atal Pension Yojana on 09.05.2015 at Mangaluru.

बैंक में पीएमजेडीवाई के तहत मॉडल बैंक मित्र स्थान

Model Bank Mitra in one of the PMJDY location of the Bank.

कार्पोरेट कार्यालय: मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूरु - 575 001. Corporate Office: Mangaladevi Temple Road, Mangaluru - 575 001.
दूरभाष/Telephone: 0824-2426416-20 फैक्स/Fax: 0824-2444617 ई-मेल / e-mail: query@corpbank.co.in वेबसाइट/website: www.corpbank.com

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

A Premier Public Sector Bank

FORM A

Covering Letter of the annual audit report to be filed with the stock exchanges

1.	Name of the Company:	Corporation Bank
2.	Annual Financial statements for the year ended	31st March 2015
3.	Type of Audit Observation	**Emphasis of Matter** The Emphasis of Matter paragraph has been reporter under para 7 of Audit report as follows: a) Note No. 4.3, Schedule 18A to the financial statements, regarding classification, income recognition and provisioning of restructured advances, which have been done based on substantial compliance of major conditions contained in the CDR/RBI guidelines. b) Note No.2.3 Schedule 18B of the financial Statements regarding deferment of pension liability to the extent of Rs. 110.49 crore pursuant to the exemption granted by the RBI to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standards (AS-15) 'Employee Benefits' vide Circular No.DBOD.BP.BC/80/21.04.018/ 2010-11 dated 09.02.2011 on Re-opening of Pension Opinion to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits Prudential Regulatory Treatment.

4.	Frequency of observation	a. Emphasis of Matter reported under para 7(a) of the Audit Report is appearing second time. b. Emphasis of Matter reported under para 7(b) of the Audit Report is appearing since financial year ended 2010-11 pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India vide its Circular No. DBOD.BP.BC/80/21.04.018/ 2010-11 dated 09.02.2011.

[P. Paramasivam]
CFO/General Manager

16/5
[S.R. Bansal]
Chairman & Managing Director/CEO

for B.K. Ramadhyani & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN-002878S /S200021

C. R. Deepak
[CA C.R. Deepak]
M.No.215398
Partner

for Nripendra & Co.
Chartered Accountants
FRN-000379C

[CA Pradeep Kumar Gupta]
M.No.070855
Partner

for GMJ & Co.
Chartered Accountants
FRN-103429W

[CA Atul Jain]
M. No.037097
Partner

for Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN-001997S

[CA Murali Mohan Bhat]
M.No.203592
Partner

for M. Anandam & Co.
Chartered Accountants
FRN-000125S

[CA A.V. Sadasiva]
M.No.018404
Partner

[Adish Kumar Jain]
Director and Chairman of Audit Committee

Place: Mangaluru

Date: May 16, 2015

M/S. B.K.RAMADHYANI & CO. LLP * BANGALORE-55 * CHARTERED ACCOUNTANTS
M/S. NRIPENDRA & CO. * KANPUR * CHARTERED ACCOUNTANTS
M/S. GMJ & CO. * MUMBAI * CHARTERED ACCOUNTANTS
M/S. MANOHAR CHOWDHRY & ASSOCIATES * CHENNAI * CHARTERED ACCOUNTANTS
M. ANANDAM & CO. * SECUNDERABAD * CHARTERED ACCOUNTANTS